बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास

खंड—२

१९२९-१९४१

लेखक

डॉ० कालिकिंकर दत्त, एम० ए०, पी० आर० एस०, पी-एच० डी०,
भूतपूर्व प्रोफेसर, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय; भूतपूर्व कुलपति,
पटना तथा मगध विश्वविद्यालय।

अनुवादक

डॉ० विष्णु अनुग्रह नारायण, एम० ए०, पी-एच० डी०,
प्रोफेसर, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय।

भाषा-संपादक

डॉ० अरविन्द नारायण सिन्हा, एम० ए० (द्वय) पी-एच० डी०,
बी० एन० कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय।



प्रकाशक

बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी,
सम्मेलन भवन, कदमकुआँ,
पटना-३

बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास

HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT IN BIHAR

बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास

खंड—२

१९२९-१९४१

लेखक

डॉ० कालिंकिकर दत्त, एम० ए०, पी० आर० एस०, पी-एच० डी०,
भूतपूर्व प्रोफेसर, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय; भूतपूर्व कुलपति,
पटना तथा मगध विश्वविद्यालय।

अनुवादक

डॉ० विष्णु अनुग्रह नारायण, एम० ए०, पी-एच० डी०,
प्रोफेसर, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय।

भाषा-संपादक

डॉ० अरविन्द नारायण सिन्हा, एम० ए० (द्वय) पी-एच० डी०,
बी० एन० कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय।



प्रकाशक

बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी,

सम्मेलन भवन, कदमकुआँ,

पटना—३

विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रन्थ-निर्माण-योजना के अन्तर्गत भारत सरकार (शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय) के शत-प्रतिशत अनुदान से बिहार हिंदी ग्रंथ-अकादमी द्वारा प्रकाशित यह ग्रंथ डॉ० के० के० दत्त द्वारा लिखित तथा बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित History of The Freedom Movement in Bihar का हिंदी अनुवाद है।

प्रकाशित ग्रंथ संख्या---१२१

प्रथम संस्करण :
२०००

मूल्य : २९.००(उन्नतिस रुपये मात्र)

प्रकाशक :
बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी
कदमकुआँ, पटना-३

मुद्रक :
देवेन्द्रनाथ मिश्र :
युगान्तर प्रेस, पटना-४

प्रस्तावना

शिक्षा-संबंधी राष्ट्रीय नीति संकल्प के अनुपालन के रूप में विश्व-विद्यालयों में उच्चतम स्तरों तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के लिए पाठ्य-सामग्री सुलभ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इन भाषाओं में विभिन्न विषयों के मानक ग्रंथों के निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन की योजना परिचालित की है। इस योजना के अंतर्गत अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है और मौलिक ग्रंथ भी लिखाए जा रहे हैं। यह कार्य भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से तथा अंशत: केन्द्रीय अभिकरण द्वारा करा रही है। हिंदीभाषी राज्यों में इस योजना के परिचालन के लिए भारत सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना हुई है। बिहार में इस योजना का कार्यान्वयन बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के तत्त्वावधान में हो रहा है।

योजना के अंतर्गत प्रकाश्य ग्रंथों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि भारत की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समान पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

प्रस्तुत ग्रंथ "बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास, खण्ड—२" डॉ० कालिंकिकर दत्त लिखित History of The Freedom Movement in Bihar, Vol. 2 पुस्तक का हिंदी अनुवाद है, जो भारत सरकार के शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय के शत-प्रतिशत अनुदान से बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यह अनुवाद डॉ० विष्णु अनुग्रह नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

आशा है, अकादमी द्वारा मानक ग्रंथों के प्रकाशन-संबंधी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जायेगा।

रामराज सिंह

पटना,
२८ अगस्त, १९७४

अध्यक्ष,
बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी
एवं
शिक्षा मंत्री, बिहार



प्रकाशकीय वक्तव्य

प्रस्तुत ग्रंथ "बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास" डॉ० कालिकिंकर दत्त-लिखित Histoy of The Freedom Movement in Bihar Vol. 2 का हिंदी अनुवाद है। पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के युनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉ० विष्णु अनुग्रह नारायण द्वारा इसका अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। इसका पुनरीक्षण मूल अंग्रेजी पुस्तक के विद्वान लेखक डॉ० दत्त ने स्वयं किया है। भाषा-संपादन का कार्य बिहार नेशनल कॉलेज, पटना के हिंदी विभाग के अध्यापक डॉ० अरविन्द नारायण सिन्हा ने किया है। आशा है, यह ग्रंथ विश्वविद्यालय-स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण होगा।

इसका मुद्रण-कार्य युगान्तर प्रेस, पटना-४ ने किया है। इसके आवरण-शिल्पी श्री बी० के० सेन हैं। प्रूफ-संशोधन का कार्य श्री सदानन्द झा ने किया है। प्रूफ पर मेद्रणादेश अनुवादक ने स्वयं देने की कृपा की है। ये सभी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

बैजनाथ सिंह

कार्यकारी निदेशक
बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी

पटना.
२८ अगस्त, १९७४



विषय-सूची

●

अध्याय १

नया मोड़ (१९२८-२९)

"फलतः यह कांग्रेस पिछले वर्ष के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव के सिलसिले में घोषित करती है कि कांग्रेस संविधान की धारा १ में स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होगा और आशा करती है कि अब से सभी कांग्रेसकर्मी भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने में अपना पूरा ध्यान लगाएँगे"—लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, १९२९।

व्यक्ति के जीवन की तरह राष्ट्र के स्वतंत्रता-संघर्ष के इतिहास में भी उतार-चढ़ाव होते हैं। राष्ट्रवाद की लहर मानव-मन को कुछ अर्से तक आप्लावित करने के बाद किन्हीं व्यवधानों से रुक जा सकती है और प्रारंभिक दिनों का उत्साह एवं तत्परता कुछ काल के लिए कम हो जा सकती है किन्तु इस प्रकार की वर्षों की परीक्षा की ज्वाला में आत्मशुद्धि की प्रक्रिया से होकर निकलने के बाद किसी राष्ट्र की आत्मा में देशप्रेम की चिनगारियाँ पुनः फूटती हैं और दुर्निवार बाधाओं को भी जीत कर अन्ततः कोई महान आदर्श विजयी होता है। इसी प्रकार १९२८ से पुनः भारत के राजनैतिक क्षितिज पर नई ज्योतिमालाएँ फूटती दीख पड़ती हैं। देश को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के हेतु पथ निदेशक के रूप में।

बाहरी और भीतरी नई शक्तियों का प्रभाव :

नया मोड़ कुछ नये तत्त्वों की प्रेरणा से प्रस्तुत हुआ। ये तत्त्व बाह्य एवं आन्तरिक दोनों ही थे।

१० से १५ फरबरी, १९२७ की अवधि में बेलजियम की राजधानी ब्रुसेल्स में साम्राज्यवाद विरोधी अन्तरराष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। अधिवेशन में इस आशय के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिनमें "भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के हेतु भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को हार्दिक समर्थन" देने की बात कही गयी थी और यह आशा प्रकट की गई थी कि "भारत के किसान एवं मजदूरों को दासता से पूर्ण उन्मुक्ति मिलेगी"।

इस कांग्रेस के संबंध में श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेखनीय वक्तव्य प्रस्तुत किया था : "मैं अनुभव करता हूँ कि हमारी आन्तरिक राजनीति चाहे जैसी भी हो, हम अपने एवं शेष दुनिया के हित में उन विराट आन्दोलनों और शक्तियों से पृथक नहीं रह सकते जो भविष्य की रूपरेखा का निर्माण कर रहे हैं"।[1] अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के कार्यालय ने १९२८ में बर्लिन स्थित साम्राज्यवाद विरोधी लीग के मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखा।[2] जुलाई, १९२९ में श्री शिव प्रसाद गुप्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक नगर में साम्राज्यवाद विरोधी लीग के द्वितीय विश्व कांग्रेस में सम्मिलित हुए।[3] भारत ने बाहरी दुनिया से आनेवाले समाजवादी और साम्राज्यवादी विचारों के संघात का भी अनुभव किया। इसके अतिरिक्त १९२९ से विश्वव्यापक आर्थिक मंदी, इंगलैंड में लेबर सरकार की स्थापना तथा १९३१ में उसका पतन जैसे कारकों का प्रभाव भी भारत पर पड़ा। वस्तुतः १९३०-३१ में इंगलैंड में संवैधानिक संकट, जापान द्वारा मंचूरिया पर अधिकार, जर्मनी और इटली में निरंकुश अधिनायकशाही का उदय, स्पेन में गणतंत्र की स्थापना के परिणामस्वरूप क्रान्ति प्रभृति घटनाओं से विस्फोटक स्थिति सी पैदा हो रही थी। इस समय तक प्रथम विश्वयुद्ध की सर्वनाशी आर्थिक विरासत के प्रभावों का दंशन भी अनुभव किया जा रहा था। इन दिनों सारी दुनिया के बाजारों में घोर मंदी छाई हुई थी। डाक्टर ऑर्नल्ड ट्वायनबी के शब्दों में यह वर्ष "भयानक वर्ष" था। भारत में भी १९३० एक अत्यन्त घटनाबहुल वर्ष था।

साइमन कमिशन और उसका बहिष्कार :

अपने देश में कुछ नये कारक १९२८ से राजनैतिक गतिविधि को प्रभावित कर रहे थे। सरकार द्वारा अपने हित में देश की मुद्रा-व्यवस्था में भारत सरकार के वित्त मंत्री, सर बेसिल ब्लैकेट के एक आदेश के अनुसार रुपया और स्टर्लिंग की अनुपातिक विनिमय-दर में परिवर्तन करके १ शि० ४ पें० से १ शि० ६ पें० प्रति रुपया कर दिया गया था। इसका कई क्षेत्रों में घोर

---

१. इन्डियन क्वार्टरली रजिस्टर, १९२८, खंड—२, पृष्ठ १५८।

२. कांग्रेस सचिवों का १९२८ का वार्षिक प्रतिवेदन।

३. वही, १९२९।

विरोध हुआ।[1] १९२७ अप्रील में प्रकाशित स्कीन कमिटी की रिपोर्ट पर २५ वर्षों में भारतीय सेना के आधे भाग के पूर्ण भारतीयकरण की योजना के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय कुछ लोगों की सम्मति में राष्ट्र विरोधी था। १९२७ के पूर्वार्द्ध में इंगलैंड में प्रकाशित कुमारी कैथेराइन मेयो की पुस्तक "मदर इन्डिया" से सारा देश विक्षुब्ध हो उठा क्योंकि उसमें भारतीय जीवन का एक दुराग्रही तथा घिनौना चित्र प्रस्तुत किया गया था। भारतीय अखबारों ने उसकी कठोर भर्त्सना की और सार्वजनिक मंचों से उसके विरुद्ध आन्दोलन किया गया। उसपर सबसे कठोर आलोचना महात्मा गाँधी की थी। गाँधी जी ने उस पुस्तक को "बमपुलिस के जमादार की रिपोर्ट" कहा था।[2] यह आम तौर पर विश्वास किया जाता था कि कुमारी मेयो को ऐसी पुस्तक लिखने के लिए सहायता दी गई थी जिसमें दुनिया की आँखों में भारत हीन साबित हो और स्वशासन के योग्य लोग उसे नहीं समझें। १९२७ के केन्द्रीय ऐसेम्बली के सितम्बर अधिवेशन में भारत सरकार के गृह मंत्री से इस पुस्तक के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे गये। गृहमंत्री ने उत्तर में कहा कि "भारत सरकार तथा लंदन स्थित भारत सचिवालय का इस पुस्तक के प्रकाशन से कोई संबंध नहीं था और उसकी लेखिका को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य विषयों के भारतीय अथवा विदेशी छात्रों को सामान्यतः दी जानेवाली सुविधाओं से अधिक कुछ नहीं दी गई थी"।[3] अन्त में ८ नवम्बर १९२७ को ब्रितानी संसद तथा भारतीय वायसराय, महामहिम लार्ड इरविन की एक साथ घोषणा प्रकाशित हुई जिसमें संवैधानिक सुधारों पर एक सरकारी आयोग की नियुक्ति का निर्णय सूचित किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता एक प्रख्यात संवैधानिक वकील, सर जॉन साइमन को करनी थी एवं उनके सहायतार्थ ६ अन्य सदस्य थे। आयोग में कंजरवेटिव पार्टी के दो प्रतिनिधि, इंगलैंड की लॉर्ड सभा के दो सदस्य, वाइकाउन्ट बर्नहम और लॉर्ड स्ट्राथकोना, कॉमन्स लोकसभा के दो सदस्य, श्री ई० सी० जी० कडोगाँ और कर्नल जी० आर० लेन-फौक्स थे। लेबर पार्टी उन दिनों विरोधी पक्ष

---

१. कलकत्ता कांग्रेस दिसम्बर, १९२८ में पंडित मोतीलाल नेहरू का अध्यक्षीय भाषण।

२. यंग इन्डिया, १९२७-२८, पृष्ठ ३३९-३५६।

३. इन्डिया इन १९२७-२८, पृष्ठ ३-४।

थी। उसके प्रतिनिधि के रूप में मेजर सी० आर० एटली और श्री स्टेफेन वाल्श (श्री वाल्श के भाग नहीं ले सकने के कारण इनके स्थान पर श्री वर्नन हार्टशॉर्म की नियुक्ति की गई थी) थे।

आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण देश भर में भारी रोष प्रकट किया जाना स्वाभाविक था। विशेष करके इसलिए कि आयोग की स्थापना मांटेगु-चेम्सफोर्ड सुधारों के कार्यान्वयन की जाँच करने तथा देश के भावी संवैधानिक सुधारों के लिए अनुशंसा करने के उद्देश्य से की गयी थी। आयोग के केवल अंगरेज सदस्यीय होने के कारण उसकी विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले संगठनों की ओर से व्यापक भर्त्सना हुई। इसे "आत्मनिर्णय के मौलिक सिद्धान्त की अवमानना समझा गया"।[१] १६ नवम्बर, १९२७ को "लीडर्स मैनिफेस्टो (नेताओं का घोषणा-पत्र)" प्रकाशित किया गया। इसपर सभी दलों के प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। इनमें बिहार से सर अली इमाम, श्री सच्चिदानन्द सिन्हा और नवाब इस्माइल खाँ के हस्ताक्षर थे। घोषणापत्र में कहा गया था कि हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि आयोग में किसी भी भारतीय का नहीं होना बुनियादी तौर पर गलत है तथा विधान मंडलों की कमिटियों के आयोग के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करने एवं बाद में संयुक्त संसदीय कमिटी (ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमिटी, जे० पी० सी०) की प्रस्तावित योजना स्थिति की आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वथा अपर्याप्त है। योजना का यह अन्तर्निहित सिद्धांत कि भारतीयों का पार्लियामेंट के आयोग के समक्ष अनुशंसा के रूप में निर्णय देने या साक्ष्य या सामग्रियां एकत्र करने में कोई आधिकारिक हाथ नहीं रहेगा। यह एक ऐसी बात है जिसे स्वीकार करना भारत के स्वाभिमान के सर्वथा प्रतिकूल है। जबतक ऐसा कोई आयोग नहीं गठित किया जाता जिसमें अंगरेज और भारतीय राजनेता समानता के स्तर पर आमंत्रित किये जाएँ तबतक हम वर्तमान आयोग के काम में कोई भी भाग या हिस्सा लेने में असमर्थ हैं"।[२]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विरोध एवं आयोग के बहिष्कार का निर्णय :

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना जोरदार विरोध पहले ही व्यक्त कर चुकी थी। उसकी वर्किंग कमिटी ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार करके

१. कांग्रेस की १९२७ की वार्षिक रिपोर्ट।
२. इन्डियन क्वार्टरली रजिस्टर, १९२७, खंड—२, पृष्ठ ९८-९९।

प्रचारित किया था—"क्योंकि ब्रितानी सरकार ने राष्ट्रीय संकल्प के विरुद्ध एक स्टैच्यूटरी (सांविधिक) कमीशन की स्थापना की है और भारत के लिए स्वराज्य संविधान निश्चित करने के हेतु गोलमेज सम्मेलन की राष्ट्रीय माँग ठुकरा दी है, इसलिए कांग्रेस की वर्किंग कमिटी उक्त आयोग के साथ उसके समक्ष साक्ष्य देकर या उससे संबंधित किसी सेलेक्ट कमिटी में भाग लेकर या उसके लिए मतदान करके सहयोग करने से विरत होने को भारतीय जनता का आवाहन करती है तथा सभी राजनैतिक पार्टियों से अपील करती है"। १६ नवम्बर को अखबारों के लिए प्रस्तुत एक घोषणापत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री श्रीनिवास आयंगर ने कहा : "ब्रितानी सरकार ने भारतीय जनता एवं सभी देशभक्त लोगों को जानबूझ कर जो उद्धत चुनौती दी है उसका एकमात्र उपयुक्त जवाब देने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करनी है"।[1] दिसम्बर, १९२७ में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बयालीसवें अधिवेशन में यह संकल्प किया गया कि "भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकमात्र मार्ग प्रत्येक चरण में और प्रत्येक ढंग से आयोग का बहिष्कार करना ही रह गया है"। दिसम्बर, १९२८ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के सिलसिले में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा : "उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार स्थापित करने के पवित्र वादों का अन्त बहुत बड़ी धोखेवाजी में हुआ है। स्टैच्यूटरी कमीशन जो अभी हमारे देश में घूम रहा है उसके पदचिह्नों पर फूटे कपाल तथा टूटी हड्डियाँ पड़ी हैं"।

बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में उसका बहिष्कार करने का निर्णय :

साइमन कमीशन के प्रति अपनाए जानेवाले रवैया के संबंध में देश के निर्णय का बिहार में पूरे साहस, निष्ठा तथा भक्ति के साथ पालन हुआ। पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ। इसमें सभी पार्टियों के लोगों ने भाग लिया और कमीशन के बिहार आने पर उसका पूर्ण वहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा गया जिला बोर्ड के अवक्रमण एवं श्री अनुग्रह नारायण सिंह जैसे प्रमुख राष्ट्रकर्मी को उसकी अध्यक्षता से हटाये जाने को लेकर बिहार में पहले से ही काफी उत्तेजना थी। श्री राजेन्द्र प्रसाद गया गये थे और एक सभा में गया जिला बोर्ड के संदर्भ में

१. वही, पृष्ठ १००।

बिहार सरकार की कार्रवाई की कठोर शब्दों में भर्त्सना की थी। उन्होंने इसपर बल दिया था कि सरकार द्वारा लगाए गये आरोपों की कांग्रेस की ओर से जाँच कराई गई थी और आरोप निर्मूल सिद्ध हुए थे।

७ मार्च, १९२९ को बिहार-उड़ीसा विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के नेता, श्री श्रीकृष्ण सिंह ने गया जिला बोर्ड के अवक्रमण करने के स्थानीय स्वशासन मंत्री, सर गणेशदत्त सिंह की नीति से असहमति प्रकट करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण में श्री सिंह ने कहा था "मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि सर गणेशदत्त सिंह ने इस जिला बोर्ड का अवक्रमण करने में विधान के अन्तर्गत मंत्री के रूप में उन्हें जो प्राधिकार दिये गये हैं उनका दुरुपयोग किया है। श्री सिंह की कार्रवाई से गया जिला के लोगों का हित-संवर्द्धन नहीं हुआ है। उनकी कार्रवाई इस उद्देश्य से प्रेरित नहीं है बल्कि अवक्रमित बोर्ड के अध्यक्ष के प्रति उनकी व्यक्तिगत दुर्भावना को परितुष्ट करने के उद्देश्य से प्रेरित है। ऐसा करके मंत्री महोदय ने जिला की जनता को न केवल स्थानीय स्वशासन कानून द्वारा दिये गये अपने सीमित अधिकारों से वंचित किया है बल्कि एक ऐसी परम्परा स्थापित की है जो कुछ हद तक खतरनाक है और जो मंत्री की घोर गैर जिम्मेवारी का परिचायक है"। अगले दिन प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बाबू रामचरित्र सिंह ने कहा कि बोर्ड के अवक्रमण का आदेश अपर्याप्त आधार पर दिया गया था।

इस बीच उपर्युक्त गया की सभा के बाद बिहारी नेताओं ने पटना में बिहार प्रान्तीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। तदनुसार ९ दिसम्बर, १९२८ को पटना में सम्मेलन हुआ। साइमन कमीशन के पटना आने के दो-एक दिन ही रह गये थे।[1] सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की। स्वागतकारिणी के अध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द सिन्हा थे। अपने भाषण में श्री सिन्हा ने गया जिला बोर्ड के मामले का उल्लेख करते हुए कहा : "स्थानीय स्वशासन मंत्रालय के पास अवक्रमण का कोई समुचित आधार नहीं है और अवक्रमण को गर्हित उद्देश्यों से अनुप्रेरित तथा शक्ति का भारी दुरुपयोग कहना गलत नहीं होगा"। इस सम्मेलन में प्रान्त के सभी भाग से प्रतिनिधि आये थे। सम्मेलन ऐसे समय में बुलाया गया था

1. इन्डियन क्वार्टरली रजिस्टर, १९२८, खंड–२, पृष्ठ ४४१-४४२।

जिससे साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शनों की सफलता में बहुत कुछ योगदान होता। १२ दिसम्बर, १९२८ को कमीशन पटना आया। उसके विरुद्ध प्रदर्शनों में प्रान्त भर के दूर-दूर से आये हुए लोगों ने भाग लिया। पटना में साइमन कमीशन के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए उन्होंने इस प्रकार "सारे प्रान्त की ओर से प्रतिनिधि रूप ले लिया"।[1] दिसम्बर के महीने की वर्फीली ठंढ में तड़के ही हार्डिंज पार्क के सामने विशेष प्लैटफॉर्म के समक्ष आयोग के विरुद्ध अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लगभग ३०,००० लोग उत्साह के साथ खड़े थे। प्रदर्शनकारी "साइमन लौट जाओ" के नारे लगा रहे थे और काली झंडियाँ दिखला रहे थे। हजारों लोग ३-४ बजे भोर से ही प्लैटफॉर्म के निकट खड़े थे। प्रदर्शन पूर्णतया शांतिपूर्ण था। देश के कुछ अन्य नगरों से भिन्न यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई (जैसे मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, लाहौर आदि)। कई स्थानों पर देश के सर्वोच्च नेता यथा लाला लाजपत राय[2], जवाहरलाल नेहरू और गोविन्द वल्लभ पंत को पुलिस के हाथों दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा था।[3] सरकार की ओर से आयोग का स्वागत करने का प्रबन्ध किया गया था। इसके लिए सड़क पर आयोग विरोधी प्रदर्शन में भाग लेनेवाले लोगों को उसका स्वागत करने आए हुए लोगों से अलग रखने का भारी प्रबंध किया गया था। आयोग के स्वागत में मुट्ठी भर लोग थे। उनमें से अधिकांश जमींदारों और वैभवशाली लोगों के वर्दीधारी कर्मचारी थे। दूसरी ओर हजारों-हजार की भीड़ नारे लगा रही थी"।[4] आयोग के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने डुमराँव गये। वहाँ भी जिस दिन उन्हें पहुँचना था उस दिन सुबह में उनके विरुद्ध प्रदर्शन हुए।[5]

आयोग ने १९ दिसम्बर को पटना से कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया। उसके कुछ सदस्य रास्ते में राँची होते गए और कुछ झरिया कोयला क्षेत्र

---

१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी का बिहार, पृष्ठ ७०।
२. लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर में प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठियों की चोट के फलस्वरूप १७ नवम्बर को ही गई थी।
३. नेहरू, ऑटोबायोग्राफी (नवीन संस्करण), पृष्ठ १८०-१८१।
४. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एंड बिहार, पृष्ठ ७०।
५. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २८ दिसम्बर, १९२८।

होते हुए।[1] राँची में १८ दिसम्बर, १९२७ को नागरिकों की एक सभा हुई। इसमें श्री एस० के० सहाय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का वहिष्कार करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।[2] किन्तु नगर के कुछ मुसलमानों ने २३ दिसम्बर को एक दूसरी तभा करके आयोग के साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।[3] श्री देवकीनन्दन लाल और डा० पी० सी० मित्र के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेसकर्मियों एवं छोटानागपुर के विभिन्न स्थानों से आए हुए अनेक टानाभगतों ने आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन में भाग लिया और उसे काले झंडे दिखलाए।[4] २७ दिसम्बर, १९२८ को श्री मित्र और कुछ अन्य लोग लगभग १५० टानाभगतों के साथ राँची से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने को रवाना हुए।

सर्वदलीय सम्मेलन (१९२८), नेहरू रिपोर्ट :

साइमन कमीशन के वहिष्कार से भारत की भावी संवैधानिक स्थिति एवं उसके भविष्य के संविधान के संबंध में अनुशंसा करने का काम विदेशियों की एक कमिटी को दिए जाने के विरुद्ध देश का जबर्दस्त संकल्प प्रकट हुआ। अन्य लोगों को भारत का अपना संविधान बनाने की क्षमता सिद्ध करने के लिए भी जरूरी था।[5] इस रचनात्मक पक्ष में भी देश ने कांग्रेसी के नरमदलीय लोगों के सहयोग से संविधान की एक भारतीय योजना तैयार करने के हेतु कदम उठाए। मद्रास अधिवेशन में (दिसम्बर, १९२७) कांग्रेस ने वर्किंग कमिटी को देश के अन्य संगठनों से परामर्श करके भारत के लिए सर्वोच्च संविधान का प्रारूप तैयार करने को प्राधिकृत किया था। १९ मई, १९२८ को बम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस काम के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई थी। नेहरू कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय संविधान के आधार के रूप में औपनिवेशिक स्वराज्य की अनुशंसा की थी। रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान

---

१. बिहार ऐंड उड़ीसा इन १९२८-२९, पृष्ठ २।
२. पुलिस रिपोर्ट।
३. वही।
४. वही।
५. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ २९९।

पर संयुक्त या मिश्रित निर्वाचन मंडलों के द्वारा निर्वाचन की अनुशंसा की गई थी, केवल मुसलमानों के लिए जहाँ वे अल्पमत में हों, स्थानों के संरक्षण की व्यवस्था अभिस्तावित की गई थी। १९२८ अगस्त में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसपर लखनऊ में उसी महीने के २८ और २९ तारीख को सर्वदलीय सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। कमिटी के कई अन्य प्रमुख सदस्यों के साथ सर अली इमाम ने भी इस सभा में भाग लिया था। इसमें कुछ संशोधनों के साथ नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। किन्तु मुस्लिम लीग ने उसे ठुकरा दिया। कांग्रेस क्षेत्रों में भी औपनिवेशिक स्वराज्य का श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभाष चन्द्र बोस, श्री श्रीनिवास आयंगर प्रभृति नेताओं ने विरोध किया। ये लोग पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते थे और अविलम्ब इन्डिपेंडेंस फॉर इन्डिया लीग की स्थापना अपने दृष्टिकोण के प्रचार के लिए की। इसकी पहली बैठक दिल्ली में ३ नवम्बर, १९२८ को हुई। २० सदस्यों की एक अस्थाई केन्द्रीय बोर्ड विभिन्न प्रान्तों में उसके कार्य एवं संगठन की सहायता करने के हेतु गठित की गई। बिहार से श्री अब्दुलबारी इसके सदस्य थे।[1]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव :

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कांग्रेस में विभाजन हो गया था। महात्मा गांधी पुनः राजनीति में आ गए थे। उनके प्रयत्न से कलकत्ता अधिवेशन में औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए :—

"यह कांग्रेस सर्वदलीय कमिटी की रिपोर्ट द्वारा संशोधित संविधान पर विचार-विमर्श करके भारत की राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम के रूप में उसका स्वागत करती है और कमिटी को लगभग सर्वसम्मति से अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने पर वधाई देती है। मद्रास कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी प्रस्ताव को मानते हुए यह कांग्रेस उक्त कमिटी द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप को राजनैतिक प्रगति की दिशा में एक बहुत बड़े कदम के रूप में स्वीकृत करती है। विशेष करके इसलिए कि प्रस्तावित योजना देश की महत्त्वपूर्ण पार्टियों के मध्य सर्वाधिक संभव सम्मति का प्रतिनिधित्व करती है।

१. इन्डियन क्वार्टरली रजिस्टर, १९२८. खंड–१, पृष्ठ ५१२।

राजनैतिक स्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि ३१ दिसम्बर, १९२९ को या उसके पहले ब्रितानी संसद उसे सम्पूर्ण रूप में स्वीकृति प्रदान कर दे तो यह कांग्रेस संविधान को स्वीकार कर लेगी किन्तु उसके पूर्व या उस तिथि तक यदि सरकार उसे स्वीकृत नहीं करती है तो कांग्रेस एक अहिंसक असहयोग अभियान संगठित करेगी। इसके लिए देश को वह करबंदी या अन्य कार्यक्रमों का अनुपालन करने की अनुशंसा करेगी।

इस प्रस्ताव में जो कुछ कहा गया है उससे कांग्रेस की ओर से या उसके नाम पर पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रचार कार्य चलाने में किसी तरह बाधा नहीं पहुँचेगी।

इस प्रकार १९२८-२९ से देश में एक नई प्रेरणा लक्षित हो रही थी। यह विभिन्न रूप में प्रकट हुई। सूरत जिला के बारदोली तालुका में श्री बल्लभभाई पटेल के सुयोग्य नेतृत्व में एक सफल सत्याग्रह आन्दोलन तथा करबन्दी अभियान चलाया गया था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र बोस पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये काम कर रहे थे। साम्यवादी मजदूर एवं किसान संघ देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये गये थे और कई महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों की हड़तालें हुई थीं। "१९२८ में अनेक श्रम संघर्ष एवं हड़तालें हुईं। १९२९ में भी यह सिलसिला जारी रहा।"[१] इन हड़तालों में सबसे प्रमुख बम्बई के वस्त्र मजदूरों की हड़ताल थी। इसमें "सफलता नहीं मिली यद्यपि हड़ताल बड़े ही उत्साह के साथ चलाई गई थी।"[२] बंगाल जूट मिल में भी एक बड़ी हड़ताल हुई थी।

रचनात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी कांग्रेस का प्रस्ताव :

कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में विधान सभाओं एवं उनके बाहर कांग्रेसकर्मियों द्वारा रचनात्मक कार्यों के हेतु एक भावी कार्यक्रम की रूपरेखा एक प्रस्ताव में निर्धारित की थी। नशाबन्दी, विदेशी वस्त्र बहिष्कार, हाथ से कते एवं बुने खादी का प्रचार, सदस्य भर्त्ती करके कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, अनुशासन की भावना सुदृढ़ करना, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आन्दोलन तथा महिलाओं को राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में उपयुक्त भाग

१. नेहरू, आँटोबायोग्राफी, पृष्ठ १८७।
२. वही।

लेने को प्रोत्साहन, छुआछूत हटाना, नगरों में मजदूर वर्ग की असुविधाएँ दूर करना एवं ग्राम पुनर्निर्माण आदि इस कार्यक्रम में मुख्य मुद्दे थे।

"गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा ही असहयोग की भूमिका तैयार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस अधिवेशन के बाद के वर्ष को "तैयारी तथा प्रशिक्षण का वर्ष" बनाना चाहिए।

बिहार में रचनात्मक कार्य, हिन्दुस्तानी सेवादल की गतिविधि एवं कार्य :

इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये कलकत्ता अधिवेशन के तुरत बाद बिहार कांग्रेस कमिटी ने जिला कांग्रेस कमिटियों पर अन्य बातों के साथ-साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के सदस्य बनाने एवं जहाँ कहीं भी कांग्रेस की शाखा हो, उसे मजबूत बनाने तथा जहाँ शाखा नहीं हो वहाँ शाखा खोलने की आवश्यकता पर बल दिया। दुर्भाग्यवश कुछेक जिला कांग्रेस कमिटियों को छोड़कर किसी ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। किन्तु २४-२५ मई, १९२९ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा अपनी बम्बई की बैठकों मे दण्डात्मक प्रस्ताव[1] स्वीकृत करने के बाद सभी जिलों में निर्धारित तिथि, ३१ अगस्त तक सदस्यों की निर्धारित संख्या पूरी करने के प्रयत्न किये जाने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार में लगभग ८०,००० सदस्य निर्धारित अवधि के भीतर बनाये जा चुके थे यद्यपि

---

१. "प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों को निम्नलिखित कार्य पूरा करने पड़ेंगे :—

(क) प्रान्त की कुल आबादी के १/४ से कम बुनियादी (प्राथमिक) सदस्य नहीं होने चाहिये।

(ख) प्रान्त के जिलों के ५० प्रतिशत से कम का प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी में प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिये।

जिला और तहसील शाखाओं में आबादी के १/४ से कम बुनियादी सदस्य नहीं हों। जिला के सन्दर्भ में उसकी तहसीलों के आधा से कम उसके सदस्य नहीं हों तथा तहसीलों के सन्दर्भ में उस इलाके के गाँवों के ५० प्रतिशत से कम के प्रतिनिधित्व नहीं हों।

ग्राम शाखा में उसकी आबादी के १ प्रतिशत से कम बुनियादी सदस्य नहीं हों……।

निर्धारित संख्या ७२,५५८ ही थी। १९२९ तक इस प्रान्त में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ९०,५२५ हो गई थी।[२]

इस प्रान्त के उन जिलों में जहाँ कांग्रेस की शाखाएँ थीं, अनुमण्डल एवं थाना कांग्रेस कमिटी की शाखाएँ भी खोली गईं। जिला कांग्रेस कमिटियों के लिये इन्हीं शाखाओं से प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। चम्पारण जिला इस विषय में सबसे आगे था क्योंकि वहाँ के कुछ थानों में पहले से ही ग्राम समितियाँ काम कर रही थीं। दरभंगा का दूसरा स्थान था। वहाँ एक पखवारे में ही निर्धारित संख्या से दुगुने सदस्य बनाये गये थे। कुछ जिलों में ग्राम कमिटियाँ स्थापित करने में सफलता नहीं मिली।

छुआछूत की कठोरता में कुछ कमी हुई। तथाकथित अछूत जातियों के बच्चों को स्कूलों में भर्त्ती किया गया। सामान्यतः उन्हें गाँवों के कुँओं से पानी लेने में रुकावट नहीं डाली जाती थी और उनके साथ बैठकर खाने या पानी पीने या उनसे देह छुलाने पर आपत्ति करनेवाले लोगों की संख्या में भी कुछ कमी होने लगी थी। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित घटनाएँ उल्लेखनीय हैं :—

(क) पटना में एक दुसाध ने सत्यनारायण कथा का आयोजन किया। उसमें कुछ अन्य जाति के लोग सम्मिलित हुए और प्रसाद लिया।

(ख) मोतिहारी में एक चमार कच्ची खाने में सम्मिलित हुआ। यह भोज एक कलवार के घर पर आयोजित था। इसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और कुछ अन्य जाति के लोगों ने भाग लिया।

(ग) दानापुर आर्य-समाज के वार्षिकोत्सव में ब्राह्मण और शूद्र लोगों ने एक डोम के हाथों का पानी पिया।[१] इस उत्सव की अध्यक्षता श्री राजेन्द्र प्रसाद कर रहे थे। इसमें कालाकांकर के राजा तथा अमेठी के कुमार भी

प्रत्येक प्रान्त या जिला की निर्धारित सदस्य-संख्या निश्चित करते समय देशी राज्यों या एजेंसियों को ध्यान में रखा जायगा।

कोई भी प्रान्तीय शाखा तभी मान्यता प्राप्त कर सकेगी जबकि ३१ अगस्त, १९२९ तक उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ले।

२. कांग्रेस सचिवों की १९२९ की वार्षिक रिपोर्ट; बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की वार्षिक रिपोर्ट, १९२८-२९।

१. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की वार्षिक रिपोर्ट, १९२८-२९।

सम्मिलित हुए थे। चम्पारण और मुजफ्फरपुर में भी अन्तर्जातीय भोजों का आयोजन किया गया।[1]

बिहार में उसका अपना प्रान्तीय नियन्त्रण बोर्ड; इसका काम हिन्दुस्तानी सेवा-दल की कार्रवाइयों का अधीक्षण एवं संचालन करना था। यह दल कांग्रेस से सम्बद्ध था। इसके प्रान्तीय नियन्त्रण बोर्ड में कुमार गंगानन्द सिंह, कुमार कालिका सिंह, आचार्य बदरीनाथ वर्मा, श्री मथुरा प्रसाद, श्री विपिन बिहारी वर्मा, प्रोफेसर ज्ञान साहा (सचिव), श्री जीमूतवाहन सेन और प्रोफेसर अब्दुल बारी थे।

बोर्ड को श्री रणेन्द्रनाथ रायचौधरी और श्री किशोरी प्रसन्न सिंह की सेवाएँ उपलब्ध थीं। ये दोनों अटूट आस्था के साथ काम करते थे। १९२९ अगस्त में एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर पटना के सदाकत आश्रम में खोला गया। यहाँ एक महीने तक १७ स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें अधिकतर अपने-अपने जिला में स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के काम में लग गये। उसके बाद से ११ शिविर क्रमशः मुंगेर जिलान्तर्गत गोगरी, मुंगेर, खड़गपुर और गोरवाडीह में; चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया, मैनाटाँड़, नवलपुर और मलाही; मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी और आरा तथा पटना नगर में खोले गये। इन सब शिविरों में कुल मिलाकर २०० स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण पाया। हिन्दुस्तानी सेवा-दल के स्वयंसेवकों ने दिसम्बर, १९२९ में मुंगेर में होनेवाले प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन के अधिवेशन में बहुमूल्य काम किया।

बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी का गठन :

१९२८-२९ में बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के निम्नलिखित पदाधिकारी थे :—

अध्यक्ष—	श्री अनुग्रह नारायण सिंह
उपाध्यक्ष—	१. श्री ब्रजकिशोर प्रसाद
	२. श्री दीपनारायण सिंह
	३. श्री शाह मोहम्मद जुबैर
सचिव—	श्री राजेन्द्र प्रसाद और श्री श्रीकृष्ण सिंह
सहायक सचिव—	प्रो० अब्दुल बारी और श्री विनोदानन्द झा।
कोषाध्यक्ष—	श्री शारंगधर सिंह

१. वही।

वर्किंग कमिटी में उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य थे :—

श्री रामदयालु सिंह, आचार्य बदरीनाथ वर्मा और श्री कृष्णवल्लभ सहाय।

विदेशी वस्त्र वहिष्कार समिति की स्थापना :

कलकत्ता में ३ जनवरी, १९२९ को वर्किंग कमिटी की बैठक हुई। उसके एक प्रस्ताव के अनुसार गांधी जी ने खादी के माध्यम से विदेशी वस्त्र वहिष्कार की एक योजना तैयार की। १७ और १९ फरवरी, १९२९ को वर्किंग कमिटी की एक दूसरी बैठक में यह योजना स्वीकृत हुई। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :—

"१. प्रत्येक नगर तथा ग्राम कांग्रेस शाखा को अपने क्षेत्रों में पुरुष तथा महिला स्वयम्सेवकों को घर-घर जाने और विदेशी वस्त्र एकत्र करने एवं आवश्यकतानुसार खादी के लिए ऑर्डर प्राप्त करने को कहना चाहिए।

२. इस प्रकार आपूर्त्ति की गई खादी पर अखिल भारतीय चर्खा संघ की मुहर एवं उसका मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

३. अपनी इच्छा से खादी प्रचार करनेवालों को खादी को लोकप्रिय बनाने और विदेशी वस्त्र के पूर्ण वहिष्कार के प्रचार करने को कहा जाए।

४. जहाँ भी संभव हो विदेशी कपड़ा एकत्र करके सार्वजनिक स्थानों में उन्हें जला दिया जाए।

५. विदेशी वस्त्र विक्रेताओं के पास जाकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझा-बुझा कर भविष्य में विदेशी कपड़ा नहीं खरीदने और पहले से दिए हुए ऑर्डर को रद्द कराने का प्रयत्न करने को कहा जाए।

६. जहाँ भी संभव हो, विदेशी कपड़ा बेचनेवाली दूकानों पर धरना देने का काम शुरू किया जाना चाहिए।

इसमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि धरना देनेवाले कांग्रेस स्वयंसेवक पूर्ण विश्वसनीय हों और हिंसा का कोई खतरा उनकी ओर से नहीं हो।

७. प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधान मंडलों में इस आशय के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएँ जिनमें संबद्ध सरकारों के व्यय का खयाल छोड़कर कपड़े की आवश्यकता खादी के द्वारा ही पूरा करने की माँग की जाय। इस आशय के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएँ जिनमें विदेशी वस्त्र के आयात पर भारी चुंगी लगाने की माँग हो"।

एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार विदेशी वस्त्र वहिष्कार समिति की स्थापना की गई थी। इसके गाँधी जी अध्यक्ष तथा सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अबुल कलाम आजाद, एम० ए० अंसारी और जवाहरलाल नेहरू थे। आवश्यकतानुसार इन्हें और सदस्य बनाने का प्राधिकार था। समिति को वहिष्कार की आवश्यकता और संभावना पर इश्तहार प्रकाशित एवं वितरित करने का काम खास तरह से दिया गया था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस कार्यकारिणी ने यह निर्णय किया कि १७ मार्च, रविवार को और उसके बाद हर महीने के पहले रविवार को विदेशी वस्त्र वहिष्कार के प्रचार पर विशेष ध्यान दिया जायगा तथा खादी की फेरी की जायगी।

बिहार में विदेशी वस्त्र वहिष्कार आन्दोलन :

गाँधी जी ने कलकत्ता में ४ मार्च, १९२९ को विदेशी वस्त्रों की होली तथा प्रदर्शन की व्यवस्था की। इसके लिए उन्हें १ रुपया जुर्माना की सजा दी गई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह जुर्माना चुका दिया। बिहार में रविवार को कार्यक्रम मनाया गया, सभाएँ हुई और अनेक स्थानों पर सार्वजनिक तौर पर विदेशी कपड़े जलाए गये। कई जिलों में, जहाँ काँग्रेस का अधिक जोर था, स्वयंसेवकों ने घूम-घूम कर प्रचार किया। इन स्थानों पर सार्वजनिक सभाएँ हुई और मैजिक लालटेन की सहायता से प्रचार कार्य पर बल दिया गया। प्रचार का एक प्रभावी तरीका हस्ताक्षर द्वारा इस आशय के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कराना था कि वह अब से न तो अपने निजी व्यवहार के लिए और न अपने आश्रितों के लिए विदेशी कपड़ा खरीदेगा। इस काम पर बल देने के लिए राजेन्द्र बाबू ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें कांग्रेसकर्मी प्रत्येक जिला में जाकर विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाते और उस इलाके के प्रत्येक घर पर जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रचार करते। राजेन्द्र बाबू सारन, चम्पारण, दरभंगा और भागलपुर के कार्यकर्त्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्हें उपयुक्त निदेश दिये। कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण अन्य जिलों के कार्यकर्त्ताओं से उनकी भेंट नहीं हो सकी किन्तु "विदेशी वस्त्र के व्यापारियों के मध्य वहिष्कार का संदेश पहुँचाने की दिशा में[1]" वस्तुतः कुछ नहीं किया जा सका।

---

१. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की वार्षिक रिपोर्ट, १९२८-२९।

खादी का उत्पादन एवं विक्रय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे थे। कुछ नये उत्पादन-केन्द्र खोले गये और पुराने केन्द्रों का उत्पादन बढ़ाया गया था। नये केन्द्रों में पूर्णिया में किशनगंज और भागलपुर में अमरपुर उल्लेखनीय हैं।

१४ अक्तूबर, १९२८ को मोतिहारी के हाईकॉक ऐकेडमी में बिहारी स्टूडेंट्स कान्फरेंस का २१वां अधिवेशन बड़े ही उत्साह के वातावरण में निष्पन्न हुआ। मनोनीत सभापति प्रोफेसर बसवानी के अनिवार्य कारणों से अनुपस्थित होने के कारण राजेन्द्र बाबू ने उनका भाषण पढ़कर सुनाया। अपने भाषण में प्रोफेसर बसवानी ने कहा था : "शक्तिशाली बनो ! यही मेरा राष्ट्र के तरुण से आग्रह है। एक गौरवमय अतीत तुम्हें विरासत में मिला है। आधुनिक विज्ञान का ज्ञान-वैभव तुम्हें प्राप्त है। तुम्हें इन दोनों के समन्वय पर एक महान भविष्य का निर्माता बनना है। प्राच्य के राजमार्गों पर अतीत के ध्वंसावशेष भरे पड़े हैं। उन्हें तुम देखो। पाश्चात्य के राजमार्ग वर्तमान के ध्वंसावशेषों से आच्छन्न हैं--एक क्रूर विश्वयुद्ध—क्रूर औद्योगीकरण, आक्रामक, निरात्म राष्ट्रवाद के अनिवार्य परिणाम के ध्वंसावशेषों से। भारत, एशिया और पश्चिम नवचेतना सम्पन्न नौजवानों की तलाश में हैं, ऐसे निर्माताओं की तलाश में जो एक नवीन विश्वभ्रातृत्व से अनुप्राणित सभ्यता—एक नवीन नैसर्गिक मानवता का निर्माण कर सकें"।[1]

जमशेदपुर और गोलमूरी में मजदूरों की हड़ताल :

१९२८ में जमशेदपुर स्थित टाटा कारखाने में मजदूरों की लम्बी हड़ताल हुई। यह लगभग साढ़े ३ महीनों तक चली। हड़ताल का एक मुख्य कारण मजदूरों की छटनी था। लेबर ऐसोसियेशन में मजदूरों का विश्वास टूट चुका था। रेवरेंड सी० एफ० ऐन्ड्रयूज़ जमशेदपुर में अपने कुछेक दिन निवास के दरम्यान कम्पनी के साथ समझौता कराने में सफल नहीं हो सके। हड़ताल के संदर्भ में सारा प्रबंध श्री माणिक होमी के हाथों में था। श्री होमी कम्पनी के भूतपूर्व कार्यकर्त्ता थे और उन दिनों जमशेदपुर में वकालत कर रहे थे। एन० एम० जोशी और जमुना दास मेहता भी जमशेदपुर आये पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अन्त में १८ अगस्त को श्री सुभाषचन्द्र बोस जमशेदपुर आए। कम्पनी के प्रबंधक एवं निदेशकों से सुदीर्घ वार्त्ताओं के उपरान्त एक

१. इन्डियन क्वार्टरली रजिस्टर, १९२८, खंड–२, पृष्ठ ४६३।

समझौता हुआ और १३ सितम्बर, १९२८ को हड़ताल खत्म हुई। इस हड़ताल की एक विशेषता यह थी कि इसमें कहीं कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई।[1] श्री होमी ने अपनी नई श्रमिक संस्था को जमशेदपुर लेबर फेडरेशन के नाम से स्थाई रूप दे दिया। कुछेक महीनों के बाद कम्पनी ने इसे मान्यता प्रदान कर दी। अगले वर्ष गोलमुरी के टिन प्लेट कम्पनी के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। हड़तालियों के बुलाने पर श्री सुभाषचन्द्र बोस यहाँ भी आए और उन्होंने राजेन्द्र बाबू से आने का अनुरोध किया। राजेन्द्र बाबू अपने कई सहयोगियों के साथ हड़ताल क्षेत्र में कई बार गए।[2] हड़ताल में ३,००० मजदूर भाग ले रहे थे। इनमें अधिकतर प्रशिक्षित मजदूर थे। कई महीनों तक हड़ताल चलती रही।

६ सितम्बर, १९२९ को बिहार-उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज्य पार्टी के तत्कालीन नेता श्री श्रीकृष्ण सिंह ने सदन में गोलमुरी टिन प्लेट कंपनी की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के हेतु एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तावक ने हड़तालियों की शिकायतों का उल्लेख किया—कम मजदूरी दर, आवास की अपर्याप्त व्यवस्था, बोनस, भविष्य संचय निधि आदि सुविधाओं का पूर्ण अभाव। श्री सिंह ने कांसिलियेशन बोर्ड नियुक्त करने पर बल दिया। हड़ताली इस शर्त्त पर काम शुरू करने को तैयार थे कि कम्पनी के मालिक किसी को दंडित नहीं करेंगे और हड़ताल के पहले एवं उसके दरम्यान बर्खास्त किए गए मजदूरों को फिर से नियुक्त कर लेंगे। इसके अतिरिक्त उनकी मांग मजदूरों की शिकायतों की जाँच करने के लिए एक निष्पक्ष कमीटी नियुक्त करने की थी। काम रोको प्रस्ताव ३९ के विरुद्ध ४१ मत से स्वीकृत हो गया। हड़तालियों की मांग संयमित थी किन्तु कारखानेदार या सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने जाँच समिति नियुक्त करने से भी इन्कार कर दिया। २४ सितम्बर को विधान सभा ने सरकार के इस रवैया की निन्दा की और एक प्रस्ताव स्वीकृत करके टिन प्लेट उद्योग को दिया गया संरक्षण रद्द करने को सरकार से कहा। किन्तु इसपर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया।[3] इसके बाद टिन प्लेट कंपनी

---

१. बिहार ऐंड उडीसा इन १९२८-२९, पृष्ठ ५-६।

२. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की वार्षिक रिपोर्ट, १९२८-२९।

३. कांग्रेस सचिवों का वार्षिक प्रतिवेदन, १९२९।

के मजदूरों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष अपील की और कांग्रेस कार्यकारिणी ने लखनऊ में २७ से २९ सितम्बर, १९२९ की अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—"कांग्रेस कार्यकारिणी मजदूरों की एक मेलमिलाप बोर्ड गठित करने की मांग को युक्तिपूर्ण एवं न्यायसंगत मानती है और इसपर खेद प्रकट करती है कि बिहार सरकार यह मांग भी सुनने को तैयार नहीं। कार्यकारिणी यह आशा करती है कि हड़तालियों की शिकायतों की जाँच करने के लिए एक पूरा प्राधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि एवं निष्पक्ष समिति की स्थापना में देर नहीं की जाएगी जिसमें हड़तालियों को उचित राहत दी जा सके। ऐसेम्बली के सदस्यों ने टिन प्लेट उद्योग को दिए गए संरक्षण रद्द करने की अनुशंसा करने का जो रवैया अपनाया है उसपर कार्यकारिणी संतोष व्यक्त करती है।"

झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस :

कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दो-एक दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू झरिया के कोयला खदान क्षेत्र में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए। यह बैठक ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नरम और अतिवादी दलों के बीच रस्साकशी के लिए उल्लेखनीय थी। वार्षिक पदाधिकारियों के निर्वाचन में पंडित नेहरू अध्यक्ष निर्वाचित हुए।[1] कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस पंडाल में लिलुआ कारखाना और बिहार किसान सभा के लगभग २०,००० श्रमजीवियों ने प्रदर्शन किया। पंडित नेहरू एवं कुछ अन्य नेता तथा कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की। यह सुनकर कि गाँधी जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रदर्शनकारी बाहर आ गए। गांधी जी ने उनके समक्ष भाषण किया। तदनन्तर एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकृत हुआ : "सभी उद्योग-धंधों के श्रमजीवी एवं किसानों की यह जनसभा घोषणा करती है कि देश के श्रमजीवी एवं किसान पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने तक और जबतक पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शोषण समाप्त नहीं होता, चैन से नहीं बैठेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस से यह मांग की जाती है कि वह इस लक्ष्य को अपने समक्ष रखे और उसके लिए राष्ट्रीय शक्तियों का संगठन करे।

---

१. नेहरू, ऑटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ १८७।

युवा संघों की स्थापना में वामपंथी विचार धारा का प्रभाव :

इसमें संदेह नहीं कि कई क्षेत्रों में भारतीय चिन्तन वामपंथी विचारों से प्रभावित हो रहा था। विशेष करके यह प्रभाव छात्र समुदाय पर अधिक पड़ने लगा था। छात्र अपना सम्मेलन स्वयं करने लगे थे एवं मुख्यतः युवा संघों की स्थापना करते थे। अखिल भारतीय युवक कांग्रेस एवं समाजवादी युवक कांग्रेस की कलकत्ता में २५ और २७ दिसम्बर (१९२८)[१] की बैठकों में जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस जैसे वामपंथी झुकाव[२] के नेताओं ने प्रमुख भाग लिया। उस जमाने में भारतीय तरुणों पर स्वप्निल (युटोपियाई) समाजवाद, मार्क्सवाद, रूस, चीन और तुर्की का रंग अधिक लक्षित होता था। "इस प्रवृत्ति को युरोप एवं अमरीका के समान भारत में सोवियत संघ की प्रगति विशेष करके पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उसके सर्वतोमुखी उन्मेष से अधिक बल मिलता था"।[३] यह भी उल्लेखनीय है कि श्रमजीवियों के व्यापक असंतोष के मूलभूत कारण युद्धोत्तर वर्षों में देश की अस्तव्यस्त आर्थिक स्थिति में अन्तर्निहित उनकी कठिनाइयाँ थीं।

साम्यवाद के प्रचार के लिए रूसी सहायता से सरकार सशंक :

रूसी साम्यवाद के प्रचार का भय भारत सरकार को बराबर सताता रहता था। इसे रोकने के लिए उसने विभिन्न कदम उठाए।[४] यथा मई, १९२८ में बिहार-उड़ीसा सरकार को "भारत सरकार से एक तार द्वारा सूचना मिली जिसमें स्थानीय सरकार को रूसी सूत्रों से भारतीय नागरिकों को औद्योगिक विवाद की सहायता में अथवा तोड़फोड़ के गुप्त प्रचार करने के हेतु धन दिए जाने का समाचार प्राप्त होने पर अविलम्ब तार द्वारा सूचित कर देने को कहा गया था।" इसके अतिरिक्त भारत सरकार के संदेश में यह कहा गया था कि "इस तरह के भुगतान से संबद्ध किसी भी

१. वही, पृष्ठ ४४५-४५५।
२. बंगाल छात्र सम्मेलन (कलकत्ता २२ सितम्बर) के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षीय भाषण।
३. नेहरू, ऑटोबॉयोग्राफी, नवीन संस्करण, पृष्ठ १८३।
४. इन्डिया इन १९२९-३०, पृष्ठ १०।

तरह के पत्राचार को १८९८ के पोस्ट ऑफिस ऐक्ट या १८८३ के इन्डियन टेलीग्राफ ऐक्ट के अन्तर्गत रोक लिया जाना चाहिए एवं भारत सरकार से आदेश मिलने तक उन्हें संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए''।[1] स्थानीय सरकार ने अपने अधिकारियों को अविलम्ब इस आदेश के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा। उन्हें यह भी कहा गया कि वे ''कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रमिकों को राजनैतिक उद्देश्यों के लिए संगठित करने के ''किसी आन्दोलन के प्रति सतर्क रहें क्योंकि भारत सरकार'' विशेष रूप से ऐसी बातों से अधिसूचित रहना चाहती थी।[2]

संदेह पर श्रमिक नेताओं को गिरफ्तारी :

भारत में श्रमिक आन्दोलन का नया विकास कार्यक्रम भी सरकार की दृष्टि में आपत्तिजनक प्रतीत होने लगा था। फलतः इसका प्रभाव और बढ़ने नहीं पावे इसके लिए कड़ी काररवाइयाँ शुरू की गईं। २० मार्च, १९२९ को सरकार ने कुछ ''अधिक विकसित ग्रूपों के कुछ सर्वप्रमुख कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करके संगठित श्रम आन्दोलन पर अकस्मात् प्रहार किया''।[3] सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने के अभियोग में ३१ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मेरठ लाया गया और यहीं उनपर मुकदमा शुरू हुआ। यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रख्यात है। तत्कालीन स्थिति पर टिप्पणी करते हुए गांधी जी ने लिखा कि ''श्रमिक नेताओं तथा तथाकथित साम्यवादियों की गिरफ्तारी इस बात का संकेत करती है कि सरकार संत्रास की मनस्थिति में आ गई है और ऐसे आसार प्रकट हो रहे हैं जिससे हमलोग परिचित हैं और जो कठोर दमन नीति की अग्रसूचक है। स्पष्टतः सरकार समय-समय पर सभी आईन- कानून को ताक पर रखकर देश को अपना खूनी पंजा जो वैसे आवरण के पीछे छिपा रहता है, दिखला कर आतंकित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में विश्वास करती है। इसमें संदेह नहीं कि मुकदमा का नाटक किया जायगा। यदि अभियुक्त बुद्धिमान होंगे तो वे उस फंदे में नहीं पड़ेंगे और अपने पक्ष में वकील

१. मुख्य सचिव, एच० के० ब्रिस्को का भागलपुर के आयुक्त, पी० डब्लु० मर्फी को २१ मई १९२८ का पत्र।
२. एच० के० ब्रिस्को का भागलपुर के प्रभारी आयुक्त, एम० जी० हैलेट को १९ नवम्बर, १९२९ का पत्र।
३. नेहरू, ऑटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ १८८।

रखकर उस नाटक में योगदान नहीं करेंगे। उसके बदले वे साहस के साथ कैद की सजा स्वीकार कर लेंगे। वर्तमान समय में हजारों-हजार भारतीयों को न केवल जेल जाने का खतरा उठाना है बल्कि उसका सामना करना है एवं जेल-जीवन बिताना है। यदि कानून के आवरण में राज्य अराजक हो जाए तो उसे हमें हमेशा के लिए खतम करना है''।[1]

सरकार की दमन-नीति पूरे जोर पर थी। बड़ी संख्या में नौजवानों को गिरफ्तार करके लाहौर षड्यंत्र केस के अन्तर्गत विभिन्न आरोपों पर मुकदमा चलाया जा रहा था। बंगाल में एक आध्यादेश जारी करके केवल संदेह पर बिना मुकदमा चलाए हुए गिरफ्तार एवं नजरबंद करने का अधिकार दे दिया गया था। सुभाषचन्द्र बोस एवं कुछ अन्य प्रमुख कांग्रेसियों पर छोटी-छोटी बातों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था। इनके अतिरिक्त सरकार दमन के कुछ अन्य तरीके, जिन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी ने "बर्वर"[2] कहा था, भी अपना रही थी।

समाचारपत्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाइयाँ : प्रदर्शनों पर राक :

सरकार ने अनेक पुस्तकों को राजद्रोहात्मक कहकर जब्त कर लिया था। समाचार-पत्रों पर कठोर कार्रवाइयाँ की जा रही थीं। सम्पूर्ण १९२९ में ये सब चलते रहे। मॉडर्न रिव्यू के प्रख्यात सम्पादक, श्री रामानन्द चटर्जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर भारी जुर्माना किया गया था। उन पर डॉ० जे० टी० सण्डरलैंड के **इण्डिया इन बांडेज** का प्रकाशन करने का अभियोग लगाया गया था। यह पुस्तक तथा डॉ० सुन्दर लाल लिखित **हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इण्डिया** जब्त कर ली गई थी। बिहार में **सर्चलाइट**, **तरुण शक्ति** (चाइबासा) और **मुक्ति** (पुरुलिया) सरकारी कोप के विशेष शिकार बने।

सर्चलाइट के सम्पादक, श्री मुरली मनोहर प्रसाद पर पटना हाईकोर्ट में अदालत के अपमान का मुकदमा चलाया गया। इसके लिए उन्हें ५०० रुपया जुर्माना किया गया। श्री प्रसाद पर मुख्य न्यायाधीश, सर कोर्टनी टेरेल का बाढ़ सती केस में फैसला की आलोचना करने का आरोप था। 'सर्चलाइट'

१. तेन्दुलकर, महात्मा, खंड–२, पृष्ठ ४६८।

२. इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी की २६-२७ जुलाई, १९२९ की बैठक में।

के मुकदमे पर प्रान्त में अत्यधिक विक्षोभ फैला और पण्डित मोतीलाल नेहरू, तेजबहादुर सप्रू एवं शरत्चन्द्र बोस जैसे प्रख्यात वकीलों ने उसमें प्रतिवादी की ओर से बहस की।' 'मुक्ति' के सम्पादक श्री निवारणचन्द्र दास गुप्त संत प्रकृति के देशभक्त थे। उसके मुद्रक एवं प्रकाशक सहित श्री दासगुप्त पर धारा १२४ ए, भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और उन्हें क्रमशः एक वर्ष एवं ३ महीने की साधारण कैद की सजा दी गई। "तरुण शक्ति" के सम्पादक, मुद्रक एवं प्रेस संचालक पर धारा १२४ ए और १५३ ए के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया। सम्पादक को ६ महीने की सादी कैद एवं अन्य दोनों को ३ महीने की सादी कैद की सजा मिली। इनके अतिरिक्त 'महावीर' के सम्पादक को १९२८ में धारा १२४ए के अन्तर्गत १ वर्ष सादी कैद और १,००० रुपया जुर्माना की सजा दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। यह भी उल्लेखनीय है कि पटना नगर कांग्रेस कमीटी के सचिव, श्री मणीन्द्र नारायण राय को दो वर्ष कड़ी कैद की सजा दी गई थी। कांग्रेस के मद्रास (१९२७) एवं कलकत्ता (१९२८) अधिवेशनों के अवसर पर विराट् प्रदर्शनियाँ लगाई गईं थीं। सरकार को यह अच्छा नहीं लगा। भारत सरकार ने २६ अप्रिल, १९२९ के एक पत्र में सभी प्रान्तीय सरकारों को सूचित किया कि "कांग्रेस द्वारा सद्यः उद्घोषित नीति तथा उसने जो चरमपन्थी राजनैतिक कार्यक्रम स्वीकृत किया है उन्हें ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार यह सोचती है कि यह सर्वथा अनुचित है तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शिनियों या मेलों को "सरकारी विभागों या अधिकारियों का किसी भी रूप में कोई समर्थन या सहयोग नहीं मिलना चाहिये"। बिहार-उड़ीसा सरकार ने अपने सभी जिला अधिकारियों को उपयुक्त कार्रवाई के हेतु इसकी प्रतिलिपि अग्रसारित कर दी। सिवान, बरहरिया, बसन्तपुर और महाराजगंज (सारन जिला) थानों में अतिरिक्त पुलिस पदस्थापित कर दी गई।

राजनैतिक पीड़ित दिवस : बिहार में अनेक स्थानों पर विरोध सभाएँ :

१० अगस्त, १९२९ को बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। पटना में उस दिन लगभग साढ़े तीन बजे राजेन्द्र बाबू के नेतृत्व में

१. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ ३००।

एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में छात्र सम्मिलित हुए थे। अनेक लोगों के हाथों में राष्ट्रीय झण्डा था। गुलजारबाग में सभा हुई। उसमें राजेन्द्र बाबू ने अध्यक्षता की एवं एक प्रभावशाली भाषण में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये बलिदान की भावना जागृत एवं विकसित करने को श्रोताओं से अपील की। वक्ता ने राजनैतिक बन्दियों पर विभिन्न जेलों में जो अमानुषिक अत्याचार किया जा रहा था तथा इंगलैण्ड के जेल अधिनियमों की तुलना में भारतीय जेल अधिनियमों की अमानुषिक कठोरता का उल्लेख किया। राजेन्द्र बाबू ने कहा कि इंगलैण्ड में षड्यन्त्र एवं राजद्रोह सचमुच अपराध थे क्योंकि वह एक आजाद देश था, किन्तु भारत में क्योंकि वह विदेशी सरकार के शिकंजे में बँधा था इसलिये राजद्रोह हमारा कर्त्तव्य एवं धर्म था। प्रत्येक भारतवासी का कर्त्तव्य है कि वह राजद्रोही बने। भाग्य की विडम्बना से आज हमारे देश में देशप्रेम अपराध बना दिया गया है किन्तु इंगलैण्ड में यह नागरिक की सर्वोपरि विभूति है। वक्ता ने अपने श्रोताओं को राष्ट्रीय झण्डा की पवित्रता की याद दिलाई और कहा कि चाहे जो भी खतरा उठना पड़े इसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के हेतु वे हमेशा उद्यत रहें। राष्ट्रीय झण्डा फहराये जाने के बाद बंगाल के श्री प्रतुलचन्द्र गांगुली ने, जो उसी दिन इस सभा में भाग लेने के लिये ही बनारस से आए थे, एक संक्षिप्त भाषण किया। राजेन्द्र बाबू को पटना सिटी में एक अन्य सभा में सम्मिलित होना था, अतः वह पहले ही चले गये। उनके जाने के बाद आचार्य बदरीनाथ वर्मा ने सभापतित्व किया। पंजाब के भूख-हड़तालियों के साहस एवं वीरता की प्रशंसा तथा उनकी न्यायोचित मांगों को नहीं मानने के लिए सरकार की निन्दा विषयक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव प्रो० अब्दुल बारी द्वारा प्रस्तुत एवं जयचन्द्र विद्यालंकार द्वारा अनुमोदित था।[1] बिहार के अन्य स्थानों पर भी इसी तरह जुलूसें निकाली गई और सभाएँ हुई।

संथाल परगना में कांग्रेस का प्रभाव रोकने का योजना :

संथाल परगना जिला एक गैर-रेगुलेशन क्षेत्र था और दामिन इलाके में नियमित पुलिस व्यवस्था नहीं थी। सरकार राष्ट्रीय भावना एवं समाज-सुधार की चेतना के प्रचार से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए अधिक प्राधिकार से सज्जित होना चाहती थी। इस क्षेत्र में एक स्थानीय

१. पुलिस रिपोर्ट, १८-८-३०।

कांग्रेस नेता, डॉ० लम्बोदर मुखर्जी के प्रयत्न एवं प्रभाव से जागरण की लहर फैलने लगी थी। ऐसे लोगों के विरुद्ध जो सरकार की दृष्टि में "राजद्रोह के प्रचारक थे विशेष करके संथाल परगना जिला में" अविलम्ब कार्रवाई करना आवश्यक समझकर उपायुक्त, श्री ई० एस० हॉर्नले ने भागलपुर के तत्कालीन आयुक्त से पूछा कि "क्या राजद्रोह प्रचार करनेवाले व्यक्ति के सन्दर्भ में जिला मैजिस्ट्रेट के लिए धारा १०६ भारतीय दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानीय सरकार से आवश्यक अनुमति लेने के पूर्व एवं अपराध की तहकीकात के पहले कार्रवाई करना तथा उसे गिरफ्तार करना वाध्य होगा ?"[१] श्री हॉर्नले ने इस क्रम में लिखा "आदिवासी जिलों में, खास करके एक ऐसे जिला में, जहाँ पुलिस के इलाके नहीं हैं, ऐसे भाषणों की ऐसी सही एवं विश्वस्त रिपोर्ट प्राप्त करना हमारे लिए अत्यधिक कठिन होता है जिनके आधार पर दण्ड संहिता के अन्तर्गत कारर्रवाइयाँ शुरू की जा सकती हों। इन क्षेत्रों में ऐसे जिम्मेवार अधिकारी अक्सर उपलब्ध नहीं होते जो रिपोर्ट करें, भाषणकर्त्ता की भाषा को ठीक-ठीक समझें, भाषण को विस्तार से लिख सकें या अदालत में जिरह का सामना कर सकें। इसके अतिरिक्त आदिवासियों में ऐसे भाषणों से जिसके किसी एक भाग को राजद्रोहात्मक या किसी विशेष वर्ग या समुदाय के विरुद्ध दुर्भावना जागृत करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक प्रमाणित किया जाना कठिन हो यद्यपि वक्ताओं के इरादे एवं उसके परिणाम बिल्कुल स्पष्ट भी हों, आदिवासियों के मध्य अशांति पैदा कर देना सहज है। अत: हमें ऐसे वक्ताओं के भाषणों को रोकने के हेतु विशेष अधिकार चाहिये। धारा १०८ स्पष्टत: बहुत ही विस्तृत अधिकार प्रदान करती है। उसके अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए मैजिस्ट्रेट को केवल इतनी सूचना मिलनी चाहिये कि कोई व्यक्ति मौखिक रूप से या लिखित रूप में आपत्तिजनक बातें करने का प्रयत्न कर रहा है। इस धारा के अन्तर्गत उक्त व्यक्ति पर "कारण बताओ की अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है और हो सकता है कि उसके द्वारा क्षमा याचना या उसे एक चेतावनी देने से ही मामला समाप्त हो जा सकता है किन्तु यह धारा ऐसे वक्ताओं के सन्दर्भ में बेकार हो जाती है जो आज यहाँ, कल वहाँ घूम-घूमकर भाषण करते हों। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि उन्हें कोई तुरत पकड़

१. भागलपुर के आयुक्त, श्री हेलेट का मुख्य सचिव, ब्रिस्को को ६ नवम्बर, १९२१ का पत्र।

सके। तब यह प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा ६० उसकी धारा ११४ का अवक्रमण करती है? यदि करती है तो मैं सोचता हूँ कि वैसी स्थिति में मैजिस्ट्रेट के लिए इस आधार पर कि उक्त प्रकार के व्यक्ति से केवल सम्मन का अनुपालन करने की आशा नहीं की जा सकती थी, उसपर वारंट जारी करना सर्वथा उचित होगा।"

श्री हॉर्नले ने एक अन्य बात भी उठाई :

"ऐसे वक्ता (यथा लम्बोदर मुखर्जी) अपने साथ आपत्तिजनक साहित्य और कभी-कभी तस्वीरें एवं मैजिक लालटेन के लिए स्लाइड्स भी लिए चलते हैं। हमें इन सामग्रियों को जब्त कर लेना चाहिये यह प्रमाणित करने के लिए कि क्या वे धारा १५३ भारतीय दंड संहिता या तत्संबंधी धाराओं के अन्तर्गत आपत्तिजनक सामग्रियाँ थीं। यदि मैं ब्रिस्को के मत को ठीक-ठीक समझ रहा हूँ तो ऐसी सामग्रियों पर बिना सरकार का आदेश प्राप्त किये कोई काररवाई नहीं की जा सकती। इस प्रकार हम एक भूल-भुलैय्या में फँस जाते हैं अर्थात् हमारी उलझन का कोई अन्त नहीं दीखता। हम जबतक सामग्रियाँ नहीं पकड़ लेते सरकार की अनुमति के हेतु नहीं लिख सकते। दूसरी ओर जबतक सरकार की अनुमति नहीं मिलती, हम सामग्रियाँ नहीं प्राप्त कर सकते। मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि धारा १०८ भारतीय दंड प्रक्रिया के अन्तर्गत हमें पहले वारन्ट जारी करने की अनुमति मिल भी जाती है तब भी ऐसी सामग्रियों को जब्त करने के हेतु कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है। मेरी दृष्टि में किसी व्यक्ति पर राज्य के विरुद्ध काम करने के अभियोग पर मुकदमा चलाने के लिए स्थानीय सरकार का आदेश पहले प्राप्त करना आवश्यक है। किन्तु सरकार के आदेश के लिए आवेदन करने का निर्णय लेने के हेतु आवश्यक प्रारंभिक तहकीकात शुरू करने के लिए सरकार का आदेश पहले प्राप्त कर लेना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में जब मुझे इसकी निश्चित सूचना हो कि कोई व्यक्ति राजद्रोहात्मक इश्तहार वितरित कर रहा है तो क्या स्थिति यही है कि मैं उसे जबतक सरकार के पास वह मामला प्रेषित नहीं कर दिया जाता तबतक न तो गिरफ्तार कर सकता हूँ और न उन सामग्रियों को जब्त कर सकता हूँ"।

भागलपुर का आयुक्त, श्री हौर्नले के इस अभिमत से पूर्णतया सहमत था कि "संथाल परगना में ऐसे भाषणों को एवं इश्तहार, मैजिक लालटेन, तस्वीरों

आदि के द्वारा राजद्रोहात्मक प्रचार को रोकने"[१] के हेतु तात्कालिक कार्रवाई आवश्यक थी।

उसने मुख्य सचिव को लीगल रिमेम्बरेंसर, श्री जे० ए० स्विनी से कुछ बातों पर कानूनी राय लेने का अनुरोध करते हुए और आगे लिखा: "मुझे विश्वास है कि हाल की घटनाओं से राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन को देखते हुए इन बातों को उठाने पर आपको आपत्ति नहीं होगी। स्थिति में स्थाई सुधार होने की मुझे अधिक आशा नहीं। हो सकता है कि हमें और अधिक गम्भीर आन्दोलन का सामना करना पड़े। अतः पहले से तैयारी करना श्रेयस्कर होगा और हमें तैयार रहना चाहिये"।

सरकारी दमनचक्र एवं क्रान्तिवादी राष्ट्रवाद :

वास्तव में सरकार की ओर से जो व्यापक स्तर पर दमनचक्र चलाया जा रहा था, भारत में असहयोग आन्दोलन समाप्त करने के उपरांत क्रान्तिवादी राष्ट्रवाद के पुनः जोर पकड़ने की बहुत कुछ जिम्मेवारी उसपर थी। ऐसे नौजवान जो कुछ करने को बेचैन थे, देशप्रेम की भावना जिनके हृदय के अन्तरतम को उद्वेलित कर रही थी, इस आस्था के साथ क्रान्तिकारी तरीकों को अपनाने लगे कि इसी माध्यम से वे अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कर सकेंगे। किन्तु हिंसा के मार्ग से ही कोई देश आजादी का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है। प्रायः सभी परतंत्र एवं शोषित देश के स्वतंत्रता के संघर्ष के इतिहास में कम-से-कम ऐसी कार्रवाइयों का एक चरण अवश्य ही रहा है और जो लोग उसका निदेशन करते हैं या उसमें भाग लेते हैं किसी मैत्सिनि या पार्नेल के समान अपने देश की सेवा करने की भावना से ओतप्रोत एवं अनुप्रेरित होते हैं। इस काल के भारतीय राष्ट्रवादियों के संबंध में यही बात सत्य थी।

बिहार में १९२४ के बाद के वर्षों में क्रान्तिवादी कार्रवाइयों का जोर बढ़ गया था। इनके विरुद्ध प्रान्तीय सरकार जो भी आवश्यक कदम समझती थी, उठा रही थी। विशेष करके शिक्षा संस्थानों में भावनाप्रवण तरुणों में क्रान्तिवादी विचार एवं कार्रवाइयों को रोकने के उद्देश्य से। "रिवॉलुशनरी" (भारतीय क्रान्तिवादी पार्टी का मुखपत्र) खंड---१, संख्या १, १ जनवरी, १९२५ की ३ प्रतियाँ पटना कॉलेज में पुलिस के स्पेशल ब्रांच द्वारा पकड़ी गई। कॉलेज के प्राचार्य, श्री वी० एच० जैकसन ने कहा कि जिस व्यक्ति

१. वही।

ने ये प्रतियाँ भेजी थीं उसे पटना कॉलेज के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी यह स्पष्ट था क्योंकि प्रतियाँ मुनिटरों के नाम भेजी गई थीं जबकि उस कॉलेज में मुनीटर नहीं होते थे। बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव, श्री हैमंड ने तदुपरांत ११ फरवरी, १९२५ को सभी जिलाधिकारियों के नाम निम्नलिखित परिपत्र भेजा : "मुझे आपको यह सूचित करना है कि भारतीय क्रान्तिकारी पार्टी का मुखपत्र, "द रिवॉलुशनरी", खंड—१, संख्या १ की प्रतियाँ चोरी-छिपे केवल जनता ही में नहीं वल्कि कॉलेजों और स्कूलों में भी परिचारित की जा रही हैं। इससे कॉलेज एवं स्कूलों में असंतोष फैलने की अधिक संभावना है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपने जिला में शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में गोप्य रूप से आगाह कर देंगे। उक्त प्रकाशन धारा ९९ (क) भारतीय दंड प्रक्रिया के अन्तर्गत जब्त कर लिया गया है। उसकी प्रतियाँ जहाँ कहीं भी मिलें जब्त कर ली जायँ"। जिला अधिकारियों ने कॉलेज प्राचार्यों, हाई स्कूल के अध्यापकों और प्रमंडलीय निरीक्षकों को आवश्यक आदेश तुरत दे दिये—"जहाँ कहीं भी उक्त प्रकाशन मिलें, उन्हें जब्त कर लें और उनका प्रचार नहीं होने दें"।

"द रिवॉलुशनरी" की उक्त प्रति में भारतीय क्रान्तिकारी पार्टी के निदेशक सिद्धान्त इस प्रकार सूत्रबद्ध किये गये थे :

"२० वर्षों का कठोर दमन इसे कुचलने में असमर्थ रहा है। प्रख्यात जन-नेताओं की कठोर आलोचनाएँ इसकी अनवरत प्रगति रोकने में असमर्थ रही है। आन्दोलन आज पहले से अधिक शक्तिशाली है। इस क्रान्तिकारी पार्टी का भविष्य इतना अधिक कभी नहीं उज्ज्वल रहा जितना कि आज है। भविष्य हमारा है।

कोई भी भारतीय विदेशी शासकों की दमन काररवाईयों की भर्त्सना करने के हेतु क्रान्तिकारी पार्टी के अस्तित्व से इन्कार नहीं करे। विदेशियों को भारत पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं, अतः उनकी भर्त्सना होनी ही चाहिए और उन्हें देश से निष्कासित करना ही चाहिए इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई खास हिंसात्मक काम या अपराध किया है बल्कि इसलिए कि विदेशी शासन के ये स्वाभाविक परिणाम होते हैं। विदेशी शासन को समाप्त करनाही होगा। उन्हें तलवार को छोड़कर भारत पर शासन करने का दूसरा कोई आधार नहीं और इसलिए क्रान्तिकारी पार्टी ने तलवार उठाई है किन्तु विचार कान्तिकारी पार्टी की तलवार की धार है।

राजनीति के क्षेत्र में क्रान्तिकारी पार्टी का तात्कालिक उद्देश्य सशस्त्र एवं संगठित क्रान्ति के द्वारा भारत के संयुक्त राज्य के संघीय गणतंत्र की स्थापना करना है।

यह पार्टी देश में संवैधानिक आन्दोलनों को घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखती है। यह कहना कि भारत की, जहाँ कोई संविधान ही नहीं है, मुक्ति संवैधानिक तरीकों से हो सकती है व्यंग्य करना है। यह कहना कि भारत को राजनैतिक उन्मुक्ति शांतिपूर्ण एवं वैध तरीकों से हासिल की जा सकती है खास करके जबकि शत्रु अपने सुविधानुसार शांति भंग करने को दृढ़संकल्प हो अपने को भ्रम में डाले रहना है। वस्तुत: ''वैध'' शब्द का सारा महत्त्व एवं आकर्षण समाप्त हो जाता है जब हम किसी भी मूल्य पर शांति कायम रखने का संकल्प कर लेते हैं।

संगठित होकर मानवता की सेवा करना हमारा आदर्श है। जबतक भारत परतंत्रता एवं बंधनों में पड़ा हुआ है, जबतक वह ब्रितानी भारत है तबतक यह आदर्श हासिल नहीं हो सकता। भारत का यह सपना पूरा हो इसके लिए उसका अपना एवं स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। यह स्वतंत्रता शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीकों से कभी भी हासिल नहीं हो सकती। एक बच्चा भी यह समझ सकता है कि ब्रितानी भारत पर जिन कानूनों के द्वारा शासन किया जाता है वे भारतीयों के बनाए हुए नहीं हैं और न उनपर भारतीय का कोई नियंत्रण है। ब्रितानी कानूनों एवं संविधान से ब्रितानी भारत के संयुक्त राज्य का संघीय गणतंत्र नहीं बन सकता। भारत के नौजवानों, अपना भ्रमजाल त्याग दो, वास्तविकता का निर्भीकता एवं दृढ़ संकल्प के साथ सामना करो एवं संघर्ष, कठिनाइयों तथा बलिदानों से भागो नहीं। नियति का अभिलेख सत्य होने ही वाला है और अधिक दिग्भ्रमित नहीं होओ, स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना तुम्हें शांति और चैन नहीं मिल सकती है और शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीकों से भारत की स्वतंत्रता कभी नहीं हासिल की जा सकती है।

वर्तमान सरकार केवल इसलिए टिकी हुई है कि विदेशी भारतीय जनता को आतंकित करने में सफल रहे हैं। भारतीय जनता अपने अंग्रेज महाप्रभुओं को नहीं चाहती। वह नहीं चाहती कि अंगरेज यहाँ रहें, फिर भी वह अंगरेजों की सहायता करती है क्योंकि उनसे अत्यधिक भयभीत है और यह भय ही भारतीयों को क्रान्तिकारियों को सहायता प्रदान करने से

विरत करता है, इसलिए नहीं कि क्रान्तिकारियों के प्रति उनका स्नेह नहीं है। सरकारी आतंकवाद का सामना अनिवार्यतः प्रति-आतंकवाद से किया जाना है। अभी हमारे समाज के प्रत्येक स्तर में पूरी निस्सहायता की भावना व्याप्त है और समाज में उपयुक्त भावना पुनर्जागृत करने के लिए आतंकवाद ही प्रभावी साधन है। इसके बिना प्रगति करना कठिन होगा। इसके अतिरिक्त अंगरेज महाप्रभुओं को तथा उनके भाड़े के टट्टुओं को कभी भी बेरोक-टोक और वे जो कुछ चाहें करते नहीं रहने दिया जा सकता। उनकी राह में हर संभव बाधा एवं प्रतिरोध प्रस्तुत करना ही होगा''।

बिहार सरकार ने १९२६ में क्रान्तिवादी सिद्धान्तों का प्रचार रोकने के हेतु एक दूसरा कदम उठाया। इनसे सहानुभूति रखने का संदेह जिन संगठनों पर किया जाता था उनपर प्रभावी नियंत्रण रखने के आदेश दिए गए। भागलपुर के जिला अधिकारी, श्री मर्फी को २३ नवम्बर, १९२६ को इस संबंध में इस आशय का आदेश मिला : ''सरकार को यह सूचना मिली है कि कुछ ऐसी संस्थाएँ जिनपर तरुण क्रान्तिकारियों की भर्त्ती करने तथा प्रशिक्षण देने का संदेह किया जाता है, समाज सेवा तथा अन्य ऊँचे उद्देश्यों का मुखौटा धारण करके लोकप्रियता तथा कुछ सरकारी अधिकारियों का समर्थन भी प्राप्त कर रही हैं। ऐसी एक संस्था ने जिला मैजिस्ट्रेट से एक लोकप्रिय पर्व के हेतु सहायता के लिए प्रमाणपत्र हासिल किया है और उस प्रमाणपत्र से उसके प्रचार के लिए उसके सदस्यों को चंदा एकत्र करने में सहायता मिली है। मुझे इस संबंध में यह कहने का आदेश मिला है कि सभी मैजिस्ट्रेट प्रशंसात्मक शब्द व्यवहार करने या समाज सेवा करने का मुखौटा धारण करनेवाले संघों (संगठनों) को काई प्रमाणपत्र देने के पहले यह अच्छी तरह निश्चित हो लें कि उक्त संगठन पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता था। मुझे आपसे यह कहना है कि अपने जिला के अनुमंडलाधिकारियों को इस बात से अच्छी तरह अवगत करा दें।

कुछ वर्ष पूर्व की क्रान्तिकारी लहर की तरह इस समय भी भागलपुर इसका एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया था। १९ जनवरी, १९२७ को श्री शचीन बक्शी को बिहार की यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेता होने के अभियोग पर गिरफ्तार कर लिया गया था।[१] इसके कुछ काल

१. श्री बक्शी को काकोरी षडयंत्र केस में आजीवन कालापानी की सजा दी गई थी।

बाद सरकार को तथाकथित देवघर षड्यंत्र केस का पता चला। १८ अक्तूबर, १९२७ को सरकार के गुप्तचर विभाग को सूचना मिली कि दो व्यक्ति जिनपर क्रान्तिकारी होने का संदेह किया जाता था, संथालपरगना जिलान्तर्गत देवघर गये थे और उनके पास शस्त्रास्त्र एवं गोलियाँ थीं। एक सी० आई० डी० अधिकारी को तुरत देवघर भेजा गया। उसने पता लगाया कि संदिग्ध तरुणों में से एक श्री जीवन कन्हाई पाल वहाँ के छात्रावास में ठहरा हुआ था। स्थानीय अनुमंडलाधिकारी से एक तलाशी का वारन्ट लेकर पुलिस ने २० अक्तूबर को छात्रावास पर धावा किया और वीरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य को दो मौसर पिस्तौल एवं ८२ मौसर गोलियों से भरी एक झोली के साथ गिरफ्तार करके अनुमंडलाधिकारी को सौंप दिया। वीरेन्द्र के साथ उसका भाई सुरेन्द्र नाथ तथा तेजेश चन्द्र घोष नामक एक तरुण भी था। उनके पास क्रान्तिकारी साहित्य एवं गुप्त लिपि में कुछ व्यक्तियों की सूची मिली।[1] पकड़े गये साहित्य में श्री अरविन्द लिखित गीता पर लेख तथा "अर्ली लाइफ ऑफ डि-वैलरा" एवं "बांगलार विप्लववाद" भी थीं। और अधिक तलाशियाँ ली गईं और कुल मिलाकर २० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इनमें ९ बंगाली ब्राह्मण, ५ बंगाली कायस्थ, १ बंगाली क्षत्रिय, १ बंगाली वैद्य, १ बंगाली जुलाहा, १ बंगाली कुम्हार, १ बंगाली सद्गोप और १ पंजाबी था। इनमें से अधिकांश की आयु २० से २७ वर्ष के मध्य थी। कुछ ३० या ३२ तथा एक लगभग ४४ वर्ष की आयु का था। धारा १२१ (क) भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत उनपर मुकदमा दायर किया गया। ३ पर आर्म्स ऐक्ट की धारा १९ (ख) के अभियोग भी थे। मुकदमा देवघर में एक विशेष मैजिस्ट्रेट के समक्ष ३१ जनवरी, १९२८ को खुला। १ मार्च को बीसों अभियुक्त सेशन सुपुर्द किये गये। सेशन जज के समक्ष मुकदमा ३ अप्रील से ११ जुलाई तक चलता रहा। १२ अभियुक्तों को लम्बी अवधि की कैद की सजाएँ सुनाई गईं। ८ को रिहा कर दिया गया, १० सजायाफ्ता अभियुक्तों ने पटना हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में २ से ११ जनवरी (१९२९) तक मुकदमा चला। १ को छोड़कर शेष की सजा बहाल रही।[2]

---

१. देवघर षड्यंत्र केस का फैसला।

२. देवघर षड्यंत्र केस का फैसला, पुलिस रिपोर्ट, बिहार ऐन्ड उड़ीसा इन १९२७-२८ और इन १९२८-२९, पृष्ठ ६०।

"राजनैतिक डकैतियाँ" :

दरभंगा जिलान्तर्गत दलसिंगसराय में ९ नवम्बर, १९२८ की १० बजे रात को एक डकैती हुई। सरकार की दृष्टि में यह "राजनैतिक डकैती" थी। इसके संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव को १३ नवम्बर को तार द्वारा सूचित करते हुए लिखा कि "राजनैतिक डकैती करने वालों के एक दल ने जो पंजाबी कहे जाते हैं, युरोपीय पोशाक में एक महाजन के घर पर डाका डाला। उनकी गोलियों से एक आदमी की तत्काल मृत्यु हो गई और कई दूसरे लोग आहत हुए। डकैत बंदूक एवं रिवाल्वर से लैस थे और वे २५,००० रुपये लूट कर ले गये। अभीतक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है, या किसी की सिनाख्त नहीं की जा सकी है"। स्वामी शंकरानन्द पर इससे संबद्ध होने का संदेह किया गया। १३ नवम्बर को जेल में उससे पूछ-ताछ की गई।

पुलिस रिपोर्ट में व्यक्त निम्नलिखित आधार पर जिला अधिकारी का विश्वास था कि यह "राजनैतिक डकैती" थी :

"मुझे प्रतीत होता है कि संन्यासी इस डकैती से संबद्ध है और उसने स्थानीय जानकारी दी थी जिससे "डकैतों" को सरह जमीन पर सीधे पहुँचने में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त यह बहुत संभव जान पड़ता है कि डकैती राजनैतिक है। मेरे ऐसा सोचने के ये आधार हैं : इसमें रिवाल्वर का व्यवहार किया गया। एक अव्यवहृत कारतूस पुलिस को मिली। मृतक रघुनन्दन तिवारी के शरीर से एक गोली निकाली गई।

वादी के घर में रहनेवाले एक बंगाली डाक्टर ने एक डकैत को अंगरेजी में "कम ऑन, कम ऑन (आओ-आओ) कहते हुए सुना और दूसरे लोगों ने साला के बदले "शाला" सुना। इनसे जाहिर होता है कि कम-से-कम कुछ डकैत बंगाली थे। संन्यासी स्वयं बर्दवान जिला का रहनेवाला एक बंगाली है। इसका मूल नाम रामशंकर मुखर्जी है। वह थोड़ा-बहुत अंगरेजी जानता है और बनारस से उसका घनिष्ठ संबंध है। उसका चाचा गिरिधरानन्द (पहले मुखर्जी) था। संन्यासी का पता निम्नलिखित है :—

हररबाग, थाना भालूपुर, गायत्री मठ, बनारस।

डकैत खाकी कमीज में थे। दो उजली टोपियाँ पहने हुए थे और दो टिकट कलक्टर जैसी टोपी। ९ तारीख को, जिस दिन यह घटना हुई,

बछवारा स्टेशन पर बनारस से बछवारा तक के ५ टिकट स्टेशन पर उतरनेवालों से लिये गये और डकैती वाली रात में बनारस से बछवारा तक के २२ टिकट आधी रात के कुछ बाद लिये गये । मैंने इन्सपेक्टर को बाढ़ स्थित संन्यासी के घर की तलाशी लेने, सभी कागजात जब्त करने और उन्हें हस्तलिपि परीक्षण के लिये गुप्तचर विभाग को भेज देने के आदेश दिये हैं'' ।

मौलानिया षड्यन्त्र केस ।

ऐसी एक दूसरी घटना चम्पारण जिला के मौलानिया नामक स्थान में ७ जून, १९२९ को हुई । दो अन्य घटनाएँ एक चम्पारण में और एक दरभंगा जिला में १९३० के मई में हुई । सरकार की दृष्टि में ये सभी ''राजनैतिक डकैतियाँ'' थीं जिनमें ''आतंकवादी'' तरीकों में विश्वास करनेवालों ने भाग लिया था । मौलानिया कांड के संबंध में १९२९ की पुलिस रिपोर्ट में इस प्रकार का विवरण मिलता है : ''बेतिया के दो राजनैतिक संदिग्ध व्यक्ति, श्री फणीन्द्र नाथ घोष और[1] श्री बनर्जी (संभवतः मनमोहन बनर्जी) जो उस रात में अपने घर से अनुपस्थित थे तथा लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में फरार थे, गिरफ्तार किए गए । उनमें से एक ने स्वीकार किया कि क्रान्तिकारी दल के लिए निधि संचय करने के हेतु डकैती की योजना बनाई गई थी । उसमें भाग लेनेवाले कथित ११ व्यक्तियों में एक लाहौर षड्यंत्र केस का अभियुक्त है, दो मुखबिर बन गए, ५ अभी फरार हैं और शेष ३ को धारा ३९६ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत १०-१० वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई है । हाईकोर्ट में अपील की गयी है'' । बिहार में क्रान्तिकारी आन्दोलन के एक सर्वप्रमुख नेता, श्री योगेन्द्र शुक्ल को पुलिस ''मौलानिया डकैती का मुख्य फरार'' समझती थी । श्री शुक्ल सारन पुलिस द्वारा ११ जून (१९३०) को गिरफ्तार किए गए । १९३० की एक पुलिस रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि श्री योगेन्द्र शुक्ल अपने साथियों सहित अनजाने में पकड़ लिए गए और काफी संघर्ष के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सका'' । श्री शुक्ल कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ १९२९-३० के उपर्युक्त कांडों से संबद्ध थे । दोनों पर अगले वर्ष तिरहुत षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया । दो को छोड़कर सभी को सजा मिली । श्री योगेन्द्र शुक्ल को १० वर्ष कड़ी कैद की सजा और अन्य अभियुक्तों (केदारमणि

१. नहीं पढ़ा जा सका ।

शुक्ल, बसावन सिंह, रामपरीक्षण सिंह और रामविनोद सिंह) को ५ से १० वर्ष कड़ी कैद की सजा मिली। श्री योगेन्द्र शुक्ल पर मौलनिया कांड के संबंध में भी मुकदमा चलाया जानेवाला था। इस अवधि में हर वर्ष सरकार की दृष्टि में आपत्तिजनक किताबें, इश्तहार आदि जब्त किए जाते थे। १९३० में ५३ इश्तहार बिहार में जब्त किए गए।

ट्रेड डिस्प्युट बिल (१९२९) ; बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह का मुकदमा :

नई क्रान्तिकारी पार्टी (सद्यः गठित हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी) भारत के सभी भागों में सक्रिय थी। इस पार्टी के दो प्रमुख सदस्य, श्री फणीन्द्र नाथ घोष और श्री भगत सिंह को बिहार में पार्टी के काम का भार दिया गया था। श्री भगत सिंह सितम्बर, १९२८ में बिहार आए। ८ अप्रिल, १९२९ को जब केन्द्रीय ऐसेम्बली में ट्रेड डिस्प्युट बिल पारित हुआ और अध्यक्ष बिट्ठल भाई पटेल पब्लिक सेफ्टी बिल पर अपना रूलिंग देने को खड़ा हुए, ठीक उसी समय हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नोटिस शीर्षक एक लाल इश्तहार के साथ दो बम दर्शकदीर्घा से सदन में फेंके गए। अभियुक्तों ने जैसा कि बाद में बयान दिया, बम फेंकने का उद्देश्य "आवाज करना, हलचल मचाना था, किसी को आहत करना नहीं"।[१] दो नौजवान तत्क्षण गिरफ्तार किए गए— श्री बटुकेश्वर दत्त और श्री भगत सिंह। श्री दत्त मूल निवासी बंगाल के थे एवं कानपुर में रहते थे और श्री भगत सिंह पंजाबी थे। दोनों पर दिल्ली अदालत में मुकदमा चलाया गया और १२ जून को आजीवन कालापानी की सजा सुनाई गई। उन्होंने अदालत के समक्ष एक भावपूर्ण वक्तव्य में कहा "बम क्यों फेंके गए ? इस सवाल के जवाब में हमें कुछ विस्तार से कहना होगा और इसपर हम पूरा-पूरा एवं स्पष्ट शब्दों में उन सभी परिस्थितियों एवं प्रेरणाओं को व्यक्त करना चाहेंगे जिनसे हमें काम करने की प्रेरणा मिली है और जो उन ऐतिहासिक कारणों में धीरे-धीरे परिणत हो गए यह बमकांड जिनकी परिणति है। कुछ पुलिस अधिकारियों ने हमसे जेल में भेंट की। उन्होंने हमसे कहा कि लॉर्ड इरविन ने केन्द्रीय विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में भाषण करते हुए कहा था कि यह कांड किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि एक संस्था के विरुद्ध अभि-

१. नेहरू, ऑटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ १९३।

प्रेरित था। जब मैंने यह सुना तो मुझे तुरत यह विश्वास हो गया कि इस कांड का वास्तविक महत्व समझ लिया गया है। मानवता के लिए प्रेम में हम किसी से रंचमात्र भी कम नहीं।

हमारा यह प्रदर्शन एक ऐसी संस्था के विरुद्ध अभिप्रेरित था जो अपने जन्म से ही न केवल अपनी नपुंसकता दिखाती रही है बल्कि अत्याचार करने के हेतु अपनी दानवीय शक्ति का प्रमाण भी देती रही है। ज्यों-ज्यों हमने विचार किया, यह विश्वास हमारे मन में बद्धमूल होता गया कि इस संस्था के अस्तित्व का उद्देश्य दुनिया के समक्ष भारत की अशक्तता एवं अपमान का प्रदर्शन करना मात्र था। यह संस्था गैर-जिम्मेवार एवं निरंकुश शासन के अत्याचारपूर्ण आधिपत्य का प्रतिरूप है। जनता के प्रतिनिधियों ने बार-बार राष्ट्र की शिकायतें प्रस्तुत की हैं किन्तु वे सभी राष्ट्रीय मांगें अन्त में बिना किसी अपवाद के रद्दी की टोकरी में फेंकी जाती रही हैं। एसेम्बली द्वारा पारित प्रस्ताव निरर्थक माने गये हैं और घृणा के साथ उन्हें चरणों से कुचला जाता रहा है, यह सब और कहीं नहीं बल्कि तथाकथित भारतीय संसद में हुआ है। दमनात्मक एवं मनमाने कानूनों को समाप्त करने से सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्ताव को हास्यास्पद समझा गया है और सरकारी विधेयक एवं प्रस्ताव जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने अस्वीकरणीय कहकर निरस्त कर दिया है, कलम की नोक से उन्हें हमेशा के लिये लागू कर दिया गया है।

इस सीमित क्षेत्र के भीतर इस संस्था के अस्तित्व की उपयोगिता समझने में सरतोड़ प्रयत्न करके भी हम विफल रहे हैं। तड़क-भड़क, शान-शौकत एवं ठाठ-बाठ के बावजूद हम समझते हैं कि यह संस्था केवल एक दिखावा है, सर्वथा कुख्यात और यह सारा शान-शौकत भारत के करोड़ों मेहनतकश लोगों के पसीने की कमाई पर आधारित है। हम उन जनता के नेताओं के इरादे समझ सकने में भी असमर्थ रहे हैं जो भारत की निस्सहाय गुलामी के इस नाटकीय प्रदर्शन में जनता के समय और धन की बर्बादी करते हैं। हम इन बातों पर विचार करते हैं और श्रमिक पार्टी के कुछ नेताओं की गिरफ्तारी पर भी हमने विचार किया है। जब ट्रेड डिस्प्युट बिल प्रस्तुत होने के समय हम एसेम्बली में आये थे तो वहाँ की बहसों को ध्यानपूर्वक सुना था। यह सब देखने-सुनने के बाद हमारा यह विश्वास और भी बद्धमूल

हुआ है कि इस संस्था को हम गला घोंटकर मार दें। वस्तुतः यह लुटेरों की संस्था है।

अन्त में अमानवीय तथा वर्बर कानूनों के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश के प्रतिनिधियों के मस्तक पर अपमान ही लादा गया है और उसका परिणाम यह हुआ है कि भूखे एवं ऐसे लोग जो अपने भोजन का प्रबन्ध भी नहीं कर सकते हैं, अपने मूलभूत अधिकारों तथा अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के एकमात्र साधन से वंचित कर दिये गये हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने हमारे समान इन मूक श्रमिकों के किसी भी दिशा में मनमाने ढंग से हँकाए जाने के फलस्वरूप दंशन का अनुभव किया है, अपने हृदय में इस दृश्य को देखकर बिना उद्वेलित हुए नहीं रह सकता। जिन लोगों ने कुछेक लुटेरों के हेतु आर्थिक ढाँचा का निर्माण करने में अपने रक्त का बलिदान किया है, उनकी दुर्दशा पर कोई भी व्यक्ति, जिसकी धमनियों में रक्त का संचार होगा, अपनी आत्मा का चीत्कार नहीं दबा सकता। इस देश में, लुटेरों के इस वर्ग में, स्वयं सरकार सबसे बड़ा लुटेरा है। इस निर्मम लूट को देखकर हमारा हृदय हाहाकार कर उठा है। हमने एसेम्बली में एक बम फेंका। हमने यह काम उन लोगों की ओर से किया इसलिये कि उनके हृदयविदारक शोक को व्यक्त करने, एवं उसपर अपना गहरा विक्षोभ व्यक्त करने का दूसरा कोई साधन उनके पास नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि बहरों के कान खोल दें और असावधान एवं असतर्क लोगों को सामयिक चेतावनी दें।

हमारी तरह दूसरे लोगों ने भी स्थिति के इस नग्न रूप का अनुभव किया है और भारतीय मानव महासागर के इस भ्रमात्मक सन्तोष के पीछे से एक भयानक आँधी उठ पड़नेवाली है। हमने केवल एक खतरे का निशान लटका दिया है उनलोगों के लिये जो इस बात से बेखबर हैं कि उनके सामने भारी खतरा है, बढ़े चले जा रहे हैं। हमने केवल यह चेतावनी दी है कि अहिंसा के, स्वर्णयुग के उपकरण के, दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं। तरुण पीढ़ी ने अहिंसा की व्यर्थता का इतना गहरा अनुभव किया है कि अब उसके विषय में रंचमात्र भी सन्देह नहीं रह गया है। हम मानवता के हित में गहरी निष्ठा रखते हैं और प्रेम से उद्वेलित होकर ही हमने चेतावनी देने का यह रास्ता अपनाया है जिसमें आनेवाले भयानक विनाश एवं तज्जन्य शोक का सामना नहीं करना पड़े।

अबतक हमने उन शिकायतों का ही विवेचन किया है जिनसे इस कांड को प्रेरणा मिली है। अब हम अपने उद्देश्यों को पूरा-पूरा व्यक्त करना आवश्यक समझते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उनलोगों के प्रति जो थोड़ा बहुत आहत हुए, हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता या घृणा नहीं है। विधान-सभा के किसी एक या दूसरे सदस्य के प्रति भी हमारी कोई शत्रुता नहीं। उलटे हम फिर यह दुहराना चाहेंगे कि हम मानव जीवन को अकथनीय रूप से पवित्र समझते हैं और मानवता की सेवा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करना हम अपने लिए परम सौभाग्य की बात मानेंगे। किसी को आहत करने का प्रश्न बिल्कुल ही नहीं उठता। हम भाड़े के सैनिक नहीं हैं। भाड़े के सैनिकों को लोगों को बिना किसी अनुपात के वध करने को सिखाया जाता है किन्तु हम मानव जीवन का आदर करते हैं और यथासम्भव उसकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद हमने एसेम्बली में बम चलाया इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

काल्पनिक या अनुमानजन्य स्थितियों अथवा स्थापनाओं में गए बिना हमारी कार्रवाई के परिणामों से ही हमारे उद्देश्यों के सन्दर्भ में अनुमान करना चाहिये। सरकारी विशेषज्ञों के साक्ष्य के बावजूद एसेम्बली में बम फूटने से एक खाली बेंच को थोड़ी क्षति पहुँची और आधे दर्जन से भी कम लोग थोड़ा आहत हुए। सरकारी विशेषज्ञ ने इस क्षति को निरर्थक बताया है। किन्तु इस अल्प क्षति के परिणाम में हमें किंचित् वैज्ञानिक संकेत दीख पड़ता है। पहली बात यह कि विस्फोट खाली जगह में हुआ जहाँ डेस्क, बेंच और टेबुल रखे हुए थे। दूसरी बात यह कि विस्फोट से केवल दो फीट दूर बैठे हुए लोगों को या तो बिल्कुल ही चोट नहीं लगी या बहुत थोड़ी चोट आई। इससे प्रमाणित होता है कि किसी को सांघातिक चोट पहुँचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमने जान-बूझकर बम को ऐसी जगह पर फेंका था जिसमें किसी को चोट नहीं पहुँचे।

अन्त में हमने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया। हमने जो कुछ किया उसके लिये सजा भोगने के लिये तैयार हैं, साथ ही हम साम्राज्यवादी लुटेरों को यह कह देना चाहते हैं कि लोगों की हत्या करके वे कभी भी सजीव विचारों की हत्या नहीं कर सकेंगे। हम दो व्यक्तियों को मारकर सम्पूर्ण राष्ट्र को दबाया नहीं जा सकता। क्या अध्यादेशों एवं पब्लिक सेफ्टी बिलों से भारत में स्वतन्त्रता की आग को बुझाना सम्भव है? वेबुनियाद आरोप, नजरबन्दी,

फाँसी की सजा और लूटपाट से क्रान्ति का आदर्श तथा प्रगति रोकी नहीं जा सकती किन्तु यदि सामयिक चेतावनी की ओर हम बहरे नहीं बने रहें तो इससे जन-धन की हानि एवं जनता का दुःख कम करने में कुछ सहायता मिल सकती है। हमने ऐसी ही सामयिक चेतावनी देने का संकल्प किया था और इस प्रकार उसे पूरा किया है।

हमसे अदालत में पूछा गया था कि क्रान्ति का अर्थ क्या है ? क्रान्ति का सही अर्थ किसी की हत्या करना नहीं। क्रान्ति व्यक्तिगत प्रतिहिंसा की अनुमति नहीं देती। क्रान्ति का मार्ग बम और पिस्तौल का मार्ग नहीं। हमारे अनुसार क्रान्ति वर्तमान आर्थिक और सामाजिक ढाँचा को, जो स्पष्टतः अन्याय पर आधारित है, बदलना है। सर्वहारा समाज में उत्पादक सबसे प्रमुख कारक होता है किन्तु उसके अधिपति उसका शोषण करते हैं और उसे अपने श्रम का न्यायोचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। दूसरे लोग उसे झपट लेते हैं और सर्वहारा मूल अधिकारों से वंचित रह जाता है। एक ओर किसान जो सबके लिये अन्न उपजाता है अपने परिवार सहित भूखों मरता है, जुलाहा जो सारी दुनिया के लिए कपड़ा बुनता है, उसे उसके परिवार सहित भरदेह कपड़ा नहीं मिलता। बढ़ई, लोहार, मिस्त्री जो बड़े-बड़े महल बनाते हैं, गन्दी झोपड़ियों में सड़ते और मरते रहते हैं। दूसरी ओर लूट करनेवाले पूँजीवादी जो समाज की जोंक हैं, मनमाने ढंग से करोड़ों-करोड़ रुपया बर्बाद करते हैं। यह विषमता एवं सुविधा प्राप्त करने में भारी भेद समाज को विनाश के खड्ड की ओर लिये जा रहा है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान सामाजिक ढाँचा ज्वालामुखी की चोटी पर बैठकर जशन मना रहा है। यदि इस सभ्यता की सम्पूर्ण विराट संरचना की समय पर रक्षा नहीं की जा सकी तो वह गिरकर चूर-चूर हो जायगी।

अतः आज आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए जो चैतन्य हैं उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे समाज को समाजवादी सिद्धान्तों के आधार पर पुनर्गठित करें। जबतक ऐसा नहीं होता और इस दुनिया में साम्राज्य के नाम पर मानव का मानव के द्वारा और राष्ट्र का राष्ट्र के द्वारा शोषण नहीं निर्मूल किया जाता तबतक मृत्यु का यह ताण्डव रोका नहीं जा सकता और युद्ध नहीं होने देने की सभी लम्बी-लम्बी बातों एवं नये युग के प्रभात की स्वर्ण कल्पना मात्र नग्न आत्म प्रवंचना है।

क्रान्ति से हमारा तात्पर्य है एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें मानव शोषण के भय से हमेशा मुक्त होगा और जिसमें जनता की संप्रभुता सुदृढ़ता के साथ सुरक्षित होगी।

हम इसी आदर्शवाद के उपासक हैं और इस विचारधारा से अनुप्रेरित होकर हमने न्याय पर बल देने के हेतु यह चेतावनी दी है। यदि हमारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया जाता और यदि वर्तमान शासन-व्यवस्था प्राकृतिक शक्तियों के उमड़ते ज्वार के मध्य अधिरोध बनी रहती है तो एक भयानक युद्ध भड़क पड़ना अनिवार्य है। इस युद्ध में किसी बात की रोक नहीं होगी, सभी बाँध एवं बन्धन निर्मूल हो जायंगे, जनता की संप्रभुता स्थापित होगी और शांति के आदर्शों की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त होगा, क्रान्ति मानवता का अटल अधिकार है। स्वतन्त्रता सबों का जन्मसिद्ध अधिकार है। सर्वहारा समाज का वास्तविक अनुपोषक है। सर्वहारा का अन्तिम लक्ष्य जनता की संप्रभुता है। इस आदर्श और आस्था को हासिल करने में हम सभी कुछ खुशी के साथ सहेंगे। हम क्रान्ति की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति चढ़ाने आए हैं, तरुणाई की दीप्ति से उसे आलोकित करना चाहते हैं। इस महान आदर्श की प्राप्ति के हेतु कोई भी बलिदान अत्यधिक नहीं कहा जा सकता। हमें पूर्ण सन्तोष है। हम क्रान्ति के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। क्रान्ति चिरंजीवी हो !!![1]

एसेम्बली भवन में बम विस्फोट (१९२९) : बिहार में उसकी प्रतिक्रिया :

एसेम्बली भवन में बम विस्फोट का भारत में सर्वत्र प्रभाव हुआ।

पटना में श्री भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र सहित एक इश्तहार की प्रतियाँ बिकीं। इसके लेखक सम्भवतः प्रोफेसर ज्ञान साहा थे और उसका मूल्य हर प्रति एक आना था। १७ अगस्त, १९२९ की रात में पटना में कुछ स्थानों पर निम्नलिखित दो बिल्ले चिपकाए गये। ये बिल्ले छज्जूबाग और बड़ा डाकखाना के फाटक पर भी चिपकाए गए : (१) एक बड़ा इश्तहार इस शीर्षक से—"भूख हड़तालियों के प्रति सहानुभूति दिखलाओ, रक्षा-कोष के हेतु चन्दा दो।"

---

१. श्री बटुकेश्वर दत्त द्वारा प्रस्तुत "प्रताप" के एक अंक में प्रकाशित वक्तव्य।

(२) एक छोटा इश्तहार इन शब्दों के साथ—"प्रत्येक राष्ट्र को दमन एवं अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है।"[१]

सरकार प्रोफेसर ज्ञान साहा को "अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी" समझती थी। सरकार की दृष्टि में श्री साहा "पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के हेतु आतंकवाद का समर्थन करते थे।" श्री साहा पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता श्री मणीन्द्र नारायण राय, बिहार नेशनल कॉलेज के प्राध्यापक और हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसियेशन की पंजाब शाखा के नेता श्री जयचंद्र विद्यालंकार के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे। नई हिंसावादी पार्टी के एक प्रमुख नेता श्री एम० एन० राय १९२९ में पटना आए। पुलिस को सन्देह था कि श्री राय ने प्रोफेसर ज्ञान साहा के साथ गुप्त बातचीत की थी। अगस्त, १९२९ में श्री राय ने पटना में मैजिक लालटेन की सहायता से भारत के प्राचीन वैभव की तुलना में वर्तमान गरीबी तथा अंगरेज ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों की क्रूरताओं पर भाषण किया। इसके लिये श्री राय को १७ अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर उन्हें छोड़ दिया गया था।[२]

लाहौर षड़यन्त्र केस और राजबन्दियों की भूख हड़ताल :

इस बीच पंजाब पुलिस ने कई लोगों पर सरकार के विरुद्ध षड्यन्त्र करने का अभियोग लगाया एवं उनपर मुकदमा चलाया। इनमें श्री भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी थे। इन दोनों के विषय में सरकार की ओर से आरोप लगाया गया था कि इन्होंने देश भर में आतंकवादी षड्यन्त्र का संगठन किया था। यह मुकदमा लाहौर षड्यन्त्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत में इस पर अनेक लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। जेल में अभियुक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किये जाने के विरोध में अभियुक्त बन्दी भूख हड़ताल कर रहे थे। उनकी सहानुभूति में अन्य स्थानों पर भी अनेक राजनैतिक बन्दी भूख हड़ताल कर रहे थे। श्री भगत सिंह और श्री बटुकेश्वर दत्त १३ सप्ताहों तक भूख हड़ताल करते रहे। १३ सितम्बर को श्री यतीन्द्रनाथ दास की भूख हड़ताल के चौसठवें दिन मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से देश को भारी धक्का लगा। "पिछले अनेक वर्षों से अन्य

१. पटना पुलिस रिपोर्ट, १९ अगस्त, १९२९।
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १३ अगस्त और २७ अगस्त, १९२९।

किसी घटना ने जनचेतना का इतना अधिक स्पर्श नहीं किया था। देश भर में इसके विरोध में विराट् प्रदर्शन हुए।"[१]

श्री यतीन्द्रनाथ दास का शव हावड़ा ले जाये जाते समय जब गया से गुजरा तो एक सरकारी रिपोर्ट[२] के अनुसार लगभग २००० लोग रेलवे स्टेशन पर जमा हो गये और वहाँ एक सहानुभूतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। बिहार के लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण नगर में प्रदर्शन हुआ। २४ सितम्बर को क्रान्तिकारी शहीद की सहानुभूति में पटना में एक जुलूस निकाला गया।[३] सरकार ने राजनैतिक बन्दियों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाय इस प्रश्न पर विचार करने के हेतु एक समिति नियुक्त की। उसके विचारविमर्श के परिणामस्वरूप कुछ नये नियम बनाये गये। इनके अतिरिक्त राजनैतिक बन्दियों की तीन श्रेणी निर्धारित की गई। किन्तु इससे जेल के भीतर की अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ।

लॉर्ड इरविन की घोषणा (१९२९):

सारे देश में जागरण की एक लहर फैल रही थी और घटना-क्रम धीरे-धीरे तीव्र हो रहा था, जान पड़ता था मानो अपनी ही किसी प्रेरक शक्ति से उद्वेलित होकर।[४] ध्यातव्य है कि वे "संकट के दिन थे जब लोगों का मर्म-स्पर्श करनेवाले प्रश्न सामने होते हैं"।[५] वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंगलैण्ड से ब्रितानी सरकार से विचार-विमर्श करके भारत लौटने पर ३१ अक्तूबर, १९२९ को निम्नलिखित घोषणा की:

"१९१९ का विधान बनाने में ब्रितानी सरकार के इरादों की व्याख्या के सन्दर्भ में ब्रिटेन और भारत में जो सन्देह व्यक्त किये गये हैं उनको ध्यान में रखकर ब्रितानी सरकार की ओर से मुझे यह स्पष्ट रूप से कहने का आदेश दिया गया है कि १९१७ की घोषणा में ही यह अन्तर्निहित है कि भारत की संवैधानिक प्रगति का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति है।" इस घोषणा में यह भी कहा गया था कि भारतीय सांविधिक आयोग

१. कांग्रेस सचिवों की १९२९ के लिये रिपोर्ट।
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, सितम्बर उत्तरार्द्ध, १९२९।
३. वही।
४. नेहरू, आटोबायोग्राफी, पृष्ठ १९५।
५. महामहिम वायसराय का ३१ अक्तूबर, १९२९ का वक्तव्य।

(इण्डियन स्टैच्युटरी कमीशन) और भारतीय केन्द्रीय समिति (इण्डियन सेन्ट्रल कमिटी) की रिपोर्टों के प्रकाशन के उपरान्त ब्रितानी राजनेताओं तथा ब्रितानी भारत की विभिन्न पार्टियों एवं देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन लन्दन में भारत के भावी संविधान पर विचार-विमर्श करने एवं उसकी रूपरेखा निर्धारित करने के हेतु बुलाया जायगा।

दिल्ली घोषणा-पत्र :

इस घोषणा के तुरत बाद दिल्ली में अध्यक्ष पटेल के आवास पर एक नेता सम्मेलन पहली नवम्बर को बुलाया गया। विभिन्न दलों एवं गुटों के नेता एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी करने को सहमत हुए।[1] "वायसराय की घोषणा में जो सदाशयता" प्रतीत हो रही थी उन्होंने उसकी प्रशंसा की और आशा प्रकट की कि वे "भारत की आशाओं के अनुरूप औपनिवेशिक स्वराज्य की एक योजना तैयार करने को ब्रितानी सरकार के प्रयत्नों में सहयोग" प्रदान कर सकेंगे किन्तु इसके साथ ही उन्होंने कुछ शर्त्तों का भी उल्लेख किया जो अत्यन्त आवश्यक थीं एवं देश के सभी प्रमुख संगठनों का सहयोग प्राप्त करने तथा विश्वास दिलाने के हेतु उनकी पूर्त्ति की जानी चाहिये थी। ये शर्त्तें निम्नलिखित थीं :—

१. "प्रस्तावित सम्मेलन में भारत के लिए पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर बातचीत हो।
२. सम्मेलन में कांग्रेस का सर्वोपरि प्रतिनिधित्व होना चाहिये।
३. राजनैतिक बन्दियों की आम रिहाई।
४. अब से भारत का प्रशासन यथासम्भव वर्तमान स्थितियों के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर चलाया जाय।"

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक इलाहाबाद में १६ नवम्बर, १९२९ से शुरू हुई। इसमें यह स्वीकृत हुआ कि दिल्ली घोषणा-पत्र की उनकी सम्पुष्टि "संवैधानिक रूप से कांग्रेस के आगामी अधिवेशन होने तक ही लागू रहेगी।"

---

१. श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे "समझौतावादी प्रस्ताव" कहा है। पहले वे उसपर सहमत नहीं थे किन्तु बाद में उन्होंने भी उसपर हस्ताक्षर कर दिये। श्री सुभाषचन्द्र बोस, डॉ० किचलू और अब्दुल बारी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। बिहार से घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों में श्री जगतनारायण लाल तथा सैयद महमूद थे।

किन्तु इंगलैण्ड के कुछ प्रमुख राजनेताओं तथा कुछ समाचार-पत्रों के कठोर रवैया के कारण शीघ्र ही सारी आशा धूल में मिल गई। वायसराय की घोषणा पर वहाँ विरोध का तूफान खड़ा हो गया और लेबर सरकार की भारतीय नीति की जबर्दस्त आलोचना की जाने लगी।[१] लाहौर कांग्रेस के ठीक पहले सरकार और कांग्रेस के मध्य किसी तरह का सुलह-समझौता कराने का प्रयत्न गांधी जी, पंडित मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस अध्यक्ष, पटेल, तेजबहादुर सप्रू और श्री जिन्ना की नई दिल्ली में २३ दिसम्बर को वायसराय के साथ हुई भेंट में किया गया। सम्मेलन औपनिवेशिक स्वराज्य के सवाल पर भंग हो गया। एक सरकारी विज्ञप्ति में यह कहा गया कि वायसराय या ब्रितानी सरकार के लिए "सम्मेलन को पहले से ही प्रतिबद्ध करना अथवा संसद् की स्वतन्त्रता को अवरुद्ध करना, सम्भव नहीं था।"

बिहार प्रान्तीय सम्मेलन :

राष्ट्रवादी भारत आगे बढ़ने को कृतसंकल्प था। बिहार में यह उत्साह विशेष रूप से प्रतिलक्षित हो रहा था। बिहार प्रान्तीय सम्मेलन का अट्ठाइसवाँ सम्मेलन मुंगेर में ६ दिसम्बर, १६२६ को हुआ। मनोनीत सभापति, श्री राजेन्द्र प्रसाद की अनुपस्थिति में श्री रामदयालु सिंह ने अध्यक्षीय भाषण का हिन्दी अनुवाद पढ़कर सुनाया। सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था यद्यपि कुछ वरीय लोग जबतक इस विषय पर कांग्रेस निर्णय नहीं ले लेती तबतक प्रतीक्षा करने के पक्ष में थे।

श्री विश्वनाथ मिश्र ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया : यह सम्मेलन कांग्रेस कार्यकारिणी की इलाहाबाद वाली बैठक में वायसराय के ३१ अक्तूबर की घोषणा के सम्बन्ध में स्वीकृत प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता है और प्रान्त की जनता को, यदि आगामी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पिछले कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार सामूहिक सविनय अवज्ञा शुरू करने का निर्णय किया जाता है तो उसके लिए तैयार रहने की सलाह देता है।" श्री रामकृष्ण शर्मा ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया : "यह सम्मेलन वायसराय के ३१ अक्तूबर की घोषणा को न केवल खोखली बल्कि जनता को भ्रम में डालनेवाली समझता है। ब्रितानी संसद् में इस

---

१. द इन्डियन क्वार्टरली रजिस्टर, १९२९, खंड-२, पृष्ठ ४४१-४५४।

विषय पर जो बहस हुई है उसे देखते हुए यह धारणा और भी पक्की होती है। यह सम्मेलन लाहौर कांग्रेस को अनुशंसा करती है कि १ जनवरी, १९३० को वह अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता घोषित कर दे। सम्मेलन प्रांत की जनता को सामूहिक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार रहने को आह्वान करता है।" तीन घण्टों की लम्बी एवं गरमागरम बहस के बाद संशोधन १०३ के विरुद्ध १४९ मतों से स्वीकृत हो गया।[1]

सरदार पटेल की बिहार यात्रा और उसका महत्त्व :

इस सम्मेलन में सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे। उन्होंने बिहार प्रान्त की यात्रा की। जनता को कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित करने तथा अवश्यम्भावी संघर्ष के हेतु तैयार रहने का आह्वान किया।

सरदार पटेल ने बारदोली के वीर किसानों का उदाहरण देते हुए बिहार के किसानों से कहा कि "अपने मन से डर हटा दो,—जमीन्दार का डर, सरकार का डर, जेल या मृत्यु का डर"। श्री पटेल ने कहा, "मैं चाहता हूँ कि आप में जमीन्दार को "नहीं" कहने को तैयार रहने तथा उसका परिणाम भोगने का साहस हो और उसके लिए मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि पहली और अन्तिम वस्तु निर्भीकता है"। गया में जिला के कुछ किसान उनसे मिले और दानाबन्दी प्रथा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की गैरकानूनी वसूली की शिकायत की। श्री पटेल ने इस सारी समस्या की जाँच करने तथा समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया और कहा कि समिति की रिपोर्ट मिलने पर और अधिक सुझाव देंगे। एक अन्य स्थानीय शिकायत साम्प्रदायिक दंगा रोकने के बहाने अतिरिक्त पुलिस दल बैठाये जाने के लिए गया के प्रत्येक वयस्क पुरुष पर दण्डात्मक कर लगाये जाने की थी। इस पर सरदार बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने लोगों से कहा कि उसे नहीं दें। सरदार ने कहा, "यदि आप में रंचमात्र भी स्वाभिमान है तो आप यह कर चुकाने से इन्कार कर दें। इस कर को चुकाना यह स्वीकार करना होगा कि आप सभी बदमाश हैं"। उन्होंने किसानों से कहा कि स्वराज्य का अर्थ उनकी दृष्टि में न्यस्त स्वार्थों को कायम रखना नहीं था। श्री पटेल के अनुसार स्वराज्य वास्तव में किसानों के नैतिक एवं भौतिक कल्याण का हर तरह से संवर्द्धन करेगा। सरकार की बिहार यात्रा का किसानों पर कितना प्रभाव

१. वही, पृष्ठ ३६९।

हुआ इस सम्बन्ध में श्री महादेव देसाई के ये शब्द उल्लेखनीय हैं : "सरदार ने बिहार के किसानों का हृदय इस तरह जीत लिया है कि यदि भविष्य में यहाँ के कुछ पीड़ित किसान अपने संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए उन्हें बुलावें तो इस पर मुझे आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने वचन दिया है कि ऐसी पुकार होने पर वे अवश्य ही आवेंगे यदि उन्हें बुलानेवाले दो शर्त्तें पूरी करेंगे। एक शर्त्त यह है कि वे निर्भीक हों और दूसरी यह कि वे पर्दा प्रथा समाप्त कर दें।" अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमन्त्रण पर भागलपुर कॉलेज गये और वहाँ एक घण्टा ठहरे। उन्होंने किसान समुदाय के प्रति छात्रों के कर्त्तव्य पर प्रकाश डाला, अहिंसा पर उनसे कुछ बोलने को कहा गया। इस पर उन्होंने कहा : "यदि अहिंसा का सन्देश केवल शब्द में ही देना हो तो मैं नहीं समझता कि गांधी जी के इतना उस पर कोई बोल सकता है। अहिंसा का सन्देश और शिक्षा वही लोग दे सकते हैं जो उस पर अमल करते हैं। उस पर कुछ कहने का प्रयत्न करने के बदले मैं आपसे "यंग इण्डिया" और "नवजीवन" के पन्ने उलटने को कहूँगा। मैं अहिंसा को शायद ही ठीक-ठीक समझा सकूँ क्योंकि यद्यपि मैं उसमें निष्ठा रखता हूँ फिर भी वह मेरे जीवन का अंश नहीं है। मैं किसान हूँ और जानता हूँ कि मेरी वाणी में काफी हिंसा वर्त्तमान है और वाणी, हृदय में जो कुछ होता रहता है, उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। किन्तु यदि आप मेरी राय चाहते हैं तो मैं जोर देकर आपसे कह सकता हूँ कि दुनिया में अहिंसा से बढ़कर और कोई बड़ी शक्ति नहीं तथा अहिंसा का मन, वचन और कर्म से अनुपालन करने-वाले से बढ़कर दूसरा कोई वीर नहीं। शायद आप जानते हैं कि कुछ सुविख्यात लोगों ने यह स्वीकार किया है कि गांधी जी द्वारा प्रदर्शित साहस से बढ़कर कोई अधिक उत्तम साहस नहीं। मेरे लिए उच्चतर स्तर पर अहिंसा पर बात करना हिमाकत होगा किन्तु मैंने अहिंसा का संदेश दिया है और उसपर अमल किया है तथा सामान्य स्तर पर बारदोली के किसानों से अहिंसा पर अमल कराया है। इस अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि उसकी क्षमता या विभूति की जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अन्य देशों में हिंसा का इतिहास पढ़ें और उससे हासिल परिणामों का आकलन करें। मैं चाहता हूँ कि आप इसपर सोचें कि हमने अपने देश में जहाँतक संभव था, हिंसा की नीति पर चलकर क्या खोया है और कितना कम हासिल किया है। अहिंसा कायरों की विभूति

नहीं। यह वीर जनों की विशेषता है और कायर होने से अच्छा होगा कि आप बहादुर बनें हिंसा का खतरा उठाकर किन्तु याद रखें कि अविचारित, असंगठित हिंसा से कोई काम नहीं होता और इस देश में संगठित हिंसा संभव है। आपके प्राध्यापक एवं पुस्तकें यदि वे चाहें भी तो दोनों में से एक की भी शिक्षा आपको नहीं दे सकतीं और यदि आप उन्हें सीख भी लें तो मैंने आपसे कहा है कि एक से कोई लाभ नहीं हो सकता और दूसरा संभव ही नहीं। इसलिए आप अहिंसा के मसीहा से उस सिद्धान्त का संदेश लें और अपने जीवन में यथासंभव उसपर अमल करने का यत्न करें।"

बिहार नौजवान सम्मेलन (१९२९) :

बिहार नौजवान सम्मेलन मुंगेर में १२ दिसम्बर, १९२९ को हुआ। श्री सुभाष बाबू की अनुपस्थिति में पंडित प्रजापति मिश्र ने इसकी अध्यक्षता की। श्री मिश्र ने नौजवानों के खद्दर पहनने पर विशेष बल दिया। सम्मेलन में कई प्रस्ताव स्वीकृत हुए। उनमें प्रांत के नवयुवकों के नए उत्साह की स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्ति थी। एक प्रस्ताव में कहा गया था कि "भारत का लक्ष्य स्वाधीनता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता था"।[1]

१९३० के फरबरी में बिहारशरीफ में युवक संघ की एक शाखा खोलने का प्रयत्न किया गया। इसमें नालन्दा कॉलेज के छात्रों ने प्रमुख भाग लिया।[2] बिहारशरीफ के अनुमंडलाधिकारी को इस संदर्भ में "कॉलेज पर नजर रखने" के आदेश दिए गए।

बिहार युवक संघ की स्थापना :

मोतिहारी में १९२८ में बिहारी छात्र सम्मेलन के अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी। उसके सचिव, प्रोफेसर ज्ञान साहा (हिन्दुस्तानी सेवा दल के भी सचिव) ने उसके संगठन एवं उद्देश्यों को इन शब्दों में व्यक्त किया। "हम सत्य पर खड़े हैं। सेवा हमारा धर्म है और हमें आजादी हासिल करनी है। हम असत्य या अयथार्थ से किसी तरह का सुलह-समझौता नहीं करेंगे। हम किसी तरह के भ्रम आच्छादन का सहन नहीं करेंगे। हमें आस्था, पूर्ण आशा एवं सच्ची निष्ठा के साथ मानवता की

१. द इन्डियन क्वार्टरली रजिस्टर, १९२९, खंड-२, पृष्ठ ४०५।
२. बिहार-उड़ीसा पुलिस ऐब्सट्रैक्ट ऑफ इन्टेलिजेंस. १५ फरबरी, १९३०, खड-२ अंक ७।

सेवा करनी है। हमारा उद्देश्य सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता हासिल करना है। हम चिन्तन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामान्य जनहित के हेतु काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। संघ अपने सदस्यों में आत्मशुद्धि, सरलता, निर्भीकता, समता, भ्रातृत्व, श्रम की मर्यादा तथा अनुशासन की भावना भरे। कोई भी व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, यदि वह १८ वर्ष से अधिक उम्र का है और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के आदर्श में विश्वास करता है तथा खादी पहनता है, छुआछूत नहीं मानता है और किसी साम्प्रदायिक संगठन का सदस्य नहीं है तो वह संघ का सदस्य बन सकता है"।[१] श्री साहा ने १० अप्रिल, १९२९ को जनता के नाम एक अपील जारी करके १४ अप्रील को प्रथम नौजवान दिवस मानने का ऐलान किया। इस क्रम में श्री साहा ने कहा कि "देश की उन्मुक्ति युवा शक्ति पर आधारित थी"। पटना युवक संघ ने अपना दूसरा वार्षिक उत्सव २२ सितम्बर, १९२९ को मनाया।

श्री जगत नारायण लाल १४ जुलाई, १९२९ को जेल से रिहा हुए। इस अवसर पर पटना में एक सभा की गई। श्री लाल ने २१ जुलाई को युवक संघ की एक सभा की अध्यक्षता की। उनकी रिहाई के अवसर पर गया में भी एक सभा की गई। इस सभा में डॉ० मुंजे, कुमार गंगानन्द सिंह, श्री राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद भी उपस्थित थे। श्री मुंजे उन दिनों हिन्दू सभा के संबंध में बिहार की यात्रा पर अक्सर आते थे। इस अवसर पर श्री जगत नारायण लाल सहित एक जुलूस निकाली गई थी जो टाउन हॉल में जाकर खत्म हुई।[२] श्री जगत नारायण लाल बिहारशरीफ गए और ४ अगस्त को वहाँ एक सभा में भाषण किया।[३]

कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (१९२९) और स्वाधीनता प्रस्ताव :

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौवालीसवाँ अधिवेशन लाहौर में २९ से ३१ दिसम्बर (१९२९) तक सम्पन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहर-

१. पुलिस रिपोर्ट।
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, जुलाई उत्तरार्द्ध, १९२९।
३. वही, अगस्त पूर्वार्द्ध।

लाल नेहरू ने की। अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वयं प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव निम्नलिखित था :—

"यह कांग्रेस पिछले वर्ष अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार घोषणा करती है कि कांग्रेस-संविधान की धारा १ में स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा और आगे घोषणा करती है कि नेहरू कमीटी रिपोर्ट की सम्पूर्ण योजना अब निरस्त हो चुकी है। यह कांग्रेस आशा करती है कि अब से सभी कांग्रेसजन भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति पर अपना पूरा ध्यान लागाएँगे। स्वाधीनता के लिए अभियान संगठित करने के पहले कदम के रूप में एवं कांग्रेस की नीति को इस प्रकार यथासंभव अनुकूल बनाने के हेतु यह कांग्रेस निर्णय करती है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान मंडलों एवं सरकार द्वारा गठित समितियों का पूर्ण वहिष्कार किया जाए। यह कांग्रेस कांग्रेसकर्मियों तथा दूसरे लोगों से जो राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते रहे हैं, भविष्य में चुनावों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लेने का आह्वान करती है। विधान मंडलों तथा कमीटियों के वर्त्तमान कांग्रेसी सदस्यों को सदस्यता का परित्याग करने का आदेश देती है। यह कांग्रेस राष्ट्र से अपील करती है कि रचनात्मक कार्यक्रम को निष्ठा के साथ कार्यान्वित करे एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी को इसका अधिकार देती है कि वह जहाँ कहीं भी समझे सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करे। उसके अन्तर्गत करबंदी अभियान भी चलाया जा सकता है। आन्दोलन चुने हुए क्षेत्रों में या अन्यत्र यथा-आवश्यक बचावों के सहित शुरू किया जा सकता था"। रात में ठीक १२ बजे भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा, "इन्कलाव जिन्दावाद" "क्रान्ति चिरंजीवी हो" के नारों के बीच फहराया गया। बिहार ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। डॉक्टर सैयद महमूदश्री श्रीप्रकाश के साथ कांग्रेस के सचिव नियुक्त हुए।

मजहरुल हक की मृत्यु :

कांग्रेस के अधिवेशन के बीच ही में बिहार के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्री मजहरुल हक की मृत्यु उनके सारन जिलान्तर्गत फरीदपुर में अपने निवास पर हो गई। यह खबर मिलते ही श्री राजेन्द्र प्रसाद अपने गाँव से फरीदपुर

गए और शोकसंतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान की। पटना में एक विशाल शोक सभा हुई। यह निर्णय किया गया कि श्री हक के नाम पर एक स्मारक बनाया जाए।

गांधी जी ने श्री हक की मृत्यु पर इस प्रकार लिखा, ''मजहरुल हक महान देशभक्त, धर्मनिष्ठ मुसलमान एवं दार्शनिक थे। यद्यपि उनका जीवन ऐशोआराम में बीता था किन्तु असहयोग के दिनों में उन्होंने ऐशोआराम की जिन्दगी त्याग कर सादा जीवन बिताना शुरू किया। श्री हक को यह तपस्वी का जीवन उतना ही अच्छा लगने लगा जितना कि पहले ऐशोआराम का जीवन लगता था। श्री हक हमारे देश में फूट एवं आपसी वैमनस्य से ऊब कर शांति का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस क्रम में वे यथासंभव अलक्षित सेवा करते थे और देश के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। श्री हक बोलने में या काम करने में सर्वथा निर्भीक थे। पटना का सदाकत आश्रम उनके रचनात्मक श्रम का परिणाम है। यद्यपि अपने इरादा के अनुसार उसमें वे बहुत काल तक रहे नहीं किन्तु आश्रम की उनकी धारणा से बिहार विद्यापीठ के लिए एक स्थायी स्थान प्राप्त करना संभव हुआ। अभी भी दोनों सम्प्रदायों को एक सूत्र में बाँधने के हेतु वह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति हमेशा अनुभूत होती रहेगी। देश के इतिहास के इस चौराहे पर उनका अभाव और भी खलेगा। मैं उनकी पत्नी एवं परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं''।

अध्याय २

नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१९३०-३४)

"बिना बलिदान के यदि स्वराज्य हासिल भी होता है तो वह स्थाई नहीं रह सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता बड़ा-से-बड़ा बलिदान करने के हेतु तैयार हो जाय। सच्चे बलिदान में सभी तरह का कष्ट एक ही पक्ष को सहना पड़ता है। सच्चे बलिदानी को बिना दूसरे को मारे हुए स्वयं मरने की कला सीखनी होती है, अपना जीवन खोकर जीवन प्राप्त करना होता है। भगवान करें भारत इस मंत्र के अनुरूप सिद्ध हो।"—महात्मा गाँधी की डंडी यात्रा के अवसर पर (६ अप्रील, १९३०) संदेश।

१९२९ के अन्त तक सारे देश में स्वतंत्रता की अदम्य तृषा जागृत हो चुकी थी। "तदुपरान्त कठिनाइयाँ एक के बाद एक तेजी से आती गईं, शीर्ष विन्दु पर पहुँचती हुई एक नाटक की तरह"।[1] गाँधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का आरम्भ होने से हमारे देश के इतिहास में १९३० एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष—"एक विस्मयकारी वर्ष"—सिद्ध हुआ। बिहार में प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी ने २० जनवरी, १९३० को आगामी २६ जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के हेतु निम्न कार्यक्रम प्रचारित किया।[2] :—

कांग्रेस का स्वाधीनता दिवस (२६ जनवरी, १९३०) समारोह कार्यक्रम :

"(१) सभास्थल पर ठीक ८ बजे सवेरे राष्ट्रीय झंडा उत्तोलित किया जाना चाहिये। संध्या में सभा समाप्त होते ही झंडा उतार लिया जाना चाहिए।

---

१. नेहरू, आॅटोबाॅयोग्राफी, पृष्ठ २०९।

२. द सर्चलाइट, २२ जनवरी, १९३०।

(२) सवेरे झंडोत्तोलन के बाद जनता निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक में लग जाय और एक क्षण भी वर्बाद न करे :—

(क) जहाँतक संभव हो, अधिक-से-अधिक लोगों के घर पर जाएँ तथा कांग्रेस के प्रस्तावों को समझावें और १९३० के लिए सदस्य बनावें।

(ख) खद्दर की फेरी।

(ग) चर्खा चलाना।

(घ) स्वयंसेवक बनाना। उन्हें आदतन खादीधारी होना चाहिए तथा कांग्रेस के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

(ङ) अछूतोद्धार का कार्य अर्थात् मंदिर प्रवेश, कुँओं का स्वच्छन्द उपयोग आदि।

(च) नशाबंदी।

(छ) ठीक ५ बजे संध्या में सभा।

(ज) सभा में कोई प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्त्ता कांग्रेस अध्यक्ष का वक्तव्य धीरे-धीरे एवं स्पष्ट स्वर में उपस्थित जनता को पढ़कर सुनावे। तदुपरान्त हाथ उठाकर उसपर सभा की राय ली जाय कि कितने लोग उस घोषणा का समर्थन करने को तैयार हैं।

(झ) सभा में भाषण नहीं किया जाय।

(ट) सभा में कितने लोग उपस्थित थे तथा घोषणा के पक्ष में कितने लोगों ने हाथ उठाया, सभा के सामान्य परिवेश एवं दिन भर में कितने रचनात्मक कार्य किये गए इन सबों की सही-सही रिपोर्ट अविलम्ब पटना स्थित प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी के कार्यालय में भेज दी जाय। रिपोर्ट अतिरंजित या अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होनी चाहिए।"

२६ जनवरी, १९३० के स्वाधीनता-दिवस समारोहों के संदर्भ में सरकार ने सभी प्रमंडल आयुक्तों को २१ जनवरी को ही जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के लिए निम्नलिखित आदेश एक परिपत्र में भेज दिया :—

"आम तौर पर कोई रोक नहीं लगाई जाय, उद्देश्य यह है कि अतिवादियों को जनता के समक्ष एक अत्याचारी सरकार के दमन के शहीद के रूप में प्रस्तुत होने का अवसर नहीं मिले। यह भी काम्य नहीं है कि कांग्रेसजनों को यह कहने का बहाना मिले कि उन्हें विशेष राजनैतिक विचार रखने के लिए सताया जा रहा है। स्वाधीनता संकल्प व्यक्त करने के हेतु सभाओं

को एक रेचनकारी प्रक्रिया समझा जाय। बिहार सरकार यह चाहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो जिससे अनावश्यक संघर्ष होने की संभावना हो। किन्तु इस नीति को औचित्य की सीमा से बाहर जाने देना चाहिए यथा सभाओं के लिए लाइसेंस माँगे जाने पर यदि सभा का उद्देश्य ऐसे शब्दों में व्यक्त किया गया हो जो स्पष्ट रूप से राजद्रोहात्मक प्रतीत हो तो लाइसेन्स नहीं दिए जाएँ। कांग्रेस का संदेश समझाने के हेतु सभा करना या जुलूस का सभा में परिणत होना राजद्रोहात्मक नहीं माना जायगा किन्तु ब्रिटेन से संबंध-विच्छेद मनाने के हेतु जुलूस राजद्रोहात्मक मानी जायगी।

ऐसे स्थानों पर जहाँ पुलिस ऐक्ट की धारा ३० के अन्तर्गत आदेश जारी किए गए हों, यदि बिना लाइसेंस के लिए आवेदन किये हुए जुलूस निकालने के प्रयत्न किए जायँ तो उन्हें तुरत भंग कर देना चाहिए। इसके लिए लीगल रिमेम्बरेंसर की एक पहले के पत्र में वर्णित कार्यवाही के अनुसार चेतावनी देना आवश्यक होगा। लाइसेंस निम्नलिखित शर्त्तों के साथ दिया जाए :—

१. जुलूस शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित ढंग से जाएगी, रास्ते में कहीं रुकेगी नहीं।

२. राजद्रोहात्मक नारे, झंडे या और चिह्न नहीं होंगे।

कांग्रेस के स्वाधीनता-प्रस्ताव को देखते हुए "क्रान्ति चिरंजीवी हो," "ब्रिटिश राज्य मुर्दाबाद" या "युनियन जैक मुर्दाबाद" जैसे नारों को लाइसेंस की शर्त्तों का उल्लंघन समझा जाना चाहिए पर "महात्मा गांधी की जय," "स्वाधीनता चिरंजीवी हो" या "साम्राज्यवाद का नाश हो" जैसे नारों पर ध्यान नहीं देना ही अच्छा होगा जबतक कि जुलूस काबू से बाहर या हिंसक नहीं होने लगे। उपर्युक्त बातें मुख्यतः जुलूसों से संबद्ध हैं। सभाओं के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार २६ जनवरी को कांग्रेस के कार्यक्रम में अधिक उग्र भाषण दिए जाने का कोई संकेत नहीं है। किन्तु भाषण देने के हेतु सभाओं के संदर्भ में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि भारत सरकार के पत्र में सार्वजनिक सभाओं में पुलिस को उपस्थित रहने के अधिकार पर प्रकाश डाला गया है। भारत सरकार की नीति के अनुसार सभाओं में जो संवाददाता भेजे जायँ उन्हें पुलिस का पर्याप्त संरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो उनकी मारपीट करें, बिना हिचक के सजा दी जाए।

जहाँ कहीं महत्वपूर्ण भाषण होनेवाले हों उसकी विश्वसनीय रिपोर्ट के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। ऐसे भाषणों में यदि आपत्तिजनक बातें कही गई हों तो उनके आधार पर मुकदमा चलाने की अनुशंसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

सभाओं में तबतक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जबतक कि स्थिति काबू से बाहर जाने का वास्तविक खतरा नहीं उत्पन्न हो या निश्चित रूप से राजद्रोहात्मक कार्रवाइयाँ नहीं लक्षित हों जैसे यूनियन जैक जलाना। यदि ऐसी कार्रवाई को रोकना संभव नहीं हो तो सभा को चेतावनी दी जाए कि वह गैरकानूनी हो गई है और उसे भंग होने का आदेश दिया जाए। किसी भी स्थिति में बिना ऐसी चेतावनी के सभा को भंग करने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार को खेद है कि ये आदेश अनिवार्यतः बहुत स्पष्ट नहीं क्योंकि स्थिति क्या रूप लेगी उसकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं। इस पत्र में मोटे तौर से सरकार जिस नीति पर अमल कराना चाहती है उसका केवल संकेतमात्र किया गया है। यह स्पष्ट है कि किसी भी महत्वपूर्ण जुलूस या सभा के साथ एक विश्वसनीय पदाधिकारी को साथ रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को उपर्युक्त संकेतरेखाओं के अनुसार अपने विवेक से काम लेने का आदेश होना चाहिए। उसे जुलूसों एवं सभाओं के संदर्भ में कानूनी स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। इसका उल्लेख लीगल रिमेम्बरेंसर के दो पत्रों में किया गया है।

भारत सरकार संभवतः यह तुरत जानना चाहेगी कि प्रान्त में स्वाधीनता दिवस कैसे बीता। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण घटना की सूचना तार द्वारा जिला अधिकारियों को सरकार के पास अविलम्ब भेज देना चाहिए। तार गुप्त लिपि में हो या वैसे भी यह जिलाधिकारियों के विवेक पर निर्भर करेगा यदि २७ के दोपहर तक कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है तो यह समझा जाएगा कि कोई अवांछनीय घटना नहीं हुई।''

२६ जनवरी, १९३० को स्वाधीनता दिवस सुरुचिपूर्ण ढंग से मनाया गया। देश भर में ''अनायास प्रदर्शन'' हुए जिनमें लाखों-लाख ग्रामीणों ने स्वतः भाग लिया''। हजारों-हजार लोगों ने पूरे गाम्भीर्य के साथ स्वाधीनता

की प्रतिज्ञा ली ।[1] सरकार के दमन के बावजूद छात्रों ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया और देश भर में अनेक नगरपालिका भवनों पर स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया । इनमें कलकत्ता निगम भी था ।

लाहौर कांग्रेस आदेश के अन्तर्गत विधान मंडलों से सदस्यों का पद-त्याग :

लाहौर कांग्रेस के आदेश के अनुसार विधान मंडलों के कांग्रेसी सदस्यों को सदन की सदस्यता का त्याग करना था । इस आदेश के अन्तर्गत विधान मंडलों के सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी या अन्य निर्वाचित समितियों के सदस्य नहीं बने रह सकते थे । अतः अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी के उन सदस्यों को जिन्होंने कांग्रेस आदेश का उल्लंघन किया था, कांग्रेस की सदस्यता से पद-त्याग करने को कहा गया । बिहार में जनवरी मध्य तक (१९३०) सर्वश्री महेन्द्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर और अनुग्रह नारायण सिंह तथा कुछ अन्य लोगों ने राज्य परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दी थी । विधान सभा के १० कांग्रेसी सदस्यों में से इस समय तक केवल दो अर्थात् सर्वश्री सिद्धेश्वर प्रसाद और नारायण प्रसाद सिंह से इस्तीफा दी थी। बिहार-उड़ीसा विधान परिषद के निम्नलिखित कांग्रेसी सदस्यों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दी थी :

सर्वश्री दीप नारायण सिंह, बलदेव सहाय, जीमूतवाहन सेन, कृष्णबल्लभ सहाय, श्रीकृष्ण सिंह, रामदयालु सिंह, नन्दकिशोर दास, नीलकांत चटर्जी, ब्रजराज सिंह, सत्यनारायण सिंह, राजेन्द्र मिश्र, सिद्धेश्वर प्रसाद, रामचरित्र सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, लिंगराज मिश्र, निरसू नारायण मिश्र, गोदावरी मिश्र, ठाकुर रामनन्दन सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी, गुरु सहाय लाल, हरिबंश सहाय, कैलाश बिहारी लाल, महंथ ईश्वर गिरी, कुमार कालिका सिंह, पंडित गिरीन्द्र मोहन मिश्र, शशिभूषण राय, रामेश्वर राय और रायबहादुर द्वारकानाथ ।[2]

सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने का अहमदाबाद कांग्रेस का प्रस्ताव :

कांग्रेस कार्यकारिणी की एक ऐतिहासिक बैठक अहमदाबाद में १५ फरबरी, १९३० को हुई । इसमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा

१. परिशिष्ट १ ।

२. द सर्चलाइट, २२ जनवरी, १९३० ।

शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और महात्मा गांधी तथा अहिंसा में आस्था रखनेवाले अन्य लोगों को प्राधिकृत किया गया कि वे उसे जब तथा जैसा उचित समझें, आरम्भ करें। महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह से आरम्भ करना चाहते थे। नमक पर सरकार का एकाधिकार था और उसपर वर्ष में ५ आना की दर से कर गरीब-से-गरीब आदमी को भी देना पड़ता था। यह उसकी ३ दिन की आय के बराबर था। गांधी जी की दृष्टि में इस एकाधिकार एवं कर के विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ करना विशेष उपयुक्त था। बिहार का अपना कोई समुद्र तट नहीं इसलिए यहाँ लोग सोड़ा से एक उप-उत्पादन के रूप में नमक बहुत थोड़ा परिमाण में बनाया करते थे। इसलिए राजेन्द्र बाबू ने बिहार में कुछ स्थानों पर सोड़ा से नमक तैयार करने के अतिरिक्त चौकीदारी टैक्स[1] देना बन्द करने से सत्याग्रह आरम्भ करने को गांधी जी की अनुमति माँगी। बिहार में गाँव के हर परिवार को चौकीदारी टैक्स देना पड़ता था। किन्तु गांधी जी ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी, कम-से-कम आरंभिक कदम के रूप में। क्योंकि सरकार इस पर बहुत कठोर दमन करती और यह बहुत संभव था कि चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने पर जो दबाव सरकार की ओर से उसपर पड़ता, जनता उसका सहन करने में असमर्थ रहती।[2]

सत्याग्रह शुरू करने के पहले लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी का पत्र (२ मार्च, १९३०) :

सत्याग्रह शुरू करने के पूर्व गांधी जी ने वायसराय को श्री रेजिनाल्ड रिनौल्ड के हाथों एक पत्र भेजा। यह पत्र भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में ऐतिहासिक महत्व का प्रलेख है। इसमें इस देश में ब्रितानी साम्राज्यवाद ने किस तरह इसका विनाश किया था यह स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत की करोड़ों-करोड़ जनता के लिए आजादी का सही अर्थ क्या हो सकता था यह भी स्पष्ट किया गया था। पत्र इस प्रकार था :—

---

१. परिशिष्ट २।

२. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी एण्ड बिहार, पृष्ठ ८३।

"प्रिय मित्र,

सविनय अवज्ञा आरम्भ करने के पहले और इन वर्षों में जिन खतरों से मैं डर रहा था उन्हें उठाने के पूर्व मैं आपसे मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहता हूँ।

मेरी व्यक्तिगत आस्था सर्वथा स्पष्ट है। मैं किसी भी प्राणी को जानबूझ कर हानि नहीं पहुँचा सकता, मनुष्य को तो बिल्कुल नहीं चाहे उन्होंने मुझे और मेरे लोगों को अधिक-से-अधिक हानि क्यों नहीं पहुँचाई हो। इसलिए यद्यपि भारत पर ब्रितानी शासन को मैं एक अभिशाप मानता हूँ, एक भी अंगरेज को या भारत में उसके किसी वैध हित को क्षति पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं। मुझे गलत नहीं समझा जाए।

यद्यपि मैं भारत में ब्रितानी शासन को एक अभिशाप मानता हूँ पर मेरी दृष्टि में अंगरेज दुनिया के किसी दूसरे लोग से आम तौर पर बुरे नहीं। अनेक अंगरेज मेरे प्रिय मित्र रहे हैं। वस्तुतः, ब्रितानी शासन की बुराइयों के विषय में मैं कुछ अंगरेजों के स्पष्ट तथा साहसपूर्ण लेखों से ही अवगत हुआ हूँ। इन लेखकों ने उस शासन के संबंध में कटु सत्य कहने में हिचकिचाहट नहीं महसूस की।

मैं ब्रितानी शासन को अभिशाप क्यों समझता हूँ ?

इसने भारत की करोड़ों-करोड़ मूक जनता को उत्तरोत्तर कठोर होनेवाली शोषण-नीति एवं व्ययसाध्य सैनिक व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन जिसका भार उठाने में देश कभी समर्थ नहीं हो सकता, के द्वारा कंगाल बना दिया है।

इसने हमें राजनैतिक दृष्टि से गुलाम बना रखा है। हमारी संस्कृति के मूल स्रोत पर इसने आक्रमण किया है। निरस्त्रीकरण की नीति से इसने हमें आध्यात्मिक स्तर पर अत्यन्त हीन बना दिया है। आन्तरिक शक्ति के अभाव में हम लगभग पूर्ण शस्त्रहीनता की स्थिति में रखे जाने के कारण कायर एवं निस्सहाय बन गए हैं।

अपने अनेक देशवासियों के साथ मैंने भी प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलन से किसी समाधान की आशा की थी। किन्तु आपके यह स्पष्ट कर देने पर कि आप हमें इसका आश्वासन नहीं दे सकते कि आप या ब्रितानी मन्त्रिमण्डल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का संकल्प करते हैं

तब गोलमेज सम्मेलन सम्भवतः वह समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकता था जिसके लिए मुखर भारत प्रकट रूप से एवं उसकी करोड़ों-करोड़ मूक जनता अलक्षित रूप से प्यासी है। यह कहना आवश्यक नहीं कि संसद् के निर्णय की पूर्व कल्पना का कोई प्रश्न ही नहीं था। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जिसमें ब्रितानी मन्त्रिमण्डल ने संसद् के निर्णय की प्रतीक्षा में कोई विशेष नीति निर्धारित की हो।

दिल्ली भेंट विफल होने पर पंडित मोतीलाल नेहरू और मेरे लिए १९२८ के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृत कांग्रेस के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के हेतु कदम उठाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था।

किन्तु यदि आपकी घोषणा में व्यक्त औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकृत अर्थ में व्यवहार किया गया होता तो स्वतन्त्रता प्रस्ताव से कोई नुकसान नहीं हो सकता था। क्या दायित्वपूर्ण ब्रितानी राजनेताओं ने यह नहीं स्वीकार किया है कि औपनिवेशिक स्वराज्य वस्तुतः आजादी का ही पर्याय है ? मैं जिस बात से डरता हूँ वह यह है कि निकट भविष्य में भारत को ऐसा औपनिवेशिक स्वराज्य देने का कोई इरादा ही नहीं था।

किन्तु अब तो इन बातों का समय बीत चुका। उस घोषणा के बाद से अनेक उलझनें प्रस्तुत हुई हैं जिनसे ब्रितानी नीति की दिशा स्पष्टतः दीख पड़ रही है।

यह सर्वथा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि दायित्वपूर्ण ब्रितानी राजनेता ब्रितानी नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने की बात नहीं सोचते हैं जिससे भारत के साथ ब्रितानी वाणिज्य पर प्रतिकूल प्रभाब पड़े या वे भारत-ब्रिटेन सम्बन्धों की निरपेक्ष एवं सूक्ष्म जाँच कराने के पक्ष में हों। यदि वर्तमान शोषण नीति को समाप्त करने के हेतु कुछ नहीं किया गया तो चिरवर्द्धमान तेजी के साथ देश का शोषण होता रहेगा। वित्त मन्त्री १ शि० ६ पें० = १ रुपया के अनुपात को निश्चित सत्य मानते हैं। इसके फलस्वरूप भारत से करोड़ों रुपये बाहर चले जायेंगे और जब इसे निरस्त करने के हेतु सविनय रूप में प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का प्रयत्न किया जाता है तो आप भी उसे उस व्यवस्था के नाम पर जो भारत को धूल में मिला रही है, देश के धनी वर्गों से उसे कुचल देने के हेतु सहायता करने की अपील करते हैं।

जबतक राष्ट्र के नाम पर काम करनेवाले स्वतन्त्रता की उत्कट कामना के पीछे कौन से उद्देश्य हैं उसे समझते नहीं और उसे सभी सम्बद्ध लोगों के

समक्ष नहीं रखते तबतक इसका पूरा खतरा है कि यदि वह हमें हासिल भी होगी तो इतना परिवर्तित रूप में जिसका भारत की मूक जनता के लिए कोई मूल्य नहीं रह जायगा। स्वतन्त्रता की आवश्यकता वस्तुतः भारत की करोड़ों-करोड़ मूक जनता के लिए ही सबसे अधिक है और उसी के लिए इसे हासिल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। यही कारण है कि हाल में मैं जनता को यह बताता रहा हूँ कि स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिये।

मैं आपके सामने कुछ मुख्य बातें रखूं :

भू-राजस्व के दुर्वह भार में जो सम्पूर्ण राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग है, स्वतन्त्र भारत में बहुत कुछ परिवर्तन होना चाहिये। दमामी बन्दोवस्त से भी, जिसकी इतनी प्रशंसा की गई है, रैयतों को नहीं, कुछेक धनी जमीन्दारों को ही लाभ होता है। रैयत हमेशा की तरह उतना ही निस्सहाय रहता आया है। जमीन्दार जब चाहे उसे जमीन से बेदखल कर दे सकता है। इतना ही नहीं कि भू-राजस्व को बहुत कम कर देना होगा बल्कि सम्पूर्ण राजस्व व्यवस्था का पुनरीक्षण करना होगा जिसमें रैयत का हित उसका मूल उद्देश्य हो। किन्तु ब्रितानी व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है जिससे कि रैयत के शरीर से रक्त की अन्तिम बूंद निचोड़ ली जाय। नमक जैसे अनिवार्य उपयोग की सामग्री पर भी इस प्रकार कर लगाया गया है जिससे सबसे अधिक भार उस पर पड़े, नमक कर के भार की हृदयहीन निष्पक्षता के कारण ही चाहे यह क्यों नहीं हो। गरीब लोगों पर इस कर का भार और भी अधिक लक्षित होगा जब यह ध्यान में रखा जायगा कि वे धनी लोगों की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से अधिक नमक खाते हैं। नशीले पदार्थों से प्राप्त राजस्व भी अधिकतर गरीबों से ही आता है। इसका पूरा असर उसके स्वास्थ्य एवं नैतिकता दोनों ही पर पड़ता है। इसका समर्थन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के गलत आधार पर किया जाता है किन्तु वास्तविकता यह है कि इसकी सरकार के लिए अपनी उपयोगिता है और इसी के कारण इसे कायम रखा जाता है। १९१९ के सुधारों के प्रवर्तकों ने बड़ी ही चतुराई से इस राजस्व का सारा दायित्व कथित द्वैध शासन के जनता के प्रति जिम्मेवार मन्त्रियों पर डाल दिया था जिसमें नशाबन्दी का दायित्व उन्हीं को उठाना पड़े और इस प्रकार आरम्भ से ही उसे जनता की भलाई करने में अशक्त बना दिया था। यदि बेचारा मन्त्री इस राजस्व को समाप्त कर देता है तो शिक्षा विभाग में कुछ करने के हेतु

उसके साधन समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वर्तमान स्थिति में उसके पास इस राजस्व के बदले दूसरा कोई साधन नहीं है। एक ओर यदि कर का दुर्वह बोझ गरीब जनता को ऊपर से परिशान करता आया है तो दूसरी ओर केन्द्रीय पूरक उद्योगों यथा कताई को विनष्ट कर देने से उसकी सम्पत्ति-उत्पादन की क्षमता पर कुठाराघात हुआ है।

भारत की बर्बादी की कहानी उसके नाम पर जो देयक-भार ग्रहण किये गए हैं उनका उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होती। इनके सम्बन्ध में समाचारपत्रों में हाल में काफी लिखा जा चुका है। स्वतन्त्र भारत का यह कर्त्तव्य होगा कि सभी देयकों की कठोरतम जाँच करावे और किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा जिन्हें अनुचित एवं अन्यायपूर्ण करार दिया जाय उन्हें चुकाना अस्वीकार कर दे।

भारत में विदेशी शासन-व्यवस्था दुनिया में सबसे अधिक व्ययसाध्य है। उपर्युक्त विषमताएँ (कुछ का ही उल्लेख नमूने के तौर पर किया गया है) इस खर्चीली व्यवस्था को कायम रखने के हेतु ही लागू की गई है। आप अपना वेतन ही देखें। आपका वेतन प्रति माह २१,००० रु० से अधिक है। इसके अतिरिक्त और भी कई तरह के भत्ते आदि आपको मिलते हैं। ब्रितानी प्रधान मन्त्री को वार्षिक ५,००० पौंड मिलता है अर्थात् वर्तमान विनिमय दर से ५,४०० रु० प्रति महीने। आपको भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय २ आना प्रति दिन के समक्ष ७०० रु० प्रति दिन की दर से मिलता है जबकि ब्रितानी नागरिक की औसत प्रति व्यक्ति आय २ रु० प्रति दिन के समक्ष उसके प्रधान मन्त्री को औसत १८० रु० प्रति दिन मिलता है। इस प्रकार आपको भारत की औसत आय से ५,००० गुणा से भी अधिक मिलता है जबकि ब्रितानी प्रधान मन्त्री को ब्रिटेन की औसत आय से केवल ९० गुणा अधिक मिलता है। हाथ जोड़कर मैं आपसे इस पर विचार करने को कहूँगा। मैंने एक अत्यन्त कटु सत्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने के हेतु व्यक्तिगत उदाहरण दिया है। व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति मेरे हृदय में असीम आदर है। मैं आपकी भावनाओं पर आघात करना कभी नहीं चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि जितना वेतन आपको मिलता है उसकी आपको आवश्यकता नहीं। सम्भवतः आपका सम्पूर्ण वेतन दान में खर्च होता है किन्तु जो व्यवस्था ऐसा प्रबन्ध करती है वह अविलम्ब समाप्त कर देने योग्य है। वायसराय के वेतन के सम्बन्ध में जो कुछ सही है वही सम्पूर्ण प्रशासन के सम्बन्ध में लागू है।

इसलिए राजस्व में व्यापक कमी करना प्रशासन के व्यय में व्यापक कमी करने पर निर्भर करता है। इसका अर्थ है प्रशासन की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। यह परिवर्तन स्वतन्त्रता हासिल किए बिना संभव नहीं होगा। इसलिए मेरी राय में २६ जनवरी के स्वत: स्फुरित प्रदर्शन का, जिसमें लाखों-लाख ग्रामीणों ने स्वयं ही भाग लिया था, यही कारण था। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ इस प्रणान्तक बोझ से मुक्ति है।

मुझे जान पड़ता है कि एक भी ब्रितानी राजनैतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो भारत की लूट से ब्रिटेन जो लाभ उठाता है उसे छोड़ने को तैयार हो। भले ही भारतीय जनता एक स्वर से इसका विरोध करती हो।

किन्तु यदि भारत को एक राष्ट्र के रूप में जिन्दा रहना है, यदि उसकी जनता को भूखों मरने से रोकना है तो अविलम्ब इसके लिए कोई उपाय ढूँढ़ना होगा। प्रस्तावित सम्मेलन निश्चय ही वह उपाय नहीं है। यह वाद-विवाद के द्वारा विश्वास दिलाने का सवाल नहीं। यह प्रश्न वस्तुत: दोनों ओर कितनी शक्ति है और कहाँतक उनमें समानता है इसपर निर्भर करता है। विश्वास हो या नहीं, ब्रिटेन अपने भारतीय वाणिज्य एवं हितों की रक्षा अपनी पूरी शक्ति के साथ करेगा फलत: भारत को मृत्यु के इस आलिंगन से अपने को मुक्त करने के लिए पर्याप्त शक्ति विकसित करनी होगी।

यह आम बात है कि हिंसावादी पार्टी कितनी भी असंगठित एवं तत्काल के लिए नगण्य हो किन्तु प्रभावी हो रही है और उसके कार्य लक्षित हो रहे हैं। उसका उद्देश्य वही है जो मेरा है। किन्तु मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि भारत की मूक जनता को आकांक्षित राहत उससे नहीं मिल सकती और इसमें मेरी आस्था अधिकाधिक गहरी होती जा रही है कि विशुद्ध अहिंसा के अतिरिक्त ब्रितानी सरकार की संगठित हिंसा को रोकने का दूसरा कोई तरीका नहीं। अनेक लोग सोचते हैं कि अहिंसा क्रियात्मक शक्ति नहीं है किन्तु मैं अपने सीमित अनुभव से कह सकता हूँ कि अहिंसा एक प्रबल क्रियात्मक शक्ति हो सकती है। ब्रितानी शासन की संगठित हिंसात्मक शक्ति के तथा देश में हिंसा की वर्द्धमान पार्टी की असंगठित हिंसात्मक शक्तियों के विरुद्ध उस शक्ति को लगा देना मेरा उद्देश्य है। चुपचाप बैठे रहना उपयुक्त दोनों ही शक्तियों के हाथ में देश को छोड़ देना होगा। मुझे अहिंसा की क्षमता में पूर्ण एवं अटल विश्वास है। अत: मेरे लिए और प्रतीक्षा करना पाप होगा।

यह अहिंसा सविनय अवज्ञा के माध्यम से व्यक्त होगी, तत्काल के लिए सत्याग्रह आश्रम के सदस्यों तक ही सीमित, किन्तु अन्ततः आन्दोलन में सम्मिलित होने के सभी आकांक्षी लोग इसमें भाग ले सकेंगे यद्यपि उसकी स्पष्ट परिसीमाएँ हैं।

मैं जानता हूँ कि आन्दोलन शुरू करने में मैं एक ऐसा कदम उठाऊँगा जिसमें भारी खतरा हो सकता है किन्तु सत्य की विजय बिना खतरा उठाए और अक्सर गम्भीरतम खतरा उठाए बिना नहीं होती। एक ऐसे राष्ट्र का हृदय-परिवर्तन जो अपने से कहीं अधिक बहुसंख्यक, प्राचीन एवं अपने समान ही सुसंस्कृत राष्ट्र का प्राणान्तक शोषण करता रहा है, करना एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए कोई भी खतरा उठाया जा सकता है।

मैंने हृदय परिवर्तन शब्द का जानबूझ कर प्रयोग किया है क्योंकि मैं अहिंसा के माध्यम से ब्रितानी लोगों का हृदय परिवर्तन करना चाहता हूँ जिसमें भारत को उन्होंने जितनी हानि पहुंचाई है यह वे स्वयं समझ सकें। मैं आपके देशवासियों को किसी तरह का नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। मैं उनकी उतनी सेवा करना चाहता हूँ जितनी अपने देश के लोगों की। मेरा विश्वास है कि मैंने हमेशा उनकी सेवा की है। १९३० तक मैं आँखें मूंद कर उनकी सेवा करता रहा किन्तु जब मेरी आँखें खुलीं और मैंने असहयोग की कल्पना की उस समय भी मेरा उद्देश्य उनकी सेवा ही करना था। मैंने उसी उपकरण का व्यवहार किया, जिसे अत्यन्त विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि मैंने अपने परिवार के प्रिय सदस्यों के साथ व्यवहार किया है। यदि अपने लोगों के समान ही आपके देशवासियों के लिए भी मेरे मन में समान प्रेम होगा तो यह बहुत काल तक छिपा नहीं रह सकता। वे अवश्य ही इसे स्वीकार करेंगे जैसे कि मेरे परिवार के लोगों ने कई वर्षों तक मेरी जाँच करने के बाद स्वीकार किया है। यदि मेरी आशा के अनुकूल लोग मेरे साथ चलेंगे और कष्ट सहन करेंगे तो यदि ब्रितानी राष्ट्र जल्द ही अपना वर्तमान हठपूर्ण रवैया नहीं छोड़ देता तो वह पत्थर के हृदयों को पिघला देने को पर्याप्त होगा।

मैंने ऊपर जिन बुराइयों का उल्लेख किया है सविनय अवज्ञा के माध्यम से उनके विरुद्ध संघर्ष करने की योजना है। ऐसी ही बुराइयों के कारण हम ब्रिटेन के साथ अपना संबंध विच्छिन्न करना चाहते हैं। जब ये बुराइयाँ दूर

हो जाती हैं तो हमारा रास्ता सहज हो जाता है। तब सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्त्ताएँ करने की राह खुल जाएगी। यदि भारत के साथ ब्रितानी वाणिज्य से लोभ हट जाता है तो आपको मेरी आजादी को मान्यता देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं आदर के साथ आपसे अनुरोध करता हूँ कि सौहार्द्र एवं स्वेच्छा के साथ मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के आकांक्षी तथा दोनों की समान रूप से अनुकूल सहायता एवं वाणिज्य की व्यवस्था करने को उद्यत दो बराबर फरीकों के मध्य सम्मेलन के लिए मार्ग प्रशस्त करें। आपने साम्प्रदायिक समस्याओं पर व्यर्थ ही बल दिया है। दुर्भाग्यवश ये समस्याएँ इस देश में वर्तमान हैं और महत्त्वपूर्ण भी किन्तु हमारे समक्ष अभी जो वृहत्तर समस्याएँ हैं उनका सम्प्रदायों के व्यक्तिगत हित से कहीं ऊपर स्थान है और सबों को समान रूप से वे प्रभावित करती हैं। किन्तु यदि आप इन बुराइयों से निबटने की कोई आवश्यकता नहीं समझ सकें और मेरे पत्र का आपके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं हो तो इस महीने के ११ तारीख को मैं आश्रम के ऐसे सहकर्मियों के साथ जिन्हें मैं अपने साथ ले चल सकूँगा, नमक कानून का उल्लंघन करने के हेतु प्रस्थान करूँगा। गरीब लोगों की दृष्टि से इस कानून को मैं सबसे अधिक अन्यायपूर्ण समझता हूँ। स्वतंत्रता आन्दोलन देश के सबसे गरीब लोगों के लिए सबसे अधिक जरूरी है इसलिए भी इस अन्यायपूर्ण कानून को भंग करने के कार्यक्रम से ही इसका आरंभ किया जायगा। आश्चर्य की बात यह है कि हम इतने दिनों तक इस कठोर एकाधिकार के सम्मुख झुके रहे। आप मुझे गिरफ्तार करके मेरी योजना खत्म कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी गिरफ्तारी के बाद हजारों-हजार लोग अनुशासित रूप में काम आगे बढ़ाने को तैयार हो जायेंगे और नमक कानून भंग करके उसके अन्तर्गत विहित सजा भोगने को तैयार होंगे। वस्तुतः ऐसे कानून को कभी भी विधि-संहिता में स्थान ही नहीं मिलना चाहिए था।

मैं आपको अनावश्यक उलझन में डालना नहीं चाहता बल्कि जहाँ तक मुझसे संभव होगा, मैं बिल्कुल ही आपको उलझन में नहीं डालना चाहूँगा। यदि मेरे पत्र में आपको कुछ भी तथ्य जान पड़े और आप मेरे साथ बात करने की उपयोगिता समझें या उस उद्देश्य से आप यह चाहें कि मैं इस पत्र को प्रकाशित करना स्थगित रखूँ तो उस आशय का आपका तार पाते ही मैं वैसा ही करूँगा। किन्तु मैं आशा करूँगा कि मेरे मार्ग से मुझे विरत करने

का प्रयत्न नहीं करने का मुझपर आप अनुग्रह करेंगे। यदि इस पत्र में जो कुछ कहा गया है उसके अनुरूप कुछ करना आप उचित समझेंगे तो बात दूसरी है।

यह पत्र धमकी देने के इरादा से नहीं लिखा गया है। यह तो सत्याग्रही के सहज एवं पवित्र कर्त्तव्य की प्रेरणा से लिखा गया है। इसीलिए मैं इसे भारत के एक स्नेही तथा तरुण अंगरेज मित्र के हाथों आपके पास भेज रहा हूँ। उक्त व्यक्ति को अहिंसा में पूर्ण आस्था है तथा मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने उसे विशेष उद्देश्य से इसी काम से मानो मेरे पास भेजा है''।

वायसराय ने इस पत्र का जवाब अविलम्ब दिया। पत्र में गाँधी जी एक ''ऐसी कार्रवाई करने की बात सोच रहे थे जिसमें कानून के उल्लंघन एवं सार्वजनिक शांति के लिए खतरा अनिवार्यतः निहित था'', इसके लिए खेद प्रकट किया गया था। गाँधी जी ने इस पर कहा ''मैंने हाथ जोड़कर रोटी माँगी थी। मुझे उसके बदले पत्थर मिले।''

बिहार सरकार की स्थिति से निबटने के आदेश :

सरकार सविनय अवज्ञा आन्दोलन से निबटने के हेतु तथा उसका निराकरण करने के हेतु पूरा सतर्क थी। ६ मार्च, १९३० को भारत सरकार के गृह सचिव ने बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को एक परिपत्र द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष तथा ऐसे अन्य लोगों के पत्रों को बीच में ही रोकने एवं उनका सेंसर करने का आदेश दिया। इस पत्र के अनुसार भारत सरकार के लिए जो लोग ''सविनय अवज्ञा आन्दोलन संगठित कर रहे हैं उनका विचार एवं योजनाओं के संबंध में यथाशीघ्र एवं पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था''। २२ मार्च, १९३० को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि अहमदाबाद से गाँधी जी के प्रस्थान संबंधी निम्नलिखित फिल्में उनके जिलों में नहीं दिखलाए जायँ :—

''(१) ''महात्मा गाँधीज़ मार्च टू फ्रीडम'', शारदा फिल्म कम्पनी द्वारा दो रीलों में तैयार, २१०० फीट।

(२) ''महात्मा गाँधीज़ हिस्टोरिक मार्च, १२ मार्च, १९३०''–श्रीकृष्ण फिल्म कम्पनी, दो रीलों में, १९९५ फीट।

(३) ''महात्मा गाँधीज़ मार्च, १२ मार्च, अहमदाबाद''—रंजीत फ़िल्म कं०, एक रील, ६६० फीट।

अप्रील में प्रान्तीय सरकार ने अपने अधिकारियों को नई राजनैतिक स्थिति से निबटने के हेतु उन्हें कौन-सी कार्रवाइयाँ करनी चाहियें उसकी रूपरेखा आदेशित की। जिन बातों पर वल दिया गया था वे ये थीं—"(क) सरकार के शत्रुओं को जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के कारण यथासंभव नहीं दिये जायँ"। "(ख) नेताओं के साथ आरंभिक चरण में ही निबटने का महत्व"। "(ग) जबतक लोग अहिंसक रहें तबतक उनके साथ कोई अनावश्यक व्यवहार नहीं किया जाय"। इसके अतिरिक्त आदेशों में कहा गया था कि "नमक कानून तोड़ने के प्रयत्नों का सामना कम-से-कम आरंभिक चरणों में नमक बनाने के गैरकानूनी उपकरणों को जब्त करके किया जा सकता था। इसके लिए सभी संबंधित लोगों पर मुकदमा चलाना आवश्यक नहीं होगा। केवल नेताओं तक ही उसे सीमित रखना उचित होगा।" जेलों में भीड़ लगाना आवश्यक नहीं था।[1]

नमक सत्याग्रह का आरंभ : गाँधीजी की ऐतिहासिक डांडी यात्रा :

गांधी जी ने निर्णय किया कि डांडी पहुँचकर वे नमक कानून भंग करके सत्याग्रह शुरू करेंगे। यह गाँव साबरमती आश्रम से लगभग २०० मील दूर समुद्र के किनारे पर स्थित है। १२ मार्च, १९३० को साढ़े छः बजे सवेरे ७८ स्वयंसेवकों के साथ गांधी जी की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। ये स्वयंसेवक बिहार सहित विभिन्न प्रान्तों से आए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार लिखा : "आज तीर्थयात्री अपने लम्बे पथ पर चल पड़ा। हाथ में लाठी लिए वह गुजरात की धूल भरी सड़कों पर सुदृढ़ कदमों से स्पष्ट दृष्टि से बढ़ रहा है! उसके आस्थावान अनुयायी उसके पीछे चल रहे हैं। अतीत में उसने अनेक यात्राएँ की हैं, अनेक कठिन मार्ग तय किए हैं। किन्तु पहले के मार्गों से कहीं अधिक लम्बी उसकी यह अन्तिम यात्रा है और उसकी राह में अनेकानेक कठिनाइयाँ हैं पर एक दृढ़ संकल्प की आग उसमें प्रज्वलित है और उसके विपन्न देशवासियों का प्रेम उसका सम्बल है, इसके अतिरिक्त सत्य का प्रेम जो उसके हृदय में जल रहा है तथा स्वतंत्रता का प्रेम जिसने उसे प्रेरणा

---

१. भागलपुर के आयुक्त का भागलपुर के जिलाधिकारी को ३ अप्रील, १९३० का पत्र।

दी है। जो भी उसके सामने से गुजरता इनके जादू का अनुभव किए बिना नहीं रह सकता, सामान्य मिट्टी के लोग भी जिनकी चिनगारी का अनुभव करते हैं। यात्रा लम्बी है क्योंकि मंजिल भारत की आजादी तथा उसके करोड़ों-करोड़ लोगों के शोषण का अन्त करना है"।[१]

२१ मार्च को अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी की बैठक अहमदाबाद में हुई। इसमें कांग्रेस कार्यकारिणी का गांधी जी द्वारा एवं उनके नियंत्रण में सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रान्तों को "ऐसी सविनय अवज्ञा जिसे वे उचित समझें एवं उनकी दृष्टि में जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका हो उसके अनुसार संगठित करने एवं शुरू करने" को प्राधिकृत किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी ने लोगों की गिरफ्तारियाँ होने पर आगे की कार्रवाई की योजना भी बनाई। कांग्रेस अध्यक्ष को कमीटी की ओर से काम करने का विशद अधिकार दिया गया। यदि कमीटी की बैठक करना संभव नहीं हो तो कार्यकारिणी के गिरफ्तार सदस्यों के स्थान पर सदस्य मनोनीत करने एवं अपने उत्तराधिकारी उन्हीं अधिकारों के साथ मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। प्रान्तीय एवं स्थानीय कांग्रेस कमीटियों ने भी अपने-अपने अध्यक्षों को वैसा ही अधिकार प्रदान किया।

२४१ मील की दूरी तय करके गांधी जी ५ अप्रील को डांडी पहुँचे। ६ अप्रील राष्ट्रीय सप्ताह का पहला दिन था। उस दिन सवेरे ही डांडी समुद्र तट पर अपने अनुयाइयों के साथ पहुँचकर नमक बनाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण नमक सत्याग्रह के रूप में शुरू हो रहा था। शीघ्र ही उन्होंने एक वक्तव्य में कहा "अब जबकि नमक कानून को तकनीकी या औपचारिक रूप से भंग किया जा चुका है, कोई भी व्यक्ति नमक बनाने को जहाँ भी और जब भी वह चाहे स्वतंत्र है किन्तु उसे नमक कानून के अन्तर्गत सजा पाने के लिए तैयार रहना होगा"। यह मानो राष्ट्र को "नमक कानून के विरुद्ध संग्राम" के द्वारा सत्याग्रह शुरू करने का संकेत था। गांधी जी ने इस समय लिखा, "मैं १९२० के एवं वर्तमान आह्वान का भेद स्पष्ट करना चाहूँगा। १९२० का आह्वान तैयारी का आह्वान था। आज यह अन्तिम संघर्ष में लग पड़ने का आह्वान है"। देश भर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता

१. तेन्दुलकर में उद्धृत, खंड ३, पृष्ठ ३१।

के लिए अहिंसक सत्याग्रह के हेतु प्रचुर उत्साह एवं उद्यतता का वातावरण फैल रहा था। बिहार में देशप्रेम की लहर उल्लेखनीय थी।[1] बड़ी संख्या में कांग्रेस सदस्य बनाए जा रहे थे[2] और प्रान्तीय नेता नई स्थिति का सामना करने के हेतु पूर्णतया तैयार थे।

पटना के आयुक्त ने सरकार को अपनी पाक्षिक रिपोर्ट में लिखा कि "स्वराजी लोग गया नगर में अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार कर रहे थे"। फरवरी और मार्च के महीनों में श्री सरयुग प्रसाद ने नालन्दा कॉलेज के छात्रों की

---

१. राँची के समीप गुमला में ४ फरवरी, १९३० को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। वहाँ उस दिन स्थानीय कचहरी के अहाते में खेलकूद का आयोजन किया गया था। आयोजकों ने इस अवसर पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था किन्तु संध्या में उपायुक्त ने पुलिस की सहायता से झंडा हटवा दिया और "खुले मैदान में उसमें आग लगवा दी"। इसके विरोध में कुछ वकील जो स्पोर्टस् युनियन के सदस्य थे, वहाँ से उठकर चले गये: द सर्चलाइट, १८ फरवरी, १९३०।

२. फरवरी मध्य १९३० तक जिलावार सदस्यों की संख्या निम्नलिखित थी :—

	सदस्यों की संख्या	स्वयंसेवकों की संख्या
१. चम्पारण	१५६८	२०३
२. छपरा	६२५२	१४७
३. दरभंगा	३५०	३५
४. भागलपुर	७७०	...
५. मुंगेर	६५०	...
६. पूर्णियाँ	२००	...
७. संथालपरगना	१५०	...
८. पटना	१६१०	...
९. गया	४००	५४
१०. शाहाबाद	७००	२००
११. हजारीबाग	१४००	...
१२. राँची	१०००	...
१३. मानभूम	३७९	...
१४. पटना नगर	८००	...

द सर्चलाइट, १४ फरवरी, १९३०।

सहायता से बिहारशरीफ में युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया। इसकी ओर पटना के अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट किया गया। शिक्षा विभाग ने स्थानीय अनुमंडलाधिकारी को "इसके लिए नालन्दा कॉलेज पर नजर रखने को कहा क्योंकि शिक्षा विभाग के लिए उस संबंध में कुछ करना मुश्किल था"।[१]

गोमिया के संथालों में सुधार आन्दोलन :

इस संबंध में एक रोचक सुधार आन्दोलन गोमिया के संथालों में बनगम मांझी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। कुछ रहस्यात्मक प्रेरणा से उसने अपने समाज का सुधार करना चाहा। कुछ ही काल में उसके हजारों शिष्य हो गए। उसकी शिक्षा सरल थी। वह अपने शिष्यों को रोज मुँह धोने और नहाने, मद्य-मांस छोड़ने, मिल में बने कपड़ों का व्यवहार नहीं करके केवल खादी पहनने को कहता। इनमें कांग्रेस कार्यक्रम की भी एक-दो महत्वपूर्ण बातें थीं। इसलिए स्थानीय कांग्रेसी नेता, श्री राम नारायण सिंह और कृष्ण बल्लभ सहाय का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। दोनों को धारा १०८ भारतीय दंड प्रक्रिया के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार विरोधी कार्रवाइयों से अलग रहने के हेतु मुचालिका देने को कहा गया। मुचालिका नहीं देने पर दोनों को एक-एक वर्ष की सजा दी गई। प्रमुख नेताओं को सजा मिलने से संथालों के आन्दोलन को और भी बल मिला।[२] संथालों की सभाएँ हर पूर्णमासी की रात में हुआ करती थी। ऐसी एकाधिक सभाओं में सरदार बल्लभ भाई पटेल, श्री राजेन्द्र प्रसाद और मथुरा प्रसाद जैसे प्रमुख कांग्रेसी नेता सम्मिलित हुए। ३१ मई, १९३० को २१० संथालों ने यज्ञोपवीत धारण किया। गोमिया थाना के दारोगा ने अपने अधिकारियों को लिखा कि उस इलाका के संथाल दूसरे लोगों को आन्दोलन में सम्मिलित होने को कह रहे थे।[३]

शाहाबाद में उन दिनों एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार "कांग्रेस की गतिविधि काफी बढ़ गई थी"।[४] भीतरी इलाकों में कई सभाएँ हुईं। १७

१ पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १३ और २७ फरबरी, २ मार्च, १९३०।

२. द सर्चलाइट, १६ फरबरी, १९३०।

३. हजारीबाग में संथाल आन्दोलन पर आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग की टिप्पणी।

४. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २६, फरबरी, १९३०।

फरवरी को अनुमंडलीय कांग्रेस कमीटी मोहनिया में स्थापित की गई। भभुआ नगरपालिका के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष इस कमीटी के संयुक्त सचिव नियुक्त हुए। बिहिया की एक सभा में उपस्थित जनता ने "कुँवर सिंह की जय" के नारे लगाये। सासाराम में आर्य समाज अपने स्थानीय अध्यक्ष श्री भवानीदयाल संन्यासी के नेतृत्व में राजनैतिक गतिविधि में भाग ले रहे थे। संन्यासी जी हाल ही में दक्षिण अफरीका से वापस लौटे थे। उन्होंने भी सविनय अवज्ञा का समर्थन किया। वे जिला कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और उस रूप में कई सभाओं में उन्होंने भाग लिया। ऐसी कुछ सभाएँ सासाराम में ५ मार्च को और आरा में ७ मार्च को हुई थीं। श्री भवानीदयाल संन्यासी को धारा १२४ (क) के अन्तर्गत दो वर्ष सादी कैद और ३०० रु० जुर्माना की सजा दी गई। पटना के आयुक्त तथा अन्य संबंधित सरकारी अधिकारी यह समझ रहे थे कि "आरा और बक्सर अनुमंडलों में चौकीदारी टैक्स बन्द करने का प्रयत्न किया जायगा और चौकीदारी पंचों पर त्यागपत्र देने पर दबाव डाला जायगा"।[1] पटना जिलान्तर्गत बिक्रम थाना के गाँवों में चौकीदारी टैक्स देना बंद करने के प्रयत्न किये गये थे।

छोटानागपुर और मानभूम में पर्याप्त जागरण दीख पड़ा। राँची में स्वाधीनता दिवस को एक विशाल जुलूस निकाला गया। इसमें अन्य लोगों के साथ स्थानीय संस्थाओं के छात्र एवं टानाभगत लोगों ने भाग लिये। सभा ४ बजे शुरू हुई। स्थानीय कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष डा० पी० सी० मित्र ने "वन्देमातरम्" और "भारत माता की जय" के नारों के बीच राष्ट्रीय झंडा फहराया। इस अवसर पर दो राष्ट्रीय गीत गाये गये। ये गीत मुजफ्फरपुर के सूरजदेव नारायण सिंह और कलकत्ता के आर० सन्याल के रचे हुए थे। ये दोनों व्यक्ति उन दिनों नये सरकारी भवन के निर्माण के सिलसिले में वहाँ उपस्थित थे। श्री सिंह ने "क्रान्ति चिरंजीवी हो" और "साम्राज्यवाद के क्षय" के नारे भी लगाये। कई अन्य भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। २८ जनवरी को सीली में झालदा निवासी श्री फणीन्द्र नाथ बोस ने एक सभा आयोजित की। राँची के स्थानीय नेताओं के अतिरिक्त श्री निवारण चन्द्र दासगुप्त, श्री अतुल चन्द्र घोष, श्री राघवाचार्य, रामचन्द्र

---

१. वही, १३ मार्च।

अधिकारी, मथुरा प्रसाद और द्वारका नाथ शर्मा आदि ने राँची और उसके आसपास सभाएँ कीं एवं उनमें भाषण किये (फरबरी–मार्च, १९३०)। इन सभाओं में भुका भगत के नेतृत्व में अनेक टानाभगत भी आया करते थे। भाषणों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए पूर्णतया तैयार रहने को कहा जाता था। ३० मार्च, १९३० के ८ बजे सवेरे राँची की एक सभा में डा० पी० सी० मित्र ने उपस्थित जनता को आगामी सत्याग्रह के कार्यक्रम से अवगत कराया। श्री मित्र हाल ही में कांग्रेस के अधिवेशन से लौटे थे। इस अवसर पर अहमदाबाद में गाँधी जी से उनकी भेंट हुई थी। एक अन्य सभा उसी दिन संध्या में राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाने के हेतु की गई। इसकी अध्यक्षता श्री यतीन्द्र नाथ ठाकुर ने की। इसमें श्री मित्र के अतिरिक्त देवकीनन्दन लाल, गुलाब तिवारी प्रभृति लोगों ने भाषण किया। रामगढ़ के संथाल भी इस सभा में उपस्थित थे। ४ अप्रील, १९३० को राँची के तरुण संघ ने स्थानीय नगरपालिका उद्यान में एक सभा आयोजित की। उसमें स्थानीय विद्यालयों के छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ब्रह्मचर्य विद्यालय के प्राचार्य सत्यानन्द गिरी, क्षितीश चन्द्र बोस और विजय कृष्ण बोस प्रभृति शिक्षक भी उपस्थित थे। सबों ने छात्रों से राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने की अपील की।

बिहार में नमक सत्याग्रह :

६ अप्रिल, १९३० को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई थी। बिहार में इसके लिए पहले से ही भारी उत्साह था। फरबरी, १९३० में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में एक भाषण में राजेन्द्र बाबू ने सविनय अवज्ञा की सम्भावित रूपरेखा बताई। श्री जवाहरलाल नेहरू ने ३१ मार्च से ३ अप्रिल तक प्रान्त का दौरा किया। इससे जनता को अत्यधिक प्रेरणा मिली। अप्रिल के पहले सप्ताह तक यहाँ ५,०० से अधिक कांग्रेस स्वयंसेवक बनाये जा चुके थे और उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही थी। ९ अप्रिल के "सर्चलाइट" में इस आशय की सूचना प्रकाशित हुई :—"एक नई आशा की लहर, एक नई प्रेरणा, एक नये आदर्श की तलाश एवं एक नये बलिदान के रोमांचकारी अनुभव से वातावरण आपूरित है।"

नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चम्पारण और सारन में शुरू किया गया। चम्पारण जिला में १३ व्यक्तियों का पहला जत्था श्री विपिन बिहारी वर्मा,

अध्यक्ष, चम्पारण जिला काँग्रेस कमीटी और चेयरमैन, जिला अभिषद की अध्यक्षता में चला। नगर में उस दिन भारी उत्साह था। राजेन्द्र बाबू ने इस स्वयंसेवकों के पहले जत्था को हार्दिक विदाई दी। रास्ते में जत्था अँखिया, सेमरा, सुगौली, फुलवरिया, माधोपुर, सेनवरिया और जोकरिया में ठहरते हुए ११ अप्रिल को बेतिया पहुँचा। रास्ते भर गाँव के लोग जत्था का हार्दिक स्वागत करते और अनेक लोग उसके साथ हो जाते। जत्था जब बेतिया पहुँचा तो उस समय ३,४०० स्वयंसेवक बन चुके थे। बेतिया की एक सभा में विपिन बिहारी वर्मा ने भाषण किया। उन्हें ५९३ रुपया की थैली दी गई। १५ अप्रिल को चम्पारण जिला के कई स्थानों में नमक कानून भंग किया गया। इनके नाम क्रमशः ये हैं : जोगापट्टी, मोतिहारी, ढाका, सुगौली, गोविन्दगंज, रक्सौल और बेतिया। पुलिस ने विभिन्न थानों के नेताओं को एक ही दिन गिरफ्तार कर लिया। प्रमुख गिरफ्तार लोगों में ये थे : श्री विपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयालु प्रसाद साहु, रामदास प्रसाद आदि। इन सबों को विभिन्न अवधियों की कैद एवं अन्य सजाएँ मिलीं। विपिन बाबू को एक वर्ष सादी कैद की सजा और शेष लोगों को ६-६ महीने की सादी कैद की सजा सुनाई गई। नेताओं की गिरफ्तारी से लोगों का उत्साह और भी बढ़ा। सत्याग्रह के पहले दिन ८० रु० १४ आना का नमक बिका। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में मोतिहारी और बेतिया में हड़ताल रही। १७ अप्रिल को श्री हरवंश सहाय और श्री जयनारायण प्रसाद को गिरफ्तार करके एक वर्ष सादी कैद की सजा दी गई। शीघ्र ही श्री सीता शरण और विश्वनाथ सिंह तथा १४ अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिये गये। सत्याग्रह फिर भी चलता ही रहा। उस इलाके के कुछ अन्य गाँवों में सामूहिक तौर पर नमक बनाया जाने लगा। १९ अप्रिल को लगभग २,००० स्वयंसेवकों ने ५५० स्थानों पर नमक बनाया।

सारन :

सारन जिला के ३ स्थानों—बरेजा, गोरियाकोठी और हाजीपुर नमक कानून भंग करने के लिए चुने गये। इन स्थानों पर ६, ७ और ८ अप्रिल को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरम्भ हुआ। ३ जत्थे श्री गिरीश तिवारी, सचिव, जिला कांग्रेस कमीटी और वाइस चेयरमैन, सारन जिला अभिषद, श्री चन्द्रिका

सिंह, सारन जिला अभिषद के एक सदस्य और श्री भरत मिश्र सत्याग्रह समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में ३ जत्थे चले। ज्योंही सत्याग्रह शुरू हुआ, नमक बनाने के सामान सरकार द्वारा जब्त कर लिये गये और श्री नारायण प्रसाद सिंह, जिला कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री सिंह को एक वर्ष कैद की सजा दी गई। बरेजा सत्याग्रही जत्था के नायक, श्री बवन सिंह को ६ महीने सादी कैद की सजा मिली। बाद में गिरीश तिवारी, भरत मिश्र प्रभृति नेता भी गिरफ्तार कर लिये गये और प्रत्येक को ६-६ महीने कैद की सजा सुनाई गई। किन्तु इससे सत्याग्रह रुका नहीं। पुलिस ज्योंही कड़ाही और बर्त्तन ले जाती और चूल्हों को तोड़ देती त्योंही नये सामान की तैयारियाँ कर ली जातीं। इस प्रकार नमक बनाने का काम गोरियाकोठी, बरेजा, हाजीपुर, बरहारा, मैरवा, रामपुर आदि स्थानों पर चलता रहा। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस के स्वयंसेवक बने। २३ अप्रिल तक सारन जिला में लगभग १२ मुख्य नमक बनाने के केन्द्र खुल चुके थे। प्रत्येक केन्द्र के आसपास के अनेक गाँवों में भी नमक बनाने का काम होता था। सम्पूर्ण जिला "नये उत्साह से स्पन्दित हो रहा था"। पुलिस का प्रभावी सामाजिक वहिष्कार किया जा रहा था।[१] ६ अप्रिल को ११ चौकीदारों और एक दफादार ने बरेजा के समीप त्यागपत्र दे दिया।[२]

मुजफ्फरपुर :

मुजफ्फरपुर में ७ अप्रिल से सत्याग्रह शुरू हुआ। इसके स्थानीय नेता श्री रामदयालु सिंह तथा जिला कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष, श्री जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामनन्दन सिंह थे। यह निर्णय किया गया कि स्वयंसेवकों का पहला जत्था मुजफ्फरपुर से पैदल शिवहर जायगा और वहाँ पहुँचकर नमक बनायेगा। उसके लिए श्री नवाब सिंह ने प्रबन्ध कर दिया था। पहले जत्था में बाबू रामदयालु सिंह और जनकधारी प्रसाद के अतिरिक्त ललित कुमार सिंह, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी आदि लोग थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर की सड़कों से एक बड़ी जुलूस में गुजरते हुए ६ अप्रिल के तीसरे पहर तिलक मैदान में एक बड़ी सभा की। इसकी अध्यक्षता श्री रामदयालु सिंह ने की।

१. द सर्चलाइट, ९–११ अप्रिल, १९३०।

२. वही।

इस सभा में आचार्य कृपलानी भी उपस्थित थे। श्री कृपलानी ने एक उत्साह-वर्द्धक भाषण किया और स्वयंसेवकों को टीका लगाए। शिवहर पहुँचने पर रामबाग में श्री रामदयालु सिंह ने एक बड़ी सभा में भाषण किया। यहाँ पुलिस पहले से ही तैनात थी। उसने नेताओं और कुछ स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया तथा एकत्र भीड़ को हटाने का प्रयत्न किया। गिरफ्तार व्यक्तियों में श्री रामदयालु सिंह को डेढ़ वर्ष और ठाकुर रामनन्दन सिंह को दो वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई। ४ अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गए।[1] उन्हें भी विभिन्न अवधियों की सजा दी गई।[2] इसी अवसर पर श्री मथुरा प्रसाद सिंह को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार करके एक वर्ष कड़ी कैद की सजा दी गई। इनके बावजूद लोगों का उत्साह बढ़ता रहा। २३ अप्रिल तक जिला भर में ३० मुख्य नमक बनाने के केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र के पड़ोस में अनेक वस्तियों में भी नमक बनाया जा रहा था। इस समय जिला कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष श्री विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा थे। सत्याग्रह उनके निदेशन में चल रहा था।

सत्याग्रह का दमन करने के हेतु सरकारी कार्रवाइयाँ :

सरकारी दमनचक्र देश भर में कठोरता के साथ चलाया जा रहा था। गाँधी जी ने कहा कि "यदि हमें युद्ध के अन्तिम कठोर चरण में खड़ा रहना है तो हमें घोड़सवार या बेंतों की मार के समक्ष खड़ा रहना तथा घोड़ों के पैर के नीचे कुचला जाना या बेंतों की मार से घायल होना सीखना होगा"। १४ अप्रिल को पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार कर लिये गए और नैनी जेल में उनकी संक्षिप्त सुनवाई करके नमक कानून के अन्तर्गत ६ महीने की सजा दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाँधी जी को अपनी अनुपस्थिति में कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया किन्तु उनके तैयार नहीं होने पर पंडित मोतीलाल नेहरू कार्यकारी अध्यक्ष हुए। श्री यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को राजद्रोह, षड्यंत्र और जन-सुरक्षा में बाधा देने के अभियोग में ६ महीना कड़ी कैद की सजा दी गई। इन गिरफ्तारियों से आन्दोलन को और भी बल मिला। इनके विरोध में बिहार में अनेक स्थानों पर हड़ताल मनाई गई।

---

१. प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी की साप्ताहिक रिपोर्ट।

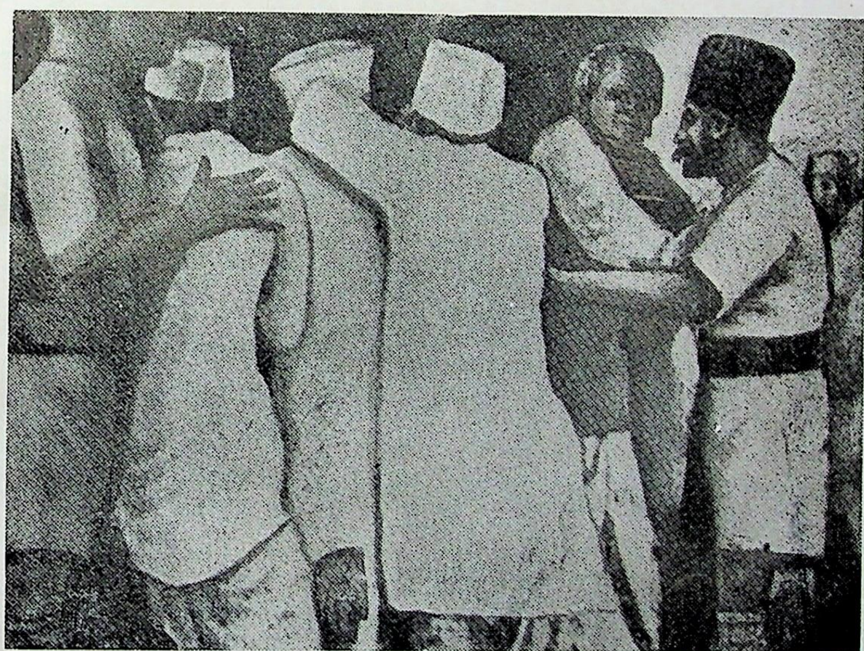
२. यंग इन्डिया, १५ मई, १९३०।

पुलिस के निर्मम प्रहारों के बावजूद पटना सिटी में नमक सत्याग्रह (१९३०) :

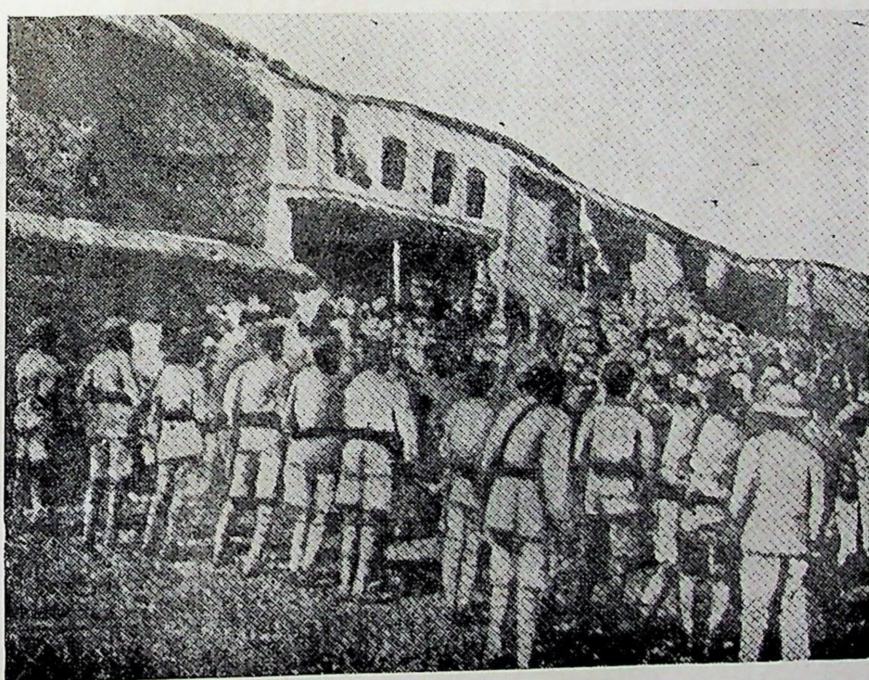
१६ से २१ अप्रिल (१९३०) के बीच पटना नगर में बिहार के राष्ट्रीय संग्राम का कदाचित् एक सर्वाधिक रोमांचकारी दृश्य प्रस्तुत हुआ। इसमें पुलिस के निर्मम दमनचक्र के समक्ष बिहार के वीर पुत्रों के नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प सचमुच रोमांचकारी था। अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए ये बहादुर लोग वीरता के साथ "करो या मरो" का मंत्र लेकर कार्यक्षेत्र में कूद पड़े। पटना में १६ अप्रिल, १९३०, बुधवार को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। पटना सिटी के मंगल तालाब के लगभग २ मील पूरब नखासपिंड नामक स्थान नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। "सर्चलाइट" के मैनेजर और नगर कांग्रेस कमीटी के सचिव, श्री अम्बिका कान्त सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से राष्ट्रीय झंडा हाथ में लिये हुए स्वयंसेवकों का जत्था ९ बजे सबेरे इस स्थान के लिए निकल पड़ा। पुलिस ने ऐसी सभी जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया था और महेन्द्रू महल्ला में सड़क पर जुलूस को रोक दिया। एक युरोपीय सर्जेन्ट या डी० एस० पी० "अपनी बेंत चला रहा था और कई स्वयंसेवकों को काफी चोट आई"।[1] जुलूस एक इंच भी पीछे नहीं हटा और वहीं बैठ गया। पुलिस ने अम्बिका कान्त सिंह और १९ स्वयंसेवकों के साथ श्री जशुलाल गुप्त को सुलतानगंज के समीप गिरफ्तार कर लिया। अम्बिका कान्त सिंह और श्री गुप्त को लौरी पर बांकीपुर जेल ले जाया गया और स्वयंसेवकों को कुछ काल बाद छोड़ दिया गया। जुलूस के इर्दगिर्द एक बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस के कार्यों से भीड़ तथा नौजवान स्वयंसेवक बहुत उत्तेजित हो रहे थे। इस समय तक प्रोफेसर अब्दुल बारी और श्री अनुग्रह नारायण सिंह घटनास्थल पर पहुँच चुके थे और स्वयंसेवकों को शांत रहने को कह रहे थे। पटना के जिलाधिकारी ने १६ अप्रिल की अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में लिखा : "यहाँ तक सारी बातें योजनानुसार चलती रहीं किन्तु जुलूस को भंग करने का प्रयत्न असफल रहा। जुलूसवालों ने किसी तरह का प्रतिरोध नहीं किया। हिंसा का कोई प्रयत्न नहीं किया। केवल एक दूसरे से सटे रहे और पृथक होने से

---

१. द सर्चलाइट, १८ अप्रील, १९३०।



पटना नमक सत्याग्रह (अप्रील, १९३०) पुलिस की स्वयंसेवकों के साथ हाथापाई



पटना में सत्याग्रही स्वयंसेवकों का पहला जत्था (१६ अप्रील, १९३०)

इन्कार कर दिया। अधिक दबाव देने पर वे जमीन पर लेट गए। एक दूसरे को फिर भी पकड़े रहे और बिना उन्हें पूरी तरह घायल किये हुए अलग करना असंभव था। इस स्थिति में उनपर और कुछ करना संभव नहीं था। आरक्षी अधीक्षक ने अन्त में उन्हें लौरी पर रखवा दिया। इसमें उन्होंने बाधा नहीं डाली यह सोच कर कि उन्हें जेल ले जाया जा रहा था किन्तु उसने घटनास्थल से थोड़ी दूर ले जाकर वहीं छोड़ दिया। इस बीच स्वयंसेवकों की एक अन्य जुलूस श्री रामबृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाह रही थी। उसे गुलजारबाग के समीप रोक दिया गया और श्री बेनीपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार अम्बिका कान्त सिंह, रामबृक्ष बेनीपुरी और रामनाथ को ६–६ महीने कैद की सजा दी गई। रामनाथ के पिता ने मुचालिका देकर उसे छुड़ा लिया। महेन्द्रू इलाका में जिस समय यह सब हो रहा था, श्री जमुना प्रसाद झा एक जुलूस गुलजारबाग से ले जा रहा था। दो अन्य जुलूसें भी पूरब की ओर गयीं और नखासपिंड में नमक बनाया।[1]

स्वयंसेवकों के पहले जत्था पर पुलिस द्वारा प्रहार किये जाने एवं उन्हें लौरी पर चढ़ा कर घटनास्थल से ले जाये जाने के बाद नखासपिंड की ओर बढ़ने के उद्देश्य से एक दूसरा जत्था वहाँ पहुँच गया। किन्तु उसे सुलतानगंज थाना के समीप पुलिस ने रोक दिया। इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और स्वयंसेवक वहीं पर डटे रहे। वे घंटों खड़े रहे। स्वभावतः वहाँ एक भीड़ इक्कठी हो गई। वे दिन भर और रात बीते तक वहाँ खड़े रहे। पुलिस का पहरा समय-समय पर बदलता रहा किन्तु स्वयंसेवक खड़े या सड़क पर बैठे वहीं डटे रहे। आसपास के लोगों ने उन्हें भोजन लाकर दिया और रात में उनके सोने के लिए कुछ चटाइयाँ बिछा दीं। उन्हीं पर वे बीच सड़क पर सो गए"।[2]

राजेन्द्र बाबू बिहार में सत्याग्रह की प्रगति देखने के लिए यात्रा कर रहे थे। छपरा में उन्हें पटना की घटना की खबर मिली। वे तुरत यहाँ चले आए। १६ अप्रिल को आधी रात में वे घटनास्थल पर गए। उनके साथ आचार्य कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह और मथुरा प्रसाद भी थे। उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक सड़क पर सोये हुए थे और पुलिस वहाँ से कुछ दूर पर

१. वही।
२. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐंड बिहार, पृष्ठ ८६।

खड़ी थी। दूसरे दिन सवेरे राजेन्द्र बाबू फिर वहाँ गए और वहाँ से कुछ दूर पर एक सभा की। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "वे पुलिस की मारपीट या दुर्व्यवहार का दृढ़तापूर्वक सामना करें और अहिंसा नहीं त्यागें"।[1] जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने राजेन्द्र बाबू से मिलने की इच्छा प्रकट की। सवा नौ बजे दिन में वे उनसे मिले। जिलाधिकारी के साथ उनकी यह बातचीत हुई[2] : "जिलाधिकारी, श्री कॉजिन्स ने मुझसे कहा कि यदि मैं स्वयंसेवकों को वहाँ से हटा दूं तो वे इस मामला को समाप्त समझेंगे। मैंने उत्तर दिया कि स्वयंसेवकों को पिछले दिन बिना कारण के पीटा गया था और मेरे लिए ऐसा आदेश देना संभव नहीं था। उसने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि स्वयंसेवकों की ओर से प्रत्याक्रमण नहीं हुआ था किन्तु वे गैरकानूनी जमात थे और एक से अधिक बार चेतावनी दिए जाने के बाद उन्हें बल प्रयोग द्वारा वहाँ से हटा देना जरूरी था। उसने यह भी कहा कि हमारे वर्तमान कार्यक्रम में पुलिस की अवज्ञा करना नहीं था और यह नमक कानून का प्रश्न नहीं था। मैंने उन्हें कहा कि अभी पुलिस कानून के विरुद्ध कोई कार्रवाई तत्काल शुरू करने का हमलोगों का कोई इरादा नहीं था किन्तु पिछले दिन के प्रहार के बाद स्वयंसेवकों को वापस नहीं हटाया जा सकता था। उसने तब मुझसे कहा कि मैं बहुत ही गम्भीर जिम्मेवारी ले रहा था और उसे वाध्य होकर उन्हें वहाँ से हटाने के लिए कठोर कार्रवाई करनी होगी एवं बल प्रयोग करना होगा। मैंने कहा कि मैं यह समझता था पर तत्काल उन्हें हटा नहीं सकता था किन्तु अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व मैं अन्य सहयोगियों से परामर्श करना चाहूँगा। उसने कहा कि वह एक घंटा ठहरने को तैयार था और मेरी घड़ी अपनी घड़ी के साथ मिलाना चाहा। मैंने उससे कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी और अगर एक घंटा बीतने के पहले कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे समझना चाहिए कि जवाब नहीं मिलेगा। मित्रों से परामर्श करने के बाद और एक घंटा बीतने के पहले मैंने उसे फोन पर कहा कि पुलिस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू करने का हमारा इरादा नहीं था और मैं स्वयंसेवकों को जुलूस के रूप में नहीं बल्कि अन्य लोगों की तरह गलियों में बिखर जाने को कहने को तैयार था यदि वह या अन्य कोई पिछले दिन की मारपीट के लिए खेद प्रकट करे। उसने पहले यह सुझाव

१. द सर्चलाइट, १८ अप्रिल, १९३०।
२. पटना के जिलाधिकारी की रिपोर्ट, १७ अप्रिल, १९३०।

दिया कि वे एक-दो करके जा सकते थे किन्तु मेरे यह कहने पर कि उनकी संख्या ज्यादा हो सकती थी, उसने यह कहा कि वे अपने साथ कोई झंडा आदि नहीं ले जाएँ। इसपर मैंने उससे कहा कि सड़कों पर इतने लोग झंडा लेकर चल रहे थे और जबतक एक साथ कतार बाँध कर लोग नहीं चलें, उसे जुलूस नहीं माना जाएगा। उसने कहा कि प्रश्न यह था कि क्या जनता पर यह प्रभाव होगा कि वे जुलूस बाँध कर जा रहे थे। अन्त में उसने पिछले दिन की घटना पर बातचीत करने की अनिच्छा जाहिर की। मैंने कहा कि उस स्थिति में वह जो कुछ अच्छा समझे, करे, मैं जो उचित समझूंगा करूँगा"।

स्वयंसेवकों के विरुद्ध नियुक्त पुलिस के जवान सभी बलुचिस्तान के मुसलमान थे और दो अंगरेज उनका नेतृत्व कर रहे थे। राजेन्द्र बाबू ने सोचा कि अगला दिन शुक्रवार था, अतः मुसलमानों के लिए नमाज का दिन और ईसाइयों के लिए वह पवित्र दिन था। इसलिए उस दिन स्वयंसेवक नहीं भेजे जाएँ जिसमें ईसाई और मुसलमान दोनों ही इबादत कर सकें। इस आशय का एक पत्र उन्होंने जिलाधिकारी को भेज दिया। जिलाधिकारी को संदेह हुआ कि वे सचमुच ऐसा करना चाहते थे या एक यह कठिन स्थिति से निकलने का तरीका मात्र था। अतः उसने राजेन्द्र बाबू को फोन पर अगले दिन सवेरे आने को कहा। राजेन्द्र बाबू जब वहाँ पहुँचे तो अपने पत्र की गम्भीरता पर बल दिया। जिलाधिकारी ने स्वयंसेवकों को जुलूस के लिए वैकल्पिक मार्ग की संभावना पर बात की। राजेन्द्र बाबू ने कहा कि स्वयंसेवक तो उसी रास्ते से जाएँगे।[१]

राजेन्द्र बाबू एवं पटना के अन्य कांग्रेसी नेताओं ने दिन में तीन बार स्वयंसेवकों का जत्था भेजने का निर्णय किया था। तदनुसार इसकी सूचना जिला मैजिस्ट्रेट को दे दी जाती थी। शनिवार के सवा सात बजे सवेरे (१९ अप्रिल) ५ शाहाबादी स्वयंसेवक सुलतानगंज थाना के सामने सत्याग्रह करने गए। सरह जमीन की ओर वे जा ही रहे थे कि पीछे से घोड़सवार सैनिक पुलिस के बलुचियों ने अपने युरोपीय अधिकारियों के साथ उन्हें रोक लिया। घोड़सवार उनके समीप पहुँचे। एक घोड़सवार युरोपीय अधिकारी ने स्वयंसेवकों से झंडा छीनने की कोशिश की किन्तु उसमें सफल नहीं हुआ। इसके साथ वह घोड़े पर से हण्टर भी चला रहा था। तदुपरांत वह घोड़ा से

१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐंड बिहार, पृष्ठ ८९।

उतर गया और सवारों के साथ स्वयंसेवकों को बेरहमी के साथ पीटना शुरू किया। एक स्वयंसेवक की गर्दन पकड कर इतना दबोचा गया कि उसका दम घुटने लगा। कुछ स्वयंसेवकों को जमीन पर गिरा दिया गया, सभी बुरी तरह घायल हो गए और तीन बेहोश हो गए।[१] उन्हें उसी हालत में छोड़कर सवार अपने कप्तान के साथ सुलतानगंज थाना की ओर चले गए। दो घायल स्वयंसेवक, ३ अन्य के साथ दूसरा जत्था बनाकर सुलतानगंज की तरफ बढ़े। पुलिस के जवानों ने उन्हें रोका, उनका झंडा छीनकर फेंक दिया और उन्हें "बुरी तरह पीटा गया तथा नाला में गिरा दिया गया। पहले जत्था के दो स्वयंसेवक इस समय तक बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे"।[२]

सड़क के दोनों ओर एकत्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस उनपर टूट पड़ी और "सबों को बुरी तरह पीटने लगी।"[३] एक पुलिस अधिकारी ने प्रोफेसर बारी जिस समय वे पटना कॉलेज के सामने भीड़ को शान्त एवं नियन्त्रित रखने का प्रयत्न कर रहे थे, बुरी तरह पीटा। सुबह में उसने उन्हें ३ लाठियाँ लगाईं और कहा कि पहली लाठी उसकी ओर से, दूसरी एस० पी० साहब की ओर से और तीसरी आई० जी० साहब की ओर से। उसके बाद हण्टर से उन्हें पीटा गया। दोपहर में इसी अधिकारी ने उन्हें फिर पीटा और दो घोड़सवार जवानों को आदेश दिया कि उसे धक्का देते हुए भीड़ के बाहर ले जाय।[४] एक घोड़सवार ने प्रोफेसर अब्दुल

---

१. द सर्चलाइट, २० अप्रिल, १९३०।

२. वही, २१ अप्रिल।

३. वही।

४. यंग इन्डिया, १५ मई, १९३०। प्रोफेसर अब्दुल बारी का वक्तव्य, "मैं पटना कॉलेज के सामने भीड़ को नियन्त्रित कर रहा था। एकाएक मैंने दो यूरोपीय अधिकारियों को कुछ सवारों के साथ बहुत उत्तेजित मनस्थिति में आते हुए देखा। एक अधिकारी ने अपनी पूरी ताकत के साथ मुझे तीन हंटर लगाया। पहली बार उसने कहा कि यह उसकी ओर से, दूसरी बार उसने कहा कि यह एस० पी० की ओर से और तीसरी बार उसने कहा कि यह आई० जी० की ओर से। तीसरी बार उसने बहुत जोर से मेरे सिर पर प्रहार किया। उसके बाद दूसरा यूरोपीय अधिकारी आया और उसने मुझ पर दो हंटर लगाया। मैं वहाँ कुछ देर तक खड़ा रहा और देखा कि वह भीड़ का पीछा कर रहा था और हंटर से लोगों को पीट रहा था।"

द सर्चलाइट, २१ अप्रिल, १९३०।

वारी के कान में कहा : "आप मुसलमान हैं। इस भीड़ में आप कैसे ?" प्रोफेसर बारी ने जवाब दिया कि "अल्लाह ने यहाँ मुझे तुम्हारे लिए भेजा है।"[१] आचार्य कृपलानी, जो टी० के० घोष ऐकेडमी के समीप खड़े थे, को भी पुलिस ने लाठी से पीटा।[२]

पुलिस के सड़क पर की भीड़ को तितरबितर कर देने के बाद राजेन्द्र बाबू, प्रोफेसर अब्दुल बारी तथा उनके पीछे-पीछे आचार्य कृपलानी और आचार्य बदरीनाथ वर्मा पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे थे। इसी समय एक पुलिस सर्जेण्ट ने प्रोफेसर अब्दुल बारी की पीठ पर घोड़े से धक्का दिया। दूसरे अधिकारी ने राजेन्द्र बाबू की पीठ पर धक्का दिया। दोनों "बढ़ते चलो", कह रहे थे। इसके बावजूद राजेन्द्र बाबू और प्रोफेसर बारी धीरे-धीरे चल रहे थे। प्रोफेसर बारी को घोड़े की खूर से भी चोट लगी।[३] २० अप्रिल को पटना के जिलाधिकारी ने इस तरह की सूचना प्रचारित की कि यदि नगर में उपद्रव समाप्त नहीं होते तो उसे अतिरिक्त पुलिस नियुक्त करने को बाध्य होना पड़ेगा और नागरिकों को उसका खर्चा देना पड़ेगा।[४] राजेन्द्र बाबू ने जनता से अपील की कि यदि ऐसा कर लगाया जाय तो वे उसे नहीं चुकाने को तैयार रहें।[५] सरकार ने जिलाधिकारी के इस विचार की स्वीकृति नहीं दी क्योंकि वह कोई अतिवादी कदम नहीं उठाना चाहती थी।[६]

पुलिस की इन कार्रवाइयों से लोगों में काफी उत्तेजना फैल रही थी। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर खड़े रहते और यह सब देखते रहते किन्तु राजेन्द्र बाबू और दूसरे नेताओं के आदेशानुसार वे "साहस और दृढ़ संकल्प के साथ प्रहार सहते और बदला लेने का कोई प्रयत्न नहीं करते।"[७] भड़-

---

१. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी ऐंड बिहार, पृष्ठ ८८।

२. द सर्चलाइट, २१ अप्रिल, १९३०।

३. वही।

४. मुख्य सचिव, पटना का आयुक्त को २२ अप्रिल का पत्र।

५. यंग इन्डिया, १५ मई, १९३०।

६. द सर्चलाइट, २४ अप्रिल, १९३०; बिहार प्रान्तीय कमीटी की साप्ताहिक रिपोर्ट।

७. द सर्चलाइट, २५ अप्रिल, १९३०।

कानेवाली स्थितियों में भी वे अपूर्व धैर्य एवं आत्मसंयम बनाये रहे किन्तु इससे पटना के सभी वर्ग और श्रेणी के लोगों की भावनाओं पर गहरी चोट लगी। इसके विरोध में पटना के नागरिकों की एक सभा २२ अप्रिल, १९३० को भँवरपोखर मैदान में हुई। इसकी अध्यक्षता श्री हसन इमाम ने की। सभा के आयोजकों में श्री राजेन्द्र प्रसाद, सर अली इमाम, सच्चिदानन्द सिन्हा जैसे प्रमुख लोग थे। हसन इमाम का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करते हुए श्री सच्चिदानन्द सिन्हा ने कहा कि "ऐसी निर्मम कार्रवाइयों की भर्त्सना करने के लिए सभी एकमत हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ सर्वथा अनुचित एवं असहनीय थीं।" पटना के आयुक्त की २२ अप्रिल की डायरी में यह अंकित है कि श्री हसन इमाम ने उस दिन आयुक्त को यह कहा था कि "पुलिस की कार्रवाई सर्वथा अनौचित्यपूर्ण थीं। जितना ही आप कहेंगे कि झण्डा का व्यवहार आपको पसन्द नहीं उतना ही वे उसका व्यवहार करने पर हठ करेंगे। वे ५ के जत्थे में जाते हैं और उन्हें पीटा गया है। यदि आप चाहें तो उन्हें गिरफ्तार कर लें किन्तु मारपीट करना सर्वथा अनुचित है। मुसलमान जो अबतक इससे अलग रहते आये हैं, अब इसमें शामिल हो रहे हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायों में इस पर रोष है। दूकानदारों को सत्याग्रहियों के प्रति पूरी सहानुभूति हो गई है। ५ के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उससे उनके पीछे एक हजार से दस हजार तक की भीड़ इकट्ठी हो गई है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से इसको और बढ़ावा नहीं दिया जाय। श्री चरचर के विरुद्ध लोगों को बहुत शिकायत है और श्री वाकर के विरुद्ध भी बहुत शिकायत है। अब गोरखा सैनिकों को बुला लिया गया है और यह सर्वविदित है कि स्वच्छंद छोड़ दिये जाने पर गोरखा कैसे हो जाते हैं। उनका उपयोग एकदम नहीं किया जाना चाहिये था। मैं मुसलमान या हिन्दू नहीं बल्कि एक व्यावहारिक सांसारिक व्यक्ति हूँ। मैं आपसे यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब इस आन्दोलन में मुसलमान हिन्दुओं के साथ हैं। राजेन्द्र प्रसाद के स्वयंसेवकों के जत्थों ने असाधारण आत्म-नियन्त्रण से काम लिया है। राजेन्द्र बाबू के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है कि उनके साथ किया गया कोई दुर्व्यवहार सन्त के साथ दुर्व्यवहार करने के समान होगा और उन्हें भी किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा घोड़े से पीछे से धक्का दिया गया। यह अधिकारी सम्भवतः चरचर था। उन्होंने यह कहा है कि उन्हें चोट नहीं लगी। आज सुबह में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मारपीट

नहीं किया गया है किन्तु इसका कोई असर नहीं होगा और भावना और तीव्र होती जायगी। गाँवों से लोग स्वयंसेवक के रूप में आ रहे हैं और वे वापस लौटने पर इन बातों को गाँवों में फैलायेंगे।" जन-भावना की इस स्थिति का अधिकारियों पर असर हुआ। सरकारी अधिकारियों ने सम्भवतः यह महसूस किया कि दमन से लोगों को आतंकित करने का प्रयत्न विफल हो चुका था। अतः उसे चलाते रहना अक्लमन्दी की बात नहीं होगी। इसलिए घोड़सवार पुलिस हटा ली गई और २३ अप्रिल बुधवार को स्वयं-सेवकों का जत्था बिना किसी रुकावट के नखासपिंड गया। वहाँ नमक बनाया गया।"[1] पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा।

पटना जिला के कई अन्य स्थानों पर भी नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। १३ अप्रिल को ११ स्वयंसेवकों का एक जत्था श्री जगतनारायण लाल के नेतृत्व में बिहटा के समीप अमहारा ग्राम में पहुँचा और वहाँ उसने पुलिस की उपस्थिति में नमक बनाया। शीघ्र ही श्री जगतनारायण लाल और दानापुर कांग्रेस कमीटी के सचिव, कीर्तिनारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को ६-६ महीने कैद की सजा सुनाई गई। नमक बनाने का काम बड़े उत्साह के साथ चलता रहा। इसी क्षेत्र में स्वामी सहजानन्द ने इनके बाद नेतृत्व ग्रहण किया। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और ६ महीने कैद की सजा दी गई। अमहारा, विक्रम, नौवतपुर, खगौल और दानापुर में नमक बनाने का काम चलता रहा। बाढ़ अनुमण्डल में भी नये केन्द्र खोले गये।

दरभंगा जिला में नमक सत्याग्रह :

दरभंगा जिला में श्री सत्य नारायण सिंह के नेतृत्व में स्वयंसेवकों का पहला जत्था दरभंगा नगर से १७ अप्रिल को नमक कानून भंग करने के लिए पिपरा के लिए रवाना हुआ। किन्तु एक बड़ी सभा में हार्दिक विदाई के बाद ज्योंही वे दरभंगा से बाहर निकल रहे थे, श्री सत्यनारायण सिंह और श्री रामनन्दन मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री मिश्र उन दिनों मगन आश्रम के व्यवस्थापक थे। दोनों को डेढ़ वर्षों की कड़ी कैद की सजा दी गई। इससे जिला भर में उत्साह की लहर फैल गई। पिपरा में रोज नमक बनाया जाने लगा और पहले दिन के बिक्रय से ३०० रुपए आए।[2]

---

१. यंग इंडिया, १५ मई, १९३०।

२. प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी की साप्ताहिक रिपोर्ट।

मुंगेर जिला में नमक सत्याग्रह :

मुँगेर जिला में बाबू श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्रवाइयाँ बढ़ रही थीं। श्री सिंह उन दिनों प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी के सचिव थे। १७ अप्रिल को स्वयंसेवकों का दो जत्था एक बेगुसराय अनुमंडल में गरहरा गाँव के लिए और दूसरा सदर अनुमंडल में चौकी गाँव के लिए रवाना हुआ। १७ अप्रिल को बाबू श्रीकृष्ण सिंह मुंगेर से गोगरी के ११ सत्याग्रहियों का जत्था लेकर रवाना हुए। बेगुसराय में वे एक रात ठहरे। मंझौल में ११ और स्वयंसेवक उनके साथ हो गए। २० अप्रिल को कानून भंग करने की तैयारियाँ शुरू हुई और पुलिस के प्रतिरोध के बावजूद दो-तीन दिनों तक चलती रहीं। पुलिस नमक बनाने का बर्त्तन और अन्य साज-सामान उठाकर ले गई तथा स्वयंसेवकों पर लाठी भी चलाई। एक पुलिस अधिकारी ने श्री बाबू के साथ भी दुर्व्यवहार किया। गोगरी के एक सत्याग्रही श्री मुरलीधर झा के शरीर का कुछ भाग नमक की कड़ाही की रक्षा करते हुए झुलस गया। पुलिस ने उस दिन और अगले कुछ दिनों तक कोई गिफ्तारी नहीं की। २३ अप्रिल को जब श्री बाबू बेगुसराय ही थे तो उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया और ६ महीने की सजा दी गई। उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया किन्तु गढपुरा उत्तर मुंगेर में लगभग ३ सप्ताह तक नमक बनाने का महत्वपूर्ण केन्द्र बना रहा। गोगरी थाना के नेता श्री सुरेश चन्द्र मिश्र उसकी देख-रेख करने के लिए वहाँ भेजे गए। उनकी माँ भी उनके साथ आई। पुलिस अक्सर हस्तक्षेप करती और एकाधिक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करती।

दक्षिण मुंगेर में सत्याग्रह शुरू करने के लिए श्री नन्दकुमार सिंह १७ अप्रिल को लखीसराय के निकट ऐतिहासिक रजौन ग्राम के लिए मुंगेर से पैदल चल पड़े। यह शिविर कुमार कालिका सिंह की देखरेख में था, कुछ स्वयंसेवकों के साथ वे भी वहाँ पहुँच गए। आसपास के कुछ अन्य स्वयंसेवक भी उनके साथ हो लिए। २० अप्रिल से नमक बनाया जाना शुरू हुआ। नन्दकुमार बाबू को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी इन दोनों केन्द्रों तथा कई अन्य स्थानों पर भी नमक बनाने का काम चलता रहा। लखीसराय के समीप नमक का पहला पुड़िया श्री बदरी नारायण सिंह ने १०१ रुपया में खरीदा।

२२ अप्रिल को बड़हिया में श्री तेजा सिंह के मन्दिर में नमक बनाने का एक केन्द्र खोला गया। शाह मोहम्मद जुबैर और



नमक सत्याग्रह के लिए प्रस्थान करते हुए श्रीकृष्ण सिंह (१९३०)



श्री नेमधारी सिंह के नेतृत्व में २३ अप्रिल को यहाँ नमक कानून भंग किया गया। यहाँ भी कुमार कालिका सिंह देवघर और मुंगेर से स्वयंसेवकों का जत्था लेकर पहुँचे। कई दिनों तक नमक बनाते रहे। वस्तुतः यह काम कई हफ्तों तक चलता रहा। अनुमंडलाधिकारी सशस्त्र पुलिस के साथ वहाँ गया किन्तु गिरफ्तारियाँ नहीं कीं। मुंगेर जिला के कई अन्य स्थानों पर भी नमक बनाया जाता रहा। पुलिस उन्हें तरह-तरह से तंग करती, उनके साज-सामान छीन लेती लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया केवल बेगुसराय के एक वकील श्री सतीशचन्द्र बोस को छोड़कर। श्री बोस को गोगरी थानान्तर्गत बैसा ग्राम में नमक बनाने के लिए जाते समय गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने श्री बोस के साथ दुर्व्यवहार किया। जेल में उन्हें लकवा की वीमारी हो गई और आजीवन वे उसके शिकार रहे।[1]

भागलपुर में ११ स्वयंसेवकों के दो जत्थों ने महादेव लाल शर्राफ और दूसरा दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में वीहपुर थाना ग्राम गौरीपुर के लिए प्रस्थान किया। उन्हें इसी ग्राम में नमक सत्याग्रह करना था। २० अप्रिल को पहले जत्थे ने १० बजे दिन में नमक बनाना शुरू किया। कुछ काल बाद श्री कैलाश बिहारी लाल, भूतपूर्व एम० एल० सी०, श्री महादेव लाल शर्राफ और सैयद जहीरुल हसन हासिमी गिरफ्तार कर लिए गए। प्रत्येक को ६-६ महीने कड़ी कैद की सजा दी गई। रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल, भूतपूर्व एम०एल०सी० पर सेन्ट्रल जेल में मुकदमा चलाया गया। श्री अग्रवाल को डेढ़ वर्ष कड़ी कैद और ५०० रु० जुर्माना की सजा मिली।[2]

मानभूम जिला :

मानभूम जिला में काफी जागरण था। पहला मानभूम राजनैतिक सम्मेलन अप्रिल, १९२८ में सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में ग्राम रामचन्द्रपुर में किया गया। दूसरा सम्मेलन झालदा में अप्रिल, १९२९ में देशप्रिय जे० एम० सेनगुप्त की अध्यक्षता में निष्पन्न हुआ। सरकारी अधिकारी कांग्रेस की स्वतंत्रता के हेतु युद्ध करने के नवसंकल्प से उत्पन्न स्थिति का सामना

---

१. वही, पृष्ठ ५०।

२. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी और यंग इन्डिया की साप्ताहिक रिपोर्ट, मई, १९३०।

करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को व्यग्र थे। 'मुक्ति" के सम्पादक श्री निवारण चन्द्र दासगुप्त पर धारा १२४ (क) और १५३ (क) भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया। उन्हें ३ मार्च, १९२९ को एक वर्ष सादी कैद की सजा सुनाई गई। "तरुण शक्ति" (चाइबासा) के अन्नदा कुमार चक्रवर्त्ती को भी इन्हीं धाराओं के अन्तर्गत ६-६ महीने कैद की सजा दी गई। पुरुलिया के तत्कालीन उपायुक्त ने छोटानागपुर के आयुक्त को २४ अगस्त, १९२९ को सूचित किया कि वहाँ बसे हुए पूर्वी बंगाली "उग्रवादी राजनेता" थे। उनके प्रयत्न से एक संघ की स्थापना की गई थी और वे तरुणों को "प्राणों का मूल्य चुका करके भी मातृभूमि की सेवा करने" को उत्साहित कर रहे थे। उपायुक्त ने सूचित किया कि आन्दोलन के विरुद्ध जवाबी प्रचार आरम्भ करने का समय आ गया था। इसके लिए ऐसे वकीलों की नियुक्ति करना उपयुक्त होगा जो वकालत नहीं चलने के कारण १० या १५ रुपया की फीस पर सभाओं में राष्ट्रवादी नेताओं के भाषणों के विरुद्ध बोलने को तैयार हो जायेंगे। इनलोगों को सभा के आयो-जकों या श्रोताओं द्वारा बोलने से रोके जाने की स्थिति में उसका सुझाव था कि असंतुष्ट मध्यवित्त वर्ग के कुछ लोगों को नियुक्त किया जाय। इन्हें प्रत्येक सभा में ऐसे वक्ताओं की रक्षा करने के हेतु शुल्क दिया जा सकता था। उसकी प्रस्तावना का उच्च अधिकारियों की ओर से जनवरी, १९३० तक कोई जवाब नहीं मिला। यह छोटानागपुर के नये आयुक्त श्री ई० एच० बर्थोड को २७ जनवरी के उसके पत्र से प्रकट होता है। इस पत्र में उसने "बंदूकों के दुरुपयोग" की आशंका करते हुए सुझाव दिया कि "पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करनेवाले सभी कांग्रेसजनों की लाइसेंस रद्द कर दी जाय"।[1] मानभूम कांग्रेस कमीटी के १० अप्रिल, १९३० की एक बैठक में एक जिला सत्याग्रह समिति की स्थापना की गई। श्री निवारण चन्द्र दासगुप्त इसके अध्यक्ष और श्री अतुलचन्द्र घोष इसके सचिव बनाये गये। श्री फणीन्द्रनाथ दासगुप्त और श्री अतुलचन्द्र दत्त इसके सदस्य बनाये गये। एक दूसरी समिति जिसमें मुख्यतः कुछ प्रमुख वकील थे, सत्याग्रह आन्दोलन के लिये धन संग्रह करने के हेतु गठित की गई। पुरुलिया के उपायुक्त का विचार था कि

१. इस समय संथालपरगना के उपायुक्त, श्री ई० एस० होर्नले भी विरोधी प्रचार की बात सोच रहा था। इसके लिए "श्याम, राम और गुरु जी" शीर्षक एक इश्तहार भी प्रकाशित कराया गया था।

"स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेनेवाले वकीलों के विरुद्ध हाईकोर्ट में कार्रवाई करनी चाहिये" ।[१]

मानभूम राजनैतिक सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन इस बार धनबाद में हुआ । मनोनीत अध्यक्ष के रूप में राजेन्द्र बाबू पटना में व्यस्त रहने के कारण उपस्थित नहीं हो सके । उनके स्थान पर श्री निवारण चन्द्र दासगुप्त ने इसकी अध्यक्षता की । मानभूम में नमक सत्याग्रह जोरशोर के साथ शुरू किया गया । गैरकानूनी नमक बनाया जाता और खुले बाजार में बेचा जाता था । सरकार ने मानभूम जिला सत्याग्रह समिति को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया । स्वयंसेवक दल के नायक श्री विभूति भूषण दासगुप्त, श्री शिवशरण जायसवाल, झालदा कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष, स्वामी मोहन दास बाबाजी, "मुक्ति" के सम्पादक, वीरराघवाचार्य और श्री रेवतीकान्त चटर्जी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया । मैजिस्ट्रेट ने दो महीनों के लिए सभाओं एवं जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया किन्तु कांग्रेस कार्यकर्त्ता इस आदेश का पालन करने को तैयार नहीं थे ।

संथालपरगना जिला में भी आन्दोलन धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा था । देवघर के अनुमंडलाधिकारी के ३ अप्रिल, १९३० के एक पत्र में कहा गया था कि जिला के एक हजार स्वयंसेवकों में से १२५ देवघर और जैसीडीह के थे । १० अप्रिल को जिला के कांग्रेस नेता श्री शशिभूषण राय अपनी पत्नी सहित सेवायजपुर गये और वहाँ महिलाओं की सभा में उनकी पत्नी ने भाषण किया । यहाँ कुल २५८ स्वयंसेवक भर्ती किये गये । १५ अप्रिल, १९३० को श्री जवाहरलाल नेहरू और जे० एम० सेनगुप्त की गिरफ्तारी पर मधुपुर में एक बड़ी सभा हुई । इसमें पं० विनोदानन्द झा ने एक जोरदार भाषण किया । शशिभूषण राय ने सरवण, दखुसिया, सेवायजपुर, बभनगांवा और कुकराहा में सभाएँ कीं । देवघर में २१ अप्रिल की रात को प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका की अध्यक्षता में सभा हुई । देवघर के अनुमंडलाधिकारी ने संथालपरगना के उपायुक्त को २२ अप्रिल, १९३० को लिखा, "कांग्रेस पार्टी यहाँ नौजवानों में सरकार के विरुद्ध विद्वेष फैला रही है । इस समय कांग्रेसी स्वयंसेवकों की संख्या २७५ बताई जाती है । पंडित विनोदानन्द झा हाल

१. मानभूम के उपायुक्त का छोटानागपुर के आयुक्त को १४ अप्रिल, १९३० का पत्र ।

ही में सेवायजपुर गये थे और वहाँ एक महिलाओं की सभा में भाषण किया था। वह कुकराहा भी गये थे''। अप्रिल के तीसरे हफ्ते में श्री शशिभूषण राय स्वयंसेवकों का जत्था लेकर मुंगेर जिलान्तर्गत लखीसराय नमक बनाने के लिए गये और वहीं गिरफ्तार हो गये। संथालपरगना में आन्दोलन चलता रहा।

सत्याग्रह सम्बन्धी सरकार की नीति का प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी द्वारा पुनरोक्षण :

सरकार अबतक सत्याग्रहियों का मनोबल तोड़ने का प्रयत्न करती रही थी। इसके लिये वह विभिन्न स्थानों पर नेताओं एवं प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर रही थी। २३ अप्रिल तक की स्थिति का पुनरीक्षण करते हुए बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमीटी ने अपनी एक साप्ताहिक रिपोर्ट में लिखा : "सरकार सामान्य स्वयंसेवकों को छोड़कर नेताओं एवं आयोजकों को ही गिरफ्तार करने की नीति पर चल रही है। अबतक ९२ गिरफ्तारियाँ हुईं हैं। इनमें १० व्यक्ति धारा १०८ भारतीय दंड प्रक्रिया के अन्तर्गत राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किये गये हैं और शेष को नमक कानून तोड़ने या उसमें सहायता देने के अभियोग में। धारा १४३ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत गैरकानूनी जमात के सदस्य होने के अभियोग में ३-४ व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। अधिकतर प्रमुख नेताओं को एक वर्ष या कुछ अधिक की सजा दी गई है। अन्य लोगों को ६ महीने की सजा दी गई है। नमक कानून सम्बन्धी अधिकतर मामलों में और राजद्रोह के लिए सादी कैद की सजा दी गई है और मुख्य कार्यकर्त्ताओं को "ए" श्रेणी में रखा गया है। अबतक जेल में दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं मिली है। गिरफ्तार लोगों की सूची देखने से पता चलता है कि विधान सभा के दो भूतपूर्व सदस्य, परिषद् के ९ भूतपूर्व सदस्य तथा एक दर्जन से अधिक नगरपालिका, स्थानीय एवं जिला बोर्डों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अनेक वकील और जमींदार गिरफ्तार हुए हैं। प्रांत के कुल १६ जिलों में से १२ जिलों की कांग्रेस कमिटियों के अध्यक्ष या सचिव या दोनों ही गिरफ्तार कर लिये गये हैं। कुछ स्थानों पर उनके स्थानापन्न भी गिरफ्तार हुए हैं। प्रांतीय कांग्रेस कमीटी के सचिव एवं ६ सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी के इस प्रांत के १० सदस्य इस समय जेल में हैं और एक पूरी सजा काटकर रिहा हुआ है।

यद्यपि यह कहना कठिन होगा कि पुराने कार्यकर्त्ताओं का स्थान भरा नहीं जा सका है किन्तु काम अनवरत रूप से चल रहा है।''[१] सरकार अनेक मामलों में, विशेष करके नेताओं को, कठोर सजा देने को व्यग्र हो रही थी। बाबू श्रीकृष्ण सिंह जैसे प्रमुख व्यक्ति को भी "एक जेल से दूसरे जेल ले जाये जाते समय एक सहयोगी के साथ हथकड़ी में देखा गया।''[२] कुछ स्थानों पर पुलिस ने नमक बनाने के बर्त्तन और चूल्हे विनष्ट कर दिये और सत्याग्रहियों को मारा-पीटा—यथा चम्पारण जिलान्तर्गत धनहा थाना में। "चम्पारण के चनकीगढ़ में कनीय दारोगा ने राष्ट्रीय झण्डा के स्तम्भ को तोड़ दिया और स्वयंसेवकों के रहने की झोपड़ी को गिरा दिया। वह उसमें आग लगाने जा रहा था किन्तु स्वयंसेवक उसमें बैठे रहे और उससे कहा कि झोपड़ी के साथ उन्हें भी वह जला दे।''[३]

नेताओं की गिरफ्तारी से आन्दोलन की गति मन्द नहीं हुई। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक आगे आ रहे थे और सत्याग्रह कर रहे थे। श्री विट्ठलभाई पटेल ने केन्द्रीय विधान सभा की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और २५ अप्रिल को वाइसराय को लिखा : "हजारों लोग अपनी जान देने एवं लाखों जेल जाने को तैयार हैं।'' २२ मई को श्री विठलभाई पटेल पटना आए। यहाँ उनका हार्दिक स्वागत किया गया। उन्होंने श्री सैयद हसन इमाम की अध्यता में एक सभा में भाषण किया। इसमें १५,००० से अधिक लोग उपस्थित थे।

सरकारी दमन-चक्र पर गांधीजी के विचार; महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के लिये केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के गुप्त प्रबन्ध :

२७ अप्रिल को वाइसराय ने एक अध्यादेश जारी करके १९१० का प्रेस ऐक्ट पुनः जारी कर दिया। इसके विरोध में बिहार के समाचारपत्रों, 'सर्चलाइट', 'देश', 'महावीर' और 'लोक संग्रह' ने जमानत की रकम जब्त करने के वदले प्रकाशन बन्द कर दिया।

---

१. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी की रिपोर्ट; **यंग इन्डिया, मई, १९३०।**

२. वही।

३. प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी की रिपोर्ट।

सर्वतोमुखी तथा कठोर दमन-चक्र की ओर संकेत करते हुए गांधीजी ने लिखा : ''डायरवाद भी इसके सामने नगण्य है। जनता का कर्त्तव्य स्पष्ट है। उसे इस संगठित गुण्डागिरी का जवाब महान् कष्ट-सहन के रूप में देना है।'' गांधीजी ने स्वयं बम्बई से डेढ़ सौ मील उत्तर धरसाना में नमक कानून भंग करने का निर्णय किया। भारत सरकार इस समय उन्हें गिरफ्तार करने की बात सोच रही थी। अबतक कुछ बातें ध्यान में रखकर गांधीजी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। सरकार सोच रही थी कि ''इससे भीषण भावात्मक प्रतिक्रिया हो सकती थी और उसकी खतरनाक अभिव्यक्ति होना सम्भव था। दूसरी ओर कांग्रेस आन्दोलन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आंदोलन के प्रारम्भ में (गांधीजी की गिरफ्तारी से) उसे और भी जोर मिलता। फिर (गांधीजी को गिरफ्तार नहीं करने से) अधिक नर्मदलीय क्षेत्रों को यह विश्वास हुआ है कि सरकार यथासम्भव संयम से काम लेने को तैयार थी और (उनको गिरफ्तार नहीं किये जाने से) गांधी को कुछ उलझन हुई है और शायद उसकी स्थिति कुछ कमजोर हुई है।'' किन्तु यह सोचकर कि उनकी कार्रवाइयाँ ''और अधिक विस्तृत रूप'' ले सकती थीं, भारत सरकार ने २२ अप्रिल को बिहार सरकार को एक गुप्त तार द्वारा सूचना भेजकर निम्नलिखित बातों पर यथाशीघ्र जवाब देने को कहा :

''सरकार के समक्ष मुख्य सवाल यह है : आन्दोलन के गांधी जी के द्वारा निदेशित होने की संभावना है और यदि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आन्दोलन बदनाम हो जाएगा और स्वयं ही खत्म हो जाएगा या अन्यत्र कार्रवाई किए जाने के बावजूद जबतक गांधीजी जेल के बाहर हैं, और उसे बराबर प्रोत्साहित करते रहेंगे, उसके खत्म होने की आशा नहीं की जा सकती। यदि पहला दृष्टिकोण सही माना जाए तो वर्तमान नीति चलाते रहने के लिए अच्छे आधार हैं और यदि दूसरे दृष्टिकोण को सही माना जाए तो उसका अर्थ होगा कि गांधीजी को आज या कल गिरफ्तार करना पड़ेगा। तब प्रश्न यह उठता है कि जल्द कार्रवाई करने में अधिक लाभ होगा या विलम्ब करने में। इस सवाल का जवाब अधिकतर गांधीजी की गिरफ्तारी पर संभावित प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, अतः भारत सरकार इसपर स्थानीय सरकारों का विचार जानना चाहेगी। इसपर सपरिषद गवर्नर के आम अभिमत के अतिरिक्त भारत सरकार निम्नलिखित बातों पर उसके विचार से अवगत होना चाहेगी :—

(क) क्या गांधीजी को गिरफ्तार नहीं किए जाने से सविनय अवज्ञा आन्दोलन को बढ़ाने में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है ? दूसरी ओर उनकी गिरफ्तारी से क्या उसे रोकने में सहायता मिलेगी ?

(ख) यदि गांधीजी को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या इसकी आशंका की जाती है कि उसके विरोध में प्रदर्शन का कोई स्थायी असर होगा या उससे खतरनाक स्थिति पैदा होगी ?

(ग) क्या गांधीजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का हमारे समर्थकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है या सरकार की स्थिति किसी तरह उससे कमजोर हो रही है ?

(घ) यदि गिरफ्तार करने का निर्णय किया जाए तो स्थानीय सरकारें कितने दिनों की पूर्व सूचना चाहेंगी ?

(ङ) क्या ऐसा सोचने का कोई कारण है कि गांधीजी की गिरफ्तारी के फलस्वरूप आन्दोलन में ऐसे तत्व सम्मिलित होने लगेंगे जो अभी तक उससे अलग रहे हैं या आन्दोलन को कोई अन्य स्थाई प्रोत्साहन मिलेगा ? आमतौर पर मुसलमानों का रवैया क्या होगा ?''

पहली मई, १९३० तक भारत सरकार ने गांधीजी को गिरफ्तार करने का निर्णय कर लिया था। गिरफ्तारी के लिए ४ मई, रविवार का दिन निर्धारित किया गया था। तात्कालिक प्रतिक्रिया को रोकने के उद्देश्य से सरकार ५ मई तक गिरफ्तारी की खबर को दबाए रखना चाहती थी। इस संबंध में सरकार ने यह निर्णय किया कि ''इसे यथासंभव गुप्त रखा जाए और इसके लिए सभी आवश्यक सतर्कता बरती जाए। स्थानीय सरकार अविलम्ब सैनिक अधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करे''। पहली मई को बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव, श्री एच० के० ब्रिस्को ने गांधीजी की गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया का सामना करने के हेतु जिलाधिकारियों को पूरा तैयार रहने का आदेश भेज दिया। उन्हें सूचित किया गया कि ''खबर मिलते ही हड़ताल और उग्र प्रदर्शन की आशा की जा सकती है और प्रदर्शनों को अपना जोर खत्म कर देने दिया जाए, यह नीति निर्धारित की गई है। इसलिए स्थानीय अधिकारी उस अवसर पर जुलूसों एवं सभाओं के संदर्भ में कानून के अक्षरशः अनुपालन पर हठ नहीं करेंगे। वे तभी हस्तक्षेप करेंगे जब स्थिति खतरनाक होती दीख पड़े''। इसके अतिरिक्त

बिहार-उड़ीसा के आरक्षी महानिरीक्षक, श्री स्वेन को उसी दिन मुख्य सचिव ने सूचित किया कि "आम प्रान्तीय आपातकाल के लिए वे जैसा आवश्यक समझें, रिजर्व पुलिस बुलाने एवं पदस्थापित करने का आदेश जारी कर दें"। इसके लिए आसन्न बकरीद का त्योहार उपयुक्त आवरण के रूप में बताया जाए। नमक बनाने के संबंधमें तैनात पुलिस को आपात कार्य के लिए आवश्यक होने पर बुला लिया जाए। स्थिति को संभालने के लिए आरक्षी महानिरीक्षक ने प्रान्तीय रिजर्व पुलिस का निम्नलिखित वितरण किया :—

पटना—प्रान्तीय रिजर्व पुलिस के रूप में ५० गोरखा, ४६ घोड़सवार सैनिक पुलिस।

सारण—आरक्षी अधीक्षक के अन्तर्गत १६ घोड़सवार सैनिक पुलिस।

जमशेदपुर—आरक्षी अधीक्षक के अन्तर्गत २६ गोरखा।

मुजफ्फरपुर—आरक्षी उपमहानिरीक्षक के अन्तर्गत ३० गोरखा।

थाना वीहपुर–आरक्षी अधीक्षक के अन्तर्गत २५ भागलपुर सैनिक पुलिस।

धनबाद—आरक्षी अधीक्षक के अन्तर्गत २५ भागलपुर सैनिक पुलिस।

मोतिहारी में ५० गोरखा सैनिक पहले ही पदस्थापित थे।

दानापुर के ऑफिसर कमांडिंग ले० कर्नल बार्कर को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देने का अनुरोध किया गया था।

सरकार की पूर्व नियोजित योजना के अनुसार सूरत के जिला मैजिस्ट्रेट ने पिस्तौल सज्जित दो अधिकारियों और लगभग ३० बंदूकधारी पुलिस के जवानों को लेकर ४ मई के १२.४५ बजे आधी रात्रि में डंडी से ३ मील दूर करादी शिविर में गाँधी जी को चुपचाप एवं अकस्मात् गिरफ्तार कर लिया। १८२७ के रेगुलेशन २५ के अन्तर्गत गिरफ्तारी की गई थी। गाँधीजी को गिरफ्तार करके यरवदा सेन्ट्रल जेल में लाया गया। मीरा बहन ने इस संबंध में लिखा, "आधी रात में वे चोरों की तरह आए उन्हें चुरा ले जाने के लिए क्योंकि जब उन्होंने उनपर हाथ लगाना चाहा तो वे जनता से डर रहे थे क्योंकि जनता उन्हें पैगम्बर मानती थी"।[1]

गाँधीजी की गिरफ्तारी (४ मई, १९३०) और उसकी प्रतिक्रिया :

गाँधीजी की गिरफ्तारी पर भारत के करोड़ों-करोड़ लोगों को भारी रोष हुआ। सारे देश में इसके विरोध में हड़तालें हुईं। बिहार में जिला

१. तेन्दुलकर में उद्धृत, खंड ३, पृष्ठ ४८।

तथा अनुमंडलीय मुख्यालयों में हड़तालें हुईं। पटना में ६ मई को हड़ताल रही, जुलूस निकाले गये और संध्या में एक बहुत बड़ी सभा हुई। राजेन्द्र बाबू ने इसमें बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में भाषण किया। बाढ़ में नगरपालिका, लोकल बोर्ड तथा कोऑपरेटिव बैंक बन्द रहे। अनेक स्कूली छात्रों ने हड़ताल और प्रदर्शनों में भाग लिया। ८ मई को पटना के भंवरपोखर में हर तरह के छात्रों की एक विशेष सभा हुई। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर अब्दुल बारी ने की। गया में भी इसी तरह हड़ताल, जुलूस और सभाएँ हुईं। आरा में पूरी हड़ताल रही। कई स्थानों पर सभाएँ हुईं। इनमें छात्रों ने प्रमुख भाग लिया। विदेशी, विशेष करके ब्रितानी, वस्त्र वहिष्कार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। न्यायालयों का परित्याग करने एवं नशीले पदार्थों की दूकानों पर धरना देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। कुछ वक्ताओं ने पुलिस को सरकारी नौकरी छोड़ने की अपील की। भभुआ में भभुआ रोड और भभुआ के बीच टैक्सियों तथा मोटर-लौरियों का आना-जाना दिन भर रुका रहा।[1]

एक तत्कालीन सरकारी रिपोर्ट में छपरा के संदर्भ में कहा गया कि "छपरा में ज्योंही यह खबर पहुँची, भारी उत्तेजना फैल गई। शहर में पूरी हड़ताल रही। सड़कों पर अनेक जुलूस निकाले गये किन्तु जुलूस शांतिपूर्ण थे। इसलिए अधिकारियों ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। बहुत कम वकील उस दिन अदालतों में आए और कुछ वकीलों ने "जुलूस का नेतृत्व किया"....। जिला स्कूल के कुछेक छात्रों को छोड़कर शेष सबों ने हड़ताल मनाई"। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चम्पारण, पुरुलिया, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, मधुपुर और अन्य स्थानों पर हड़तालें, जुलूस और सभाएँ हुईं। इन सबों में छात्रों ने प्रमुख भाग लिया।

पुलिस के कुछ सदस्यों का त्यागपत्र :

बिहार में पुलिस के कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। वास्तव में कुछ स्थानों पर पुलिस के सिपाहियों में पहले से ही असंतोष था। मार्च, १६३० में हजारीबाग के आरक्षी अधीक्षक ने "कांग्रेस आन्दोलन के प्रति सहानुभूति रखने के अभियोग पर" चतरा के एक सिपाही को बर्खास्त कर दिया था। पूर्णिया में एक अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी, श्री शरत कुमार मुखर्जी के पुत्र दारोगा, श्री तारा कुमार मुखर्जी ने नौकरी छोड़ दी। एक राइटर हेड

१. पटना आयुक्त का अभिलेख।

कांस्टेबुल, श्री शारदा प्रसाद ने भी गाँधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। इस जिला में एक अन्य दारोगा ने भी पदत्याग कर विभिन्न थानों में एकाधिक अन्य सिपाहियों ने भी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। कुछ जिलों में चौकीदारों ने भी पदत्याग किया। मई के पूर्वार्द्ध में नवादा थाना के एक चौकीदार को उसके गांव में कांग्रेस स्वयंसेवकों के आने की सूचना नहीं देने के लिए दंड-आदेश पर अँगूठा की छाप देने को कहा गया, पर वह अपनी वर्दी फेंककर चला गया।[1]

विलायती वस्त्र एवं नशीले पदार्थों की दूकानों पर धरना देने का कांग्रेस का आदेश :

बिहार में जून के अन्त तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाना था क्योंकि वर्षा शुरू हो जाने पर नमक बनाने के योग्य मिट्टी मिलना संभव नहीं था।[2] इस बीच सविनय अवज्ञा कार्यक्रम के दूसरे-दूसरे काम जैसे विलायती वस्त्र का वहिष्कार और उसके साथ-साथ खादी का उत्पादन तथा व्यवहार तथा सभी तरह के नशीले पदार्थों का वहिष्कार आदि कार्य बीच-बीच में कांग्रेसी स्वयंसेवकों द्वारा शुरू किया जा रहा था। इसके साथ चौकीदारी कर नहीं देने के लिये तैयारियाँ भी की जा रही थीं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष ने ९ मई, १९३० को एक परिपत्र परिचारित करके सभी शाखा समितियों को विदेशी वस्त्रों तथा नशीले पदार्थों की दूकानों पर १६ मई से धरना देने का काम शुरू करने के आदेश दिए। उस समय से विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों तथा शराब-ताड़ी के व्यवहार के विरुद्ध प्रचार कार्य एवं उनकी दूकानों पर धरना उत्साह के साथ शुरू किया गया।[3] तीन सप्ताह के भीतर कई बड़े-छोटे नगरों एवं बाजारों में विदेशी वस्त्र बिक्रेताओं ने कांग्रेस की अपील पर आगे से विदेशी वस्त्र नहीं मँगाने का वचन दिया। उनकी दूकानों और गोदामों के विदेशी वस्त्र आलमारियों में बन्द करके उन पर उनके क्षेत्रों की कांग्रेस कमीटी द्वारा

---

१. पटना आयुक्त का अभिलेख, पुलिस रिपोर्ट।
२. मई के आरम्भ में गया जिला के औरंगाबाद थानान्तर्गत करमा गाँव में नमक बनाया गया था।
३. इस काम के सिलसिले में राजेन्द्र बाबू और प्रोफेसर अब्दुल बारी मई के अन्त में भभुआ और सासाराम गये—पटना आयुक्त का अभिलेख।

मुहर लगा दी जाती। नशीले पदार्थों के विरुद्ध प्रचार जोरशोर से चलाया जा रहा था। इससे प्रांत भर में उनकी बिक्री में बहुत कमी हुई और कुछ जगहों पर एकदम बन्द हो गई। शराब एवं ताड़ी के वहिष्कार की एक विशेषता यह थी कि अनेक जिलों में ताड़ एवं खजूर के पेड़ की फली काट दी गई जिससे असंख्य पेड़ ताड़ी उतारने के योग्य नहीं रह गये। अनेक स्थानों पर पेड़ के मालिकों ने स्वयं ही इसमें सहयोग किया।[1]

पटना स्वदेशी लीग की स्थापना (१९३०) :

मई, १९३० में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष सर अली इमाम, उपाध्यक्ष, श्री सच्चिदानन्द सिन्हा और श्री के०बी० दत्त मुख्य सचिव, श्री हसन इमाम और संयुक्त सचिव, श्री बलदेव सहाय थे।[2]

राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेने की महिलाओं से गांधीजी की अपील :

सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करते समय गांधीजी ने भारत की महिलाओं के नाम एक खुली चिट्ठी में उनसे विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों के वहिष्कार सम्बन्धी कार्यों में भाग लेकर राष्ट्रीय संग्राम में सहायता देने की अपील की थी।[3] उन्होंने महिलाओं से अपनी अपील में कहा था कि विदेशी वस्त्र का वहिष्कार हस्त-निर्मित वस्त्र के उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि करके प्रभावी बनाया जा सकता था। इस काम में स्त्रियाँ (सूत कातने में) अपना बचा हुआ समय लगाकर बहुत सहायता कर सकती थीं। इन दोनों वहिष्कार-कार्यों के लिये प्रचार के सन्दर्भ में गांधीजी ने उनसे कहा था कि "विदेशी वस्त्र बिक्रेताओं तथा क्रेताओं एवं शराब पीनेवालों एवं बेचनेवालों से उनकी अपील उनका हृदय पिघलाए बिना नहीं रह सकती थी।" अपनी अपील के अन्त में गांधीजी ने कहा कि "यह असम्भव नहीं कि इस सिलसिले में उन्हें अपमानित किया जाय। किन्तु ऐसा अपमान सहना भी उनके लिए गौरव की बात होगी। यदि ऐसा हुआ तो इससे देश की अग्नि-परीक्षा जल्दी खत्म होगी।"

---

१. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी की साप्ताहिक रिपोर्ट, २९ मई, १९३०।
२. पटना आयुक्त का अभिलेख।
३. <u>यंग इन्डिया,</u> १० अप्रिल, १९३०।

बिहार में अनेक महिलाएँ पर्दा से बाहर आईं और गांधीजी की अपील का सोत्साह उत्तर दिया। विशेष करके पटना में विदेशी वस्त्र वहिष्कार को जो सफलता मिली उसका श्रेय अधिकतर महिलाओं को था। श्रीमती हसन इमाम के नेतृत्व में कुछ स्त्रियाँ पटना की सड़कों पर घूमीं एवं दूकानदारों से विदेशी वस्त्र का व्यापार नहीं करने की अपील कीं। श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी ने भी इसमें प्रमुख भाग लिया। इस शंका से कि स्त्रियाँ नशीले द्रव्यों की दूकान पर धरना देने में भाग लेंगी, पटना सिटी के मैजिस्ट्रेट ने "महिला पुलिस नियुक्त करने" का सुझाव दिया। जिलाधिकारी एवं आयुक्त को यह सुझाव व्यावहारिक नहीं प्रतीत हुआ।[१] सहसराम में श्री रामबहादुर बार-ऐट-लॉ की पत्नी ने कुछ अन्य महिलाओं के साथ स्थानीय थाना के सामने एक छटाँक नमक बनाया।[२]

कुछ दिनों से बिहार की शिक्षित महिलाओं में जागरण का आसार दीख पड़ रहा था। जनवरी, १९२९ में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का एक अधिवेशन हुआ। इसमें बिहार की महिलाओं को देश के अन्य भागों की महिलाओं से मिलने का अवसर मिला और देश की स्वतंत्रता एवं महिला समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थीं उन्हें दूर करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। बिहार में सम्मेलन की एक शाखा का संगठन किया गया। इसका एक अधिवेशन ७ दिसम्बर, १९२९ को हुआ। उसमें शारदा ऐक्ट के समर्थन तथा पर्दा प्रथा एवं दहेज प्रथा के विरोध मे प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रान्त में नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया गया। बिहार से कुछ महिला प्रतिनिधियों ने २० जनवरी, १९३० को बम्बई में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधारों के हेतु अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अधिवेशन में भाग लिया। बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन गया के थियोसौफिकल हॉल में ४ दिसम्बर, १९३० को श्री नन्दकिशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में हुआ। बिहार के लिए स्थाई समिति की सदस्या श्रीमती कमलकामिनी देवी ने पिछले वर्ष के कार्यों की एक रिपोर्ट पढ़ी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के आगामी अधिवेशन के लिए कुछ प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया।[३]

१. पटना आयुक्त का अभिलेख।
२. वही।
३. द सर्चलाइट, ९ फरवरी और ११ दिसम्बर, १९३०।

वहिष्कारों के संदर्भ में सरकारी नीति :

विदेशी वस्त्र एवं शराब के वहिष्कार के प्रस्तावित आन्दोलन के संदर्भ में बिहार सरकार ने मई, १९३० में एक नीति निर्धारित की। इसके अनुसार नमक सत्याग्रह वाली नीति ही इस संदर्भ में भी अपनाई जानी चाहिए। स्थानीय नेता जहाँ कहीं वे गैरकानूनी काम करें, गिरफ्तार कर लिए जाएँ किन्तु दूसरे लोगों को सामूहिक स्तर पर गिरफ्तार यथासंभव नहीं किया जाए। जहाँ भी जरूरत हो, दूकानकारों एवं ताड़ी शराब बेचनेवालों की रक्षा के लिए पुलिस की पूरी व्यवस्था की जाए। वस्त्र वहिष्कार के संबंध में लोगों को यह बताया जाए कि इस आन्दोलन से मूल्यों में वृद्धि होगी"।[1]

बिहार के विभिन्न भागों में जून के प्रथम सप्ताह तक वहिष्कार कार्यक्रम में बहुत कुछ प्रगति हुई। "अनेक संभ्रान्त घरों की महिलाएँ पर्दा तोड़ कर धरना कार्यक्रम में भाग ले रही थी।[2] उन्हीं दिनों श्री देवकी प्रसाद सिंह और आर० के० नन्दकेयोलियार ने परिषद् की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। सरकारी दमनचक्र भी तेजी से चलाया जा रहा था। गिरफ्तारियों की संख्या रोज बढ़ रही थी और अनेक लोगों को सजाएँ दी जा रही थीं। इस समय तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या ५०८ तक पहुँच चुकी थी। बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी के सहायक सचिव श्री जीमूतवाहन सेन जून के प्रथम सप्ताह में कुछ सहकर्मियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इस समय तक प्रान्तीय कार्यकारिणी के १५ सदस्यों में से ८ जेल में थे। कुछ स्थानों पर स्वयंसेवकों को पीटा भी गया था। सारन जिला के कटैया नामक स्थान पर एक स्वयंसेवक की इसके फलस्वरूप मृत्यु हो गई। बेतिया में गोरखा सैनिक नियुक्त थे। यहाँ भी धरना देनेवालों स्वयंसेवकों की मारपीट की गई।[3]

वीहपुर सत्याग्रह :

भागलपुर जिला में वीहपुर में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। १९३० के सत्याग्रह के आरम्भ से बिहार के अन्य स्थानों से पुलिस का जुल्म वीहपुर

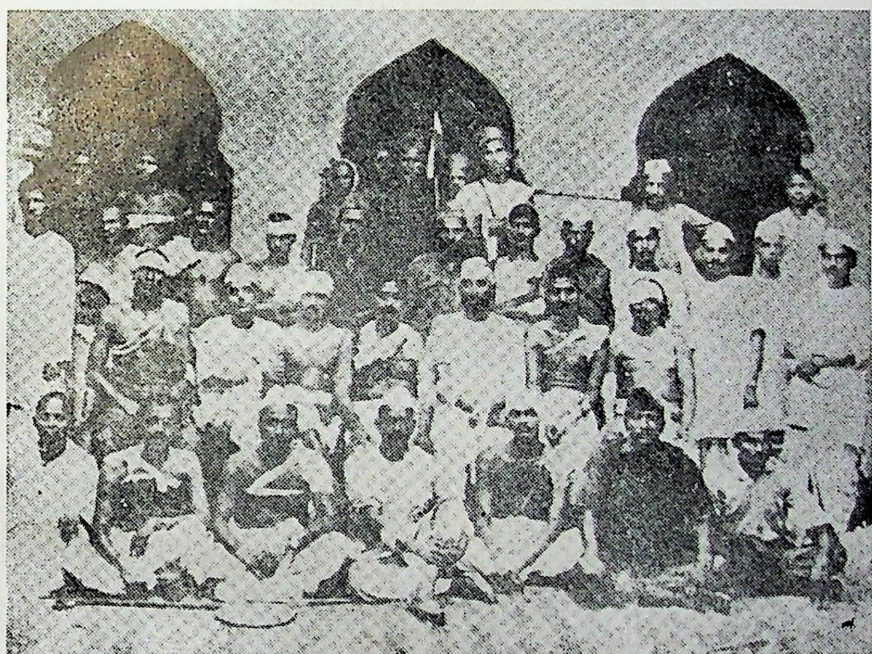
१. भागलपुर के जिलाधिकारी को आयुक्त का पत्र, ३ मई, १९३०।
२. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी की रिपोर्ट, २९ मई और ६ जून, १९३०।
३. वही।

में जो कुछ हुआ उनके सामने कुछ भी नहीं। पटना में मध्य अप्रिल में सत्याग्रही स्वयंसेवकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उससे भी यहाँ पुलिस की जुल्म की कठोरता अधिक थी। ३१ मई, १९३० को भागलपुर का जिलाधिकारी श्री टौपलिस, आरक्षी अधीक्षक तथा सहायक आरक्षी अधीक्षक के साथ बड़ी संख्या में सशस्त्र तथा सामान्य पुलिस को लेकर वीहपुर पहुँचा। पहली जून को तीसरे पहर शराब एवं गांजा की दूकानों पर धरना देनेवाले स्वयंसेवकों को युरोपीय अधिकारियों ने वहाँ से हट जाने को कहा। आदेश नहीं मानने पर उन्हें पूरी तरह पीटा गया और राष्ट्रीय झंडा छीन कर जला दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय, खादी भण्डार और चर्खा संघ पर धावा मारा और उसपर कब्जा कर लिया।[1] चर्खा संघ कार्यालय का "ताला तोड़ दिया गया, चर्खा, सूत, कपास, खादी के कपड़े एवं कर्मचारियों के कपड़े आदि खंदकों में फेंक दिए गए"। इसके बाद वहाँ एक सभा हुई जिसमें श्री सुखदेव चौधरी ने एक उग्र भाषण किया। यह निर्णय किया गया कि कांग्रेस ऑफिस पर फिर से अधिकार करने के लिए प्रति दिन स्वयंसेवकों का एक जत्था भेजा जाए। २ से ६ जून तक स्वयंसेवक इस कार्यक्रम के अनुसार जब कार्यालय की ओर जाते तो उनपर पुलिस निर्ममता के साथ प्रहार करतो। इसमें कई स्वयंसेवक बेहोश हो गए। इसके परिणामस्वरूप चारों तरफ घोर उत्तेजना फैल गई और पड़ोस के गाँवों से बड़ी संख्या में लोग वहाँ एकत्र होने लगे। ६ जून को कांग्रेस कार्यालय से थोड़ी दूर पर आम के बगीचे में एक महती सभा हुई। कुछ पुलिस के जवानों को लेकर एक युरोपीय अधिकारी वहाँ पहुँचा और लोगों को बेरहमी से पीटा। अनेक लोग इसमें बुरी तरह घायल हुए। ७ जून को भी यही सब हुआ।

वीहपुर में पुलिस का दमनचक्र बड़ी ही कठोरता एवं निर्ममता के साथ चल रहा था। स्थिति रोज-ब-रोज बिगड़ रही थी। प्रोफेसर अब्दुल बारी, बलदेव सहाय, ज्ञान साहा और श्री मुरली मनोहर प्रसाद को साथ लेकर राजेन्द्र बाबू वीहपुर के लिए रवाना हो गए। ये लोग ८ जून, रविवार को भागलपुर पहुँचे। दूसरे दिन राजेन्द्र बाबू अपने पटना के सहयोगियों तथा अनन्त प्रसाद, एम० एल० सी० और बाबू कमलेश्वरी

---

१. वीहपुर सत्याग्रह, १९३०, लेखक—अर्जुन प्रसाद सिंह; रामगति सिंह, ए फ्यू पेजेज ऑफ माइ डायरी।



विहपुर सत्याग्रह (१९३०)



प्रसाद, एम० एल० सी० को साथ लिये वीहपुर लगभग दोपहर में पहुँच गए। उनके साथ श्री याकूब आरिफ, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, श्री उपेन्द्रनाथ मुखर्जी (भागलपुल जिला कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष) और कुछ अन्य लोग भी थे। तीसरे पहर उसी बगीचे में एक सभा हुई। इसमें राजेन्द्र बाबू, अब्दुल बारी और श्री आरिफ ने भाषण किया। सभा ५ बजे खत्म हुई और एक जुलूस मुख्य सड़क से कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ी। जुलूस के साथ पुलिस का कैसा सलूक होता है यह देखने को अनेक लोग उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। पुलिस के घेरा के समीप पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक पाठशाला में रखा गया। भीड़ उनके गिरफ्तार होने के स्थान से लगभग १०० गज की दूरी पर खड़ी थी। पुलिस ने उस पर बेरहमी के साथ लाठी चलाई। इससे अनेक लोगों को चोटें आईं। फिर भी सभी लोग शांत रहे।[१] मुख्य सड़क पर यह सब करने के बाद आरक्षी अपने पुलिस दस्ता को लेकर

१. जनसाधारण में इस पर अहिंसा की भावना बद्धमूल हो चुकी थी। इसके दृष्टान्त के रूप में राजेन्द्र बाबू दो निम्नलिखित घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं :—

(क) वीहपुर में पुलिस द्वारा प्रहार किये जाने एवं भीड़ को तितरबितर कर दिये जाने के बाद जब कुछ लोग साँझ की गाड़ी से राजेन्द्र बाबू और उनके सहयोगियों को भागलपुर के लिये विदा करने को एकत्र थे तो उस समय एक वृद्ध व्यक्ति उनके समीप आया और बच्चे की तरह सिसकते हुए कहा : "हमलोगों के लिए आपके जैसे लोगों को पीटे जाते हुए देखना लज्जा की बात है। हममें से हजारों खड़े रहे और देखते रहे किन्तु हम लाचार हैं। हम यह देखने के आदी नहीं और मेरी उम्र के भी व्यक्ति सभी पुलिस वालों को यदि एक लाठी हमारे पास रहती तो भगा दे सकते थे किन्तु गांधीजी ने अपने शब्दों से हमारे हाथ बाँध दिये हैं और हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं।"

(ख) "जब मैं भागलपुर में ठहरा हुआ था तो स्थानीय जिलाधिकारी जो भारतीय था और जिसके परिवार को मैं अच्छी तरह जानता था, का सन्देश मुझे मिला…… ……उसने मुझे बुलाया था और मैं उससे मिला। मुझे देखते ही उसने मेरे पैर पकड़ लिये और बच्चे की तरह फूट-फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि जिलाधिकारी होते हुए भी वह, जो कुछ हो रहा था उसका मूक दर्शक था। मारपीट के पक्ष में वह नहीं था क्योंकि भीड़ एवं स्वयंसेवक पूर्णतया अहिंसक थे। स्वयंसेवकों ने यदि कानून भंग किया होता तो उन्हें गिरफ्तार करने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती किन्तु प्रो० अब्दुल बारी और मेरे जैसे लोगों पर लाठी प्रहार का सहन वह नहीं कर सकता था और एक ऐसे जिला में जिसका प्रशासनाधिकारी उसे समझा जाता था।"

बाजार की ओर गया जहाँ राजेन्द्र बाबू और कुछ अन्य लोग उस समय थे। उनके पास पहुँचते ही पुलिस ने लाठियाँ चलानी शुरू कर दीं। वहाँ राजेन्द्र बाबू, बलदेव सहाय, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद, प्रोफेसर ज्ञान साहा एवं अन्य गण्यमान्य पुलिस की लाठियों की चपेट में आ गये। इन सभी लोगों को तथा अनेक दूसरे लोगों को भी चोटें आईं। तदुपरांत पुलिस भागलपुर जिला कांग्रेस कमीटी के प्रभारी अध्यक्ष श्री उपेन्द्रनाथ मुखर्जी, सचिव श्री मेवालाल झा, वीहपुर थाना कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री सत्यदेव राय को धारा १४६ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत गैरकानूनी जमात के सदस्य होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया।[1]

पुलिस के कठोर दमन एवं बेरहमी से मारपीट करने की नीति से भयभीत होने के बदले राष्ट्रवादी भावना और भी जोर पकड़ती गई, सरकार के विरुद्ध लोगों का रोष बढ़ता गया और इससे सत्याग्रह आन्दोलन को विशेष बल मिला। १३ जून की बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी की रिपोर्ट में उल्लिखित है कि "सरकार दमन के द्वारा जिस भावना को कुचल देना चाहती थी वह उसके हर प्रयत्न से और भी शक्तिशाली हुई है। इस समय प्रान्त भर में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहाँ वीहपुर क्षेत्र की तरह उत्साह एवं जिन्दगी दीख नहीं पड़ती हो।" वीहपुर के सभी चौकीदार, संख्या में लगभग २००, ६ सरपंच और कुछ दफादारों ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिये। पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार कौंसिल के ४ सदस्य, श्री अनन्त प्रसाद, श्री कमलेश्वरी सहाय, श्री श्यामनारायण सिंह शर्मा और श्री नवलकिशोर प्रसाद सिंह ने सदस्यता त्याग दी। भागलपुर के पब्लिक प्रोज़क्यूटर, राय बहादुर सुधांशु भूषण राय ने ४ जुलाई, १९३० को अपना त्यागपत्र दे दिया। भागलपुर के अधिकारियों से श्री राय का जिला की हाल की घटनाओं को लेकर तीव्र मतभेद हो गया था। श्री राय ने वीहपुर एवं सबौर में पुलिस की कार्रवाइयों को अवैध कहा था। रायबहादुर द्वारकानाथ ने भी लगभग इसी समय सरकार की दमन नीति और विशेष करके राजेन्द्र बाबू और प्रो० अब्दुल बारी पर लाठी प्रहार के विरोध में बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से इस्तीफा दे दी। बाबू योगेन्द्र प्रसाद, ऐडवोकेट, पटना हाईकोर्ट ने भी इसी कारण परिषद् की सदस्यता त्याग दी।

---

१. परिशिष्ट–३।

भागलपुर के जिलाधिकारी ने सरकार से अनुशंसा की कि पुलिस द्वारा जब्त वीहपुर स्वयंसेवक शिविर लौटा दिया जाय और स्वयंसेवकों को सरकारी आदेश के लिये कुछेक दिन प्रतीक्षा करने को कहा। किन्तु सरकार ने उसकी अनुशंसा नहीं मानी। फलतः वीहपुर में २१ जून से फिर सत्याग्रह शुरू कर दिया गया और यह सत्याग्रह गांधी-इरविन समझौता हस्ताक्षरित होने तक चलता रहा। दिन में तीन बार स्वयंसेवकों का जत्था नियमित रूप से भेजा जाता था। स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनकी मार-पीट की जाती थी और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता था। वीहपुर में गोरखा सैनिक पदस्थापित कर दिये गये थे। पुलिस अधिकारियों ने चौकीदारों द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के प्रयत्न भी किये। कभी-कभी स्वयंसेवकों को शारीरिक यंत्रणा भी दी जाती थी। बलदेव दास नामक एक स्वयंसेवक के कान यंत्रणा के फलस्वरूप बुरी तरह खराब हो गये। बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की पहली अगस्त की रिपोर्ट में कहा गया है कि २४ जुलाई, १९३० को "पुलिस ने स्वयंसेवकों पर लाठी एवं बंदूक के कुन्दों से प्रहार किया। तदुपरांत उन्हें घसीट कर एक खंदक में ले गये और उन्हें कई बार जमीन पर पटका और उनके मुँह, आँख, नाक में कीच भर दिया। इससे सभी बेहोश हो गये। लेकिन ज्योंही वे फिर होश में आए वे पुनः आगे बढ़े और फिर उनके साथ वैसा ही दुर्व्यवहार किया। इस प्रकार सत्याग्रह चलता रहा और अन्त में सभी बहुत बुरी तरह घायल हो गये। तब दूसरे सत्याग्रहियों ने उन्हें उठा लिया और इलाज के लिए भागलपुर भेज दिया।" "पुलिस स्वयंसेवकों के शिविरों पर भी धावा करती और वहाँ जो कुछ भी पाती, खाना, कपड़ा आदि, उठा कर ले जाती। शिविरों के समीप पहरेदार नियुक्त कर दिये जाते जिसमें बाजार से कोई कुछ ला नहीं सके"।

विदेशी वस्त्र और नशीले द्रव्यों का धरना प्रान्त भर में जोरशोर से चल रहा था। कई स्थानों पर चौकीदारी नहीं चुकाने का अभियान चलाने की तैयारियाँ भी की जा रही थीं। शाहाबाद जिलान्तर्गत बाबुरा नामक स्थान पर कुछ लोगों ने चौकीदारी चुकाने से इन्कार कर दिया था। कुछ अन्य स्थानों पर विदेशी वस्त्र बिक्रेता की दूकानों में रखे विदेशी वस्त्र कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं द्वारा मुहरबन्द कर दिये गये थे। उन दिनों कलकत्ता और कानपुर के बीच भागलपुर वस्त्र-व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र था। अनेक स्थानों पर जाति-पंचायतें नशीले द्रव्यों के व्यवहार पर प्रतिबंध लगा रही थीं और कुछ स्थानों

पर नशीले द्रव्य के व्यवसाय करनेवालों को सामाजिक वहिष्कार किया जा रहा था।[1] विदेशी वस्त्र और नशीले द्रव्यों की बिक्री पर कोयला खदान क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ा। इससे सरकारी राजस्व में आबकारी से होने वाली आय में काफी कमी हुई। सरकार इसे विफल कराने की हर तरह की कोशिश करती। बिहार-उड़ीसा के आबकारी और नमक आयुक्त, श्री हौर्सफिल्ड ने १६ मई को मानभूम के उपायुक्त तथा प्रान्त के अन्य जिलाधिकारियों को बोर्ड के नियमों में निम्नलिखित ढिलाई करने के आदेश दिये : "देहाती शराब, अफीम, गांजा, और भांग बेचने का समय स्थिति के अनुरूप बढ़ा दिया जाय। यदि धरना विफल करने में केवल यही पर्याप्त सिद्ध नहीं हो तो किसी एक दूकान में इन वस्तुओं को रखने और बेचने की मात्रा में भी ढिलाई की जा सकती थी। विदेशी शराब के संबंध में ये सब प्रतिबंध नहीं हैं और उनपर भी धरना दिये जाने की आशंका थी इसलिए उनके बेचने का स्थान आवश्यकतानुसार और उपभोक्ताओं की सुविधानुसार बदला जा सकता था। इसके जवाब में मानभूम के उपायुक्त ने २६ मई, १९३० को आबकारी आयुक्त को सूचित किया कि उपभोक्ताओं की नशीले पदार्थों की मांग के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाइयाँ करने के उपाय वह पहले से ही कर रहा था"।

वहिष्कार एवं धरना के विरुद्ध अध्यादेश और घोड़सवार पुलिस का व्यवहार :

स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने दमन के नये तरीके अपनाये। ३० मई को गवर्नर जेनरल ने प्रिवेंशन ऑफ इन्टिमिडेशन ऑर्डिनेन्स (डराना-धमकाना रोकने के लिए अध्यादेश) और अनलॉफुल इन्सटिगेशन ऑर्डिनेंस (गैरकानूनी बहकाना अध्यादेश) जारी किया। इनका उद्देश्य धरना तथा करबंदी रोकने एवं सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निष्ठा भंग करने के विरुद्ध कार्रवाई करनी थी। जून (१९३०) के दूसरे सप्ताह तक विदेशी वस्त्र और शराब का वहिष्कार और धरना तथा चौकीदारी नहीं चुकाने के अभियान के विरुद्ध अध्यादेश प्रान्त भर में लागू कर दिये गये। अनेक स्थानों पर पुलिस के दस्ते तैनात कर दिये गये जिसमें दूकानों या उपभोक्ताओं के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो। २२ जून को मानभूम के उपायुक्त ने आबकारी आयुक्त को इस आशय की सूचना दी "घोड़सवार पठान और

---

१. पटना आयुक्त की रिपोर्ट, २६ मई, १९३०।

सशस्त्र गोरखा यहाँ आ गये हैं तथा धरना देनेवालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। उनके आने से धरना देनेवालों में आतंक फैल गया है"। सरकार गाँवों में भी लोगों को डराने धमकाने के लिए सशस्त्र पुलिस के जत्थे भेज रही थी। अक्सर लोगों के साथ ये लोग दुर्व्यवहार भी करते। जून के अन्त तक भागलपुर, संथालपरगना और मानभूम इस तरह की कार्रवाइयों का केन्द्र बन गया लेकिन इससे धरना रुका नहीं। ज्योंही कुछ स्वयंसेवक गिरफ्तार किये जाते दूसरे लोग उनका स्थान ले लिया करते। महिला स्वयंसेविकाएँ भी अब आने लगी थीं।

सरकार ने कठोरता के साथ दमन करना सर्वत्र जारी रखा। बिहार सत्याग्रह समाचार नामक एक कांग्रेसी बुलेटीन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। २९ मई, १९३० को पटना के जिलाधिकारी श्री कज़न्स ने इसके प्रकाशकों से प्रेस ऐक्ट के अन्तर्गत अधिघोषणा करने की मांग की। प्रकाशकों ने उसपर ध्यान नहीं दिया और कुछ दिनों के बाद मैजिस्ट्रेट ने कांग्रेस के सहायक सचिव पर "प्रेस ऐक्ट की धारा ३, ४ और ५ के उल्लंघन करने", के अभियोग में सम्मन जारी करने का आदेश दिया। १३ या १४ जून, १९३० को पुलिस ने पटना स्थित प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के कार्यालय पर इस संबंध में धावा किया।[१] तालाशी लेने के बाद पुलिस अपने साथ एक साइक्लोस्टाइल मुद्रण की अन्य सामग्रियाँ तथा बिहार सत्याग्रह समाचार की कुछ प्रतियाँ लेती गईं। पुलिस ने जिस कमरा में प्रोफेसर ज्ञान साहा रहते थे उसकी भी तलाशी ली और राष्ट्रीय गीत संग्रह की २३३ प्रतियाँ अपने साथ लेती गईं।

बिहार सत्याग्रह समाचार की प्रतियाँ प्रकाशित होती रहीं। सरकार कहाँ से वह प्रकाशित होती थी उसका पता लगाने में असमर्थ रही।[२] अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की ७ जून, १९३० की इलाहाबाद की बैठक में सेना एवं पुलिस में काम करनेवाले भारतीयों के संदर्भ में स्वीकृत प्रस्ताव २४ जून को सत्याग्रह समाचार में प्रकाशित हुआ।[३] पटना के जिलाधिकारी ने श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा पर एक अधिसूचना जारी की कि क्यों नहीं उनपर मुकदमा

१. परिशिष्ट—४।

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ जून, १९३०।

३. "समिति सरकार की सेना और पुलिस में काम करनेवाले भारतीयों को यह याद दिलाना चाहती है कि दूसरों की तरह उनका भी देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना पवित्र कर्त्तव्य है। कार्यकारिणी उनसे आशा करती है

चलाया जाए।[१] इस समय सम्मन नहीं जारी करके अधिसूचना जारी की गई थी क्योंकि सरकार को यह पक्की खबर नहीं थी कि श्री वर्मा उस पत्र के स्वीकृत सम्पादक थे। कार्यकारिणी के उपर्युक्त प्रस्ताव का पटना जिला में विस्तृत प्रचार हुआ और जहाँ कहीं भी पुलिस किसी को उसकी प्रति के साथ पकड़ लेती, उसे सजा दी जाती थी। अधिकतर प्रतियों पर राजेन्द्र बाबू के दस्तखत का ठप्पा लगा रहता था। पटना के जिलाधिकारी ने २५ जून को मूल प्रति के लिए एक तलाशी का वारण्ट जारी किया किन्तु इसमें सफलता नहीं मिली। २६ जून को पटना स्थित प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी जिला कांग्रेस कमिटी और नगर कांग्रेस कमिटी के कार्यालयों की तलाशी ली गई। देवघर स्थित संथालपरगना जिला कांग्रेस कमिटी के कार्यालय की भी तलाशी ली गई। पटना के जिलाधिकारी ने प्रमंडलायुक्त से परामर्श करके सरकार से यह अनुशंसा की कि राजेन्द्र बाबू पर मुकदमा चलाने के संबंध में जवाबतलबी की जाए। किन्तु सरकार इससे सहमत नहीं हुई। जिला कांग्रेस कमिटी के कार्यालय की २९ जून को फिर तलाशी ली गई। देवघर स्थिति सत्याग्रह शिविरों की भी तलाशी ली गई। जब तलाशी का वारण्ट जारी किया गया तो राजेन्द्र बाबू ने प्रस्ताव की अपनी प्रति सरकार को सौंप दी। उसपर भी अन्य प्रतियों की तरह हस्ताक्षर की मोहर थी।

२ जुलाई, १९३० को भारत सरकार ने अनऑथोराइज्ड न्यूज शीट्स ऐन्ड न्यूजपेपस् ऑर्डिनेंस (अप्राधिकृत समाचार-पत्र तथा सूचना-इश्तहार अध्यादेश) १९३० के नाम से एक अध्यादेश जारी किया। इसका उद्देश्य अप्राधिकृत समाचार-पत्रों एवं इश्तहारों पर नियन्त्रण करना था।" गवर्नर

कि वे सत्याग्रहियों एवं स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए अन्य लोगों के साथ अपने शत्रुओं की तरह नहीं बल्कि अपने भाइयों की तरह व्यवहार करेंगे। कार्यकारिणी उन्हें इस बात का ध्यान दिलाना चाहती है कि निहत्थे लोगों पर मार-पीट करना उनके कर्त्तव्य के अन्तर्गत नहीं और यद्यपि अपने ऊपर के अधिकारियों के आदेश से वे ऐसा करते हैं फिर भी ऐसे कार्यों के लिए वे दंड के भागी हो सकते हैं"।

१. १९ जून को बिहार-उड़ीसा सरकार ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि वे "इस प्रस्ताव के प्रचार के प्रयत्न की ओर सतर्क रहें और जहाँ कहीं भी उसकी या उसके अनुवाद की प्रति उन्हें मिले, उसे तुरत जब्त कर लें।

जेनरल, लॉर्ड इरविन ने इस अध्यादेश का निम्नलिखित वक्तव्य में समर्थन किया :—

"प्रेस अध्यादेश जारी किये जाने के बाद से बुलेटिनें एवं इश्तहार की साइक्लोस्टाइल तथा ऐसी ही अन्य प्रतियाँ परिचारित करके उससे बचने एवं आपत्तिजनक कार्रवाइयाँ जारी रखने के प्रयत्न किये गये हैं। इन प्रकाशनों का उद्देश्य खुलेआम राजद्रोह का प्रचार, झूठे एवं दुष्टतापूर्ण खबरें फैलाना एवं जनता को कानून का उल्लंघन करने के लिये बहकाना है। अनुभव से सिद्ध हुआ है कि वर्त्तमान कानूनों से इस तरह के इश्तहारों एवं बुलेटिनों पर आंशिक नियन्त्रण ही किया जा सकता है। उनके प्रकाशन पर प्रभावी रोक लगाना सम्भव नहीं हो सका है। इसके लिये ऐसे इश्तहारों एवं बुलेटिनों एवं ऐसे अखबारों को, जो प्रेस अध्यादेश के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं उन्हें तथा उन्हें छापने की मशीनों को जब्त करके ही उन्हें रोका जा सकता है।" १० जुलाई को बिहार-उड़ीसा सरकार ने इस अध्यादेश की प्रतियाँ मैजिस्ट्रेटों को भेज दी और यह आदेश दिया कि "सभी अप्राधिकृत समाचार-पत्रों एवं अघोषित छापाखानों के विरुद्ध अविलम्ब कार्रवाई की जाय।"

राष्ट्रीय साहित्य अक्सर देश-प्रेम की भावना फैलाने का बड़ा ही प्रभावी उपकरण होता है। स्वभावतः राष्ट्रीय चेतना के इस युग में ऐसा साहित्य प्रचुर परिमाण में प्रकाशित हुआ। सरकार ने भी उसपर अपना दमन-चक्र चलाया। १९२९ से अनेक ऐसे प्रकाशन सरकार द्वारा जब्त कर लिये गये। इनमें कुछ के नाम तथा विवरण इस प्रकार हैं :—

(क) देश की पुकार, प्रकाशक—सुरेन्द्रनाथ नियोगी। मुद्रक—नीलकण्ठ विश्वास, चितरंजन प्रेस, चाइबासा, ३ अप्रिल, १९२९—जब्त।

(ख) "युवक", खण्ड—२, अंक ३, मार्च, १९३०, (क्रान्तिकारी अंक), सम्पादक—मुद्रक, रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी, सर्चलाइट प्रेस, पटना (जब्ती की तारीख २१ अप्रिल, १९३०)।

(ग) राष्ट्रीय गीत संग्रह, प्रकाशक, श्री ज्ञान साहा, सचिव, हिन्दुस्तानी सेवा दल, मुद्रक, रमेश प्रिंटिंग वर्क्स, मीठापुर, पटना (जब्ती की तारीख ८ जून, १९३०)।

(घ) गरीब हिन्दुस्तान, उर्दू इश्तहार, प्रकाशक—मोहम्मद वली हसन, पुरैनी, भागलपुर, मुद्रक, रहमानी प्रेस, पटना (जब्ती की तारीख १९ जून, १९३०)।

(ङ) लूना मारा गीता, (उड़िया या उसके अनुवाद आदि, मुद्रक गोपीनाथ प्रेस, भद्रक (२१ जून, १९३०)।

(च) स्वदेशोद्धार की कुंजी, सम्पादक और प्रकाशक, के० एस० ठाकुर, मुद्रक—सुदर्शन प्रेस, दरभंगा, (२९ जून, १९३०)।

(छ) निम्नलिखित हिन्दी इश्तहार—राष्ट्रीय झंकार, राष्ट्रीय गीत संग्रह, स्वतन्त्रता की पुकार, स्वतन्त्रता का बिगुल, राष्ट्रीय झंकार उर्फ स्वराज्य का झण्डा, आजादी की हुंकार।

उपर्युक्त अध्यादेश और प्रेस अध्यादेश की अवधि २६ और २७ अक्तूबर, १९३१ की आधी रात में क्रमशः समाप्त होनेवाली थी। नये अध्यादेश जारी करने तक सरकार ने २४ अक्तूबर के एक परिपत्र में अपने जिलाधिकारियों को 'उन मुद्रणालयों और समाचार-पत्रों पर जिन्होंने जमानत मांगे जाने पर अपना काम और प्रकाशन बन्द कर दिया था, नजर रखने को कहा" तथा "आवश्यकता पड़ने पर धारा १०७ भारतीय दण्ड प्रक्रिया और ५०५ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत "निरोधात्मक कार्रवाई" करने का आदेश दिया। जनवरी, १९३२ के आरम्भ में सरकार ने आरा के सरस्वती और देशसेवक मुद्रणालयों पर कार्रवाई की। "विजयी भारत" शीर्षक एक इश्तहार छापने के अभियोग में देशसेवक प्रेस से एक हजार रुपये की जमानत जमा करने को कहा गया। इसे ५ फरवरी, १९३२ तक जमा कर देना था।

धरना रोकने के लिये गिरफ्तारियाँ तथा दमन की अन्य कार्रवाइयाँ :

धरना रोकने के लिए सरकार नेताओं तथा अन्य दूसरे कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर रही थी। १३ जून, १९३० वाले सप्ताह में गिरफ्तार किए गए लोगों में श्री रामचरित्र सिंह, भूतपूर्व एम० एल० सी० और बिहार अनुमंडलीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष तथा डॉ० पूर्णचन्द्र मित्र, राँची कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष प्रमुख थे। श्री सिंह को एक वर्ष कड़ी कैद की सजा और श्री मित्र को दो वर्ष कड़ी कैद तथा ५०० रुपया जुर्माना की सजा दी गई थी। इसी सप्ताह में प्रो० ज्ञान साहा, गया जिला के एक प्रमुख जमींदार, बाबू गौरीशंकर शरण सिंह, मोतीहारी के एक जमींदार और साहुकार बाबू देवीलाल साहु और कुछ अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए। इनमें कुछ अन्य लोगों के नाम इस प्रकार हैं :—कुमार वीरेन्द्र सिंह, पंडित जमुना झा, डॉ०

रामभजन प्रसाद गुप्त, पंडित जगदीश पांडे आदि। इसी सप्ताह में अरवल थाना के नेता, मोहम्मद उमैर को नमक कानून भंग करने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया। नवादा के एक मोख्तार श्री जयनाथ पति ने स्वाधीनता दिवस के दिन मोख्तारखाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था। इस अभियोग में श्री पति को गिरफ्तार किया गया। शाहाबाद जिला कांग्रेस कमिटी के सहायक सचिव, श्री विंध्याचल प्रसाद को १८ जून को आरा में गिरफ्तार किया गया। २७ जून वाले सप्ताह में ६९० व्यक्ति गिरफ्तार हुए।[1] इस सप्ताह में प्रमुख गिरफ्तार लोगों में श्री विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा, जालेश्वर प्रसाद, जगत नारायण लाल, मोतीलाल केजरीवाल, बाबू रामबहादुर गुप्त, श्री हृदय नारायण चौधरी, श्री कमलेश्वरी चरण सिन्हा, श्री सूरज प्रसाद महाजन, श्री मटुकधारी प्रसाद वर्मा और बाबू चन्द्रशेखर सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। बिहार में पहली बार दो महिलाएँ राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार की गईं। ये थीं श्रीमती सरस्वती देवी, हजारीबाग जिला कांग्रेस कमिटी की अध्यक्षा और श्रीमती साधना देवी, संथालपरगना की एक राष्ट्रकर्मी। श्रीमती सरस्वती देवी को ६ महीने की सादी कैद की सजा दी गई। श्री जगत नारायण लाल को लगभग दो वर्ष कड़ी कैद की तथा प्रो० ज्ञान साहा को डेढ़ वर्ष कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। अगले सप्ताह में गिरफ्तार किए गए लोगों में विशेष उल्लेखनीय नाम हैं श्री देवेन्द्र नाथ गुप्त, बाबू नरसिंह दास, श्री माला प्रसाद मेहता, बाबू नन्द किशोर प्रसाद, श्री रामप्रकाश लाल और छितीश चन्द्र बोस राँची जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष आदि।

जून, १९३० के अन्तिम सप्ताह की एक उल्लेखनीय घटना थी शाहाबाद जिला के डिस्ट्रीक्ट बोर्ड और लोकल बोर्ड के भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना। इस मामले में सरकार की नीति शाहाबाद के जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडलाधिकारियों को ५ जुलाई के एक परिपत्र में इस प्रकार सूचित की गई थी :—"स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के भवनों पर "राष्ट्रीय झंडा" फहराने के संबंध में सरकार की नीति यह है कि जिस सभा में ऐसा निर्णय लिया गया हो उसकी कार्यवाही से संबंधित अंश हटा दिया जाय और झंडा उतार लिया जाय। यदि संबंधित संस्था स्वयं ही यह काम नहीं करती तो जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर सरकार चेयरमैन को झंडा उतार लेने का आदेश देगी। ऐसा नहीं किये जाने पर जिला मैजिस्ट्रेट उसे उतरवा देगा।

---

१. अभी तक बिहार में कुल गिरफ्तारियों की संख्या १७५३ हो चुकी थी।

शाहाबाद जिला बोर्ड को सरकार ने झंडा उतारने की अधिसूचना दी है। यदि वे उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो धारा १२५ एल० एस० जी० ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार से नये आदेश लिये जायेंगे। यदि झंडा उतारना आवश्यक हुआ तो आपको इसकी सूचना यथासमय दी जायगी"।

कुछ सरपंचों, दफादारों और चौकीदारों द्वारा इस्तीफा :

लगभग प्रत्येक जिला में चौकीदारी टैक्स नहीं देने की तैयारियाँ की जा रही थीं। शाहाबाद जिला के चौगाइन यूनियन, जहाँ अधिकतर जमींदार रहते थे, ने टैक्स नहीं देने का निर्णय किया। वहाँ एक सरपंच, एक दफादार और ६ चौकीदारों ने त्यागपत्र दे दिया। सारन यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष, श्री जमुना सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पूर्णिया जिलान्तर्गत अररिया से शरत बाबू ने अपने २१ वर्ष की पुलिस विभाग की सेवा से त्यागपत्र दे दिया। हेड कॉन्सटेबुल, श्री बलदेव नारायण (थाना विक्रम) ने भी इसी तरह इस्तीफा दे दिया। बेतिया के मीना बाजार में धरना का कार्यक्रम चल रहा था। चम्पारण जिला में चौकीदारी करबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस सिलसिले में सुखवां थाना के एक गाँव में श्री नागर अली मियाँ के घर पर पुलिस ने टैक्स नहीं देने पर छापा मारा। पटना जिलान्तर्गत बिक्रम थाना के कुछ गाँवों में भी यह अभियान चलाया जा रहा था और इस प्रकार सारन, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में भी यह अभियान शुरू हो चुका था। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के आदेश पर २९ जून, १९३० को बाबू रामसुन्दर लाल, जिनकी मृत्यु सारन जिला के गोपालगंज अनुमंडल के कटैया थाना में हो गई थी, स्मृति दिवस मनाया गया।

पं० मोतीलाल नेहरू और डा० सैयद महमूद की गिरफ्तारी, ३० जून, १९३० :

३० जून, १९३० को कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रभारी अध्यक्ष एवं सचिव पंडित मोतीलाल नेहरू और डा० सैयद महमूद गिरफ्तार कर लिये गये। कांग्रेस कार्यकारिणी को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। इन गिरफ्तारियों के विरोध में प्रान्त भर में हड़ताल मनाई गई। पटना में हड़ताल की एक विशेषता यह थी कि अनेक मुसलमान दूकानदारों ने भी अपनी दूकानें बंद कर दी थीं। ध्यातव्य है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हाल ही में पटना आए थे। इसका पटना के मुसलमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ा था।

अनेक मुसलमान नौजवानों ने प्रो० अब्दुल बारी की अध्यक्षता में अपने सम्प्रदाय में आजादी की भावना को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एक संगठन कायम किया।

इन्डियन स्टैच्यूटरी कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन से राष्ट्रीय असंतोष में वृद्धि :

इन्डियन स्टैच्यूटरी कमीशन की रिपोर्ट जून, १९३० में प्रकाशित कर दी गई। इससे देश में राष्ट्रीय असंतोष कम होने के बदले और भी अधिक वृद्धि हुई। रिपोर्ट में जो अनुशंसाएँ की गईं थीं या जो योजना प्रस्तुत की गई थीं उससे संवैधानिक विकास के नाम पर देश में ब्रितानी साम्राज्यवाद को और भी सुदृढ़ करने का उद्देश्य लक्षित होता था। प्रान्तों के लिए कुछेक सुविधाएँ दी गईं थीं—द्वैध शासन समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी। किन्तु केन्द्रीय सरकार का प्राधिकार और भी कठोर करने एवं भारतीय प्रदेशों का एक अखिल भारतीय संघ बनाने की योजना का प्रस्ताव किया गया था। रिपोर्ट के अभिकर्त्ताओं ने लिखा, "हमारे विचार में आकांक्ष्य उद्देश्य की ओर सहजतर एवं शीघ्रतर प्रगति भारत के संविधान को संघीय आधार पर इस प्रकार पुनर्गठित करने में जिसमें विभिन्न राज्यों या कई राज्यों को मिलाकर अपनी इच्छा से प्रवेश करने का अवसर हो, हो सकती है"। सामयिक प्रतिनिधित्व के लिए सिद्धान्त का क्षेत्र प्रसार करके "विभाजित करो और शासन करो" की नीति को और भी अधिक आगे बढ़ाया गया था। भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर यह कहा गया कि "कम से कम बहुत काल तक के लिए भारत की सुरक्षा सेना से ब्रितानी तत्व हटा देना संभव नहीं होगा", तथा यह कि "ऐसी सेना का नियंत्रण एवं निदेशन साम्राजी सरकार के एजेन्टों के हाथ में रहेगा"।

वाइसराय द्वारा ब्रितानी सरकार की नीति का स्पष्टीकरण :

भारत में स्थिति निश्चय ही गम्भीर थी। राज्य सभा और विधान सभा के संयुक्त अधिवेशन में ९ जुलाई, १९३० को भाषण करते हुए वाइसराय ने आगामी अक्तूबर में लंदन में होनेवाले गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि "ब्रितानी सरकार को विश्वास है कि सम्मेलन के द्वारा ऐसे समाधान पर पहुँचना संभव होना चाहिये जिसे सभी पार्टियाँ सम्मानपूर्वक स्वीकार कर सकें। सम्मेलन में अगर ऐसा कोई समझौता हो सके तो वह उन प्रस्तावों का आधार बनेगा जिसे सरकार संसद के समक्ष बाद

में प्रस्तुत करेगी"। वाइसराय ने यह भी कहा कि लक्ष्य के रूप में औपनिवेशिक स्वराज्य का वादा बना हुआ था। १४ जुलाई को ऐसेम्बली के लगभग ४० राष्ट्रवादी एवं निर्दलीय सदस्यों तथा कौंसिल ऑफ स्टेट के कुछ सदस्यों की एक सभा में एक प्रस्ताव पारित करके तत्कालीन गतिरोध दूर करने के हेतु श्री मुकुन्द राव जयकर को प्राधिकृत किया गया कि वे जैसा आवश्यक समझें कदम उठावें। वाइसराय श्री जयकर और श्री सप्रू को महात्मा गाँधी, पं० मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से जेल में भेंट करने देने के हेतु सहमति प्रदान कर दी। तदनुसार गाँधी जी से २३-२४ जुलाई को यरवदा जेल में और पंडित मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू से २७ जुलाई को नैनी जेल में वातचीत हुई। पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यरवदा जेल लाया गया। वहीं जयकर और सप्रू तथा कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच १३ से १५ अगस्त तक बातचीत हुई। ३ दिनों के विचार-विमर्श के बाद तीनों कांग्रेसी नेताओं ने एक पत्र प्रकाशित किया जिसमें ये बातें लिखी गई थीं : "सम्मेलन के संबंध में आपके पत्र का वाइसराय ने जो जवाब दिया है वह इतना अस्पष्ट है कि उसका मूल्यांकन करना हमारे लिए संभव नहीं और न कांग्रेस कार्यकारिणी से विचार-विमर्श किये बिना हम कुछ कहने की स्थिति में ही हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए ऐसा कोई भी समाधान संतोषजनक नहीं होगा जबतक कि उसमें (क) भारत के ब्रितानी साम्राज्य से विच्छिन्न होने का अधिकार स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं हो; (ख) भारत को पूर्ण राष्ट्रीय सरकार जो उसकी जनता के प्रति जिम्मेवार हो और सुरक्षा, अर्थ-व्यवस्था पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो एवं वाइसराय को गाँधी जी के पत्र में उल्लिखित सभी ११ शर्त्तों की पूर्ति करती हो; (ग) भारत को एक स्वतंत्र, न्यायाधिकरण को भारत के तथाकथित सार्वजनिक ऋण सहित ब्रितानी दावों, सुविधाओं आदि को जिन्हें राष्ट्रीय सरकार अन्यायपूर्ण एवं भारतीय जनता के हितों के प्रतिकूल समझे, सौंपने का अधिकार हो"। वाइसराय ने इन शर्त्तों पर बातचीत करना असंभव था यह कह कर वार्त्ताओं का क्रम तत्काल के लिए समाप्त कर दिया। इस प्रकार शांति वार्त्ताएँ विफल हो गईं।

राजेन्द्र बाबू की गिरफ्तारी; ५ जुलाई; प्रान्त में उत्तेजना :

संधि वार्त्ताएँ जिन दिनों चल रही थीं उन दिनों भी सरकारी दमनचक्र में कोई कमी नहीं की गई थी। आन्दोलन के नेताओं की गिरफ्तारी जारी थी। प्रान्त के सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता होने के कारण राजेन्द्र बाबू को गिरफ्तार

करने के प्रश्न पर सरकार बहुत सतर्कता से काम ले रही थी। १७ अप्रिल, १९३० को सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि "सरकार के बिना पूछे हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाय"। २३ मई, १९३० के एक पत्र में सरकार ने यह सूचित किया कि "श्री राजेन्द्र प्रसाद पर मुकदमा चलाये जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इसके लिए पर्याप्त आरोप प्रस्तुत किये जा सकें। फिर भी अतीत में राजद्रोहात्मक भाषण देने का अभियोग लगाना सरकार की दृष्टि में गलत होगा यद्यपि वैसे अभियोग पर मुकदमा चलाने का अच्छा आधार हो सकता था। सरकार उनको किसी षडयंत्र के अस्पष्ट अभियोग पर गिरफ्तार करना भी नहीं चाहेगी। किसी ऐसे अभियोग पर जिसकी वैधता बहुत सशक्त नहीं हो, श्री राजेन्द्र प्रसाद को गिरफ्तार करना ठीक नहीं होगा। किन्तु यदि इस समय उनपर मुकदमा चलाये जाने का कुछ निश्चित आधार यथा पुलिस को इस्तीफा देने को बहकाना या किसी कानून के उल्लंघन को प्रोत्साहन देना आदि हो तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी और ऐसा कोई मामला हो तो आदेश के लिए अविलम्ब सरकार को सूचित किया जाय"। जून, १९३० के मध्य में उन्हें गिरफ्तार करने के संबंध में सरकार का यह विचार था, "उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जा सकती है और सरकार से बिना पूछे हुए भी यदि उनपर स्पष्ट अभियोग हो तो किसी संबंधित अध्यादेश या पुलिस ऐक्ट या भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कोई स्पष्ट अपराध पर गिरफ्तार किया जा सकता है........। उनकी गिरफ्तारी और मुकदमा के लिए सावधानी के साथ प्रबंध करना होगा। जिलाधिकारी इस संबंध में अपने विवेक से काम लेंगे"।

राजेन्द्र बाबू की आसन्न गिरफ्तारी की अफवाहें प्रान्त भर में फैल रही थीं। ३० जून को पटना में श्री बिट्ठलभाई पटेल का आगमन हुआ और इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। श्री हसन इमाम इस सभा में खादी वस्त्र में उपस्थित थे। तदुपरांत राजेन्द्र बाबू प्रान्तव्यापी यात्रा के सिलसिले में छपरा चले गये। वहीं ५ जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजेन्द्र बाबू को ६ महीने की सजा सुनाई गई और कुछेक दिन के बाद बनारस और मोगलसराय होते हुए हजारीबाग जेल पहुँचा दिया गया। बिहार के अनेक अन्य प्रमुख राजनैतिक नेता भी हजारीबाग जेल में उसी वार्ड में रखे गये थे जिसमें राजेन्द्र बाबू थे। इस प्रकार उनको विचार-विमर्श करने का पर्याप्त अवसर मिलता था। कुछ नेताओं ने एक हस्तलिखित

मासिक पत्र "बंदी कैदी" निकालना शुरू किया था। एक अन्य मासिक पत्र "कारागार" भी प्रकाशित किया जाता था। दोनों ही पत्रों में राष्ट्रीय आन्दोलन के संबंध में निबंध रहता था। इसके कुछ प्रमुख लेखक थे स्वामी भवानी दयाल, बाबू मथुरा प्रसाद सिंह (गंगेया), श्री रामवृक्ष बेनीपुरी और श्री महामाया प्रसाद। कुमार कालिका सिंह के प्रयत्नों से एक-दो अंकों में कुछ तस्वीरें भी निकलीं।[1] ११ जुलाई वाले सप्ताह में गिरफ्तार कांग्रेसी नेताओं में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम ये हैं। कुमार कालिका सिंह (भूतपूर्व एम० एल० सी०, गिधौर), बाबू चन्द्रिका सिंह, सारन, श्री पी० सी० बोस, उपाध्यक्ष, झरिया, जिला कांग्रेस कमिटी, सारन जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष और सचिव, पंडित जीवानन्द शर्मा तथा श्री आद्याशरण पाण्डे, बाबू महामाया प्रसाद, श्री द्वारका नाथ तिवारी, श्री जीमूतवाहन सेन, श्री शिशिर कुमार, सचिव, राँची जिला कांग्रेस कमिटी आदि। २५ जुलाई, १९३० को मानभूम के उपायुक्त ने पुलिस और गोरखा सैनिकों की सहायता से पुरुलिया नगरपालिका के एक सदस्य द्वारा जुबिली टाउन हॉल पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा उतरवा दिया और उसके स्थान पर यूनियन जैक फहरा दिया। इसके विरोध में नगरपालिका का कार्यालय बन्द कर दिया गया और उस सदस्य ने इस्तीफा दे दिया।

राजेन्द्र बाबू की गिरफ्तारी से प्रान्त में एक तहलका मच गई और कुछ नर्मदलीय लोगों की भावना को भी चोट लगी। अतः आन्दोलन को इससे बहुत जोर मिला। भागलपुर के श्री दीपनारायण सिंह को बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। श्री सिंह ने नेतृत्व स्वीकार करके तुरत प्रान्त की यात्रा शुरू कर दी। वे बम्बई जाते हुए २७ जुलाई, १९३० को आरा और बक्सर गए।[2] श्री हसन इमाम जो अबतक विदेशी वस्त्र बहिष्कार का समर्थन कर रहे थे, अब आन्दोलन में निश्चित रूप से कूद पड़े। उन्हें श्री दीपनारायण सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत करने की

---

१. राजेन्द्र बाबू ने अपनी "आत्मकथा" (पृ० ३४६) में लिखा है कि हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के लिए इनमें बहुत बहुमूल्य सामग्रियाँ होती थीं। प्रस्तुत लेखक को बहुत प्रयत्न करने पर भी इनकी कोई प्रति नहीं मिल सकी।

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १३ अगस्त, १९३०।

बातचीत की जा रही थी। श्री इमाम ने १८ जुलाई वाले सप्ताह में पटना और बिहटा में कई सभाओं में भाषण किया। १५ अगस्त तक श्री हसन इमाम, श्री बलदेव सहाय और प्रो० अब्दुल बारी ने चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर जिले की यात्रा की। श्री बारी ने संथालपरगना जिला के पाकुड़ की यात्रा भी की।

आन्दोलन में नारी समाज की देन :

बिहार की महिलाओं में जागरण का लहर दौड़ रही थी। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने भी पुरुषों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर लग पड़ने का का संकल्प किया। १८ जुलाई वाले सप्ताह में गिरीडीह अनुमंडल की एक महिला कार्यकर्त्ता को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। गिरफ्तार महिला का नाम श्रीमती मीरा देवी था। वह हजारीबाग कॉलेज के एक प्राध्यापक की कन्या थी। बिहार में गिरफ्तार होनेवाली वह तीसरी महिला थी। श्री हसन इमाम की पत्नी ने भी पटना में छात्रों की कई सभाओं में तथा बाढ़ की एक जन सभा में भाषण किया। श्री इमाम की कन्या तथा कुछ अन्य महिलाओं ने १५ जुलाई को पटना में विलायती वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान आरम्भ किया। २५ जुलाई वाले सप्ताह में पटना में महिलाओं के दो प्रदर्शन हुए। एक में लगभग ३,००० महिलाओं ने भाग लिया। इसमें श्री हसन इमाम की पत्नी एवं कन्या तथा कुछ अन्य महिलाएँ प्रमुख थीं। शाह मोहम्मद जुब्बैर की पत्नी ने भी पर्दा का परित्याग कर २५ जुलाई को मुंगेर में एक सभा में भाषण किया और बहिष्कार आन्दोलन चलाने के लिए एक महिला समिति का संगठन किया। श्री हसन इमाम की पत्नी एवं कन्या, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी तथा कुछ अन्य प्रमुख महिलाओं को पुलिस ऐक्ट की धारा ३० और १४३ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अदालत में हाजिर होने का सम्मन मिला। पुलिस ऐक्ट की धारा ३२ के अन्तर्गत "सर्चलाइट" के सम्पादक, श्री मुरली मनोहर प्रसाद, पटना नगर कांग्रेस कमिटी के सचिव श्री शारंगधर सिंह और पटना हाईकोर्ट के वकील, श्री फूलन प्रसाद वर्मा को भी अदालत में बुलाया गया। इसके विरोध में पटना में सभाएँ हुईं और जुलूसें निकाली गईं।[1] तीनों को २-२ सौ रुपया जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर ६ महीने सादी कैद की सजा सुनाई गई। हसन इमाम की पत्नी को २०० रु०

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १३ अगस्त, १९३०।

जुर्माना और अन्य महिलाओं को एक-एक सौ रुपया जुर्माना किया गया। इन्होंने "खुली अदालत में वक्तव्य दिया कि वे जुर्माना नहीं देंगी। किन्तु मैजिस्ट्रेट ने कहा कि कानून उनसे जुर्माना वसूल लेने में समर्थ था और उन्हें चले जाने दिया"।[1] श्री हसन इमाम की पत्नी एवं कन्या तथा कुमारी गौरी दास ने आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रान्त की यात्रा आरम्भ की। हजारीबाग और कुछ अन्य जिले उनके मुख्यत: कार्यक्षेत्र थे।

बम्बई में ३० जुलाई से १ अगस्त तक कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव स्वीकृत करके भारत की महिला समाज ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई में जो भाग लिया था और जेल एवं लाठी प्रहार अथवा अन्य कठिनाइयाँ जिस बहादुरी के साथ झेलने को वे उद्धत थीं उसके लिए उन्हें बधाई दी। कार्यकारिणी विशेष रूप से देव बाँधवी सुबम्वा श्रीमती पेरीन कैप्टेन, श्रीमती लीलावती मुंशी, श्रीमती लुकमानी और श्रीमती हसन इमाम तथा अन्य महिलाओं को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने, गिरफ्तार होने एवं देश के लिए कष्ट सहन करने के हेतु बधाई दी।" श्री हसन इमाम की पत्नी ने मुजफ्फरपुर की महिलाओं की एक समिति बनाकर कताई का प्रचार अभियान चलाया। गया में स्थानीय सरकारी अधिकारियों और नगरपालिका द्वारा अनेक तरह की बाधाएँ डालने के बावजूद ५ अगस्त के दूसरे पहर सभा की।[2] इस संबंध में एक उलेखनीय बात यह है कि श्रीमती मीरा बहन बिहार में चर्खा के व्यवहार के लिए जोरदार प्रचार करने के हेतु यात्रा कर रही थी। १२ अगस्त को श्रीमती चन्द्रावती देवी ने गया में एक सभा में भाषण करते हुए चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर बल दिया।[3]

महिलाओं के प्रयत्न से चर्खा अभियान को बल मिल रहा था। अगस्त महीने में मैरवा थाना में ६,००० चर्खा और १६३ करघा चलाया जा रहा था लगभग २५०० रुपये का सूत तैयार किया गया और १०४ मन सूत खरीदा गया।[4] बिहार में चर्खा और खादी की प्रगति के संबंध में प्रान्तीय

---

१. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिपोर्ट, १ अगस्त, १९३०। कुछेक दिनों के बाद पटना के अतिरिक्त एस० पी० श्री हसन इमाम के घर पर जुर्माना वसूलने के लिए गए। "श्री हसन इमाम ने जुर्माना चुका दिया"। पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ अगस्त, १९३०।

२. वही, १३ अगस्त, १९३०।

३. वही, २७ अगस्त।

४. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिपोर्ट, २६ सितम्बर, १९३०।

कांग्रेस कमीटी की ७ नवम्बर, १९३० की साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा गया था "इस प्रान्त में हाथ से काते सूत के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। लोग बड़ी संख्या में चर्खा अपना रहे हैं और इसके विषय में बराबर पूछा जाता है कि सूत का वे क्या करें। संथालपरगना में प्रति महीना १०० मन सूत का उत्पादन हो रहा है। सारन जिलान्तर्गत एकमा थाना में नियमित रूप से २३७, गुथनी थाना में २९९७ चर्खा और ५० करघा चलाए जा रहे हैं। मुंगेर जिलान्तर्गत वड़हिया थाना में चर्खा की संख्या ३०० तक पहुँच गई है।"

विलायती माल का वहिष्कार और चौकीदारी टैक्स नहीं देने का अभियान :

नेताओं की व्यापक गिरफ्तारी से आन्दोलन की प्रगति नहीं रोकी जा सकी। वस्तुतः स्वयंसेवकों के नए जत्थे आते रहते। इनमें ग्रामीण लोगों की संख्या काफी होती और इस प्रकार आन्दोलन का जोर बढ़ता रहता। उसके सभी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। अब कार्यकर्त्ता विलायती कपड़ा के साथ-साथ विलायती माल के वहिष्कार आंदोलन भी चला रहे थे। इनके अतिरिक्त चौकीदारी टैक्स देना बन्द करने का आन्दोलन चलाया जा रहा था। बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने इस प्रकार जुलाई, १९३० के अन्त तक चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने का अभियान की प्रगति का पुररीक्षण इन शब्दों में किया : "चौकीदारी आन्दोलन प्रान्त में अभी शुरू ही हुआ है। चम्पारण इसमें सबसे आगे है। उसके ५ थाने, सुगौली, गोविन्दगंज, ढाका, जोगापट्टी और मझौलिया इससे प्रभावित हैं। सुगौली थाना के फुलवरिया सर्कल के ५ गाँवों ने चौकी-दारी चुकाना बन्द कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप कुछ ग्रामवासियों की चल सम्पत्ति जब्त करके नीलाम कर दी गई है। नीलामी के समय डाक बोलने के लिए कोई नहीं आया और सामग्रियाँ दूसरे सर्कलों के हाथ बेच दी गई। सुगौली यूनियन बोर्ड के १२ गाँव भी शीघ्र ही भुगतान बन्द कर देंगे। मझौलिया थाना में अमवा केन्द्र के एक गाँव में चौकीदारी देना बन्द कर दिया गया है। दो ग्रामवासियों को पीटा गया है और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस थाना के मधुपुर लुल्ही केन्द्र के २२ गाँवों में भी चौकी-दारी बन्द करने की तैयारी की जा रही है। ढाका थाना के ४० गाँव चौकी-दारी टैक्स नहीं देने का आन्दोलन शुरू करने को पूरी तरह तैयार हैं। वे कुछेक दिन में संग्राम में कूद पड़ेंगे। चौकीदारों ने इस्तीफा देने का वादा

किया है। आशा की जाती है कि अपने १३ गाँवों सहित जोगापट्टी भी पीछे नहीं रहेगा।

मुजफ्फरपुर जिला में आन्दोलन बिद्दूपुर केन्द्र में शुरू किया गया है। इसमें दो यूनियन बोर्डों के अन्तर्गत ७ गाँव प्रभावित हैं। सदर केन्द्र में मेरवा यूनियन बोर्ड के गाँवों में इसकी तैयारी की जा चुकी है और शीघ्र ही वे अभियान शुरू कर देंगे।

सारन जिला में सम्पूर्ण गुथनी थाना और गरखा थाना के १२ गाँवों ने चौकीदारी बन्द कर दिया है।

पटना जिला में विक्रम थाना के ८ गाँवों में पिछले महीने यह आन्दोलन शुरू हुआ। तब से १६ गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं और चल सम्पत्ति जब्त कई वारण्ट जारी किए गए हैं। इनसे आन्दोलन को और भी जोर मिला है।

भागलपुर जिला के कहलगाँव और सुलतानगंज थानों की कुछ बस्तियाँ, मुंगेर जिला के तारापुर और खड़गपुर थानों और मानभूम जिला के पुरुलिया में चौकीदारी देना बन्द कर दिया गया है। सुलतानगंज और पुरुलिया में इसके लिये कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं।

दरभंगा जिला में अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और दो-तीन सप्ताहों के भीतर बहेड़ा, दलसिंगसराय और मोहद्दीनगर थाना इसमें आगे हो जायेंगे।

२५ जुलाई वाले सप्ताह में मानभूम जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष, श्री निवारणचन्द्र दासगुप्त कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें ६ महीने सादी कैद की सजा सुनाई गई। श्री दासगुप्त ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपने को पूरी तरह लगा दिया था। हजारीबाग जेल में राजेन्द्र बाबू उनके सम्पर्क में आए और उनके साथ पातंजली के योग-दर्शन का अध्ययन किया। श्री दासगुप्त ने शास्त्र विहित मार्ग पर किस प्रकार अपने जीवन को ढाल दिया था इसका अनुभव राजेन्द्र बाबू ने किया।[1] हजारीबाग जेल उन दिनों देशमाता की स्वतन्त्रता के लिये सत्य एवं आत्मबलिदान के कुछ तीर्थयात्रियों का एक आश्रम के समान बना हुआ था।

---

१. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, आटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ ३४६।

अदालत में गांधी-टोपियों का जलाया जाना; पुरुलिया बार ऐसोसियेशन का इसके विरोध में प्रस्ताव :

पुरुलिया के ज्वायेण्ट मैजिस्ट्रेट, श्री ए० टेलर, आई० सी० एस० के एक अत्यन्त आपत्तिजनक कार्य से स्थानीय लोगों की भावनाओं को भारी चोट लगी। कुछ राजनैतिक मुकदमों की सुनवाई करते हुए श्री टेलर ने अपने सामने अदालत के अहाते में गांधी टोपियाँ जलवा दीं। इससे बहुत उत्तेजना फैली और पुरुलिया बार ऐसोसियेशन ने इसके विरोध में एक विशेष बैठक करके निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"यह देखते हुए कि भारतवासी गांधी टोपी का बहुत आदर करते हैं, संयुक्त मैजिस्ट्रेट की यह कार्रवाई सर्वथा गर्हणीय है। इससे सामान्य तौर पर भारतीयों की भावना को भारी ठेस लगी है और शांति भंग करने के लिए यह एक भड़कानेवाली कार्रवाई है।

इस संघ के सदस्य श्री टेलर के आचरण की कठोर भर्त्सना करते हैं और अपना प्रबल विरोध प्रकट करते हैं।"[1]

जब श्री टेलर के विरुद्ध क्षतिपूर्त्ति के लिए मुकदमा किया गया तो सरकार ने यह निर्णय किया कि सरकारी खर्च से उसका बचाव किया जायगा।

यह उल्लेखनीय है कि श्री हसन इमाम के अतिरिक्त कई अन्य राष्ट्रवादी मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति मुसलमानों का समर्थन एवं सहानुभूति बढ़ाने के लिए यत्नशील थे। पटना में १५ और १६ जुलाई को राष्ट्रवादी मुसलमानों के दो सम्मेलन हुए। इनमें कई प्रख्यात मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। इनमें मौलाना हुसेन अहमद, अताउल्ला शाह बोखारी और कुछ अन्य के नाम उल्लेखनीय हैं। सम्मेलन में मुसलमानों से बड़ी संख्या में कांग्रेस में सम्मिलित होने और स्वतंत्रता संग्राम में उपयुक्त भाग लेने की अपील की गई। इसके समर्थन मे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव निर्विरोध स्वीकृत किये गये। मौलवी अहमद सईद ने मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चम्पारण की यात्रा की तथा अन्य नेताओं ने भागलपुर, गया और शाहाबाद की। इनके प्रभावस्वरूप प्रांत के मुसलमानों ने आंदोलन में पहले से अधिक रुचि दिखलाई। कुछ मुस्लिम नौजवान स्वयंसेवक बन गये और चम्पारण में कुछेक स्थानों पर

१. लिबर्टी, १० जुलाई, १९३०।

धरना में भी सम्मिलित हुए।[1] गया के आरक्षी अधीक्षक ने ७ अगस्त, १९३० की अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में लिखा और कांग्रेस आन्दोलन में मुसलमानों के यदाकदा सम्मिलित होने के सुदृढ़तर संकेत मिलने लगे हैं।"[2]

सिंहभूम में जंगल सत्याग्रह :

अगस्त, १९३० के पहले सप्ताह में सिंहभूम जिला में सत्याग्रह शुरू किया गया। श्री हरिहर महतो के नेतृत्व में १० स्वयंसेवकों के एक जत्था ने ६ अगस्त को चक्रधरपुर के समीप जंगल कानून का उल्लंघन किया।

१ अगस्त को बम्बई में सरदार बल्लभ भाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय और कांग्रेस कार्यकारिणी के कुछ अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी से प्रान्त में बहुत उत्तेजना फैल गई। ४ अगस्त वाले सप्ताह में मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमिटी के डिक्टेटर श्री दीप नारायण सिंह को एक जुलूस निकालने के अभियोग में गिरफ्तार करके पुलिस ऐक्ट की धारा ३२ के अन्तर्गत सजा दी गई। प्रान्त भर में १० अगस्त को राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया गया।

डाक सामग्रियों को बीच में रोकने के लिए नियम :

१ अगस्त, १९३० को बिहार-उड़ीसा सरकार ने दो अधिसूचनाएँ जारी करके आदेश दिया कि "सरकार के विरुद्ध आन्दोलन या वहिष्कार को प्रोत्साहन देनेवाली सभी डाक सामग्रियाँ रोक ली जायँ और विनष्ट करने के हेतु जिलाधिकारी को सौंप दी जायँ"। यह आदेश २० अगस्त को भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कुछ अधिनियम[3] बनाए जाने पर रद्द कर

---

१. प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिपोर्ट, १८, २५ जुलाई और १ अगस्त, १९३०।

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १३ अगस्त, १९३०।

३. भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री टी रॉयन का डाक-तार विभाग के महानिदेशक को ६ अगस्त, १९३० का पत्र :—

"निम्नलिखित इश्तहारों, सामग्रियों, पत्रों, पोस्टकार्डों और चित्रों को रोक लेने की व्यवस्था करेंगे :—

(क) विलायती माल वहिष्कार या अन्य किस्म की सामग्रियों के वहिष्कार या किसी भी रूप में वहिष्कार को प्रोत्साहन देनेवाली सामग्रियाँ।

दिया गया। भारत सरकार के आदेशों में एक में विहित किया गया था कि जब्त की हुई सामाग्रियाँ मैजिस्ट्रेटों के पास नहीं भेजकर डाक कर्मचारियों द्वारा ही जैसा वे उचित समझें, करने को दे दिए जायँ। भारत सरकार की सहमति से युक्त प्रान्त की सरकार ने २१ अगस्त को एक आदेश के अन्तर्गत "रिपोर्ट ऑफ द पटेल इन्क्वायरी कमिटी इन् टू द पेशावर डिस्टरबेंसेज" को जब्त कर लिया गया। इस जब्ती का कारण यह बताया गया कि उससे "सरकार विरोधी एवं प्रजातीय भावना फैलेगी।" बिहार-उड़ीसा सरकार ने भी तदनुसार २३ अगस्त, १९३० को एक आदेशपत्र जारी करके उक्त रिपोर्ट को संचार के क्रम में जहाँ कहीं भी मिले; रोक लेने और जिलाधिकारी को सौंप देने" का आदेश दिया। जिलाधिकारियों को रिपोर्ट की प्रतियाँ विनष्ट कर देना था।

कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों सहित श्री दीपनारायण सिंह की गिरफ्तारी :

२७ अगस्त को कांग्रेस कार्यकारिणी के कुछ अन्य सदस्यों के साथ श्री दीपनारायण सिंह को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने इसे हाल ही में गैरकानूनी घोषित करके प्रतिबन्ध लगा दिया था। तदुपरांत ६ हिन्दुओं और ६ मुसलमानों की एक नई कमिटी के सदस्यों में पटना के अब्दुल बारी भी थे। कार्यकारिणी के सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में प्रान्त में हड़ताल मनाई गई। अनेक स्थानों में जुलूसें निकाली गईं और सभाएँ हुईं।[1] अगले सितम्बर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सचिव, पंडित गोविन्द कान्त मालवीय बिहार आए। श्री मालवीय ने बलदेव सहाय के साथ मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बीहपुर, पटना सिटी, दानापुर और बक्सर की यात्रा की। दोनों ने बड़ी-बड़ी जन-सभाओं में भाषण किए।

(ख) श्री गांधी या सत्याग्रह आन्दोलन के किसी अन्य प्रमुख नेता की तस्वीर या स्वतंत्र भारत शब्द या सत्याग्रह आन्दोलन को बढ़ानेवाले ऐसे शब्द जिनपर अंकित हों. वैसी सामग्रियाँ।

(ग) सविनय अवज्ञा आन्दोलन सपरिषद गवर्नर-जेनरल की राय में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकर है। तत्संबंधी कोई अन्य वस्तु जिससे इस आन्दोलन को बल मिले"।

१. प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिपोर्ट, २९ अगस्त, १९३०

आबकारी राजस्व में कमी तथा शराब के विक्रय में कमी :

दरभंगा, देवघर और कुछ अन्य स्थानों पर शराब एवं गांजा की दूकानों पर धरना अस्थाई निलंबन के साथ चल रहा था। कुछ अन्य स्थानों पर भी ग्रामीण एवं जाति पंचायतें नशाखोरी रोकने का प्रयत्न कर रही थीं। कुछ स्थानों पर शराब बिक्रेताओं ने अपने लाइसेंस लौटा दिए। पूर्णिया जिला के धरमपुर क्षेत्र में ५६ शराब की दूकानों में से अगस्त मध्य तक केवल ६ बच गई थीं। छोटानागपुर में तानाभगत शराब की दूकानों पर अन्य कांग्रेसी स्वयंसेवकों के साथ धरना देने में उत्साह के साथ सहयोग कर रहे थे। अगस्त, १६३० के पहले सप्ताह के बाद भागलपुर में केवल २०० गैलन शराब बिक्रय के लिए दिया गया था। पिछले साल १००० गैलन दिया गया था। धरना के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने अपने अधिकारियों को निजी शराब चुलाने पर हर तरह से रोक लगाने का आदेश दिया था। जिला अधिकारियों को अपने पत्र (२ अगस्त, १६३०) में सरकार ने यह लिखा :

"यदि अवैध ढंग से शराब बनाना रोक दिया जाता है तो उपभोक्ता शराब खरीदने पर जोर देंगे और इससे धरना में सफलता के साथ वाधा डाली जाएगी"। आगामी सितम्बर तक सारन जिलान्तर्गत गरखा थाना के शराब की दूकानें बन्द हो गई थीं। अगले कुछ महीनों में कई अन्य स्थानों पर भी शराब की दूकानें में बन्द हो गईं। मुजफ्फरपुर के लालगंज थाना में आबकारी के चपरासी और चौकीदार गाँवों में शराब तथा गांजा फेरी लगाकर बेच रहे थे। उनकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी गश्त लगाते थे।[१] आरा के आबकारी अधीक्षक ने सितम्बर, १६३० में यह रिपोर्ट भेजी : "गाँवों में नशाखोरी छोड़ने के हेतु बहुत ही जबर्दस्त आन्दोलन चल रहा है। इससे बिक्री पर गहरा प्रभाव पड़ा है"।[२] बक्सर में आबकारी कार्यालय के एक किरानी को मोटर गाड़ियों पर शराब पहुँचाने का विशेष काम दिया गया था।[३] इन सब के फलस्वरूप अक्तुबर, १६३० में सरकारी आबकारी राजस्व में काफी कमी हो गई। आबकारी राजस्व में साढ़े उन्नीस लाख की

१. प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिपोर्ट, ३ अक्तुबर, १६३०।
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १४ सितम्बर, १६३०।
३. वही।

कमी हुई। ३० सितम्बर, १९३० तक सरकार को इस मद पर २६ लाख रुपये की क्षति उठानी पड़ी।[1]

विलायती वस्त्र आन्दोलन, वहिष्कार समिति की स्थापना :

विलायती वस्त्र वहिष्कार आन्दोलन में अच्छी प्रगति हो रही थी। जान पड़ता है कि वस्त्र-विक्रेताओं के सहयोग को ध्यान में रखकर पहले से उनके गोदामों में जमा विलायती कपड़ों को वेच देने के लिए कांग्रेस की ओर से कुछ ढिलाई की जा रही थी। किन्तु किसी भी तरह विदेशी वस्त्रों के नये आयात की अनुमति नहीं दी जाती थी। अगस्त के अन्त या सितम्बर के प्रारंभ में प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने निम्नलिखित अधिघोषणा जारी की :—

"कांग्रेस अधिकारियों ने वस्त्र-विक्रेताओं की कठिनाइयों पर सतर्कतापूर्वक विचार किया है। उनके साथ इसपर बातचीत की गयी है और व्यापारी समितियों के सुझावों पर विचार किया है। कांग्रेस यह अनुभव करती है कि बहिष्कार को सचमुच प्रभावी बनाने के लिए व्यापारियों का स्वेच्छा से सहयोग मिलना बहुत ही लाभकर है, क्रेताओं के सहयोग से कम महत्वपूर्ण नहीं। अन्ततः कांग्रेस का उद्देश्य यही है कि विदेशी वस्त्र का पूर्ण वहिष्कार हो। कांग्रेस वस्त्र-व्यापारियों का विनाश नहीं चाहती। इसलिए अपने प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं जाते हुए या अपने सिद्धांतों का बलिदान नहीं देते हुए कांग्रेस उनकी सहायता करने की आवश्यकता महसूस करती है। अतः विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत सुझावों का परीक्षण करना काम्य समझती है। इस उद्देश्य से निम्नलिखित शर्त्तों सहित एक घोषणापत्र पर व्यापारी हस्ताक्षर कर रहे हैं :—

"वस्त्र-विक्रेता स्वेच्छा से भविष्य में विदेशी वस्त्र नहीं मँगाने को सहमत हो गये हैं। इस शर्त्त का उल्लंघन नहीं होगा इसपर ध्यान रखने का वे वचन देते हैं। इसके लिए एक वहिष्कार समिति बनाने को वे तैयार हैं। ऐसी समिति में कांग्रेस और व्यापारियों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होंगे। अध्यक्ष का चुनाव सभी सदस्यों द्वारा मिलकर किया जायगा। समिति उपर्युक्त व्यवस्था पूरी करने के लिए अपना उपनियम बनायेगी। समय-समय

---

१. सरकारी रिपोर्ट।

पर व्यापारियों के गोदाम की जाँच करेगी और शर्त्त का उल्लंघन होने पर दण्ड निर्धारित करेगी।

व्यापारियों ने शर्त्त का उल्लंघन होने पर सौ रुपये से एक हजार रुपये तक जुर्माना देना स्वीकार किया है। जुर्माना समिति द्वारा आवश्यकतानुसार लगाया जायगा। समिति यदि जुर्माना को पर्याप्त नहीं समझेगी तो सामाजिक वहिष्कार की सजा भी दे सकती है।

कांग्रेस ऐसे व्यापारियों की दूकानों पर धरना देने को स्वतन्त्र होगी जो शर्त्त का उल्लंघन करने के दोषी पाये जायेंगे। ऐसे मिलों से ही कपड़ा खरीदने को सहमत हो गये हैं जो कांग्रेस द्वारा स्वदेशी प्रमाणित किये जायेंगे। अपनी ओर से प्रांतीय कांग्रेस कमिटी ने निर्णय किया है कि उपर्युक्त शर्त्तें मान लेनेवाले घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यापारियों की दूकानों पर धरना नहीं दिया जायगा।

किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि कांग्रेस कमिटी व्यापारियों को विदेशी वस्त्र बेचने की स्वतंत्रता दे रही है। कांग्रेस कमिटी दूकानों के सामने सड़कों पर गश्त लगाने के हेतु स्वयंसेवक भेजने को स्वतंत्र रहेगी। ये स्वयंसेवक सड़कों पर खड़ा होकर विदेशी वस्त्र का वहिष्कार करने का प्रचार करेंगे। इसे धरना नहीं समझा जायगा और व्यापारी इसे धरना नहीं मानने को सहमत हैं। कई नगरों में व्यापारियों द्वारा इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के समाचार मिले हैं। अन्य व्यापारी भी हस्ताक्षर करने जा रहे हैं।"

आसन्न दुर्गापूजा, दीवाली और अन्य त्यौहारों के संदर्भ में जब लोग नये कपड़े बड़े परिमाण में खरीदते हैं, प्रांतीय कांग्रेस कमिटी ने १९ सितम्बर, १९३० वाले सप्ताह में दो परिपत्र प्रांत के सभी शाखा कांग्रेसों के नाम जारी करके उन्हें आगामी दो महीनों तक विदेशी वस्त्र एवं अन्य विलायती माल का वहिष्कार के हेतु प्रचार करने में अपनी पूरी ताकत लगा देने की अपील की। वहिष्कार की अवधि २३ सितम्बर से प्रांत भर में लागू किया जानेवाला था। विभिन्न जिलों में अनेक वस्त्र-बिक्रेताओं ने विदेशी वस्त्र के वहिष्कार की प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर किये।[1]

---

१. प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के १० अक्तूबर, १९३० वाले सप्ताह की रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत लालगंज थाना में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित काम किये गए :—

इस वर्ष लंकाशायर के कपड़ों का पूजा-विक्रय पिछले साल का केवल ५ प्रतिशत था। मारवाड़ी चैम्बर्स ऑफ कामर्स के एक वक्तव्य के अनुसार "चालू वर्ष के पूजा सत्र में लंकाशायर के कपड़ों की मांग नहीं के बराबर थी। वास्तव में पिछले साल का केवल ५ प्रतिशत कुल विक्रय हुआ। जापानी माल की अधिक मांग थी फिर भी उसका विक्रय पिछले साल के ५० प्रतिशत से ऊपर नहीं गया। जहाँ तक भारतीय मिलों में बने माल का प्रश्न है, पिछले साल की अपेक्षा कहीं अधिक मांग थी।"[1]

रचनात्मक कार्यक्रम के संदर्भ में राँची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। इसमें दो दिन विशेष रूप से चर्खा और तकली प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। एक दिन पुरुषों के लिए और दूसरे दिन महिलाओं के लिए। आदिवासी पुरुष और महिलाएँ प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ भाग लेने आईं। देवघर, सहसराम और पटना सिटी तथा अन्य स्थानों पर भी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। देवघर में खादी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए खादी बोर्ड की स्थापना की गई। वहाँ एक महिला महासभा की भी स्थापना की गई। उसमें १०० महिलाएँ उसका सदस्य बनीं।

विदेशी वस्त्र का आयात रोकने के हेतु स्वयंसेवक बड़े ही सतर्क थे और ऐसे व्यापारी जो विदेशी वस्त्र मँगाते हुए पकड़े जाते, उन पर वहिष्कार समिति जुर्माना करती।

विदेशी वस्त्र वहिष्कार प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षरों की संख्या···	२८७।
विलायती माल बहिष्कार प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षरों की संख्या···	२११५।
विलायती माल वहिष्कार प्रतिज्ञापत्र दूकानदारों के हस्ताक्षर की संख्या···	४३।
ताड़ी चुलाने के लिए अपने ताड़ या खजूर की बन्दोवस्ती नहीं करने के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षरों की संख्या···	२४५३।
जलाये गए विदेशी वस्त्र की संख्या···	१२०५।
तकली बिक्री···	९४८।
चर्खा बिक्री···	२।
राष्ट्रीय झंडा बिक्री···	२२५।
राष्ट्रीय झंडा जिन घरों पर फहराया गया उनकी संख्या···	२१८।

१. द सर्चलाइट, २ नवम्बर, १९३०।

वहिष्कार आंदोलन में जाति पंचायतें तथा ग्राम पंचायत सहायता कर रही थी। ९ अक्तूबर, १९३० को लगभग २० गाँवों से लोग जीवधारा नामक स्थान पर एकत्र हुए और एकमत से विदेशी वस्त्र या विलायती माल नहीं खरीदने या व्यवहार करने का संकल्प किया। बनघटा में तेलियों ने एक सभा करके विलायती माल और नशीले पदार्थों तथा विदेशी वस्त्र का वहिष्कार करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। २४ अक्तूबर वाले सप्ताह में मुंगेर जिलान्तर्गत संग्रामपुर थाना के इलाकों में ४ गाँवों के लोगों ने विदेशी वस्त्र और नशीले पदार्थों का पूर्ण वहिष्कार करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। ७ नवम्बर, १९३० वाले सप्ताह में प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायतें बड़ी संख्या में की जा रही थीं। इस रिपोर्ट में इस आशय के समाचार प्रकाशित किये गए थे :—"थाना बीहपुर के इलाके में लगभग १० गाँवों में पंचायतें स्थापित की जा चुकी हैं और सुचारु रूप से काम कर रही हैं। संथालपरगना जिला में साहेबगंज थाना के इलाके में लगभग सभी जाति एवं सम्प्रदायों के लोग अपनी पंचायतों के द्वारा वहिष्कार कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला रहे हैं। पटना जिलान्तर्गत दस पंचायतें और शाहाबाद में भी वर्तमान पंचायतें सुचारु रूप से काम कर रही हैं। उनकी संख्या में वृद्धि करने के हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं। चम्पारण जिला के सुगौली थाना में पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फलस्वरूप न्यायालयों में कोई भी मुकदमा नहीं जाता है। सारन जिला में कई पंचायतों की स्थापना होने और काम करने के समाचार मिले हैं। मुंगेर एवं अन्य जिलों से भी ऐसी खबरें मिली हैं। कुछ स्थानों पर सामानान्तर संस्थाएँ स्थापित करने के कांग्रेस के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, शाहाबाद जिला में अक्तूबर, १९३० तक साठ गाँवों में प्रत्येक में अपनी पंचायत स्थापित की गई है। इन सबों पर एक हेड पंचायत की स्थापना की गई है। अध्यक्ष सहित हेड पंचायत को अपीलीय अधिकार दिये गए हैं। एक दीवान की भी व्यवस्था की गई है।

कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा बिहार की जनता को चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने का अभियान चलाने के हेतु वधाई :

सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करबंदी आंदोलन था। बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू किया जा चुका

था और कई स्थानों पर उत्साह के साथ चलाया जा रहा था। कांग्रेस कार्यकारिणी ने ३० जुलाई—१. अगस्त, १९३० की बम्बई की अपनी बैठक में बिहार की जनता को "चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू करने पर बधाई दी" और यह आशा प्रकट की कि "इस कार्यक्रम को सशक्त ढंग से चलाती रहेगी इसके लिए चाहे जितना भी अत्याचार सहना पड़े और बलिदान करना पड़े।" वास्तव में बिहार में आशा के अनुकूल आंदोलन जोरदार ढंग से चलता रहा। विभिन्न स्थानों पर अपने पद से त्यागपत्र देनेवाले सरपंचों, चौकीदारों और युनियन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी।

सरकार द्वारा कठोर दमन :

इस आन्दोलन को कुचलने के हेतु सरकार निर्मता के साथ दमनचक्र चला रही थी। वर्ष भर में ९ अध्यायदेश जारी किए गए। कठोरता के साथ उनका कार्यान्वयन किया जा रहा था। पुलिस की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी और वह कई तरह से प्रकट हो रही थी। प्रमुख कार्यकर्त्ताओं तथा उससे सहनुभूति रखनेवालों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। प्रान्त का कारागृह राजनैतिक बंदियों से ठसाठस भर गए थे। कुछ नये जेल खोले गए थे और कुछ निर्माणाधीन थे। सरकार ने केवल प्रमुख नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करने की नीति अपनाई थी। अन्य स्वयंसेवकों को थाने में मारपीट करके छोड़ दिया जाता था। ६ अप्रिल से २६ सितम्बर (१९३०) के बीच बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रान्त में कुल गिरफ्तारियों की संख्या ८,६८१ थी।[1]

---

१. २६ सितम्बर, १९३० वाले सप्ताह की रिपोर्ट; विभिन्न जिलों से गिरफ्तारियों की संख्या :—

१. भागलपुर	१६५० ।
२. मुंगेर	१३०८ ।
३. पटना	१२०८ ।
४. चम्पारण	९२५ ।
५. सारन	७८२ ।
६. दरभंगा	४७८ ।
७. मुजफ्फरपुर	४१४ ।
८. गया	४०० ।

२६ सितम्बर वाले सप्ताह में केवल सारन जिले में ३०० व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। देहाती इलाकों में लोगों को आतंकित करने के लिए गोरखा और घोड़सवार पुलिस के दस्ते भेजे गए। काग्रेस कमिटी के कार्यालयों की तलाशी ली गई थी। विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवक-शिविरों पर चढ़ाई करके उन्हें जब्त कर लिया गया था। जिन भवनों में स्पयंसेवक शिविर पाये जाते थे, उनके मालिकों को स्वयंसेवकों को मकान छोड़ देने के लिए कहने को वाध्य किया जाता था। १६ सितम्बर १६३० को मुजफ्फरपुर जिला के श्री नवाब सिंह और श्री ब्रह्मदेव सिंह पर धारा १५७ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपने घर पर स्वयंसेवकों को ठहरने देने को अनुमति देने के हेतु कार्रवाई किये जाने की अधिसूचना जारी की गई। बेगुसराय के बलिया नामक स्थान पर पुलिस ने सत्याग्रह शिविर पर छापा मारा और राष्ट्रीय झंडा उठा ले जाने की कोशिश की। राष्ट्रीय झंडा की रक्षा के प्रयत्न में श्री रामलखन सिंह को भारी चोट आई। श्री सिंह पर मुकदमा चलाया गया और ६ महीने की कड़ी कैद सुनाई गई। इसके कुछ ही काल बाद २३ अगस्त १६३० को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। १६३० सितम्बर के आरम्भ में पूर्णिया जिलान्तर्गत टीकापट्टी में पुलिस किसी व्यक्ति पर एक वारण्ट तामील करने गई। उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलने पर गरीब लाल के घर पर पुलिस के जवान घुस गए और वहां से सभी चीजें हटाकर ताला लगा दिया। गरीब लाल की वृद्धा माता को पड़ोस के मकान में आश्रय लेना पड़ा"।[1] १२ सितम्बर, १६३० की बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की रिपोर्ट में एक अन्य पुलिस के जुल्म का समाचार

९. शाहाबाद	४२६।
१०. पूर्णिया	७१६।
११. संथालपरगना	२७४।
१२. मानभूम	२२१।
१३. हजारीबाग	१३७।
१४. सिंहभूम	८७।
१५. पलामू	१।
१६. राँची	५४।

१. प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की १२ सितम्बर, १९३० की रिपोर्ट।

छपा। बिहार विद्यापीठ के प्रोफेसर रामनिरीक्षण सिंह, दरभंगा जिला के तत्कालीन डिक्टेटर पर सम्मन जारी किया गया था। पुलिस सम्मन लेकर उनके घर पर गई। श्री सिंह उन दिनों इलाके की कुछ वस्तियों की यात्रा पर थे। पुलिस और मजिस्ट्रेट उनको तुरत पकड़ना चाहते थे। पुलिस ने श्री सिंह का घर घेर लिया और जबर्दस्ती उसमें घुस गए। उनके बूढ़े चाचा उस समय घर पर थे। उन्होंने श्री सिंह को बुलाने के लिए कुछ समय मांगा। लेकिन पुलिस ने इसपर ध्यान नहीं दिया और घर की तलाशी ली, कोठी तोड़ दी, मिट्टी के और दूसरे बर्त्तन फोड़ दिए और कोठी से अनाज निकाल कर छितरा दिया। हवेली भी नहीं छोड़ी गई। पुलिस ने वहाँ जाकर ट्रंक, बक्सा आदि या तो तोड़ दिए या खोलकर उसके सामान छितरा दिए। पुलिस के जवान अनाज, विछावन, कपड़े और गहने तीन बैलगाड़ियों पर लादकर अपने साथ लेते चले गए। उस समय खाना पक रहा था। उसे भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। बच्चों को भी भूखा रहने को छोड़कर उसे खा गए।''

चौकीदारी टैक्स वसूलने के उद्देश्य से पुलिस ने सारन जिला के बरेजा केन्द्र में सितम्बर के मध्य में एक सप्ताह तक लूट मचाई। यहां ५० सशस्त्र जवान और दो दारोगा सहित अतिरिक्त पुलिस बैठा दी गई।[१] चल एवं अचल सम्पत्ति की जब्ती खुलेआम की जाती थी। इनमें हल, बैल, अनाज बर्त्तन आदि सम्मिलित थे। लोगों को मारपीट करना आम तौर से जारी था।[२] कुछ स्थानों पर काँग्रेस कार्यालय जला दिये गये (उदाहरणार्थ सारन में भोरे थाना)। ऐसे लोगों की, जिनका आन्दोलन के

---

१. वही, २६ सितम्बर।

२. (क) सरकार ने कहलगाँव (भागलपुर) और अदापुर (चम्पारण) के सत्यग्रह आश्रम को बिना गैरकानूनी संस्था घोषित किये हुए अपने कब्जा में ले लिया है। अदापुर सत्याग्रह आश्रम पर कब्जा करते समय स्वयंसेवकों को बेरहमी से मारा-पीटा गया। श्री चन्द्र को नंगा करके ३० बेंत लगाए गए। श्री शिवनन्दन और श्री धरीचन्द्र को पीटा गया तथा घसीटा गया। आश्रम की चीजों को फेंक दिया गया।

पुलिस ने सुलतानगंज और भीखमपुर (भागलपुर) के आश्रमों पर छापा मारा। वहाँ उपस्थित स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया और जो भी कागजात मिले उन्हें उठा कर ले गये।

प्रति कुछ भी सहानुभूति थी, बन्दूक का लाइसेंस जब्त कर लिया गया। नवम्बर, १६३० के सोनपुर मेला में कपड़ा, शराब और गाँजा की दूकानों पर धरना देनेवाले स्वयंसेवकों को पुलिस का प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। ५ नवम्बर की रात में लगभग २०० सशस्त्र पुलिस के जवानों ने सोनपुर नेशनल स्कूल, हिन्दू सभा कैम्प तथा गोवर्धन आश्रम पर छापा मारा। वहाँ जो भी सामग्री उन्हें मिली, उन्हें तहस-नहस कर दिया। सारन जिला काँग्रेस

(ख) सरकार ने जिला बोर्ड के सुगौली के एक शिक्षक को अमन सभा की नोटिस फाड़ देने के अभियोग में सेवा-निवृत्त कर देने का आदेश दिया है।

(ग) सारन जिलान्तर्गत भोरे थाना में कुछ महिलाओं को अपने घरों से खींच कर बाहर कर दिया गया और उनके गहने उतार लिये गये।

(घ) स्वयंसेवकों की मार-पीट बराबर की जाती रही है।

(ङ) बिहारशरीफ में ३६ स्वयंसेवकों को गिरफ्तार करके एक छोटे-से कमरे में बन्द कर दिया गया जिसमें १० से अधिक के लिये मुश्किल से जगह थी। शीघ्र ही जब उनका दम घुटने लगा तो संयोगवश मैंजिस्ट्रेट उधर से आ रहा था और उसने उन्हें कमरे से निकाला।" १७ अक्तूबर वाले सप्ताह की रिपोर्ट।

"सारन जिला के भोरे और बरेजा थाना में चौकीदारी टैक्स नहीं देने के लिये अनेक लोगों की सम्पत्ति जब्त की गई। इस गाँव के लोग सम्पत्ति जब्त करते समय पुलिस की जुल्म को कभी नहीं भूलेंगे।

(क) ग्राम अरिआयों के श्री बलदेव महतो के घर से पुलिस तीन नथ ले गई। इनमें केवल दो का उल्लेख किया गया और एक किसी पुलिस के जवान की जेब में रह गई।

(ख) ग्राम फुलवरिया के श्री सच्चू सिंह, श्री बहेली राउत और श्री मोहन राउत तथा अन्य दो स्वयंसेवकों को लाठी से पीटा गया।

(ग) श्री बाबू लाल को बन्दूक के कुंदे से मारा गया। उनके पास २ रुपये थे उसे छीन लिया गया।

(घ) झखरा निवासी, श्री लाल बिहारी को लाठियों से पीटा गया और उसे भारी चोट लगी।

(ङ) एक आदमी को नंगा करके पीटा गया। फिर भी उसने चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाई।

(च) बाबू महेन्द्र सिंह के घर से ४३ रु० ४ आ० के सामान जब्त कर लिये गये यद्यपि उसके नाम से चौकीदारी टैक्स नहीं था।" प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की २४ अक्तूबर, वाले सप्ताह की १६३० की रिपोर्ट।

कमिटी के सचिव और स्वयंसेवकों के पहले जत्था के नायक, पण्डित गिरीश तिवारी को तुरत गिरफ्तार कर लिया गया। हाजीपुर अनुमण्डलीय काँग्रेस कमिटी के सचिव, श्री वीरचन्द्र पटेल और मुजफ्फरपुर थाना काँग्रेस कमिटी के सचिव, श्री विजय ठाकुर भी सोनपुर मेला की कार्रवाइयों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये। नवम्बर के पहले सप्ताह में बिहार-उड़ीसा सरकार ने सोनपुर मेला में धरना नहीं होने देने के लिये २० अक्तूबर, १९३० को एक अधिसूचना में "काँग्रेस पार्टी के उन सदस्यों एवं दूसरे लोगों के आसन्न सोनपुर मेला में धरना देने, गैरकानूनी जुलूस निकालने और सभाएँ करने के हेतु जो मिलजुल कर तैयारियाँ कर रहे थे, उन सबों को गैरकानूनी" घोषित कर दिया। प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के ९ नवम्बर की रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि सैनिक एवं नागरिक पुलिस के दस्ते बड़ी संख्या में सोनपुर मेला में तैनात किये गये थे (सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ५००)। १२ नवम्बर को जमालपुर में एक भीड़ पर गोली चली। उसमें ४ व्यक्ति मारे गये और ४ बुरी तरह घायल हुए। कुछ अन्य व्यक्तियों को भी चोटें आईं। यहाँ गड़बड़ी शराब की दूकानों पर धरना देने के सिलसिले में शुरू हुई थी। चौकीदारी करबन्दी के सिलसिले में नवम्बर के तीसरे सप्ताह तक बिहार के ५ स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बैठा दी गई। इनके नाम हैं बीहट (मुँगेर जिला), बीहपुर (भागलपुर जिला), बरेजा, कटैया और भोरे (सारन जिला)।[1]

जुलाई, १९३० में सरकार ने पटना के कुछ मुद्रणालयों को जब्त साहित्य छापने के हेतु चेतावनी दी। ५०० रु० की जमानत दैनिक "संदेश" नामक पत्र से माँगी गई। सितम्बर, १९३० में पटना के कैलाश प्रेस पर कई जब्त इश्तहार प्रकाशित करने के अभियोग पर छापा मारा गया। काग्रेस घोषणा-पत्र को प्रतिलिपि और प्रिन्ट आर्डर कापी जब्त कर ली गई।[2] छोटे-छोटे बच्चे भी, जो धरना देने के काम में भाग लेते, जेल भेज दिये जाते थे। सितम्बर के तीसरे सप्ताह तक १३ वर्ष से कम आयु के ऐसे १९५ बन्दी विभिन्न जेलों में थे। २२ सितम्बर १९३० को बिहार-उड़ीसा सरकार ने

---

१. द सर्चलाइट, २१ नवम्बर, १९३०।

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २६ सितम्बर, १९३०।

जिला अधिकारियों को "उनकी सजाओं की शेष अवधि में कमी कर देने और उनको बिना किसी शर्त के तुरत रिहा कर देने के अधिकार दे दिये।" उन्हें एक साथ नहीं, वल्कि, १०-१० के जत्थों में रिहा करना था। इसके साथ ही ऐसे १३ वर्ष से कम आयु के बच्चों को जेल में रखने का अधिकार दिया गया था, जो जेल में उपद्रव किये हों। स्थानीय सरकार का उस समय आम तौर पर यह अभिमत था कि कम आयु के बच्चों को यथासम्भस जेल नहीं भेजा जाय। लगभग १ महीना बाद सरकार को यह सूचना मिली कि ६३३६ राजनैतिक बन्दियों में १४३५ कम उम्र के थे। सरकार ने इसपर जिलाधिकारियों से विचार-विमर्श किया कि १६ वर्ष से कम आयु के बन्दियों को रिहा किया जा सकता था या नहीं। इसमें सरकार के समक्ष एक बात यह भी थी कि जेल अधिकारियों को कम उम्र के बन्दी काफी उलझन में डालते रहते हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक उनकी रिहाई के विरुद्ध थे। भागलपुर के आरक्षी अधीक्षक ने २७ अक्तूबर के एक पत्र में इस आशय का अभिमत दिया : "इस समय उन लड़कों को जेल से रिहा करना स्थिति को और भी उलझा देने के समान होगा। ये लड़के अपने को बहादुर समझेंगे और जेल में थोड़ा दिन रहने से उनके उत्साह में कमी नहीं हुई होगी।" फिर भी इन दोनों अधिकारियों ने यह कहा कि अगर सरकार उन्हें छोड़ने के लिए व्यग्र ही थी, तो उन्हें जत्थों में छोड़ा जाय। पहले १४ वर्ष से कम बच्चों को और फिर उपयुक्त अवधियों के बाद १५ और १६ वर्ष से कम आयु के बच्चों को। पटना के जिलाधिकारी की राय में छोटे बच्चे धरना देने के मामले में वयस्क लोगों के समान ही प्रभावी थे। नेताओं के लिए वे सम्भवतः और अधिक परेशानी में डालनेवाले सिद्ध होते थे। "आयुक्त को उसने सुझाव दिया कि भारत सरकार के व्हिपिंग ऐक्ट की धारा ५ (ख) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के हेतु भारत सरकार से कहा जाय। इसके अन्तर्गत १६ वर्ष से कम आयु के अपराधियों पर कार्रवाई की जा सकती थी। आयुक्त ने सरकार के विचारार्थ उनका सुझाव अनुशंसित कर दिया।[1]

---

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ अक्टूबर, १९३०।

संथालपरगना में आन्दोलन :

संथालपरगना में भी, जहाँ सरकारी अधिकारियों को कुछ बातों में विशेष सतर्क रहने के आदेश दिये गये थे, लड़कों एवं महिला-स्वयंसेवकों से अधिक गड़बड़ी फैलने की आशंका की जाती थी। संथालपरगना के उपायुक्त ने भागलपुर के आयुक्त को १८ जून, १९३० को लिखा : "काँग्रेस की कार्रवाइयों में एक नया एवं परेशानी में डालनेवाला चरण फिर शुरू हुआ है। अब धरना के लिये महिलायों एवं लड़कों को भेजा जा रहा है। नेता स्वयं पृष्ठभूमि से संचालन करते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध कार्रवाई करने से कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने की सम्भावना रहती है और यदि हम कोई कार्रवाई नहीं करते तो काँग्रेस को अपना लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिल जाती है।" उपायुक्त ने साधना देवी नामक एक महिला का इस प्रसंग में विशेष रूप से नाम लिया।

इस जिला के विभिन्न भागों में आन्दोलन फैल रहा था। सरकार भी सतर्क थी और उसकी रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाइयाँ अपना रही थी। मई, १९३० में ही राजमहल के श्री प्रमथ नाथ दे को धारा १०८ के अन्तर्गत गिरफ्तार करके एक वर्ष सादी कैद की सजा दे दी गई थी। २७ जून को देवघर कन्या पाठशाला में कुछ महिलाओं की एक सभा हुई। इसमें महिला समाज से काँग्रेस का काम करने की अपील की गई। जामताड़ा और करमाटाँड़ में काँग्रेस स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के विरोध में २ अगस्त को और सरदार पटेल एवं पण्डित मदनमोहन मालवीय को बम्बई में गिरफ्तार किये जाने के विरोध में ५ अगस्त को हड़ताल रही। तदुपरान्त श्री अतुल-चन्द्र बनर्जी और श्री शशीधर चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। १२ अक्तूबर, १९३० को श्री जगत नारायण लाल ने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के समक्ष भाषण किया। श्री अब्दुल बारी ने पाकुड़ और साहेबगंज में भाषण किया।

इस क्षेत्र के कुछ स्थानों यथा हजारीबाग में पहड़िया लोगों में आन्दोलन की ओर झुकाव देखकर सरकार को गम्भीर चिन्ता हुई। स्थानीय उपायुक्त ने इसका निराकरण करने के हेतु जो कदम उठाये थे, उसका पूर्ण अनुमोदन किया गया। उपायुक्त ने ४ सितम्बर, १९३० को भागलपुर के आयुक्त को

इस आशय का पत्र लिखा : "यह एक खतरनाक आन्दोलन है और किसी भी स्थिति में इसे जड़ पकड़ने एवं फैलने नहीं देना होगा।" पंगरो पहाड़ के पण्डरा पहड़िया के विरुद्ध कार्रवाइयाँ तुरत आरम्भ की गईं। उसपर राजद्रोहात्मक प्रचार करने का आरोप लगाया गया था। गोड्डा के अनुमंडलाधिकारी ने दुमका के उपायुक्त को सूचित किया था कि १४ अक्तूबर, १९३० को पहड़िया लोग "सविनय अवज्ञा का घूम-घूम कर प्रचार कर रहे हैं।,चन्द्रा का (बंगला राजामीठा) सुन्दरा पहड़िया राजद्रोहात्मक भाषण देता हुआ घूम रहा है। वह पहड़िया लोगों और संथालों को काँग्रेस में सम्मिलित होने को उसका रहा है।" उपायुक्त ने अनुमण्डलाधिकारी से उन पहड़ियों पर तुरत कार्रवाई करने का आदेश दिया। १७ अक्तूबर, १९३० के अपने पत्र में उसने लिखा, "आदिवासी लोगों के मध्य ऐसी कार्रवाइयों को कठोरता के साथ दबा देना होगा।"

२९ अक्तूबर को राजौन हाट में संथालों और पुलिस के बीच एक गम्भीर झड़प हो गई। यह स्थान गोड्डा से ३ मील की दूरी पर है उस दिन विसहा पहाड़ी के समीप लगभग ३-४ हजार संथाल खादी के सवाल पर बातें करने को एकत्र हुए थे। पुलिस ने सभा को तितर-बितर कर दिया और सुजाधर नामक एक ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लिया। बाद में छोड़ दिया गया। उसी रात लगभग ३ बजे ५ संथालों को गिरफ्तार किया गया। दूसरे दिन उन्हें ५ से १८ महीनों की कैद की सजा सुनाई गई।[१] जब संथालों ने ६ नवम्बर को सभा करने की कोशिश की तो कुछ सैनिकों एवं सिपाहियों के साथ आरक्षी अधीक्षक ने लाठी प्रहार करके उन्हें तितर-बितर करना चाहा तथा सुजाधर को फिर गिरफ्तार कर लिया। संथालों ने इसपर पत्थर और ढेले चलाये जिससे कुछ पुलिस के जवानों को चोट आई। तदुपरान्त २०० सशस्त्र पुलिस के जवान वहाँ ले आए गये और ५७ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।[२]

काँग्रेसी नेताओं की रिहाई :

३ अक्तूबर (१९३०) वाले सप्ताह में प्रान्त के कुछ प्रमुख राष्ट्रकर्मियों को अपनी सजा पूरी करने पर विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया। इनमें

---

१. द सर्चलाइट, १२ नवम्बर, १९३०।

२. वही।

श्री श्रीकृष्ण सिंह, श्री जगत नारायण लाल, श्री अम्बिका कान्त सिंह, श्री जनकधारी प्रसाद और पंडित भारत मिश्र थे। स्वामी सहजानन्द और चम्पारण के एक महत्त्वपूर्ण कांग्रेस कर्मी, श्री शिवधारी सिंह एक सप्ताह पूर्व ही रिहा कर दिये गये थे। इन नेताओं के कार्यक्षेत्र में आ जाने से लोगों में स्वभावतः नया उत्साह जगा। श्री जगत नारायण लाल और श्री अम्बिका कान्त सिंह को कुछ ही दिनों बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार तृतीय श्रेणी के बंदी के रूप में उन्हें जेल में रखा गया। गया में कुछ महिलाओं सहित ३० व्यक्तियों को १४ नवम्बर को कपड़े की दूकानों पर धरना देने के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया।[1]

बिहार को इस समय शाह मोहम्मद जुवेर की आकस्मिक एवं असामयिक मृत्यु से भारी क्षति हुई। श्री जुवेर मुंगेर के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता थे। बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में इस प्रकार ठीक ही लिखा : मौलाना मजहरुल हक की मृत्यु के इतना जल्द बाद "श्री शाह मोहम्मद जुवेर की मृत्यु विशेष करके इस प्रान्त के राजनैतिक जीवन के लिये भारी आघात है। उनकी मृत्यु से प्रान्त के सार्वजनिक जीवन को अपूरणीय क्षति हुई है।"

प्रान्त भर में पं० जवाहरलाल नेहरू का जन्म-दिवस समारोह :

देश भर में सत्याग्रह आन्दोलन दिन-दिन जोर पकड़ रहा था। काँग्रेस अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू ने १६ नवम्बर को जवाहरलाल नेहरू दिवस देश भर में मनाने के लिये नियत किया (पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय जेल में थे) १६ नवम्बर उनके जन्म की वर्षगाँठ थी। जन्म-दिवस समारोह को उपयुक्त रूप से मनाने के हेतु जिलों एवं अनुमंडल मुख्यालयों में ही नहीं, अनेक गाँवों में भी तैयारियाँ की गई थीं।[2] सरकार उसे रोकने के लिये कृतसंकल्प थी। अनेक स्थानों पर धारा १४४ लगा दी गई थी। कई नेताओं को जुलूस निकालते समय गिरफ्तार कर लिया गया। गया में

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १६ नवम्बर, १९३०।
२. सरकारी रिपोर्ट।

जिलाधिकारी ने विशेष सतर्कता दिखलाते हुए १५ नवम्बर को ही सत्याग्रह आन्दोलन के सभी स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में ३,००० के लगभग लोग तिलक मैदान में सभा करने के लिए एकत्र हुए। ढ़ाई बजे एक जुलूस निकलनेवाली थी। पुलिस ने जुलूस पर लाठी प्रहार करके अनेक लोगों को घायल कर दिया। जिला काँग्रेस कमिटी के सचिव श्री जनकधारी प्रसाद जब मंच पर बोलने के लिए खड़ा होने लगे तो पुलिस ने उन्हें जबर्दस्ती धक्का देकर गिरा दिया। लम्बा लोहे का ध्वजस्तम्भ जिस पर झंडा फहरा रहा था, गिरा दिया गया। काँग्रेस कार्यालय की सभी सामग्रियाँ जप्त कर ली गईं और उसमें ताला लगा दिया गया। इनके बावजूद पुलिस भीड़ को तितर-बितर नहीं कर सकी। तब सशस्त्र पुलिस के दस्ते मँगाये गये। सशस्त्र पुलिस के जवानों ने तिलक मैदान की ओर जाने वाली सड़क पर कब्जा कर लिया और यातायात रोक दिया। पुलिस पर कुछ ईंट-पत्थर फेंके गये। इसपर पुलिस ने गोलियाँ चलाकर कई लोगों को हताहत कर दिया। भगवान लाल नामक एक तरुण पुलिस की गोलियों से सांघातिक रूप से घायल हो गया और उसी रात अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इस अवसर पर गिरफ्तार व्यक्तियों में श्री जनकधारी प्रसाद, सुधाकर प्रसाद सिंह, ब्रजनन्दन साहु और चक्रधर शरण प्रमुख थे। श्रीसुधाकर प्रसाद सिंह ने अपने बचाव के लिये पटना के दो वकील श्री नागेश्वर प्रसाद और श्री पांडे नरसिंह सहाय को नियुक्त किया था। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई गई।[1] कुछ महिलाएँ भी गिरफ्तार हुईं। उनमें श्रीमती विद्यावती और सेवा देवी (लक्खीसराय), श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी (पटना), श्रीमती विद्यावती देवी (गया) के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के २१ नवम्बर (१९३०) की रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह में ४६० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। इनमें ४०३ की गिरफ्तारी जवाहरलाल - दिवस के सम्बन्ध में हुई थी।[2] ४०३ गिरफ्तार व्यक्तियों में २५५, जिनमें बाबू श्री कृष्ण सिंह तथा कुछ अन्य प्रमुख

---

१. श्री जनकधारी प्रसाद की आत्मकथा।

२. द सर्चलाइट, २६ नवम्बर, १९३०। इस समय तक सत्याग्रह आन्दोलन शुरू होने के समय से बिहार में कुल गिरफ्तारियों की संख्या १०, ८८९ पहुँच चुकी थी।

काँग्रेसी नेता भी थे, केवल मुंगेर में पकड़े गये थे। इनमें एक जत्था का मुकदमा ३ दिसम्बर, १९३० को हुआ। इस जत्थे में श्री बाबू, श्री नेमधारी सिंह, श्री निरापद मुखर्जी और ४० स्वयंसेवक थे। उनपर धारा १५७ भारतीय दंड-संहिता के अन्तर्गत स्वयंसेवकों को अपने घर में रखने का अभियोग लगाया गया था। अन्य लोगों पर धारा १४३ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत गैरकानूनी जमात का सदस्य होने का आरोप था। ६ दिसम्बर को मजिस्ट्रेट ने बाबू श्री कृष्ण सिंह, बाबू नेमधारी सिंह और श्री निरापद मुखर्जी को प्रत्येक को ६-६ महीना सश्रम कारावास और ५० रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। उन्हें "बी" श्रेणी में रखने का आदेश दिया। अन्य स्वयंसेवकों को ६ महीना कड़ी कैद की सजा सुनाई गई और "सी" श्रेणी में रखने का आदेश दिया गया। श्री सिंह और उनके साथियों को "बी" श्रेणी में रखने का आदेश दिया गया था इसके लिये मुंगेर में एक विरोध सभा ६ दिसम्बर की संध्या में हुई।[1]

राजनैतिक बंदियों के साथ जेल अधिकारियों का दुर्व्यवहार :

बिहार के जेलों में राजनैतिक बंदियों के साथ जेल अधिकारी बड़ा ही कठोर व्यवहार करते थे। जेलों में स्थान की कमी थी। अनेक बन्दियों को सेल में रखा जाता था। अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं थी और अक्सर शारीरिक दण्ड दिया जाता था। बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने १८ जुलाई की अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में इस प्रकार टिप्पणी की : "एक महत्त्वपूर्ण विषय जिसका उल्लेख करना आवश्यक है, वह है जेलों में राजनैतिक बन्दियों के साथ व्यवहार। जेलों में उपलब्ध स्थान से अधिक बंदियों का रखा जाना, विशेष करके "सी" श्रेणी में रखे गये राजनैतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट, अपुष्टिकर भोजन और अन्य दुर्व्यवहार आम तौर पर प्रचलित हैं। अनेक अनुमंडलीय जेलों को जिला कारावास में परिणत कर दिया गया है और उपलब्ध स्थान से कहीं अधिक संख्या में राजनैतिक बंदी उनमें रखे गये हैं। आरा सब जेल को जिला जेल का दर्जा

१. द सर्चलाइट, १ दिसम्बर, १९३०।

दिया गया है। उसमें २०० या कुछ ही अधिक बन्दियों को रखे जाने का स्थान है लेकिन सम्प्रति वहाँ ४०० से अधिक बन्दी हैं। अन्य जेलों की भी यही स्थिति है। दुर्व्यवहार के अनेक उदाहरण गया केन्द्रीय जेल के "सी" श्रेणी में रखे गये राजनैतिक बन्दियों के संदर्भ में मिले हैं। ये बन्दी पिछले अप्रिल महीने से इस जेल में हैं। जून मध्य तक, जबतक श्री आयंगर उसके अधीक्षक थे, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं सुनी गई थी किन्तु मेजर वर्क के आते ही स्थिति बहुत बदल गई है और बहुत ही गम्भीर हो रही है। यह उल्लेखनीय है कि जहाँ कहीं भी मेजर वर्क गया है, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। जून के अन्तिम सप्ताह में किसी दिन "सी" श्रेणी में रखे गये बंदियों को परोसे गये चावल में पिल्लू भरे थे। इसपर बंदियों ने विरोध किया और उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिये जाने पर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। बाद में जेल अधिकारियों को सुबुद्धि हुई और स्थिति में कुछ सुधार हुआ। २ जुलाई को राजनैतिक बंदियों को कतार में बैठने (फाइल लगाने) का आदेश दिया गया। बंदियों ने इससे इन्कार किया। इसपर उन्हें गालियाँ दी गई, पीटा गया और सेलों में डाल दिया गया। एक बन्दी को भारी चोट आई और कई बंदियों को डंटा-वेड़ी की सजा दी गई। इसके विरोध में फिर भूख-हड़ताल हुई। इससे "बी" श्रेणी के बंदियों के बीच-बिचाव तथा जेल अधिकारियों द्वारा बन्दियों की कुछ माँगें मान लेने पर भूख हड़ताल समाप्त हुई। किन्तु कुछ ही समय बाद फिर स्थिति बिगड़ी। खाना और भी खराब दिया जाने लगा। संध्या में बन्दियों के प्रार्थना करने पर रोक लगा दी गई और फाइल लगाने के दिन सुपरिण्टेण्डेंट को सलाम करने को कहा गया। बन्दियों के इन्कार करने पर उन्हें बुरी तरह पीटा गया। कुछ बन्दियों को पैर के नीचे रौंदा गया और स्वयं सुपरिटेण्डेंट ने उसके मुँह पर थूका, कुछ के केश उखाड़ दिये गये और कई बन्दी बेहोश हो गये। विचाराधीन बंदियों को भी नहीं छोड़ा गया। बंदियों से माफी मँगवाने के हेतु भी अमानुषिक अत्याचार किये जाते हैं। राँची में भी बंदियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के समाचार मिले हैं। समझा जाता है कि एक राजनैतिक बन्दी की तुलसी माला छीन ली गई और एक अन्य को अपने वार्ड में प्रार्थना करने से रोका गया।

प्रान्त के अन्य जेलों में भी स्थिति उसी तरह खराब थी। अगस्त के

प्रारंभ में सरकार ने जेलों में राजनैतिक बंदियों के लिये जगह बनाने के हेतु अनेक गैर-राजनैतिक कैदियों को उनकी सजा की मियाद खत्म होने के पहले ही रिहा कर दिया। ६ अगस्त को पटना में भारी उत्तेजना फैल गई। एक राजनैतिक बंदी को जेल अधीक्षक के प्रति कथित उदंडता के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया था।[1] इसपर अन्य राजनैतिक बंदियों ने विरोध किया और जेल में भारी अस्तव्यस्तता छा गई। कारा-महानिरीक्षक पटना के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक सहित जेल में आया। एक-एक करके बंदियों को अलग करके विचाराधीन वार्ड में बंद कर दिया गया।"[2] पटना के आयुक्त के अनुसार वस्तुतः किसी बंदी को मारा-पीटा नहीं गया था और न किसी को गम्भीर चोट पहुँची थी। किन्तु अन्य सूत्रों से प्राप्त साक्ष्य इस वक्तव्य की प्रमाणिकता का खंडन करते हैं। वास्तव में जेल अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिये काफी कठोर कार्रवाई की थी। बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के ८ अगस्त, १९३० की साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा गया था कि "दिन भर की पिटाई के फलस्वरूप ६ बंदी बेहोश हो गये थे, ३ को गम्भीर चोटें आई थीं और कई बंदियों को सामान्य चोटें आई थीं।" स्वभावतः इनपर जनता में भारी उत्तेजना फैल गई थी।

१० अगस्त को बिहार सरकार ने कुछ जिलाधिकारियों को "जेलों में अधिक भीड़ लगने से रोकने के हेतु यथासंभव कम लोगों को सजा देने" को कहा। उद्देश्य यह था कि "जेलों में कुछ जगह खाली रखी जाय जिसमें स्थिति अकस्मात् बिगड़ने पर उपयुक्त व्यवस्था की जा सके।" कुछ नये जेल भी बनाये जा रहे थे। १४ अगस्त, १९३० को प्रान्तीय सरकार ने जेल संहिता की धारा १०१८ में कुछ संशोधन करके कारा अधीक्षकों को "सी" श्रेणी में रखे गये राजनैतिक बंदियों पर बिना सरकार के प्राक् अनुमति के कोड़ा लगाने की सजा देने का अधिकार दे दिया। गुलजारबाग में नया सब-जेल अगस्त के अन्तिम सप्ताह में खोला गया। पटना आयुक्त ने २७ अगस्त की अपनी पाक्षिक रिपोर्ट में लिखा "धरना देनेवाले स्वयंसेवकों की गिरफतारी अब फिर संभव हो गई है।" इस वक्तव्य के अनुसार बाँकीपुर जेल में लगभग

---

१ : पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १३ अगस्त, १९३०।
२ : वही।

८०० राजनैतिक बंदी उन दिनों थे। सितम्बर (१९३०) के मध्य तक नये कैम्प जेल में १८०० राजनैतिक बंदियों को स्थानान्तरित किया गया। इनमें आरा से १०० बंदी लाये गये थे।[१] फिर भी बाँकीपुर जेल में उपलब्ध स्थान से कहीं अधित बंदियों की संख्या बनी रही। २३ सितम्बर को अधीक्षण कमिटी जब वहाँ निरीक्षण करने गई उस समय राजनैतिक बंदी पूर्णतया शांत रहे। शीघ्र ही जेल अधीक्षक के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी ने उसे राजनैतिक बंदियों पर कोड़े मारने की सजा देने की अनुमति दे दी। पटना कैम्प जेल में कुछ बंदियों को यह सजा दी गई। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के जेल भी राजनैतिक बंदियों से ठसाठस भरे हुए थे और बंदियों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। पूर्णिया जेल में ७५ प्रतिशत बंदी पेचिश से पीड़ित थे, दुमका जेल में ५० बंदियों में ४० मलेरिया से। दुर्व्यवहार के कारण गया जेल के एक राजनैतिक बंदी श्री कामेश्वर सिंह की स्थिति इतनी गम्भीर हो गई कि उन्हें अधिकारियों ने रिहा कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। गया जेल में ही अगस्त के दूसरे सप्ताह में दो राजनैतिक बंदी भूख-हड़ताल कर रहे थे।[२] सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ५ अक्तूबर को गया जेल में ६४९ राजनैतिक बंदी थे।[३] इसी महीने भागलपुर जेल के कुछ राजनैतिक बंदियों को पीटा गया और उन्हें अपने मित्रों और संबंधियों से जेल-कानून में विहित मिलने की सुविधा से वंचित कर दिया गया।[४] भागलपुर में नवम्बर के आरंभ में एक सार्वजनिक सभा हुई। इसमें राजनैतिक बंदियों को चंदन लगाने के लिये मार-पीट किये जाने की भर्त्सना की गई।[५] पटना जेल में एक राजनैतिक बंदी १९३० के अन्तिम दिनों में अनेक दिनों से भूख-हड़ताल कर रहा था। दिसम्बर के उतरार्द्ध में इसी जेल में ३ राजनैतिक बंदियों की मृत्यु हो गई।[६]

---

१. पटना आयुक्त के १३ सितम्बर, १९३० की पाक्षिक रिपोर्ट।
२. बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के २ अगस्त, १९३० की साप्ताहिक रिपोर्ट।
३. पटना आयुक्त के १३ अक्तुबर, १९३० की पाक्षिक रिपोर्ट।
४. बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के ३१ अक्तूबर, १९३० की रिपोर्ट।
५. वही, ७ नवम्बर।
६. यंग इण्डिया, ३१ जनवरी, १९३१।

सरकारी दमनचक्र के बावजूद आन्दोलन का बढ़ता हुआ जोर

राजेन्द्र बाबू १४ दिसम्बर, १९३० को कारावास की पूरी अवधि पूरा करके हजारीबाग जेल से रिहा हुए। वे उसी दिन संध्या में पटना पहुँचे। प्रान्त में सत्याग्रह आन्दोलन सरकारी दमन-चक्र की कठोरता के बावजूद जोरशोर से चल रहा था। कई स्थानों पर गोलियाँ भी चलाई गई थीं।[१] दिसम्बर के अन्त तक बिहार में इस आन्दोलन के सिलसिले में कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या १२१९४ थी। २७ दिसम्बर, १९३० तक राजनैतिक स्थिति का पुनरीक्षण करते हुए भारत सरकार ने लिखा "आन्दोलन में कुछ तेजी, विशेष करके बिहार-उड़ीसा में, दीख पड़ी है। कई जिलों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में लोगों की अभिरुचि में अभिवृद्धि हुई है। धरना देने का कार्यक्रम अधिक जोरशोर के साथ चलाया गया है।" नवम्बर अन्त से और दिसम्बर में(१९३०) सरकार ने विशेष अधिसूचनाएँ जारी करके बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी और कुछ अन्य संबद्ध संगठनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ऐसी अधिसूचनाएँ सारन के संबंध में २४ नम्वर; समस्तीपुर अनुमंडल, २९ नवम्बर; मुजफ्फरपुर, मुँगेर, मानभूम और कटक १ नवम्बर; मधुबनी अनुमंडल, २ नबम्बर; भागलपुर जिला २ नवम्बर; चम्पारण जिला और देवघर अनुमंडल, ८ नवम्र को जारी की गईं। दिसम्बर मध्य तक गया को छोड़ कर विहार की सभी काँग्रेस कमिटियाँ और संगठन गैरकानूनी घोषित किये जा चुके थे। २७ दिसम्बर को एक विशेष गजट में यह घोषणा की गई कि "अनलॉफुल इंस्टिगेशन ऑर्डिनेंस (२) की धारा २२ के अन्तर्गत सपरिषद गवर्नर सम्पूर्ण बिहार-उड़ीसा प्रान्त को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता है। चौकीदारों या दफादारों की व्यवस्था बनाये रखने से संबंधित टैक्स की वसूली को भी अधिसूचित दायित्व घोषित किया जाता है।"

किन्तु राष्ट्रीय संग्राम पूरे उत्साह के साथ चलता रहा। १ दिसम्बर १९३० को मुजफ्फरपुर के तिरहुत प्रमंडलायुक्त के कार्यालय पर साढ़े ६ बजे

१ : कुछ स्थानों के नाम ये हैं : मुँगेर में जमालपुर, संथालपरगना जिला में गोड्डा के समीप, सारन जिला के सिवान अनुमंडल के डोमराही गाँव, भोरे थाना में ग्राम बड़हौलिया में।

भोर में काँग्रेस का तिरंगा झंडा फहराता दीख पड़ा।[1] श्री जवाहरलाल नेहरू ने १९३० की घटनाओं के संदर्भ में कहा, "इन घटनाओं ने हमारी राष्ट्रीय शक्ति एवं क्षमता में किंचित विश्वास दिलाया है और इस विश्वास के साथ हम भविष्य का सामना करने को तैयार थे।"[2] युरोपियन ऐसोसियेशन के सदस्यों के समक्ष २२ दिसम्बर, १९३० को उसकी वार्षिक प्रीतिभोज के अवसर पर भाषण करते हुए लॉर्ड इरविन ने कहा "......कितना भी जोर देकर हम सविनय अवज्ञा आन्दोलन की भर्त्सना करें,.......जबतक चलाया जाता है, उसे दवाने के हेतु कितनी भी शक्तियों का उपयोग करें, मुझे इसपर विश्वास है कि आज अधिकांश भारतीयों के मन में जो सच्ची एवं प्रबल राष्ट्रीयता की भावना भर रही है उसको उपयुक्त महत्त्व नहीं प्रदान करना हमारे लिये भारी गलती होगी क्योंकि सरकार द्वारा सशक्त कार्रवाई करने में उसका कोई सहज, पूर्ण या स्थाई इलाज न मिला है और न कभी मिलेगा।"

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के विरुद्ध प्रचार

असहयोग आन्दोलन के दिनों की तरह सरकार कठोर दमन के साथ-साथ राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देने के हेतु प्रचार का आश्रथ भी ले रही थी। इस काम में अधिकतर जमीन्दार वर्ग के लोग सरकार की सहायता करते थे (यद्यपि कुछ जमीन्दार तटस्थ भी रहना चाहते थे)। जमीन्दारों का स्वार्थ भारत में बृतानी साम्रज्यावाद के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध था। इनके अतिरिक्त व्यापारी, बड़े व्यवसायी, अवकाश प्राप्त लोग तथा कुछ प्रतिक्रियावादी मुसलमान भाड़े पर भाषण देनेवाले व्यक्तियों एवं कुछ सरकारी अधिकारियों को लेकर काँग्रेस विरोधी प्रचार किया करते थे। इस काम के लिये विभिन्न स्थानों पर अमन सभाओं की स्थापना की गई थी। कहीं-कहीं "तथाकथित संवैधानिक संघ" और "शांति तथा सुव्यवस्था समितियाँ" भी स्थापित की गई थीं। इस तरह की संस्थाओं की स्थापना जिला, अनुमंडल और थाना स्तर पर की जाती थी। सरकार के प्रति भक्ति की भावना से ओतप्रोत विभिन्न प्रकार के साहित्य का प्रचार किया जाता था। विभिन्न स्तर के सरकारी अधिकारियों के तत्कालीन पत्राचार और रिपोर्टों में इस काँग्रेस-

१ : द सर्चलाइट, ३१ दिसम्बर, १९३०।
२ : ऑटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ २४८।

विरोधी प्रचार को सफल बनाने के हेतु उनकी सतर्कता, व्यग्रता एवं अनवरत प्रयत्न के उदाहरण भरे हुए हैं। पहले सरकारी अधिकारी आचार नियमों के अनुसार अधिकारियों के किसी राजनैतिक आन्दोलन में पक्ष ग्रहण करने से अलग रहने को कहा जाता था किन्तु मई, १९३० तक सरकार ने इस संबंध में रवैया एवं नीति बदल दी। बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने २८ मई, १९३० को जिला अधिकारियों को निम्नलिखित पत्र भेजा : "इसलिये सरकार ने निर्णय किया है कि अब वह समय आ गया है जब उसके अधिकारियों को आसन्न खतरा के विरुद्ध प्रचार करने के हेतु राजभक्त लोगों को एकत्र एवं संगठित करके अव्यवस्था की शक्तियों का प्रतिरोध करने में नेतृत्व करना चाहिये। हर जिला में ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें जमीन्दार, पेशेवर लोग तथा व्यापारी विशेष करके सक्रिय होना चाहेंगे। वर्तमान आन्दोलन कैसी अराजकता की ओर इंगित कर रहा है ये लोग यह भलीभाँति समझते हैं। इनमें से अनेक अपने-अपने क्षेत्र में दूसरे लोगों को आन्दोलन में सम्मिलित होने से निरुत्साहित करने के हेतु अपने प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं। किन्तु उनको एकजुट होकर काम करने से व्यक्तिगत प्रयत्नों की अपेक्षा अधिक लाभ की संभावना है।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि यथाशीघ्र अपने इलाके के प्रमुख लोगों को सलाह-मशविरा करने के हेतु बुलावें और उनकी सहायता से प्रमुख कानून-पसंद लोगों का संघ बनाने का प्रयत्न करें जिसमें आम खतरा के विरुद्ध नियमित रूप से विरोधी प्रचार आरम्भ किया जा सके। जमींदारों को आप विशेष रूप से यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि करबन्दी आन्दोलन का आगामी कदम मालगुजारी देना बन्द करना होगा। फलतः उनके हित सरकार के हित से मिलते-जुलते हैं। व्यापारियों को आप यह समझा सकते हैं कि पिछले दिनों में वाणिज्य व्यवसाय को कितना नुकसान हो चुका है और यदि अराजक तत्वों को और अधिक प्रबल होने को छोड़ दिया जाता है तो सबसे बड़ा खतरा वे जिस समाज-व्यवस्था के अग्रगणी हैं उसी पर है।

सरकार को यह विश्वास करने का आधार है कि यदि सभी में नहीं तो अनेक जिलों में सरकारी अधिकारियों के इस कदम का स्वागत होगा।

आशा की जाती है कि अनुमंडलाधिकारी अपने इलाकों में जिला समितियों के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। इस हेतु आपके पास इस

परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ भेजी जा रही हैं जिसमें आप उनके पास भेज सकें"।

सरकार इस विरोधी प्रचार के लिए इसमें रुचि रखनेवाले लोगों से चन्दा की आशा करती थी। पहले उन्होंने जिलाधिकारियों को कार्यालय खर्चों के लिए २०० रु० व्यय करने को प्राधिकृत किया। जुलाई, १९३० तक बिहार-उड़ीसा-विधान परिषद ने इस काम के लिए जिलाधिकारियों द्वारा अपने-अपने इलाकों में व्यय करने के हेतु २०,००० रु० का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया।

सरकार अपने दृष्टिकोण के अनुसार तैयार पुस्तकों, इश्तहार आदि वितरण करने के हेतु प्रबन्ध कर चुकी थी। मई, १९३० के मध्य तक बिहार-उड़ीसा-सरकार भारत-सरकार के आदेश से जिलाधिकारियों को नमक कर, क्या भारत उत्तरोत्तर गरीब हो रहा है, नशीले पदार्थों से राजस्व, भारत पर ऋण सम्बन्धी चार इश्तहार भेज चुकी थी। यह साहित्य पुलिस दारोगा के स्तर से ऊपर के अधिकारियों के लिए भेजा गया था जिसमें वे उपयुक्त लोगों के साथ बात-चीत करने में समर्थ हो सकें। वाइसराय के १३ मई, १९३० के वक्तव्य पर आधारित "प्रचार के हेतु कुछ बातें सहित" एक योग्य स्मार-पत्र बिहार-सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारियों और आई०सी०एस० अनुमंडलाधिकारी के व्यवहार के लिए प्रमंडलायुक्तों के पास भेजा जा चुका था। इसका उपयोग भी गैर-सरकारी लोगों और समाचार-पत्रों के संदर्भ में करना था। एक अन्य स्मार-पत्र अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के १२-१५ मई, १९३० की इलाहाबाद बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों के सम्बन्ध में तैयार किया गया था। प्रमंडलायुक्तों को इसकी प्रतियाँ भी भेज दी गईं। जून, १९३० के अन्त तक बिहार-उड़ीसा-सरकार ने उपर्युक्त एवं इस तरह के अन्य साहित्य को अनुमंडलाधिकारी, डिप्टी मैजिस्ट्रेट, सब-रजिस्ट्रार, आबकारी अधीक्षक और पुलिस अधिकारियों को उपयोग के लिए भी उपलब्ध करा दिया।

शाहाबाद जिला के सरकार परस्तों की एक आम सभा आरा में जिलाधिकारी की कोठी पर १५ जून, १९३० को की गई। इस अवसर पर प्रचार के हेतु एक शान्ति सभा की स्थापना हुई। जुलाई मध्य के लगभग उपर्युक्त चार इश्तहारों की एक-एक हजार प्रतियाँ तथा "साम-राम और

गुरुजी" शीर्षक एक हिन्दी इश्तहार ग्रामीण इलाकों के लिए विशेष करके प्रकाशित की गई।

अगस्त के आरम्भ तक कन्ट्री लीग नामक एक संघ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय युक्त प्रान्त के कानपुर में था। कैप्टेन डब्लु० जे० ए० एच० औचिनलेक इसका महासचिव था। इस संघ की ओर से प्रान्तीय भाषाओं में राष्ट्र विरोधी प्रचार, विशेष करके बिहार में, करने के हेतु इश्तहार-वितरण का काम शुरू किया गया। जिलाधिकारियों को जहाँ कहीं अमन सभा की स्थापना की जा चुकी हो उनके द्वारा इसे सहायता देने को कहा गया। अन्य स्थानों में इस कामों में हाथ बटाने में उद्यत लोगों के माध्यम से यह कराना था। इस संस्था ने एक अखबार भी निकाला। इसका नाम "भलाई" था। इसे भी वितरण के हेतु भेजा गया। जून में ही सरकार ने "स्वराज्य मिलने का आसान तरीका" शीर्षक एक इश्तहार के वितरण करने का काम शुरू किया। यह इश्तहार उर्दू में बिहारशरीफ के एक अवैतनिक मैजिस्ट्रेट का लिखा हुआ था। इसका अँगरेजी और हिन्दी अनुवाद भी कराया गया था। २७ जुलाई, १९३० को अपने एक पत्र में इसके लेखक ने पटना के आयुक्त के समक्ष यह दावा प्रस्तुत किया था कि इश्तहार में सरल ढंग से काँग्रेस कार्यक्रम की सभी युक्तियों का जवाब दिया गया था। आम जनता एवं छात्रों में इसका स्वभावतः अच्छा प्रभाव होगा। अन्य प्रकार के इश्तहार भी अधिकाधिक संख्या में निकाले जा रहे थे। १९३० अक्तूबर के तृतीय सप्ताह तक सरकारी अधिकारियों को सरकार द्वारा निम्नलिखित इश्तहार की प्रतियाँ भी भेजी गईं :

१. सप्रू जयकर वार्त्ताओं पर प्रचार सम्बन्धी इश्तहार,
२. भारत में वर्त्तमान आर्थिक मंदी पर प्रचार सम्बन्धी इश्तहार,
३. २९ सितम्बर, १९३० को पंजाब सरकार के मंत्रियों द्वारा विदाई भोज के अवसर पर लॉर्ड इरविन के भाषण का कुछ अंश।

"कांग्रेसियों के नाम ७१ सवाल" शीर्षक एक पुस्तिका की प्रतियाँ बिहार सरकार द्वारा अमन सभाओं के उपयोग के लिए जिलाधिकारियों के पास भेजी गईं। इसका लेखक रावलपिंडी का वकील काजी नजीर अहमद था। पहले-पहल यह पुस्तिका पंजाब में वितरित की गई थी। इस पुस्तिका

में पंजाब सम्बन्धी अंश और कुछ अन्य बातें जिनका बिहार के लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं था, हटा दी गई थीं।

अमन सभाओं का जनता द्वारा विरोध :

सरकार की इन कार्रवाइयों से जनता में असंतोष और बढ़ रहा था। अमन सभाओं का न केवल लोग उपहास करते थे, अकसर उनका मुखर विरोध भी किया जाता था। सरकार ने गया में प्रान्तीय अमन सभा का आयोजन करने का निर्णय किया। इसके लिए ३१ जनवरी और १ फरवरी १९३१ की तिथि निर्धारित की गई। किन्तु ज्योंही प्रान्तीय अमन सभा के अध्यक्ष ३१ जनवरी को गया रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, काला झण्डा लिये अनेक लोग वहाँ पहुँचकर "वापस जाओ" तथा "हमें देशद्रोही नहीं चाहिए," आदि का नारा लगाने लगे। उस सभा के विरोध में उस दिन गया में हड़ताल रही। संध्या में गोलबगीचा में एक जन-सभा हुई। इकमें डॉ० श्रीमती बोस ने अध्यक्षता की। निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ—"गया के नागरिकों की यह जन-सभा प्रान्तीय अमन सभा के आयोजन का विरोध करती है और उन लोगों की भर्त्सना करती है जो देशवासियों को गुमराह करते हैं एवं प्रान्त की जनता से इसका वहिष्कार करने की अपील करती है।"[1]

सरकारी अधिकारी नागरिक एवं ग्रामीण इलाके के लोगों के विरोध के समक्ष विरोधी प्रचार के प्रयत्नों की व्यर्थता स्वयं भी कभी-कभी समझते थे। भागलपुर के आयुक्त की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सम्मेलन की निम्नलिखित रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है :—

"प्रचार आयोजन करने में मुख्य कठिनाई यह है कि काँग्रेस का एक निश्चित कार्यक्रम है जो हमारे पास नहीं है। हमारी वर्त्तमान स्थिति अस्पष्ट है और गोलमेज सम्मेलन के वाद तक वैसी ही रहेगी। कांग्रेस के पास एक सुनिश्चित आकर्षक कार्यक्रम है। हमारे पास कुछेक अरुचिकर बातें हैं जिसकी सत्यता के सम्बन्ध में हम स्वयं ही निश्चित नहीं। हमारी कठिनाई प्रचार एवं तरीका के संबंध में नहीं बल्कि हम क्या कहना चाहते हैं उसके संबंध

१. द सर्चलाइट, ३ फरवरी, १९३१।

में है। कुल मिलाकर अमन सभाएँ विफल रही हैं क्योंकि इनमें आस्थावान लोगों के पास उतना साहस नहीं रहा है, इनके अनेक कार्यकर्त्ताओं के स्वार्थपूर्ण उद्देश्य रहे हैं, यथा उपाधि प्राप्त करना आदि, बड़े लोग प्रायः अलग रहे और छोटे लोग उससे जो कुछ भी लाभ उठा सकते थे उससे अनुप्रेरित होकर सम्मिलित होने आए। दूसरी ओर आम जनता इतना अधिक उत्साह विहीन है कि किसी स्वयं-सेवक के विरुद्ध लोग नहीं होते चाहे उससे उन्हें कितनी भी परेशानी उठानी पड़े........।"

दमन और विरोधी प्रचार अनवरत रूप से चलते रहे। लन्दन में भारत की संवैधानिक समस्याओं का समाधान करने के घोषित उद्देश्य से गोलमेज सम्मेलन जिन दिनों चल रहा था उन दिनों भी अनवरत रूप से सरकारी दमन-चक्र चलाया जा रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रवैया का बिलकुल ही खयाल नहीं करके बृतानी सरकार ने गोलमेज सम्मेलन १२ नवम्बर, १९३० को भारत सम्राट की अध्यक्षता में शुरू किया। सम्मेलन में सपरिषद गवर्नर जेनरल द्वारा मनोनीत भारतीय सदस्य—कुछ देशी राजा या उनके प्रतिनिधि जमींदार या सेठ, कुछ उदारवादी या दूसरे लोग—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति से सहमत नहीं थे। उन लोगों में श्री मुकुन्द राव जैयकर, श्रीनिवास शास्त्री, तेजबहादुर सप्रू, सी० वाई० चिंतामणि, डॉ० बी० एस० मुंजे, दरभंगा महाराज श्री कामेश्वर सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मुहम्मद अली[1] तथा शौकत अली थे। सम्मेलन १९ जनवरी, १९३१ को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया यद्यपि इसका काम समाप्त नहीं हुआ था। उस दिन बृतानी प्रधान मंत्री श्री रामसे मैकडोनल्ड ने एक भाषण में निम्नलिखित घोषणा के साथ उस सम्मेलन को समाप्त किया था :—

"बृतानी सरकार के विचार में भारत के प्रशासन का दायित्व केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान मंडलों को कुछ विशेष उपबंधों के साथ दिया जाना चाहिए। ये उपबंध संक्रान्ति काल में कुछ विशेष दायित्वों, विशेष स्थितियों एवं अल्पसंख्यकों की राजनैतिक स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संरक्षण के हेतु आवश्यक होंगे। ऐसे सांविधिक उपबधों का पूर्ण दायित्व बृतानी सरकार पर होगा। संक्रान्ति काल की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार

---

१. मौलाना मुहम्मद अली की लंदन में ४ जनवरी, १९३६ को मृत्यु हो गई।

ऐसा प्रबन्ध करेगी कि संरक्षित अधिकार इस प्रकार निर्धारित किये जायँ एवं उनका कार्यान्वियन ऐसे ढंग से हो जिसमें नये संविधान के माध्यम से अपनी सरकार बनाने के हेतु पूर्ण दायित्व की ओर भारत की प्रगति में किसी तरह की बाधा नहीं हो।

सम्मेलन की प्रकृति तथा लन्दन में उसके सीमित क्षेत्र को देखते हुए बृतानी सरकार इस समय इसका काम स्थगित करना उपर्युक्त समझती है जिसमें जो कठिनाइयाँ सामने आई हैं उन्हें दूर करने के हेतु भारतीय अभिमत से अबतक जो काम हुआ है उसपर तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए विचार-विमर्श किया जा सके। बृतानी सरकार अविलम्ब ऐसी योजना पर विचार करेगी जिसमें एक नये भारतीय संविधान के रूप में हमारे आयोजित काम के परिणाम प्रकट हो सकें तथा उसके हेतु हमारा सहयोग जारी रहे। यदि इस बीच सविनय अवज्ञा में जो लोग लगे हुए हैं उनकी ओर से वाइसराय की अपील पर अनुकूल प्रतिक्रिया लक्षित हुई इस घोषणा की एवम् आम सूत्र-रेखाओं पर सहयोग करने की दूसरे लोगों ने इच्छा प्रकट की तो उनका सहयोग प्राप्त करने हेतु भी कदम उठाए जायेंगे।"

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक इलाहाबाद में २१ जनवरी, १९३१ को हुई। इसमें इस घोषणा को "इतना अस्पष्ट एवं आम तरीके का बताया गया जिससे कांग्रेस की नीति में कोई परिवर्त्तन करने का आधार नहीं था।"[१]

स्वाधीनता दिवस समारोह (२६ जनवरी, १९३१) :

मेलमिलाप के संकेत के रूप में वाइसराय ने २५ जनवरी, १९३१ को गाँधी जी एवं काँग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की रिहाई का आदेश दिया। अगले दिन उन्हें रिहा कर दिया गया और काँग्रेस कार्यकारिणी पर गैर-कानूनी संस्था के रूप में जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे उठा लिया गया। किन्तु इससे सरकार की नीति में वास्तविक परिवर्त्तन तुरत लक्षित नहीं हुआ और भारतीय राष्ट्रवाद का जोर इससे नहीं रुक सका।[२]

१. श्री तेजबहादुर सप्रू, श्री जयकर और श्री श्रीनिवास शास्त्री के अनुरोध पर काँग्रेस का यह प्रस्ताव उनके भारत आने तक प्रकाशित नहीं किया गया था।

२. आरक्षी महानिरीक्षक बिहार और उड़ीसा के चम्पारण के आरक्षी अधीक्षक

२१ जनवरी की कांग्रेस कमिटी की बैठक में "पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनिरोधित शक्ति के साथ संघर्ष चलाते रहने के आदेश की" अनुशंसा की गई। इस आदेश के अनुसार देश भर में २६ जनवरी को बड़े उत्साह के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया गया। देश भर में जन-सभाएँ हुईं, स्वाधीनता प्रस्ताव दुहराया गया और 'स्मृति प्रस्ताव''[1] शीर्षक एक वैसा ही प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। स्मृति प्रस्ताव में "भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेनेवाले, कष्ट सहन करनेवाले एवं बलिदान करनेवाले उसके वीर लोगों पर स्वाभिमान एवं साभार प्रशंसा व्यक्त की गई थी" तथा यह संकल्प किया गया था कि "भारत जब तक पूर्ण स्वतन्त्रता हासिल नहीं कर लेता तबतक आजादी की लड़ाई चलती रहेगी।"

पटना में ८ बजे सबेरे २६ जनवरी को भँवरपोखर पार्क में बाबू अनुग्रह नारायण सिंह ने रष्ट्रीय झंडा फहराया। इस अवसर पर वहाँ उपस्थित लोगों में बाबू राजेन्द्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अब्दुल बारी, शम्भू शरण वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, शारंगधर सिंह प्रभृति लोग प्रमुख थे।[2] दुर्भाग्यवश मुंगेर के बेगूसराय में स्वाधीनता दिवस जुलूस में कुछ नेताओं की गिरफ्तारी के उपरांत जनता एवं पुलिस के बीच एक झड़प हो गई। कुछ पुलिस अधिकारी एवं सिपाहियों को चोटें आईं। पुलिस ने जुलूस पर गोली चला दी, ५ व्यक्ति मारे गये और कुछ अन्य घायल हुए।[3] लगभग इन्हीं दिनों

तथा अन्य आरक्षी अधीक्षकों को ३१ जनवरी, १९३१ का निम्नलिखित परिपत्र ध्यातव्य है :

"श्री ब्रेट को ७८ सी संख्यक अपने अर्द्ध सरकारी पत्र में आपने स्वाधीनता दिवस, जुलूस एवं सभाओं में हस्तक्षेप नहीं करने के आदेश का आपके अधीनस्थ अधिकारियों पर निरुत्साहजनक प्रभाव का उल्लेख किया है। उन्हें आप स्पष्ट कर दें कि इस आदेश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रति व्यवहार में कोई नीति संबंधी परिवर्त्तन अन्तर्निहित नहीं है। यह आदेश इसलिये जारी किया गया था कि भारत सरकार ठीक उसी दिन जबकि काँग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य रिहा होनेवाले थे और वाइसराय द्वारा उनकी रिहाई की घोषणा होनेवाली थी, पुलिस के साथ कोई झड़प नहीं हो।"

१. परिशिष्ट ५।
२. द सर्चलाइट, २७ जनवरी, १९३१।
३. द इन्डियन ऐनुअल रजिस्टर, १९३१, खण्ड १, पृ० २३; यंग इन्डिया, ५ फरवरी, १९३१। इस घटना पर विधान परिषद् में कुछ सदस्यों ने सवाल पूछे।

पटना कैम्प जेल के ३ बन्दी श्री कंचन मेहता, बिकन मेहता और सरयू सिंह का देहान्त हो गया।[1]

सरकारो दमन चक्र :

अन्य तरीकों से सरकारी दमन जारी था। सरकार के शांति प्रस्ताव के बावजूद उसका अन्त नहीं हुआ था। पटना के अँगरेजी दैनिक "सर्चलाइट" से जनवरी, १९३१ में ३,००० रुपये की जमानत जमा करने को कहा गया। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने केन्द्रीय खादी भण्डार और गाँधी आश्रम पर छापा मारा, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तथा कुछ किताबें एवं कागजात उठाकर ले गई।[2] जनवरी के पहले सप्ताह में बेतिया, चौहारी, चनपटिया, चमैनिया, नरकटियागंज और सिकटा (जिला चम्पारण) में कई कांँग्रेसी नेता एवं कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें सजायें दी गईं। इस इलाके में कुछ आश्रम या तो जब्त कर लिये गये या पुलिस द्वारा उजाड़ दिये गये।[3] कम से कम ६ स्थानों पर सरकार ने चौकीदारी कर वसूल करने में सहायता देने के हेतु इस समय अतिरिक्त दंडात्मक गोरखा सैनिक तथा घोड़सवार पुलिस बैठा दी। सारन जिलान्तर्गत दरौली थाना के कुछ गाँवों एवं महाराजगंज में अतिरिक्त पुलिस बैठाये जाने के उदाहरण मिलते हैं। लगभग २०० जवानों का एक दस्ता जिनमें बलुच और गोरखा थे, विद्दुपुर में कुछ काल तक डेरा जमाये रहा। विद्दुपुर, महनार और हाजीपुर स्टेशनों पर उस इलाके में अवांछनीय लोगों के आने से रोकने के हेतु पुलिस का कड़ा पहरा रखा गया। ३०-४० जवानों के जत्थे गाँवों में जाकर विभिन्न प्रकार से लोगों में आंतंक पैदा करते थे।[4] १९ जनवरी, १९३१ को श्री जगत नारायण लाल एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को बिहार अनुमंडल में गिरियक थाना के ग्राम कतरीसराय में एक सभा करने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। गाँववालों के विरोध को पुलिस ने दबा दिया।[5]

---

१. यंग इण्डिया, २२ जनवरी, २९ जनवरी और ५ फरबरी, १९३१।
२. द सर्चलाइट, ६ जनवरी, १९३१।
३. वही, १३ जनवरी, १९३१।
४. वही, २५ जनवरी, १९३१।
५. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ जनवरी, १९३१।

२५ जनवरी, १९३१ की सुबह में पुलिस ने पटना के निम्नलिखित स्थानों पर एक साथ तलाशियाँ लीं।[1]

(१) महेन्द्रू स्थित बिहार इंजिनियरिंग कॉलेज के प्रो० एच० एन० दत्त के आवास की तलाशी उनकी अनुपस्थिति में ली गई।

(२) खुदाबक्स लाइब्रेरी के सामने श्री विशेश्वर दे का मकान।

(३) बी० एन० कॉलेज के एक छात्र का भीखनापहाड़ी स्थित मकान—पुलिस यहाँ से सरदार भगत सिंह और श्री बटुकेश्वर दत्त की तस्वीरें उठाकर ले गई।

(४) बिहारी साव लेन, मुरादपुर में श्री टी० चक्रवर्त्ती का मकान। श्री चक्रवर्त्ती उन दिनों एक जुलूस में भाग लेने के अभियोग में जेल में थे। पुलिस यहाँ से एक फोटो अलबम और सर्वदल सम्मेलन की रिपोर्ट की एक प्रति लेती गई।

(५) श्री सत्यभूषण सरकार का मकान। यहाँ पुलिस को कुछ चिट्ठियाँ हाथ लगीं।

(६) श्री एस० एन० घोष की मुरादपुर स्थित भारत शिल्प मंदिर नामक दूकान।

(७) कलकत्ता से जारी किये गये एक वारण्ट के आधार पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने पटना, गया रोड स्थित डा० सी० सी० दास के घर की तलाशी ली और कुछ फोटो लेती गई। मेरठ-षड्यंत्र केस संबंधी कुछ कागजात की प्रतिलिपि तथा बंगला में लिखा गया कुछ निबंधों की एक कॉपी तथा कुछ पत्र भी अपने साथ लेती गई। यह वारण्ट श्री दास की कन्या कुमारी गौरी दास के घर की तलाशी लेने के लिए जारी किया गया था।

(८) श्री एस० एन० घोष के दानापुर स्थित कार्यालय की तलाशी ली गई। इन दिनों सरकार के अनवरत दमन का उल्लेख करते हुए पटना के अँगरेजी दैनिक "सर्चलाइट" ने १६ जनवरी के अपने अंक में इस प्रकार लिया: "स्पष्ट शब्दों में यह सरकार नहीं, उसका प्रतिषेध है। अदम्य अन्तर्निहित शक्तियाँ, बुनियादी

---

१. द सर्चलाइट, २५ जनवरी, १९३१।

भावनाओं का ज्वार जो देश भर में उमड़ रहा है, उन्हें पशुबल के नग्न प्रयोग से रोका नहीं जा सकता, उनका उन्मूलन करना तो दूर रहा।" "ग्रेट ब्रिटेन की ओर से आधिकारिक शांति प्रस्तावना के बावजूद निर्दोष लोगों पर अकारण प्रहार चलता रहेगा।" ये गाँधी के शब्द थे। १९३१ के फरवरी के प्रारंभ में ही उन्होंने समाचारपत्रों के लिए एक वक्तव्य में कहा था: "सरकारी दमन नीति द्वारा वातावरण को जिस तरह विषाक्त बनाया जा रहा है उसमें शांति वार्त्ताएँ कैसे संभव होंगी यह मेरी समझ में नहीं आता। देश में जो सामूहिक आन्दोलन चल रहा है उसे अन्तिम समझौते की युक्तिसंगत आशा के बिना एकाएक रोका नहीं जा सकता और यह जरूरी है कि उसे रोकने के हेतु आम जनता को भी समझौता की आशा हो। जबतक कठोरता के साथ दमनचक्र चलता रहेगा यह संभव नहीं।"[१]

दिल्ली समझौता हस्ताक्षरित, ५ मार्च, १९३१

६ फरवरी, १९३१ को, जिस दिन पंडित मोतीलाल नेहरू की लखनऊ में मृत्यु हुई, गोलमेज सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधियों का एक बड़ा दल बम्बई उतरा। इनलोगों ने आते ही यह वक्तव्य दिया कि "औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्ति पर अब कोई विवाद नहीं।" श्री श्रीनिवास शास्त्री, तेजबहादुर सप्रू और मुकुन्द राव जयकर इलाहाबाद आए। गाँधी जी से एक-दो दिन तक बातचीत करके उन्हें लार्ड इरविन से वार्त्ताएँ करने को राजी किया। गाँधी जी ने लॉर्ड इरविन से भेंट की, कुछेक दिन की बातचीत के उपरांत ५ मार्च को वाइसराय के आवास पर दिल्ली समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इसके अनुसार सविनय अवज्ञा आन्दोलन को "प्रभावी रूप से स्थगित कर देना था" और भारत सरकार एवं प्रान्तीय सरकार को कुछ कदम उठाने थे, यथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के संदर्भ में बंदी बनाये गये लोगों की रिहाई, अध्यादेशों की वापसी, जप्त सम्पति लौटाना तथा कुछ क्षेत्रों में नमक बनाने की अनुमति। संवैधानिक प्रश्नों पर गोलमेज सम्मेलन के अवसर

१: तेन्दुलकर में उद्धृत, खंड ३, पृष्ठ ६६-६७।

पर रूपायित योजना पर और आगे विचार-विमर्श के लिये द्वार खुला रखा गया। संघीय योजना उसका आवश्यक अंग थी। इसी तरह भारतीयों को उत्तरदायित्व सौंपना एवं भारत के हित में, यथा सुरक्षा, वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति, भारत की वित्तीय व्यवस्था एवं प्रतिभूति निष्पादन जैसे विषयों पर कतिपय विशेषाधिकार के संदर्भ में भी आगे बातचीत की जा सकती थी।

काँग्रेस कार्यकारिणी की एक सद्यः बैठक में इस "अन्तरिम समझौता" का अनुमोदन कर दिया गया। प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियों को तार द्वारा सूचनाएँ देकर तदनुसार काम करने के आदेश भेज दिये गये। बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी को तार द्वारा सूचना भेज दी। इस प्रकार गाँधी जी के शब्दों में काँग्रेस "अन्तरिम रूप से सहयोग के मार्ग पर चल पड़ी।"[1]

अध्यादेशों का निरसन:

६ मार्च को सरकार ने १९३० में जारी किये गये विभिन्न अध्यादेशों को उठा लिया। अन्य प्रातों की तरह बिहार में भी काँग्रेस कमिटियों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। राजेन्द्र बाबू १२ मार्च को छपरा से पटना आए और दिल्ली समझौता के स्पष्टीकरण के लिये प्रान्त की यात्रा पर निकल पड़े। १३ मार्च को मुंगेर और भागलपुर, १५ और १६ मार्च को मुजफ्फरपुर, १७ और १८ मार्च को चम्पारण की यात्रा करके १९ को पटना वापस आए।[2]

बिहार सरकार द्वारा समझौता की शर्तें पूरी करने में बिलम्ब से प्रान्त में असंतोष।

बिहार के काँग्रेस कर्मियों को इस प्रान्त में सरकार से इस बात को लेकर शिकायत थी कि समझौता की शर्तें पूरी करने में विलम्ब किया जा रहा था। राजेन्द्र बाबू ने १२ मार्च को गाँधी जी को निम्नलिखित तार भेजा :

---

१ : अमरीकी और भारतीय संवाददाताओं को दिल्ली में ५ मार्च, १९३१ को डाक्टर असारी के आवास पर गाँधी जी का वक्तव्य; महात्मा गाँधी के भाषण एवं लेख, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ७७७-७८४।

२ : द सर्चलाइट, १३ मार्च, १९३१।

"स्थानीय सरकार समझौता की शर्त्तें बहुत धीरे-धीरे और थोड़ा-थोड़ा करके पूरी कर रही है। अभी तक केवल अध्यादेश, नमक कानून और क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट के अन्तर्गत सजा प्राप्त बंदी रिहा किये गये हैं। धारा १२४ क, १५७, ११७, १४३, ३७९, ५०५, १०७ और १०८ आदि के अन्तर्गत बंदी बनायेगये लोग नहीं छोड़े गये हैं। सरकार ने इनके मामले संबंधित मैजिस्ट्रेटों को सौंप दिये हैं। विचाराधीन मुकदमों के संबंध में भी ऐसा ही कहा गया है। बंदियों और जनता में बहुत निराशा और असंतोष। सद्भावना का वातावरण बनाने में कठिनाई। काँग्रेस द्वारा ६ तारीख से सभी सविनय अवज्ञा कार्रवाइयाँ बन्द। घटनाक्रम के विकास की प्रतीक्षा आवश्यकता पड़ने पर फिर तार दिया जायगा"।

१२ मार्च को साढ़े पाँच बजे संध्या में भंवरपोखर पार्क में एक बड़ी सभा हुई। उसी रात ८ बजे मंगल तालाब, पटना सिटी में एक अन्य सभा हुई। इसमें लगभग ६,००० पुरुष और १०० महिलाएँ सम्मिलित थीं। एक प्रस्ताव में गाँधी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया तथा एक अन्य में "राजनैतिक बंदियों की रिहाई के प्रति प्रान्तीय सरकार के उदासीन रवैया के प्रति विरोध प्रकट किया गया।"[१] राजेन्द्र बाबू इन दोनों सभाओं में उपस्थित थे। इन्होंने दिल्ली समझौता की शर्त्तों का स्पष्टीकरण किया। राकनैतिक बंदियों की रिहाई में सरकार द्वारा विलम्ब किये जाने पर खेद प्रकट किया।

१७ मर्च, १९३१ को श्री श्रीकृष्ण प्रसाद ने बिहार-उड़ीसा विधान परिषद में एक अल्पसूचित प्रश्न में सरकार से पूछा कि राज-बंदियों की रिहाई के संबंध में सरकार कौन-सौ कारंवाई कर चुकी थी और रिहाई का काम पूरा करने में कितनी प्रगति हुई थी। सरकार की ओर से जबाब देते हुए मुख्य सचिव, श्री हैलेट ने कहा, "ज्योंही सरकार को सूचना मिली कि प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने जिला काँग्रेस कमिटियों इत्यादि को सविनय अवज्ञा आन्दोलन उठा लेने के आदेश दिये हैं, सरकार ने जिलाधिकारियों को १५ वर्ष या उससे कम आयु के सभी महिला बंदियों को रिहा कर देने के आदेश दे दिये। इनके अतिरिक्त १९३० के अध्यादेश ५ और ६ के अन्तर्गत

---

१. द सर्चलाइट, १४ मार्च, १९३१।

तथा कुछ अन्य छोटे-मोटे अपराध करनेवाले बंदियों की रिहाई और आदेश भी दिये गये हैं। जिलाधिकारियों को ऐसे सभी बंदियों को जिनपर किसी हिंसक काम करने या उसके लिये उसकाने का अभियोग नहीं हैं, उनके कागजात की जाँच करके सरकार से बिना पूछे हुए ही रिहा कर देने का अधिकार दिया गया है। ऐसे ही मामलों के विषय में उन्हें सरकार से पूछने को कहा गया है जिनके संदर्भ में उन्हें शंका हो। जिलाधिकारियों ने इन आदेशों का अनुपालन अविलम्ब किया है और यथासंभव शीघ्रता के साथ अन्य मामलों की छानबीन कर रहे हैं। लगभग २,०० बंदी रिहा किये जा चुके हैं।"[१]

बिहार काँग्रेस कार्यकारिणी की बैठक १९-२० मार्च, १९३१ को हुई। इनमें जिला काँग्रेस कमिटियों को समझौता की शर्त्तों का पूरा-पूरा अनुपालन करने के आदेश दुहराये गये। यह निर्णय किया गया कि वर्त्तमान सविनय अवज्ञा आन्दोलन का एक विस्तृत इतिहास तैयार करने में जिला काँग्रेस कमिटियों एवं मुफस्सिल के कार्यकर्त्ताओं का सहयोग आमंत्रित किया जाय। इस संबंध में विशेष करके सरकार या जनता के द्वारा विभिन्न अवसरों पर जो भी कोई घटनाएँ हुई हों उनका आकलन करने का निर्णय किया गया। जिला काँग्रेस कमिटियों के सचिवों से यह अनुरोध करने का निर्णय किया गया कि वे अपने-अपने इलाके में जिस किसी की चल या अचल सम्पत्ति जब्त की गई हो, बेच दी गई हो या उन्हें क्षति पहुँचाई गई हो, उसकी एक विस्तृत एवं पूर्ण सूची बनाकर भेज दें। श्री अनुग्रह नारायण सिंह को इसके हेतु सामग्रियाँ संकलन करने के लिए भार दिया गया।

बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी का समझौता शर्त्तें पूरो नहीं किये जाने पर असंतोष प्रस्ताव, २२ मार्च, १९३२ :

सरकार द्वारा समझौता शर्त्तें पूरी नहीं किये जाने पर जनता में असंतोष बढ़ रहा था। बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की एक बैठक २० मार्च को राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में सदाकत आश्रम में हुई। निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।[२]

१ : बिहार-उड़ीसा विधान परिषद की कार्यवाही, १७ मार्च, १९३१, खंड-२३ पृष्ठ ८०९-८१०।

२ द सर्चलाइट, २२ मार्च, १९३१।

"यह कमिटी समझौता की शर्त्तें सरकार द्वारा उपयुक्त उद्यतता के साथ पूरी नहीं किये जाने पर आम असंतोष प्रकट करती है (विशेष करके इस संदर्भ में कि समझौता काँग्रेस के साथ हुई वार्त्ताओं के फलस्वरूप किया गया था और उसके परिणामस्वरूप सविनय अवज्ञा आन्दोलन उठा लिया गया है)। समझौता की शर्त्तें पालन नहीं किये जाने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :

(१) समझौता की शर्त्तों के अन्तर्गत ऐसे राजनैतिक बन्दियों को भी जिन्हें रिहा किया जाना चाहिए था, नहीं छोड़ा गया है ;

(२) सविनय अवज्ञा के सभी विचाराधीन मुकदमे नहीं उठाये गये हैं ;

(३) कई स्थानों पर स्वयंसेवकों की मारपीट जारी है यथा बीहपुर, बेगूसराय आदि। यह न तो सामान्य कानून और न कोई साधारण कानून के अन्तर्गत उचित है।

कमिटी का विश्वास है कि सरकार का ऐसा आचरण प्रान्त में शांति का वातावरण बनाने या कायम रखने में बाधक है, महात्मा गाँधी और वाइसराय जिसके लिए विशेष रूप से आकांक्षी थे।

कमिटी सविनय अवज्ञा आन्दोलन संबंधी कार्रवाइयों को रोकने तथा कार्यकर्त्ताओं द्वारा समझौता की शर्त्तों के अनुपालन करने से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा किये गये आदेश को फिर से दुहराती है और आशा करती है कि कार्यकर्त्ता एवं जनता उनपर पूरी तरह अमल करेगी।"

राजेन्द्र बाबू ने जनता में फैले हुए असंतोष का इन शब्दों में उल्लेख किया : "कल प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की बैठक में इसपर बहुत बल दिया गया कि इस प्रान्त से एक भी प्रतिनिधि काँग्रस के अधिवेशन में नहीं जाय जबतक कि उनके साथी इतनी बड़ी संख्या में जेलों में बन्द हैं। लोगों में भारी उत्तेजना थी और प्रभावशाली एवं प्रतिष्ठित नेताओं के बहुत समझाने-बुझाने पर ही इस आशय का प्रस्ताव वापस लिया गया। यदि सरकार की रवैया आज इस तरह की है तो बाद में होनेवाले किसी समझौता को कितना मूल्य दिया जाय इसपर लोगों को शंका होती है। सत्याग्रहियों के संदर्भ में यही स्थिति है। जब्त की हुई सम्पत्ति अधिकतर स्थानों पर लौटाना बाकी है। काँग्रेस कमिटी के कार्यालय, जहाँतक मेरी जानकारी है, पुलिस ने खाली कर दिये हैं किन्तु बीहपुर आश्रम जिसे ३१ मई को पुलिस ने बिना किसी कारण के और बिना किसी वैध आदेश के जब्त कर लिया था, अभी भी पुलिस के

अधिकार में है। चल सम्पत्ति के संबंध में मैं समझता हूँ कि अधिकतर स्थानों पर उन्हें नहीं लौटाया गया है। काँग्रेस और सहयोगी संस्थाओं की सम्पत्ति के संबंध में यही स्थिति है। मुझे सूचना मिली है कि बीहपुर और बेगूसराय में स्वयंसेवकों तथा कभी-कभी जनता के साथ भी पुलिस की ज्यादतियाँ जारी हैं। पटना जिलान्तर्गत इस्लामपुर थाना में गोपालगंज के महेशचरण दास के मवेशी १७ तारीख को जुर्माना वसूली के लिये जब्त कर लिये गये। उक्त महंथ को एक जुलूस के सिलसिले में सजा दी गई थी और समझौता की शर्त्तों के अनुसार १७ तारीख को रिहा किया गया था। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि पटना जिला में कुछ मामलों में जुर्माना वसूलने के लिये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ऐसा हो सकता है कि ये कार्रवाइयाँ समझौता के पूर्व शुरू की गई हों।

कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे तो सरकारी मुख्यालय सभी संबंधित अधिकारियों को धीमी गति से आदेश दे रहे हैं अथवा उनके अधीनस्थ लोग उनका अनुपालन करने में उतनी अभिरुचि नहीं रखते। सरकार के लिये दोनों में एक भी प्रशंसनीय नहीं।"[१]

भगत सिंह एवं उनके साथियों की फाँसी (२३ मार्च, १९३१) :

२३ मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों को सरकार द्वारा फाँसी दिये जाने से देश को भारी धक्का लगा। गाँधीजी नजरबंदों की रिहाई के लिये सरकार से अपील कर रहे थे पर सरदार भगत सिंह और इनके साथियों को प्राणदंड की सजा को आजीवन कालापानी में बदलने की राष्ट्र की अपील पर सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया (यह दिल्ली समझौता का अंग नहीं था)। २३ मार्च, १९३१ की रात में लाहौर जेल में सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु और श्री शुकदेव को फाँसी दे दी गई। इस पर देश भर में क्षोम एवं रोष की लहर फैल गई। पटना में २६ मार्च को पूरी हड़ताल रही। संध्या समय एक विरोध सभा हुई जिसमें बाबू श्रीकृष्ण सिंह और बाबू जगत नारायण लाल ने "उग्र भाषण" किया। पटना जिला बोर्ड ने

१. वही।

उसकी भर्त्सना का प्रस्ताव स्वीकृत किया एवं बिहार में अनेक स्थानों पर विरोध सभाएँ हुईं। एक सरकारी रिपोर्ट[1] के अनुसार श्री भवानी दयाल ने, जो १८ मार्च को जेल से छूटे थे, २६ मार्च, १६३१ को कुलहरिया मेला में ग्रामीण जनता की एक सभा में एक भाषण के क्रम में कहा, "कोई भी भारतीय सरदार भगत सिंह एवं उनके दो साथी शहीदों की शहादत से इनकार नहीं कर सकता। देश नौजवानों से बलिदान चाहता है।" श्री भवानी दयाल ने पुलिस एवं अन्य अधिकारियों के राष्ट्रविरोधी आचरण की भी निंदा की। ३० मार्च की संध्या समय रिहाई के बाद उनका अभिनन्दन करने के हेतु आरा में एक सभा आयोजित थी। इसमें भी उन्होंने यही उद्‌गार प्रकट किये और यह कहा कि सरकार दिल्ली समझौता को सही मानी में पूरी नहीं कर रही है। इस अवसर पर शाहाबाद जिला कांग्रेस कमिटी के सचिव, बाबू रामायण प्रसाद की पत्नी, श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने अपने भाषण में कहा, "आप क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों नहीं बिस्मिल, भगत सिंह और खुदी राम की तरह अपने को बलिदान करने के हेतु आगे आ रहे हैं। समय आ गया है, भगत सिंह की शहादत से फूँकी गई चिनगारी देश भर में ज्वाला फैला रही है। आइए, बलिपंथी वीरों के मार्ग पर चल पड़ें।"[2] सारन जिला बोर्ड ने भी सरदार भगत सिंह को फाँसी दिये जाने की ११ अप्रिल, १६३१ को एक प्रस्ताव में भर्त्सना की।

---

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, ११ अप्रिल, १६३१।

२. शाहाबाद में रिहा किये गये राजनैतिक बंदियों के भाषणों की रिपोर्ट। मार्च, १६३१ में शाहाबाद में सभाओं की सरकारी रिपोर्ट :—

जगह और तारीख	उपस्थिति	मुख्य वक्ता	विषय
आरा १९-३-३१	१७	रामायण प्रसाद, विंध्याचल प्रसाद, भुवनेश्वर मिश्र और अन्य प्रमुख लोग।	श्री गाँधी और वाइसराय का समझौता। संगठन स्थापित करना (आपत्तिजनक भाषण)।
आरा १५-३-३१	—	समसु जोहा, मोख्तार और अनेक प्रमुख मुसलमान।	मुसलमानों की एकता और संयम।

दिल्ली समझौता पर विचार :

इस तनावपूर्ण वातावरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ४५ वाँ अधिवेशन कराची में २९ मार्च को शुरू हुआ और ३१ मार्च (१९३१) तक चला। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस ने सर्वप्रथम पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली और कुछ अन्य लोगों एवं दो बिहारी नेता, मौलाना मजहरुल हक और शाह मोहम्मद जुवेर की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव स्वीकृत किये। एक प्रस्ताव सरदार भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत के संबंध में भी इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ, "यह कांग्रेस किसी भी रूप में राजनैतिक हिंसा से अपने को पृथक् तथा उसके प्रति असहमति प्रकट करती हुई सरदार भगत सिंह एवं उनके साथी सर्वश्री शुकदेव तथा राजगुरु की वीरता एवं बलिदान की प्रशंसा करती है एवं शोकाकुल परिवारों के साथ उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करती है।"

आरा १७-३-३१ १९-३-३१	२५०	हफीज अमीन साहिब।	मुसलमानों की धार्मिक सभा।
बक्सर १६-३-३१	३००	चन्द्रशेखर प्रसाद, जयप्रकाश लाल।	गाँधी-वाइसराय समझौता,
जगदीशपुर १४-३-३१	३००	जोखी लाल, जमुना प्रसाद, रामाधार पाठक।	स्वराज्य के लिये जनता को तैयार रहने का एलान।
रुहसराम १८-३-३१	५००	भवानी दयाल, रंगबहादुर लाल।	जेल के अनुभव एवं स्वतंत्रता की लड़ाई के लिये तैयार रहने का एलान, (रंगबहादुर का आपत्तिजनक भाषण)।
डेहरी १६-३-३१	—	रंगबहादुर, बुधनराय वर्मा।	करवंदी अभियान के संबंध में और कहा कि सरकारी राजस्व का भुगतान अब रोक दिया जायगा। लोगों की कड़ी आलोचना। पुलिस को खुलेआम गाली।

दिल्ली समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबद्ध प्रस्ताव इस प्रकार था : "यह काँग्रेस कार्यकारिणी एवं भारत सरकार के मध्य अन्तरिम समझौता पर विचार करके उसका अनुमोदन करती है और यह स्पष्ट करना चाहती है कि काँग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य ज्यों-का-त्यों है।" काँग्रेस महात्मा गाँधी को "उनके नेतृत्व में कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत अन्य प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में अपना प्रतिनिधित्व करने को" प्राधिकृत करती है। काँग्रेस अपनी शाखा संस्थाओं को अगाह करती है कि वे शांतिपूर्ण धरना का काम अपना जारी रखें इस बात पर ध्यान रखते हुए कि दिल्ली समझौता की शर्त्तों का किसी तरह उल्लंघन नहीं हो।" काँग्रेस का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव "मौलिक अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम" पर था। उसकी प्रेरणा पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली थी और गाँधीजी एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल की सहमति इसे प्राप्त थी। यह प्रस्ताव काँग्रेस के नये दृष्टिकोण का परिचायक था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि "जनता का शोषण समाप्त करने के हेतु यह अनिवार्य है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता के साथ करोड़ों-करोड़ भूखे-नंगे लोगों को वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता मिले" और इसलिए काँग्रेस की ओर से स्वीकृत किसी भी संविधान में "स्वराज्य सरकार को जनता को मौलिक अधिकार अनिवार्यतः प्रदान करना होगा।"

इस काँग्रेस में बिहार के प्रतिनिधि इस प्रस्ताव के सिद्धान्तों में यद्यपि विश्वास करते थे किन्तु उनका ऐसा सोचना था कि ऐसे मूलभूत विषयों पर निर्णय लेने के पूर्व प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियों का अभिमत लेने के हेतु प्रस्ताव को प्रचारित करना उचित होगा। बाबू मथुरा प्रसाद ने इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण के उपरान्त संशोधन गिर गया।[1] कुछ अन्य प्रतिनिधि भी बिहारी प्रतिनिधियों के इस विचार से सहमत थे। इस प्रकार बिहार काँग्रेस कमिटी द्वारा इस प्रस्ताव पर अपना विचार प्रकट कर लेने के बाद यह स्वीकृत हुआ कि इस पर काँग्रेस की एक उपसमिति विचार करेगी तथा उपयुक्त संशोधन प्रस्तुत करेगी जिसमें उसमें अन्तर्निहित मूलभूत सिद्धान्त एवं नीति पर किसी

१ : द सर्चलाइट, २ अप्रिल, १९३१।

तरह का अतिक्रमण नहीं किया जायगा। तदुपरांत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी उसपर विचार करके उन संशोधनों के साथ उसकी संपुष्टि करेगी।' आगामी अगस्त में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की एक बैठक बम्बई में हुई। इसमें कुछ संशोधनों के साथ उसकी संपुष्टि कर दी गई।

विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव, बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं :

दिल्ली समझौता जिन दिनों विचाराधीन था, देश के सामने एक गम्भीर आन्तरिक समस्या प्रस्तुत थी। साम्प्रदायिक तनाव कई स्थानों पर चरम सीमा पर पहुँच रहा था। इससे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम को क्षति पहुँचना स्वाभाविक था। आगरा, बनारस, कानपुर, मिरजापुर और कुछ अन्य नगरों में गम्भीर साम्प्रदायिक दंगे हुए। कानपुर में एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी एवं काँग्रेसी नेता, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी दंगाइयों के हाथों मारे गये। इन दंगों की प्रतिक्रिया बिहार में होने की आशंका की जाती थी किन्तु यहाँ कोई गम्भीर वारदात नहीं हुई। इसके लिये कुछ अंशों में कराची काँग्रेस से लौटने पर बाबू राजेन्द्र प्रसाद के साम्प्रदायिक शांति बनाये रखने के अथक प्रयत्न को श्रेय दिया जा सकता है। प्रान्त के कुछ मुसलमान नेताओं ने भी इस कार्य में उन्हें सहयोग प्रदान किया। राजेन्द्र बाबू ने ७ अप्रिल को कराची से लौटते ही एक अपील जारी की। ८ अप्रिल को उन्होंने पटना के प्रमुख मुसलमान नागरिकों, श्री मोहम्मद फखरूद्दीन, श्री सैयद अब्दुल अजीज, अली इमाम प्रभृति से भेंट की। यह निर्णय किया गया कि ९ अप्रिल की संध्या में श्री अब्दुल अजीज के आवास पर प्रमुख हिन्दू और मुसलमान नेताओं की एक सभा बुलाई जाय। इसके लिये राजेन्द्र बाबू, सच्चिदानन्द सिन्हा, सैयद अब्दुल अजीज और मोहम्मद फखरूद्दीन के हस्ताक्षर के साथ आमंत्रण दिये गये। आमंत्रित लोगों में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं—सर्वश्री अली इमाम, अब्दुल रहीम, मोहम्मद युनुख, खाँ बहादुर एस० एम० इस्माइल, मोलवी मोबारक अली, नजमुल होदा आदि। आमंत्रित हिन्दू नेताओं में रायबहादुर राधाकृष्ण जालान, राय ब्रजराजकृष्ण, श्री नन्दकिशोर प्रसाद,

१ : डा० राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ ३५५।

श्री कुंवर नन्दन सहाय, श्री शम्भूशरण वर्मा, श्री मथुरा प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। आयोजनकर्त्ताओं का विचार था कि साम्प्रदायिक गड़बड़ी रोकने के लिये संयुक्त रूप से काम किया जाय और पटना तथा अन्य स्थानों में सौहार्द एवं सद्भावना के संदेश प्रसारित किये जायँ। इसके लिये सभाएँ करने का विचार था।[1]

अखिल भारत्तीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन, १८-१९ अप्रिल, १९३१, संयुक्त निर्वाचन प्रणालो का समर्थन :

अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन की ५ अप्रिल, १९३१ को दिल्ली में एक विशेष बैठक हुई। इसमें पृथक् निर्वाचन प्रणाली का जोरदार समर्थन किया गया था और कांग्रेस के संदर्भ में परम शत्रुतापूर्ण रवैया प्रदर्शित की गयी थी। किसी तरह का समझौता कराने का गांधी जी का प्रयत्न विफल हो चुका था किन्तु अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन, लखनऊ में १८-१९ अप्रिल, १९३१ को श्री अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ। इसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया गया। बिहार से इसमें २५ से अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। उनमें डा० सैयद महमूद, प्रोफेसर अब्दुल बारी, शाह मोहमद उमैर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अध्यक्षीय भाषण में श्री इमाम ने कहा कि "पृथक् निर्वाचन मंडल राष्ट्रवाद के प्रतिरोध का पर्याय है। राजनैतिक समस्याएँ सामाजिक तत्वों की परिणति मात्र हैं। यदि राजनीति में विभिन्न सम्प्रदायों के बीच लोहे की दीवार आप खड़ा करेंगे तो उससे सामाजिक ढाँचा ध्वस्त हो जायगा और यदि राजनैतिक दीवारें खड़ा करने का आग्रह करते रहेंगे तो दैनिक जीवन असंभव हो जायगा। विभाजन एवं वैमनस्य से राष्ट्रवाद का उदय नहीं हो सकता।" इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकृत किया गया जिसमें प्रान्तीय सरकारों द्वारा "इरविन-गाँधी समझौता की शर्त्तों के पूर्ण अनुपालन नहीं किये जाने पर खेद प्रकट किया गया था।" अनेक सत्याग्रही बँदियों का जेलों में पड़ा रहना इसका प्रमाण था।

---

१ : द सर्चलाइट, १० अप्रिल, १९३१।

दिल्ली समझौता की शर्त्तों के बिहार सरकार द्वारा पूर्ण अनुपालन का अभाव :

दिल्ली समझौता की शर्त्तों का बिहार सरकार ठीक से अनुपालन नहीं कर रही थी। ८ अप्रिल, १९३१ को "सर्चलाइट" ने इसपर टिप्पणी इन शब्दों में की—"बिहार सरकार समय की गति की ओर से आँखें मूँदे रहने की पुरानी नीति के अनुसार अपनी लीक पर चल रही थी। केवल पटना कैम्प जेल में अभी तक ७४ राजनैतिक बंदी सरकारी आतिथ्य का आनन्द ले रहे हैं। इनकी जिलावार संख्या इस तरह है :—मुंगेर-२६, छपरा-२१, हजारीबाग-१६, आरा-६, चम्पारण-१, बालासोर-२, पटना-१, दुमका-१। जिला जेलों में भी अभी काफी बंदी हैं। इनके अतिरिक्त आन्दोलन के दरम्यान हर जिला में जप्त की गई सम्पत्ति सरकार के कब्जे में पड़ी हुई है यद्यपि उनकी वापसी के लिये कितनी दरखास्तें दी जा चुकी हैं। दंडात्मक पुलिस भी कई स्थानों पर नियुक्त है जिससे चिढ़ होने का एक स्थाई कारण बना हुआ है यद्यपि उसके ख़र्च की वसूली बंद की जा चुकी है। यह कहना कि एक पूरा महीना समझौता शर्त्तों को पूरी तरह लागू करने के लिये पर्याप्त नहीं था, सही नहीं होगा क्योकि इस संबंध में जो आवश्यक छानबीन करनी थी उसके लिये सरकारी संयंत्र पर्याप्त रूप में समर्थ है"। बीहपुर आश्रम अभी तक पुलिस के ही कब्जे में था। सविनय अवज्ञा में भाग लेनेवाले वकीलों से उनकी लाइसेंस फिर से जारी करने के पहले लिखित प्रतिश्रुति देने का हाईकोर्ट का आदेश[1] बना हुआ था। इसके अनुसार वकीलों को यह वचन देना था—"भविष्य में सरकार विरोधी राजनैतिक कार्यवाहियों से वे विरत रहेंगे।" इससे विभिन्न क्षेत्रों में क्षोभ था। पटना जिला बार ऐशोसियेशन की बैठक २७ अप्रिल, १९३१ को हुई। इसमें इस आदेश को निरस्त करने की माँग का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।[2]

---

१ : पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का शाहाबाद के जिला जज को ८ जनवरी, १९३१ का प्रत्र।

२ : द सर्चलाइट, ३ मार्च, १९३१, परिशिष्ट-६।

दिल्ली समझौता के बाद काँग्रेसी नेताओं से निबटने के हेतु अधिकारियों को सरकार का आदेश :

कराची काँग्रेस से लौटने पर राजेन्द्र बाबू को बिहार में शेष राजनैतिक बंदियों की रिहाई के लिये कठिन प्रयत्न करना पड़ा। इस विषय पर सरकार के साथ पत्राचार करने के अतिरिक्त वे बिहार गवर्नर, श्री स्टिफेंसन तथा मुख्य सचिव से मिले। २७ अप्रिल, १९३१ को सरकार ने काँग्रेसी नेताओं के साथ निबटने के संबंध में नीति संबंधी निम्नलिखित आदेश अपने अधिकारियों को दिये—

"काँग्रेस पार्टी जबतक खुलेआम सविनय अवज्ञा आन्दोलन चला रही थी, सरकारी अधिकारियों को स्थापित सत्ता को उलटनेवाले वैसे आन्दोलन के नेताओं के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखने के आदेश दिये गये थे। गाँधी-इरविन समझौता से स्थिति कुछ हद तक बदली है; काँग्रेस के वे सदस्य जो अपने नेता के आदेशों का अनुपालन करते हैं उन्हें स्वदेशी वस्त्र के पक्ष में तथा नशीले पदार्थों के विपक्ष में प्रचार कार्य के संदर्भ में किसी तरह की डराने-धमकाने तथा वाध्य करने की नीति से विरत रहने एवं सभी वैध आदेशों का अनुसरण करने को कहा गया है। फलतः कुछ स्थानों पर जिलाधिकारियों के पास स्थानीय काँग्रेसी नेताओं द्वारा धरना देने के क्रम में यदि कोई शिकायत की गई हो तो उन्हें दूर करने की उद्यतता जाहिर की गई है। अतः इस स्थिति में जिलाधिकारी की क्या रवैया होनी चाहिये ? धरना के संबंध में तीन चरण लक्षित होते हैं :-

(१) समझाने-बुझाने का चरण : अध्यादेशों को उठा लिये जाने के बाद से यह कानून की दृष्टि में अपराध नहीं है।

(२) हस्तक्षेप एवं अवरोध के अनेक कार्य : इनपर शिकायत किये जाने पर ही अधिकारीवर्ग कोई कार्रवाई कर सकता है।

(३) रोकथाम करने एवं डराने-धमकाने के इनसे कार्य : पुलिस प्रज्ञेय अपराध के रूप में निबट सकती है।

पहले वर्ग के संबंध में अधिकारी दिल्ली समझौता की शर्त्तों को देखते हुए कुछ भी नहीं कर सकता। तीसरे वर्ग के अपराधों के संबंध में अधिकारी बिना किसी हिचक के या दूसरे लोगों से पूछे कार्रवाई कर सकता है।

यह संभव है कि काँग्रेसी नेता आपसे मिलें और धरना रोकने के हेतु यदि कार्रवाइयाँ की गई हों तो मुकदमा उठा लेने का अनुरोध करें। ऐसे मामलों में उन्हें जवाब दिया जाना चाहिये कि मुकदमा नहीं उठाया जायगा और कानून का पूर्ण अनुपालन किया जायगा। यदि काँग्रेसी नेता समझौता का अनुपालन करना चाहते हैं तो वे धरना बंद कर दें किन्तु उनके साथ सौदेबाजी नहीं होनी चाहिये और मुकदमा उठाना धरना रोकने की शर्त्त नहीं बनाई जानी चाहिये।

मध्यवर्ती चरण के संदर्भ में भी काँग्रेसी नेताओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाय यह सवाल उठ सकता है। यहाँ यह मान कर कि काँग्रेसकर्मी कानून का अनुपालन करनेवाले हैं, अतः उनके तथा अधिकारीवर्ग के उद्देश्यों में कोई फर्क नहीं होना चाहिये और यदि वे दिल्ली समझौता के उनके सदस्यों द्वारा उल्लंघन के विशिष्ट उदाहरण की माँग करें तो उन्हें इसकी जानकारी दी जा सकती है। लेकिन ऐसा करते समय अधिकारियों को अनवरत रूप से यह रवैया रखना चाहिये कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने की एकमात्र जिम्मेवारी उनकी है और किसी भी रूप में काँग्रेस सहयोगी सत्ता नहीं है। अधिक-से-अधिक समझौता को सर्वांशतः पालन करने में अभिरुचि रखनेवाली संस्था के रूप में ही उसे माना जा सकता है। अधिकारी अपने इलाके के अन्य प्रभावशाली लोगों से भी अव्यवस्था रोकने के काम में सहायता ले सकता था। काँग्रेस पार्टी के कुछ नेता यह दर्शाने का प्रयत्न कर सकते हैं कि स्थापित प्रशासन के साथ वे भी किसी तरह का प्राधिकार कार्य्यान्वित करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिये जिससे वैसी धारणा बन सके।''

दिल्ली समझौता टूटता हुआ प्रतीत होता था। हफ्तों तक उसकी शर्त्तों के ठीक-ठीक अनुपालन नहीं किये जाने के आरोप-प्रत्यारोप दोनों ओर से किये जाते थे। अगस्त अन्तिम सप्ताह में गाँधी जी भारत सरकार के मुख्य सचिव श्री इमर्सन और नये वाइसराय लॉर्ड विलिंगडन से मिले। इस बातचीत के बाद २८ अगस्त, १९३१ को एक विज्ञप्ति जारी की गई। इसे ''दूसरा समझौता'' भी कहा जाता है। गाँधी जी ने इसके दूसरे दिन (२९ अगस्त) गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन के लिये प्रस्थान किया।

कांग्रेसी नेताओं और स्वयंसेवकों के रचनात्मक कार्यक्रम :

कांग्रेसी नेताओं और स्वयंसेवकों ने रिहा होते ही रचनात्मक कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। इसमें ग्रामीण संगठन, नशीले पदार्थों एवं विदेशी वस्त्र की दूकानों पर शान्तिपूर्ण धरना आदि सम्मिलित थे। राजेन्द्र बाबू ने रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रान्त के कई जिलों की यात्रा की। इसमें कुछ सफलता भी मिली।[1] २५-२६ अप्रिल, १९३१ को हुतमुरा ब्रह्मचर्य आश्रम के आम के बगीचे में मानभूम जिला कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता उन्होंने की। इस सम्मेलन में राँची, हजारीबाग, पटना, सन्थालपरगना और धनबाद के प्रतिनिधि भी भाग लेने आये थे। प्रमुख वक्ताओं में श्री जीमूतवाहन सेन, नोआखाली के श्री नागेन्द्र नाथ गुहराय और राँची के श्री क्षितीश ब्रह्मचारी उल्लेखनीय हैं। सभा-स्थल पर उपस्थित पुलिस ने अपने आरक्षी अधीक्षक को इस आशय की रिपोर्ट दी, "सम्मेलन के अवसर पर जो भाषण दिए गए उसे लोगों ने बड़े ही ध्यान के साथ सुना और आमतौर पर यह भावना लोगों के मन पर असर करती हुई प्रतीत हुई कि काँग्रेस का हाथ सरकार से ऊपर था।" आरक्षी अधीक्षक को यह भी आभासित हुआ कि कांग्रेसी नेता झालदा के महतो लोगों में फिर से आन्दोलन शुरू करने का प्रयत्न कर रहे थे और यह कि लाठी चलाना सीखने के लिए कई अखाड़े शुरू किए गए।[2]

३०-३१ मई, १९३१ को गया जिलान्तर्गत जहानाबाद अनुमंडलीय राजनैतिक सम्मेलन निष्पन्न हुआ। इसके स्वागतकारिणी के सदस्य शाह मोहम्मद उमैर थे। अपने एक अलिखित अध्यक्षीय भाषण में राजेन्द्र बाबू ने जनता से गोलमेज सम्मेलन के परिणाम प्रकट होने तक गाँधी-इरविन समझौता की शर्तों का अनुपालन करने को कहा और उन्हें पूर्ण स्वराज्य हासिल करने के हेतु गाँधी जी के बताये हुए मार्गों पर चलते रहने की अपील की।

---

१. इस सम्बन्ध में राजेन्द्र बाबू ने पाकुड़ का उल्लेख किया है। १९२१ में यहाँ उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। किन्तु १९३१ में यहाँ उनका हार्दिक स्वागत किया गया। उन्हें एक स्थानीय जमींदार के घर पर ठहराया गया था और संथालपरगना जिला में यात्रा के हेतु जमींदार की गाड़ी उनकी सेवा में उपलब्ध रही—आत्मकथा, पृष्ठ ३५८।

२. मानभूम पुलिस रिपोर्ट।

पूर्ण स्वराज्य से वक्ता का तात्पर्य स्वशासी संस्थाओं द्वारा सेना, विदेशी विनिमय, मुद्रा और व्यापार पर पूर्ण अधिकार सहित जनता का राज्य था। भारत के अहिंसक संग्राम के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि "यह सारी दुनिया के लिए एक आदर्श लड़ाई थी। अन्य देश के लोग भारत की ओर विस्मय के साथ देख रहे हैं कि ये निरस्त्र लोग इतनी बड़ी शक्ति से लड़ रहे थे। यदि वे सफल होते हैं तो सत्याग्रह का अस्त्र सारी दुनिया के लिए उपयोगी होगा।" कराँची कांग्रेस के मूलाधिकार प्रस्ताव की ओर उपस्थित लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए राजेन्द्र बाबू ने कहा कि जिस स्वराज्य के लिए वे प्रयत्न कर रहे थे वह पूरे अर्थ में जनता का स्वराज्य होगा। राजेन्द्र बाबू को वहाँ से शीघ्र ही अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना था। इसलिए सम्मेलन की शेष कार्यवाही श्री जगत नारायण लाल ने निष्पन्न की। ३१ मई को सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ :

"यह सम्मेलन पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलवी मोहम्मद अली, पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी, शाह जुबेर और महमूदाबाद के राजा की मृत्यु पर हार्दिक शोक प्रकट करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें एवं शोकसंतप्त परिवारों को सांत्वना एवं धैर्य। यह सम्मेलन इस अनुमंडल के वीर कांग्रेसकर्मियों को सरकारी दमन-चक्र का धीरज के साथ सहन करने के हेतु बधाई देता है। यह सम्मेलन गाँधी-इरविन समझौता और तत्सम्बन्धी कराची कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन करता है। यह सम्मेलन इस पर विश्वास करता है कि जबतक देश में पूर्ण स्वराज्य नहीं होता शान्ति नहीं हो सकती।

यह सम्मेलन सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में राजनैतिक बन्दियों को रखने की व्यवस्था के प्रति असहमति प्रकट करता है और उसे देश की राजनैतिक प्रगति के लिए हानिकारक समझता है। सम्मेलन इसके लिए प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी से उपाय निकालने का अनुरोध करता है।

यह सम्मेलन प्रान्तीय सरकार के अधिकारियों के रवैया की आलोचना करता है। ये अधिकारी गाँधी-इरविन समझौता के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर से मुकदमा नहीं उठा रहे हैं और वकीलों तथा मोख्तारों से

कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लेने के हेतु लिखित वादा की माँग कर रहे हैं।

सम्मेलन जिला कांग्रेस कमिटियों से स्वयंसेवकों के संगठन तथा कांग्रेस का काम करने के हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण देने का अनुरोध करता है।

सम्मेलन कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखनेवालों से अपील करता है कि वे प्रचार कार्य हेतु काँग्रेसकर्मियों की सहायता करें। सम्मेलन सरकार से और गया जिला के जमींदारों से अनुरोध करता है कि अनाज के मूल्यों में कमी होने तथा अच्छी फसल नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए मालगुजारी में एक-तिहाई कमी करें। सम्मेलन किसानों को अपने संगठन के द्वारा अपनी शिकायतें व्यक्त करने का परामर्श देता है।"

राजेन्द्र बाबू की अगस्त-सितम्बर, १९३१ में शाहाबाद इलाके की यात्रा के पदचिह्नों पर "विदेशी वस्त्र की दूकानों पर धरना देने की कार्रवाई में वृद्धि हुई।"[१] पंचायतों की स्थापना और संगठन कार्य में भी वृद्धि हुई। आरा में ३० अगस्त को राजेन्द्र बाबू ने एक प्रदर्शनी का उद्‌घाटन किया। अगले दिन वहाँ एक आम सभा में उन्होंने भाषण किया। शाहाबाद के अन्य स्थानों, यथा जगदीशपुर, बक्सर, डुमराँव, ब्रह्मपुर आदि में भी कांग्रेसकर्मियों ने एक सभाएँ आयोजित कीं।[२] गया जिलान्तर्गत रफीगंज में एक कांग्रेस थाना की स्थापना की गई। "इसमें लाये गये मामलों का पंच-फैसला द्वारा निर्णय करना था।"[३] श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री श्रीकृष्ण सिंह और श्री बलदेव सहाय २६ सितम्बर, १९३१ को आरा गये। अगले दिन एक सभा हुई। उसमें राष्ट्रीय झंडा फहराया गया।

प्रान्तीय नेता इस समय तक किसानों की स्थिति के प्रति विशेष रूप से चिंतित थे और इसके लिए बराबर प्रयत्न में घूमते रहते थे। १९३१ के दिसम्बर में प्रोफेसर अब्दुल बारी सहित राजेन्द्र बाबू भागलपुर गये और कई सभाओं में भाषण किया। वास्तव में राष्ट्रीय नेता और कार्यकर्त्ता कांग्रेस द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुसार बड़े ही जोर-शोर से काम कर रहे थे।

---

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ सितम्बर, १९३१।
२. वही, १३ सितम्बर, १९३१।
३. वही, १३ अक्तूबर, १९३१।

सितम्बर महीने से विभिन्न स्थानों पर सरकारी अधिकारी बढ़ती हुई कांग्रेसी गतिविधि के प्रति किंचित चिंतित होने लगे थे। पटना के संदर्भ में आयुक्त ने मुख्य सचिव को १३ सितम्बर, १९३१ को इस प्रकार सूचित किया : "पिछले पखवारे में कांग्रेसी लोग गाँधी सप्ताह मनाने में व्यस्त रहे। कई सभाएँ हुईं। इनमें कुछ में राजेन्द्र बाबू ने भाषण किया। भाषण परम्परागत ढंग के थे। विदेशी वस्त्र का वहिष्कार और खादी पहनने पर विशेष बल दिया गया। गोलमेज सम्मेलन की विफलता पूर्ण निश्चित थी। भाषणों में यह व्यक्त किया गया कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर से शुरू करने के लिए तरुणों को तैयार रहने के लिए प्रोत्साहन दिया गया।" शाहाबाद के सम्बन्ध में उसने लिखा : "कांग्रेस खादी का विक्रय बढ़ा रही है और जनता से सविनय अवज्ञा आन्दोलन गोलमेज सम्मेलन के विफल होते ही शुरू करने के हेतु तैयार रहने को कह रही है। सम्मेलन विफल होगा ही, कांग्रेस क्षेत्रों में यह विश्वास किया जाता है। सहसराम में रंगबहादुर नामक व्यक्ति जो कई गुप्त इश्तहारों, गीतों आदि का लेखक है, डेहरी में प्रचार कर रहा है।" वर्ष के शेष महीनों में सरकारी रिपोर्टों एवं पत्रों में भी यह सतर्कता दृष्टिगत होगी।

बिहारी छात्र सम्मेलन, आरा (१७-१८ अक्तूबर, १९३१)

बिहारी छात्र सम्मेलन का २४ वाँ सम्मेलन आरा में १७-१८ अक्तूबर, १९३१ को हुआ। उसके मनोनीत अध्यक्ष इलाहाबाद के मुँशी ईश्वर शरण के नहीं आ सकने के कारण अध्यक्षीय भाषण बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एस० मलानी ने पढ़कर सुनाया। शाहाबाद जिला के सभी प्रमुख कांग्रेसी सम्मेलन में उपस्थित थे। केवल स्वामी भवानी दयाल उन दिनों प्रवासी भारतीयों की समस्या में व्यस्त रहने के कारण नहीं आ सके। कुल मिलाकर सम्मेलन में २३ प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इनमें प्रथम दो को छोड़कर शेष सभी शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित थे। पहला प्रस्ताव में प्रत्येक छात्र से स्वदेशी वस्त्र का व्यवहार करके अपने देश की सेवा करने की अपील की गई थी। दूसरे प्रस्ताव में जिला एवं शाखाओं से अछूतोद्धार, नशीले पदार्थों तथा विलायती वस्त्र का वहिष्कार और साम्प्रदायिकता के विष का उन्मूलन जैसे कार्यों के हेतु ग्रामीण जनता के समर्थक में आने के लिए छात्रों

को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम बनाने को कहा गया था।[1]

विरोधी प्रचार तथा "सविनय अवज्ञा आंदोलन के संभावित प्रारम्भ से निबटने हेतु" सरकार की योजना :

कांग्रेसकर्मियों की गतिविधि पर अत्यन्त सतर्क दृष्टि रखने के साथ सरकार ने कांग्रेस विरोधी प्रचार की गति में किसी तरह कमी नहीं आने दी थी। इस अवधि में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के फिर शुरू किए जाने की स्थिति से निबटने के हेतु उसे क्या करना होगा इसपर भी बराबर विचार-विमर्श जारी था। विरोधी प्रचार के सम्बन्ध में बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव ने २९ मार्च, १९३१ को सरकारी अधिकारियों को दिल्ली समझौता के बाद भी उसकी परमावश्यकता पर बल दिया। २९ अप्रिल, १९३१ प्रमंडलायुक्त को मुख्य सचिव का निम्नलिखित आदेश प्राप्त हुआ :

"यह सोचना कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर कभी नहीं शुरू किया जायगा स्थिति को जानबूझ कर अनदेखा करना होगा। दोनों पक्ष के लोग चाहे जो भी सोचें, बहुत कम लोगों को ही यह विश्वास है कि शान्ति चिरस्थाई होगी और कांग्रेस भविष्य में संवैधानिक तरीकों तक ही अपनी गतिविधि सीमित रखेगी। उसके अनेक नेता खुलेआम कह रहे हैं कि दिल्ली समझौता युद्ध विराम मात्र था। इस अवधि में कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना एवं जनता को अपनी ओर आने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। कराँची अधिवेशन में समाजवादी प्रस्ताव स्वीकृत करने के पीछे यही रहस्य है। उक्त प्रस्ताव में किसानों को मालगुजारी एवं कर से राहत का वादा किया गया है और यह संकेत किया गया है कि स्वराजी स्वर्ण युग में उसका सारा भार जमींदारों पर होगा। कराची प्रस्ताव से एक निष्कर्ष यह प्रस्तुत होता है कि सविनय अवज्ञा का पिछला चरण सरकारी राजस्व, आबकारी, नमक, भूमिकर एवं चौकीदारी कर वसूली के विरुद्ध आन्दोलन करके प्रशासन चलाना असंभव करने के प्रयत्न के रूप में था। भविष्य में यदि कांग्रेस लड़ाई शुरू करती है तो जनता के समक्ष करबन्दी अभियान का

१, एस० पी०, शाहाबाद की साप्ताहिक रिपोर्ट, २३ अक्तूबर, १९३१।

चारा प्रस्तुत करेंगी। युक्त प्रान्त के कुछ हिस्सों में कांग्रेसी आन्दोलनकारी अभी भी आर्थिक स्थिति की कठिनाइयों का लाभ उठाकर जमींदारों एवं किसानों के मध्य दुर्भावना फैलाने में लगे हुए हैं। यह कार्य-योजना उस प्रान्त तक ही सीमित नहीं रहनेवाली है यद्यपि अनेक बिहारी कांग्रेस नेता स्वयं ही छोटे जमींदार होने के कारण ऐसे आन्दोलन के विरुद्ध होंगे। फिर भी पार्टी के गैर-जिम्मेवार लोग संभवत: उनके काबू में नहीं होंगे।

फलत: इस विराम की अवधि में कांग्रेस को एकतरफा प्रचार करने की छूट देना वांछनीय नहीं होगा। वैसे लोगों को जिनका देश में कुछ भी स्वार्थ निहित है, विशेष करके छोटे जमींदारों को हर संभव अवसर पर यह समझाने का प्रयत्न करना चाहिए कि कांग्रेस की घोषित नीति उनके लिए हानिकर है तथा कांग्रेस का समर्थन या अधिक काल तक तटस्थ बने रहना भी उनके हितों के लिए संघातक होगा। अत: उन्हें अपने हित में ही यथाशक्ति सक्रिय होना चाहिए और कांग्रेस की कार्य-योजना से जो नुकसान हो रहा है एवं संभव है, उसके निराकरण के लिए कृतसंकल्प होकर काम करना चाहिए।

अधिकतर जिलों में उनकी अपनी अमन सभाओं के रूप में प्रचार केन्द्र कायम हैं। इन सभाओं के सदस्यों को यह समझाना होगा कि वे केवल सार्वजनिक सभाएँ करके ही अपना परित्राण नहीं कर सकते बल्कि उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के अनुरूप काम करना होगा और अपने गाँवों में अन्य जमींदारों और सम्पन्न किसानों के साथ चुपचाप बातें करके यह प्रचार कार्य आगे बढ़ाना होगा। जिलाधिकारी तथा अनुमंडलाधिकारी मुख्यालयों में तथा यात्रा पर उनसे जो लोग मिलने आवें, उनके साथ बातचीत के सिलसिले में ऐसा कुछ कर सकते हैं। यद्यपि उन्हें इसके लिये सीमित अवसर मिलेगा। हर जिला में सर्वाधिक उपयुक्त डिप्टी मैजिस्ट्रेट को यात्रा करने को भेजा जाय। इन यात्राओं के सिलसिले में उनका वास्तविक उद्देश्य छोटे जमींदारों से सम्पर्क स्थापित करना और उन्हें बातचीत के सिलसिले में आसन्न खतरों से अवगत कराना तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के फिर शुरू किये जाने पर उसका प्रतिरोध करने के हेतु उनका समर्थन प्राप्त करना होगा। उनका कार्य शिक्षणात्मक होगा। पिछले दिनों में कांग्रेस द्वारा अव्यवस्था फैलाये जाने से कितनी हानि हुई है और भविष्य में कितनी हानि हो सकती है इससे अवगत कराना होगा।

मैंने जमींदारों और प्रमुख किसानों से सम्पर्क स्थापित करने का उल्लेख किया है क्योंकि यदि उन्हें पहले से सतर्क नहीं कर दिया जाता तो वे करबंदी संबंधी संकल्प ले सकते हैं जैसा कि चौकीदारी टैक्स के सन्दर्भ में अनेक ग्रामवासियों ने किया था। उन्हें यह समझा दिया जाना चाहिये कि उनकी जमीन जब बिक्री के लिये उपस्थित की जायगी तो डाक बोलनेवालों की कमी नहीं होगी और बारदोली के कांग्रेसियों की तरह वे यह समझने के पहले कि उन्हें गुमराह किया गया था, अपनी सम्पत्ति से हाथ धो बैठेंगे।

सरकार समझती है कि सहानुभूतिशील एवं समझाने-बुझाने में दक्ष अधिकारी विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर सभाओं की अपेक्षा कांग्रेस के विरुद्ध विरोधी पक्ष तैयार करने में कहीं अधिक कारगर होगा। उसके तर्क मुँहामुँही उन लोगों में जिन्हें सम्पत्ति है, कांग्रेस विरोधी वातावरण पैदा करने में विशेष रूप से सफल हो सकते हैं।

जो भी करना हो, जल्दी शुरू किया जाना चाहिये। सरकार कुछ जिलों में प्रचार कार्य की जाँच का प्रयोग करना चाहती है। अतः मैं चाहूँगा कि आप इस काम के लिये अपने प्रमंडल से कुछ अधिकारियों की अनुशंसा करें। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर अन्य लोगों की नियुक्ति करना आवश्यक होगा या नहीं, इसपर भी आप अपना अभिमत हमें देंगे। यदि ऐसे काम के लिये कोई भी अधिकारी विशेष रूप से उपलब्ध नहीं हो तो सरकार संभवतः अन्यत्र से अधिकारी भेजना चाहेगी।"

१५ मई, १९३१ को प्रमंडलायुक्तों को मुख्य सचिव ने उपर्युक्त परिपत्र तथा उसी दिन प्रेषित एक अन्य पत्र मे मुख्य विषयों पर अपने जिलाधिकारियों के साथ अधिक-से-अधिक २६ मई तक विचार-विमर्श करने को कहा। तदुपरांत ३० मई को उन्हें सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के हेतु एक सम्मेलन में मिलने को बुलाया जिसमें प्रचार एवं अन्य संबंधित विषयों पर कौन-सा तरीका अपनाना उपयुक्त होगा इसपर कोई फैसला किया जा सके। ९ जून को सरकार ने एक आदेश परिचारित किया कि "केवल कार्यपालिका के ही नहीं बल्कि सभी सरकारी अधिकारी इस महत्त्वपूर्ण काम में हाथ बटाएँगे।" उनसे यह आशा की जाती थी कि वे व्यक्तिगत रूप से शीघ्र सरकार समर्थक वातावरण एवं लोकमत तैयार करने के हेतु काम करेंगे और जिन लोगों के सम्पर्क में वे आयेंगे उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित होने

से रोक सकेंगे। इसके अतिरिक्त वे अमन सभाओं को प्रोत्साहन देंगे तथा इश्तहार संवंधी प्रचार सामग्रियाँ वितरित करने की व्यवस्था करेंगे। राजेन्द्र बाबू जैसे नेताओं के भाषणों को भी जनता के समक्ष गलत-सही रूप में प्रस्तुत किया जाता था।

सरकार यह भी चाहती थी कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन यदि फिर शुरू किया जाता है तो उससे निबटने के लिए उसकी अपनी योजना पूरी तरह तैयार रहे। इसके लिये प्रान्तीय सरकारों को १२ अगस्त, १९३१ को भारत सरकार द्वारा आदेश भेज दिये गये थे। दिसम्बर मध्य तक प्रान्तीय सरकार की योजना तैयार हो चुकी थी। यह योजना बहुत कुछ भारत सरकार की निदेश-रेखाओं पर आधारित थी। इसके कुछ मुख्य अंग ये थे : "पिछले वर्ष के अध्यादेशों को फिर से जारी करना, प्रान्तीय नेताओं की गिरफ्तारी, कांग्रेस कार्यालय एवं संस्था को गैर-कानूनी घोषित करना, स्वयंसेवक प्रशिक्षण शिविरों, हिन्दुस्तानी सेवा दल, सदाकत आश्रम आदि को चल सम्पत्ति सहित जब्त करना, कार्यकर्त्ताओं द्वारा ग्रामीण इलाकों में जाने के हेतु मोटर यातायात उपलब्ध नहीं होने देना।"[१] प्रान्तीय सरकार ज्योंही सविनय अवज्ञा शुरू हो, उसपर "अविलम्ब एवं कठोर प्रहार" करने की योजना बना चुकी थी। इस उद्देश्य से २२ दिसम्बर, १९३१ को सभी जिलाधिकारियों को बड़े दिन की छुट्टियों में भी पूर्णतया सावधान रहने को कहा गया था।

गोलमेज सम्मेलन की विफलता, प्रान्तों में कठोर दमन :

गाँधी जी गोलमेज सम्मेलन में भारतीय संवैधानिक गतिरोध दूर करने में कुछ भी संतोषजनक प्रगति नहीं होते देख लंदन से खाली हाथ वापस लौटे। दिल्ली समझौता एक खोखला युद्धविराम सावित हुआ और गोलमेज सम्मेलन से भारतीय राष्ट्रवाद को और अधिक निराशा ही हुई। गाँधी जी २८ दिसम्बर को बम्बई पहुँचे। यहाँ आते ही उन्हें देश में राजनैतिक स्थिति के और भी खराब होने की सूचना मिली तथा बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त एवं युक्त प्रान्त में सरकार द्वारा कठोर दमनचक्र चलाये जाने की खबर

---

१. सरकारी विज्ञप्ति, १६ दिसम्बर, १९३१, परिशिष्ट—८।

पाकर उन्हें बहुत दुख एवं निराशा हुई। बंगाल में क्रिमिनल लॉ आर्डिनेंस लागू किया जा चुका था। हिजली कैम्प जेल में गोली चलाये जाने के फलस्वरूप दो नजरबंदों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हुए। ढाका में अनेक लोग गिरफ्तार किये गये। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में नये अध्यादेश जारी किये गये थे। वहाँ के कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था। खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके बड़े भाई डॉ० खाँ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। युक्त प्रान्त में एक अध्यादेश प्रस्तावित कर-बंदी अभियान को रोकने के हेतु लागू किया गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सजा दी जा चुकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद नगरपालिका से बाहर जाने तथा किसी सभा या आयोजन में भाषण करने वा किसी अखबार में कुछ लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके वावजूद पंडित नेहरू महात्मा गाँधी से मिलने वम्वई के लिये रवाना हुए लेकिन रास्ते में ही २६ दिसम्बर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में बाबू श्रीकृष्ण सिंह पर धारा १४४ के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई।

देश में शांति नहीं थी। फिर भी गाँधी जी वाइसराय लार्ड विलिंगडन से मिलना चाहते थे। वे वाइसराय के साथ राजनैतिक स्थिति पर बातचीत करना तथा शांति और सम्मानजनक सहयोग के लिए कोई रास्ता निकालना चाहते थे। वाइसराय ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। सरकार ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को कुचल देने का संकल्प कर लिया था किन्तु राष्ट्र निर्भीकता के साथ अपनी न्यायोचित माँगों पर कृतसंकल्प था। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बम्बई में २९-३१ दिसम्बर (१९३१) तथा १ जनवरी, १९३२ को हुई। इसमें यह विचार व्यक्त किया गया कि गोलमेज सम्मेलन में बृतानी प्रधान मंत्री की घोषणा "कांग्रेस की माँगों के संदर्भ में सर्वथा असंतोष-जनक एवं अपर्याप्त" थी तथा यह अभिमत प्रकट किया गया कि "सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध और वित्त विभागों पर पूर्ण अधिकार सहित पूर्ण स्वतन्त्रता से कम कुछ भी कांग्रेस को ग्राह्य नहीं होगा। वैसे, राष्ट्र के हित में कुछ विशेष अधिकार जो आवश्यक समझे जायँ, रखे जा सकते हैं।" "सरकार की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर" कार्यकारिणी ने राष्ट्र को सविनय अवज्ञा पुनः आरंभ करने का आह्वान किया। उसमें करबंदी अभियान भी

सम्मिलित होगा। कार्यकारिणी ने दुनिया के स्वतन्त्र राष्ट्रों से भारत के राष्ट्रीय संघर्ष के प्रति सहानुभूति रखने एवं उसे नैतिक समर्थन प्रदान करने की अपील की।

आन्दोलन को कुचलने के लिये सरकार कृतसंकल्प; गाँधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी; कांग्रेस कमिटियाँ और सेवा-दल गैर-कानूनी घोषित :

सरकार की ओर से कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला। ४ जनवरी (१९३२) को तड़के ही गाँधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल पहुँचा दिया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल भी उसी दिन गिरफ्तार हुए। उन्हें भी गाँधी जी के साथ यरवदा केन्द्रीय जेल में रखा गया। गिरफ्तारी के समय गाँधी जी ने राष्ट्र के नाम यह संदेश दिया : "भगवान की लीला अपार है। सत्य और अहिंसा से रंच मात्र भी नहीं हटें। पीठ नहीं दिखावें, स्वराज्य हासिल करने के लिये अपना जीवन एवं सब कुछ बलिदान करें।"[१] उसी दिन गवर्नर जेनरल ने ४ अध्यादेश जारी किये। इनमें लार्ड इरविन काल के ११ अध्यादेशों एवं और अधिक बातें निहित थीं। उसी दिन कांग्रेस कार्यकारिणी, सभी कांग्रेस कमिटियाँ और हिन्दुस्तानी सेवा दल की सभी शाखाएँ गैरकानूनी घोषित कर दी गई। अनेक व्यक्तियों पर धारा १४४ लागू कर दी गई। ४ जनवरी, १९३२ भारत के लिये एक ऐतिहासिक दिन था। सरकार ने देश की जनता को एक खुली चुनौती दी थी। वह हर तरह की दमनात्मक कार्रवाइयों एवं उपकरणों के द्वारा भारत पर अपना फौलादी शिकंजा कसे रहने को कृतसंकल्प थी। भारतीय जनता ने बड़ी बहादुरी एवं निर्भीकता के साथ सरकार की चुनौती स्वीकार की एवं अपना सभी कुछ बलिवेदी पर चढ़ाने को कृतसंकल्प होकर अग्नि परीक्षा देने को प्रस्तुत हुई।

कांग्रेस कर्मियों के पत्रों को रोकने का आदेश तथा अध्यादेशों की घोषणा :

२ जनवरी, १९३२ को सरकार ने एक आदेश के अन्तर्गत कांग्रेस-कर्मियों के हर तरह के पत्र रोक लिये जाने के आदेश जारी कर दिये। ये पत्र डाक

१. तेन्दुलकर, खंड–३, पृष्ठ १९१।

सेवा विभाग के द्वारा जब्त करके संबंधित जिलाधिकारियों को दे दिये जाते थे।[1] उसी दिन बिहार सरकार के मुख्य सचिव, श्री हैलेट ने पटना के जिलाधिकारी और कुछ वरीय पुलिस अधिकारियों को अपनी कोठी पर बुलाया एवं नवीन राजनैतिक स्थिति से शीघ्र निबटने के हेतु सरकार को कौन-सी कार्रवाइयाँ करनी थीं उन्हें निदेशित किया। ३ जनवरी के सवेरे मुख्य सचिव ने इस आशय के आदेश-परिपत्र संबंधित जिलाधिकारियों के पास प्रेषित कर दिये : (क) "डाक या तार द्वारा भेजे गये आपत्तिजनक अथवा सूचना देनेवाले पत्राचार रोकने के हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जानी चाहिये। इसके लिए डाक तथा तार विभाग को जिला एवं अनुमंडलीय मुख्यालयों के अधिकारियों को उपयुक्त आदेश दे दिया जाना चाहिये। वे संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भेजे गये पत्र एवं तार रोक लेंगे। इसके लिये उन्हें ऐसे व्यक्तियों की सूची अविलम्ब भेज देनी चाहिये।" (यह आदेश अविलम्ब कार्यान्वित हुआ)। (ख) "वर्त्तमान राजनैतिक स्थिति को देखते हुए सरकार निम्नलिखित अध्यादेश जारी करने को सोच रही है :—

(१) छेड़खानी रोकने के हेतु अध्यादेश,
(२) गैर-कानूनी संस्था अध्यादेश,
(३) गैर-कानूनी बहकावा अध्यादेश।,,

तत्काल के लिये भारत सरकार ने बिहार में एमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस (आपातकालीन अधिकार अध्यादेश) लागू नहीं किया। अनुमंडलाधिरियों को तथा डाक एवं तार विभाग के अधिकारियों को प्रमुख काँग्रेस-कर्मियों के पत्राचार रोकने के हेतु आदेश तुरत जारी कर दिये गये। यह आपात आदेश १० दिनों तक लागू रहनेवाला था। २३ जनवरी तक सरकार ने अन्य आदेश के अन्तर्गत एक पखवारा के लिये इसकी अवधि बढ़ा दी। जिन लोगों का पत्राचार रोका जाना था वैसे लोगों की एक नई सूची संबंधित अधिकारियों को दे दी गई।[2] इस बीच ३ जनवरी की संध्या में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की एक दूसरी बैठक बुलाई और उन्हें सूचित किया कि उपर्युक्त अध्यादेश ४ जनवरी से लागू किया गया है। शीघ्र कार्रवाई करने के हेतु विभिन्न प्रकार के विस्तृत प्रबंध किये गये।[3]

१. परिशिष्ट ९।
२ : परिशिष्ट-१०।
३ : पटना के मैजिस्ट्रेट का अयुक्त को पत्र, ७ जनवरी, १९३२।

बिहार सरकार की अन्य दमनात्मक कार्रवाइयाँ :

बम्बई में महात्मा गाँधी के साथ कुछेक घंटे बातचीत करने के बाद वापस लौटते हुए राजेन्द्र बाबू ने इटारसी रेलवे स्टेशन से अपने कुछ बिहारी सहकर्मियों को पटना में दूसरे दिन उनसे मिलने के लिये तार द्वारा सूचित किया। राजेन्द्र बाबू सरकार द्वारा उनपर कार्रवाई किये जाने के पहले ही प्रान्त में सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम तैयार कर लेना चाहते थे। किन्तु उनके कुछ तार बीच ही में रोक लिये जाने से संबंधित व्यक्तियों को नहीं मिले। फिर भी कुछ लोग जिन्हें तार के अलावा अन्य सूत्रों से सूचना मिल गई थी, पटना आए। राजेन्द्र बाबू ३ जनवरी को सवेरे ६ बजे श्री मथुरा प्रसाद के साथ पटना पहुँचे।[१] पटना पहुँचते ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी की निर्धारित समय से दो घंटे पूर्व ही बैठक की। बैठक समाप्त होने पर बाहर से आए हुए लोग वापस लौट गये। इसके शीघ्र ही बाद ढाई बजे पटना के आरक्षी अधीक्षक ने सशस्त्र पुलिस के जवानों के साथ सदाकत आश्रम को घेर लिया तथा आश्रम को गैरकानूनी घोषित कर दिया। आश्रम भवन जप्त कर लिये गये। उसपर राष्ट्रीय झंडा के स्थान पर यूनियन जैक फहरा दिया गया। राजेन्द्र बाबू, ब्रजकिशोर बाबू, श्री मथुरा प्रसाद, जगत नारायण लाल, श्री कृष्णबल्लभ सहाय और श्री प्रजापति मिश्र को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाबू श्री श्रीकृष्ण सिंह और बाबू नेमधारी सिंह वहाँ से पहले ही जा चुके थे। सदाकत आश्रम में गिरफ्तार व्यक्तियों को कुछेक दिन बाँकीपुर जेल[२] में रखकर ११ जनवरी की रात में हजारीबाग जेल भेज दिया गया।[३] कैम्प जेल में ही इनलोगों को पटना मैजिस्ट्रेट, श्री स्कॉटलैंड ने सजा सुना दी। राजेन्द्र बाबू और श्री कृष्णबल्लभ सहाय को ६-६ महीने का सश्रम कारावास, श्री जगत नारायण लाल और श्री प्रजापति मिश्र को साढ़े पाँच महीने, श्री ब्रजकिशोर प्रसाद और श्री मथुरा प्रसाद को

---

१ : श्री मथुरा प्रसाद की १९३२ की अप्रकाशित डायरी।

२ : बाँकीपुर जेल में राजेन्द्र बाबू कुछ अस्वस्थ हो गये। १० जनवरी को डा० एन० सी० घोष ने इनकी दवा की व्यवस्था की।

३ : राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐण्ड बिहार, पृष्ठ ९५-९६, आत्मकथा, पृष्ठ ३६३-३६५।

५-५ महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।[1] पटना नगर कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस ने छापा मार कर श्री जगदीश नारायण सहित लगभग आधा दर्ज नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया।[2] "सर्चलाइट" पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके प्रकाशक और मुद्रक पर प्रेस ऐक्ट के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिया गया। पुलिस के ४ जनवरी के कार्यों के विरोध में मंगल तालाब पर एक सभा हुई और नगर में पूरी हड़ताल रही।[3] १७ जनवरी को पटना सिटी में दो जुलूसें निकाली गईं और संध्या समय मंगल तालाब पर सभा हुई। जुलूस के अधिकतर लोग गिरफ्तार कर लिये गये और लाठी चलाकर सभा को भंग कर दिया गया।[4] गया में एक डॉक्टर की पत्नी श्री मती चौधरी को सभा करने के प्रयत्न में गिरफ्तार कर लिया गया।[5] मुँगेर में ५ जनवरी को हड़ताल रही। ७ जनवरी को श्री नेमधारी सिंह, श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्मनारायण सिंह और श्री राम प्रसाद गिरफ्तार कर लिये गये। ९ जनवरी को बाबू श्रीकृष्ण सिंह और श्री निरापद मुखर्जी रिफ्फतार हुए। तदुपरांत जिला का नेतृत्व श्री बलदेव प्रसाद सिंह के कंधों पर आया। इस प्रकार कुछेक दिनों में ही अधिकांश प्रमुख कार्यकर्मी गिरफ्तार हो चुके थे और उन्हें विभिन्न अवधियों की सजा सुनाई जा चुकी थी।

शीघ्र ही अध्यादेशों की संख्या १३ तक पहुँच गई। मार्च, १९३२ में भारत मंत्री ने इन अध्यादेशों को बहुत ही व्यापक तथा "भारतीय जीवन के लगभग हर पहलू को स्पर्श करनेवाला" कहा। चर्चिल ने इन्हें "सिपाही विद्रोह के बाद से सबसे अधिक व्यापक" अधिकार कहा। २५ जनवरी, १९३२ को विधान सभा में भाषण करते हुए वाइसराय ने यह विचार व्यक्त किया—"जनता या उन लोगों को जो कानून भंग करना चाहते हों, किसी तरह भ्रम में नहीं रहना चाहिये। एक ऐसे आन्दोलन से जिसे यदि छोड़ दिया जाय तो व्यवस्थित सरकार और वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिये स्थाई खतरा

---

१ : श्री मथुरा प्रसाद की अप्रकाशित डायरी।
२ : पटना मैजिस्ट्रेट का पटना आयुक्त को पत्र, ७ जनवरी, १९३२।
३ : वही,।
४ : वही, १८ जनवरी,।
५ : वही, २७ जनवरी।

बना रहेगा, संघर्ष करने एवं उसे निर्मूल करने के हेतु सरकार राज्य के साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने को कृतसंकल्प है"।

इस बार के अध्यादेशों की एक नई विशेषता यह थी कि लड़कों के अपराधों के लिये उनके अभिभावक एवं माता-पिता को दंडित किया जाना महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेनेवाले छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करने को कहा गया था।

जेलों में भीड़ नहीं लगे इसके लिये बिहार-उड़ीसा सरकार ने चुने हुए लोगों को सजा देने का निर्णय किया। इसके बावजूद ३१ जनवरी, १९३२ तक प्रान्त में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सजायाफ्ता बंदियों की संख्या २२७५ तक पहुँच गई थी। इनमें २६५ को शीघ्र ही रिहा कर दिया गया।[1] २३ मार्च, १९३२ तक बिहार में ६५०० व्यक्ति सजा पा चुके थे। अप्रिल के मध्य तक सम्पूर्ण देश में लगभग ७०, ००० लोग जेलों में बंद थे।[2] इस बार सरकार इन व्यक्तियों पर भारी जुर्माना भी लगा रही थी। गाँवों और इलाकों पर सामूहिक एवं दंडात्मक जुर्माना भी लगाये जा रहे थे। जुर्माना नहीं देने या अन्य अभियोगों पर चल-अचल सम्पत्ति, मनिआॅर्डर, व्यक्तियों एवं संस्थाओं के बैंकों में जमा रुपये व्यापक रूप में जप्त किये जाते थे। मुंगेर जिला के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आन्दोलन के केन्द्र बड़हिया से लगभग ८-९ हजार रुपया जुर्माना के रूप में लिया गया। मुंगेर जिलान्तर्गत एक अन्य गाँव, बरबिघा में "पुलिस ने लगभग एक लाख रुपये की सम्पत्ति जप्त कर ली। एक सोनार के घर से ४०,०००रुपयों के जेवर तथा सोना-चाँदी उठाकर ले गई।[3]

सरकार "सविनय अवज्ञा आन्दोलन को किसी भी तरह की वित्तीय सहायता यथासंभव नहीं मिल सके क्योंकि उसकी शक्ति एवं कालावधि

१ : मैजिस्ट्रेटों के सरकार को पत्र, ५ फरवरी, १९३२।

२ : भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस की १९३१-३२ की वार्षिक रिपोर्ट (१५ अप्रिल, १९३२ को प्रस्तुत), पृष्ठ १७। सितम्बर, १९३२ तक सरकारी वक्तव्य के अनुसार यह संख्या बढ़कर ७३२० हो गई थी। इनमें ५,२५६ पटना कैम्प जेल में रखे गये थे (बिहार-उड़ीसा विधान सभा की कार्यवाही, खंड-२६, पृष्ठ २५६)।

३ : भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस की १९३१-३२ की वार्षिक रिपोर्ट, पृ० १९।

बहुत कुछ धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगी", इसके लिये प्रयत्नशील थी।[१] बैंक खाता में जमा अधिकोष जप्त करने के अतिरिक्त मैजिस्ट्रेटों को अपने-अपने जिला में यह चेतावनी देने एवं प्रमुख व्यापारियों और दूकानदारों तथा बार लाइब्रेरी जैसे संघों या संस्थाओं को स्पष्ट शब्दों में यह कह देने का आदेश दिया गया था कि काँग्रेस को किसी भी तरह की वित्तीय सहायता प्रदान करना धारा १७ (१) क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत अपराध था और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो काँग्रेस एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं के लिये धन देंगे, प्राप्त करेंगे या किसी तरह की इसकी सहायता करेंगे, अविलम्ब मुकदमा चलाया जायगा।" आम तौर पर लोगों पर काँग्रेसी स्वयंसेवकों को आश्रय, सवारी या भोजन देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सामान्यतः उपलब्ध सवारियाँ भी उन्हें नहीं मिलें इसकी व्यवस्था की गई।

जेलों में सविनय अवज्ञा के बंदियों को पहले से भी अधिक कठोर स्थिति में रहना पड़ रहा था। कारा महानिरीक्षक के जेल अधिकारियों को गोप्य आदेश के अन्तर्गत कहा गया कि उनके साथ "कठोर व्यवहार किया जाय।" बहुत कम बंदियों को ही "ऊपरी श्रेणी" दिया जाना था।[२] कोड़ा लगाने का दंड अक्सर दिया जाता था। कामन्स सभा में भारत सचिव, सर सैम्वेल होर के वक्तव्य में कहा गया था कि इस बार "बराबरी पर लड़ाई खत्म नहीं होगी।" एक सवाल के जवाब में उसी सदन में भारत उपसचिव, श्री बटलर ने सूचना दी कि १९३२ में ५०० व्यक्तियों को कोड़ा लगाने की सजा दी गई थी। इनमें १२५ बिहार के थे और अधिकांश सविनय अवज्ञा के बंदी रहे होंगे।[३] बिहार सरकार के मुख्य सचिव के मार्च १९३३ के एक वक्तव्य से आभासित होता है कि कुछ मामलों में यह सजा गैरकनूनी ढंग से दी गई होगी।

---

१ : मुख्य सचिव का सभी जिलाधिकारियों को ५ जनवरी का पत्र।

२ : सितम्बर, १९३२ के एक सरकारी वक्तव्य के अनुसार श्रेणीवार बंदियों की संख्या इस प्रकार थी :—

प्रथम श्रेणी-५

द्वितीय श्रेणी-११६।

तृतीय श्रेणी-७१९९।

३ : द सर्चलाइट. ३० अप्रिल, १९३३।

सरकार ने इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं को भी गिफ्तार किया और कुछ के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट भी मिली। इसमें संदेह नहीं कि भारत की महिलाएँ "राष्ट्रीय संग्राम में सक्रिय भाग ले रही थीं एवं बड़ी ही वीरता के साथ हर तरह के कष्ट तथा कठोर व्यवहार को सहन कर रही थीं।" इसके लिये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने उपयुक्त समय पर उनके प्रति "कृतज्ञता व्यक्त की थी।"[१] सरकार राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में उन्हें नहीं भाग लेने देने को कृतसंकल्प थी। तदनुसार १३ जनवरी, १९३२ को संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये थे। मुंगेर में डाकघर पर धरना देने के हेतु कई महिलाएँ गिरफ्तार हुईं। कुछ महिलाएँ दो या तीन बार जेल गईं। गोगरी थाना की १४ महिलाओं को धरना देने और जुलूसें निकालने के लिये गिरफ्तार किया गया। इनमें कुछेक प्रमुख महिलाओं के नाम इस प्रकार हैं: श्री सुरेशचन्द्र मिश्र की माँ श्रीमती अनूप देवी, श्री अवध नारायण सिंह की पत्नी श्रीमती सुशीला देवी, श्री बिरंची मंडल की पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी आदि। पटना, गया तथा अन्य स्थानों पर भी कुछ महिलाएँ गिरफ्तार हुईं।

सरकारी दमनचक्र के बावजूद जन आन्दोलन की प्रगति :

धारा १४४, एक अध्यादेश लागू किये जाने, काँग्रेसी नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी, लाठी प्रहार, काँग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित करने, भारी जुर्माना लगाने, निजी एवं काँग्रेसी सम्पत्ति जप्त किये जाने, समाचारपत्रों पर रोक लगाने, कहीं-कहीं गोलियाँ भी चलाने आदि के बावजूद देश की जनता हतोत्साह नहीं हुई। देशप्रेम एवं स्वातंत्र्य कामना से उद्वेलित अधिकाधिक संख्या में लोग राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में भाग लेने आते। ज्योंही नेता गिरफ्तार करके जेल भेज दिये जाते, दूसरे लोग लाठियों और गोलियों की बौछार के बावजूद संघर्ष की अगली पंक्ति में खड़ा होने को आगे आ जाते। वास्तव में यह जनता का संग्राम था। राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता देहातों में फैल गय। धरना, वहिष्कार एवं अन्य कार्यक्रम चलता रहा, अनेक साइक्लोस्टाइल करके हजारों की संख्या में इश्तहार वितरित होते रहे, अनेक स्थानों पर काँग्रेसकर्मी विभिन्न दिवस मनाते, यथा—जनवरी से हर महीने की ४ तारीख को गाँधी

१: काँग्रेस कार्यकारिणी की इलाहाबाद की बैठक की कार्यवाही, २७ जून, १९३०।

दिवस, २६ जनवरी को स्वाधीनता दिवस, २९ जनवरी को पेशावर दिवस, ६ फरवरी को मोतीलाल नेहरू की पुण्य तिथि, हर महीने के अन्तिम रविवार को राष्ट्रीय झंडा दिवस, १२ मार्च को डंडी यात्रा दिवस ६ से १३ अप्रिल तक, राष्ट्रीय सप्ताह।

बिहार में कई स्थानों पर राष्ट्रकर्मी पुलिस की नृशंसता एवं गोलियों का वीरतापूर्वक सामना कर रहे थे। २६ जनवरी, १९३२ को विभिन्न स्थानों पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जुलूसें निकाली गईं तथा सभाएँ की गईं। इनमें भाग लेनेवाले लोगों पर पुलिस ने लाठियाँ चलाईं और अनेक लोगों को गिरफ्तार किया। तिरहुत प्रमंडल में स्वाधीनता दिवस के संदर्भ में बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने गृह मन्त्री को ३० जनवरी, १९३२ को इस आशय की रिपोर्ट भेजी : "श्री हिचकॉक की संलग्न रिपोर्ट इस बात में निराशाजनक है कि लगभग हर थाना में स्वाधीनता दिवस मनाने के प्रयत्न किये गये थे। पुलिस आदेशानुसार हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने से विरत रही किन्तु जहाँ अधिक संख्या में जुलूसें निकाली गईं, प्रत्येक जुलूस से एक-दो व्यक्ति गिरफ्तार करने पर भी उनकी संख्या काफी बड़ी है।

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत कुछ मुख्य सूचनाएँ इस प्रकार हैं :

सीतामढ़ी—जुलूस के ११० स्वयंसेवकों को थाना में रोका गया, ७ को मुकदमा चलाने के लिये भेज दिया गया। २७ तारीख को इसी उद्देश्य से दो जत्थे नगर में आए। उन्हें थाना में केवल रोक रखा गया। उसी दिन ब्रिटिश राज्य की अरथी निकाली गई। इसके लिये ४ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

शिवहर—१०० स्वयंसेवकों ने जुलूस निकाली। बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र हुई। दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जुलूस के ७ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। ३ को बाद में छोड़ दिया गया। शेष को सजा दी गई।

सुरसंड—८ कांग्रेसी गिरफ्तार हुए। ४ को सजा दी गई।

पुपरी—५ अभियुक्त जेल भेज दिये गये। पुलिस ने सभा से निबटने के लिए काफी तैयारी की थी।

बेला—तीन नेताओं को गिरफ्तार करके सजा दी गई।

सोनबरसा—तीन नेताओं को सजा दी गई।

वैरगनिया—१०० लोगों की जुलूस पकड़ ली गई लेकिन लोग भाग गये। लोग लाठियों और ढेलों से लैस थे। इसलिए दारोगा कुछ नहीं कर सका।

लालगंज—महनार और पातेपुर से भी जुलूसें निकालने के समाचार मिले हैं।

तिरहुत प्रमण्डल में आबादी घनी है। वहाँ कांग्रेस स्वयंसेवकों को भर्त्ती करने के लिए उर्वर भूमि है। जान पड़ता है कि कांग्रेस की नीति गिरफ्तारियाँ कराकर जेल भरने की थी।''

मोतिहारी, रोसड़ा, बेगूसराय, शिवहर और तारापुर में गोली कांड :

मोतिहारी में २६ जनवरी को जनता ने स्वाधीनता दिवस साहस एवं निर्भीकता के साथ मनाया। अन्यत्र की तरह यहाँ भी कांग्रेस कार्यालय भवन पुलिस के कब्जे में था। २६ जनवरी (१९३२) को हजारों की संख्या में लोग इसके अहाते में आकर बैठ गये। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिये लाठियाँ चलाईं किन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। कई लोग हताहत हुए फिर भी लोग उसी तरह बैठे रहे। इसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया। लोग रात भर उसी तरह बैठे रहे। अगले दिन सबेरे अपने घर वापस लौटे, संभवतः यह साबित करने के हेतु कि ''जनता पुलिस की गोलियों से डर कर नहीं तितरबितर हुई।''[१]

२९ जनवरी को पड़ोस के गाँवों से बड़ी संख्या में मुंगेर जिला के बरबिघा में सीमांत दिवस मनाने को एकत्र हुए। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भीड़ को तितरबितर करने के लिए लाठियाँ चलाईं। इसी बीच पुलिस के एक दफादार को सांघातिक चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। मुंगेर के जिलाधिकारी ने मृतक दफादार की मुंगेर नगर में "सैनिक सलामी के साथ अन्त्येष्ठि क्रिया कराई।"[२] इससे सरकारी पक्ष में अच्छा प्रचार कार्य हुआ। प्रान्तीय सरकार का भी ऐसा ही विचार था।

---

१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐंड बिहार, पृ० ९७।

२. बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव का भारत सरकार के गृह सचिव को पत्र, ८ फरवरी, १९३२।

मोतिहारी के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानों पर भी पुलिस ने गोलियाँ चलाईं। दरभंगा जिलान्तर्गत रोसड़ा में १० फरवरी, १९३२ को बड़ी संख्या में एकत्र लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई। बेगूसराय और तारापुर में भी पुलिस की गोली से कुछ लोग हताहत हुए। एक स्थान पर एक छात्र जो गोली लगने से सांघातिक रूप से घायल हो चुका था, ने कहा "मैं स्वराज्य के लिये जान दे रहा हूँ। स्वर्ग में लोकमान्य तिलक से मिलकर यह खबर उन्हें दूँगा।"[१] तारापुर वाली घटना १५ फरवरी, १९३२ को हुई। उस दिन कुछ कांग्रेसकर्मियों ने स्थानीय थाना के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न किया था। यह आयोजन तत्कालीन प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष, सरदार शारदुल सिंह कवीश्वर के १५ फरवरी को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के आदेशानुसार हुआ था। यह कार्यक्रम बिहार में अनेक स्थानों पर किया गया था। पटना में सचिवालय भवन के अहाते में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। इस अवसर पर मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में पुलिस ने आयोजकों के साथ बहुत ही निर्ममता का व्यवहार किया, शायद इसलिए कि तारापुर किसान आन्दोलन एवं कांग्रेस का बहुत ही महत्त्वपूर्ण केन्द्र था।

तारापुर गोलीकांड, १५ की मृत्यु, १०० व्यक्ति घायल :

तारापुर गोलीकांड की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से स्वयंसेवकों के साथ ४,००० लोगों की एक भीड़ थाना पर योजना बनाकर आक्रमण करने आई थी। कई बार चेतावनी देने के बावजूद पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ८ व्यक्ति मारे गये तथा ५ घायल हुए। मारे गये लोगों में "दो स्थानीय प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्त्ता थे।"[२] अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार मृतकों की संख्या १४ से कम नहीं थी और आहतों की संख्या १०० से कम नहीं थी।[३] तारापुर गोलीकांड का कांग्रेस सूत्रों से निम्नलिखित विवरण मिलता है।[४]

---

१. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृ० ३६६।

२. बिहार-उड़ीसा विधान परिषद में १८ फरवरी, १९३२ को श्री सच्चिदानन्द सिंहा के एक अल्पसूचित प्रश्न पर सरकार के मुख्य सचिव का वक्तव्य।

३. द्रष्टव्य परिशिष्ठ–११।

४. बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के प्राधिकार के अन्तर्गत प्रकाशित तारापुर गोली कांड का सच्चा विवरण, पृष्ठ ६-८।

"सारे देश एवं प्रान्त की तरह मुंगेर जिला के तारापुर के कांग्रसी स्वयंसेवकों ने थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न किया। ५ स्वयंसेवकों के एक जत्था ने थाना भवन पर झंडा फहराने के उद्देश्य से थाना के अहाता में प्रवेश करने का प्रयत्न किया। सभी स्वयंसेवक १६ वर्ष से कम की आयु के थे। स्वयंसेवकों को आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने लाठी की सहायता से पीछे ढकेल दिया। आरक्षी अधीक्षक, जिलाधिकारी तथा दो दर्जन या उससे भी अधिक सशस्त्र पुलिस को लेकर दिन में ही तारापुर आ गये थे। स्वयंसेवकों ने थाना में प्रवेश करने का दूसरी बार प्रयत्न किया। इस बार उनपर पुलिस ने लाठी से प्रहार किया। स्वयंसेवक जमीन पर गिर पड़े। फिर भी उनपर लाठियाँ बरसती रहीं। इस पर भीड़ के कुछ लोग हाट के पूर्वी ओर जमा होने लगे (उस दिन सोमवार था और तारापुर में सोमवार और शुक्रवार को हाट लगता है)। भीड़ हाट से कई गज दूर खड़ी थी, थाना के अहाता से और भी दूर। भीड़ में से कुछ व्यक्तियों ने आरक्षी अधीक्षक से कहा कि वे स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर सकते थे किन्तु उनकी मार-पीट करने का अधिकार उन्हें नहीं था। इसपर क्रुद्ध होकर आरक्षी अधीक्षक ने भीड़ पर लाठी चलवा दी। अनेक लोग घायल हुए, फिर भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई। तदुपरांत आरक्षी अधीक्षक ने लाठीधारी पुलिस को अहाता के भीतर करके उनके स्थान पर बंदूकधारी पुलिस को नियुक्त कर दिया। इस बीच जिलाधिकारी जो अभी डाकबंगला में था, वहाँ पहुँच गया। वह थाना के अहाता में बिना किसी छेड़-छाड़ के गया। यद्यपि फाटक पर ही भीड़ खड़ी थी। इसी समय भीड़ की तरफ से थाना की ओर कुछ पथराव शुरू हुआ। हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझकर खुराफात करने के लिए पत्थर चला रहे थे अथवा पुलिस की लाठियों से अपने अनेक भाइयों को आहत होते देखकर जनता में रोष हुआ होगा जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों ने पथराव किया होगा। जिलाधिकारी को भी चोट आई। उसने एस० पी० और उनके जवानों को बंदूक उठाते हुए देखा था। जिलाधिकारी ने तुरत अपनी पिस्तौल से गोली चला दी। उसके तुरत बाद एस पी० और पुलिस के जवानों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। थाना के अतिरिक्त डाकबंगला की ओर से भी गोली चलायी जा रही थी। लगभग आधा दर्जन पुलिस के जवान वहाँ भी तैनात थे। थाना

में गोली चलने की आवाज सुनकर ही शायद वे भी गोली चलाने लगे थे। गोली चलते ही भीड़ तितरबितर हो गई। इस प्रकार हाट में आए हुए सर्वथा निर्दोष लोग हताहत हुए। यह सब पूरा १५ मिनट तक चलता रहा।"

२८ फरवरी, १९३२ को मुजफ्फरपुर के शिवहर में पुलिस ने गोली चलाई। इस सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार "४ व्यक्ति मारे गये और ९ घायल हुए। इनमें एक बाद में अस्पताल में मर गया।"[१]

१९३२ में मोतिहारी, साहेबगंज, शिवहर, बेलसंड, बैरगनिया[२], बरबिघा, बड़हिया, तारापुर और अमरपुर[३] तथा अनेक अन्य स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बैठाई गई थी।

सरकारी दमन की कठोरता से आन्दोलन पर अधिक प्रभाव नहीं हुआ। लोग दृढ़ संकल्प के साथ उसे चला रहे थे। अनेक स्थानों पर सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयत्न किये गये यथा मार्च आरंभ में हाजीपुर एवं १५ मार्च को मुंगेर में। अनेक स्वयंसेवक गिरफ्तार किये जा रहे थे। महत्त्वपूर्ण स्थानों पर राष्ट्रीय सप्ताह भी मनाया गया था। १३ अप्रिल को गीता प्रसाद चौधरी नामक एक छात्र एक जुलूस में सम्मिलित होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। १७ मार्च को मुजफ्फरपुर के भूतपूर्व एम० एल० सी०, ठाकुर रामानन्द सिंह को सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सम्बन्व में सीतामढ़ी में गिरफ्तार किया गया। "लोकसंग्रह" के सम्पादक, पण्डित जमुना कार्य्यी को गिरफ्तार करके ४ महीने कड़ी कैद की सजा सुनाई गई।

दिल्ली में कांग्रेस के ४६ वाँ वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता का लक्ष्य दुहराया गया [२४ अप्रिल, १९३२] :

अत्यन्त कठिन स्थितियों में तथा पुलिस की सर्वाधिक सतर्कता, अनेक गिरफ्तारियों एवं लाठी चार्ज के बावजूद कांग्रेस का ४६ वाँ वार्षिक अधिवेशन

---

१. बिहार ऐंड उड़ीसा इन १९३१-३२, पृष्ट १४।

२. वही, पृ० १५।

३. बिहार-उड़ीसा विधान परिषद् की कार्यवाही, १९३२, खंड २६, पृ० १४०-४१।

दिल्ली में २४ अप्रिल, १९३२ को किसी तरह सम्पन्न किया गया।[1] मनोनीत अध्यक्ष, पण्डित मदन मोहन मालवीय दिल्ली आते हुए पकड़ लिए गए। अधिवेशन में बम्बई में कार्यकारिणी की पिछली बैठक के निर्णय का पूर्णतया अनुमोदन करने के अतिरिक्त पूर्ण स्वतन्त्रता का लक्ष्य एवं लाहौर अधिवेशन के स्वतन्त्रता प्रस्ताव में फिर से अपना विश्वास व्यक्त किया गया। कांग्रेस ने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की बलि देनेवाले देश के वीर पुत्रों के प्रति आभार प्रकट किया। इनमें सीमा प्रान्त तथा बिहार के तारापुर के शहीदों के प्रति विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिहार के भी कुछ प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होने गए थे। इनमें मुंगेर जिला के १४ प्रतिनिधि थे। श्री बलदेव प्रसाद सिंह, जिला निदेशक, श्री अनिल कुमार मुखर्जी (श्रीनिरापद मुखर्जी के पुत्र) के नाम उल्लेखनीय हैं। दिल्ली कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए जाते हुए मार्ग में ही पटना मैजिस्ट्रेट के आदेश परश्री अम्बिका कान्त सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी समय प्रो० अब्दुल बारी भी गिरफ्तार कर लिए गए थे।

बिहार में आन्दोलन की प्रगति :

राष्ट्रीयता की भावना बिहार में इस प्रकार लोगों के मन में भर चुकी थी कि कभी भी आन्दोलन चलाने के लिये स्वयंसेवकों का अभाव नहीं होता। हर तरह के कष्ट सहन करते हुए लोग हमेशा पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहते। जून महीने में बाबू राजेन्द्र प्रसाद हजारीबाग जेल से रिहा हुए। बाहर आते ही काँग्रेस के काम में वे लग पड़े। बिहार में आन्दोलन की जिस प्रकार प्रगति दीख पड़ी थी उसका उल्लेख तत्कालीन सरकारी कागजों में प्रायः मिलता है। गया और औरंगाबाद में २४ जून तथा जहानाबाद में ४ जुलाई को जुलूसें निकाली गईं। पटना तथा कुछ अन्य स्थानों पर ४ जुलाई को बंदी दिवस मनाया गया। स्थिति का सामना करने के लिये प्रान्तीय सरकार ने ३० जून को विशेषाधिकार अध्यादेश (१९३२ का १० वां) प्रान्त भर में लागू कर दिया।

---

१. ५ प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार किये जा चुके थे :–श्री राजेन्द्र प्रसाद, डा० एम० ए० अंसारी, शारदूल सिंह कवीश्वर, मौलाना अबुल कलाम आजाद और श्रीमती सरोजनी नायडू।

इन दिनों काँग्रेसी कार्यकर्त्ता डाकखानों एवं बैंकों पर धरना देने लगे थे। जुलाई के दूसरे सप्ताह में उन्होंने काँग्रेस आश्रमों और कार्यालयों को पुलिस के कब्जा से छुड़ाने का कार्यक्रम बनाया था। मुँगेर में २५ जुलाई के साढ़े पाँच बजे सुबह में काँग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रीय झंडा किसी स्वयं-सेवक ने फहरा दिया। इस समय रात भर पहरा देने से थके हुए पुलिस के जवान ऊंघ रहे थे। बाद में कुछ पुलिस अधिकारी मुँगेर पहुँच गये और ३१ जुलाई तक लगभग ६० स्वयंसेवक इसके लिये गिरफ्तार कर लिये गये।[1] पटना के सदाकत आश्रम पर अधिकार करने के प्रयत्न को पुलिस ने विफल कर दिया। इस संबंध में पटना के आयुक्त के वक्तव्य के अनुसार २४ जुलाई तक २८० व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके थे। ३१ जुलाई, १९३२ तक कुल मिलाकर ४५१ पुरुष और ७ महिलाएँ इस सिलसिले में गिरफ्तार की गई थीं। गिरफ्तार महिलाएँ उत्तर बिहार की थीं, अधिकतर दरभंगा की।[2] १५ जुलाई को पुलिस ने पटना के श्रीकृष्ण प्रेस (महादेव प्रेस के नाम से भी अभिहित) पर छापा मारा और वहाँ से कुछ काँग्रेस बुलेटिन उठाकर ले गई।[3] २६ जून को एक व्यक्ति गया के व्हिट्टी पार्क में राष्ट्रीय झंडा फहराने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया। २७ जून को वहाँ के अदालत भवन पर से यूनियन जैक उतारने के अभियोग में एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। इसको एक वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। ९ जुलाई को इमामगंज थाना के अहाता में एक जुलूस निकाली गई। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय झंडा फहराना। ११ नेताओं को पकड़ लिया गया और जुलूस को तितर-बितर कर दिया गया। ४ अगस्त को जेल-भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयत्न में दानापुर में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। गया में कुछ काँग्रेसी स्वयंसेवकों ने २२ नवम्बर को बिहार गवर्नर के वहाँ आने के अवसर पर काला झंडा दिखलाने की आयोजना की। किन्तु उस दिन ५ बजे सवेरे ही पुलिस ने ९ काली झंडियों के साथ १३ स्वयंसेवकों को पकड़ लिया। पुलिस श्रीमती एम० एन० चौधरी को गिरफ्तार करना चाहती थी।

---

१ : श्रीकृष्ण अभिनन्दन ग्रंथ।

२ : पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ जुलाई और १३ अगस्त, १९३२।

३ : वही, २८ अगस्त, १९३२।

साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर गाँधी जी के आमरण अनशन का निर्णय :

इस बीच देश में साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर गाँधी जी के आमरण अनशन के कारण भारी चिन्ता का वातावरण हो गया था। इस निर्णय की घोषणा बृतानी प्रधान मंत्री ने १७ अगस्त, १६३२ को की थी। इसके अन्तर्गत मुसलमानों की तरह तथाकथित दलित वर्गों के लोगों के लिये भी पृथक् निर्वाचन-पद्धति की व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में भारत सचिव, सर सैमुयेल होर और बृतानी प्रधान मंत्री, श्री रैमसे मैकडोनल्ड के पत्राचार १३ दिसम्बर, १६३२ को प्रकाशित कर दिये गये थे। गृह मंत्री, श्री हेग ने इस विषय में सरकारी दृष्टिकोण इन शब्दों में व्यक्त किया था, "ऐसे तरीकों से कोई भी सरकार अपनी नीति संभवतः प्रभावित नहीं होने दे सकती।"

गाँधी जो के अनशन की प्रतिक्रिया का निराकरण करने के हेतु सरकार का विरोधी प्रचार :

सरकार उपर्युक्त पत्राचार के प्रकाशन के पूर्व ही गाँधी जी के निर्णय की प्रतिक्रिया का प्रचार द्वारा निराकरण करने के लिये कदम उठा रही थी। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को १२ सितम्बर, १६३२ को इस आशय का पत्र दिया, "अगले कुछ दिनों में गाँधी जी के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसपर विशेष प्रकार का प्रचार अभियान सरकार की ओर से अविलंब चलाना आवश्यक होगा।" भारत-सरकार से प्राप्त एक सन्देश की ४ मुद्रित प्रतियाँ उन अधिकारियों के पास भेज दी गईं। ये "केवल प्रचार-कार्य के लिये थीं अर्थात इनके स्रोत का पता नहीं बताना था और उसकी अभियुक्तियों को शब्द-प्रति-शब्द नहीं प्रस्तुत करना था"। उस लिफाफे को मुख्य सचिव का एक तार पाने के बाद ही खोलना था। यह भी कहा गया था कि अगले कुछ दिनों में जब प्रधान मंत्री एवं महात्मा गाँधी का पत्राचार प्रकाशित हो जायगा तो ८ सितम्बर के प्रधान मंत्री के पत्र में जो अभियुक्ति प्रकाशित की गई थी उसका "प्रचार के लिये उन्मुक्त रूप से व्यवहार किया जा सकता था।" अधिकारियों को अपने-अपने प्रमंडलायुक्तों से सम्पर्क स्थापित करना था क्योंकि आयुक्तों के साथ राँची में स्थिति पर

विचार-विमर्श किया जा सकता था और उस संबंध में "एक संक्षिप्त परिपत्र भी उन्हें दिया गया था।"[१] इस टिपणी के संबंध में प्रमंडलायुक्तों ने अपने-अपने जिलाधिकारियों को अगले दिन यथासंभव शीघ्रता के साथ देशी भाषाओं में अनुवाद करने एवं अमन सभा के माध्यम से तथा अन्य तरीकों से उसके व्यापक प्रचार की व्यवस्था करने को कहा गया था। अपने प्रचार कार्य में उन्हें दो बातों पर बल देना था अर्थात "सरकार की योजना में पिछड़े वर्गों को विधान मंडलों में अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिये अपने मनोनुकूल प्रतिनिधि उपलब्ध होंगे और इसके साथ ही सरकार ने हिन्दू-समाज की एकता के लिये भी हर तरह की व्यवस्था की थी। यह स्पष्ट था कि सरकार को हिन्दू समाज से पिछड़े वर्गों को विछिन्न करने का कोई इरादा नहीं था।" प्रचार के हेतु ८ सितम्बर का प्रधान मंत्री का पत्र भी एक इश्तहार में संलग्न कर देना था। आरा में "हितैषी" नामक एक पत्र जिसको अमन सभा से सहायता मिलती थी, पूर्णतः सरकार-समर्थक था। प्रचार के हेतु जिलाधिकारी ने इस पत्र का उपयोग किया। सितम्बर के तीसरे सप्ताह में सरकार ने इस संबंध में श्री हॉर्नले द्वारा तैयार किये गये दो इश्तहारों की प्रतियाँ अपने अधिकारियों को दीं।

सरकारी योजना का परिणाम भारतीय राष्ट्रीय एकता को खंडित करने के हेतु एक झगड़े का घर खड़ा करना था, खासकर ऐसे समय में जबकि साम्प्रदायिक विद्वेष राष्ट्र के लिये जटिल समस्या बन चुकी थी। इसके अतिरिक्त यदि प्रधान मंत्री का निर्णय ज्यों का त्यों रह जाता तो एक महान नेता का जीवन खतरे में पड़ जाता। इस तरह डा० अम्बेदकर को छोड़कर सभी तरफ से एवं सभी नेताओं की ओर से पिछड़े वर्गों को पृथक् निर्वाचन पद्धति देने के संबंध में प्रधान मंत्री का निर्णय वापस कर लेने की माँग की जा रही थी। गाँधी जी की प्राणरक्षा के लिये सभी दिशाओं से अपीलें की जा रही थीं। १० सितम्बर को पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बम्बई में ४०० से अधिक प्रतिनिधियों के साथ हिन्दू नेता सम्मेलन (लीडर्स कन्फरेंस) सम्पन्न हुआ। इसमें उपस्थित होनेवाले प्रमुख लोगों में श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री राजागोपालाचारी, श्री तेजबहादुर सप्रू, श्री मुकुंद राव जयकर,

१ : परिशिष्ट-१२।

राय बहादुर एम० सी० राजा, डा० अम्बेदकर, श्री एम० एस० अणे, डा०मुंजे प्रभृति के नाम उल्लेखनीय हैं। दो बातों पर सभी एकमत थे। पहली बात यह कि किसी भी मूल्य पर महात्मा गाँधी की जान अवश्य बचाई जानी चाहिये। दूसरी बात यह थी कि किसी भी मूल्य पर छुआछूत का कलंक हिन्दू-समाज पर से अवश्य दूर किया जाना चाहिये।

गाँधी जी ने नियत तिथि (२० सितम्बर) को अनशन आरम्भ कर दिया। देश में भारी चिन्ता एवं कष्ट का वातावरण हो गया। यरवदा जेल और पूना में सवर्ण हिन्दू एवं दलित वर्ग के नेताओं ने पाँच बार बैठकें करने के उपरांत २४ सितम्बर को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसके अनुसार दलित वर्गों के लिये निर्धारित स्थान लगभग दूना कर दिये गये। इनका चुनाव संयुक्त निर्वाचन पद्धति से होना था किन्तु चुनाव के लिये पिछड़े वर्ग के लोग भी दो नाम प्रस्तावित करते। यह भी विहित किया गया कि सरकारी नौकरी या स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में किसी व्यक्ति के साथ उसके दलित वर्ग का होने के कारण किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जायगा और यह कि प्रत्येक प्रान्त में "शिक्षा संबंधी अनुदान में से दलित वर्गों के छात्रों के लिये शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करने के हेतु एक उपयुक्त धनराशि निश्चित की जायगी।" बृतानी प्रधान मंत्री द्वारा इस समझौता को स्वीक:र कर लिये जाने पर गाँधी जी ने २६ सितम्बर के तीसरे पहर अपना अनशन समाप्त किया।

अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन, अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना (३० सितम्बर, १९३२):

गाँधी जी के अनशन का उल्लेखनीय परिणाम देश भर में अस्पृश्यता का अभिशाप दूर करने के हेतु एक प्रभावी आन्दोलन शुरू करने के रूप में प्रकट हुआ। राजेन्द्र बाबू ने कुछ काल पूर्व कहा था "यह हिन्दू समाज की परीक्षा की घड़ी है। यदि उसमें कुछ भी जान हो तो उसे उदारता एवं सदाशयता के साथ काम करना होगा।" महाकवि रवीन्द्रनाथ ने पूना में २७ सितम्बर, १९३२ को (महात्मा गाँधी के ६४ वें वर्षगांठ के अवसर पर एक भाषण में) इस काम के लिये राष्ट्र से पूरी लगन एवं सच्ची निष्ठा के साथ लग पड़ने

की अपील की। महाकवि ने कहा कि "आज दृढ़ संकल्प लेकर हम सभी महात्मा जी के साथ युगों के इस भार से मुक्त होने के महान कार्य में लग पड़ें। यह भार हमारे कारोड़ों-करोड़ देशवासियों को केवल जन्म के कारण घोर अपमान का जीवन व्यतीत करने को बाध्य करता रहा है तथा उन्हें मानवोचित मर्यादा से वंचित करता रहा है। उन्हें वह सहानुभूति नहीं मिलती रही है जो मानवमात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम न केवल भारत की नैतिक दासता का बंधन छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं बल्कि उसके साथ ही मानव-मात्र का मार्ग प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। जहाँ और जिस भी रूप में मानव को उसके न्यायोचित अधिकारों से वंचित किया जाता हो हम उसे यह चुनौती दे रहे हैं कि अपनी अन्तरात्मा के समक्ष वह अपने को निर्दोष सिद्ध करे। महात्मा जी ने हमारे युग में यही कसौटी मानव के ससक्ष रखी है।"[१]

हिन्दू धर्म की एक महत्ता एवं विशेषता यह रही है कि युगों के अन्तराल में परिवर्तित स्थितियों के अनुरूप वह अपने को भी परिवर्तित करता रहा है। इस समय भी उसने युग की चुनौती स्वीकार की और इस प्रकार परिवर्त्तन की एक प्रक्रिया आरम्भ हुई जो वास्तव में हमारे देश में प्रगतिशील सामाजिक क्रान्ति के समान थी। अस्पृश्यता सप्ताह २७ सितम्बर से ३ अक्तूबर तक देश भर में मनाया गया। ३० सितम्बर को अखिल भारत अस्पृश्यता विरोधी लीग का उद्घाटन हुआ। उसका मुख्यालय दिल्ली में था; श्री अमृतलाल बी० ठक्कर उसके सचिव थे। कुछ ही दिन में विभिन्न प्रान्तीय मुख्यालयों में उसकी शाखाएँ खुलीं।

प्रान्तीय बोर्ड की स्थापना :

बिहार इसमें भी आगे रहा। पिछड़े वर्गों या गाँधी जी के अनुसार हरिजनों के उत्थान के लिए यहाँ काम पहले ही शुरू हो चुका था। १७ जुलाई, १९३२ को इसके लिए गया के मॉड्ल स्कूल में एक सभा की गई। गया के एक मेहतर ने सभा में भाषण किया और उपस्थित लोगों में इलायची और सुपारी वितरित किया। अनेक लोगों ने उसे सहर्ष ग्रहण किया।[२] वास्तव में गया, नवादा और औरंगाबाद में कई सभाएँ हुईं। इनमें सवर्ण हिन्दू तथा

१. तेन्दुलकर में उद्धृत, खंड ३, पृष्ठ २१७।

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ जुलाई, १९३२।

हरिजन सम्मिलित होते। अनेक स्थानों पर दोनों एक दूसरे को "गले लगाते।"[१] सितम्बर, १९३२ के मध्य में शाहाबाद जिला में भी आरा, बक्सर, भभुआ और दुर्गावती में ऐसी सभाएँ हुईं।[२] पटना जिला में इस तरह की सभाएँ पटना सिटी, बाढ़, मुकामा, बख्तियारपुर, बिहारशरीफ, दानापुर, बिहटा, मनेर, खगौल और बिक्रम में भी हुईं।[३] हरिजनों के लिए कई स्थानों पर मंदिर प्रवेश के प्रयत्न किये गये। शाहाबाद जिलान्तर्गत ब्रह्मपुर मंदिर और औरंगाबाद में जम्हौर के मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिये गये। कई जगहों पर कट्टरपंथी लोगों की ओर से इसका विरोध भी किया गया।[४] आरा में २५ सितम्बर, १९३२ को एक अवकाश प्राप्त पेशकार, श्री रामेश्वर प्रसाद के मंदिर के सामने एक सभा हुई। सत्यनारायण पूजा के बाद प्रसाद वितरण हुआ और कुछ प्रस्ताव स्वीकृत हुए :[५] एक अन्य सभा २६ दिसम्बर की संध्या में हुई। इस सभा में गाँधी जी के दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना की गई और "महात्मा गाँधी की जय" "स्वतन्त्र भारत की जय" प्रभृति नारों के साथ सभा विसर्जित हुई। २७ सितम्बर की संध्या में श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक अन्य सभा हुई। इस सभा में पूना समझौता की स्वीकृति एवं गाँधी जी का अनशन भंग होने की सूचना दी गई। इसके अतिरिक्त हरिजन भाइयों के प्रति प्रेम का व्यवहार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अक्तूबर के महीने में अनेक स्थानों पर अस्पृश्यता निवारण के लिए सभाएँ की गईं।[६] धीरे-धीरे प्रान्त में कुछ पुराने ढंग के एवं परम्परागत विचारवाले लोगों के विरोध के बावजूद अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में वातावरण तैयार हो रहा था। परम्परावादी संकीर्णता बहुत मुश्किल से एवं धीरे-धीरे दूर होती है; कट्टरता अपना शिकंजा बनाये रखने का अन्तिम दम तक प्रयत्न करती है। किन्तु सुधार की लहर यदि जनता के हृदय को

---

१. पटना आयुक्त का मुख्य सचिव को २६ सितम्बर, १९३२ का पत्र।
२. वही।
३. वही।
४. वही।
५. शाहाबाद जिलाधीश की आयुक्त को सप्ताहिक रिपोर्ट, ३० सितम्बर।
६. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट १३ और २७ अक्तूबर, १९३२। इस अवसर पर पटना कॉलेज के कुछ छात्र हरिजनों के साथ सहभोज में सम्मिलित हुए।

स्पर्श कर पाती है तो जल्द या देर से उसके उपयुक्त परिणाम निश्चय ही होते हैं।

बिहार में शीघ्र ही अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन चलाने के लिए एक प्रान्तीय संस्था का उद्‌भव हुआ। ६ नवम्बर, १९३२ को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में अस्पृश्यता सम्बन्धी सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता सूरजपुरा के राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह ने की। बिहार के प्रख्यात वैद्ध पंडित व्रजबिहारी चौबे सम्मेलन की स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे। श्री चौबे ने छुआछूत की प्रथा को दूर करने की आवश्यकता पर अपने भावभरे भाषण में बल दिया। यह प्रथा हिन्दू समाज को खोखला कर रही थी। अध्यक्ष पद से बोलते हुए राजा साहब ने अपनी अप्रतिभ शैली में सवर्ण हिन्दुओं को अपने तथाकथित अछूत भाइयों के साथ भाईचारा एवं प्रेम का व्यवहार करने की अपील की। उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के हेतु हर तरह की सुविधाओं का आयोजन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर श्री अमृतलाल बी० ठक्कर और श्री राजेन्द्र प्रसाद भी उपस्थित थे। सम्मेलन में निम्नलिखित ५ प्रस्ताव स्वीकृत हुए :—

(१) "हिन्दू समाज छुआछूत के अभिशाप और अनेक अन्य कुरीतियाँ जो समाज में आ गई हैं एवं उसका मूलोच्छेद कर रही हैं उन्हें दूर करे। अस्पृश्यता एवं अन्य कुरीतियाँ उसे दुर्बल बना रही हैं, खण्डित कर रही हैं एवं प्राणहीन बना रही हैं। इनके फलस्वरूप करोड़ों-करोड़ लोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के अवसर से वंचित रखे गये हैं। इससे सारी दुनिया में हिन्दू समाज का अपमान होता है।

(२) सवर्ण हिन्दू अपने कुँएँ, मंदिर और तालाबों पर से उनका अछूतों के उपयोग करने पर सभी प्रतिबन्ध हटा दें। अन्य लोगों से भी, जिनपर उनका प्रभाव हो, ऐसा करने को कहें।

(३) पिछड़ा वर्ग (हरिजन) के लोगों के खानपान तथा रहन-सहन में आवश्यक सुधार करके आन्दोलन को सहायता प्रदान करें।

(४) स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ, नगरपालिकाएँ और जिला बोर्ड अधिकारी हरिजनों के लिए छात्रवृत्तियाँ, आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने का आयोजन करे जिसमें सामाजिक कल्याण का काम आगे बढ़े।

(५) अस्पृश्यता निवारण लीग की एक प्रान्तीय अभिषद् बनाई जाय और उसे अखिल भारतीय बोर्ड के साथ संबद्ध किया जाय।"

इस बोर्ड के उपसभापति पंडित बृजबिहारी चौबे, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, राय ब्रजराज कृष्ण और श्री विजय सिंह बनाये गये। श्री विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा और श्री रामचन्द्र पंडित इसके सचिव एवं कोषाध्यक्ष हुए।[1]

प्रान्तीय सरकार अस्पृश्यता निवारण लीग में सरकारी अधिकारियों के सम्मिलित होने के "पक्ष में नहीं थी।"[2] किन्तु इस आन्दोलन को लोकमत का प्रबल समर्थन प्राप्त था। समाज-सुधार की किसी भी योजना की सफलता के लिए इसकी सर्वोपरि आवश्यकता होती है। ६ नवम्बर, १९३२ से ३० सितम्बर, १९३३ तक की अवधि का इसका काम इसके सचिव की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार था :

"बिहार प्रान्तीय बोर्ड की स्थापना ६ नवम्बर, १९३२ में हुई। निम्नलिखित १४ जिला समितियाँ गठित की गईं :—पटना, गया, आरा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, दरभंगा, संथालपरगना, सारन, पूर्णिया, राँची, हजारीबाग और पुरुलिया। पलामू में पन्द्रहवीं समिति खोलना विचाराधीन है।

प्रचार :

प्रान्तीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन पटना में किया गया था। उसमें हमारे महासचिव श्री ए० बी० ठक्कर स्वयं ही उपस्थित थे। उसके बाद से

---

१. एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस सभा में हजार से दो हजार के लगभग लोग थे। इनमें २० महिलाएँ भी थीं। इसमें उपस्थित कुछ अन्य उल्लेखनीय लोगों के नाम इस प्रकार हैं: श्री अनुग्रहनारायण सिंह, श्री मथुरा प्रसाद, बलदेव सहाय, भवानी सहाय, अवधेशनन्दन सहाय, ब्रजनन्दन प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, सरस्वती देवी (हजारीबाग) आदि।

२. भागलपुर के आयुक्त को मुख्य सचिव का पत्र, २ फरवरी, १९३३। श्रीधर समल नामक एक स्कूल सब-इन्सपेक्टर को इसमें सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी गई थी।

तुलनीय "अस्पृश्यता निवारण एक सामाजिक आन्दोलन है किन्तु सम्बन्धित राजनैतिक आन्दोलन से इसका भेद अभी अस्पष्ट है। सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी इस आन्दोलन को विवादास्पद तथा राजनैतिक प्रकृति का समझें जिसमें उन्हें सम्मिलित नहीं होना चाहिये" —जिलाधिकारी, मुंगेर को भागलपुर के आयुक्त का डी० ओ०, २५ जनवरी, १९३३।

६ जिला सम्मेलन क्रमशः छपरा, आरा, भागलपुर, मुंगेर, जहानाबाद और बेतिया में किये गये हैं। अन्तिम को छोड़कर प्रांतीय सचिव ने सबों में भाग लिया।

सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित इन्द्र रमण शास्त्री जो पूना समझौता के एक हस्ताक्षरी हैं, ने जहानाबाद, गया, आरा, पटना और देवघर की यात्रा की और सभी जगहों पर प्रभावशाली भाषण किया। अस्पृश्यता के विरुद्ध विशेष प्रचार मुजफ्फरपुर जिला समिति के द्वारा सोनपुर मेला, रामनौमी मेला (सीतामढ़ी) और सुस्ता मेला में किया गया। आरा समिति ने ब्रह्मपुर मेला में भाषण और इश्तहारों का आयोजन किया। हरिजन दिवस प्रान्त भर में मनाये गये। इन दिनों सैंकड़ों गाँवों और लगभग सभी नगरों में समारोह आयोजित किये गये। इन आयोजनों में सवर्ण हिन्दू और हरिजन कई तरह से एक दूसरे के साथ भाई-भाई के रूप में मिले। महात्मा गाँधी के तीन सप्ताह के अनशन के दिनों में सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सभाएँ हुईं, प्रार्थनाएँ की गईं, जुलूसें निकाली गईं, कीर्तन, संयुक्त खेलकूद, पुरस्कार वितरण, हरिजन महल्लों की सफाई, अधिकोष संचय, हरिजनों को खिलाने आदि की व्यवस्था की गईं।

राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह और डा० भगवान दास के पटना एवं छपरा सम्मेलनों में दिए गए भाषण पुनर्मुद्रित किये गये एवं उनकी प्रतियाँ वितरित की गईं। हरिजन सेवक संघ के संविधान का हिन्दी संस्करण प्रकाशित किया गया है। "शास्त्रों की व्यवस्था" शीर्षक पुस्तिका की १०,००० प्रतियाँ वितरण के हेतु दी गई हैं। मन्दिरों के ट्रस्टियों के नाम विशेष अपील जारी की गई है। मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किये गये हैं।

विविध कार्य :

राँची, हजारीबाग और मानभूम में हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में बहुत ही कम आपत्ति दीख पड़ती है। अन्य स्थानों पर २३६ मन्दिर हरिजनों के लिए खोले गए हैं। २५७ संयुक्त धार्मिक कीर्तन, कथा, भजन, प्रार्थनाओं के आयोजन किए गए हैं। पतितपावन भगवान के नाम से भागलपुर जिला के कहलगाँव में एक नया मंदिर खोला गया है। भागलपुर के महल्ला मुंडीचक में एक अन्य मंदिर बनाया जा रहा है।

शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ और आर्थिक सहायता :

निम्नलिखित जिला समितियाँ मासिक छात्रवृत्तियाँ देती हैं :—

मुंगेर—१५ रु० १२ आ० आरा—६, भागलपुर—७, दरभंगा—२५, हजारीबाग—१ और गया—१ ।

पटना जिला समिति हाई स्कूल में प्रवेशार्थ एक, और दरभंगा जिला समिति दो छात्रों को सभी व्यय देती है ।

प्रान्तीय कार्यालय ४ छात्रवृत्तियाँ देता है । इनपर कुल मिलाकर १७ रु० महीना खर्च है ।

रघुमल ट्रस्ट छात्रवृत्ति जिलावार इस तरह दी गई है :

भागलपुर—३ रुपया, मुंगेर—३ रुपया, पटना—४ रुपया, हजारीबाग—६ रुपया, देवघर—३ रुपया, राँची—४ रुपया, पूर्णिया—३ रुपया, सारन—३ रुपया, दरभंगा—४ रुपया, गया—३ रुपया, चम्पारण—३ रुपया, आरा—३ रुपया और मुंगेर—३ रुपया—कुल ४५ रुपया ।

राँची कॉलेज के द्वितीय वर्ष के छात्र नन्दकिशोर राम को डेविड स्कीम फंड से ४ वर्षों के लिए १५ रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दी गई है ।

स्कूल :

प्रान्त भर में ५ कन्या पाठशालाएँ और ११३ दिन एवं रात्रि पाठशालाएँ चलाई जा रही हैं । इनमें तीन हजार हरिजन शिक्षा प्राप्त करते हैं । इनके अतिरिक्त हमारी संस्था के कार्यकर्त्ताओं के प्रयत्न से अन्य स्कूलों में ६०० के लगभग हरिजन छात्र भरती हुए हैं । ५०० रुपये से अधिक की पुस्तकें और लिखने के सामान हमारी संस्था के अधिकोष से वितरित किये गये हैं । कुल मिलाकर २४९३-७-० हरिजनों की शिक्षा के लिए विचाराधीन वर्ष में खर्च हुए हैं ।

इस प्रान्त में जहाँ तक शैक्षणिक संस्थाओं का संबंध है, केवल डोम, भंगी, हलखोर और मेहतर अछूत माने जाते हैं । उन्हें किसी भी प्राथमिक स्कूलों में फीस नहीं लगती और माध्यमिक स्कूलों में कम फीस लगती है । सरकार पिछड़े वर्ग की सुविधाएँ लोथियान कमिटी की रिपोर्ट में परगणित सभी हरिजनों को देना चाहती है । प्रान्तीय सचिव ने सभी लोकल बोर्डों के अध्यक्षों के पास पत्र लिखकर पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत उन सभी जातियों के

लोगों को रखने का अनुरोध किया है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर, चम्पारण, छपरा, आरा, दरभंगा, पटना, मुंगेर, पूर्णिया और मानभूम जिला बोर्ड तथा मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर और लोहरदगा की नगरपालिकाएँ इसे कार्यन्वित कर चुकी हैं।

इसके फलस्वरूप हरिजनों को उपर्युक्त स्थानीय संस्थाओं के स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा मिलने लगेगी।

आर्थिक :

एक म्युनिसिपल वर्कर्स युनियन (नगरपालिका कर्मी संघ) नगरपालिका के कर्मियों की दशा में सुधार करने एवं उनकी शिकायतें दूर करने के हेतु पुरुलिया में स्थापित किया गया है। बचत और मितव्ययिता की आदत डालने के लिये तथा महाजनों के शोषण से उन्हें बचाने के लिये एक बैंक की स्थापना भी की गई है। उचित मूल्य पर शुद्ध खाद्य पदार्थ की आपूर्त्ति करने के लिये एक दूकान भी खोली गई है। खादी भण्डार, मधुबनी में एक हरिजन की नियुक्ति की गई है। सारण कमिटी ने कुछ हरिजन युवकों को बढ़ई का काम शुरू करने के लिये उपकरण खरीदने के लिये १५ रु० का अनुदान दिया है।

स्वास्थ्य और सफाई :

सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजन महल्लों में २६२ बार जाकर सेवा-कार्य किया है। अनेक स्थानों पर साबुन, सोडा और तेल बाँटे गये हैं।

नशाबंदी :

हरिजनों का ताड़ी-शराब पीने और मृतक जानवरों का मांस खाने की आदत छोड़ने के लिये सभाएँ करके अपील की गई है। इनकी संख्या १६६ है। कई स्थानों पर हरिजनों ने इसके लिए संकल्प किया है।

विविध :

राँची, मानभूम, हजारीबाग, संथालपरगना और भागलपुर जिला के इलाके में हरिजनों को कुओं से पानी लेने में बहुत कम कठिनाई होती है। अन्य स्थानों पर ६४६ कुएँ हरिजनों के लिये खोल दिये गये हैं।

उनके लिये ९ नये कुएँ उपलब्ध कराये गये हैं। मुंगेर जिला में स्थानीय संस्थाओं ने हरिजन के लिये १४ कुएँ बनवाये हैं और एक नलकूप लगवाया है।

३२४ संयुक्त जन-सभाओं और ५२ जुलूसों की सूचना प्रान्त भर से मिली है। अनेकों की सूचना नहीं भी मिली है।

निम्नलिखित स्थानों पर एक-एक हरिजन नगरपालिका सदस्य निर्वाचित हुए हैं :—

मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और छपरा, आरा नगरपालिका के लिये सरकार द्वारा एक हरिजन को नगरपालिका का सदस्य मनोनीत किया गया है।

राँची के एक सम्भ्रान्त व्यक्ति ने हरिजनों के लिये एक अनाथालय और एक औद्योगिक संस्थान खोलने के हेतु २ बीघा जमीन दान की है। हरिजन कार्यकर्त्ताओं के लिये गुलजारबाग, पटना में एक आश्रम खोला गया है।

पुरुलिया में विभिन्न बस्तियों में प्रति संध्या सामाजिक-धार्मिक सभाएँ होती हैं। इनमें कीर्तन और भजन होते हैं। रामायण और महाभारत का पाठ किया जाता है। हर पूर्णिमा को विभिन्न बस्तियों की कीर्तन पार्टियाँ एकत्र होकर भजन-कीर्तन करती हैं।

पुरुलिया में हरिजनों के बीच खेल-कूद दलों का संगठन किया गया है। एक फुटबॉल प्रतियोगिता की गई थी जिसमें एक चाँदी की शील्ड और मेड्ल दिये थे।

प्रान्तीय कार्यालय की कुल आय और व्यय क्रमशः ६,५१८ रु० तथा ५,९८८ रुपये ६ पाई हुए। मानभूम को छोड़कर सभी जिला कमिटियों की कुल आय और व्यय क्रमशः १,०००७१-७-६ पा० और ९,०८५-७-७ पा०।"

सरकार की द्वैध नीति :

हरिजन आन्दोलन दिन-दिन प्रगति कर रहा था। गाँधी जी पहले यरवदा जेल से और बाद में बाहर से उसका निदेशन कर रहे थे। अन्यत्र की तरह बिहार में भी राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो रहा था। किन्तु सविनय अवज्ञा आन्दोलन की राजनैतिक कार्रवाइयाँ भी अपेक्षातर साम्प्रदायिक एकता तथा विभिन्न भारतीय राजनेताओं के मध्य एकता स्थापित करने के साथ-साथ धीरे-धीरे चल रही थीं। इलाहाबाद

एकता सम्मेलन भारतीय राजनेताओं में एकता कराने के उद्देश्य से बुलाया गया था। दूसरी ओर सरकार की परितुष्टि एवं दमन की द्वैध नीति में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में १७ नवम्बर से २४ दिसम्बर (१६३२) तक चलता रहा। भारत के लिये उसका परिणाम घोर निराशाजनक था। "डेली हेरल्ड" के अनुसार "उससे नर्मदलीय भारतीय राजनेता भी निराश एवं आश्चर्यित थे।" फिर भी वे अपने देशवासियों से "कोई संतोषजनक एवं उपयुक्त संविधान हासिल करने के लिये रचनात्मक योजना तैयार करने के हेतु लोकमत को पूरी तरह संगठित करने की" अपील कर रहे थे। अगले १७ मार्च को श्वेत पत्र अपनी "निराशाजनक व्यवस्थाओं" के साथ प्रकाशित हुआ। इससे नर्मपंथी राजनेताओं में से अनेकों का मोह भंग हो गया। २१ मार्च को उसके संदर्भ में श्री तेजबहादुर सप्रू ने एक वक्तव्य में कहा : "श्वेत पत्र सर्वथा निराशाजनक है। उसमें विहित संविधान स्वशासी राज्य के लिये नहीं था, संविधान की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि केन्द्रीय दायित्व एवं उसके शीघ्र विकास तथा प्रसार की अपेक्षा बचाव की धाराओं (सेफगार्ड्स तथा रिजर्वेशन) पर कहीं अधिक बल दिया गया है।"

सरकारी नीति के दूसरे पक्ष के संबंध में हम देखते हैं कि दमन पूरे जोर-शोर के साथ किया जा रहा है। सार्वजनिक कार्य का दमन करनेवाले विशेष विधान कठोरता के साथ लागू किये जा रहे थे, लोग जेलों में भेजे जा रहे थे[1] और राजनैतिक बंदियों की रिहाई की माँग की उपेक्षा की जा रही थी। काँग्रेस के तत्कालीन प्रभारी अध्यक्ष के आदेशानुसार ४ जनवरी, १६३३ (गाँधी बन्दी दिवस की वर्षगाँठ) इस अवसर के लिये पूर्वनिश्चित वक्तव्य विभिन्न स्थानों में सभाएँ करके पढ़ा गया। सभाओं को रोकने के लिये सरकार की ओर से गिरफ्तारियाँ की गईं और अनेक स्थानों पर लाठी चार्ज भी किये गये। गया में इस दिन दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए और जुलूस में सम्मिलित एक दल से राष्ट्रीय झंडा छीन लिये गये। टिकारी में जुलूस निकालने के लिये ८ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सजा दी गई। राजेन्द्र बाबू से भेंट करके पटना से लौटते समय आचार्य कृपलानी उसी दिन क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट ऐक्ट की धारा १७ (१) के अन्तर्गत स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें ५ या ६ महीने कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। राजेन्द्र

1. परिशिष्ट १२।

बाबू बाँकीपुर जेल में उनके मुकदमे की सुनवाई देखने गये। लौटते समय उन्हें जेल के फाटक पर ही गिरफ्तार कर लिया गया (६ जनवरी) तथा जेल में ले जाया गया। उनके स्थान पर अब श्री महादेव श्रीहरि अणे ने प्रभारी अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। बाबू मथुरा प्रसाद ४ जनवरी को ही घोषणा पढ़ने के अभियोग में बाँकीपुर जेल पहुँच चुके थे। राजेन्द्र बाबू को १५ महीनों और बाबू मथुरा प्रसाद को १८ महीनों की सजा सुनाई गई। कुछेक दिन बाद उन्हें फिर हजारीबाग जेल पहुँचा दिया गया जहाँ पहली बार की तरह उनका अधिकतर समय चर्खा कातने, अध्ययन करने एवं भजन तथा प्रार्थना में व्यतीत होता। दोनों खाँ भ्राता वहाँ पहले से ही थे।[1]

२६ जनवरी, १९३३ को विभिन्न स्थानों में अनेकानेक लोग गिरफ्तार करके स्वाधीनता दिवस मनाने के अभियोग में जेल भेज दिये गये थे। पटना में उस दिन ४ व्यक्ति गिरफ्तार हुए। इनमें अनुग्रह बाबू तथा राजेन्द्र बाबू की पत्नी एवं ४ अन्य महिलाएँ भी थीं। अनुग्रह बाबू और चन्द्रावती देवी को पहली फरवरी को १५-१५ महीनों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। शेष बंदियों को ४-४ महीने की सजा मिली। बाढ़ में एक जुलूस को लाठी चलाकर भंग कर दिया गया। १५ फरवरी प्रान्त भर में तारापुर दिवस और १६ फरवरी अखिल भारत मेरठ दिवस के रूप में मनाया गया। पटना, गया और अन्य स्थानों पर इन अवसरों पर कई लोग गिरपतार हुए। इस आशंका से कि प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी आगामी मार्च में करबंदी आन्दोलन शुरू कर सकती थी, अधिकारियों ने २५ फरवरी को संवद्ध व्यक्तियों को "ऐसे अभियान का कोई संकेत मिलने पर कड़ी नजर रखने और उसे रोकने" के आदेश दे दिये।

काँग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष श्री अणे ने २० फरवरी १९३३ को घोषणा की कि काँग्रेस का ४७ वाँ अधिवेशन कलकत्ता में पहली अप्रिल को होगा। सरकार ने अधिवेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। श्री अणे कलकत्ता जाते हुए खड़गपुर स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गये। पंडित मदन मोहन मालवीय, श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू और कुछ अन्य व्यक्ति आसनसोल स्टेशन पर गिरफ्तार किये गये। उन्हें ३ अप्रिल तक जेल में नजरबंद रखा गया। बंगाल में अनेक गिरफ्तारियाँ हुईं। फिर भी प्रतिनिधियों के अंतरंग दल के साथ

१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ ३८०।

काँग्रेस का अधिवेशन हुआ ही। इसमें ७ प्रस्ताव पारित हुए। उस समय पुलिस चारो ओर से लाठियाँ बरसा रही थीं।

बिहार सरकार के मुख्य सचिव का जिलाधिकारियों के नाम निदेश (२२ मार्च, १९३३), प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी :

बिहार में सरकारी अधिकारियों ने यहाँ के प्रतिनिधियों को काँग्रेस के अधिवेशन के लिये कलकत्ता नहीं पहुँचने देने में कुछ उठा नहीं रखा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने २२ मार्च, १९३३ को जिलाधिकारियों के नाम निम्नलिखित आदेश जारी किये :—

"हाल ही में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी द्वारा प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के नाम परिपत्र जारी किये गये हैं। इनमें से कुछ परिपत्र पकड़े गये हैं। इनसे विदित होता है कि कलकत्ता में आगमी काँग्रेस अधिवेशन के लिए २४ मार्च को कलकत्ता पहुँचनेवाले प्रतिनिधियों के एक विस्तृत क्षेत्र में प्रदर्शन करने की योजना है। प्रान्तीय कमिटियों को १९३२ अप्रिल में काँग्रेस के दिल्ली अधिवेशन द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को स्वीकृत करने को आमंत्रित किया गया है। उनमें एक में स्वाधीनता प्रस्ताव को दुहराया गया है और दूसरे में १९३२ के जनवरी में सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर से शुरू करने के संबंध में कार्यकारिणी की बम्बई बैठक में किये गये निर्णय का अनुमोदन किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि नोटिस वितरण करके अथवा भाषण, सभाएँ तथा अन्य तरीकों से देहातों में प्रचार-कार्य किया जाय। सभाओं में कार्यकारिणी में विश्वास व्यक्त करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत करने के सुझाव दिये गये हैं। वैसी स्थिति में इस तरह की कार्रवाइयाँ स्वाधीनता दिवस या अन्य वैसे दिवसों के प्रदर्शनों के अनुरूप होंगे और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। जहाँ कहीं ऐसे प्रदर्शन हों, तुरत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय जिसमें प्रतिनिधि कलकत्ता नहीं पहुँच सकें। इससे बंगाल सरकार को सुविधा होगी। कार्रवाई प्रभावी हो इसके लिये प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना ही जरूरी नहीं बल्कि उनपर मुकदमा चलाकर अल्प अवधि के लिये कारावास दंड दिलाना भी उतना ही आवश्यक है।

काँग्रेस के परिपत्र अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के नाम से तथा सचिव श्री अग्रवाला के हस्ताक्षर से जारी किये गये हैं। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

के संविधान के अन्तर्गत काँग्रेस महासचिव और अखिल भारतीय काँग्रेस के महासचिव कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होते हैं। क्योंकि कार्यकारिणी को गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है। अत: श्री अग्रवाला पर क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत सरकार ने संकेत किया है कि जहाँ कहीं वे हों उनपर तदनुरूप कार्रवाई की जाय।"

कलकत्ता जानेवाले प्रतिनिधि या तो मार्ग में अथवा जहाँ कहीं भी वे मिले, गिरफ्तार कर लिये गये। इनमें प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के सचिव, श्री मुकुट धारी सिंह भी थे।[1] मुँगेर जिला के लगभग एक दर्जन प्रतिनिधि कलकत्ता में या कलकत्ता जाते हुए गिरफ्तार हुए।[2]

राजबंदियों के संदर्भ में बिहार-उड़ीसा सरकार की नीति में कुछ परिवर्त्तन :

मार्च (१९३३) के अन्त तक बिहार-उड़ीसा सरकार ने काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं को सजा देने की अपनी नीति में किंचित परिवर्तन किया। उस समय प्रान्त भर में सत्याग्रही बंदियों की संख्या लगभग २,००० थी। इनमें अधिकतर पटना कैम्प जेल में थे। सरकार ने "विभिन्न तिथियों" को "उपयुक्त जत्थों" में ऐसे बंदियों को रिहा करने का निर्णय किया जो "सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अमहत्वपूर्ण बंदी" थे और "जेल से छूटने पर फिर से सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सम्मिलित नहीं होते।" इस तरह की छूट "सविनय अवज्ञा आन्दोलन के नेताओं तथा ऐसे बंदियों जिन्हें आन्दोलन के संदर्भ में दो या अधिक बार सजा दी जा चुकी थी, को नहीं देनी थी।"[3] ऐसी छूट उन्हीं बंदियों के लिये थी जो २९ मार्च १९३३ तक जेल में थे। उसके बाद वाले बंदियों के लिये सरकारी निदेश में अल्प अवधि का कारादंड देने एवम् सरकार जिन्हें "प्रमुख आन्दोलनकारी" समझे, उनके प्रति किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दिखाने की व्यवस्था थी।[4]

महात्मा गाँधी के लिये हरिजनों का उत्थान उनकी अन्तरात्मा की आवाज के अनुसार उनके लिये आस्था का विषय बन चुका था। इसके लिये

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट १३ अप्रिल, १९३३।
२. श्रीकृष्ण अभिनन्दन ग्रन्थ।
३. जिलाधिकारियों के नाम मुख्य सचिव का पत्र, २९ मार्च, १९३३।
४. वही।

उन्होंने २९ अप्रिल को आत्मशुद्धि के उपकरण के रूप में २१ दिनों के अनशन का निर्णय घोषित किया।

गाँधी जी का अनशन ८ मई को १२ बजे दिन में यरवदा जेल में आरम्भ हुआ। इसके दो घंटे पूर्व उन्होंने एक वक्तव्य में कहा "यह अनशन कटुता दूर करने, आत्मशुद्धि एवं यह स्पष्ट करने के हेतु कि यह आन्दोलन सर्वथा नैतिक है तथा सर्वथा नैतिक व्यक्तियों के द्वारा ही इसे चलाना है, किया जा रहा है।"[1] सरकार ने ८ मई के साढ़े नौ बजे रात में एक विज्ञप्ति जारी करके गाँधी जी को रिहा कर दिया। उन्हें लेडी थैकरसे के पूना स्थित आवास "पर्णकुटी" पहुँचा दिया गया। गाँधीजी का अनशन २९ मई तक चलता रहा।

अनशन से बिहार में देश के अन्यत्र की तरह भारी चिन्ता हुई। अनेक स्थानों पर अनशन एवं अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन के संदर्भ में सभाएँ की गईं। बाँकीपुर मैदान में १८ मई, १९३३ को एक बड़ी सभा में लगभग ४,००० लोग सम्मिलित हुए। पटना कैम्प जेल के दो राजनैतिक बंदियों ने सहानुभूतिपूर्ण अनशन रखा, एक ने ८ से १८ मई तक और दूसरे ने ११ से १३ मई तक। गया में अस्पृश्यता निवारण लीग के अध्यक्ष ने इस संबंध में १३ मई को एक प्रार्थना सभा की।[2]

सरकार से सभी सत्याग्रही बंदियों को रिहा करने की गाँधी जी को अपील :

अपनी रिहाई के साथ-साथ गाँधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को कुछ काल के लिये स्थगित करने की एक वक्तव्य जारी करके अनुशंसा की। इसके साथ ही "देश में सच्ची शांति" के हित में सरकार से सभी सत्याग्रहियों को बिना शर्त्त रिहा कर देने की अपील की। गाँधी जी ने कहा, "मैं इसपर सर्वथा एकमत हूँ कि जबतक अनेक सत्याग्रही जेलों में हैं तबतक सत्याग्रह समाप्त नहीं किया जा सकता, जबतक सरदार बल्लभ भाई पटेल, खाँ अब्दुल गफार खाँ, जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोग जेलों में बंद हैं, कोई भी समझौता नहीं हो सकता।" इस वक्तव्य के तुरत बाद प्रभारी काँग्रेस

१. तेन्दुलकर, वही, खंड-३, पृ० २५०।
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ मई-१३ जून, १९३३।

अध्यक्ष श्री एम० एस० अणे ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का स्थगन घोषित करते हुए जनता से इस अवधि को हरिजनों के उत्थान में लगाने की अपील की। किन्तु सत्याग्रहियों के संदर्भ में सरकार की नीति में इससे कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ। ९ मई को सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति में कहा गया : "श्री गाँधी की लम्बा अनशन शुरू करने पर रिहाई से सविनय अवज्ञा के बंदियों अथवा उनलोगों की जिन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में खुलेआम या अंशतः समर्थन किया है, रिहाई के संदर्भ में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री गाँधी ने स्वयं ही कहा है कि उनके इस अनशन का सरकार से कोई संबंध नहीं। वह हरिजन आन्दोलन से ही संबंधित है।" भारत सचिव ने कॉमन्स सभा में एक वक्तव्य में कहा कि "सरकार को इस बात का पूरा सबूत मिलना चाहिये कि बंदियों की रिहाई के उपरांत सविनय अवज्ञा फिर से नहीं शुरू की जायगी।"

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का स्थगन—श्री सुभाष चन्द्र बोस, बिट्ठल भाई पटेल और पं० जवाहरलाल नेहरू प्रभृति नेताओं की प्रतिक्रिया :

काँग्रेस किंचित कठिन स्थिति में थी। सविनय अवज्ञा आन्दोलन का अस्थाई स्थगन भी कुछ प्रमुख नेताओं को उचित नहीं प्रतीत हुआ। श्री सुभाष चन्द्र बोस[1] और श्री बिट्ठल भाई पटेल उन दिनों युरोप में इलाज करा रहे थे। दोनों ने इस आशय का एक संयुक्त व्यतव्य जारी किया :

"महात्मा गाँधी द्वारा सविनय अवज्ञा स्थगित किया जाना असफलता की स्वीकृति है। हमारे विचार में महात्मा गाँधी राजनैतिक नेता के रूप

---

१. ध्यातव्य है कि भारत सरकार ने सी कस्टम्स ऐक्ट की धारा १९ के अन्तर्गत इस आशय का आदेश जारी किया जिसमें लंदन में १० जून, १९३३ को राजनैतिक सम्मेलन में श्री सुभाष चन्द्र बोस के भाषण की कोई प्रति भारत में लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिहार-उड़ीसा सरकार ने २७ जून, १९३३ को अपने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया था कि अखबारों और मुद्रणालयों को चेतावनी दे दें कि "यदि वे भाषण को छापेंगे तो उनपर प्रेस ऐक्ट के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जायगी।"—पटना आयुक्त को मुख्य सचिव के २७ जून, १९३३ का पत्र।

में असफल साबित हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि कांग्रेस का नये सिद्धान्तों पर नये तरीकों के साथ पुनर्गठन किया जाय। इसके लिए नया नेता होना आवश्यक है क्योंकि महात्मा गाँधी आजीवन जिन सिद्धान्तों पर आरूढ़ रहे हैं उनसे उससे भिन्न किसी कार्यक्रम की आशा करना अनुचित होगा।'' वक्तव्य में आगे कहा गया था, ''यदि कांग्रेस का समग्र रूप में यह रूपान्तर हो सके तो वह सर्वोत्तम होगा किन्तु यदि वैसा सम्भव नहीं हो तो कांग्रेस के अन्तर्गत आमूल परिवर्तनवादी तत्त्वों की एक नई पार्टी बनानी होगी।'' पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी इससे प्रसन्न नहीं थे। श्री नेहरू लिखते हैं, ''स्थगन ने आन्दोलन पर सांघातक प्रहार किया है क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष को कोई अपने इच्छानुसार आरम्भ और अन्त नहीं कर सकता। वैसा करना उसे सर्वथा दुर्बल बना देना होगा।''[१]

१७ जून को सविनय अवज्ञा के स्थगन की अवधि ६ हफ्तों के लिए बढ़ा दी गई। इस समय तक आन्दोलन का जोर बहुत कम होने लगा था। एक प्रकार की विश्रांति देश भर में फैल रही थी। कांग्रेस नीति का नवदिशा निदेशन उसके प्रमुख सूत्रधारों तथा कांग्रेस क्षेत्रों के अन्य लोगों द्वारा भी आवश्यक समझा जा रहा था।

प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष का आदेश :

भावी कांग्रेस नीति निर्धारित करने के लिए जेल से बाहर प्रमुख कांग्रेसियों का एक सम्मेलन पूना में १२-१४ जुलाई (१९३३) को बुलाया गया। विभिन्न प्रान्तों के लगभग डेढ़ सौ प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए। गाँधी जी की अनुशंसा पर कांग्रेस ने सामूहिक सविनय अवज्ञा स्थगित करने का निर्णय किया। किन्तु व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की अनुमति दे दी। साथ ही गुप्त तरीके अपनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रभारी अध्यक्ष के आदेशानुसार सामूहिक सत्याग्रह किये जाने के संदर्भ में सभी कांग्रेस संगठनों एवं संघर्ष समितियों ने काम करना बन्द कर दिया। अध्यक्ष ने ऐसे सभी कांग्रेसियों को जो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा नहीं कर सकते थे, कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया। श्री अणे के २२ जुलाई, १९३३ के एक वक्तव्य में ये सभी उल्लिखित थे।[२]

---

१. आटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ ३८४।
२. परिशिष्ट—१५।

महात्मा गाँधी फिर जेल में, उनका आमरण अनशन :

गाँधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए गाँवों में "निर्भीकता का संदेश देने के हेतु" जाने का संकल्प किया। उन्हें सर्वप्रथम रास जाना था। किन्तु पहली अगस्त, १९३३ को उन्हें गिरफ्तार करके एक वर्ष कारावास की सजा सुना दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह विभिन्न प्रान्तों में शुरू किया और गिरफ्तार हुए तथा जेल गए।

सरकार ने इस बार महात्मा गाँधी को पहले की तरह जेल के भीतर से हरिजन उत्थान का कार्य चलाते रहने की अनुमति नहीं दी। इसके विरोध में गाँधी जी ने १६ अगस्त को दूसरा "आमरण अनशन" शुरू किया किन्तु चूँकि उनकी स्थिति गम्भीर हो गई, इसलिए उन्हें बिना शर्त्त २३ अगस्त को छोड़ दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ३० अगस्त को नैनी जेल से रिहा कर दिये गये। उनकी कारावास की अवधि पूरी होने में कुछेक दिन ही शेष थे किन्तु उनकी माता श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू की स्थिति चिन्तनीय थी, अतः उन्हें देखने के लिए श्री नेहरू को रिहा किया गया था।

बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह :

जुलाई से अनेक लोगों ने बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया और जेल जाने लगे। नगरों में ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी कपड़े, नशीले पदार्थों की दूकानों पर धरना अन्य रचनात्मक कार्यों के साथ चलता रहा।[1] पटना के आयुक्त की २७ अक्तूबर को मुख्य सचिव को प्रेषित सूचना के अनुसार ११ अक्तूबर, १९३३ को श्री ल्युकास की अदालत में एक व्यक्ति आकर "उसके सामने ही गाँधी झंडा गाड़ने लगा।"

बिहार-उड़ीसा सरकार ने ३० जुलाई को सम्बन्धित अधिकारियों को व्यक्तिगत सत्याग्रह के सम्बन्ध में उनकी नीति क्या होनी चाहिए इसपर निदेश भेजे। उसमें कहा गया था : ध्यातव्य है कि यदि किसी जिला में कांग्रेस शखाओं के औपचारिक विघटन के आवरण में सविनय अवज्ञा कार्रवाइयों को फिर से शुरू करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसके विरुद्ध सशक्त कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि लोगों में यह भावना फैलने देना अवांछनीय

१. पटना आयुक्त की रिपोर्ट, जुलाई नवम्बर, १९३३।

होगा कि सविनय अवज्ञा से निबटने की सरकार की क्षमता में श्री अणे के वक्तव्य से कुछ कमी हुई है।"[१]

महात्मा गाँधी की हरिजन यात्रा नवम्बर प्रारम्भ में ही आरम्भ हो चुकी थी। प्रान्तीय सरकार उसके प्रति पूरी तरह सतर्क थी। प्रान्तीय जिला अधिकारियों को २० नवम्बर, १९३३ के एक पत्र में कहा गया कि अपनी पाक्षिक रिपोर्ट में वे वैसी रिपोर्ट भेजें जिनमें हरिजन आन्दोलन या उससे असंबद्ध श्री गाँधी की कार्रवाइयों तथा लोकमत पर उसकी यात्रा के प्रभाव की सूचना हो। रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए कि श्री गाँधी की यात्रा एवं अन्य कार्रवाइयों का कुलीन हिन्दुओं, पिछड़े वर्गों, हरिजनों और कांग्रेस समर्थकों पर कैसा प्रभाव पड़ता है।" यदि किसी जिला में वे नहीं भी जाते हैं तब भी उसके अधिकारियों को एक विश्वसनीय रिपोर्ट में यह सूचित करना था कि उनकी अन्यत्र यात्रा से" कोई विशेष उत्तेजना या किसी तरह की वारदात" हुई थी या नहीं। बिहार में गाँधी जी की यात्रा १९३४ में शुरू होनेवाली थी।

१९३४ : बिहार में भयंकर भूकम्प :

१९३४ बिहार के लिए एक भयानक प्राकृतिक आपदा से आरम्भ हुआ। १५ जनवरी को सवा दो बजे दिन में उत्तर बिहार में भीषण भूकम्प हुआ। उसमें २०,००० से अधिक लोग हताहत हुए। तीस हजार वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में घोर विध्वंस लीला का ताण्डव हुआ। जमीन, मकान, रेलवे, तार, सड़कें आदि पूरी तरह ध्वस्त हुईं। संचार और परिवहन अस्तव्यस्त हो गया। कई बुरी तरह क्षतिग्रस्त क्षेत्रों से राजधानी पटना समाचार पहुँचने में कई दिन लग गये। अनेक स्थानों पर चौड़ी एवं गहरी दरारें पड़ गईं जिनसे बालू और पानी निकलकर दूर तक भर गये। उत्तर बिहार का भू-स्तर बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रकृति के प्रकोप की यह विध्वंस-लीला शब्दों में वर्णन के परे थी।

राजेन्द्र बाबू और कुछ अन्य व्यक्तियों की रिहाई : बिहार केन्द्रीय रिलीफ कमिटी का गठन एवं काम :

इस भयानक संकट में लाखों पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। राजेन्द्र बाबू उन दिनों हजारीबाग केन्द्रीय जेल से

१. मुख्य सचिव का जिलाधिकारियों के नाम पत्र, ३० जुलाई, १९३३।

लाकर पटना के अस्पताल में रखे गये थे। सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञों के अभिषद् की अनुशंसा पर उन्हें रिहा कर देने का निर्णय लिया जा चुका था। वस्तुत: राजेन्द्र बाबू की रिहाई १७ जनवरी को हुई। दो दिनों के भीतर ही सरकार ने अनेक राजनैतिक बंदियों को रिहा कर दिया खासकर उनलोगों को जो भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों के थे। १९ जनवरी को राजेन्द्र बाबू ने देश के नाम एक अपील जारी करके प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए गैर-सरकारी संस्थाएँ स्थापित करने का सुझाव दिया। २० जनवरी को प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत कार्यों की व्यवस्था करने के हेतु साधन जुटाने एवं अन्य आवश्यक आयोजन करने के उद्देश्य से एक अनौपचारिक सम्मेलन हुआ। बिहार केन्द्रीय रिलीफ कमिटी नामक एक गैर-सरकारी संस्था की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद और सचिव बाबू बलदेव सहाय तथा मौलवी सैयद अहमद हफीज नियुक्त हुए। श्री आर० सी० पंडित इसके कोषाध्यक्ष बनाये गये। कमिटी के ये उद्देश्य निर्धारित किये गये : (क) पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने के लिये धन संचय, (ख) राहत कार्यों का आयोजन एवं राहत सामग्रियों का वितरण और (ग) उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए आवश्यकतानुसार काम करना।

राहत कार्यों के लिये देश के द्वारा तत्काल एवं समुचित सहायता प्रदान करना :

देश ने कार्यकर्त्ताओं, धन एवं सामग्रियों के लिए राजेन्द्र बाबू की अपील का उदारता के साथ एवं अविलम्ब उत्तर दिया। सहानुभूति एवं सहायता का संदेश गाँधी जी, महाकवि रवीन्द्र नाथ, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा अन्य प्रमुख नेताओं ने भेजा। धन एवं सेवा तथा खाद्यान्न, भवन निर्माण की सामग्रियाँ, कपड़े, रजाई, कम्बल और दवाएँ आने लगीं। वाइसराय ने भी अर्थक्वेक रिलीफ फंड (भूकम्प राहत अधिकोष) खोल दिया। कलकत्ता के मेयर, श्री संतोष कुमार बोस ने एक विशेष राहत अधिकोष खोला। उसमें ४,७५,००० रु० एकत्र हुए। इस धनराशि के साथ श्री बोस स्वयं क्षतिग्रस्त इलाकों में सेवा कार्य के लिए आए। २१ जनवरी को राजेन्द्र बाबू ने प्रान्तीय सरकार को बिहार केन्द्रीय रिलीफ कमिटी की स्थापना की विधिवत् सूचना दी। यह संस्था राहत कार्यों में अन्य सरकारी या गैर

सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करने को तैयार थी। राजेन्द्र बाबू ने अपने पत्र में यह आश्वासन दिया कि "इस मानवीय कार्य में केवल एक ही दृष्टिकोण हो सकता है यह कि यथासंभव जो भी बन पड़े, सेवा कार्य करना।" सरकार ने राहत कार्यों के लिए सहयोग के आश्वासन का अभिस्तवन किया। वास्तव में इस महान मानवीय कार्य में सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं ने मिलकर काम किया। उनके समक्ष काम बहुत ही बड़ा, कठिन एवं विस्तृत था। भूकम्प ने दूर-दूर तक जो विध्वंस किया था उससे लोगों को राहत पहुँचाना एवं ध्वस्त क्षेत्रों का पुर्ननिर्माण करना सचमुच एक ब्रृहत कार्य था। भूकम्प पीड़ितों को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए हजारों-हजार स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्न, कपड़े, दवा-दारू और आवास का सामान लेकर फैल गये।

भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों का पंडित नेहरू का दौरा :

एक अत्यन्त विकट स्थिति में जिसमें सुदृढ़तम प्रकृति के व्यक्ति भी कुछ काल के लिए घबड़ा जायँ, सरकारी एवं गैर सरकारी राहत कार्यकर्त्ताओं को तत्काल ऐसा कुछ करना था जिससे ध्वस्त एवं टूटे भवनों के मलवे के नीचे दबे लोगों को निकाला जा सकता।[1]

इलाहाबाद भूकम्प रिलीफ कमिटी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बिहार भेजा था। पंडित नेहरू ने १० दिनों तक "विध्वस्त इलाकों"[2] की यात्रा की। श्री नेहरू ८ फरवरी को मुंगेर आए। यह नगर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुआ था। सारा नगर मलवा का ढेर बन गया था। पंडित नेहरू ने मलवा हटाने का काम स्वयं ही शुरू किया। इससे राहत कार्य में लगे लोगों को अत्यधिक प्रेरणा मिली। पंडित नेहरू के शब्दों में "मुंगेर में मैंने मलवा हटाने के काम में लोगों में स्वावलम्बन अनुप्रेरित करने के लिये एक नाटकीय कार्य किया।"[3] कुछ प्रमुख कांग्रेसियों सहित स्वयंसेवकों का एक बहुत बड़ा जत्था देश भर से ध्वस्त बिहार में सेवा कार्य करने

१. एक १२ वर्ष का लड़का भूकम्प के १० दिनों के बाद मलवे के नीचे से निकाला गया।

२. आटोबॉयोग्राफी, पृष्ठ ४८७।

३. वही, पृष्ठ ४८८।

को आ पहुँचा। बिहार सेन्ट्रल रिलीफ कमिटी का केन्दीय रिलीफ कमिटी के रूप में शीघ्र ही पुनर्गठन किया गया। इसके साथ देश के विभिन्न भागों से आए हुए अनेक राहत संगठन थे। सेन्ट्रल कमिटी की शाखायें क्षतिग्रस्त जिलों में काम कर रही थीं।

लगभग दो महीनों तक राहत कार्य चलता रहा किन्तु विध्वस्त क्षेत्रों में पुर्ननिमाण तथा पुनर्वास की दुरूह समस्या फिर भी बनी रही। इस संदर्भ में राजेन्द्र बाबू ने कहा : "यह इतनी जटिल एवं विस्तृत समस्या है जिसमें हमारी सारी ताकत, उत्साह एवं उपलब्ध साधन लग जायेंगे। हमारे देशवासी तथा अनेक विदेशी भी उदारतापूर्वक जितना हमें दे सकते हैं, वे सब इस भगीरथ कार्य में लग जायेंगे।"[१]

गाँधी जी को बिहार यात्रा :

बिहार की सहायता आयोजकों को महात्मा गाँधी का निदेशन एवं परामर्श शीघ्र ही उपलब्ध हो गया। गाँधी जी को अखबारों, विज्ञप्तियों और २१ जनवरी, १९३४ के राजेन्द्र बाबू के एक तार से बिहार के सर्वनाशी भूकम्प की सूचना मिल चुकी थी। यद्यपि वे इस भूकम्प को "हमारे पापों विशेष करके छुआछूत का पाप" के लिये भगवान द्वारा दी गई शस्ति"[२] समझते थे फिर भी उनका हृदय "सुन्दर ब्रिहार" के ध्वस्त होने से अत्यन्त दुखी था। गाँधी जी ने दक्षिण भारत की अपनी हरिजन यात्रा स्थगित करके पटना के लिये ९ मार्च को प्रस्थान किया। उनके शब्दों में "यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि अस्पृश्यता निवारण के संदेश एवं काम का कहीं अधिक स्थाई महत्व है, फिर भी बिहार में जो संकट की स्थिति थी उसमें कुछ काल के लिये उधर से ध्यान हटाया जा सकता है। उसके मसीहा राजेन्द्र बाबू ने जिसकी पुकार की हो, उसे तत्काल उसका अनुपालन करना है अन्यथा कभी नहीं।

गाँधी जी ११ मार्च की संध्या में पटना पहुँचे और सेन्ट्रल रिलीफ कमिटी के दफ्तर में ठहरे। राजेन्द्र बाबू के साथ वे १४ मार्च को मोतिहारी

---

१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, डिवास्टेटेड बिहार, द प्रोबलेम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन।

२. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस वक्तव्य का एक उत्तर दिया था। पंडित नेहरू ने उससे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि "यह एक विस्मयकारी वक्तव्य था।"

के लिये रवाना हुए। रास्ता भर ग्रामीण जनता की भीड़ उनके दर्शनार्थ खड़ी थी। मोतिहारी वे रात बीते पहुँचे। वहाँ एक विशाल सभा में भाषण किया। गाँधी जी ने कहा : "मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। आप में से जिन लोगों को केन्द्रीय रिलीफ कमिटी से काम मिला है आपको उस काम को अच्छी तरह पूरा करना चाहिये। आप ईमानदारी के साथ काम करें। जो अभी काम नहीं भी कर रहे हैं उन्हें शुरू कर देना चाहिये। काम नहीं करने या ढीलाढाला काम करने के लिये पैसे देना भिखमंगा बनाना है। आप सबों को अपने मन से एवं जीवन से अस्पृश्यता की भावना को हमेशा के लिये दूर कर देना चाहिये।"[१]

अगले दिन गाँधी जी अपनी मंडली सहित देहातों के लिये रवाना हुए, सर्वत्र विध्वंस के चिह्न थे, जगह-जगह एकत्र लोगों की भीड़ "महात्मा गाँधी की जय" के नारे से उनका अभिवादन करती, गाँधी जी उन्हें यह संदेश देते "काम करो, भीख मत माँगो, काम करो : काम माँगो और उसे ईमानदारी के साथ पूरा करो।" मोतिहारी लौटने पर वे तीसरे पहर नगर में ध्वंस-लीला देखने के हेतु घूमते रहे। संध्या में विभिन्न रिलीफ कमिटियों के प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर विचार-विमर्श किया। उनके सहयोग पर हर्ष व्यक्त किया। सेवा कार्य में लगे हुए काँग्रेसी लोगों को उन्होंने अन्य लोगों के साथ सरकारी राहत कार्यों के साथ सहयोग करके पीड़ितों को अविलम्ब सहायया पहुँचाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मोतिहारी की जनता से उन्होंने कहा : "यह बात करने का समय नहीं। मैं आपको देखने और सहायता देने आया हूँ, बात करने नहीं। फिर भी दो बातें मैं आप से कहना चाहूँगा। पहली बात यह कि रिलीफ कमिटियों के पास पैसे हैं। उसे भिखारी या काम करनेवाले लेंगे। मैं भिखारी नहीं चाहता। यह भूकम्प यदि हमें संन्यासी बना दे तो यह बुरी बात होगी। सर्वथा अशक्त, पंगु अथवा कोई भी काम करने में असमर्थ लोग ही भिक्षा माँग सकते हैं। जो काम करने में समर्थ हैं, हट्ठे-कट्ठे हैं वे यदि बिना काम किये किसी से कुछ—भिक्षा—माँगते हैं तो गीता के शब्दों में वे चोर हैं।

१. तेन्दुलकर, पृष्ठ ३११।

दूसरी बात यह है कि यह दैवी आपदा है, हम उसे भगवान की देन के रूप में ही ग्रहण करें, तभी हम उसका अर्थ समझ सकेंगे। वह अर्थ क्या है? यही कि छुआछूत को हटाना ही है अर्थात् कोई भी अपने को दूसरे से ऊँचा नहीं समझे।

यदि हम ये दो बातें समझ लेते हैं तो यह भूकम्प हमारे लिये एक वरदान सिद्ध होगा। अभी हम इसे भयानक अभिशाप समझ रहे हैं। हमारे सामने जो विध्वस्त खेत तथा मलवों की ढेर लगी है उसे देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं। किन्तु मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस अभिशाप को वरदान बनाने को हमें बल दें।"[1]

विध्वस्त इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह घूमने और पीड़ित लोगों को सान्त्वना देने के उपरांत गाँधी जी की मंडली[2] छपरा पहुँची। छपरा में गाँधी जी ने २७ मार्च को ३० हजार से अधिक लोगों के सम्मुख भाषण किया। उन्होंने कहा : "आज हम पर एक भयानक विपत्ति आई है। इससे हम सभी हिन्दू-मुसलमान, ईसाई या अन्य लोग तथाकथित कुलीन या

---

१. वही, पृष्ठ ३१२।

२. मंडली में राजेन्द्र बाबू, मथुरा बाबू, श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती भागवती देवी (राजेन्द्र बाबू की बहन), श्रीमती किशुन देवी, श्री प्यारे लाल, श्री पृथ्वीराज, श्री देवराज (गाँधी जी के सचिव) थे। इनके अतिरिक्त मीरा बहन, कुमारी लॉस्टर और कुमारी अगाथा हैरिसन भी थीं।

कुमारी अगाथा उन दिनों भारत की स्थिति का अध्ययन करने के उद्देश्य से यहाँ आई हुई थीं। वह यंग विमेंस क्रिश्चियन ऐसोसियेशन की एक प्रमुख कार्यकर्त्ता थीं तथा लंदन के इण्डियन कंसिलियेशन ग्रूप की सचिव। कुछेक वर्ष पहले वे कुमारी वेरिल पावर की सहायिका के रूप में भारत आई थीं। कुमारी पावर उन दिनों रॉयल कमीशन ऑन लेबर (राजकीय श्रम आयोग) की एक सदस्या थीं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ स्वीजरलैंड-वासी शांतिवादी और सर्विस सिविल इण्टरनेशनल की स्वीजरलैंड शाखा के नेता श्री पियेरे सेरेसील मई (१९३४) में भूकम्पग्रस्त इलाकों में पुनर्निर्माण कार्य में सहायता देने के हेतु स्वयंसेवक श्रमिक दल का संगठन करने के लिये बिहार आए थे। प्रान्तीय सरकार ने अपने अधिकारियों को उनके संबंध में यह निदेश किया था, "भूकम्प से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये प्रान्त में क्या किया जा रहा है तथा अतीत में किसान के लिये क्या किया गया है इससे श्री सेरेसील को अवगत करावें।" उन्हें श्री सेरेसील की गतिविधि की रिपोर्ट भी देने को कहा गया था।

अकुलीन एक समान पीड़ित हुए हैं। यदि यह भयानक विपत्ति भी हमें कुल और वर्ण के गर्व से मुक्त नहीं करती और आदमी और आदमी के बीच के सभी मानवकृत भेदों को मिटा देने की प्रेरणा नहीं देती तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे समान अभागा कोई नहीं। ज्यों-ज्यों दिन बीतते हैं, मेरा यह विश्वास दृढ़तर होता जाता है कि मानव की बुद्धि भगवान के तरीकों को पूर्णतया समझने में अक्षम है। भगवान ने कुछ सोच समझ-कर ही मनुष्य की दृष्टि को परिसीमित कर दिया है और यह सही भी है अन्यथा आदमी के अभिमान की कोई सीमा नहीं रहती। किन्तु एक ओर जहाँ मैं यह विश्वास करता हूँ कि भगवान के तौर-तरीकों को मानव पूर्णतया नहीं समझ सकता मुझे इसमें दृढ़ विश्वास भी है कि बिना उसकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं गिरता और मैं यह भी मानता हूँ कि एक पत्ता भी गिरकर उसका कोई उद्देश्य पूरा करता है। यदि केवल हम में पर्याप्त विनम्रता हो तो हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि यह भूकम्प हमारे पापों का उपयुक्त प्रायश्चित था। इसका यह अर्थ नहीं कि हम किसी विशेष आपदा को, किसी विशेष मानवी क्रिया के साथ निश्चित रूप में संवद्ध कर सकते हैं। अक्सर हम अपने सबसे बड़े पाप के प्रति अचैतन्य रहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक प्राकृतिक आपदा हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करती है और उसे करना चाहिये। आज और भी अधिक हमें आत्मशुद्धि की आवश्यकता है। हम अच्छी तरह अपने हृदय को टटोलें और उसे स्वच्छ बनावें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यह भूकम्प भी, यदि इससे भारत अस्पृश्यता के कोढ़ से मुक्त हो सके, तो बहुत बड़ा मूल्य नहीं होगा।''[१]

११ और २७ मार्च के बीच एक दिन गाँधी जी राजेन्द्र बाबू के साथ दानापुर गये और वहाँ अनाथालय के अहाता में लगभग तीस हजार लोगों की एक सभा में भाषण किया। गाँधी जी ने अस्पृश्यता और सेवा कार्य पर मुख्यतः भाषण दिया और छात्रों से इस संकट काल में आगे आकर सहायता-कार्यों में हाथ बँटाने की अपील की।[२]

दानापुर के नागरिकों की ओर से गाँधी जी को एक अभिनन्दनपत्र दिया गया। वह ४०१ रुपया में बिका। यहाँ गाँधी जी ने कहा :

---

१. तेन्दुलकर, वही, खंड ३, पृष्ठ ३१३।
२ द इण्डियन नेशन, २८ मार्च, १९३४।

"यह दानापुर की मेरी दूसरी यात्रा है। अपने अभिनन्दनपत्र में आपने कहा है कि हाल के भूकम्पजन्य विध्वंस के कारण हरिजनोद्धार आन्दोलन पृष्ठभूमि में पड़ गया है। यह सही है। पटना में अपने भाषण में मैंने जो कुछ कहा था उसे यहाँ भी दुहराना चाहूँगा कि इस संसार में लगभग हर व्यक्ति ने कुछ खोया है, कुछ सहा है। फिर भी जनता इस भयानक आपदा को शीघ्र ही भूल जायगी। इस प्राचीन दुनिया के इतिहास में अनेक बार भूकम्प हुए हैं। हम उन्हें भूल गये हैं और उन्हें ऐतिहासिक घटनामात्र मानते हैं। कुछ काल के उपरांत इस भूकम्प के संबंध में भी ऐसा ही होगा, यह मैं मानता हूँ। किन्तु जबतक छुआछूत का कलंक बना हुआ है तबतक हमेशा उसके दर्शन की याद बनी रहती है। कुछ लोग अस्पृश्यता को अपना धर्म मानते हैं और समझते हैं कि यदि दूर हो जाती है तो उनके लिए यह एक तरह की भयानक बात होगी किन्तु यदि आप शांत चित्त से इसपर विचार करेंगे तो देखेंगे कि किसी भी तरह इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। जो अपने को सनातनी कहते हैं वे समझते हैं कि अस्पृश्यता के पक्ष में कोई दलील नहीं दी जा सकती और मैं सोचता हूँ कि सनातनियों में सबसे कट्टर वर्ग के ऐसे विचार हैं। इस भूकम्प के बाद हमें और अधिक विनम्र होना चाहिये क्योंकि मृत्यु अनिवार्य है। इसलिये जो इस आपदा से शोकाकुल हैं वे और भी विनम्र बनें। भगवान ने हमें इस रूप में चेतावनी दी है और यदि हम इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देते तो हमारे लिए और भी भयानक आपदायें होंगी। शास्त्र में कहा गया है कि कभी सम्पूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जायगा। यह नैसर्गिक सबक हमें और अधिक विनम्र बनावे तथा अस्पृश्यता के पाप से मुक्त होने की प्रेरणा दे। भूकम्प-पीड़ित लोगों की संख्या एक करोड़ से अधिक होगी किन्तु इस प्रान्त में अनेक दूसरे इस आपदा से बच गये हैं और उन्हें कुछ भी क्षति नहीं उठानी पड़ी है। अतः उन्हें अपने पीड़ित भाइयों के लिये अन्य प्रान्त के लोगों की तरह उदारतापूर्वक दान करना चाहिये। वास्तव में राहत अधिकोष में दान करना पड़ोसियों के रूप में परमपवित्र कर्त्तव्य है।

कल रिलिफ कमिटी के बजट पर विचार करते समय हमने देखा कि वह ४० लाख का था। फिर भी कई चीजें छूट गई थीं। आजतक कुल

एकत्र धनराशि २० लाख के लगभग की है। पीड़ितों को सहायता मिलनी ही चाहिये। आप उदारतापूर्वक दान करके इसमें हाथ बंटावें। एक अन्य बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा वह यह है कि बाहर से कार्यकर्त्ता मँगाने होंगे। मेरी दृष्टि में यह सही नहीं है। बिहारियों को स्वयं ही पर्याप्त कार्यकर्त्ता प्रस्तुत करना चाहिये। बाहर से उनकी सहायता के लिये ही वे कार्यकर्त्ता आमंत्रित करें।''

बिहार के छात्रों से साग्रह अपील करते हुए महात्मा जी ने कहा ''मुझे छात्रों से भी दो शब्द कहना है। उन्हें जिस प्रकार बद्धपरिकर होकर सामने आना चाहिये था, वे नहीं आये हैं। इससे मुझे दुख हुआ है। वास्तव में उनके इस पुनीत कार्य में सामूहिक रूप से भाग नहीं लेने का कोई कारण नहीं। हरिजन यात्रा में मुझे छात्रों के संपर्क के कई अवसर मिले थे। जो भी मानवीय कार्य उन्हें दिये जायँ उनमें उन्होंने अपना समय देने की इच्छा व्यक्त की। छात्र समुदाय सर्वत्र एक समान है। अतः मैं आशा करता हूँ कि अभी भी वे आगे आकर सहायता कार्यों में हाथ बँटाने के लिये राजेन्द्र बाबू को अपना नाम देंगे। कलकत्ता से कुछ छात्र अपना पढ़ना-लिखना छोड़कर इस काम में योगदान करने आये हैं।''

अब सहायता कार्य की समस्या के संबंध में : ''हम क्षतिग्रस्त लोगों की सहायता करने को कृतसंकल्प हैं, पर उन्हें भिक्षुक बनाने नहीं आये हैं। जो काम करेंगे, उन्हें उसका पारिश्रमिक मिलेगा। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ। मुझे जो थैला दिया गया है, उसमें, संभवतः यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने चंदा नहीं दिया है। अतः उनसे मैं यथाशक्ति देने की अपील करूँगा। आप जो धनराशि मुझे देंगे उसका आधा हरिजन कार्यों के लिये और आधा बिहार राहत कार्यों के लिये लगाया जायगा।'' सभास्थल पर २५२ रुपये एकत्र हुए।

सोनपुर स्टेशन पर गाँधी जी का भाषण :

छपरा से गाँधी जी मुजफ्फरपुर के लिये रवाना हुए (२८ मार्च)। हर स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उनका स्वागत करती। सोनपुर स्टेशन पर अपनी गाड़ी के डिब्बे से ही गाँधी जी ने भाषण में उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए कहा :

बिहार के इस भाग को क्या कुछ सहना पड़ा है इससे मैं अवगत हूँ। यहाँ के लोगों के दुःख-कष्ट की ओर सारी दुनिया की सहानुभूति तथा ध्यान गया है। वायसराय तथा राजेन्द्र बाबू की अपीलों पर लोगों ने उदारतापूर्वक धन दिया है फिर भी लोगों ने जो भयानक क्षति उठाई है, उसको पूरा करना असंभव है। पर क्षति की पूर्त्ति मात्र ही इस भयानक कहर का एक मात्र परिणाम नहीं होनी चाहिए। दान करनेवालों ने तो अपनी आत्मा का परितोष कर लिया। पर उन्हें प्राप्त करनेवाले भी क्या इतने ही से संतुष्ट हो जायेंगे? इस दैवी प्रकोप के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है? यदि आप और हम इस कहर से सबक नहीं लेते तो वह उपेक्षा इस कहर से भी भयानक होगी। कल रात्रि में मुझे कुछ डोमों ने एक प्रतिवेदन दिया कि गाँव के लोग उन्हें सार्वजनिक कुएँ से पानी नहीं लेने देते, अतः उन्हें पीने के जल का भारी कष्ट है। मैंने गाँव के मुखिया से यह कहा, उसने यदि शिकायत सही है, उपयुक्त कार्रवाई करने का मुझे आश्वासन दिया। भगवान का प्रकोप सभी को समान रूप से सहना पड़ा; कुलीन, अकुलीन, सवर्ण, अवर्ण, सभी को। क्या इससे हम यह सबक नहीं ले सकते कि किसी व्यक्ति को अस्पृश्य वा अपने से नीचा समझना अनुचित है। यदि एक भी डोम या किसी अन्य व्यक्ति को कुएँ से पानी नहीं लेने दिया गया तो १५ जनवरी की सबक हमने नहीं सीखी। मैं अभी आपकी परीक्षा लेना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ उपस्थित लोगों में अनेक लोग काफी गरीब होंगे, फिर भी एक-दो पैसे सभी दे सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आप मुझे अस्पृश्यता के पाप के प्रायश्चित तथा आप किसी को अपने से हीन नहीं समझेंगे इस संकल्प के रूप में चन्दा दें। आप इसी शर्त्त पर चन्दा[1] दें।

भाषण समाप्त होते ही गाड़ी खुलने तक लोग चंदा देते रहे। प्रत्येक स्टेशन पर यही दृश्य था।

मुजफ्फरपुर से गाँधी जी सीधे जूरनछपरा गए। वहाँ एक सभा में उन्होंने भाषण किया। यहाँ उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना की उपादेयता पर प्रकाश डाला तथा अस्पृश्यता निवारण पर बल दिया।[2] राहत अधिकोष के लिए चन्दा भी एकत्र किया। २९ मार्च को सबेरे वे सीतामढ़ी गए।

---

१. तेन्दुलकर, खंड-३ पृष्ठ ३९३-३९४।
२. इण्डियन नेशन, ३ अप्रिल, १९३४।

यहाँ भारी क्षति हुई थी। गाँधी आश्रम के अधिकांश कार्यकर्त्ता यहाँ काम कर रहे थे। यहाँ से वे दरभंगा गए। वहाँ जनता से आत्मशुद्धि के लिए अस्पृश्यता का कोढ़ दूर करने को उन्होंने भावभीनी अपील की। उन्होंने कहा कि भूकम्प प्रकृति की चेतावनी थी। उन्होंने कहा : "प्रकृति अपनी चेतावनी दे रही है, वज्र निर्घोष के स्वर[1] में।" ३१ मार्च को वे मधुवनी पहुँचे। वहाँ से राजनगर गए, वहाँ का विशाल राजभवन पूर्णतया ध्वस्त हो गया था। फिर वे भागलपुर की यात्रा करते रहे। सहरसा में ठहरे, वहाँ संध्या में लगभग एक लाख की भीड़ के सम्मुख भाषण किया।

बीहपुर से होते हुए यह मंडली २ अप्रिल की सुबह में भागलपुर पहुँची। यहाँ उन्होंने यह भाषण दिया :

"मैं पिछले कुछ दिनों से बिहार की यात्रा कर रहा हूँ। कल संध्या में यह यात्रा समाप्त हो जायगी। मैं जहाँ कहीं गया भयानक विध्वंस देखा। आपने क्या देखा होगा उसकी कल्पना मात्र कर सकता हूँ। हजारों-हजार मकान क्षण भर में भूमिसात् हो गए, जमीन फट गई, पानी निकलने लगा। भागलपुर में क्या हुआ यह मैं नहीं कह सकता।

केन्द्रीय रिलीफ कमिटी तथा सरकार आपका कष्ट दूर करने को यथा-संभव प्रयत्न कर रही है। पर सहायता उन्हीं के लिए है जिन्होंने वास्तव में क्षति उठायी है। गीता में कहा गया है कि बिना काम किये खाना चोरी है। यदि सरकार से धन आता है तो हमें भी बैठे नहीं रहना चाहिए। सहायता उन्हीं को मिलनी चाहिए जिन्हें वास्तव में उसकी जरूरत है। दरभंगा महाराज या दीप बाबू को क्या सहायता दी जा सकती है ? सभी लोगों को सहायता देना संभव नहीं। मध्यवित्त वर्ग के लोगों की शिकायत मिली है, पर केन्द्रीय रिलीफ कमिटी में इस वर्ग के लोग हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मध्यवित्त वर्ग के लोग अपना वर्ग-स्थान भूलकर आप-लोगों के समान अपने को समझें। सभी मनुष्य हैं, भगवान सभी के लिए एक है। भेदभाव पशुओं में ही होता है। केन्द्रीय रिलीफ कमिटी ने भेद-भाव भुला दिया है, किन्तु मध्यवित्त वर्ग को भी सहायता मिलनी चाहिए। भूखे, प्यासे, गृहहीन लोगों में किसे सर्वप्रथम सहायता मिलनी चाहिए। सर्व-

---

१. तेन्दुलकर, खण्ड-३, पृष्ठ ३१५।

प्रथम प्यासे की प्यास बुझानी चाहिए। सर्वप्रथम आदमी तथा मवेशियों की प्यास बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। तदुपरांत भूखे को अन्न, वस्त्रहीन को कपड़ा तथा अंत में गृह-निर्माण। हम चार महीनों या एक वर्ष में भूकम्प को भूल जायेंगे। मैं जब भी आऊँगा, आप मुझे चन्दा देंगे। आज भी आप मुझे चन्दा दे रहे हैं। बीहपुर के लोगों ने चन्दा दिया है। मैंने उन्हें कहा कि यदि वे अस्पृश्यता को पाप समझते हों तो मुझे चन्दा दें फिर भी उन्होंने मुझे चन्दा दिया। महिलाओं ने भी मेरा चरणस्पर्श करते हुए चंदा दिया। आप अपने को पवित्र करें। अस्पृश्यता सामाजिक पाप है। जन्मकाल में कोई अछूत नहीं होता। यदि आप अपना दुख दूर करना चाहते हैं तो अस्पृश्यता दूर करें। इस काम में रिलीफ कमिटी या वाइसराय का अधिकोष आपकी सहायता नहीं कर सकता। मुझे इतना ही कहना है।''

तीन अप्रिल को गाँधी जी मुंगेर में थे। भूकम्प में यहाँ जान-माल की अपरिमेय क्षति हुई थी (लगभग १०,००० लोग हताहत हुए थे); लगभग २,००० घर या तो गिर गए थे अथवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे। मुंगेर से गाँधी जी ने पटना जिले के कई स्थानों की यात्रा की—मोकामा, पण्डारक, बाढ़, बख्तियारपुर (४ अप्रिल)। रास्ते में बड़ही में कुछ सनातनियों ने उन्हें काले झंडे दिखलाये। गाँधी जी ने उन्हें तुलसीदास की यह उक्ति याद रखने को कहा :

''दया धरम को मूल है, मूल पाप अभिमान''

कहना नहीं होगा, कि गाँधी जी जहाँ भी रुकते, हजारों की भीड़ उनके दर्शनों के लिए एकत्र रहती, वे उन्हें भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए मुक्तहस्त से दान करने की अपील करते।

पुनर्निर्माण कार्य के संदर्भ में गाँधी जी हर किसी के साथ सहयोग करने पर बल देते। केन्द्रीय रिलीफ कमिटी की एक बैठक में अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने कहा : ''यह कमिटी बिहार के लोगों की इस चरम संकट की घड़ी में राहत पहुँचाने के कार्य में सरकार को सादर अपना सहयोग प्रदान करना चाहती है।'' कतिपय भूकम्प से ध्वस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था सर्वप्रथम करनी थी। राजेन्द्र बाबू ने एक वक्तव्य में कहा : ''महात्मा गाँधी के साथ क्षतिग्रस्त इलाकों की यात्रा के दौरान हमने देखा है कि सारन तथा मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों के लोगों एवम् उनके मवेशियों के

लिए पेयजल की समस्या सबसे भीषण है। केन्द्रीय रिलीफ कमिटी के कार्यकर्त्ताओं को योजनानुसार नलकूपों की व्यवस्था करने तथा तालाब खुदवाने पर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए जिसमें दो महीनों के भीतर समस्त प्रभावित इलाकों में कुओं तथा तालाबों की व्यवस्था हो जाय। काम योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए, प्रत्येक गाँव में कम-से-कम एक कुआँ अवश्य होना चाहिए। गाँववालों को समझा-बुझा कर हरिजनों को भी उसमें पानी लेने देने को राजी कराने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किन्तु जहाँ यह संभव नहीं हो, वहाँ हरिजनों में लिए पृथक् कुआँ की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पुण्य कार्य में ग्रामीण लोग श्रमदान करें, बेरोजगार गरीब लोगों को मजदूरी पर कुएँ एवं तालाब खुदवाने के काम में लगाया जाना चाहिए।''[१] स्थानीय जनता के सहयोग से रिलीफ कमिटी ने तीन महीनों में लगभग २५,००० कुएँ या तो खुदवाये अथवा उड़हवा कर पेय जल की व्यवस्था करायी।

बिहार में गाँधी जी की हरिजन यात्रा पुनः आरंभ :

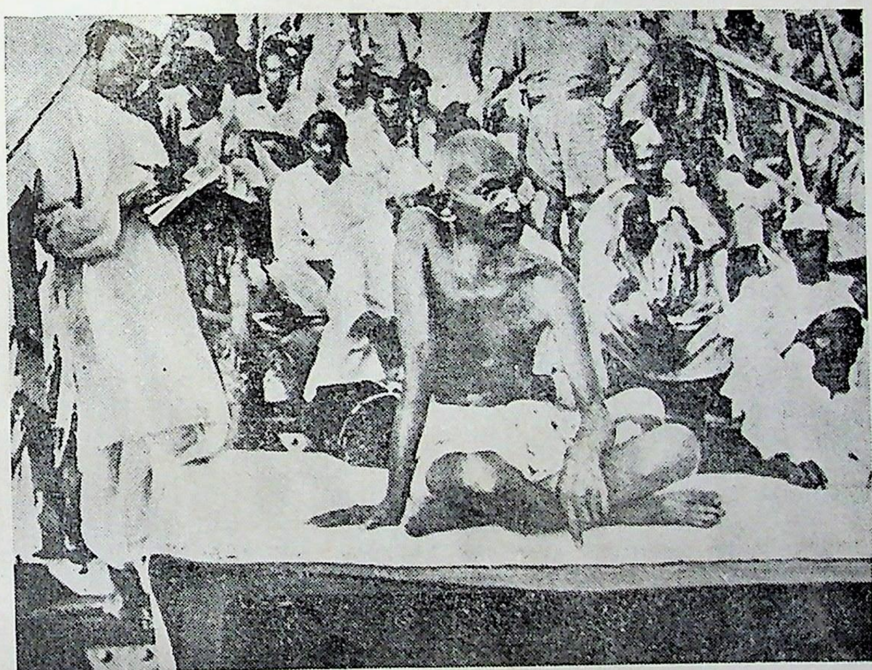
महात्मा गाँधी की इस बार की यात्रा की अवधि दो महीनों से अधिक की रही। उन्होंने प्रान्त के अनेक भागों की यात्रा की। इस बीच १० अप्रिल से २४ अप्रिल तक उन्होंने आसाम की यात्रा की। २४ अप्रिल को वे पटना लौटे और हरिजन यात्रा पुनः शुरू की।

२५ अप्रिल को गाँधी जी रेल द्वारा कुलहरिया पहुँचे, वहाँ से बाबू राधामोहन सिंह एम० एल० सी० के आमंत्रण पर वे जमरिया गए और जमरिया से आरा। आरा के रमना मैदान में ६/१५ सबेरे लगभग १०,००० लोगों की सभा में उन्होंने भाषण किया। इसमें कुछ नेता भी उपस्थित थे। सभा में हरिजन बालकों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया तथा गाँधी जी को माला पहनायी। आरा नगरपालिका के चेयरमैन चौधरी शराफत हुसैन, एम० एल० सी० ने खादी के रूमाल पर हिंदी और उर्दू में लिखित अभिनंदन पत्र नगरपालिका की ओर से उन्हें प्रदान किया।[२]

---

१. द इण्डियन नेशन, ४ अप्रिल १९३४।

२. द्रष्टव्य, परिशिष्ट १५।



हाजीपुर में हरिजन-उत्थान यात्रा आरम्भ करने पूर्व श्री राजेन्द्र प्रसाद के साथ महात्मा गांधी (१९३४)



आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष राजा राधिकारमण प्रसाद सिन्हा, बाबू शत्रुंजय प्रसाद सिंह तथा बाबू भगत प्रसाद ने उन्हें ५००/-, ५१/-तथा ४८७/२/- के थैले प्रदान किये। कुछ स्थानीय व्यापारियों एवं अन्य लोगों ने भी उन्हें हरिजन कार्य के लिए थैले प्रदान किये। गाँधी जी आरा से बक्सर गए (२५ अप्रिल)। यहाँ एक स्थानीय वकील बाबू जगदेव राय के घर कुछ काल तक विश्राम किया। चार बजे संध्या में किला के समीप एक सार्वजनिक सभा में भाषण किया। यहाँ भी हरिजन-कार्य के लिए उन्हें थैला भेंट किया गया। आरा तथा बक्सर में सनातनियों ने रास्ते में तथा सभाओं में कुछ गड़बड़ी करने के प्रयत्न किए तथा काले झंडे भी दिखलाये। किन्तु गाँधी जी अकेले ही बक्सर के सभास्थल में पैदल पहुँच गए। गाँधी जी का बक्सर का भाषण एक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार था :

''भाइयो और बहनो, आप सभी शांति के साथ बैठे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं आजकल कुछ दुर्बल हो रहा हूँ, फिर भी मै जोर से बोलने का प्रयत्न करूँगा। आप यह भी जानते हैं कि इस स्थिति में रहने पर भी सभा में आने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि कोई झगड़ा करता है तो उसपर मेरा वश नहीं, किन्तु उससे मुझे कष्ट होता है। कम-से-कम मेरे एक बंधु को मोटरगाड़ी से धक्का लग गया था, मुझे इसका दुःख है।

यदि कोई स्वयंसेवक किसी सनातनी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो मैं अपने को रोक नहीं सकूँगा। मैं जानता हूँ सनातनी लोग मेरी मोटरगाड़ी को रोकने का प्रयास करेंगे, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, फलतः मैं पैदल चलूँगा। पर भगवान मेरी सहायता करेंगे यह कोई नहीं जानता। यदि कोई भाई मेरी हत्या करना चाहता है, तो वह सफल नहीं होगा। मैं ६५ वर्ष का हो चुका हूँ, ऐसे अवसर और भी कई बार आए हैं। किन्तु भगवान ने मेरी रक्षा की। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि कोई सनातनी यहाँ हो, और मेरा सिर भी उसके हाथों में हो तब भी वह मुझे हानि नहीं पहुँचा सकता।

यदि मैं किसी काम को धार्मिक समझता हूँ तो उसे छोड़ कैसे सकता। मैं भी अपने को सनातनी मानता हूँ तथा भगवान ने जो बुद्धि मुझे दी

है उसके अनुसार काम करता हूँ। मैंने सनातनियों से कहा है कि वे मेरी गाड़ी को नहीं रोकें, या ऐसा कोई काम नहीं करें। किसी भी आदमी को नीच समझना पाप है, यह मेरा विश्वास है। भगवान ने सभी को एक समान बनाया है। तुलसीदास तथा कई अन्य संत अपने को नीचातिनीच समझते थे। यदि कोई व्यक्ति यह सब नहीं समझता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो अपने को आदमी कहता है, यह अच्छा नहीं। हरिजनों को भी उनके मंदिरों में जाने का अधिकार है। मैं आपके विचारों को स्वच्छ करना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से आपसे सभी बातें स्पष्ट की हैं।"

गाँधी जी २५ अप्रिल को बक्सर से चल कर २६ के सबेरे जैसीडीह पहुँचे। यहाँ भी सनातनियों ने कुछ बाधा डालना चाहा। उनकी गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। गाँधी जी गाड़ी से उतर पड़े तथा सनातनियों के बीच से होकर लगभग एक मील पैदल चले। देवघर में विरोधी प्रदर्शन हुए। गाँधी जी ने "प्रदर्शन के तरीके" के लिए खेद प्रकट किया और प्रदर्शनकारियों की भावना एवं बुद्धि को अपील की। अप्रिल अंत में वे चार दिनों तक राँची रहे, यहाँ वे काफी व्यस्त रहे। तदुपरांत वे उड़ीसा चले गए। कुछेक दिन उड़ीसा में बिता कर वे फिर बिहार वापस आये, १८-१९ मई को पटना में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की बैठक में भाग लिया। पटना से वे फिर उड़ीसा गए तथा अपनी अधूरी हरिजन-यात्रा समाप्त की।

सविनय अवज्ञा स्थगित, काँग्रेस की नीति का नव दिशा-निदेशन :

गाँधी जी की १९३४ की बिहार यात्रा मानवीय कार्य तथा सामाजिक सुधार के अतिरिक्त राजनैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। इस समय तक अधिकांश काँग्रेसी नेता जेलों से रिहा हो चुके थे। चार वर्षों के कठिन संघर्ष के अनुभव ने देश को विश्रांत-सा कर रखा था। पटना में काँग्रेस की नीति का नवदिशा निदेश करने का निर्णय लिया गया। इसके पूर्व १-२ अप्रिल (१९३४) को दिल्ली में डॉ० अन्सारी के निवास पर काँग्रेसी नेताओं की एक बैठक में यह तय किया गया था कि अखिल भारतीय

स्वराज पार्टी को पुनरुज्जीवित किया जाय तथा आसन्न नये संविधान के अंतर्गत आम निर्वाचन में भाग लिया जाय। ४ अप्रिल को डॉ० अन्सारी, श्री भूलाभाई देसाई, और डॉ० विधानचन्द्र राय ने पटना आकर गाँधी जी के समक्ष उनकी सहमति के हेतु यह प्रस्तावना रखी। ५ अप्रिल को गाँधी जी ने डॉ० अन्सारी को निम्नलिखित उत्तर भेजा :

"श्री भूलाभाई, डॉ० विधान और आप कुछ काँग्रेस जनों की अनौपचारिक बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों पर मेरी सम्मति लेने को पटना आये, यह आपकी सदाशयता का प्रमाण है। स्वराज्य पार्टी को पुनरुज्जीवित किया जाय, इसमें कोई आपत्ति नहीं, असेम्बली (जो आपके कथनानुसार विघटित होनेवाली है) के अगले निर्वाचन में भाग लेने का आपका निर्णय भी ठीक ही है।

वर्त्तमान स्थिति में विधान मंडलों की उपयोगिता के संबंध में मेरे विचार से सभी अवगत हैं। सामान्यतः वे आज भी वही हैं जो १९२० में थे। किन्तु मैं महसूस करता हूँ कि ऐसे सभी काँग्रेसी जो किसी कारणवश सविनय अवज्ञा में भाग नहीं लेना चाहते हों, अथवा नहीं ले सकते हों तथा धारा सभाओं में प्रवेश में जिनकी आस्था हो, उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि देश के हित में वे जो भी कार्यक्रम अच्छा तथा उपयुक्त समझें, उस पर अमल करें। इसके लिये वे धारा सभाओं में प्रवेश कर सकते हैं तथा वहाँ दल बना कर देशहित में काम कर सकते हैं। अपनी उपर्युक्त मान्यता के अनुसार मैं पार्टी की सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहूँगा, तथा मुझसे जो भी सहायता बन पड़ेगी उसे प्रदान करने को तैयार रहूँगा।"

उस काल में सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित करने के संदर्भ में गाँधी जी ने एक वक्तव्य में अपने विचार स्पष्ट किये।[1] यह वक्तव्य उन्होंने २ अप्रिल को सहरसा में तैयार किया था तथा ७ अप्रिल को पटना से उसे जारी किया गया था।[2] वक्तव्य में उन्होंने कहा था : "आश्रमवासियों से बातचीत के सिलसिले में आत्मनिरीक्षण के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि काँग्रेसजनों से कहूँ कि वे स्वराज हासिल करने के हेतु अस्त्र के रूप में

---

१. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद—आत्मकथा, पृष्ठ ४०२।

२. परिशिष्ट—१६

सविनय अवज्ञा स्थगित कर दें। विशेष समस्याओं वा शिकायतें दूर करने के उद्देश्य से सविनय अवज्ञा का उपयोग करने की बात दूसरी है। सविनय अवज्ञा मेरे लिये छोड़ दें। मेरे जीवन काल में, दूसरे लोग मेरे निदेशन में ही इसे फिर आरम्भ करेंगे, जब तक कि मुझसे अधिक इसका कोई अन्य जानकार नहीं उदित हो। सत्याग्रह के उद्भावक तथा प्रशिक्षक के रूप में मैं यह राय दे रहा हूँ। फलतः अब से मेरे परामर्श के अन्तर्गत ऐसे सभी लोग जिन्होंने स्वराज्य के लिये सत्याग्रह का मार्ग अपनाया है, कृपया उससे अलग रहेंगे।"

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की बैठक

पटना, मई, १६३४

काँग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन :

२ तथा ३ मार्च को रांची में गाँधी जी ने काँग्रेसी नेताओं के साथ उपर्युक्त वक्तव्य पर विचार-विमर्श किया। पटना की १८-१९ मई की बैठक में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी ने इस विषय पर निर्णय लिया। गाँधी जी के वक्तव्य पर विचार-विमर्श करने के उपरांत तत्काल के लिये सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित करने की उनकी अनुशंसा स्वीकार कर ली गयी। तदुपरांत गाँधी जी ने स्वयं धारा सभाओं में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गये। आचार्य नरेन्द्रदेव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सदस्यों के एक दल ने प्रस्ताव का प्रबल विरोध किया। किन्तु गाँधी जी के जवाब देने पर संशोधन या तो गिर गये अथवा वापस ले लिये गए। मूल प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। प्रस्ताव निम्नलिखित था :

काँग्रेस के अन्तर्गत बहुत लोग, देश को आजादी के लक्ष्य तक पहुँचाने के हेतु धारा सभाओं के प्रवेश की आवश्यकता महसूस करते हैं, अतः अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (इसके लिये) एक अभिषद की स्थापना करने का निर्णय लेती है। इसके अध्यक्ष डॉ० अन्सारी होंगे, संप्रति इसके अन्य सदस्य पं० मदनमोहन मालवीय होंगे। अभिषद में अधिक-से-अधिक २५ सदस्य होंगे। इसे काँग्रेस संसदीय बोर्ड कहा जायगा।

अभिषद काँग्रेस की ओर से विधान मंडलों के लिये निर्वाचन का काम करेगी तथा निर्वाचित सदस्यों पर नियंत्रण रखेगी। अभिषद अपने काम

के लिये धन संग्रह करेगी, उसकी व्यवस्था करेगी तथा उससे आवश्यक व्यय करेगी।

अभिषद अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के नियंत्रण में काम करेगी। वह अपना संविधान, अधिनियम तथा नियमावली स्वयं बनायेगी, किन्तु उन्हें काँग्रेस कार्यकारिणी के समक्ष सहमति के हेतु प्रस्तुत करना होगा। सहमति मिलने तक वा उसके विचाराधीन काल में ये सब लागू रहेंगे। अभिषद अपना काम स्वयं निदेशित करेगी।

अभिषद केवल वैसे व्यक्तियों को ही अपना उम्मीदवार मनोनीत करेगी जो विधान मंडलों में समय-समय पर निर्धारित काँग्रेस की नीति का अनुपालन तथा कार्यान्वयन करने को कृतसंकल्प होंगे।''

काँग्रेस कार्यकारिणी की बैठक १८ से २० मई (१९३४) तक पटने में रमना रोड पर स्थित पीली कोठी में हुई। इसमें सविनय अवज्ञा स्थगित करने के अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के ''प्रस्ताव को निष्ठा के साथ मानने का'' सभी काँग्रेस जनों से आग्रह किया गया। अन्य प्रस्तावों में सभी काँग्रेस जनों से ''काँग्रेस के सामान्य काम चलाते रहने के उद्देश्य से सभी काँग्रेस कमिटियों का पुनर्गठन करने'' तथा सभी काँग्रेस संगठनों से ''३१ अगस्त १९३४ तक सदस्य बनने तथा विभिन्न कमिटियों का निर्वाचन पूरा कर लेने'' को कहा। इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी ने विभिन्न प्रान्तों के लिए अपनी तरफ से पूर्ण प्राधिकार के साथ प्रमुख काँग्रेस नेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में काँग्रेस कमिटियों का पुनर्गठन करने का भार दिया। बिहार में यह काम राजेन्द्र बाबू को दिया गया था।

काँग्रेस समाजवादी दल की स्थापना (१७ मई, १९३४) :

समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में १७ मई, १९३४ को हुआ। इसमें काँग्रेस के अन्तर्गत एक काँग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई।[1] इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर

---

१. डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, ''आत्मकथा,'' पृष्ठ ४०३, पट्टाभी सीतारमैया, ''हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल काँग्रेस,'' खण्ड—१, पृ० ५७३।

अनुसरण करते हुए बिहार-उड़ीसा सकार ने अपनी ४ जनवरी, १९३२ की अधिसूचना को, जिसमें "सविनय अवज्ञा के सिलसिले में संस्थाओं तथा संगठनों को गैर-कानूनी संस्था घोषित किया गया था," ९ जून, १९३४ को एक अन्य अधिसूचना जारी करके रद्द कर दिया। उस समय तक जो काँग्रेस आश्रम तथा अन्य भवन सरकार के कब्जे में थे उन्हें भी मुक्त कर देने का निर्णय किया। ब्रितानी सरकार ने अपने जिलाधिकारियों को इस आशय का आदेश भी दिया कि "यदि भविष्य में कोई संस्था या संगठन हिंसात्मक कार्यों आदि को प्रोत्साहन देता है तो उससे १९०८ के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत यदि और अधिक अधिसूचना जारी नहीं भी की जाय तौभी कार्रवाई की जा सकती थी।

रचनात्मक कार्यों को गतिशील करने का काँग्रेस कार्यकारिणी का परामर्श :

काँग्रेस पर से प्रतिबन्ध हटा लिए जाने पर कार्यकारिणी की एक बैठक वार्धा में १२-१३ जून, १९३४ को सम्पन्न हुई। इसमें काँग्रेसकर्मियों को अपने-अपने इलाके में काँग्रेस की शाखा कमिटियों का जल्दी पुनर्गठन करने तथा काँग्रेसजनों को रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त करने को कहा। मुख्यतः खादी उत्पादन, अस्पृश्यता निवारण, साम्प्रदायिक एकता, नशाबन्दी, राष्ट्रीय पद्धति की शिक्षा, उपयोगी लघु उद्योगों का विकास एवं सम्वर्द्धन, ग्राम पुनर्निर्माण, वयस्क ग्रामीण लोगों को उपयोगी बातें बताना और उद्योग श्रमजीवियों का संगठन आदि, कार्यों पर ध्यान देना था। काँग्रेस कार्यकारिणी ने राजेन्द्र बाबू के बड़े भाई स्वर्गीय बाबू महेन्द्र प्रसाद के निधन पर गहरी सहानुभूति एवं संवेदना का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया। संवेदना प्रस्ताव में कहा गया था कि "स्वर्गीय बाबू महेन्द्र प्रसाद के असीम स्नेह के कारण ही श्री राजेन्द्र प्रसाद के लिए राष्ट्र के काम में अपने को उत्सर्ग कर देना संभव हुआ। स्वर्गीय महेन्द्र बाबू स्वयं एक उच्च कोटि के जनता के सेवक एवं मानव-प्रेमी थे।" अन्य प्रस्तावों में कहा गया था कि कुछ काँग्रेसीजनों के मन में यह शंका हो रही थी कि काँग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता के "लक्ष्य का अलक्षित रूप में क्षरण हो रहा था।" कार्यकारिणी ने

इस शंका को दूर करने के लिए ९ और ११ सितम्बर (१९३४) को वार्धा में एक अन्य बैठक में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य में पुनः अपनी आस्था दुहराई। कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव में कहा गया था कि पूर्ण स्वराज के अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ सेना तथा सुरक्षा-व्यवस्था, परराष्ट्र सम्बन्ध, वाणिज्य-व्यापार एवं वित्तीय तथा आर्थिक नीति पर पूर्ण राष्ट्रीय नियंत्रण आवश्यक था।

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का ४८वां अधिवेशन बम्बई में अक्टूबर में होनेवाला था। पटना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाबू राजेन्द्र प्रसाद सर्वसम्मति से इसके अध्यक्ष चुने गए थे। किन्तु इस बीच गाँधी जी ने १७ सितम्बर को वार्धागंज से जारी किए गए एक विस्तृत वक्तव्य में काँग्रेस की राजनीतिक गतिविधि से अवकाश ग्रहण करने की अपनी आकांक्षा की घोषणा कर दी थी। इस सम्बन्ध में उनका अन्तिम निर्णय काँग्रेस की आगामी बैठक में लिया जायगा, यह भी कहा गया था।

विधान सभा के लिए आम निर्वाचन :

बिहार में काँग्रेस कार्यकर्त्ता आगामी चुनावों के हेतु काँग्रेसी प्रत्याशियों के समर्थन के लिए उत्साहपूर्वक सदस्य बना रहे थे। पटना-शाहाबाद निर्वाचन मण्डल से हिन्दू महासभा की ओर से श्री नारायण लाल को प्रत्याशी खड़ा किया गया था। काँग्रेस श्री अनुग्रह नारायण सिंह का समर्थन कर रही थी : एक अन्य प्रत्याशी श्री गौरीशंकर डालमिया थे। इनका सम्बन्ध बिहटा चीनी मिल से था। गया-मुँगेर निर्वाचन मण्डल से काँग्रेसी प्रत्याशी श्री श्रीकृष्ण सिंह थे। काँग्रेस की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल और हिन्दू महासभा की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय बिहार का दौरा कर रहे थे।

नवम्बर में आम निर्वाचन के लिए मतदान कार्य निष्पन्न हुआ। काँग्रेस की ओर से खड़ा किए गए ४४ प्रत्याशी विजयी हुए। युक्त प्रान्त, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मद्रास की तरह बिहार में हर आम निर्वाचन क्षेत्र में काँग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए। बाबू दीप नारायण सिंह की मृत्यु के कारण एक अन्य काँग्रेस प्रत्याशी को वह जगह दी गई।

काँग्रेस कार्यकारिणी द्वारा श्वेतपत्र को असंतोषजनक कह कर उसकी आलोचना :

नवीन संविधान के संदर्भ में काँग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक जून १९३४ में की गई। इस श्वेतपत्र की कड़ी भर्त्सना की गई। श्वेतपत्र भारत की जनता की आकांक्षाओं को किसी भी तरह व्यक्त नहीं करता था एवं काँग्रेस के लक्ष्य से बहुत दूर था। कार्यकारिणी ने यह घोषणा की कि श्वेतपत्र का एकमात्र विफल्प संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान ही हो सकता था। ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमिटी की रिपोर्ट नवम्बर के तीसरे सप्ताह में प्रकाशित होने के बाद कार्यकारिणी का यह अभिमत और अधिक जोर देकर व्यक्त किया गया। ५ से ७ दिसम्बर, १९३४ को पटना में कार्यकारिणी की फिर बैठक हुई। इसमें यह बताया गया कि "ज्वायण्ट पार्लियामेंटरी कमिटी की रिपोर्ट में जो प्रस्ताव किए गए थे वे कुछ बातों में श्वेतपत्र के प्रस्तावों से भी बुरे थे।" "भारत के हर विचारधारा के लोगों ने उन्हें प्रतिक्रियावादी एवं अस्वीकरणीय कहा था।" कार्यकारिणी के विचार में ज्वायण्ट पार्लियामेंटरी कमिटी की योजना "इस उद्देश्य से बनाई गई थी जिसमें एक व्ययसाध्य मुखौटे के अन्तर्गत देश पर विदेशी शोषण एवं आधिपत्य को चिरस्थायी बनाए रखा जाय। वर्तमान संविधान की अपेक्षा वह और अधिक हानिकारक एवं ख़तरनाक थी।" राष्ट्र अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्तमान संविधान के अन्तर्गत संघर्ष करना अधिक उपयुक्त समझेगा यद्यपि वर्तमान संविधान "अपमानजनक एवं अस्वीकरणीय था" फिर भी संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान प्राप्त करने तक इसी के अन्तर्गत रहना चाहेगा। कार्यकारिणी ने विधान सभा के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे सुधार के नाम पर भारत पर लादी गई योजना को ठुकरा दें एवं राष्ट्र से अपील की कि "पूर्ण स्वेच्छा से राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने के हेतु काँग्रेस के हर कदम को समर्थन प्रदान करें।"

इसके साथ ही तात्कालिक कार्यक्रम के संदर्भ में कार्यकारिणी ने सभी काँग्रेस संघटनों एवं काँग्रेस जनों से आगामी तीन महीनों तक निम्नलिखित कार्यक्रम पर अपना ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह किया :

(क) नये संविधान के अन्तर्गत काँग्रेस कमिटियों का संगठन करना तथा काँग्रेस का सदस्य बनाना।

(ख) अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ के तत्वावधान में ग्राम उद्योगों के पुनर्स्थापन की सहायता के उद्देश्य से उपयुक्त जानकारी एकत्र करना। इस संघ की स्थापना बम्बई कांग्रेस द्वारा प्राधिकृत कर दी गई थी।

बिहार में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने इस तात्कालिक कार्यक्रम पर भी उपयुक्त ध्यान दिया। इस सिलसिले में श्री अब्दुल बारी १९ दिसम्बर (१९३४) को ग्राम उद्योग संघ का केन्द्र स्थापित करने के हेतु सासाराम गये।[1]

भारत के राष्ट्रीय इतिहास में दो नये तत्व—

किसान आन्दोलन और क्रान्तिकारी राष्ट्रीयतावाद :

१९३४ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अन्त और दूसरे का आरंभ था। नये युग की हलचलों का पुनर्निरीक्षण आरम्भ करने के पूर्व देश के राष्ट्रीय इतिहास में दो अन्य तत्व के क्रिया-कलापों को समझना आवश्यक है। इस काल के अन्य तत्व सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं समाज सुधार के हेतु जेहाद का विवरण पहले दिया जा चुका है। ये दो नये तत्व किसान आन्दोलन एवं क्रान्तिकारी राष्ट्रीयतावाद थे।

इस युग का किसान आन्दोलन एक हृदयहीन भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत दलित एवं शोषित भारतीय किसानों की युगों से संचित दुःख-गाथा का परिणाम था। उस भूमि-व्यवस्था में अनेक तरह की बुराइयां भर गई थीं। आयरलैण्ड के अकाल के कुछ काल पूर्व डिजरेयली ने कहा था कि "आयरलैण्ड में भूखों मरती जनता, अनुपस्थित जमीन्दार और विदेशी चर्च" थे। उन्नीसवीं सदी के एक अंगरेज सरकार के प्रलेख में कहा गया था : आयरलैण्ड का किसान यूरोप के सबसे गरीब, अन्न, वस्त्र एवं गृह विहीन लोगों में था। उसके पास कोई ऐसी पूंजी नहीं जिसपर वह बुरे दिनों में आश्रय ले सके। वह बर्तमान में ही जीता है।" आयरलैण्ड के लोगों की दुरवस्था के हेतु अनुपस्थित जमीन्दार बहुत कुछ जिम्मेवार थे। आयरलैण्ड के विषय में उन्नीसवीं सदी में जो कुछ कहा गया था वह बहुत अंशों में भारत के लिए सत्य था। विदेशी आधिपत्य स्वयं ही एक बहुत बड़ा अभिशाप था।

---

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २६ दिसम्बर, १९३४।

जमीन्दारी व्यवस्था जो उसकी संतान थी किसानों की घोर दुरवस्था का मूल स्रोत थी। किसान मूक पशुओं की तरह खेतों में परिश्रम करते थे, अन्न उपजाते थे। उनका लाभ जमीन्दार अधिपतियों की जेब भरता था। अधिकतर जमीन्दार नगरों में ऐशो-आराम की जिन्दगी बिताते थे।

भारतीय किसानों की दयनीय अवस्था :

भारतीय किसान एक विषम भूमि-व्यवस्था की विभिन्न प्रकार की बुराइयों का मूल शिकार युगों से बना हुआ था तथा दुःख, दैन्य एवं निःसहायता की जिन्दगी बिता रहा था। किन्तु १९२९-३० की विश्व व्यापक मन्दी के पदचिह्नों पर जब वस्तुओं के मूल्य में भारी ह्रास होना शुरू हुआ तो उसके दुःखों की सीमा नहीं रही। भारतीय कृषक की क्रयशक्ति में भारी कमी हुई[1] क्योंकि वह अनाज बेचता था, अन्न और कपास पैदा करता था, इन सभी के मूल्यों में विश्व भर के बाजारों में भारी गिरावट हुई थी। भारत जैसे कृषिप्रधान देश पर इसका घातक संघात पड़ना अनिवार्य था किन्तु उसे पहले वाली दर से मालगुजारी एवं अन्य कर चुकाने होते थे। स्वभावतः उसकी ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई।[2]

अर्थसंकट के पदचिह्नों पर विश्व भर में फैली राजनीतिक उथल-पुथल भी हो रही थी। जर्मनी में नात्सीवाद का जोर बढ़ा। इसका प्रभाव फ्रांस पर भी पड़ा। वहाँ मंत्रिमण्डलों का जल्दी-जल्दी परिवर्त्तन होने लगा। इंगलैण्ड में संवैधानिक संकट उपस्थित हुआ। दक्षिण अफ्रिका में क्रान्ति संक्रामक रोग की तरह होने लगी। १९३० में जापान के मंचुरिया अभियान के मूल में कुछ अंशों तक इसके संघात काम करते थे। डॉ० टोयानबी की

---

१. बर्मा, बंगाल, बिहार-उड़ीसा, युक्त प्रान्त, पंजाब, बम्बई, मध्य प्रदेश और बेरार तथा मद्रास—इन आठ प्रान्तों को एक साथ लेने पर उल्लेखनीय है कि १९३३-३४ में १९२८-२९ की अपेक्षा कृषि उत्पादनों के मूल्य में ५३६ प्रतिशत की गिरावट हुई थी। इसी अवधि में इन प्रान्तों की मुख्य फसलों के कुल उत्पादन का मूल्य १०२१ करोड़ से घटकर ४७४ करोड़ हो गया था।

२. प्रान्तीय बैंकिंग इनक्वायरी कमिटी के अनुमान के अनुसार १९२९-तथा १९३० में बर्मा सहित भारत की कृषि ऋणग्रस्तता ८६० करोड़ रुपया थी।

इस संदर्भ में यह डॉ० टोयानबी की महत्वपूर्ण उक्ति ज्ञातव्य है—"विश्वव्यापी मंदी द्वारा आलोड़ित जापान सेना के नेतृत्व में वाणिज्य प्रसार की नीति त्याग कर सैनिक दिग्विजय की नीति पर चल पड़ा—।"[1]

बिहार में किसान आन्दोलन का प्रारंभिक इतिहास :

युक्त प्रान्त[2] की तरह बिहार में भी बहुमुखी शक्तियाँ भूखी जनता को भूखमरी से बचाने के हेतु कृषक आन्दोलन का उद्भव कर रही थीं। बिहार में १६२२-२३ में ही मुंगेर में शाह मुहम्मद ज्बेर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी। बाबू श्रीकृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष थे एवं श्री सिद्धेश्वरी चौधरी तथा नन्द कुमार सिंह सचिव।[3] ४ मार्च १६२८ को पटना जिलान्तर्गत विहटा में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना के रूप में किसान आन्दोलन को एक अन्य मोड़ प्रदान किया। स्वामी सहजानन्द यहाँ किसान आन्दोलन के मूल अनुप्रेरक बन गये और मरते दम तक यही उनके जीवन का मूल लक्ष्य बना रहा। १६३०-३१ से १६३४ के मध्य बिहार के काँग्रेस नेता श्री व्रजकिशोर प्रसाद को छोड़ कर इस आन्दोलन के साथ रहे। नवम्बर १६२६ में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रान्तीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहजानन्द उसके अध्यक्ष बने तथा श्री श्रीकृष्ण सिंह उसके सचिव, श्री यमुना कार्य्यी, श्री गुरु सहाय लाल और कैलाश लाल उसके प्रमण्डलीय सचिव थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसम्बर १६२६ में बिहार की यात्रा की। इससे इस आन्दोलन को विशेष बल मिला।

किसान आन्दोलन की प्रगति :

गिरते हुए मूल्यों से कृषकों पर बढ़ते संघात के फलस्वरूप किसान आन्दोलन की प्रगति होने लगी। किसानों की शिकायतें व्यक्त करने के हेतु अक्सर सभाएँ की जातीं और उनमें उन्हें दूर करने के उपायों पर विचार

१. आरनोल्ड, जे० टायनबीन, सर्वे ऑफ नेशनल अफेयर्स, १६३१, पृ०४०३।
२. नेहरू, ऑटोबायोग्राफी, पृ० २९७-३१२
३. श्री सिद्धेश्वरी चौधरी

किया जाता। १९३१ तक स्थिति और अधिक गम्भीर हो गई।[१] ३०-३१ मई, १९३१ को जहानाबाद में एक राजनीतिक सम्मेलन के तुरत बाद एक किसान सभा का भी संगठन किया गया। उसमें जमीन्दारों के अत्याचारों से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और किसानों की शिकायतें विशेषकर के दानाबन्दी व्यवस्था के संदर्भ में उसकी जाँचपड़ताल करने के हेतु एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी भी प्रस्ताव पारित हुआ। धीरे-धीरे किसान सभाएँ अधिक संगठित एवं सक्रिय—विशेषकर के गया, पटना, शाहाबाद और कुछ अन्य जिलों के विभिन्न स्थानों पर होने लगीं। जमीन्दारों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त[२] नहर-शुल्क में कमी करने, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद देने और मालगुजारी वसूली बन्द करने या उसमें कमी करने की माँग की गई। स्वामी भवानी दयाल इन्हीं दिनों शाहाबाद जिला में किसानों का संगठन कर रहे थे। सरकार उनकी गतिविधि पर सावधानी से नजर रखे हुए थी और शाहाबाद के जिलाधिकारी ने उनके "सीमा अतिक्रमण करते ही उनपर मुकदमा चलाने" का निर्णय कर लिया था।[३]

अगले अगस्त में डाक्टर युगल किशोर सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक इश्तहार टेकारी राज्य के रैयतों में वितरित किया गया। इसमें किसानों के साथ जमीन्दारों के कठोर व्यवहार की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था और अनुशंसा की गई थी कि राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी द्वारा गठित कृषि जाँच समिति के पास अपनी शिकायतें भेजें।[४] इस समिति की बैठक २० अगस्त, १९३१ को पटना स्थित सदाकत आश्रम में हुई। इसमें समिति के सदस्यों को विभिन्न जिलों में जाँच का काम शुरू करने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर निम्नलिखित काँग्रेस सदस्य उपस्थित थे :—बाबू श्रीकृष्ण सिंह, श्री अम्बिका कान्त मिश्र और श्री प्रजापति मिश्र।[५]

---

१. दिसम्बर १९३० तक अनाज दो महीने पहले की अपेक्षा दो-तिहाई कम मूल्य पर बिक रहा था। दिसम्बर १९३१ तक १९२९ की तुलना में धान का दाम आधा रह गया था।

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २० जुलाई, १९३१

३. वही।

४. वही, २७ अगस्त, १९३१

५. पुलिस रिपोर्ट, ३ सितम्बर, १९३१।

कुछ जिलों में किसान-आन्दोलन बहुत जोर पकड़ रहा था। पटना जिला में इसकी कार्रवाइयों के संदर्भ में पटना के आयुक्त के १३ सितम्बर, १९३१ को सरकार को इस आशय की सूचना दी : 'किसान सभा-दानापुर अनुमण्डल में विशेष करके विक्रम और पलीगंज के इलाकों में जोर पकड़ती जान पड़ती है। जमीन्दारों में इसको लेकर परेशानी है क्योंकि वे सोचते हैं कि काँग्रेस जो राजनैतिक दबाव डाल सकती है उससे सरकारी प्रयत्नों की अपेक्षा किसानों की शिकायतें दूर होने की कहीं अधिक संभावना थी। दानापुर अमन सभा ने कुछ इश्तहार एवं बुलेटिनें जारी की हैं, उनमें औपचारिक मालगुजारी रसीदों, अबवाबों, कचहरी में मालगुजारी जमा करने, बिहार टेनेंसी ऐक्ट की धारा ६९ के उपयोग आदि के सम्बन्ध में किसानों के हक स्पष्ट किए गए हैं। उनकी आशा है कि इस प्रकार वे रैयतों को किसान आन्दोलनकारियों के प्रभाव से मुक्त कर सकेंगे। यहाँ आन्दोलनकारियों की शिकायतें निश्चय ही सही हैं। अब तक उनकी माँगें अतिवादी नहीं हैं और किसी भी तरह करबन्दी अभियान के समान उन्हें नहीं कहा जा सकता है''। सितम्बर और नवम्बर (१९३१) के महीनों में दानापुर अनुमण्डल में किसान आन्दोलन का जोर बढ़ता रहा। इससे जमीन्दारों में कुछ घबराहट हुई और उन्होंने अनुमण्डलाधिकारी को एक तरह से वचन दिया कि भविष्य में वे अपने रैयतों के साथ अधिक सद्व्यवहार करेंगे। वे पक्की रसीद देंगे, अपने अमलों पर कड़ाई रखेंगे, आगामी दशहारा के समय रैयतों से दूध और घी नहीं लेंगे।[1] इन्हीं दिनों बाबू श्रीकृष्ण सिंह और बाबू अनुग्रह नारायण सिंह पालीगंज जिला के दौरा पर गये और उन्होंने बड़ी संख्या में किसानों के बयान लिए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार २०७।[2] गया जिला में भी किसान आन्दोलन की गतिविधि बढ़ रही थी। जिला के किसानों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पत्र भेजे तथा बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के पास आवेदन भी किया। २६ अक्टूबर, १९३१ को बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के सचिव श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के सचिव के पास इस आशय का पत्र भेजा :-"आपका २०-१०-३१ का पत्र मिला। उसके साथ संलग्न

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ अक्टूबर, १९३१।
२. वही, १३ दिसम्बर, १९३१।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम गया जिला के किसानों के दो पत्र भी मिले। उस जिला में स्थिति सचमुच बहुत गम्भीर है, किन्तु उस पर प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ध्यान दे रही है। बाबू राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में जिला के किसानों की अवस्था की जाँच करने के हेतु एक प्रतिनिधि समिति बनाई जा चुकी है। एक सप्ताह के भीतर ही वह अपना काम आरम्भ कर देगी। जाँच की जो भी प्रगति होगी उपयुक्त समय पर उसकी सूचना दी जायगी।"[१] दो एक दिन के भीतर ही श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री श्रीकृष्ण सिंह और श्री मथुरा प्रसाद ने गया जाकर विभिन्न स्थानों पर किसानों के बयान लिए। औरंगाबाद में १२ नवम्बर, १९३१ को एक सभा आयोजित की गई। स्थानीय नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने सभा में भाषण किया। २० नवम्बर, १९३१ वाले पखवारे में गया जिला में टेकारी तथा अरवल में किसान सभा के तत्वावधान में सभाएँ हुईं। इन सब से टेकारी राज्य के सर्किल ऑफिसरों में बहुत घबराहट हुई। उनकी रिपोर्ट के अनुसार किसानों "में भारी असंतोष था और उनमें से कुछ ५५ प्रतिशत तक मालगुजारी में छुट चाहते थे।"[२] वास्तव में टेकारी राज्य के कुछ इलाकों में किसानों ने मूल्य में गिरावट के आधार पर मालगुजारी कम करने के हेतु संयुक्त दरखास्त दी और गया के जिलाधिकारी को इस बात की आशंका हो रही थी कि "यदि युक्त प्रांत में करबन्दी आन्दोलन व्यापक रूप से फैला तो उसके जिला में भी वह सहज ही फैल सकता था और उसके जड़ पकड़ने के हेतु वहाँ उर्वर भूमि भी थी।"

युक्त प्रान्त में कृषक आन्दोलन-बिहार में उसकी प्रतिक्रिया :

भारत सरकार युक्त प्रान्त के करबन्दी आदोलन की देश के अन्य भागों में संभावित प्रतिक्रिया के प्रति सतर्क थी। इस सम्बन्ध में १८ नवम्बर, १९३१ को प्रान्तीय सरकारों को इसका समर्थन करने के हेतु उपयुक्त तैयारियाँ करने को तार द्वारा आदेश दे चुकी थी। "स्थिति से निबटने के हेतु आवश्यक कार्रवाइयों का पूर्ण समर्थन करने का आश्वासन भी दिया था।

---

१. पुलिस रिपोर्ट, २ नवम्बर, १९३१।

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ नवम्बर, १९३१

बिहार में आदेशानुसार स्थानीय सरकार ने जिलाधिकारियों को २९ नवम्बर, १९३१ को इस आशय का आदेश भेजा : "युक्त प्रान्त की स्थिति को देखते हुए मैं आपसे इस प्रान्त में उसकी संभावित प्रतिक्रिया पर सतर्क दृष्टि रखने का आग्रह करूँगा। ग्रामीण इलाकों में काँगेस की यदि कोई विशेष गतिविधि लक्षित हो तो उसकी सूचना सरकार को अविलम्ब दी जाय। युक्त प्रान्त से सटे जिलों शाहाबाद, सारन और चम्पारण एवं कुछ अन्य जिलों में, यथा पटना और गया में, विशेष सतर्क रहना आवश्यक है। ध्यातव्य है कि इन जिलों में किसान सभा का संगठन करने के प्रयत्न किए जा चुके हैं।"

शाहाबाद जिला में नहर शुल्क के विरोध में प्रदर्शन :

इन दिनों शाहाबाद जिला के किसानों में नहर शुल्क के विरुद्ध बहुत उत्तेजना थी। स्वभावतः किसानों की शिकायतों की जाँच करने के हेतु बिहार काँग्रेस द्वारा नियुक्त जाँच समिति का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो रहा था। काँग्रेस के कुछ अन्य नेता भी इस ओर ध्यान दे रहे थे। शाहाबाद जिला काँग्रेस कमिटी ने "नहर के मसूली की जाँच" शीर्षक एक अधिसूचना जारी की। इस सम्बन्ध में श्री श्रीकृष्ण सिंह, श्री अब्दुल बारी और श्री बलदेव सहाय किसानों की उचित माँगों पर जोर देने के हेतु शाहाबाद गए। दो स्थानीय काँग्रेसी नेता श्री गुप्तेश्वर पाण्डे और श्री विन्ध्याचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। किसी-किसी दिन कई स्थनों पर सभाएँ करते। इनमें विक्रमगंज, कोरन-सरैया और जमूली (थाना राजपुर), डुमराँव, चौसा आदि उल्लेखनीय हैं।

श्री बलदेव सहाय और कुछ अन्य नेताओं ने उस इलाके के प्रमुख जमीन्दारों के साथ इस विषय पर बातचीत की। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार शुल्क में पर्याप्त कटौती करना सर्वथा आवश्यक होगा। उसके साथ ही मालगुजारी भी घटानी होगी।[१] शाहाबाद के जिलाधिकारी ने इन जमीन्दारों से ५ दिसम्बर, १९३१ को नहर शुल्क के विरुद्ध आन्दोलन का निराकरण

---

१. शाहाबाद जिलाधिकारी की कुछ जमीन्दारों के साथ भेंट के बाद (५ दिसम्बर, १९३१) टिप्पणी।

करने के हेतु विचार-विमर्श करने को उन्हें बुलाया। जिलाधिकारी का विश्वास था कि यह आन्दोलन काँग्रेस द्वारा उसके अपने उद्देश्यों के लिए चलाया जा रहा था। यह सुनकर कि इस विषय पर काँग्रेसी नेताओं के साथ वे पहले ही बातचीत कर चुके थे वह बहुत ही क्रुद्ध हुआ और उन्हें जोरदार शब्दों में कहा कि "भविष्य में इस सम्बन्ध में वे काँग्रेस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे तथा रैयतों को भी काँग्रेस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखने को कहेंगे।" उसने उन्हें चेतावनी दी कि "सरकार इस तरह के किसी आन्दोलन को कठोरता के साथ दबाने को तैयार थी और उन्हें तदनुसार काम करना चाहिए।"

जिलाधिकारी ने इस नीति के अनुसार तुरत कुछ कदम उठाये। बाबू श्रीकृष्ण सिंह पर कुँवर सिंह के सम्बन्ध में अपने भाषण में कुछ आपत्तिजनक बातें कहने के आरोप में धारा-१४४ के अन्तर्गत वहाँ भाषण करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।[१] इसपर १० दिसम्बर, १९३१ को सर्चलाइट ने इस प्रकार टिप्पणी की—"बाबू श्रीकृष्ण सिंह पर इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है कि वे शाहाबाद जिला में अपनी जबान नहीं खोलेंगे। श्री सिंह धारा १४४ के अन्तर्गत हाल में सूचना पाने वालों में सबसे अन्तिम हैं। उनकी भाषण शैली की विधान परिषद में अनेक अधिकारियों द्वारा प्रशंसा की गई है। विधान परिषद की उनकी सदस्यता की सम्पूर्ण अवधि में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब कि श्री सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसमें सदन की मर्यादा पर आघात पहुँचा हो। श्री सिंह की वाग्मिता हजारों हजार लोगों में आवेश भर देता है। फिर भी उनके भाषणों में कहीं कटुता नहीं आने पाती। श्री सिंह के प्रति उनके राजनैतिक विरोधी भी आदर एवं प्रशंसा करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखने पर धारा १४४ के अन्तर्गत उन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का एक ही अर्थ हो सकता है कि सरकार द्वारा वैध राष्ट्रीय कार्रवाइयों पर युद्ध घोषणा है। इस कार्य को किसी एक अतिशय उत्साही सरकारी अधिकारी की मनोविकृति मान कर अनदेखा करना असम्भव है। बाबू श्रीकृष्ण सिंह प्रान्त के प्रमुखतम काँग्रेसी नेताओं में हैं। यह संभव नहीं दीखता कि स्थानीय अधिकारी उस सरकार से बिना पूछे हुए उन पर प्रतिबन्ध लगाया होगा और यदि किसी ने ऐसा

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १३ दिसम्बर, १९३१।

किया है तो निश्चय ही यह एक ऐसा पागलपन समझा जायगा जिसके लिए उच्च सरकारी रवैया से ही उसे संकेत मिला होगा। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि बाबू श्रीकृष्ण सिंह के पूर्व आचरण अथवा शाहाबाद जिला की स्थिति में ऐसी कोई बात नहीं जिससे कि उक्त कार्रवाई की आवश्यकता अनिवार्यतः महसूस की गई हो। अब क्या हम युद्ध विराम की आड़ में देश भर में आरंभ किए जाने वाले किसी सुनियोजित आक्रामक कार्रवाई का पूर्व आभास समझें। प्रान्त के एक प्रमुखतम कांग्रेसी नेता के विरुद्ध इस कार्रकाई को दिल्ली समझौते की शर्त्तों के उल्लंघन के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं समझा जा सकता।''

फिर भी कांग्रेसी नेतृत्व ने सरकार के साथ बातचीत करके यथाशीघ्र मामला को सुलझाने का प्रयत्न किया है। प्रान्तीय कांग्रेस कार्यकारिणी की २३-२४ दिसम्बर (१९३१) को पटना के सदाकत आश्रम में एक बैठक हुई। इसमें कृषक जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया। इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ : ''नहर जाँच समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करके कार्यकारिणी का यह अभिमत है कि गल्ला के मूल्य में अप्रत्याशित कमी होने के कारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए सरकार से नहर शुल्क में पिछले साल की दरों के स्तर तक कम करने का अनुरोध किया जाय। इसके अतिरिक्त आगामी फरवरी तक उसकी वसूली स्थगित रखी जाय।''[1] तदनुसार राजेन्द्र बाबू ने बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्यसचिव को २४ दिसम्बर, १९३१ को निम्नलिखित पत्र भेजा :

''मैं चम्पारण और शाहाबाद जिलों के नहर इलाकों के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मूल्यों में पिछले कुछ वर्षों से होने-वाली अप्रत्याशित कमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आम बिगड़ती हुई स्थिति का नहर से अपना खेत अभिसिंचित करनेवाले किसानों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। नहर-शुल्क और मालगुजारी का सम्मिलित भार उनके लिए दुर्वह हो रहा है। मन्दी के कारण किसानों के लिए इनका भुगतान करना अधिकाधिक कठिन हो रहा है। द्रष्टव्य है कि नहर-शुल्कों में पिछले लगभग ४० वर्षों में बराबर वृद्धि की जा रही है और यह वृद्धि खाद्यान्नों

---

१. द सर्चलाईट, २४ दिसम्बर, १९३९।

एवं अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्य के साथ-साथ होती रही है। निम्नलिखित आँकड़े इसे आभासित करेंगे :

वर्ष	नहर दर प्रति एकड़	खाद्यान्नों की विक्रय-दर प्रति रुपया	
		सेर	छटाक
१८८६	१ रु०	१६	—
१८९०	१ रु० ८ आना	१५	१२
१८९६	२ रु०	१२	१२ २/३
१९०२	२ रु० ८ आना	११	१४
१९०६	३ रु०	१०	१४½
१९१४	३ रु० ८ आना	८	१२
१९२१	४ रु० ८ आना	७	३

मूल्य पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक के स्तर पर पुनः चले गए हैं। फलतः किसानों के लिए वर्त्तमान मूल्य स्तर पर जमीन्दारों की मालगुजारी तथा नहर-शुल्क चुकाना कठिन हो रहा है। स्थिति गम्भीर है और नहर-शुल्कों में कमी करके कुछ राहत पहुँचाने की अविलम्ब आवश्यकता महसूस की जा रही है। मुझे विश्वास है कि कृषि की बिगड़ती हुई स्थिति से सरकार अपने को पूरी तरह सूचित रख रही होगी। मैं अनुरोध करता हूँ कि नहर-शुल्क में यथाशीघ्र उपयुक्त कमी करने के लिए कार्रवाई की जायगी। मैं यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि उनकी वसूली आगामी फरवरी तक स्थगित कर दी जाय। उस समय तक धान की फसल बाजार में आने की आशा की जा सकती है और उससे किसानों के पास नगद पैसे शुल्क चुकाने के लिए होंगे।"

राजेन्द्र बाबू के पत्र के जवाब में मुख्य सचिव ने उन्हें २९ दिसम्बर, १९३१ को इस आशय का पत्र लिखा :—"आपके २४ तारीख के दो पत्र मिले। सरकार इन मामलों पर ध्यान दे रही है।" नहर-शुल्क में कमी करने के लिए आन्दोलन अगले वर्ष भी जारी रहा। शाहाबाद में इसके लिए आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों में प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री अब्दुल क्यूम अंसारी, श्री काशीनाथ (नहर विभाग का एक लिपिक) और पंडित दूधनाथ

पाण्डे (अवकाश प्राप्त डी० एस० पी०) के नाम उल्लेथनीय हैं। श्री अंसारी एवं श्री काशीनाथ के प्रयत्नों से गाँधीजी की गिरफ्तारी का सामाचार मिलने पर दिल्ली में हड़ताल का आयोजन किया गया था।[1] इस इलाके के रैयतों ने नहर विभाग के मुख्य अभियन्ता, श्री ग्लास को आवेदनपत्र दिया था। उसमें किसानों ने मालगुजारी तथा नहर-शुल्क चुकाने में अपनी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए नहर-शुल्कों में कमी करने तथा आगामी फरवरी तक उनकी वसूली स्थगित करने का अनुरोध किया था।

शाहाबाद के जिलाधिकारी ने जनवरी (१९३२) मध्य के लगभग नहर-शुल्कों के सम्वन्ध में कुछ उल्लेखनीय बातों का स्पष्टीकरण आदेश स्थानीय अधिकारियों को भेज दिए थे। अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि राजभक्त जमीन्दारों, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अवैतनिक मजिस्ट्रेटों, चौकीदारों या दफादारों आदि के द्वारा किसानों में उसका प्रचार करें। उन्हें किसानों को यह समझना था कि सरकार नहर विभाग उन्हीं के लाभ के लिए चलाती थी और यदि सरकार इस विभाग को बन्द कर देती है तो उससे किसानों को भारी क्षति एवं भूखमरी का सामना करना पड़ेगा तथा उन्हें इस पर भी बल देना था कि "काँग्रेस कर्मियों का आन्दोलन निराधार था। वे व्यक्तिगत लाभ के लिए न कि आम किसानों के लिए आन्दोलन चला रहे थे।" लोगों को यह चेतावनी भी देनी थी कि यदि नहर-शुल्क नहीं चुकाने पर अड़े रहेंगे तो सरकार इनकी अन्तर्गत देयक राशि को "अधिसूचित देयक घोषित कर देगी जैसा कि चम्पारण जिला में किया गया है।"

नहर-शुल्कों के मामले पर आरा में २२ जनवरी, १९३२ को एक सम्मेलन हुआ। इसमें जिलाधिकारी, श्री एन० एफ० पेक, अनुमण्डलाधिकारी बी० के० बी० पिल्ले, वरीय डिप्टी मजिस्ट्रेट श्री डब्लू० के० जैन और सदर अनुमण्डलाधिकारी श्री सैयद नजीर उद्दीन ने भाग लिए। सम्मेलन में भाग लेनेवाले तीनों भारतीय अधिकारियों ने यह राय व्यक्त की कि किसानों को मालगुजारी तथा नहर-शुल्क चुकाने में सचमुच में उस वर्ष कठिनाई हो रही थी। वे नहर-शुल्क की दरों में कुछ कमी करने के, खास करके उन क्षेत्रों

१. पटना आयुक्त का पाक्षिक रिपोर्ट, १३ जनवरी, १९३२।

में जहाँ इनकी दरें एवं मालगुजारी में वृद्धि की गई थी, पक्ष में थे। किन्तु जिलाधिकारी, श्री पेक इससे सहमत नहीं था। उसने नहर विभाग के मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता से बातचीत करने के लिए अगले दिन सरकार को सूचित किया कि "नहर जल की दरों में कमी करने की कोई आर्थिक आवश्यकता नहीं थी।" इसके अतिरिक्त उसने यह भी लिखा है कि "यदि कुछ करना ही था तो अस्थायी रूप से १० या ५ प्रतिशत छूट दी जा सकती थी जिसमें किसानों को यह महसूस हो कि बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति में सरकार कुछ कर रही थी।"

बिहार को यूनाइटेड पॉलिटकल पार्टी का सरकारी समर्थन से संगठन (सितम्बर १९३२)।

किसान आन्दोलन एवं कांग्रेस की गतिविधि के प्रभाव के निराकरण के लिए और आसन्न संविधान के अन्तर्गत संभावित चुनावों में कांग्रेस की सफलता नहीं होने देने के लिए बिहार के कुछ प्रमुख जमीन्दारों ने राँची में सितम्बर १९३२ में एक नई पार्टी की स्थापना की। इसे सरकार से प्रोत्साहन एवं समर्थन प्राप्त था। इसका नाम यूनाइटेड पालिटिकल पार्टी रखा गया। इसके कथित उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करना एवं जमीन्दारों एवं कृषकों में तालमेल करना था। नयी पार्टी के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद की यह भावना थी कि सेवा या बलिदान की पृष्ठभूमि के अभाव में किसी पार्टी का कोई भविष्य नहीं हो सकता था और कांग्रेस का विरोधी या प्रतिपक्षी होने का उसका उद्देश्य सफल नहीं होगा। फिर भी यह सोचा जा सकता है कि कांग्रेस जिन दिनों सरकार के साथ संघर्ष करती रहेगी उस समय पार्टी कुछ रचनात्मक काम कर सकती थी। अतः उसके कुछ प्रमुख सदस्यों के अनुरोध पर राजेन्द्र बाबू ने एक वक्तव्य में यह कहा कि यदि नई पार्टी ने अपने घोषित उद्देश्यों के अनुसार काम किया तो देश की उन्नति हो सकती थी।[1]

इस पार्टी के नेताओं का मुख्य तथा वास्तविक उद्देश्य था कांग्रेस से किसानों का सम्बन्ध विच्छिन्न करना और किसान आन्दोलन को कमजोर

१. आत्मकथा, पृष्ठ ३८३।

करना। पार्टी के तत्वावधान में जहाँ तक पुरानी किसान सभाओं के विरुद्ध नई किसान सभाएँ भी स्थापित की गईं। किन्तु उन्हें शीघ्र ही अपने प्रयत्न विफल होते दिखाई पड़े। किसान आन्दोलन के पुराने नेता यथा स्वामी सहजानन्द आदि को नई पार्टी के वास्तविक उद्देश्य परखने में देर नहीं लगी। उन्होंने जमीन्दारों के इस अत्याधिक कौशल पूर्ण विघटनकारी प्रयत्न का संभावित प्रभाव नहीं होने देने के लिए आवश्यक कदम उठाये।

प्रान्तीय किसान सभा द्वारा जाँच समिति की स्थापना—कियान सभा के प्रस्ताव (१८ जून, १९३३) :

पिछले तीन वर्षों की तरह स्वामी सहजानन्द किसानों के बीच बराबर यात्रा कर रहे थे। जहाँ भी जाते वहाँ सभाएँ होतीं और किसानों को उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाता। शाहाबाद, गया और पटना जिले विशेष रूप से उनके कार्यक्षेत्र थे। १९३३ में प्रान्तीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति ने एक जाँच समिति का गठन किया। स्वामी सहजानन्द, पंडित यमुना कार्य्यी, पंडित यदुनन्दन शर्मा और डॉक्टर युगल किशोर सिंह इसके सदस्य थे। पहले वे गया जिला के अनेक गाँवों में गए और वहाँ किसानों के सम्बन्ध में जो कुछ देखा उसे किताब के रूप में प्रकाशित कर दिया। किताब का नाम "किसानों की दयनीय दशा का इतिहास" था। किसान आन्दोलन के नेता नहर-शुल्कों में कमी करने पर बल दे रहे थे और बिहार टेनेन्सी अमेण्डमेंट विधेयक का जोरदार विरोध कर रहे थे। इस विधेयक को बिहार युनाइटेड पार्टी का समर्थन प्राप्त था। किसान सभा के तत्वावधान में १८ जून, १९३३ को बिहटा में एक सभा की गई। इसमें उक्त विधेयक का विरोध किया गया। नहर-शुल्कों में कमी करने की माँग की गई और किसानों से प्रान्तीय सुगरकेन सभा के माध्यम से ही चीनी मिल-मालिकों के साथ संविदा करने का आग्रह किया गया।[1] अनेक अन्य स्थानों पर भी इस तरह की सभाएँ की जा रही थीं। साउथ बिहार सुगरकेन मिल (बिहटा) से ईख के लिए उपयुक्त दर निर्धारित करने के हेतु आन्दोलन चलाये जा रहे थे।

---

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ जून, १९३३

बिहार सरकार ने अब अपने जिलाधिकारियों को "किसान सभा की गतिविधि के सम्बन्ध में अधिक जानकारी" देने को कहा। जिलाधिकारियों को २४ नवम्बर, १६३३ के एक सरकारी परिपत्र में यह कहा गया था : "इस संस्था के युक्त प्रांत की वैसी ही संस्थाओं के साथ तथा जवाहारलाल नेहरू के नेतृत्व से संबद्ध होना अभी महत्वपूर्ण राजनैतिक समस्या है।"

द्वितीय किसान सम्मेलन, गया (२६-३० अगस्त, १६३४):

प्रथम बिहार प्रान्तीय किसान सम्मेलन स्वामी सहजानन्द की अध्यक्षता में निष्पन्न हुआ था। इसका दूसरा सम्मेलन २६-३० अगस्त को निष्पन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने की। खाँ अब्दुल गफार खाँ भी अपने भाई के साथ भाग लेने आये थे।[1] अध्यक्षीय भाषण में किसानों को अपनी दशा सुधारने तथा स्वतन्त्रता के हेतु संग्राम करते रहने को कहा गया था। श्री गफार खाँ को जिला काँग्रेस कमिटी की ओर से एक अभिनन्दन पत्र दिया गया। श्री खाँ ने आजादी हासिल करने के हेतु कुछ भी नहीं उठा रखने की अपील की। श्री यदुनन्दन शर्मा और पंडित रामानन्द मिश्र ने अपने भाषणों में जमीन्दारों के अमलों द्वारा किसानों पर विभिन्न प्रकार के जुर्म किये जाने का उल्लेख किया और उसे तुरत रोकने की माँग की। एक अन्य वक्ता श्री मोहन लाल गौतम ने मालगुजारी तथा नहर-शुल्क को कम करने की माँग का समर्थन किया। रैयतों की स्थिति सुधारने के हेतु और भी कई प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इस अवसर पर श्री सुखदेव शर्मा ने भी भाषण किया। जमीन्दारी प्रथा समाप्त करने के प्रश्न पर बहसें हुईं किन्तु उस संदर्भ में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं पारित हुआ।[2] सरकार ने स्वामी सहजानन्द और श्री यदुनन्दन शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं की किन्तु धारा १४४ के अन्तर्गत एक सूचना जारी करके उन्हें गया में ५ अक्टूबर, १६३४ को एक सभा में भाषण करने पर रोक लगा दी। इस सभा की अध्यक्षता बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने की।[3]

१. वही, १२ सितम्बर।
२. वही, स्वामी सहजानन्द : किसान सभा के मेरे संस्मरण और मेरा जीवन संघर्ष।
३. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १३ अक्टूबर, १९३४।

किसान आन्दोलन को समाजवादियों की ओर से भी बल मिला। बिहार समाजवादी पार्टी की संघर्ष समिति ने २१ दिसम्बर, १९३४ को एक सभा की और उसमें निर्णय किया कि "जनता को किसान सभाओं और श्रमिक संघों के झण्डे के नीचे एकत्र करना आवश्यक है; तभी उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों पर दबाव डाला जा सकेगा।"[1] संघर्ष समिति ने किसानों एवं मजदूरों के लिए तात्कालिक कार्यक्रम तैयार किया।

क्रान्तिवादी राष्ट्रवाद की गतिविधि में वृद्धि :

क्रान्तिवाद राष्ट्रवाद का असहयोगोत्तर वर्षों में फिर जोर बढ़ा (आजादी हासिल करने के लिए हिंसा के तरीकों में इसकी आस्था के कारण कुछ लोग इसे आतंकवादी भी कहते थे)। इसके साथ ही सरकारी दमन भी कठोरतर होता गया। राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत अनेक भारतीय तरुण अपनी मातृभूमि की मुक्ति के हेतु गुप्त तरीके अपना रहे थे। बड़े ही निर्भीक एवं आत्मबलिदानी थे ये नौजवान। उन्हें न तो शारीरिक यंत्रणा, न कारावास और न प्राणदण्ड का ही भय होता।

"शहीदों के रक्त से अभिसिंचित विचार बहुत तेजी से फैलता है।" हमने देखा है कि भगत सिंह और उनके साथियों की फाँसी का किस प्रकार अनेक लोगों की भावना एवं विचारों पर गहरा असर हुआ था। इनमें कुछ अहिंसा में आस्थावान कांग्रेसी भी थे। भगत सिंह की सहादत के तराने शीघ्र ही देश भर में गूँजने लगे थे।[2]

इन दिनों की क्रान्तिवादी घटनाओं का विशेष कर के बंगाल का, इतिहास सचमुच रोमांचकारी है। सशस्त्र क्रान्ति की इस लहर को दबाने के हेतु सरकारी दमनचक्र जिस निर्ममता एवं अमानुषिकता के साथ चलाया जा रहा था उसका भी कम उदाहरण मिलेगा। वास्तव में सरकार उसके लिए कुछ भी नहीं उठा रही थी। क्रान्तिकारियों के विरुद्ध सरकार की ओर से आतंक

---

१. द इण्डियन ऐनुअल रजिस्टर, १९३४, खण्ड—२, पृष्ठ १४४।
२. १९३१ दिसम्बर में श्री पारस लाल त्रिवेदी रचित "विजयी भारत" शीर्षक एक इश्तहार में इस सम्बन्ध में कविताएँ प्रकाशित हुई थीं, परिशिष्ट—१७

फैलाने वाली कार्रवाइयाँ पूरे जोर पर हुई थीं। पंजाब और युक्त प्रान्त की तरह बिहार में भी नौजवान देशमाता को स्वतंत्र करने की लगन से अभिभूत, क्रान्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे। वे बम एवं पिस्तौल अपने पास रखते। अपने देश के शत्रुओं की हत्या करने एवं डराने-धमकाने की योजनाएँ बनाते, क्रान्ति के हेतु अधिकतर सरकारी सूत्रों से धन संग्रह करते, युवक संगठन स्थापित करते और बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा के साथ दिन-रात इन कार्यों में लगे रहते। १९३० से अनेक क्रान्तिपंथी तरुण हिन्दुस्तान गणतंत्र संघ या सेना के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। वास्तव में सशस्त्र क्रान्ति अन्तरप्रान्तीय रूप ले रही थी। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक गुप्त केन्द्र छपरा में भी चलाया जा रहा था। उसके कार्यों, के लिए धन एकत्र करने को उसके प्रमुख नेता श्री रामदेनी सिंह ने अपने पार्टी के अन्य साथियों के साथ १५ जून, १९३१ को हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया। इसमें हाजीपुर का स्टेशन-मास्टर क्रान्तिकारियों की गोली से मारा गया। इस घटना के दो महीने के बाद श्री रामदेनी सिंह पकड़ लिया गया। उसके दल का एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। श्री सिंह को एक अन्य साथी के साथ फाँसी की सजा मिली। दल के एक अन्य सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह को सात वर्ष कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। इसी वर्ष एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुछ क्रान्तिकारियों ने छपरा जिलान्तर्गत फुलवरिया मठ पर आक्रमण किया और छापा मारा। इसमें उसका एक सदस्य बम फूटने से घायल हो गया। इसके लिए दस व्यक्तियों को षड्यन्त्र के अभियोग में गिरफ्तार किया गया।[1]

हिन्दुस्तान सोशलिट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों की उक्त कार्रवाइयों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र पटना सिटी में था। यहाँ कुछ नौजवानों की गिरफ्तारी भी हुई। २८ जून, १९३१ को पटना में एक बम फेंकने पर घटना हुई। युक्त प्रान्त गुप्तचर विभाग की एक सूचना पर पटना के कुछ पुलिस अधिकारियों का एक दल भिखनापहाड़ी के समीप दो प्रमुख क्रान्तिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। ये थे श्री हजारीलाल, दिल्ली षड्यन्त्र केस के फरार और श्री प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे, लखनऊ

१. द सर्चलाईट, १४ अक्टूबर, १९३१।

बम केस के संदिग्ध अभियुक्त।[1] ये दोनों साइकिल पर पश्चिम से लगभग पौने नौ बजे आ रहे थे। उसी समय पुलिस ने उनका पीछा करके पकड़ लिया। सूर्य नाथ चौबे साइकिल से कूद पड़ा और पकड़ लिया गया। उनका साथी भी साइकिल से कूद गया। इन्सपेक्टर पर उसे फेंक कर पूर्व की तरफ भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर उसने एक बम फेंका जिससे एक दरोगा, एक सिपाही और वह स्वयं घायल हो गया। एक घण्टे बाद दरोगा की मृत्यु हो गई। दोनों गिरफ्तार क्रान्तिकारियों के पास बम, रिवॉलवर, ऑटोमेटिक पिस्तौल की कुछ गोलियाँ बरामद हुई। अभियुक्तों को अपने घर में रखने के अभियोग में दो अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया।[2] इस मामले में हजारीलाल को १४ वर्ष कालापानी और सूर्यनाथ चौबे को १० वर्ष कड़ी कैद की सजा मिली।

आरा नगर में दो शारब की दुकानों में २२ जुलाई, १९३१ की रात में तीन देशी बम फेंके गये।[3] पटना सिटी में ३१ जुलाई, १९३१ को १५ वर्षीय तरुण श्री राय महेन्द्र के घर के कमरे से एक बम विस्फोट हुआ। श्री महेन्द्र के एक सहकर्मी, श्री राम बाबू विस्फोट के फलस्वरूप घायल हो

---

१. पटने के जिलाधिकारी बिहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव का पत्र, २ जुलाई, १९३१।

२. "इन दिनों बिहार आतंकवादी पार्टी, हिन्दुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के सम्पर्क में थी। यह जून १९३१ की एक घटना से लक्षित होता है। पटना सिटी का एक निवासी हजारीलाल १९२५ में ही अपने घर से भाग गया था। बंगाल के क्रान्तिकारी दल में वह दीक्षित हुआ। वह पटना लौट आया था और १९२८ में चन्द्रशेखर आजाद एवं अन्य क्रान्तिकारी नेताओं के सम्पर्क में वह आया। आजाद उसे दिल्ली ले गया। तदुपरान्त हजारीलाल बराबर गतिशील रहता था। दिल्ली, बनारस, आगरा, लखनऊ और अम्बाला जैसे स्थानों की यात्रा करता रहता था। उसने अम्बाला में मोटर गाड़ी चलाना सीखा। वह दिल्ली षड्यन्त्र केस का एक अभियुक्त था। इलाहाबाद के अलफ्रेड पार्क में जहाँ चद्रन्शेखर आजाद पुलिस की गोलियों से २२ जून, १९३१ को मारा गया था, वह भी उनके साथ था। श्री हजारीलाल और भवानी सहाय ने लखनऊ के बाहर एक वस्त्र विक्रेता को बम चलाकर घायल कर दिया। उसके बाद पटना के एक छात्र श्री सूर्यनाथ चौबे के साथ पटना लौट आया था।" (टेररिज्म इन इंडिया", १९१७-१९३६।

३. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ जुलाई, १९३१।

गये। राम बाबू की ६ अगस्त को पटना अस्पताल में मृत्यु हो गई। कमरे की दीवारों पर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और यतीन्द्र नाथ दास की तस्वीरें टंगी थीं तथा एक डेस्क में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, के सेनानायक की तस्वीर पाई गई। एक अन्य कमरे में कुछ क्रान्तिकारी साहित्य तथा क्रान्तिकारियों की तस्वीरें मिलीं। पुलिस को किसी क्रान्तिकारी षड्यंत्र का संदेह हुआ; इस सम्बन्ध में ११ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उनके नाम हैं सूर्यनाथ चौबे, कन्हाईलाल मिश्र, श्याम कृष्ण अग्रवाल, राय मेहेन्द्र, राम सिंह उर्फ श्यामदेव नारायण, गंगा प्रसाद माली, चन्देश्वर पाण्डे, टुनू गोप और महावीर मिश्र। दो अन्य व्यक्ति भी इनके साथ पकड़े गए जो आगे चलकर सरकारी गवाह हो गये।[1] चन्द्रशेखर पाण्डे और टुनू गोप को छोड़कर शेष अभियुक्तों को प्राणदण्ड या आजीवन कालापानी की सजाएँ मिलीं। इनमें केवल महावीर मिश्र को सात वर्ष कड़ी कैद की सजा मिली तथा हाईकोर्ट ने राय महेन्द्र को आजीवन कालापानी की सजा को घटाकर सात वर्ष कड़ी कैद की सजा कर दी।

३ अक्टूबर, १९३१ को पटना जिलान्तर्गत ग्राम अमहारा के बाबू छोटन प्रसाद सिंह और यदु सिंह के मकानों की तलाशी ली गई। पुलिस की सूचना के अनुसार वहाँ एक बम बरामद हुआ। श्री यदु सिंह के दो लड़के भगवती सिंह और सुदामा सिंह गिरफ्तार कर लिए गये। इसी साल भागलपुर के जिलाधिकारी के अहाते में एक बम विस्फोट हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद पटना स्थित शाहगंज मस्जिद में पुलिस ने बमों से भरे दो मिट्टी के घड़े बरामद किए। एक में तीन बड़े बम थे और दूसरे में कई छोटे बम। विस्फोटक पदार्थों से भरा एक बक्सा भी बरामद हुआ।[2]

क्रान्तिकारी कार्रवाइयों का पता लगाने के लिए सरकार की सतर्कता :

क्रान्तिकारी षड्यन्त्रों के प्रति पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी थी। अगस्त, १९३१ को पटना के ए० स० पी० ने सरकार को अनुशंसा की

---

१. द सर्चलाईट, २५ दिसम्बर, १९३१।

२. द सर्चलाईट, २२ दिसम्बर, १९३१।

थी कि "कॉलेज के छात्रों को क्रान्तिवाद का प्रचार होने तथा बम बनाने की आदत लगने के पूर्व ही क्रान्तिकारी पार्टी, को भंग करने के हेतु आवश्यक कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए।"[1] इसके लिए पुलिस सरकार से प्रान्त में इमर्जेन्सी पावर्स ऑर्डीनेन्स लागू करने का आग्रह कर रही थी। अगले महीने में जिलाधिकारियों को सद्यः स्थापित ऐसे शरीरिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर जहाँ लाठी चलाने और कवायद की शिक्षा दी जाती थी, कड़ी नजर रखने को कहा गया था। सरकार "इन्हें क्रान्तिकारी सेना संगठित करने का प्रयत्न" समझती थी।

१९३१ में बिहार सरकार द्वारा दो तस्वीरें और २८ इश्तहार जब्त कर लिए गए। जनवरी, १९३२ के प्रारम्भ में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने श्री एम० एन० राय को दो व्यक्तियों के साथ उनके घर पर गिरफ्तार कर लिया। इन पर पुलिस को "क्रान्तिकारी होने का संदेह था।"[2] कुछ अन्य जगहों पर पुलिस को कान्तिकारी गतिविधि के प्रमाण मिले। मई, १९३३ में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, पटना शाखा द्वारा जारी किय गए लाल इश्तहार गया न्यायाधीश की अदालत और बार लाब्रेइरी के बाहर चिपकाये हुए पाये गये। कुछ लोगों के घरों में भी इश्तहार फेंके गये थे।[3] अगली जुलाई में पुलिस ने एक संदिग्ध क्रान्तिकारी के घर की तलाशी ली। वहाँ १२९ गोलियाँ बरामद हुईं। जहानाबाद अनुमण्डल के चमारबिगहा गाँव में बम बनाने के कारखाने होने का संदेह किया जाता था।[4] ९ नवम्बर १९३२ को लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणीन्द्र नाथ घोष को बेतिया में उसकी दुकान पर छूरा मार कर हत्या कर दी गई। इस हत्या के लिए श्री वैकुण्ठ शुक्ल और श्री चन्द्रमा सिंह पर संदेह किया जाता था। ये दोनों पहले से ही फरार थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पुरस्कार की घोषणा की थी। दिघवारा से लौटते हुए श्री वैकुण्ठ शुक्ल को सोनपुर पुल पर पकड़ लिया गया। श्री शुक्ल को

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ अगस्त, १९३१।
२. वही, ७ जनवरी, १९३२
३. वही, १३ मई, १९३८
४. वही, १३ जुलाई, १९३२।

मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई और गया जेल में १४ अप्रील, १९३३ को फाँसी दे दी गई। दूसरा अभियुक्त चन्द्रमा सिंह रिहा कर दिया गया। ये दोनों योगेन्द्र शुक्ल के सहयोगी थे। राम विनोद सिंह को अवांछनीय लोगों को आश्रय देने के अभियोग में सजा दी गई थी। श्री योगेन्द्र शुक्ल, बसावन सिंह और रामबिनोद सिंह को भागलपुर जेल ले जाया गया। श्री शुक्ल को लगभग दो वर्षों तक बेड़ियों में रखा गया। दो या तीन बंदियों के साथ श्री शुक्ल ने जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में १८ दिनों तक भूख हड़ताल की। तदुपरान्त श्री शुक्ल को हजारीबाग, श्री वसासन सिंह को गया और श्री रामपरीक्षण सिंह को कटक जेल ले जाया गया। श्री योगेन्द्र शुक्ल को भी हजारीबाग जेल में लगभग एक महीने तक बेड़ियों में रखा गया। श्री शुक्ल को कुछ काल तक अलीपुर सेंट्रल जेल में तथा कुछ अन्य जेलों में रखने के बाद अंडमन भेज दिया गया।

गया षड्यन्त्र केस, जनवरी १९३३ :

१९३३ में एक अन्य सनसनीखेज क्रान्तिकारी घटना हुई। इसे गया षड्यंत्र केस कहा जाता है। पुलिस को कलकत्ता में क्रान्तिकारी कार्रवाइयों के सिलसिले में श्री प्रभात चक्रवर्त्ती की गिरफ्तारी के उपरांत बिहार में एक षड्यंत्र का पता लगा। श्री चक्रवर्त्ती के पास से कुछ कागज वरामद हुए थे उनमें अधिकतर गुप्ताक्षरों में कुछ लोगों के नाम एवं पता अंकित थे। इनमें एक नाम उमानाथ शर्मा का था। श्री शर्मा ने "भगत मंथ का डाकघर" होना स्वीकार किया था। भगत और सहदेव कुछ दिनों तक गया में वागेश्वरी प्रसाद के घर ठहरे हुए थे। इस सूचना के आधार पर गया पुलिस ने १६ जनवरी को पहाड़ी कोठी की तलाशी ली और वहाँ एक रिवॉलवर और एक पुरानी पिस्तौल और कुछ गोलियाँ बरामद कीं। इसी सिलसिले में पुलिस ने औरंगाबाद के मिथलेश के घर की तलाशी ली (२० जुलाई, १९३३)। वहाँ उसे १२ कारतूसें मिलीं और कुछ जब्त किताबें तथा कुछ बम बनाने के तरीके एक कागज पर लिखे हुए मिले। ३० जनवरी को गया के समीप एक राजनैतिक डकैती हुई। इसमें युक्त प्रान्त के दो नौजवान गिरफ्तार हुए। ये दोनों विश्वनाथ सहाय के साथ रहते थे। इस सिलसिले में पुलिस ने

१८ व्यक्तियों[1] को गिरफ्तार किया। इनमें तीन युक्त प्रान्त के और शेष बिहार के ही थे। उन पर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया और १६ अभियुक्तों को विभिन्न अवधि की सजा दी गई।

गया जेल में विचाराधीन बन्दियों के रूप में कुछ अभियुक्तों ने जून, १९३३[2] में भूख हड़ताल शुरू की। १७ सितम्बर[3] को विजय कुमार दास गुप्त और दो अन्य अभियुक्त ने ५ अक्तूबर से भूख हड़ताल शुरू की। तीनों ने कुछ काल बाद उपवास समाप्त किया।[4] इसका बहुत कुछ श्रेय श्री भगवती शरण सिंह, एम० एल० सी० को था।

१. १—श्यामाचरण वर्थुवार, मैनेजर, रामजी और मार्टिन, ग्राम खरतानी, थाना ओबरा के दामोदर प्रसाद के पुत्र।
२—सहदेव सिंह वल्द माधो शरण सिंह, गया।
३—शत्रूहन शरण सिंह वल्द शिवचरण, थाना टेकारी।
४—मिथलेश कुमार सिंह वल्द रतन, जमहौर।
५—महंथ भगवान दास उर्फ, मुशाहेब वल्द तीर्थ राज सिंह, ग्राम कोरा।
६—परमथ नाथ मुखर्जी वल्द विनोद विहारी मुखर्जी, डालटेनगंज।
७—विश्वनाथ वल्द आनन्द विहारी लाल, ग्राम वैकुण्ठपुर, थाना समस्तीपुर और गया और बनारस।
८—श्याम नाथ टंडण उर्फ केदार नाथ मालवीय, इलाहाबाद।
९—रामचन्द्र सिंह उर्फ जगत देव मालवीय, इलाहाबाद।
१०—देवधारी प्रसाद यादव वल्द रावाचन्दष, गया।
११—राधामोहन वल्द गोपाल लाल, गया।
१२—रामध्यान सिंह वल्द राजदेव, ग्राम करमा, थाना औरंगाबाद।
१३—वागेश्वरी प्रसाद शर्मा, वल्द रघुनाथ प्रसाद शर्मा, गया।
१४—ब्रजभूषण सहाय वल्द विशुन, ग्राम धनारा, थाना औरंगाबाद (स्टेशन मास्टर)।
१५—केशो प्रसाद वल्द अयोध्या प्रसाद, ग्राम पहसी, गया (होमियोपैथ डाक्टर)।
१६—गणेश प्रसाद वर्मा वल्द कृपा नारायण लाल, डालटेनगंज।
१७—विजय कुमार दास गुप्त वल्द नवीन चन्द्र दास गुप्त, बनारस।
१८—जगदेव लोहार वल्द दीपन लोहार, अतरौली, थाना औवरा, गया (इस केश के मुतल्लिक एक सरकारी रिपोर्ट में प्राप्त)।

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २३ जून १९३३।

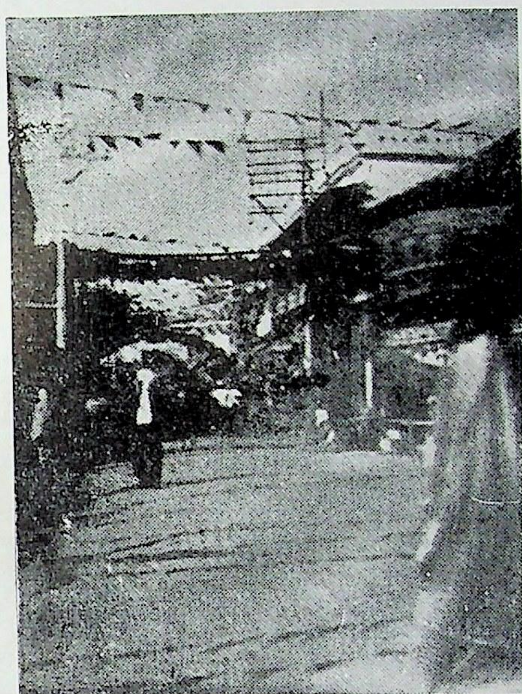
३. वही, २० सितम्बर, १९३३।

४. वही, १३ अक्तूबर, १९३३।

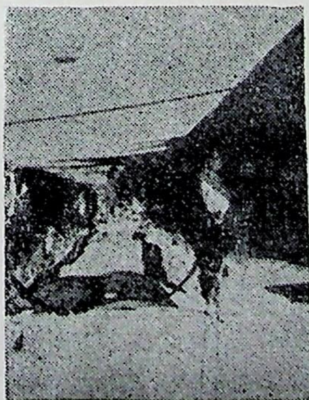
श्री बसावन सिंह ने जेल में कुछ सुविधाओं के लिए ९ अगस्त १९३२ को भूख हड़ताल शुरू की। इन्हीं बातों के लिए ७ सितम्बर से एक अन्य बन्दी श्री केदारमनी शुक्ल ने भी हड़ताल शुरू की। एक अभियुक्त विश्वनाथ ने सरकारी गवाह पर जूता फेंका। जूता उसे नहीं लगा लेकिन विश्वनाथ को कटघरे ले आया गया और हथकड़ी लगा दी गयी।[1]

बिहार के कुछ अन्य स्थानों पर भी पुलिस को बम और विस्फोटक पदार्थ मिले। मार्च में धनबाद (झरिया ?) में बंगाली क्रान्तिकारियों को विस्फोटक पदार्थ भेजने के अभियोग में कुछ क्रान्तिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें से तीन को सात-सात वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई। अगस्त १९३३ को गुलजारबाग रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए श्री शिव प्रसाद को दो बम सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और बम बनाने के कुछ समान पकड़े।[2] राँची के सदर हॉस्पिटल के सामनेवाले मकान में इन्हीं दिनों एक बम विस्फोट हुआ। इस सिलसिले में पुलिस ने उस घर में रहनेवाले दो व्यक्तियों सहित मलय कृष्ण नामक एक बंगाली तरुण को गिरफ्तार किया।[3] बेगूसराय में बम फूटने से एक दुकानदार का लड़का घायल हो गया।[4] मुंगेर में जहाँ बन्दूक बनाने की पुरानी परम्परा रही है बिहार और बंगाल के क्रान्तिकारी शस्त्रास्त्र खरीदा करते थे। १९३३ में शस्त्रास्त्र बनाने के अभियोग में पाँच मिस्त्री गिरफ्तार कर लिए गए। दिसम्बर १९३३ में चन्द्रिका सिंह ने मधुवनी में एक गुप्तचर विभाग के अधिकारी की हत्या करने का प्रयत्न किया। इस अभियोग में श्री सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिली।

१. वही, ७ जुलाई, १९३३।
२. द सर्चलाईट, २७ अक्तूबर, १९३३।
३. द सर्चलाईट, १२ अगस्त, १९३३।
४. बिहार एण्ड उड़िसा इन १९३२-१९३३।



कांग्रेस रजत जयन्ती समारोह (१६३५) के अवसर पर
पटना सिटी में निर्मित एक फाटक का दृश्य



पटना सिटी में कांग्रेस रजत
जयन्ती समारोह (१६३५) के
अवसर का एक दृश्य



कांग्रेस समारोह (१६३५) के अवसर
पर मंगल तालाब, पटना सिटी में
झण्डोतोलन समारोह

अध्याय ३

१९३५ का संविधान और प्रथम काँग्रेसी मंत्रिमण्डल (१९३७–३९)

"राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोक-ताँत्रिक राज के हेतु भारतीय जनता के संकल्प के प्रतिनिधि के रूप में काँग्रेस उद्घोषणा करती है कि ऐसा कोई संविधान जो बाहर से लादा गया हो तथा भारतीय जनता की संप्रभुता का क्षरण करता हो एवं भारत के राजनैतिक तथा आर्थिक भविष्य का निर्माण एवं पूर्णतया नियंत्रण करने के अधिकार को स्वीकृत नहीं करता हो, उसे स्वीकरणीय नहीं होगा"—भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का प्रस्ताव।

१९३५ के विधान ने भारत में संवैधानिक परिवर्त्तन की एक नई कड़ी प्रस्तुत की। यद्यपि राष्ट्र की आशा से यह बहुत ही कम था फिर भी काँग्रेस नया संविधान के अन्तर्गत शासन सुधारों को कार्यान्वित करने का निर्णय कर चुकी थी। अतः केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधानमण्डलों के हेतु निर्वाचन में भाग लेने का भी निर्णय उसने किया था।[1]

नये विधान मण्डल में प्रभावी विरोधी दल के रूप में काँग्रेस

केन्द्रीय असेम्बली में काँग्रेस के ४४ सदस्य निर्वाचित हुए थे। काँग्रेस असेम्बली पार्टी का अध्यक्ष एवं नेता श्री भूला भाई देसाई निर्वाचित हुए थे। २१ जनवरी १९३५ को नये विधान सभा का शीत अधिवेशन शुरू हुआ तथा अप्रील के पहले सप्ताह तक चलता रहा। इस बीच पतीस बार मतदान हुए। विरोधी पक्ष की २८ में विजय हुई (८० प्रतिशत)। काँग्रेस पार्टी के कुछ हद तक प्रभावी होने का कारण था अधिकतर निर्वाचित भारतीय

१. काँग्रेस समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन में भाग नहीं लेने का निर्णय किया था।

सदस्यों का उसके साथ सहानुभूति रखना। साम्प्रदायिक निर्णय से सम्बद्ध प्रश्नों को छोड़कर काँग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी के तथा इंडिपेण्डेंट पार्टी के सदस्य लगभग हमेशा काँग्रेसी सदस्यों के साथ मतदान करते।

ज्वायण्ट पार्लियामेंटरी कमिटी की रिपोर्ट की कई क्षेत्रों में कठोर आलोचना की जा रही थी। उस पर विरोध प्रदर्शित करने के लिए बिहार के विभिन्न स्थानों पर ७ फरवरी १९३५ को सभाएँ की गईं। इसी दिन केन्द्रीय असेम्बली में श्री भूलाभाई देसाई ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाय क्योंकि वह साम्राज्यवादी आधिपत्य की भावना पर आधारित थी एवं उससे भारतीय जनता के हाथों में वास्तविक सत्ता नहीं आयेगी। संशोधन के पक्ष में ७२ एवं विपक्ष में ६१ मत पड़े। श्री जिन्ना का संशोधन पारित हुआ। उस संशोधन में तीन भाग थे। पहले भाग में कहा गया था कि "यह असेम्बली जब तक कोई विकल्प विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत नहीं होता, साम्प्रदायिक निर्णय को स्वीकार करती है।" दूसरे भाग में प्रान्तीय सरकार की आलोचना को "एकदम असंतोष-जनक एवं निराशजनक" कहा गया था क्योंकि उसमें "कई आपत्तिजनक बातें थीं" और उससे "भारतीय लोकमत का कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं होगा।" तीसरे भाग में केन्द्र में संघ सरकार की योजना को "बुनियादी रूप से" एवं "सर्वथा" अस्वीकरणीय कहा गया था और सरकार पर बल दिया गया था कि "ब्रितानी भारत के लिए वास्तव में जिम्मेवार सरकार कैसे स्थापित की जाय इसके लिए तत्काल प्रयत्न किये जाएँ।" इस प्रकार सदन ने वस्तुतः ज्वायण्ट पार्लियामेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया। असेम्बली ने ब्रितानी सरकार तथा भारत सरकार की शोषण पूर्ण अर्थनीति की जोरदार भर्त्सना की और ९ जनवरी १९३५ को १९३२ के ओटावा व्यापार समझौता के अनुपूरक के रूप में भारत एवं ब्रिटेन के मध्य निष्पन्न व्यापार समझौता को ठुकरा दिया। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की कठोर अलोचना की गई। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट विधेयक का पारित नहीं हो सकना सरकार की हार का एक नया उदाहरण था। दोनों पर वायसराय को अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करना पड़ा।" १९२१-१९४० के बीच गवर्नर जेनरल ने १४ अवसरों पर प्रमाणीकरण के अधिकार का प्रयोग किया। इनमें आठ इस असेम्बली के कार्यकाल में किया

गया था।[१] बिहार-उड़ीसा विधान परिषद में भी १७ जनवरी १९३५ को ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के सरकारी प्रस्ताव पर एक संशोधन स्वीकृत हुआ। परिषद ने सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना को सर्वथा असंतोषजनक तथा भारतीय जनता की आकांक्षाएँ पूरी करने में अक्षम बताते हुए कहा था कि वह अनेक आवश्यक एवं अवांछनीय विशेषाधिकारों से भरी हुई थीं। परिषद ने उसमें व्यापक परिवर्त्तन पर बल दिया।

साम्प्रदायिक तनाव दूर करने के विफल प्रयत्न :

नये विधान को लागू करने के पूर्व साम्प्रदायिक समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए कॉंग्रेस और मुस्लिस लीग दोनों के अध्यक्षों की अनौपचारिक बातचीत दिल्ली में एक महीने से अधिक तक होती रही। उनका उद्देश्य था कि तथाकथित साम्प्रदायिक निर्णय के स्थान पर कोई आपसी समझौता कर के उसे लागू कराया जाय। इससे साम्प्रदायिक विद्वेष यथासंभव कम होता और सरकार के समक्ष संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत किया जाता। कॉंग्रेस की ओर से संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर २२ जनवरी को बातचीत शुरू की गयी और १ मार्च १९३५ को समाप्त हुई। किन्तु बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला, एक संयुक्त वक्तव्य में श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा मुहम्मद अली जिन्ना ने इस पर खेद प्रकट किया कि सर्वाधिक प्रयत्न के बावजूद वे ऐसा कोई आधार नहीं खोज सके जिससे सभी सम्बन्द्ध पक्षों को संतोष होता। साम्प्रदायिक तनाव के कारण कई स्थानों पर उपद्रव हो रहा था। बिहार में भी कई स्थानों पर छोटे-मोटे दंगे हुए। ४ अगस्त, १९३५ को दरभंगा जिलान्तर्गत फैनहारा में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई और पुलिस को अनुमण्डलाधिकारी के आदेश पर गोली चलानी पड़ी। उसके फलस्वरूप कुछ लोग हताहत हुए। सासाराम में भी स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी एवम् राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का पर्याप्त ध्यान उसे शांत करने में लगा हुआ था।

---

१. कूपलैंण्ड, रिपोर्ट औन कनस्टीच्यूसन प्रौबलेम इन इंडिया, भाग-२, पृ० १०।

पटना में निर्वाचन अभिषद का गठन :

१९३४ के मई में काँग्रेस निर्वाचन अभिषद (पार्लियामेंटरी बोर्ड) का गठन किया गया। डाक्टर अंसारी सचिव, और श्री भूला भाई देसाई इसके अध्यक्ष बनाये गए। अप्रील १९३५ में जबलपुर में निर्वाचन के आधार पर इसका पुनर्गठन किया गया। भूलाभाई देसाई अभिषद् के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसमें २९ सदस्य थे जिनमें २५ अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी द्वारा निर्वाचित और शेष इन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा सहयोजित।

आसन्न चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारी :

१९३५-३६ में काँग्रेस एवं अन्य पार्टियाँ चुनावों के लिए तैयारी करती रहीं। तत्कालीन सरकारी अभिलेखों को इस सम्बन्ध में काँग्रेसी कार्रवाइयों में अत्याधिक वृद्धि होने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। पटना के आयुक्त ने २७ अगस्त, १९२९ को सरकार को एक रिपोर्ट में लिखा : "आगामी चुनावों के सम्बन्ध में काँग्रेस की गतिविधि बहुत ही बढ़ गई है।" १३ नवम्बर, १९३६ को उसने फिर लिखा : "सभी जिलों में आगामी चुनावों के संबंध में पर्याप्त राजनैतिक हलचल दिखाई पड़ रही है।" बिहार में काँग्रेसी उम्मीदवार सामान्यतः साधरण हैसियत के काँग्रेसी कार्यकर्त्ता थे। अपने चुनाव अभियान पर वे यथासंभव अपने पास से ही खर्च करते। प्रान्तीय अधिकोश से अंषतः कुछ धन उन्हें दिया गया था।

काँग्रेस के लिए जो लोग काम कर रहे थे वे अधिकाधिक सदस्य बनाने तथा मतदाताओं को मतदान करने की आवश्यकता समझाने के हेतु प्रयत्न कर रहे थे। काँग्रेस संसदीय समिति की कार्रवाइयों के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू और गोविन्द वल्लभ पन्त जैसे नेताओं की यात्रा से बिहार के लोगों में उत्साह बढ़ा।[१] स्थानीय नेता यह समझ रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू के लिए बिहार में अनेक स्थानों पर जाना संभव नहीं होगा क्योंकि देश भर में उनकी माँग की जा रही थी। जवाहरलाल जी की बिहार यात्रा में राजेन्द्र बाबू उनके साथ नहीं जाया करते थे। वे अनेक

---

१. डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृ० ४६५-४६६।

दूसरी जगह स्वयं ही जाते।[1] उद्देश्य था कि प्रान्त भर का दौरा किया जा सके। अन्य स्थानीय नेता भी चुनाव अभियान में व्यस्त रहते थे। वे विभिन्न स्थानों पर जाते, सभाएँ करते, लोगों को काँग्रेस का संदेश देते और काँग्रेस चुनाव घोषणापत्र[2] का अर्थ समझाते। इन सभाओं तथा चुनाव अभियान के सिलसिले में सामान्य तौर पर यह कह कर जनता को उत्साहित किया जाता कि वह "काँग्रेस, भारत तथा आजादी के पक्ष में अपना समर्थन प्रदान करे"। इस सिलसिले में औरंगाबाद अनुमण्डल के रफीगंज में १-२ जून (१९३५) को एक सभा हजारीबाग के श्री राम नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें श्रीकृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, रामपुकार सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी मुख्य वक्ता थे। शाहाबाद जिलान्तर्गत पीरो थाना के जमुआवा में ५ जून को एक सभा हुई। इसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त प्रोफेसर अब्दुल बारी ने भाषण किया।[3] वर्ष के उत्तरार्द्ध में मुँगेर जिला प्रान्तीय सम्मेलन का चौथा अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता श्री राम नारायण सिंह ने की। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार काँग्रेस ने ७८ हजार के लगभग सदस्य बनाए थे। इनमें बिहार के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी।[4]

१. श्री मथुरा प्रसाद की अप्रकाशित डायरी : श्री प्रसाद राजेन्द्र बाबू के साथ इन यात्राओं में रहा करते थे। उनकी डायरी में राजेन्द्र बाबू के १७ और १८ फरवरी (१९३६) की मुँगेर एवं भागलपुर की यात्राओं के रोचक विवरण मिलते हैं। द्रष्टव्य परिशिष्ट।

२. नये संविधान के सम्बन्ध में काँग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में इन शब्दों में उसकी नीति व्यक्त की गई थी :—"किन्तु नये संविधान के अन्तर्गत धारा सभाओं में काँग्रेस जनों को भेजने का उद्देश्य संविधान के साथ सहयोग करना नहीं बल्कि उसका प्रतिरोध करना तथा उसे समाप्त करना था। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो संविधान को ठुकराने एवं ब्रितानी साम्राज्यवाद का भारत पर अपने शिकंजा कसे रहने तथा भारतीय जनता के शोषण के प्रयत्न को सुदृढ़ करने का प्रतिरोध करना था। काँग्रेस का अभिमत है कि धारा सभाओं में ऐसा काम किया जाना चाहिए जो जनता को शक्ति प्रदान करने एवं स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आवश्यक तैयारियाँ करने के कार्यों में सहयोग दे। दृष्टव्य परिशिष्ट।

३. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट (जून पूर्वार्द्ध १९३५)।

४. बिहार एण्ड उड़ीसा इन १९३५-३६, पृ० ७।

प्रान्त भर में रचनात्मक कार्यक्रम :

चुनाव में व्यस्त रहने के अतिरिक्त काँग्रेस-जन विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम में भी लगे रहे। अनेक प्रान्तीय कार्यकर्त्ता अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग संघ तथा अखिल भारतीय चर्खासंघ में सम्मिलित होकर उनके विभिन्न केन्द्रों में काम करते थे। ग्रामीण जनता के हित में रात्रि पाठशाला, ग्राम पुस्तकालय, दातव्य औषधालय, आटा-चक्की और दुकानें अनेक स्थानों पर खोली गई (पटना जिलान्तर्गत बिहटा में जुलाई में आटा-चक्की खोली गई)। कुछ स्थानों पर खजूर का गुड़ बनाना शुरू किया गया (बिहार थाना में जुलाई १९३५ में)। कई स्थानों पर कपास के बीज किसानों में वितरित किए गए (गया जिलान्तर्गत दाउदनगर तथा शाहाबाद जिलान्तर्गत जगदीशपुर इलाकों में जुलाई-अगस्त १९३५)।[१] सितम्बर १९३५ में औरंगाबाद अनुमण्डल ग्राम-उद्योग-संध के प्रयत्न से एक जमीन्दार ने दातव्य औषधालय, कताई, स्कूल और एक पुस्तकालय खोलने के हेतु दस बीघा जमीन दी।[२] लगभग उसी समय दानापुर अनुमण्डल के एक गाँव हरदी छपरा में ग्राम-सुधार सभा की स्थापना हुई।[३] यह संस्था कुछ ही दिन चलकर बन्द हो गई। देवघर में पंडित बिनोदानन्द झा कुछ पुराने उद्योग-धंधों को फिर से चालू कराने का प्रयत्न कर रहे थे। मीना बाजार महल्ला में स्थानीय बनी वस्तुओं के बिक्रय के लिए एक दुकान भी खोली गई।[४] मुजफ्फरपुर जिला में रामचरण सिंह, जनकधारी प्रसाद और लक्ष्मी नारायण (सचिव, अखिल भारतीय चर्खा-संघ) तथा कुछ अन्य लोग उपर्युक्त दोनों संघों के कार्यक्रम के कार्यान्वियन में अपना सारा समय लगा रहे थे।[५]

---

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, अगस्त पूर्वार्द्ध १९३५।
२. वही, सितम्बर उत्तरार्द्ध, १९३५।
३. वही, १८ अक्टूबर, १९३५।
४. द इण्डियन नेशन, २० अक्टूबर, १९३५
५. वही, नवम्बर १९३५ में बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के सचिव, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा सहायक सचिव श्री मथुरा प्रसाद, श्री गोरख प्रसाद और श्री नारायण छपरा जिलान्तर्गत रिबीलगंज गये। गोण्डा में ग्राम उद्योग संघ की

इस सम्बन्ध में एक रोचक बात यह है कि शाह मुहम्मद उमेर के प्रयत्न से नहर के पूर्व में निर्मित नया आवास का उद्घाटन १५ जून, १९३५ को श्री सी० एफ० ऐण्ड्रूज ने किया था। इस अवसर पर स्वामी सहजानन्द का लिखित भाषण किसी अन्य व्यक्ति ने पढ़कर सुनाया। श्री सहजानन्द पर धारा १४४[1] के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इन्हीं दिनों कुछ नये कांग्रेस आश्रम भी खोले गए और पुराने आश्रम को पुनरुज्जीवित किया गया। पटना जिला काँग्रेस कमिटी की २२ अक्टूबर, १९३५ की बैठक में पटना के समीप विक्रमगंज में एक कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण शिविर तथा हिलसा, बिक्रम और पटना में आश्रम खोलने का निर्णय किया गया। बिक्रम में प्रशिक्षण शिविर ५ नवम्बर से शुरू हुआ। इसके कुछ ही दिन पहले अनुग्रह बाबू ने बख्तियारपुर में एक आश्रम के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की थी। आश्रम अधिकतर पंडित शीलभद्र याजी के प्रयत्नों से खोला गया था। इस समारोह में कई प्रमुख लोग सम्मिलित हुए थे। इनमें सर्वश्री मथुरा प्रसाद, स्वामी सहजानन्द, श्री अम्बिका कान्त सिंह, शाह मुहम्मद मुनीमी और श्री ब्रजनन्दन प्रसाद (एडवोकेट)[2] प्रमुख थे। नवम्बर में अनुग्रह बाबू, मथुरा प्रसाद और पंडित गिरीश तिवारी एवं कुछ अन्य काँग्रेसजन सोनपुर आश्रम में मिले। सबों ने सुदूर गाँवों में काँग्रेस का संदेश फैलाने के हेतु आश्रम खोलने की उपयोगिता पर बल दिया।[3]

काँग्रेस का स्वर्ण जयन्ती समारोह (२८ दिसम्बर १९३५):

१९३५ एक विशेष महत्वपूर्ण वर्ष इसलिये भी था कि जुलाई-अगस्त में २८ दिसम्बर को धूमधाम के साथ स्वर्ण जयन्ती मनाने का निर्णय किया

एक शाखा खोलने के सिलसिले में। वहाँ के स्थानीय काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं एवं कुछ अन्य लोगों के साथ बातचीत के फलस्वरूप गोपडा और सिरसिया के मध्यवर्त्ती गाँवों में श्री गोरख प्रसाद के निदेशन में काम शुरू करने का निर्णय किया गया। द इंडियन नेशन, १५ नवम्बर, १९३५।

१. पटना के आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, जून उत्तरार्द्ध १९३५।
२. वही, २७ नवम्बर १९३५: द इण्डियन नेशन, १६ अक्टूबर, १९३५
३. द इण्डियन नेशन, १५ नवम्बर, १९३५।

गया। इसके लिए अक्टूबर में उपयुक्त कार्यक्रम बनाना था। समारोह का निर्धारित कार्यक्रम मुख्यतः इस प्रकार था :—

भोर में प्रभात फेरी, साढ़े आठ बजे झण्डोत्तोलन तथा उसका अभिवादन, काँग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय सेवा, छोटे-छोटे राष्ट्रीय झण्डों का विक्रय, तीसरे पहर जुलूस, सभाओं में काँग्रेस से सम्बन्धित भाषण तथा काँग्रेस अध्यक्ष के संदेश पढ़कर सुनाना, रात में दिवाली (आतिसबाजी नहीं), खेल-कूद (कुश्ती, देशी खेल और प्रतियोगताएँ[१]), मेला—(खादी प्रदर्शनी और प्रदर्शन, ग्राम उद्योग प्रदर्शनी और प्रदर्शन, अन्य स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनी, राष्ट्रीय रुचि एवं महत्व के विषयों पर कवि सम्मेलन एवं मुशायरा, संगीत और उपयुक्त साहित्य के माध्यम से काँग्रेस-प्रचार-कार्य।

इस सम्बन्ध में प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के अध्यक्ष, बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने बिहार की जनता के नाम नवम्बर के आरम्भ में ही इस आशय की अपील की :—

"भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के स्वर्ण जयन्ती समारोह के सिलसिले में काँग्रेस कार्यकारिणी के विचार से जनता पहले से ही अवगत है। इस अवसर पर पूरे उत्साह के साथ समारोह मनाना हमारा कर्त्तव्य है जिसमें काँग्रेस का संदेश देश के कोने-कोने में पहुँचाया जा सके। किन्तु हमारे सामने काम बहुत अधिक है और समय बहुत कम।

इसलिये मैं प्रान्त की प्रत्येक स्थानीय काँग्रेस कमिटी से इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी पूरी शक्ति लगा देने की अपील करता हूँ। यह अनुष्ठान सफल हो, इसके लिए सभी काँग्रेसी अपना भेद-भाव भूलकर हार्दिक सहयोग प्रदान करें। काँग्रेस कार्यकर्त्ता सभाएँ आयोजित करें और समारोहों के हेतु कार्यक्रम बनाएँ। यदि स्थिति अनुकूल रही तो मैं स्वयं इस सम्बन्ध में सभी जिलों की यात्रा करूँगा।

प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी और जिला काँग्रेस कमिटियों ने अवसर के उपयुक्त आयोजन करने के हेतु उप समितियाँ गठित कीं। पटना में डॉक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा के निवास स्थान पर एक सभा हुई और आयोजन की

---

१. द इण्डियन नेशन, २७ नवम्बर १९३५

तैयारियाँ करने के हेतु विभिन्न विचारधारा के प्रतिनिधियों सहित एक समिति गठित की गई।[1] भागलपुर जिला काँग्रेस कमिटी ने इस अवसर पर अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी लगाने का निर्णय किया। बिहार के सभी स्थानों पर जयन्ती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला अभिषदों ने भी इसमें उत्साह के साथ भाग लिया तथा अनेक स्थानीय संस्थाओं के भवन सजाये गये थे। पटना नगर बड़े ही भव्य एवं कलात्मक ढंग से सजाया गया था। संध्या में कई जुलूस निकाले गये। मोकामा में समारोह बड़े ही सफल थे। स्वामी सहजानन्द तथा कुछ अन्य किसान नेताओं ने विक्रम और बिहटा के इलाकों की सभाओं में सक्रिय भाग लिया।[2] आरा में शाहाबाद के जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार समारोह बहुत ही "सफल" था। विस्तृत तैयारियाँ की गई थीं और उनका खूब प्रचार किया गया था।[3] अनुग्रह बाबू ने २८ दिसम्बर की सभा में झण्डोत्तोलन समारोह की अध्यक्षता की। प्रोफेसर अब्दुल बारी भी उस समय उपस्थित थे। संध्या में कुँवर सिंह और शेरशाह के चित्रों का अनावरण किया गया।[4] पटना प्रमण्डल के आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार "सभी समारोह सुव्यवस्थित थे और भाषण संयत मुख्यत: इतिहास तथा काँग्रेस की प्रशंसा से संबंधित।"[5] अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही हुआ होगा।

बिहार के विभिन्न जिलों में राजनैतिक सम्मेलन :

स्वतन्त्रता दिवस (२६ जनवरी, गांधी जयन्ती सप्ताह २४ सितम्बर से २ अक्टूबर), (नेशनल वीक ६ अप्रैल से १३ अप्रैल), नजरबन्दी दिवस (१९ मई), जे० पी० सी० विरोध दिवस (७ अप्रैल १९३५), और हरिजन दिवस (२४ सितम्बर, १९३५) जैसे अवसर उपयुक्त ढंग से मनाये गये।

---

१. द इण्डियन नेशन, २७ नवम्बर, १९३५।
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, जनवरी के पूर्वार्द्ध १९३६।
३. वही।
४. वही।
५. द इण्डियन नेशन, २७ नवम्बर, १९३५।

बिहार के विभिन्न जिलों में पूरी तैयारी के साथ जिला राजनैतिक सम्मेलन आयोजित किये गये। पटना जिला राजनैतिक सम्मेलन नवम्बर १९३५ में तथा पूर्णिया जिला राजनैतिक सम्मेलन ९ नवम्बर, १९३५ को सम्पन्न हुआ। पूर्णियाँ सम्मेलन की अध्यक्षता, श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी। मुँगेर में बेगूसराय में पूरी तैयारी के साथ राजनैतिक सम्मेलन २३ नवम्बर को सम्पन्न हुआ। इसके स्वागतकारिणी के सदस्य, श्री राम चरित्र सिंह तथा अध्यक्ष, श्री रामनारायण सिंह थे। लगभग तीन हजार लोग सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाये गये पण्डाल में बैठे। सम्मेलन में प्रान्त तथा जिला के प्रमुख नेता सम्मिलित हुए।[1] सम्मेलन समाप्त होने के तुरत बाद उस पण्डाल में गन्ना उत्पादन सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता अनुग्रह नारायण सिंह ने की। इसमें एक प्रस्ताव स्वीकृत करके सरकार से ऊख का दाम पाँच आना से बढ़ाकर आठ आना करने का अनुरोध किया गया था।[2] संथालपरगना जिला राजनैतिक सम्मेलन गोड्डा अनुमण्डल के रजौन नामक स्थान पर सम्पन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने की।

हजारीबाग जिला के चतरा में १५-१६ जनवरी, १९३८ को जिला राजनैतिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसमें श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री श्रीकृष्ण सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह एवं अन्य नेता सम्मिलित हुए। "यह सम्मेलन प्रत्येक दृष्टि से सफल था।"

समाजवादियों ने पटना में ५-६ दिसम्बर, १९३६ को पटना राजनैतिक सम्मेलन किया।

बिहार राजनैतिक सम्मेलन का १९वाँ अधिवेशन, पटना : (१५-१६ जनवरी, १९३६)

छः वर्षों तक सरकारी प्रतिबन्ध के पश्चात् बिहार राजनैतिक सम्मेलन का १९वाँ अधिवेशन पटना में १५-१६ जनवरी, १९३६ को पूर्ण उत्साह के वातावरण में सम्पन्न हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष, राजेन्द्र प्रसाद ने इस सम्मेलन में

१. द इण्डियन नेशन, २७ नवम्बर, १९३५।
२. वही।

सम्मिलित होकर लोगों का उत्साह बढ़ाया था। प्रान्त भर के लगभग पाँच हजार प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए। इनमें अनेक किसान और संथाल भी थे। अनेक प्रेक्षकों ने भी इसमें भाग लिया था। स्वागतकारिणी के अध्यक्ष, रामनारायण सिंह ने नये संविधान में अपवर्जित क्षेत्रों के प्रश्न पर ध्यान देने की अपील की। सम्मेलन के अध्यक्ष, श्री रामदयालु सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १९३५ की विभिन्न खामियों का उल्लेख किया। श्री सिंह ने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम, ग्राम कल्याण तथा किसानों की दशा में सुधार करने की अपील की। राजेन्द्र बाबू ने भी अपने भाषण में रचनात्मक कार्यक्रम चलाते रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अपील की। बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने पब्लिक सेफ्टिक बिल के सम्बन्ध में सरकारी नीति की कड़ी आलोचना की। आर्थिक मन्दी को देखते हुए मालगुजारी घटाने तथा किसानों पर जमीन्दारों के जुल्म खतम करने के प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

किसान-आन्दोलन :

इन वर्षों में किसान-आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। उसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। समाजवादी सदस्य भी उसकी सहायता कर रहे थे। कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में (१२-१४ अप्रील, १९३६) "जनता के साथ संगठन का अधिक निकट सम्पर्क" स्थापित करने और "किसान मजदूर और दूसरे संगठनों के साथ, जिनका उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करना एवं सभी साम्राज्य विरोधी शक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा बनाना है, घनिष्ट सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया।" इनके हेतु संविधान में उपयुक्त परिवर्त्तन करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने एक त्रिसदस्यीय समिति नियुक्त की! श्री राजेन्द्र प्रसाद, जयरामदास दौलतराम और जयप्रकाश नारायण इसके सदस्य थे। कांग्रेस देश की गम्भीर कृषि समस्याओं के प्रति चैतन्य थी। उसने एक प्रस्ताव में अखिल भारतीय कृषि कार्यक्रम तथा प्रत्येक प्रान्त के लिए अलग-अलग कार्यक्रम पर एक अन्य प्रस्ताव में विचार किया। क्योंकि विभिन्न प्रान्तों में कृषि समस्याएँ, जमीन की बन्दोबस्ती और राज्य की विभिन्न व्यवस्थाएँ थीं। इसे ध्यान में रखकर

प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी से निम्नलिखित विषयों पर विशेष ध्यान रखकर अनुशंसा करने का आग्रह किया गया :—

(क) खेत-मजदूरों तथा किसानों का संगठन बनाने की स्वतन्त्रता,

(ख) जिन प्रान्तों में राज्य और किसानों के बीच मध्यवर्त्ती हो वहाँ किसानों के हित की रक्षा,

(ग) कृषि-ऋणग्रस्तता के लिए न्यायपूर्ण एवं उचित राहत, इसमें बाकी मालगुजारी और राजस्व भी सम्मिलित होंगे,

(घ) सामन्तों और अर्धसामन्तों की वसूलियों से किसानों की उन्मुक्ति,

(ङ) मालगुजारी और राजस्व में उपयुक्त कमी करना,

(च) गाँवों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं के हेतु राज्य द्वारा व्यय की जानेवाली धनराशि से पर्याप्त अंश निर्धारित करना।

(छ) किसानों के घरेलू एवं कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए स्थानीय प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने पर परेशान करने वाले प्रतिबन्धों से रक्षा,

(ज) सरकारी अमलों और जमीन्दारों के जुल्मों से उन्मुक्ति,

(झ) ग्रामीण बेकारी दूर करने के लिए उद्योग-धन्धों का प्रोत्साहन।"

श्री रंगा और कुछ अन्य लोग किसानों का एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे किन्तु बिहार के समाजवादी उस समय इसका विरोध करते थे और उन्होंने "देश भर के कार्यकर्त्ताओं को अपने-अपने प्रान्तों में किसानों का धैर्य के साथ संगठन करने एवं पाँच वर्षों तक अखिल भारतीय संघ की स्थापना को स्थगित रखने का आग्रह किया।"[१] स्वामी सहजानन्द ने भी हाजीपुर में ऐसा ही विचार प्रकट किया। फिर भी मार्च १९३६ में बिहार प्रान्तीय किसान सभा के सचिव, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह ने अखिल भारतीय किसान सम्मेलन (मोती नगर, लखनऊ) में किसान कार्यकर्त्ताओं के भाग लेने के हेतु अधिसूचना जारी की।[२] बिहार से कुछ लोग अप्रील में इस सम्मेलन में शामिल हुए।

---

१. द इण्डियन नेशन, १६ अक्टूबर, १९३५।

२. द सर्चलाइट, १ अप्रील, १९३६।

बिहार में किसान आन्दोलन का स्थानीय नेतृत्व बहुत ही प्रभावी था और आन्दोलन प्रगति कर रहा था। उन दिनों पटना, गया और मुंगेर जिलों में आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। इन लोगों में स्वामी सहजानन्द, श्री यदुनन्दन शर्मा, श्री गंगाशरण सिंह तथा कुछ अन्य किसान नेता जगह-जगह सभाएँ करते और आन्दोलन को जोरदार बनाते। सभाओं में किसानों की शिकायतें : ऊँची मालगुजारी, नहर दर, चीनी मिलों द्वारा भुगतान की गई ईख का मूल्य इत्यादि पर बल दिया जाता। उन्हें दूर करने की माँग की जाती। इन दिनों स्वामी सहजानन्द के भाषण संयत शैली में होते, उनमें किसनों की स्थिति में सुधार लाने के हेतु रचनात्मक सलाहें दी जातीं। जून-जुलाई, १९३५ में सरकार स्वामी सहजानन्द पर धारा—१४४ के अन्तर्गत लगाई गई रोक को हटाना चाहती थी। सितम्बर, १९३५ में किसान सभा ने दानापुर अनुमंडल के रैयतों को चीनी मिलों द्वारा ईख आपूर्त्ति पर सात आना के बदले नौ आना की दर से भुगतान लेने के हेतु एवं मिलों से अग्रिम नहीं लेने की सलाह दी। इसके लिए रैयतों में इश्तहार बाँटे गए।[1] कुछ ही दिनों में मखदुमपुर थाना के किसानों की एक बड़ी सभा हुई। उसमें बिहार टेनेन्सी ऐक्ट की विषमताओं पर जोरदार विरोध प्रकट किया गया। यह कानून पिछले जून में लागू किया गया था। डेहरी थाना किसान-सम्मेलन ५-६ अक्टूबर (१९३५) को देरिहट में यदुनन्दन शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।[2] कुछ ही दिनों के भीतर स्वामी सहजानन्द और गंगाशरण सिंह ने शाहाबाद जिलान्तर्गत दिनारा क्षेत्र की एक सभा में बिहार टेनेन्सी ऐक्ट की धाराओं की आलोचना की।[3]

मुजफ्फरपुर जिला किसान-सम्मेलन का तीसरा वार्षिक अधिवेशन ३०-३१ अक्टूबर, १९३५ को हुआ। इसमें भाग लेने वालों में श्री सहजानन्द सरस्वती, रामवृक्ष वेनीपुरी आदि सम्मिलित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता गंगाशरण सिंह ने की। अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए श्री सिंह ने किसान आन्दोलन के विभिन्न पक्षों तथा किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं

---

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, सितम्बर उत्तरार्द्ध, १९३५।

२. दी इण्डियन नेशन, १० अक्टूबर, पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, अक्टूबर के पूर्वार्द्ध।

३. वही, २७ अक्टूबर, १९३५।

माँगों पर प्रकाश डाला। स्वामी सहजानन्द ने अपने डेढ़ घण्टा के भाषण कहा कि अनवरत एवं संगठित आन्दोलन करते रहना चाहिए जिसमें राज्य किसानों की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी करने–वस्त्र, निःशुल्क शिक्षा आदि–की व्यवस्था करे। दूसरे दिन की बैठक में कई प्रस्ताव स्वीकृत हुए। एक प्रस्ताव में बाढ़पीड़ितों की सहायता तथा एक अन्य में ईख का मूल्य बढ़ाने की माँग की गई थी। सम्मेलन में यमुना कार्यी ने मालगुजारी घटाने के प्रस्ताव पर सरकार के विरोधी रवैया की निन्दा की।[1]

सन् १९३५ के प्रारम्भ में पटना जिला के विक्रम तथा नौबतपुर और गया के कुर्था में किसान सभा के तत्वावधान में सभाएँ हुईं। नालन्दा में थाना किसान सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसमें उपर्युक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुए।[2] शकूराबाद में भी किसान सभाएँ हुईं। ध्यातव्य है कि बिहार में कृषि की स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी और खरीफ की फसल खराब होने के कारण सरकार अत्याधिक चिंतित थी।[3]

तृतीय बिहार प्रान्तीय किसान-सम्मेलन, हाजीपुर में २६-२७ नवम्बर, १९३५ को स्वामी सहजानन्द की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। लम्बे और प्रेरणाप्रद अध्यक्षीय भाषण में किसान संघ की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया गया था एवं इस आरोप का खण्डन किया गया था कि काँग्रेस से किसान आन्दोलन की प्रतिस्पर्द्धा थी। भाषण में कहा गया था कि अखिल भारतीय किसान-संघ स्थापित करने का विचार यद्यपि अभिनन्दनीय था किन्तु, अभी उसका समय नहीं हुआ था, क्योंकि जबतक प्रान्तों में प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता पूरी संख्या में नहीं हो जाते तबतक ऐसे सगठन के अवांछनीय एवं स्वार्थी लोगों के हाथों पड़ जाने का खतरा था।

सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।[4] कई अन्य प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए। कुछेक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

---

१. वही, ९ नवम्बर, १९३५।

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, नवम्बर पूर्वार्द्ध।

३. वही, २७ नवम्बर, १९३५।

४. स्वामी सहजानन्द "मेरे जीवन संघर्ष" पृ० ४४८।

(क) किसान-सभा काँग्रेस की राजनैतिक गतिविधि का विरोध नहीं करेगी। आशा की जाती है कि काँग्रेस इस प्रकार प्रगति करेगी जिससे सभा के हितों का सम्वर्द्धन होगा।

(ख) किसान ऐसा कोई संविधान स्वीकार नहीं करेंगे, जिसमें किसानों एवं दलित लोगों को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिले और सभा के प्रतिनिधियों की सहमति नहीं ली गई हो।

(ग) सम्मेलन सरकार से अनुशंसा करती है कि मिडिल स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय तथा उच्च शिक्षा के लिए किसानों के लड़कों की पर्याप्त सुविधा दी जाय।

(घ) सरकार से मधेपुरा और सुपौल अनुमण्डलों की बलुआही जमीन का भू-राजस्व माफ करने का अनुरोध किया गया।

(ङ) ईख का दाम आठ आना प्रति मन की दर से निश्चित किया जाय। इसमें गाड़ी-भाड़ा सम्मिलित नहीं होगा। भागलपुर प्रमण्डल में सुगरकेन ऐक्ट लागू कराया जाय, क्योंकि कई चीनी मिलें खुल चुकी थीं।

(च) सरकार का ध्यान मुंगेर जिला के बिन्दा दियारा के खास महाल के किसानों की विषम स्थिति की ओर आकृष्ट कराया गया।

(छ) सम्मेलन में गया जिला के किसानों की हृदय-विदारक स्थिति के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की गयी। सम्मेलन ने सरकार से जाँच कराने और लोगों का कष्ट दूर करने का अनुरोध किया।

(ज) लोगों को ऋण-मुक्त करने की व्यवस्था की जाय।

(झ) सरकार से सूखा एवं बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने की स्थितियों की जाँच करने का अनुरोध किया गया।

निम्नलिखित सुझाव दिए गए :—हर तीन वर्ष पर आहर, नाला, आदि की मरम्मती हो, रेलवे लाइन और जिला बोर्डों की सड़कों पर और अधिक पुल बनाये जायँ, उत्तर बिहार में नहर की व्यवस्था हो, भूकम्प के कारण

जमीन के स्तर में जो परिवर्त्तन हुए हैं उनकी जाँच कराई जाय और पूर्व स्थिति लाने के लिए क्या किया जा सकता है, यह देखा जाय।

(ञ) बाबू दीप नारायण सिंह, एम० एल० ए० की जमीन्दारी में किसानों पर जुल्म किए जा रहे थे, सम्मेलन ने उनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया।[1]

(ट) ग्राम सहयोग समितियों के प्रशासन एवं बक के कर्मचारियों के द्वारा लोगों के साथ कठोर व्यवहार पर खेद एवं असंतोष प्रकट किया गया। सरकार से गैर-सरकारी स्तर पर जाँच कराने का अनुरोध किया गया।

हिलसा थाना किसान-सम्मेलन का पहला अधिवेशन हिलसा में ६ दिसम्बर, १९३५ को हुआ। इसमें अनुग्रह नारायण सिंह, अयोध्या प्रसाद, शीलभद्र याजी और अवधेश कुमार सिंह ने भाषण किए।

१९३६ में किसान-सभा की गतिविधि गया, पटना और शाहाबाद जिलों में विशेष रूप से दिखाई पड़ी। बिहटा चीनी मिल के इलाके गन्ना उत्पादकों की गन्ना का मूल्य बढ़ाने हेतु हड़ताल चल रही थी। उसका कोई सामाधान नहीं हुआ था। जनवरी आरंभ से स्वामी सहजानन्द और श्री यदुनन्दन शर्मा, घोसी, अरवल, बेलागंज, मखदुमपुर और टेकारी थाना के इलाकों के यात्रा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त पटना और शाहाबाद जिलों के भी कुछ इलाकों में वे घूम-घूम कर सभाएँ कर रहे थे।[2] शाहाबाद जिलान्तर्गत जिनौरा में २९ जनवरी १९३६ को किसान-सम्मेलन हुआ। इसमें स्वामी सहजानन्द और जयप्रकाश नारायण प्रमुख वक्ता थे। सम्मेलन में मालगुजारी और नहर-कर कम करने तथा सिचाई-विभाग के अमलों एवं कर्मचारियों का भ्रष्टाचार रोकने के हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुए।[3] गया जिलान्तर्गत बेला में टिकारी राज के रैयत कचहरी सामने सत्याग्रह कर रहे थे क्योंकि जमींदार चालू फसल का आधा ही नहीं बल्कि पिछले वर्षों का बकिऔता भी वसूल करना चाहते थे। सदर अनुमण्डलाधिकारी ने राज को

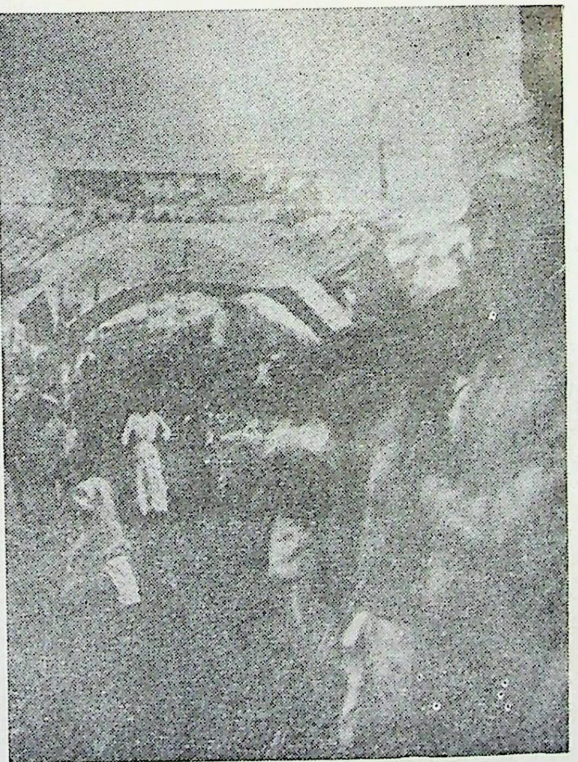
१. श्री दीप नारायण सिंह सच्चे देशभक्त थे। उनकी मृत्यु हाल ही में हुई थी। उसी वर्ष पूर्णियाँ के एक देशभक्त श्री निवारणचन्द्र दास गुप्त की भी मृत्यु हुई।

२. द इंडिया नेशन, ७ दिसम्बर, १९३५।

३. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, जनवरी पूर्वार्द्ध, १९३६।



कांग्रेस रजत जयन्ती समारोह (१९३५) के अवसर पर पटना सिटी में स्वराज द्वार का एक दृश्य

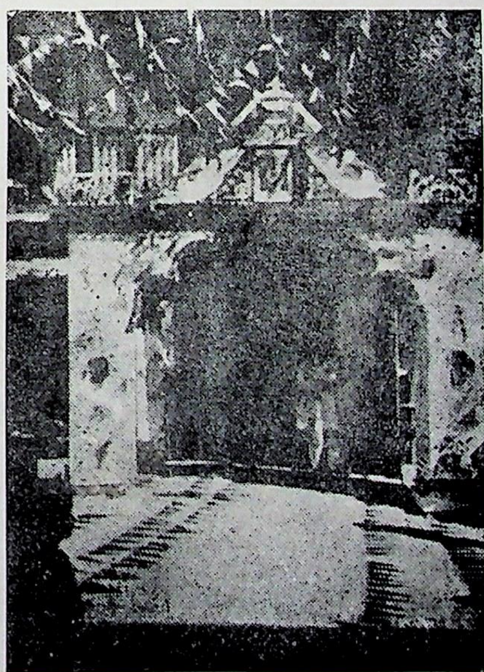


कांग्रेस जयन्ती समारोह (१९३५) पटना सिटी के एक द्वारका दृश्य





कांग्रेस रजत जयन्ती समारोह (१६३५) के अवसर
पर पटना सिटी में निर्मित एक फाटक का दृश्य



कांग्रेस रजत जयन्ती समारोह (१६३५) के अवसर
पटना सिटी में निर्मित मेहराब का दृश्य



चालू फसल का अर्धांश वसूलने को किसी तरह राजी किया। गया के जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में लिखा : "अधिकतर मामलों में जान पड़ता है कि गड़बड़ी जमीन्दारों की ओर से ही फैलायी जाती है और यदि वे अधिक सावधान नहीं होते तो जिला में किसान-सभा के लोगों के लिए गड़बड़ी फैलाने का काफी सामान है।"[1]

सरकार का उन दिनों विश्वास था कि स्वामी सहजानन्द केवल "सही शिकायतों को वैध तरीकों से दूर करने के प्रयत्नों"[2] तक ही अपने को सीमित रख रहे थे। २५ मार्च, १९३५ को पटना जिला परिषद के प्रतिनिधियों ने पटना के जिलाधिकारी से भेंट की। उसने उनकी शिकायतें ध्यान से सुनी और उन्हें बिहार के अनुमण्डलाधिकारी के पास आवेदन करने को कहा। जिलाधिकारी ने उन्हें यह भी कहा कि अनुमण्डलाधिकारी को वे अपनी शिकायतें और जमीन्दारों की अवैध कारवाइयों से अवगत करावें। तदुपरान्त कार्यकर्त्ता जुलूस के रूप में विधान परिषद के समीप पहुँचे और वहाँ प्रदर्शन किया।[3] अन्य जिलों में भी ऐस से ही प्रदर्शन किए गए। गया जिला में किसानों के प्रतिनिधि जिनमें अधिकतर टिकारी राज के थे, जिलाधिकारी के पास व्यवस्थित एवं शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें सुनाने गये। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनकी शिकायतों की जाँच की जायगी। शाहाबाद जिला के एकमा में २७ और २८ मार्च को प्रदर्शन किए गए। इस अवसर पर पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी श्रमती चन्द्रावती देवी ने भाषण किया और बाद में महिलाओं की एक सभा की। पीरो थाना के लवना गाँव के श्री देब नारायण शर्मा ने सरकार के विरुद्ध कुछ कड़ी बातें कहीं। कुछ मामलों में स्थानीय अधिकारियों एवं किसानों के मध्य समझौता करा दी। इससे किसानों को कुछ राहत नहीं मिली। अनेक किसानों से बाकी मालगुजारी की वसूली के रूप में उनकी पूरी या अंशतः जमीन छीन ली गई थी।

---

१. पटना आयुक्त की राय में. "इस विषय को यद्यपि कि सही और व्यापक शिकायतें थीं"—फरवरी पूर्वार्द्ध (१९३६ की पाक्षिक रिपोर्ट)।

२. २७ फरवरी, १९३६

३. किसान आंदोलन की टिप्पणी।

किसान जाँच समिति का गठन, उसकी कार्रवाइयाँ:

इस समय बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में एक किसान जाँच समिति रैयातों की शिकायतों की जाँच करने के लिए नियुक्त की। इस समिति ने मार्च, १९३६ के अन्त मे एक विस्तृत प्रश्नावाली[१] प्रचारित कर के विभिन्न संगठनों, संस्थानों तथा व्यक्तियों से उत्तरमाला कांग्रेस सचिव के सदाकत आश्रम के पते से २५ अप्रील तक भेजने का अनुरोध किया। समिति ने जून (१९३६) आरंभ से अपना काम शुरू किया। गया, शाहाबाद, पटना और छोटानागपुर जिलों की यात्रा की और फिर जुलाई के अन्त में भागलपुर और तिरहुत प्रमण्डलों में घूम-घूमकर अपना काम पूरा किया। समिति ने अनेक भीतरी इलाकों में जा-जाकर किसानों की शिकायतें सुनीं और इस प्रकार अपना काम सम्पन्न किया। बक्सर अनुमण्डल में बाबू श्रीकृष्ण सिंह और कृष्णवल्लभ सहाय उसमें शामिल हुए। शाहाबाद जिला में समिति निम्नलिखित स्थानों पर गई (क) दरिहट, चौधरी कालिका प्रसाद की जमीन्दारी की एक गाँव। यहाँ के किसानों में व्यापक असंतोष फैला हुआ था। (ख) जितौरा—निर्मल कुमार जैन की जमीन्दारी, किसान सभा का एक प्रमुख केन्द्र। (ग) अतमी—निर्मल कुमार जैन की जमीन्दारी, यहाँ १२-१३ वर्ष पूर्व मालगुजारी में इजाफा किए जाने, सिंचाई की सुविधाओं की कमी और बाकी मालगुजारी की वसूली के कारण किसानों में असंतोष था। (घ) डुमरांव महाराजा की जमीन्दारी में बक्सर दियारा के किनारे सिमरी, राजनैतिक हलचल का केन्द्र, (ङ) भभुआ अनुमण्डल में कुदरा और (च) डेहरी।

"इस जिला का एक भी जमीन्दार समिति के सामने नहीं आया किन्तु जमीन्दारों के कुछ कारिन्दे उसकी कार्ययाही के समय उपस्थित रहते"।[२] शाहाबाद के एक जमीन्दार ने जिलाधिकारी को कहा कि सूर्यतुरा के राजा साहब और उस इलाके के कुछ जमीन्दार कांग्रेस की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। जिलाधिकारी ने जवाब दिया कि "यह खेद की बात है कि जमीन्दार आम दुश्मन के विरुद्ध एकजट नहीं हो सकते।"[३]

---

१. परिशिष्ट—१८

२. शाहाबाद के जिलाधिकारी के पटना के आयुक्त को पत्र, १० जुलाई, १९३६।

३. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, जून उत्तरार्द्ध १९३६।

सरकार ने जिलाधिकारियों को अपने इलाके में जाँच समिति की यात्रा के प्रभाव का अध्ययन करने एवं उस पर रिपोर्ट करने को आदेश दिए। तदनुसार शाहाबाद के जिलाधिकारी ने पटना के आयुक्त को १० जुलाई को सूचित किया कि "काँग्रेस पार्टी के सुपरिचित नेताओं की यात्रा से इस जिला के समर्थकों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिलना अनिवार्य था।" औरंगाबाद के अनुमण्डलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में सूचित किया कि काँग्रेस किसान जाँच समिति के आने से "किसानों में उत्तेजना फैली है और अब वे बढ़-चढ़कर काम करने को उद्यत जान पड़ते है।"

किसान - आन्दोलन को दबाने में सरकार और जमीन्दारों का मिलकर काम करना :

कांग्रेस और किसान-सभा के कार्यकर्त्ताओं का घनिष्ट सहयोग एवं दोनों का किसानों पर बढ़ता हुआ प्रभाव सरकार और जमीन्दार के लिए भारी चिन्ता का विषय होना अनिवार्य था। खास करके जब आम चुनाव आसन्न थे। ऐसी संस्थाओं से किसानों को अलग रखना दोनों के हित में था। जून १९३६ के अन्त में बिहार के गवर्नर ने दक्षिण बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों को राँची में उससे मिलकर स्थिति पर बातचीत करने को आमंत्रित किया। गवर्नर ने उन्हें किसानों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क की आवश्यकता बताई। जमीन्दारों ने किसानों से गैर-कानूनी वसूली के मामलों में अपने अमलों को नियंत्रित करने का वचन दिया। इसके लिए वे अमलों का वेतन बढ़ाना, मालगुजारी में कुछ छूट देना, बकाश्त की बन्दोबस्ती पर स्वयं नजर रखने, आदि के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। बकाश्त जमीन को बन्दोबस्ती उन्हीं किसानों के साथ करने पर, जिनकी जमीन इजाफा मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण बिक गई थी, ध्यान देने को तैयार हुए। जमीन्दारों ने अपने वर्ग के अन्य लोगों से भी उनकी अपनी जमीन्दारियों में इन बातों पर ध्यान देने का वचन दिया। "यह भी आशा की जाती थी कि यदि जमीन्दार इन वादाओं के अनुसार काम करते तो किसान आन्दोलन का बहुत-कुछ सुधार खतम हो जाता"।[१] वास्तव में कई जगहों पर स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने किसानों को "किसान सभा के कार्यकर्त्ताओं के खतरनाक

---

१. बिहार में किसान आन्दोलन की टिप्पणी।

सम्पर्क से अलग रखने"[१] के उद्देश्य से जमीन्दारों द्वारा उपर्युक्त वादाओं पर अमल करायें।

किन्तु किसान आन्दोलन के मूल भारत की कृषि व्यवस्था की गम्भीर विषमताओं में निहित थे। अतः किसान आन्दोलन का जोर खास कर के जब किसानों की स्थिति बहुत खराब हो, ऐसे अस्थायी तालमेल के प्रयत्नों से नहीं कम हो सकता था। इंगलैंड के चार्टिस्ट आन्दोलन के सन्दर्भ में कारलाइल ने कहा था: "यह आन्दोलन गंभीर कारणों से शुरू हुआ है। ये कारण हाल ही में नहीं शुरू हुए और एक ही दिन में दूर नहीं किये जा सकते।" तत्कालीन भारतीय किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता था। वास्तव में किसान आन्दोलन बकाश्त जमीन पर कब्जा करने के कार्यक्रम पर केन्द्रीभूत हो रहा था। जुलाई अन्त से अगस्त अन्त तक किसानों के खेती में लगे रहने के कारण आन्दोलन का जोर कम हो गया। शाहाबाद, गया, और पटना के कई स्थानों पर बकाश्त आन्दोलन काफी जोरदार था। सरकारी अधिकारी संयम से काम ले रहे थे और कुछ नेताओं को धारा १४४ और १०७ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था। पटना के जिलाधिकारी ने २६ जुलाई को आयुक्त को सूचित किया: "इस जिला में किसानों की रवैया आमतौर पर एक तरह से शांति का है, केवल बिहार-शरीफ को छोड़कर। वहाँ गया के समीप होने के कारण हलचल ज्यादा है। गया के किसान इस जिला की अपेक्षा अधिक उग्र दिखाई पड़ते हैं अतः बिहारशरीफ अनुमण्डल में अन्य अनुमण्डलों की अपेक्षा स्थिति अधिक कठिन है। बिहारशरीफ में आन्दोलन का केन्द्रीय अनुमण्डल मुख्यालय से कुछ मील दूर बरारा ग्राम में है। वहाँ हरिहर सिंह नामक व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत ही सुदृढ़ है—बिहारशरीफ के अनुमण्डलाधिकारी की धारा-१०७ के अन्तर्गत कार्रवाई बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है।" जिलाधिकारी ने किसान आन्दोलन से निबटने के लिए आम तरीका निर्धारित करने के उद्देश्य से[२] पुलिस और मजिस्ट्रेटों से बातचीत की।

---

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १३ अगस्त, पूर्वार्द्ध १९३६।
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, जुलाई, उत्तरार्द्ध।

मझौली में जमीन्दारों एवं किसानों के मध्य बकाश्त संघर्ष:

इन्हीं दिनों पटना जिलान्तर्गत दानापुर अनुमण्डल के मझौली गाँव में जमीन्दारों तथा किसानों के मध्य एक गंभीर संघर्ष हो गया। पटना के जिलाधिकारी ने उसे सुलझाने का प्रयत्न किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। स्वामी सहजानन्द के निदेशन में किसानों ने उग्र रवैया अपनाया। अक्तूबर के अन्त में कुछ उपद्रव हुए जिसमें "जमीन्दारों के खेतों में सत्याग्रह करनेवाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और एक किसान को गंभीर चोट आयी जिससे उसकी मृत्यु हो गई।[1] बकाश्त सत्याग्रह करने वाले किसानों के कुछ नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कई लोगों को जेल भेज दिया गया।[2] फिर भी सत्याग्रह चलता रहा।

७-८ नवम्बर, १९३६ को भागलपुर जिलान्तर्गत बीहपुर में प्रान्तीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ। बीहपुर पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय आन्दोलन का एक प्रमुख केन्द्र बना हुआ था। अधिवेशन के पहले दिन श्री जयप्रकाश नारायण ने उसकी अध्यक्षता की। बाद में स्वामी सहजानन्द ने उनका स्थान ग्रहण किया। प्रमुख समाजवादी एवं किसान सभा सदस्य सम्मेलन में उपस्थित थे। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ने किसानों की विभिन्न माँगें प्रस्तुत कीं। इनमें जमीन्दारी प्रथा को समाप्त करना भी था। एक प्रस्ताव में सरकार से उन किसानों की जमीन लौटा देने के हेतु कार्रवाई करने की माँग की गई थी जिनकी जमीन नकदी मालगुजारी नहीं दे सकने के कारण नीलाम हो गई थी। नहर विभाग में कर्मचारियों में फैले भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की आलोचना की गई थी। मोकामा टाल की बकाश्त जमीन को लेकर गड़बड़ी फैलने की आशंका की जा रही थी।

चुनावों के संदर्भ में जिलाधिकारियों को सरकार का आदेश :

आम चुनाव समीप आ रहा था। अतः सभा पार्टियाँ, जिन्होंने उसमें अपने उम्मीदवार खड़ा किये थे, अत्यधिक सक्रिय हो गई थीं। सरकार

१. भारत में किसान आन्दोलन की टिप्पणी।
२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, नवम्बर पूर्वार्द्ध १९३६।

घटनाक्रम पर सतर्कता के साथ नजर रखे हुए थी। पहली जुलाई, १६३६ को जिलाधिकारियों को सर्वाधिक सतर्कता रखने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के हेतु निम्नलिखित आदेश मिले :—

"नये संविधान के अन्तर्गत पहला चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है जिलों में नई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उस पर सतर्कता से नजर रखा जाना चाहिए। विधान मण्डलों में प्रवेश करने की आकांक्षी विभिन्न पार्टियाँ और लोग चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। इनका प्रयत्न नये मताधिकार प्राप्त मतदाताओं की ओर अभिमुख होगा। अधिकतर ऐसे मतदाता उन्हें जो अधिकार मिले हैं उसके महत्त्व एवं व्यवहार से अनभिज्ञ हैं।

अधिक संभव है कि अधिकतर चुनाव प्रचार वैध तथा संवैधानिक तरीक से किया जायगा। जोरदार चुनाव प्रचार इस बात का स्वस्थ चिह्न है कि नयों संविधान के उचित तरीकों से कार्यान्वित किये जाने की संभावना है। इसका भी खतरा है कि चुनाव प्रचार के आवरण के नीचे नये स्वतंत्रता अभियान की तैयारी करने हेतु क्रान्तिकारी मनोभाव का विकास करने के प्रयत्न किए जाएँ। इस प्रान्त में ऐसी कार्रवाइयाँ, संभवतः कृषक आन्दोलन का रूप लेंगी। इस तरह के आन्दोलन के सिलसिले में भाषणों, इश्तहारों, घोषणापत्र एवं अन्य प्रचार उपकरणों पर सतर्क नजर रखना आवश्यक है। इस तरह के आन्दोलन का यहाँ किस हद तक वास्तविक एवं स्थायी प्रभाव हो रहा है इसे निश्चित करने पर विशेष ध्यान रखना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्रचार कार्य की प्रकृति और तज्जन्य उत्तेजना की प्रथम लहर समाप्त होने के उपरान्त उसके प्रभाव का आपकी पाक्षिक गोप्य रिपोर्टों में पूरा विवरण होना चाहिए।

क्योंकि आगामी चुनावों से ग्रामीण जीवन में भारी हलचल होना अनिवार्य है। जिलाधिकारियों और अनुमण्डलाधिकारियों को आगामी छः महीनों में अधिक-से-अधिक अपने इलाके की यात्रा पर रहनी चाहिए। उन्हें अपने इलाके की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से आकलन करते रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी आन्दोलन प्रभावी होने की सूचना मिली हो और प्रत्यक्ष कार्रवाई की भावना उत्तेजित की गई हो उस पर उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए एवं उसके प्रतिरोध करने की कोशिश करनी चाहिए।

सरकार की नीति यह है कि वैध चुनाव-प्रचार में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाय किन्तु चुनाव अभियान को जनता के मध्य राजद्रोह के प्रभाव में जाने देना या विरोधियों को डराने-धमकाने तथा जनता में क्रान्तिकारी मनोवृत्ति पैदा नहीं होने दिया जाय। इस सम्बन्ध में क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट ऐक्ट, १९३२ की ओर धरना देने के संदर्भ में धारा ७ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। यह समूचे प्रान्त में लागू है और किसान-आन्दोलन के संदर्भ में डराने-धमकाने की वारदातों से निबटने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। बिहार-उड़ीसा पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट की धारा-७ से १० को अभी लागू नहीं किया गया है किन्तु ऐसे इलाकों में, जहाँ करबन्दी आन्दोलन चलाये जायँगे, वहाँ उसे सरकार लागू कर देगी।

यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि सरकारी अधिकारी वैध चुनाव अभियान में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करें तथा किसी पार्टी के प्रति अपनी सहानुभूति नहीं प्रदर्शित करें, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि यदि पार्टी प्रतिनिधि उनकी सलाह लेना चाहें तो वे नहीं दें। उनसे मिलनेवाला तथा यात्रा के सिलसिले में जिन लोगों से उन्हें भेंट होगी, उनसे बातचीत करते हुए वर्त्तमान भूमि और राजस्व व्यवस्था की अनुचित आलोचना का निराकरण आवश्यक होगा, खास कर के जहाँ ऐसी आलोचनाएँ की जा रही हों, जिनसे इलाके में वद्वेष फैलने की अशंका हो। वर्त्तमान आर्थिक ढाँचा में एक-ब-एक अतिवादी परिवर्त्तन करने में खतरा निहित हो सकते हैं, समझाना चाहिए। खास करके उन वर्गों के लोगों को जिन्हें पहली बार मताधिकार मिल रहा है। इसके अतिरिक्त वर्त्तमान भूमि-कानूनों से किसानों को जो लाभ हुए हैं और पिछले २० वर्षों में जीवन स्तर एवं संपत्ति में जो वास्तविक उन्मेष हुए हैं उन पर बल देना चाहिए।"

बिहार में चुनाव, जनवरी, १९३७ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बिहार यात्रा से उत्साहपूर्ण वातावरण :

सरकारी अधिकारी यह आशा करते थे कि जमीन्दारों के प्रभाव एवं उनके सक्रिय होने से काँग्रेस तथा किसान-सभा के प्रभाव कम हो जायंगे।

शाहाबाद का जिलाधिकारी अपने इलाके के जमीन्दारों को अपनी धारणा के अनुसार सक्रिय नहीं देखकर खुश नहीं था। नवम्बर १६३६ के अन्त में उसने पटना के आयुक्त को एक पत्र में लिखा : "मुझे भय है कि जमीन्दारों की निष्क्रियता के कारण सम्भवतः बक्सर और भभुआ को छोड़कर सर्वत्र काँग्रेस की विजय होगी। जमीन्दार सुनियोजित साहसपूर्ण अभियान या कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं। आज तक उन्होंने प्रचार-कार्य करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। इस प्रकार पहल काँग्रेसी लोगों के हाथों में, विशेष करके किसान कार्यकर्त्ताओं के हाथ में है।" सन् १६३७ के पहले सप्ताह में पण्डित जवाहरलाल नेहरू चुनाव अभियानों के सिलसिले में बिहार की यात्रा पर आये। ५ और ६ जनवरी को श्री नेहरू ने पटना प्रमण्डल के तीनों जिलों की यात्रा की। जहाँ भी वे जाते बहुत बड़ी संख्या में लोग उनकी सभाओं में आते और उनके भाषणों से अनुप्रेरित होते। पण्डित नेहरू कांग्रेस के आदर्शों तथा दलित-पीड़ित लोगों को विदेशी शोषण तथा अन्य देशी प्रतिगामी शक्तियों से मुक्त कराने के उसके कार्यक्रम पर विशेष रूप से प्रकाश डालते। ५ जनवरी को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने आरा, बक्सर, ढकाईचक, ब्रह्मपुर, सरैया (डुमराँव के निकट) और बिक्रमगंज में भाषण किये। शाहाबाद के जिलाधिकारी ने ६ जनवरी को पटना के आयुक्त को लिखा कि "इसमें सन्देह नहीं कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू के भाषणों से कांग्रेस अभियान को पर्याप्त बल मिलेगा। पूर्व केन्द्रीय शाहाबाद और आरा निर्वाचन मण्डलों में उनके उम्मीदवारों की विजय होना निश्चित है"। ६ जनवरी को पण्डित जवाहरलाल नेहरू गया जिला से गुजरे और कुछ स्थानों पर सभाओं में भाषण किया। बिहारशरीफ की सभा में २५ हजार से कम लोग नहीं थे। तत्कालीन अखिल भारतीय कमिटी के सचिव, प्रोफेसर कृपलानी भी बिहार आये और............के ब्रह्मचारी रामरक्षा के साथ १५ जनवरी, १६३७ को बक्सर में एक सभा में भाषण किया। इसके अतिरिक्त कई अन्य जगहों पर भी चुनाव सभाओं में सम्मिलित हुए।

बिहार विधान-सभा का चुनाव, कांग्रेस की अभूतपूर्व विजय (२२-२७ जनवरी, १९३७) :

बिहार विधान-सभा के हेतु २२ से २७ जनवरी के मध्य विभिन्न स्थानों पर मतदान सम्पन्न हुए। प्रान्त में १२६ निर्वाचन मण्डल क्षेत्र बनाए गए थे।

इनमें ७० (५ नागरिक एवं ६५ ग्रामीण) आम निर्वाचन मण्डल थे। ३९ मुसलमानों के लिए सुरक्षित, ४ महिलाओं के लिए (मुसलमान १), १ ऐंग्लो-इण्डियन, २ यूरोपीय, इसके अतिरिक्त १३ विशेष निर्वाचन मण्डल के थे। इनमें १ भारतीय इसाइयों के लिए, ४ वाणिज्य तथा उद्योगधन्धों, खनिज और प्लांटर समुदाय के लिए, ४ जमीन्दारों के लिए, ३ गैरयुनियन मजदूरों के लिए और १ विश्वविद्यालय के लिए। विधान परिषद् के लिए ९ आम निर्वाचन मण्डल के अतिरिक्त ४ मुसलमानों और १ यूरोपीय के लिए सुरक्षित निर्वाचन मण्डल थे। दोनों सदनों के लिए चुनाव साथ-साथ कराये गए। विधान सभा के कुल मतदाताओं की संख्या २४,१२,२२९ थी। इनमें २०,१०,५६४ आम निर्वाचक थे जिनमें २,२५,००० अनुसूचित जातियों के और १,८३,३३५ महिलाएँ थीं :—३,२४,३९३ मुसलमान जिनमें ३१,८५४ महिलाएँ, २,९६३ ऐंग्लो इण्डियन और यूरोपीय मतदाता थे। परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन मण्डलों में मतदाताओं की कुल संख्या ७६७३ थी। इनमें ५४५५ सामान्य मतदाता थे जिनमें ६५५ महिलाएँ थीं। १७२३ मुस्लिम जिनमें ३२३ महिलाएँ थीं, ४९५ यूरोपीय जिनमें ७८ महिलाएँ थीं।[1] १९३५ में प्रान्त में पिछडा वर्ग संघ (डीप्रेस्ड क्लासेज लीग) नामक एक संगठन की स्थापना की गई थी। चुनावों में यह कांग्रेस के साथ थी।[2] मुस्लिम मतदाता कांग्रेसी उम्मीदवारों को छोड़कर तीन गुटों में बँट गये थे–इण्डीपेण्डेण्ट पार्टी,[3] यूनाईटेड पार्टी[4] और अहरार पार्टी। आम और विशेष स्थानों के लिए गैर-कांग्रेसी प्रत्याशी विभिन्न दलों तथा..........स्वतन्त्र प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, या विभिन्न पार्टियों का बिल्ला लगाकर यथा इंडिपेंडेंट, मौडरेट, प्रोग्रेसिव, कंस्टीच्यूशनल आदि। त्रिवेणी संघ नामक एक पार्टी इसी

१. डब्लू० जी० लेसी, बिहार सरकार का निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव, बिहार में आम निर्वाचन की रिपोर्ट।

२. वही।

३. बिहार मुस्लिम इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी कन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन जमायत उल-उलेमा-ई-हिन्द के सचिव, मौलाना अहमद शईद की अध्यक्षता में १२ सितम्बर, १९३६ को पटना में हुआ।

४. बिहार यूनाईटेड मुस्लिम कन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन खां बहादुर नवाब एस० एन० इसमाईल की अध्यक्षता में पटना में ३ अक्टूबर, १९३६ को हुआ।

समय प्रकट हुई। यह ग्वाला, कुर्मी और कोइरी मतदाताओं के समर्थन पर निर्भर करती थी। जिन इलाकों में इन जातियों के लोगों की संख्या अच्छी थी इसने अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे।

चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी की भारी विजय थी। वस्तुतः कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र अनुशासित पार्टी थी और उसके कार्यक्रम से जनता वास्तव में प्रभावित थी।[१]

१५२ जगहों में काँग्रेस के १०७ के लिए प्रत्याशी खड़ा किए गए थे। इनमें ९८ प्रत्याशी विजयी हुए अर्थात् कुल जगहों का ६५ प्रतिशत और जिन जगहों के लिए प्रत्याशी खड़ा किए गए उनका ९२ प्रतिशत। आम नागरिक निर्वाचन मण्डलों में काँग्रेस ने सभी पाँच जगहें जीत लीं और

---

१. शाहाबाद जिला में चुनाव इस प्रकार था :—

आरा निर्वाचन मण्डल

हरिनन्दन सिंह (कांग्रेस)	१७९११ मत
तपसी महतो (त्रिवेणी संघ)	५८७७ मत
पूर्वी केन्द्रीय शाहाबाद	
बुद्धन राय वर्मा (कांग्रेस)	१९२२१
नन्दकिशोर प्रसाद (त्रिवेणी संघ)	५१०७
सहसराम	
हरिहर प्रसाद सिंह (कांग्रेस)	२११४२
कामेश्वर प्रसाद सिंह (स्वतन्त्र)	२८५३
बक्सर	
पण्डित हरिगोविन्द मिश्र (कांग्रेस)	१४३४८
डुमराँव महाराजा	११०००
भभुआ	
पण्डित गुप्तेश्वर पाण्डे (कांग्रेस)	१८९०४
राय बहादुर शारदा प्रसाद सिंह (निर्दलीय)	४६६०
मुस्लिम निर्वाचन मण्डल—	
चौधरी शराफत हुसैन	३८२३
श्री युसुफ	३०७७

शाहाबाद के जिलाधिकारी की पटना के आयुक्त को पाक्षिक रिपोर्ट, सितम्बर पूर्वार्द्ध (१९३७)।

ग्रामीण निर्वाचन मण्डलों में ७३ में ६८। अनुसूचित जातियों के १५ निर्वाचन मण्डलों में १४ प्रत्याशी जीते तथा ७ मुस्लिम निर्वाचन मण्डलों के लिए उसने प्रत्याशी खड़ा किए थे। इनमें ५ जगहें उन्हें मिलीं, ४ महिला निर्वाचन मण्डलों में से ३ और ३ श्रमिक निर्वाचन मण्डलों में से २ काँग्रेस को हाथ लगे। आदिवासी निर्वाचन मण्डलों में १ को छोड़कर सर्वत्र काँग्रेस विजयी रही। पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मण्डल से काँग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर के डॉक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा सदस्य निर्वाचित हुए। विधान परिषद् के लिए ८ काँग्रेसी प्रत्याशी विधान सभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव में विजयी हुए। इस प्रकार काँग्रेस का दोनों सदनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से पूर्ण बहुमत हो गया।[1]

चुनाव में मतदान कार्य सहानुभूति एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न हुआ। पटना प्रमण्डल के निर्वाचन तथा उसके परिणामों पर उसके आयुक्त ने १३ फरवरी, १९३९ को मुख्य सचिव को लिखा : "मेरी दृष्टि में इस चुनाव की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि मतदाता बहुत भारी संख्या में मतदान करने आये। कुल मतदाताओं के औसतन लगभग ७० प्रतिशत ने मतदान किया होगा। दूसरी महत्व की बात थी कहीं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होना। जहाँ कहीं भी कुछ गड़बड़ी हुई वह तात्क्षणिक थी एवं उसको लोगों ने आपस में ही निबटा लिया। अधिकारियों के विषय में शायद ही कहीं शिकायत की गई। इस अनुमण्डल में मुझे ऐसी एक भी सूचना नहीं मिली है जिसमें कोई मतदाता मतदान करना चाहता हो और वैसा नहीं कर सका हो।"

काँग्रेस कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नीति (१ मार्च, १९३७) :

काँग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक वर्धा में २७ फरबरी-१ मार्च १९३७ को हुई। कार्यकारिणी ने "काँग्रेस को हाल के चुनाव में आश्चर्यनक समर्थन

---

१. काँग्रेस ने पाँच प्रान्तों की विधान सभाओं में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। इनके नाम थे—मद्रास, मध्य प्रदेश, युक्त प्रान्त तथा बिहार और उड़ीसा। चार प्रान्तों में काँग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। बम्बई, आसाम और उत्तर पच्छिम सीमा प्रान्त।

प्राप्त करने के हेतु हार्दिक बधाई दी।" प्रान्तीय विधान मण्डलों में काँग्रेसी सदस्यों के लिए निदेश-नीति निर्धारित की :

(क) काँग्रेस ने विधान मण्डलों में नया संविधान या सरकार के साथ सहयोग करने के हेतु नहीं बल्कि विधान एवं उसमें अन्तर्निहित नीति से संघर्ष करने हेतु प्रवेश किया है क्योंकि यह विधान और नीति भारत पर ब्रितानी साम्राज्यवाद का शिकंजा कसने और भारतीय जनता का शोषण करते रहने के लिए बनी है। काँग्रेस कुछेक स्थितियों को जहाँ परिवर्त्तन आवश्यक हो छोड़कर ब्रितानी साम्राज्य की व्यवस्था से असहयोग की आम या बुनियादी नीति की स्थिति है।

(ख) काँग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना है और उसके सभी कार्य इसी उद्देश्य की ओर अभिमुख हैं। काँग्रेस भारत में स्वतंत्र जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करने को कृतसंकल्प है, ऐसे राज्य में, जहाँ राजनैतिक शक्ति सम्पूर्ण रूप में जनता को हस्तान्तरित कर दी गई हो और सरकार उसके प्रभावी नियंत्रण में हो। ऐसे राज्य का भारतीय जनता के अपने प्रयत्नों से ही निर्माण हो सकता है। इस हेतु काँग्रेस ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा देश में संविधान बनाए जाने पर बल दिया है। संविधान सभा की स्थाप्ना तभी संभव है जब भारतीय जनता बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपना भाग्य निर्माण करने के हेतु पर्याप्त शक्ति एवं साधन अर्जित कर ले।

(ग) काँग्रेस का विधान मण्डलों में प्रवेश करने का तात्कालिक उद्देश्य नये संविधान से संघर्ष करना है, विधान की संघीय योजना को लागू करने एवं उसके कार्यान्वियन का प्रतिरोध करना है तथा राष्ट्र के लिए विधान निर्मातृ सभा की स्थापना की माँग पर बल देना है! फेजपुर काँग्रेस ने धारा सभाओं के काँग्रेसी सदस्यों को आदेश दिया है कि वे नये विधान मण्डलों में यथासंभव संविधान निर्मातृ सभा की माँग प्रस्तुत करें एवं धारा सभाओं तथा जन आन्दोलन के द्वारा उसे बल दें।

(घ) विधान मण्डलों के काँग्रेसी सदस्यों को यह याद रखनी चाहिए कि ऐसे कोई आयोजन, समारोह आदि में सम्मिलित होना, सहयोग करना या किसी प्रकार की सहायता देना, जिससे भारत में ब्रितानी साम्राज्यवाद की शक्ति या प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, काँग्रेस की नीति के विरुद्ध है। इसलिए ऐसे सरकारी या सामाजिक समारोहों में काँग्रेसी सदस्यों को भाग नहीं लेना चाहिए। संदिग्ध मामलों में व्यक्तिगत रूप से सदस्य कुछ नहीं करेंगे, विधान मण्डल की काँग्रेस पार्टी से परामर्श लेंगे। पार्टी का निर्णय अन्तिम होगा।

(ङ) विधान मण्डलों के काँग्रेसी सदस्य अँग्रेज सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधि नहीं स्वीकार करेंगे।

(च) प्रत्येक प्रान्तीय विधान मण्डल में काँग्रेस पार्टी अनुशासित संस्था के रूप में काम करेंगी। सरकार या अन्य लोगों के साथ बात-चीत में उसके नेता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। व्यक्तिगत रूप में कोई सदस्य सरकार के साथ सदस्यता दायित्वों को छोड़कर अन्य कोई सम्पर्क नहीं रखेंगे।

(छ) जब सदन का सत्र चल रहा हो और पार्टी उसमें भाग ले रही हो, उस अवधि में सदस्य मुख्यालय में रहेंगे। बिना पहले अवकाश लिए अथवा कारण बताये उन्हें अनुपस्थित नहीं होना होगा।

(ज) सभी काँग्रेसी सदस्य खादी धारण करेंगे।

(झ) प्रान्तीय विधान मण्डलों में काँग्रेस पार्टियाँ कार्यकारिणी की अनुमति के बिना अन्य किसी गुट या दल के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी।

(ञ) प्रान्तीय विधान मण्डलों का ऐसा सदस्य जो कांग्रेस के टिकट पर नहीं चुना गया हो, किन्तु कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने, कांग्रेस के सिद्धान्त एवं अनुशासन को मानने के लिए तैयार हो तो उसे कांग्रेस संसदीय पार्टी में लिया जा सकता है यदि पार्टी बांछनीय समझे। किन्तु ऐसा सदस्य जिस पर कांग्रेस द्वारा

अनुशासन की कार्रवाई की गई हो, कार्यकारिणी की अनुमति के बिना प्रविष्ट नहीं किया जा सकता ।

(ट) कांग्रेसी सदस्य चुनाव घोषणापत्र और कांग्रेस कृषि प्रस्ताव में प्रस्तुत कांग्रेस के कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने पर बल देंगे । विशेष रूप से उन्हें निम्नलिखित कार्य पर बल देना चाहिए :—

(१) मालगुजारी और राजस्व में पर्याप्त कमी,
(२) कृषि आय पर प्रगतिशील स्तर पर आय कर लगाया जाना। इसकी एक न्यूनतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए,
(३) जमीन की स्थायी बन्दोबस्ती,
(४) ग्रामीण ऋणों एवं बाकी मालगुजारी में राहत,
(५) सभी दमनात्मक कानूनों का निरसन (समाप्त) करना,
(६) राजनैतिक बन्दियों तथा नजरबन्दियों आदि की रिहाई,
(७) सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में सरकार के द्वारा जब्त या नीलाम सम्पत्ति लौटाना,
(८) औद्योगिक श्रमिकों के लिए बिना वेतन घटाये आठ घंटे का दिन निर्धारित करना । इतना न्यूनतम वेतन निर्धारित करना जिसमें जीवन की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें ।
(९) नशीले पदार्थों तथा शराब आदि का विक्रय बन्द करना ।

(ठ) वर्त्तमान विधान मण्डल के अन्तर्गत वायसराय और गवर्नर को अनेक विशेषाधिकार दिये गए हैं तथा सरकारी पदाधिकारियों की संरक्षा की व्यवस्था की गई है अतः गतिरोध होना अनिवार्य है। कांग्रेस की नीतियों का कार्यान्वयन करने के सिलसिले में यदि ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो तो उसमें संकोच करने की जरूरत नहीं ।

(ड) प्रान्तीय विधान मण्डलों में कांग्रेसी सदस्य कुछ ऐसे अखिल भारतीय प्रश्नों पर, जिनका प्रान्तीय विधान मण्डलों से सम्बन्ध नहीं भी हो, मत प्रकाश करेगा, यथा सैनिक एवं उच्चतर सेवाओं पर व्यय में पर्याप्त कटौती; व्यापार, चुंगी और मुद्रा व्यवस्था पर पूर्ण नियन्त्रण, अखिल भारतीय दमनात्मक कानूनों का निरसन, भाषण, प्रकाशन और संघ बनाने की स्वतन्त्रता,

युद्ध की तैयारियाँ एवं उसके लिए ऋण आदि की व्यवस्था का विरोध।

(ढ) विधान मण्डलों के कांग्रेसी सदस्य अपने विधान मण्डलों में वे जो माँगें प्रस्तुत कर रहे हों इलाकों में उनपर जनमत हमेशा तैयार करते रहें। विधान मण्डलों में तथा उसके बाहर के कार्य इस प्रकार समायोजित हों और उन माँगों एवं कांग्रेस की आम नीति के समर्थन में जन-आन्दोलन का संगठन करना चाहिए।

प्रान्तों में मंत्रिमण्डल बनाने की अनुमति, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमण्डल :

नये संविधान के अन्तर्गत पदग्रहण के जटिल प्रश्न पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने १७-१८ मार्च १९३९ की दिल्ली की अपनी बैठक में इस आशय का निर्णय किया : "अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी उन प्रान्तों में, जहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला है, पदग्रहण करने की अनुमति देती है। पर यदि कांग्रेस विधान मण्डल पार्टी का नेता इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि गवर्नर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा या संवैधानिक कार्रवाइयों के संदर्भ में मन्त्रियों की सलाह की अवमानना नहीं करेगा तब तक मंत्रिमंडल का अनुमोदन नहीं किया जायगा।" १९-२० मार्च को अखिल भारतीय नेशनल कन्वेनशन की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के पहले कन्वेनशन के सदस्यों ने हिन्दुस्तानी में निम्नलिखित प्रतिज्ञा ली :—मैं, अखिल भारतीय कन्वेनशन के सदस्य के रूप में भारत की सेवा में तथा विधान मण्डलों में एवं उसके द्वारा भारत की आजादी के हेतु काम करने एवं भारतीय जनता के शोषण एवं गरीबी को दूर करने के हेतु काम करते रहने का संकल्प करता हूँ। मैं संकल्प करता हूँ कि कांग्रेस के आदर्श एवं उद्देश्यों को हासिल करने के हेतु उसके अनुशासन में काम करूँगा जिसमें भारत स्वतन्त्र हो और उसकी करोड़ों-करोड़ जनता जिन दुर्वह बोझों का वहन कर रही है उनसे मुक्त हो।"

मार्च अन्त में सरकार ने कांग्रेस बहुमत वाले प्रान्तों में वहाँ की कांग्रेसी विधान मण्डल पार्टियों के नेता को प्रधान मन्त्री के रूप में नियुक्ति स्वीकार

करने तथा अपना मंत्रिमण्डल बनाने को आमंत्रित किया। बिहार में २४-२५ मार्च को बाबू श्रीकृष्ण सिंह को आमंत्रण मिला। श्री सिंह ने गवर्नर से कांग्रेस के उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार मंत्रिमण्डल बनाने के पूर्व आश्वासन देने को कहा। गवर्नर के इनकार करने पर श्री सिंह ने मंत्रिमण्डल बनाने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इससे उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध पर श्री सिंह ने एक वक्तव्य दिया। उसमें प्रान्तीय स्वराज्य के अन्तर्गत वास्तविक एवं दायित्वपूर्ण स्वशासन की आवश्यकता पर बल दिया गया था और कहा गया था कि गवर्नर के विशेषाधिकार से उसका खण्डन होता है।

गवर्नर के निश्चित आश्वासन के अभाव में बिहार कांग्रेस विधान मंडलीय पार्टी मन्त्रिमण्डल का गठन नहीं कर सकती थी। तदुपरान्त गवर्नर ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता श्री युनुस को मंत्रिमण्डल बनाने को आमंत्रित किया और श्री युनुस ने अन्तरिम मंत्रिमण्डल का गठन किया।

नये संविधान को वापस लेने की कांग्रेस की माँग :

कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्त्ता गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न काम कर रहे थे। फैजपुर कांग्रेस ने (१९३६) जिस दिन नया संविधान लागू होनेवाला था देश में व्यापक हड़ताल करने का आह्वान किया था। इसका उद्देश्य था कि "अवांछनीय संविधान लागू किये जाने के विरोध में भारतीय जनता का दृढ़ संकल्प जाहिर करना।" इसके अनुसार पहली अप्रिल को सारे प्रान्त में हड़ताल रही और विभिन्न स्थानों पर सभाएँ हुईं। नये संविधान की अर्थी जलाई गई तथा स्कूल और कॉलेज सामान्यत: बन्द रहे। देश भर में कांग्रेस की सभाओं में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

"यह सभा भारतीय जनता के इस अभिमत को दुहराती है कि १९३५ का भारतीय प्रशासन विधान का उद्देश्य भारतीय जनता पर आधिपत्य एवं शोषण की व्यवस्था चिरकाल तक बनाये रखना एवं भारत पर ब्रितानी साम्राज्यवाद का शिकंजा मजबूत करना है।" यह सभा उद्घोषित करती है कि भारतीय जनता किसी भी विदेशी शक्ति या अधिकारी को भारत पर राजनैतिक एवं आर्थिक बोझ लादने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता उसी संवैधानिक बोझ को स्वीकार कर सकती है जिसे उसने स्वयं बनाया हो और जो राष्ट्र

के रूप में भारत की आजादी पर आधारित हो तथा उनकी शक्तियों एवं आकांक्षाओं के अनुरूप उसे विकास के हेतु पूर्ण अवसर प्रदान करता हो। भारतीय जनता अपने देश में सच्चे जनतंत्रात्मक राज्य के हेतु कृतसंकल्प है--ऐसे राज्य में जहाँ सत्ता सम्पूर्ण जनता के हाथों में होगी और सरकार उसके प्रभावी नियंत्रण में। ऐसे राज्य का निर्माण स्वयं भारतीय जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा करेगी। उस सभा को देश का संविधान अन्तिम रूप से बनाने का अधिकार होना चाहिए।

"अतः यह सभा नये संविधान की भर्त्सना करती है और उसे अस्वीकृत करती है और माँग करती है कि भारतीय जनता के व्यक्त संकल्प के अनुरूप उसे वापस लिया जाय।"

पटना में पहली अप्रील को दो सभाएँ, एक मंगल तालाब और एक कदमकुआँ कांग्रेस मैदान में हुईं। समाजवादी पार्टी उस दिन एक जुलूस निकालना चाहती थी। उसके लिए श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था किन्तु लाइसेंस नहीं मिला। उसके बदले पटना के जिलाधिकारी ने छह सामाजवादी नेताओं तथा अन्य लोगों पर धारा–१४४ के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर दी। इसके अन्तर्गत आदेश दिया था कि "जुलूस नहीं निकाला जाय। आज्ञा का यदि उल्लंघन किया गया तो उससे निबटने के हेतु पुलिस के व्यापक प्रबन्ध किए गए थे।" लगभग ढाई बजे दिन में सामाजवादियों ने अपने कार्यालय से एक जुलूस लेकर बाँकीपुर लौन की ओर प्रस्थान किया। एस० पी० तथा अन्य पुलिस के जवान बसों पर उन्हें रोकने को बढ़े एवं अस्पताल के निकट जुलूस को रोक लिया। जुलूस को गैर-कनूनी घोषित कर दिया गया और आगे बढ़ने से मना किया गया। निम्नलिखित व्यक्ति गिरपतार कर लिए गए।

जयप्रकाश नारायण, बासावन सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, शाह मुहम्मद हबीब, अनीसूल रहमान अब्दुल बाँकी, कामता प्रसाद और मंजूर अहसन।

इनके कुछ काल बाद श्रीमती चन्द्रावती देवी के नेतृत्व में एक अन्य जुलूस को भी इसी प्रकार रोक दिया गया। श्रीमती चन्द्रावती देवी एवं रामावतार गोप को गिरफ्तार किया गया। एक तीसरे जुलूस को भी इसी प्रकार रोक कर उसके नेता हरि गोप, बिन्देश्वरी मिश्र (थाना महुआ, जिला

मुजफ्फरपुर) और जगदीश कुर्मी (ग्राम राजे, थाना बहेरा, जिला दरभंगा) गिरफ्तार किए गए। एक अन्य जुलूस को श्री युनुस के आवास की तरफ जाते हुए रोक दिया गया। इस समय तेरह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में सरकार ने इन तेरह व्यक्तियों पर से मुकदमा उठा लिया। किन्तु पहले जत्था के गिरफ्तार नेताओं को १४ अप्रील को तीन महीने कैद की सजा सुनाई गई।[1] बिहार अनुमण्डल के सिलाव थाना में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उन्हें सजा दी गई। सिलाव के लखपत सिंह को १-४-३७ को राजगीर में दुकानों पर धरना देते हुए गिरफ्तार किया गया। उसे चार महीने कड़ी कैद की सजा सुनाई गयी। सिलाव के कामेश्वर शर्मा को भी चार महीने कड़ी कैद की सजा दी गई।[2]

कांग्रेस की गतिविधि :

बिहार में ६-१३ अप्रील, १९३७ को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। इसमें खादी के विक्रय, काँग्रेस स्वयंसेवकों की भर्त्ती करने आदि के काम हुए। विभिन्न स्थानों पर सभाएँ की गईं। कदमकुआँ वाली सभा में (१३ अप्रील), जगतनारायण लाल ने अध्यक्षीय भाषण में जालियानवाला बाग की याद दिलाई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की एक सभा १२ अप्रीलको पटना सिटी में हुई। उसमें कांग्रेस के बामपंथी पार्टी के रूप में पार्टी के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया। पिछले आम चनावों में जमीन्दारों को पराजित करने के हेतु किसानों को बधाई दी गई। २२ से २५ अप्रील १९३७ को बाँकीपुर के अंजुमन इस्लामियाँ हॉल में आचार्य नरेंद्रदेव ने भाषणमाला प्रस्तुत की।[3]

मई के पहले सप्ताह में गया जिला राजनैतिक सम्मेलन वारसलीगंज में किया गया ! इसमें श्री राजेन्द्र प्रसाद, रामनारायण सिंह और गौरीशंकर शरण सिंह मुख्य वक्ता थे। भाषणों में मुख्यत: संवैधानिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया तथा जमीन्दारी प्रथा समाप्त करने की अनुशंसा करनेवाला प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

१. द ऐनुअल रजिस्टर, १९३७, खण्ड—१, पृष्ठ १८८।

२. वही।

३. पटना जिलाधिकारी का आयुक्त को पत्र, २६ अप्रील, १९३७, पृष्ठ २९०।

इसी वर्ष में चम्पारण जिला राजनैतिक सम्मेलन ढाका में सम्पन्न हुआ। इसमें राजेन्द्र बाबू उपस्थित थे। उन्होंने काँग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया। कुछ कार्यकर्त्ता इसमें लग पड़े। छतौना के श्री रामलखन सिंह भी इसमें थे। श्री सिंह गाँधी जी की १९२० में समस्तीपुर यात्रा के समय से ही राष्ट्रकर्मी बन गए थे। उन्होंने समस्तीपुर के पूरब अंगार घाट में एक ग्राम सेवा आश्रम खोल रखा था। यहाँ रचनात्मक कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था।

५ से ७ मई तक पटना के सदाकत आश्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर राजेन्द्र बाबू और कुछ अन्य कांग्रेस कर्मियों के नेतृत्व में निर्णय किया गया कि मिड्ल और हाई स्कूल स्तर के कुछ राष्ट्रीय स्कूल बिहार विद्यापीठ के अन्तर्गत खोले जाएँ। पटना यूथ लीग की कार्यकारिणी की एक बैठक २२ मई, १९३७ को हुई। उसके अध्यक्ष, श्री फूलन प्रसाद वर्मा ने "राष्ट्रीय आन्दोलन में समाजवादी के स्थान" पर एक निबन्ध पढ़ा। इस अवसर पर पटना में स्वयंसेवक दल के संगठन में सुधार लाने के हेतु एक उपसमिति बनाई गई।[१]

२६ मई के लगभग बिहार कांग्रेस की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। कांग्रेस के जन-सम्पर्क प्रस्ताव के अनुसार एक मुस्लिम जन-सम्पर्क समिति की स्थापना की गई। बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता मुसलमानों को अधिकाधिक संख्या में सदस्य बनाने का प्रयत्न कर रहे थे।[२] इसी समय खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ ने बिहार की यात्रा की। इससे मुस्लिम जन-सम्पर्क आन्दोलन को बल मिला। अब्दुल गफ्फार खाँ ने १५ जुलाई (१९३७) को बाँकीपुर मैदान में, २० जुलाई को इस्लामियाँ हॉल में और २१ जुलाई को पटनासिटी के मदरसा मस्जिद में एवं दानापुर में दो भाषण किये। इन भाषणों में अनेक लोग सम्मिलित हुए। अपने भाषणों में श्री खाँ ने कांग्रेस के सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला और मुसलमानों को बड़ी संख्या में कांग्रेस में भर्ती होने को कहा।[३] २६ जुलाई को वे क्रमशः आरा, पीरो, विक्रमगंज और सहसराम गये और सभाओं में भाषण किए।[४]

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, मई पूर्वार्द्ध।
२. पटना आयुक्त की जिलाधिकारी से मई उत्तरार्द्ध की रिपोर्ट।
३. वही, जुलाई उत्तरार्द्ध।
४. पटना जिलाधिकारी का पटना के आयुक्त को पत्र १२ जून, १९३७

प्रोफेसर अब्दुल बारी के साथ अन्य कई स्थानों पर यात्रा भी उन्होंने की। प्रान्त के विभिन्न स्थानों में बाबू श्रीकृष्ण सिंह भी यात्रा कर रहे थे और कांग्रेस के सिद्धान्तों का प्रचार एवं राष्ट्रीय सेवा के सिलसिले में भाषण कर रहे थे। १ जून, १९३७ को एकंगरसराय थाना के इलाके में कोसियावाँ में एक सभा में उन्होंने भाषण किया। उसमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए :

(क) वर्त्तमान मंत्रिमण्डल में अविश्वास,

(ख) जमीन्दारों को मुआवजा देकर स्थायी बन्दोबस्ती की समाप्ति और यू० पी० की व्यवस्था के अनुसार जमीन की बन्दोबस्ती,

(ग) किसानों की आधी मालगुजारी की माफी, बटाईदारों को मन में पचीस सेर धान दिये जाने की व्यवस्था,

(घ) दीवानी अदालतों के माध्यम से बिकी जमीनें उनके पूर्व स्वामियों को वास्तविक रकम लेकर लौटाने की व्यवस्था,

(ङ) सीमान्त कबीलाइयों से युद्ध न तो वांछनीय और न तो उचित।

श्री श्रीकृष्ण सिंह ने ३ से ७ जून की अवधि में शाहाबाद जिला के विभिन्न प्रमण्डलों के मुख्यालय एवं अन्य स्थानों पर सभाओं में भाषण किए। उनके भाषणों का लोगों के मन पर गहरा असर होता। ७ जून को आरा मैदान की सभा के साथ यह यात्रा समाप्त हुई। २६ जून के पहले वाले पखवारे में बिहारशरीफ में श्री अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक सभा हुई। इसमें श्री सिंह ने जनता का दुःख दूर करने के लिए राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता तथा सम्प्रदायिक सहयोग एवं तालमेल पर बल दिया। निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए :

१. विधान सभा का अधिवेशन अविलम्ब बुलाया जाय। अन्तरिम मन्त्रिमण्डल को बहुमत का विश्वास नहीं प्राप्त था, यह प्रदर्शित करने के लिए।

२. मन्त्रियों के काम में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करें।

३. जमीन्दार रैयतों को रसीद दें।

४. बाकी मालगुजारी में नीलाम जमीन जमीन्दारों द्वारा लौटा दी

जाय। ऐसी जमीनों की फसल से बाकी मालगुजारी का भुगतान किया जाय।[1]

हिलसा में २७-२८ जून को एक सभा श्री अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई। दूसरे दिन निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए :—

१. काकोरी केस के बन्दी सतीन्द्रनाथ बक्शी तथा अन्य राजनैतिक बन्दियों की रिहाई,
२. हिन्दू-मुस्लिम एकता,
३. सरकार द्वारा मुआवजा देकर जमीन्दारी प्रथा की समाप्ति,
४. बिहार अनुमण्डल के किसानों की स्थिति की जाँच के लिए कांग्रेस की एक समिति नियुक्त करना,
५. काश्तकारी कानून में निम्नलिखित संशोधन करना :—
   (क) मालगुजारी में आधा कमी,
   (ख) बाकी मालगुजारी और उस पर सूद की माफी,
   (ग) नकदी और भाउली भुगतान के लिए पक्की रसीद,
   (घ) जमीन्दारों द्वारा बाँध, आहर आदि की मरम्मत तथा सिंचाई के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना,
   (ङ) जमीन्दारों की गैर-कानूनी वसूली बन्द करना,
   (च) बाकी मालगुजारी की वसूली के लिए छीनी गई जमीन दो वर्ष के बाद रैयत को लौटा देना,
   (छ) ऊसर जमीन की मालगुजारी नहीं लेना,
   (ज) सूद की अधिकतम दर आठ आना प्रति महीना निश्चित करना, चक्रवृद्धि व्याज को गैर-कानूनी बनाना,
   (झ) दानाबन्दी और भाउली व्यवस्था की समाप्ति,
   (ञ) जमीन्दार किसान खेत मजदूरों के लिए घर, भोजन और वस्त्र की उचित व्यवस्था करें।"

बख्तियारपुर में ६ जुलाई को एक सभा हुई। इसमें नये संविधान की कमजोरियाँ बताई गईं और कांग्रेस के आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। इन्हीं दिनों गया जिलान्तर्गत काको यूनियन बोर्ड के चुनाव में कांग्रेस विजयी हुई।

---

१. पटना के जिलाधिकारी का पटना के आयुक्त को २९ जून, १९३७ का पत्र।

गांधीजी का वक्तव्य और सुझाव :

इन दिनों कांग्रेसी नेता अधिकाधिक सदस्य बनाने और जनता में राष्ट्रीय विचार का प्रचार करने में व्यस्त थे। पद-ग्रहण की जटिल समस्या जुलाई के अन्त तक सुलझा ली गई थी। अन्तरिम मन्त्रिमण्डल को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था अतः उसका बने रहना अनुचित था। यह मंत्रिमण्डल विधान सभा में बहुमत समर्थित नहीं होने के कारण उसका सामना नहीं कर सकता था। अतः, विधान मण्डल का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। यद्यपि उसके लिए निर्वाचकों की ओर से बार-बार मांग की गई थी। मार्च के अन्त से तीन महीने तक कांग्रेस और सरकार की ओर से संवैधानिक संकट पर उत्तर प्रति उत्तर दिए जाते रहे। ३० मार्च को गांधीजी ने कांग्रेस प्रस्ताव के पद-ग्रहण सम्बन्धी अनुबन्ध पर एक वक्तव्य दिया।

गांधीजी ने अपने वक्तव्य में कहा : "मेरा इरादा कोई असंभव शर्त्त लगाने का नहीं था। वस्तुतः, मैं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता था जो गवर्नर को स्वीकरणीय हो। ऐसी कोई शर्त्त लगाने का इरादा नहीं था जिससे संविधान का किंचित भी क्षरण हो .... कोई भी पूर्ण बहुमत प्राप्त पार्टी वा विधान सभा में अजेय बहुमत के समर्थन का चैतन्य कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अहस्तक्षेप का आश्वासन माँगे बिना नहीं रह सकता था। मैंने सरसैमुयल होर और अन्य मन्त्रियों को स्पष्ट रूप से यह कहते हुए नहीं सुना है कि सामान्यतः गवर्नर हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकारों का उपयोग नहीं करेंगे। मेरे विचार में कांग्रेस इससे अधिक किसी बात की माँग नहीं करती है। भारत-सचिव लार्ड जेट लैण्ड ने लार्ड सभा में लार्ड लोथियान के एक सवाल के जबाव में इसे "एक आश्चर्यजनक वक्तव्य कहा" और संविधान की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। भारत सचिव ने कहा कि "विशेषाधिकार संविधान के अखण्ड अंश थे और उसे पार्लियामेंट के अतिरिक्त किसी को भी हटाने का अधिकार नहीं था। गवर्नर कांग्रेस को विशेषाधिकार प्राप्त पार्टी अथवा अन्य सभी पार्टियों पर लागू संविधान की धाराओं से मुक्त नहीं मान सकते थे।"

मामला कानूनी उलझनों में पड़ता जा रहा था। कांग्रेस जिन आश्वासनों की माँग कर रही थी, नये संविधान के अन्तर्गत वैसा आश्वासन देना सम्भव

था या नहीं, यह रूप ले रहा था। गांधीजी ने १० अप्रील, १९३७ को यह मामला ब्रितानी सरकार को तीन न्यायाधीशों के निष्पक्ष न्यायाधिकरण को सौंप देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा : "मैं जीने का अधिकार चाहता हूँ। यहाँ भारत के साथ कूटनीति का सवाल नहीं है। यह जीवन-मरण का प्रश्न है।" १४ अप्रील को गांधीजी ने "टाइम्स" को निम्नलिखित तार भेजा। "कानून चाहे जो भी कहे, मैं लार्ड जेटलैंड की व्याख्या को अस्वीकरणीय मानता हूँ। उसकी व्याख्या को एक न्यायाधिकरण के समक्ष जाँच के हेतु प्रस्तुत करने से इनकार करना यह संदेह उत्पन्न करेगा कि ब्रितानी सरकार का बहुमत प्राप्त दल के साथ उचित व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं क्योंकि उसका प्रगतिशील कार्यक्रम उसे नापसन्द था। गवर्नर और कांग्रेसियों में रोज झड़पें हों, इसकी अपेक्षा मैं सम्मानजनक गतिरोध पसन्द करूंगा क्योंकि ब्रितानी सरकार की व्याख्या के अनुसार कांग्रेस द्वारा विधान का कार्यान्वियन असम्भव दीखता है। अतः, अब यह दायित्व ब्रितानी सरकार का है कि उनके संविधान में उपलब्ध हर तरीके से कांग्रेस को वह दिखा दे कि पदग्रहण करके भी कांग्रेस अपने लक्ष्य के द्वारा प्रगति कर सकती थी। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे साथ हठ या सम्मान का कोई सवाल नहीं है। मेरा काम कांग्रेस और सरकार के बीच मध्यस्तता करना है। अनेक कांग्रेस जनों से भिन्न मेरा विश्वास है कि भौतिक दबाव की अपेक्षा नैतिक दबाव से सरकार की रवैया में परिवर्त्तन हो सकता था।[1]

वायसराय का वक्तव्य (२१ जून १९३७) :

वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने २१ जून को इस विषय पर एक लम्बा और महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उसमें वायसराय ने कहा :

"यह कहा गया है कि गवर्नर विधान के अन्तर्गत अपने प्रान्त के प्रशासन में जब चाहें इच्छानुसार मनमाने ढंग से हस्तक्षेप कर सकते हैं। मेरा ध्यान इसकी ओर गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इनका कोई आधार नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि विशेषाधिकारों का दायरा यथासंभव कम-से-कम

---

१. द इण्डियन एनुअल रजिस्टर. १९३७, खण्ड-१, पृ०२५४।

रखा गया है। उस परिसीमित क्षेत्र में भी गवर्नर अपने मंत्रियों को अपने साथ लिए चलने का प्रयत्न करेगा। अन्य बातों में विशेषाधिकार के क्षेत्र के बाहर गवर्नर को मंत्रियों के परामर्श से काम करना होगा। यद्यपि किन्हीं कारणों से वे स्वयं ऐसा नहीं भी समझें कि किसी विशेष स्थिति में मंत्रियों के परामर्श निश्चित रूप से सही परामर्श थे।

विशेषाधिकार के सीमान्त-क्षेत्र में गवर्नर की प्रत्यक्ष जवाबदेही ब्रितानी संस्था के प्रति है। वह अपने मंत्रियों का परामर्श माने या नहीं माने किन्तु यदि गवर्नर अपने मंत्रियों का परामर्श मानने में असमर्थ हो तो उसके निर्णय की जिम्मेवारी केवल उसी की होगी। उस स्थिति में किये गए निर्णय की मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं होगी और यदि वे चाहें तो सार्वजनिक रूप से उन्हें कहने का अधिकार है कि उस विशेष निर्णय पर उनका कोई दायित्व नहीं। वे यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने उसके विरुद्ध परामर्श दिया था। किन्तु प्रत्येक गवर्नर अपने मंत्रिमण्डल का समर्थन चाहेगा और उनके समर्थन के बिना या उनके परामर्श के प्रतिकूल विशेषाधिकारों के कार्यान्वयन के क्रम में कोई काम करते समय उसे इसका ध्यान रखना होगा कि वह योंही ऐसा नहीं कर सकता था।''

पद ग्रहण करने के लिए कांग्रेस की अनुमति :

वायसराय के इस वक्तव्य से गतिरोध दूर हो गया। काँग्रेस कार्य-कारिणी ने ब्रितानी सरकार की हाल की घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में पहल किया। जुलाई १९३७ को वार्धा में एक बैठक की और निर्णय किया कि ''काँग्रेसजनों को जैसे आमंत्रण मिले पदग्रहण करने दिया जाय।'' किन्तु कार्यकारिणी ने यह भी स्पष्ट किया कि पद काँग्रेस घोषणा-पत्र के कार्यक्रम के अनुसार काम करने के हेतु ग्रहण करना था और उसी के लिए उसका उपयोग करना था। एक ओर नये विधान से संघर्ष करने की काँग्रेस की नीति और दूसरी ओर उसके रचनात्मक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने को हमेशा ध्यान में रखना था। काँग्रेस अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू ने वार्धा से लौटने पर कहा :—

''पद ग्रहण का अर्थ रंचमात्र भी इस संविधान को स्वीकार करना नहीं था। इसका अर्थ अपनी पूरी ताकत से संघ सरकार की स्थापना के विरुद्ध

संघर्ष करना था। यह संघर्ष विधान-मण्डलों में एवं उनके द्वारा चलता रहेगा। हमने एक नया दायित्व उठाया है। उसमें नया दायित्व एवं कुछ नया खतरा भी है। किन्तु यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं और हमेंशा सतर्क रहेंगे तो उन खतरों पर विजयी होंगे एवं इस कदम से भी शक्ति तथा बल प्राप्त करेंगे। "शाश्वत सतर्कता स्वतंत्रता का मूल्य है।" इस समय मशरक में बिहार प्रान्तीय सम्मेलन का अधिवेशन श्री अब्दुल बारी की अध्यक्षता में हो रहा था। राजेन्द्र बाबू सहित कई अन्य प्रतिनिधि काँग्रेस नेता उसमें शामिल हुए थे। सम्मेलन से लौटने पर उन्हें छपरा में मालूम हुआ कि बिहार के गवर्नर ने श्रीकृष्ण सिंह को बुलाया था। मंत्रिमण्डल के गठन के सम्बन्ध में नेताओं ने यहीं कुछ प्रारंभिक बातचीत की।[1]

बिहार में कांग्रेस मंत्रिमण्डल का गठन (२० जुलाई, १९३७) :

कई प्रान्तों में काँग्रेस मंत्रिमण्डल का शीघ्र ही गठन हुआ।[2] बिहार में २० जुलाई को मंत्रिमण्डल ने श्री श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में पद-ग्रहण किया। अन्य मंत्री श्री अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद और जगलाल चौधरी थे।[3] श्री रामदयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी विधान सभा के क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सर सुल्तान अहम्मद को एडवोकेट जेनरल नियुक्त किया गया था। श्री अहमद ने शिमला से अपना

---

१. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ ४७६।

२. बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रदेश, सीमान्त प्रदेश (कुछ काल बाद)।

३. मन्त्री और उनके विभाग :—

श्री श्रीकृष्ण सिंह—गृह विभाग, राजस्व और व्यवस्थापिका।
श्री अनुग्रह नारायण सिंह—वित्त, स्थानीय स्वायत्त शासन और लोक निर्माण विभाग।
डॉ० सैयद महमूद—शिक्षा, विकास और बेरोजगार।
श्री जगलाल चौधरी—आबकारी और जन-स्वास्थ्य।

त्यागपत्र भेज दिया। उनके स्थान पर नये मंत्रिमण्डल ने श्री बलदेव सहाय को एडवोकेट जेनरल नियुक्त किया।

काँग्रेस मंत्रिमण्डल का सर्वत्र स्वागत किया गया।[१] "काँग्रेसी मंत्रियों की नियुक्ति का स्वागत किया गया है।" २४ जुलाई, १९३७ को राजबन्दी दिवस के संदर्भ में पटना में दो सभाएँ हुईं। मंगल तलाव वाली सभा की वित्त मंत्री ने तथा बाँकीपुर वाली सभा में प्रधान मंत्री ने अध्यक्षता की। १ अगस्त, १९३७ को प्रान्त भर में मंत्रिमण्डल दिवस मनाया गया।[२] इस अवसर पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया, जुलूस निकाली गई और सभाएँ हुईं। जिला स्कूल तथा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के अनेक भवनों पर राष्ट्रीय झण्डा फहराये गये। कुछ स्थानों पर सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना जिलाधिकारियों ने रोकना चाहा था। इस आधार पर सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिये थे। अनेक स्थान पर १४ अगस्त को अण्डमन बन्दी दिवस मनाया गया। बिहार प्रान्तीय यूथ लीग की कार्यकारिणी की एक सभा २४ अगस्त को हुई। इसमें अण्डमन के जेलों में बन्द राजनैतिक बंदियों की शेष सजा खतम करने की माँग की गई। इसके लिए प्रधान मंत्री के सम्मुख लीग के विचार प्रस्तुत करने को अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया।

ब्रेट परिपत्र, विधान सभा में प्रबल विरोध :

काँग्रेस मन्त्रिमण्डल के समक्ष कठिन काम था। अनेक तरह की कठिनाइयाँ एवं दशकों से संचित समस्याएँ उसके सामने थीं। जनता की स्थिति में सुधार करने के हेतु उन समस्याओं पर अविलंब एवं पूरा ध्यान देना था। किन्तु सरकारी अधिकारियों का रवैया हमेशा सौहार्दपूर्ण नहीं रहता था और अभी भी मन्त्रियों के प्राधिकार का क्षरण करता हुआ प्रतीत होता था। इस सम्बन्ध में तथाकथित ब्रेट परिपत्र का उल्लेख किया जा सकता है। ८ दिसम्बर, १९३७ को बिहार के मुख्य सचिव, श्री ब्रेट ने

१. पटना जिलाधिकारी का पटना के आयुक्त को २५ जुलाई का पत्र।
२. वही, १२ अगस्त, १९३७।

प्रमण्डलीय आयुक्तों को अपने जिलाधिकारियों के पास भेजने के हेतु एक गोप्य परिपत्र प्रेषित किया। इस परिपत्र में अन्य बातों के अतिरिक्त जिलाधिकारियों को आदेश देने के संदर्भ में मंत्रियों की संवैधानिक स्थिति पर स्पष्टीकरण दिए गए थे : "अधिकारियों के लिए किसके आदेश मान्य हैं? परिपत्र में कहा गया था कि मंत्रियों द्वारा सीधे निःसृत आदेश प्रमाणीकृत नहीं माने जायँगे।" उसमें आगे कहा गया था : "ऐसे आदेश का जो किसी सचिव या सहायक सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों, अनुपालन करने की जिम्मेवारी जिलाधिकारियों की होगी।[1] इस परिपत्र का विधान सभा में भारी विरोध हुआ। श्री श्रीकृष्ण सिंह ने २३ सितम्बर, १९३७ को एक वक्तव्य देकर उत्तेजनापूर्ण स्थिति को शान्त किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि श्री बेट ने उसके बाद से यह कहा था कि उसने निजी तौर पर परिपत्र जारी किया था और यदि उससे मंत्रिमण्डल को कोई उलझन हुई हो तो उसके लिए उन्हें गहरा खेद था। मंत्रिमण्डल ने ब्रेट का उत्तर स्वीकार कर लिया था और जिलाधिकारियों को यह सूचित कर दिया था कि श्री ब्रेट के परिपत्र में उसकी निजी सलाह थी। वह प्रान्तीय सरकार का आदेश नहीं था और इसलिये वह परिपत्र वापस ले लिया गया था। मंत्रिमण्डल ने इस आशय का आदेश जारी किया कि बिना सरकार को सूचित किए हुए कोई सचिव सरकारी आदेशों की व्याख्या करने या स्पष्टीकरण करने के सम्बन्ध में कोई पत्र जारी नहीं करे।

राजनैतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमण्डल का इस्तीफा (१५ फरवरी १९३८) :

कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में राजनैतिक बंदियों की रिहाई का वादा किया गया था। कांग्रेस मंत्रिमण्डल का गठन होने पर स्वभावतः उसकी माँग की जा रही थी। बिहार में अंडमन से वापस लाए हुए राजनैतिक बन्दी जेल में ही थे। ऐसे ८ बन्दी हजारीबाग जेल में १७ जनवरी से और चार २६ जनवरी (१९३८) से भूख हड़ताल कर रहे थे। ३० जनवरी, १९३८ को प्रान्त भर में राजनैतिक बन्दी दिवस मनाया गया।

---

१. परिशिष्ट—१९।

राजनैतिक बंदियों की भूख हड़ताल प्रधान मंत्री श्रीकृष्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद और श्री अच्युत् पटवर्द्धन के प्रयत्न से फरबरी में समाप्त हुई। ये लोग इस काम के लिए हजारीबाग जाकर जेल में बंदियों से मिले। किन्तु शीघ्र ही राजनैतिक बंदियों की रिहाई पर एक गंभीर राजनैतिक संकट उठ खड़ा हुआ। बिहार और युक्त प्रान्त के प्रधान मंत्रियों ने सभी राजनैतिक बंदियों की अविलंब रिहाई के हेतु आदेश देने के अधिकार पर बल दिया। दूसरी और दोनों प्रान्त के गवर्नरों न वायसराय के समर्थन से इस पर आपत्ति प्रकट की। फलतः दोनों प्रान्त के प्रधान मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया।

बिहार मंत्रिमण्डल ने १५ फरबरी (१९३८) को अपना त्यागपत्र देते हुए लिखा : "हम महसूस करते हैं कि शान्ति और व्यवस्था के संदर्भ में गवर्नर के विशेषाधिकारों का व्यवहार करने के लिए आवश्यक स्थिति इस प्रान्त में उत्पन्न नहीं हुई है। २३ राजनैतिक बंदियों की रिहाई के, जिसके लिए हमने नीति एवं सिद्धांत के आधार पर अनुशंसा की है, बाद भी वैसी स्थिति पैदा होने की कोई संभावना नहीं है। हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि इन बंदियों की रिहाई से बिहार के बाहर भी कहीं शांति और सुव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति में महमहिम गवर्नर जेनरल की एक ऐसे मामले में कार्रवाई, जा प्रान्तीय सरकार के क्षेत्र का ही विषय है, संविधान के शब्द एवं तथ्य का गंभीर उल्लंघन है।"

त्यागपत्र के बाद गाँधीजी का वक्तव्य :

इस्तीफा की खबर मिलने पर गाँधीजी ने एक वक्तव्य जारी किया : "मैंने गवर्नमेंट औफ इंडिया ऐक्ट की धारा—१२६ (५) को बार-बार पढ़ा है। उसके अन्तर्गत मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित किसी काम से भारत के किसी भाग में शान्ति एवं व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न होने पर हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। हिंसात्मक कार्रवाइयों से सजायाफ्ता कुछेक बंदियों की रिहाई से मेरी समझ में शान्ति और व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता। गवर्नर जेनरल का हस्तक्षेप तभी सही हो सकता था यदि उनकी रिहाई के फलस्वरूप अव्यवस्था फैलती।

जिन मामलों में हस्तक्षेप हुआ है मैं समझता हूँ कि उसके संदर्भ में बिहार के प्रधान मंत्री को बंदियों ने यह आश्वासन दिया था कि उन्होंने अपना विचार बदल दिया था और अब वे रिहाई के बाद शान्तिपूर्ण नागरिकों के रूप में रहना चाहते हैं।

गवर्नर जेनरल की कार्रवाई से विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है और मुझे यह शंका होती है कि बंदियों की रिहाई ऊँट की पीठ पर अन्तिम तिनके के समान ही थी और यह कि काँग्रेस मंत्रिमण्डलों ने अँग्रेज सरकार को परीशान कर दिया था। यह सरकार उनके कार्यों से ऊब गई थी। हो सकता है कि मेरी यह शंका निराधार हो किन्तु यदि यह सत्य है तो हस्तक्षेप का कारण मैं समझने में असमर्थ हूँ या फिर ऐसे कारण होंगे जो प्रकाश में नहीं आये हैं और जिनकी जनता को जानकारी नहीं है। कदाचित् अच्छा होता यदि गवनर जेनरल इस पर पुनर्विचार करते और एक ऐसे संकट को दूर कर देते जिसका परिणाम क्या होगा, कोई नहीं कह सकता।''

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का इकावनवाँ अधिवेशन १९-२१ फरवरी (१९३८) को हरिपुरा में हुआ। इसके अध्यक्ष, श्री सुभाष चन्द्र बोस ने बिहार और युक्त प्रान्त के मंत्रिमण्डलों के त्याग पत्र देने का अनुमोदन किया। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

''प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के अनुभव से यह प्रकट हुआ है कि कम-से-कम दो प्रान्तों—युक्त प्रान्त और बिहार—में वास्तव में दैनन्दिनी प्रान्तीय प्रशासन में हस्तक्षेप किया गया है। कांग्रेस की राय में बंदियों की रिहाई दैनन्दिन प्रशासन के क्षेत्र में आती है। गवर्नर का काम मंत्रियों का निदेशन करना एवं उन्हें परामर्श देना है। उनके दैनन्दिन कार्य निष्पन्न करने के संदर्भ में स्वतन्त्र निर्णय लेने में हस्तक्षेप करना नहीं।

× × ×

कांग्रेस की राय में सम्बद्ध प्रधान मंत्रियों के सोच-विचार कर किए गए फैसले में गवर्नर जेनरल का हस्तक्षेप करना न केवल प्रत्यक्ष आश्वासन का उल्लंघन है बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट की धारा १२६ (५) का भी गलत प्रयोग है। शान्ति और व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न होने का कोई प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ नहीं था। दोनों मामलों में प्रधान मंत्री ने सम्बद्ध बंदियों

का आश्वासन प्राप्त करके तथा दूसरे तरीकों से उनका हृदय परिवर्त्तन हो चुका था और उन्होंने कांग्रेस की अहिंसा नीति स्वीकार कर ली थी। इस पर आस्वस्त हो गए थे। वस्तुतः गवर्नर जेनरल के हस्तक्षेप ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे कांग्रेस के प्रयत्नों के बावजूद एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

× × ×

कांग्रेस ऐसा संकट नहीं उत्पन्न करना चाहती जिसमें अहिंसक सत्याग्रह तथा कांग्रेस की सत्य और अहिंसा की नीति के अनुरूप प्रत्यक्ष कार्रवाई की आवश्यकता पड़े। इसलिए अभी कांग्रेस गवर्नर जेनरल की कार्रवाई पर विरोध प्रकट करने के लिए अन्य प्रान्तों के मंत्रिमण्डलों को इस्तीफा देने का आदेश नहीं देने जा रही है। यह कांग्रेस महामहिम गवर्नर जेनरल को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह करती है जिसमें गवर्नर संवैधानिक ढंग से काम कर सकें और राजनैतिक बंदियों की रिहाई के मामले में अपने मंत्रियों की सलाह मान लें।

कांग्रेस अनुत्तरदायित्वपूर्ण मंत्रिमण्डलों के गठन को तलवार के शासन का मुखौटा मानती है। ऐसे मंत्रिमण्डलों के गठन से अतिशय कटुता एवं आन्तरिक विक्षोभ पैदा होते हैं और उनके फलस्वरूप ब्रितानी सरकार के विरुद्ध और भी अधिक रोष फैलता है। कांग्रेस ने जब बहुत हिचकिचाहट के साथ पद ग्रहण की स्वीकृति दी तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट की वास्तविक रूप के मूल्यांकन करने में किसी तरह का भ्रम नहीं था। गवर्नर जेनरल की इस कार्रवाई ने उस मूल्यांकन की सत्यता सिद्ध कर दी है। इस काम से जनता को संविधान वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करने में कितना अशक्त है, इसका ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही स्वतन्त्रता के प्रसार के लिए नहीं वल्कि उसके विरोध के लिए अपने ढंग से विधान का व्यवहार एवं व्याख्या करना ब्रितानी सरकार का इरादा प्रकट करता है।

लार्ड लिनलिथगो का वक्तव्य :

संवैधानिक संकट पर कांग्रेस के प्रस्ताव के जवाब में वायसराय ने २२ फरवरी, १६३८ को निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया—

"युक्त प्रान्त एवं बिहार के उन बंदियों की, जिन्हें राजनैतिक बन्दी कहा जाता है, रिहाई के संदर्भ में जो उलझन उठ खड़ी हुई है, वे सर्वविदित हैं। दोनों प्रान्तों में कुछ समय से मंत्रिमण्डलों और गवर्नरों के बीच इस विषय पर विवाद चलते रहे हैं। गवर्नर बराबर यह स्पष्ट करते रहे हैं कि व्यक्तिगत मामलों को देखने को वे तैयार थे और उनकी रिहाई के मार्ग में बाधक नहीं बनेंगे। पर ऐसे मामलों में जहाँ संविधान में विहित विशेष दायित्वों का स्पष्ट सम्बन्ध होगा उनके हाथ बँधे हुए थे।

× ※ ×

व्यक्तिगत मामलों का पुनरीक्षण कर के रिहाई करने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही थी तो १४ फरवरी को बिहार और युक्त प्रान्त के प्रधान मन्त्रियों ने उन दोनों प्रान्तों में ऐसे सभी बन्दियों को, जिन्हें "राजनैतिक" कहा गया था, तत्काल एक साथ रिहा करने की मांग की——गवर्नर ने संविधान की सम्बद्ध धारा के अन्तर्गत मन्त्रियों के तत्सम्बन्धी परामर्श को मेरे आदेश के लिए प्रेषित कर दिया।

उपर्युक्त स्थिति के संदर्भ में, इन बन्दियों की रिहाई की पड़ोसी प्रान्तों में क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर विचार करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किए बिना आतंकवादी बन्दियों को एक साथ बिना सोचे-विचारे रिहा कर देना अत्यधिक खतरनाक हो सकता था तथा इसे ध्यान में रखते हुए एवम् पिछले वर्षों के इतिहास को देखते हुए इस प्रकार इन कैदियों की रिहाई से बंगाल में नये आतंकवादी संगठन को बल मिलना अनिवार्य था। इन सब बातों पर सावधानी के साथ विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गयां था कि उपर्युक्त स्थिति में विधान की धारा १२६ (५) के अन्तर्गत गवर्नर को आदेश देना मेरे लिए आवश्यक था।

गवर्नरों ने मेरे आदेश पाने पर अपने मंत्रियों को सूचित कर दिया कि वे इस मामले में उनकी सलाह स्वीकार नहीं कर सकते थे। तदुपरान्त मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया।

सम्बद्ध गवर्नर और मैं, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, पिछले सात महीनों में दोनों प्रान्तों के काँग्रेसी मंत्रियों के साथ तालमेल एवं सहयोग के वाता-

वरण में काम करने का सर्वाधिक प्रयत्न किया है एवं उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की गई है। इस अवधि की कार्यवाही से ऐसा कोई संकेत का आधार नहीं है कि इन मंत्रियों के वैध कार्रवाइयों में गवर्नर जेनरल या गवर्नरों का हस्तक्षेप करने या अड़ंगा लगाने का उनका कोई इरादा हो अथवा ऐसा कोई काम करने का जिसकी आवश्यकता विधान के अन्तर्गत नहीं हो। आज भी यह बात लागू है।

मंत्री कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेवार हैं किन्तु उनकी जिम्मेवारी गवर्नरों के अपने-अपने प्रान्तों में शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के दायित्व के अन्तर्गत है। गवर्नरों के लिए इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि गवर्नर जेनरल पर सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग में शान्ति बनी रहे, इसकी जिम्मेवारी है। कोई गवर्नर या गवर्नर जेनरल अपनी जिम्मेवारी का अतिक्रमण पसन्द नहीं करेगा। किन्तु, जैसाकि मैंने पिछले जून के संदेश में स्पष्ट किया था, जहाँ कहीं अतिक्रमण होगा गवर्नर या गवर्नर जेनरल प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने में हिचकेगा नहीं।"

गवर्नर जेनरल के वक्तव्य पर गाँधीजी का जवाब :

गाँधीजी ने दूसरे ही दिन उपर्युक्त वक्तव्य पर इस आशय का जवाब दिया :

"मैंने गवर्नर जेनरल का वक्तव्य आदर एवं उपयुक्त ध्यान के साथ पढ़ा............यह वक्तव्य एक ऐसे व्यक्ति के, जो अकथनीय अधिकारों से सम्पन्न हो, सर्वथा अनुपयुक्त प्रतीत होता है।

गवर्नरों का कर्त्तव्य अधिकार सामान्य नीति के प्रश्नों पर अपने मंत्रियों को परामर्श देना और कतिपय अधिकारों के कार्यान्वयन में निहित खतरों की चेतावनी देना है। तदुपरांत मंत्रियों को अपने निर्बंध निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो दायित्व निरर्थक शब्द बनकर रह जाएगा और निर्वाचकों के प्रति जिम्मेवार मंत्रियों को घृणा तथा अश्रद्धा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी

नहीं मिलेगी। यदि दैनिक प्रशासन के मामलों में उनकी जिम्मेवारी में गवर्नरों को भी सहभागी बनना पड़े।

महामहिम द्वारा धारा १२६ (५) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के सम्बन्ध में एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा........मैंने उसे समूचा पढ़ा है। उसका शीर्षक है "कुछ मामलों में प्रान्तों पर एक दूसरे के साथ संघ का नियंत्रण"। यदि उपबन्धों का सम्बन्ध न हो और सभी धारा अलग-अलग पृथक पढ़े जानेवाले हों तो मेरी धारणा है कि प्रस्तुत मामले की धारा १२६ के उपबंध (५) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग स्पष्टतः गलत है............

बिहार के गवर्नर और प्रधान मन्त्री का संयुक्त वक्तव्य :

२६ फरवरी को बाबू श्रीकृष्ण सिंह पटना लौटे। बिहार गवर्नर ने उन्हें तुरत बात करने के लिए बुलाया। तदुपरांत यह संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया : "हममे उन बंदियों की, जिन्हें राजनैतिक श्रेणी प्रदान की गई है, रिहाई के मामले पर बात की। हमने इस सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित की है और उसके फलस्वरूप मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र वापस लेकर पुनः अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रधान मंत्री ने सम्बद्ध बंदियों के मामलों पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया और गवर्नर इस पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिये गए परामर्श के अनुसार उन बंदियों की रिहाई और उनकी सजा के अवशिष्ट भाग की मंसूखी के आदेश जारी कर रहे हैं। शेष राजनैतिक बंदियों के मामलों पर प्रधान मंत्री अलग-अलग विचार कर रहे हैं और कुछ ही काल में उनकी रिहाई के आदेश भी दे दिये जायेंगे। हमने गवर्नर और मंत्रियों के सम्बन्धों पर भी, विशेष कर वर्त्तमान स्थिति और हाल के घटनाक्रम पर, गवर्नर जेनरल और महात्मा गाँधी के वक्तव्यों तथा हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के प्रकाश में विचार किया है। हम एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करने तथा प्रान्त के हित में काम करने की काम्यता समझते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं कि इस प्रान्त में मंत्रियों के काम में किसी तरह का हस्तक्षेप या उनके अधिकारों का अतिक्रमण होगा"।

इस प्रकार यह संकट समाप्त हुआ। युक्त प्रान्त एवं बिहार के मंत्रियों की कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों पर विजय हुई। इतने महत्त्वपूर्ण मामले में

उनका साहसपूर्ण रवैया कांग्रेस के लिए एक नैतिक विजय थी। इस प्रान्त का मंत्रिमण्डल फिर काम करने लगा।

बिहार कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के सुधारात्मक एवं रचनात्मक कार्य :

अनेक बाधाओं के बावजूद बिहार काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने कई सुधारात्मक कदम उठाये और विभिन्न कार्रवाइयों से रचनात्मक कार्य शुरू किया। बिहार सेफ्टी ऐक्ट के अन्तर्गत नजरबन्द या निष्कासित व्यक्तियों को पद ग्रहण करने के एक महीने के भीतर रिहा कर दिया गया। इनकी संख्या २७ थी। १२ मार्च १९३८ तथा अनेक बन्दी छोड़ दिए गए।[1] बाद में तीन अन्य बन्दी भी, जिन्हें पहले राजनैतिक बन्दी का दर्जा नहीं दिया गया था, रिहा कर दिए गए। पिछली सरकार द्वारा जब्त किए गए सभी राजनैतिक साहित्य का सतर्क पुनर्निरीक्षण कर के ५२ पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया। सभी संघों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया और अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा समाप्त कर दी गई। मन्त्रिमण्डल ने स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा अपने भवनों पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने पर से प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया। ये प्रतिबन्ध १९३० में लगाये गये थे। १९३० के एक आदेश के अनुसार कुछ फिल्मों के प्रदर्शन पर लगाये गये प्रतिबन्ध भी उठा लिए गए। तीन समितियाँ स्थापित की गईं। एक समिति को प्रान्त की सरकारी सेवाओं में फैले भ्रष्टाचार तथा उसके कारणों की जाँच करनी थी एवं उसे दूर करने के हेतु प्रभावी उपायों की अनुशंसा करनी थी। दूसरी समिति को संथालपरगना के प्रशासन की जांच करनी थी और उसमें ऐसे सुधार एवं परिवर्त्तन की अनुशंसा करनी थी जिससे आदिवासियों का कल्याण हो। तीसरी समिति को कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण पर विचार करना था। इन समितियों की अनुशंसाएँ कुछ मामलों में कार्यान्वित करने की कोशिश की गई। मन्त्रिमण्डल ने राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में एक श्रम जाँच समिति नियुक्त की। इस समिति को बिहार के श्रमिकों के जीवन एवं काम करने की स्थितियों की जाँच करनी थी एवम् उन पर रिपोर्ट देनी

---

१. परिशिष्ट २९।

थी। विशेषकर जहाँ विभिन्न कारखानों एवं औद्योगिक संस्थान रहने से यह प्रश्न विशेष महत्त्वपूर्ण हो। राजेन्द्र बाबू के पटना विश्वविद्यालय के सिनेट में प्रस्तुत एक प्रस्ताव के अनुसार सरकार ने एक समिति (शिक्षा पुनर्गठन समिति) की स्थापना की। श्री के० टी० शाह को इसका अध्यक्ष बनाया गया एवं समिति को बिहार में शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने तथा शैक्षणिक सुधारों के लिए उपयुक्त सुझाव देने का काम दिया गया। समिति ने शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन के हेतु महत्त्वपूर्ण अनुशंसाओं सहित एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने एजुकेशन कोड के पुनरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की। इसके अतिरिक्त एक हिन्दुस्तानी समिति नियुक्त की गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष और बाबू राजेन्द्र प्रसाद इसमें सदस्य नियुक्त किये गये। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य महत्त्वपूर्ण काम ये थे—पटना में वार्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना, अप्रील १९३८ के सामूहिक साक्षरता अभियान शुरू करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण के हेतु अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

हरिजनों की शिक्षा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में उचित सुधार करने के हेतु कुछ कदम उठाये गये। हरिजन छात्रों की आम शिक्षा तथा तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। ग्रामीण जल आपूर्त्ति के लिए स्वीकृत १२,५०,००० रु० में से ३,५०,००० रु० की रकम हरिजनों और आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गयी। कताई-बुनाई के सुधार और विकास के लिए सरकार ने १२,५०० रु० १९३७-३८ और १७,५०० रु० १९३८-३९ में अखिल भारतीय चर्खा संघ की बिहार शाखा को अनुदान के रूप में स्वीकृत किया। मानभूम और सन्थालपरगना जिलों में सुदूर गाँवों में तसर, रेशम के कीड़ों के अण्डों की आपूर्त्ति करने के हेतु दो केन्द्र स्थापित किये गये। पूर्णियाँ जिला की कुछ बस्तियों में मलबेरी रेशम के कीड़े पालनेवालों को छोटी-छोटी रकमें प्रोत्साहन के लिए दी गईं।

नहर-कर भुगतान करने में पुरानी व्यवस्था की बहुत-सी बुराइयों को दूर करने के हेतु किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सोन और चम्पारण नहरों के इलाकों में "केन्द्रीय भुगतान व्यवस्था" जारी की गई। नई व्यवस्था के अन्तर्गत तहसीलदार हर गाँव में सप्ताह में एक

बार जाकर वहीं नहर कर का भुगतान लिया करते। इसके लिए प्रत्येक तहसील को तीन केन्द्रों में विभाजित कर दिया गया। बिहार के चीनी उद्योग के विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण कानून बनाया गया। चीनी कारखाना नियन्त्रण विधान के अन्तर्गत चीनी कारखानों को लाइसेंस देने, कारखानों को नियमित रूप से ईख की आपूर्त्ति करने, गन्ना का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने, चीनी नियन्त्रण अभिषद एवं सलाहकार समिति स्थापित करने तथा कारखानों में व्यवहार के लिए गन्ना के विक्रय पर कर लगाने की व्यवस्था थी। शिक्षा एवं विकास मन्त्री चीनी नियन्त्रण अभिषद का पदेन अध्यक्ष बनाये गये। युक्तप्रान्त एवं बिहार के गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि तथा सरकार के प्रतिनिधि इसके सदस्य थे। अभिषद को व्यवसाय की प्रमुख समस्याओं पर विचार करना था। युक्तप्रान्त के सरकार से विचार करने पर बिहार सरकार ने छोआ से पावर अलकोहल बनाने के तरीकों पर विचार करने के हेतु एक संयुक्त समिति नियुक्त की। आर्थिक महत्त्व का एक नया काम बिहार के मनीलेण्डर ऐक्ट पारित करना था। इससे प्रान्त के लोगों को महाजनों के शोषण से राहत मिली। नशीले पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगाना एक नया उपयोगी लाभकर काम था। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर कोयला खदानों के क्षेत्र में, जहाँ हजारों श्रमिकों को पीने की आदत पड़ गई थी, इससे विशेष लाभ हुआ।

बिहार काश्तकारी संशोधन विधान :

मंत्रिमण्डल का सबसे महत्त्वपूर्ण काम बिहार टेनेन्सी अमेण्डमेंट ऐक्ट था। इसका उद्देश्य काश्तकारी व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थीं उनसे राहत दिलाना था। स्वभावतः, जमींदार इसके आरम्भ से ही विरोधी थे। १३ सितम्बर, १९३७ ई० को पटना में उन्होंने इसके विरोध में एक सभा की। उसमें "सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह" की भी बात की गई।[१] किन्तु, जमीन्दारों और कांग्रेस के बीच एक समझौता के फलस्वरूप इस विधेयक के पारित होने में कोई कठिनाई नहीं हुई। समझौता

१. पटना के जिलाधिकारी का आयुक्त को २६ सितम्बर, १९३९ का पत्र।

मुख्यतः राजेन्द्र बाबू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रयत्नों से किया गया था।[1]

नये काश्तकारी कानून के अन्तर्गत किसानों को निम्नलिखित राहत दी गई थीं :—

"१. ओकूपेंसी रैयतों को सह रैयतों के मध्य बँटवारा की सुविधा दी गई है। जमीन्दार उसे मान्य समझेंगे। यदि जहाँ जमीन्दार को बँटवारा के फलस्वरूप अन्य रैयतों के बीच मालगुजारी के आवंटन पर कोई आपत्ति होगी तो वह होलडिंग की मालगुजारी के आवंटन के लिए कलक्टर के पास आवेदन कर सकता है।

२. पहले के काश्तकारी कानून में अदालत को भाउली से नकदी करने की दरखास्त को स्वीकार करने या नहीं करने की छूट रहती थी। नये कानून में दरखास्त देने पर अदालत उसे अस्वीकार नहीं कर सकती थी। लेकिन जमीन्दार की दरखास्त पर यदि रैयत को आपत्ति हो तभी अदालत को उस दरखास्त को स्वीकार करने या नहीं करने का अधिकार था।

३. रैयत द्वारा फसल के अनुमानित मूल्य पर भाउली मालगुजारी चुकाने की व्यवस्था, जिसे दानाबन्दी कहा जाता था, लोकप्रिय नहीं रह गया था, उसे उठा दिया गया। कानून पारित होने के दिन से दानाबन्दी वाली सभी जमीनों की फसल के बँटवारा के द्वारा मालगुजारी चुकायी जायगी। इसमें प्रति मन रैयत को मन में २२ सेर और जमीन्दार को १८ सेर की दर से मिलेगा। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके कलक्टर मालगुजारी निश्चित करने का काम शुरू करेगा। इसके लिए जमीन्दार या रैयत की दरखास्त जरूरी होगी या वह खुद भी शुरू कर सकता था।

४. बाकी मालगुजारी पर सूद की दर १२ प्रतिशत प्रति वर्ष से घटा कर सवा छः प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गयी, नुकसान का भुगतान करने की दर मालगुजारी के २५ प्रतिशत तक थी। इसको समाप्त कर दिया गया है।

---

१. पटना के जिलाधिकारी का आयुक्त को २९ सितम्बर, १९३७ का पत्र।

५. अबवाब की वसूली गैर-कानूनी बना दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर ६ महीने की सादी कैद या ५०० रुपये जुर्माना तक या दोनों की सजा मिल सकती है।

६. विश्वव्यापक मन्दी जो १९२९ में शुरु हुई उसके कारण खेती के उत्पादन का मूल्य ५० प्रतिशत तक घट गया है। वर्त्तमान दर से मालगुजारी का भुगतान करना रैयतों के लिए कठिन हो रहा है, खास करके जहाँ अदालत द्वारा या निजी तौर पर, पुराने कानून की धारा—४० के अन्तर्गत मालगुजारी बढ़ाई गई है अथवा १९११ के खाद्यानों के ऊँचे मूल्यों के आधार पर जहाँ नई बन्दोबस्ती में ऊँची मालगुजारी-दरें निर्धारित की गई हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ जमीन्दारों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने के आधार पर ऊँची मालगुजारी दरें निर्धारित की गई थीं, किन्तु अब जमीन्दारों के ध्यान नहीं देने से सिंचाई की व्यवस्था टूट गयी है, फिर भी उन्हीं दरों पर मालगुजारी वसूली जा रही है। ऐसे मामलों में रैयतों को राहत पहुँचाने के लिए कानून में एक नई धारा—११२ (अ) जोड़ दी गई है। इसके अनुसार अब रैयत (क) १९११ और १९३६ के बीच लगान में जो भी इजाफा किया गया हो उसे खतम करने के लिए दरखास्त दे सकते हैं। (ख) दफा ४० के अन्तर्गत या १९११ से १९३६ के बीच आपसी सहमति से जो नकदी मालगुजारी दरें निर्धारित की गई हैं उनमें खाद्यान्नों के दाम के अनुपात में कमी की जायगी, (ग) खेत में बालू पड़ जाने, पानी जमा होने या जमीन्दार द्वारा सिंचाई की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने के कारण जहाँ कहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई हो वहाँ मालगुजारी को अशंतः या पूरा माफ करने के लिए दरखास्त दी जा सकती है, (घ) यदि मूल्यों में ऐसे कारणों से गिरावट, जो स्थायी नहीं हों, आयी हो तो मालगुजारी कम करने के लिए दरखास्त दी जा सकती है। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके जिलाधिकारी उपर्युक्त सभी मामलों में तथा ऐसे मामलों में जिन्हें गवर्नर पर्याप्त समझ कर, अधिसूचना जारी करें, जिलाधिकारी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

७. बाकी मालगुजारी की वसूली के लिए अब यदि जिस जमीन की बाकी मालगुजारी के लिए डिग्री हुई हो उसकी जब्ती और विक्रय से डिग्री की रकम का भुगतान नहीं किया जा सके तो भी रैयतों को कैद नहीं किया जा सकता और बिना उसकी लिखित सहमति के उसकी चल सम्पत्ति जब्त नहीं की जा सकती।

८. मालगुजारी के लिए दखलदेहानी करने के सिलसिले में खेत के विक्रय के सम्बन्ध में अब उतनी ही जमीन को विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है जो डिग्री की रकम के भुगतान के लिए काफी हो। कितनी जमीन बेची जायगी तथा उसका अनुमानित मूल्य फरीकों की बातें सुनकर अदालत निर्धारित करेगी। विक्रयपत्र में निर्धारित दाम से कम पर कोई जमीन या उसका भाग नहीं बेचा जायगा।

९. बाकी मालगुजारी की डिग्री कार्यान्वित करने के लिए किसी रैयत या अवर रैयत का घर या बाड़ी-झाड़ी नहीं बेची जायगी ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ घर मकान के सम्बन्ध में ही बाकी मालगुजारी की डिग्री हुई हो।"

बिहार काश्तकारी (संशोधन) कानून (१९३८) के अन्तर्गत बिहार काश्तकारी कानून की वे धाराएँ निरस्त कर दी गईं जिनके अन्तर्गत जमीन्दार से बाकी मालगुजारी की वसूली के लिए सर्टीफिकेट जारी कराने का अधिकार था। इसके अन्तर्गत जमीन्दारों की हस्तान्तरण फीस (सलामी) उठा दिया गया और जलकर, फलकर तथा बागानों के संदर्भ में रैयतों के अधिकार निर्धारित कर दिए गए। चम्पारन कृषि संशोधन कानून और छोटानागपुर कृषि संशोधन कानून पारित कर के स्थानीय किसानों को राहत पहुँचायी गयी। चम्पारन कृषि संशोधन कानून के अन्तर्गत रैयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्त करने के बदले में किया गया इजाफा समाप्त कर दिया गया। छोटानागपुर काश्तकारी संशोधन कानून के द्वारा १९०८ के छोटानागपुर काश्तकारी कानून की कुछ धाराओं के कारण जो कुछ कठिनाइयाँ थीं उनमें कुछ को दूर किया गया तथा रैयतों को कुछ सुविधाएँ दी गईं एवं अपनी जमीन हस्तान्तरित करने

का कुछ सीमित अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य कानून के द्वारा मंदी के दिनों में बाकी मालगुजारी के लिए बिकी जमीनों की वापसी तथा उस अवधि के बकीऔता की माफी करने की व्यवस्था की गई।

अखिल भारतीय गांधी सेवा संघ का वृन्दावन अधिवेशन (३-८ मई, १९३९)

इस अवधि में काँग्रेस के रचनात्मक कार्यों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय गाँधी सेवा संघ का ५८वां अधिवेशन ध्यातव्य है। यह अधिवेशन चम्पारन जिलान्तर्गत वृन्दावन में ३ से ८ मई तक हुआ। कलकत्ता में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के अधिवेशन से लौटते समय गाँधी जी इस अधिवेशन का उद्‌घाटन करने के लिए वृन्दावन आये। इस अवसर पर झण्डोत्तोलन करते हुए काँग्रेस अध्यक्ष, श्री राजेन्द्र प्रसाद ने कुछ काँग्रेसी लोगों के अहिंसा के सिद्धान्त में दृढ़ आस्था के अभाव की चर्चा की और इस पर बल दिया कि सत्य और अहिंसा सारी दुनियाँ के लिए समान रूप से लागू थी। गाँधी जी ने अपने भाषण में अहिंसा, आत्मशुद्धि द्वारा काँग्रेस से भ्रष्टाचार दूर करने, गाँधी सेवा संघ की नीति, चर्खा संघ की उपयोगिता और सच्चे सत्याग्रह पर जो भीतर से एवं भगवान में दृढ़ आस्था से शक्ति ग्रहण करता है, प्रकाश डाला।

अधिवेशन समाप्त होने के पहले यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ : "गाँधी सेवा संघ का उद्देश्य गाँधी जी के आदेशों के अनुसार रचनात्मक कार्यों द्वारा जनता की सेवा करना है। इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए राजनैतिक कार्यों में भी भाग लेना आवश्यक है। किन्तु राजनैतिक कार्य भी सत्य और अहिंसा के आधार पर किये जाना चाहिए। संघ के सदस्यों का ध्यान निम्नलिखित स्वतः स्पष्ट आचरण-मानों की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है—सदस्य गाँधी जी की नीति और शिक्षा पर अमल करें, न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में वे सत्य एवं अहिंसा पर अमल करें बल्कि अपने सहयोगियों के ऐसे कार्यों से भी लाभ न उठावें यदि वे कार्य सत्य और अहिंसा के अनुरूप नहीं हों; यथासंभव वे सहयोगियों को भी उन्हीं सिद्धान्तों पर अमल कराने का प्रयत्न करें।

भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित करनेवाली नयी शक्तियाँ :

इस बार हमारे राष्ट्रवाद को कुछ नई शक्तियाँ प्रभावित कर रही थीं। सदी के चौथे दशक के पूर्व से ही दुनियाँ में समाजिक-आर्थिक परिवर्त्तनों की माँग करती हुई नई लहर उठ रही थी। यह लहर भारत में भी पहुँची। "१९३७-४० के आंशिक जनतंत्र" के सुधारात्मक कार्यों से इसे परितोष नहीं हो सकता था। क्योंकि उसे कई परिसीमाओं के भीतर काम करना पड़ता था। नई आवश्यकता क्रांतिकारी, सामाजिक परिवर्त्तन चाहती थी। उसमें अर्धसामन्ती भूमि व्यवस्था तथा भारत में ब्रितानी साम्राज्यवाद के बहुत कुछ परिणामस्वरूप पूँजीवादी, उद्योग अर्थ व्यवस्था की बातों को जड़ से समाप्त कर सके। १९४० में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखा "काँग्रेसी सरकारों ने बहुत कुछ किया है इतने से ही भारत के बुनियादी सवालों का समाधान नहीं हो सकता था। उसके लिए अधिक व्यापक एवं बुनियादी परिवर्त्तनों की जरूरत थी और हर तरह की न्यस्त स्वार्थों, सुविधाओं को बनाये रखनेवाले साम्राज्यवादी ढांचा को समाप्त करने की आवश्यकता थी।

कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक व्यापक परिवर्त्तनों की जबर्दस्त माँग की जा रही थी तथा अक्सर कृषि एवं श्रमिक आन्दोलन के मध्य सम्बन्ध रहा करता था। फलतः बिहार के काँग्रेस मंत्रिमण्डल ने किसानों के लिए जो कुछ भी किया उसके बावजूद प्रान्त में कृषि-स्थिति गंभीर बनी रही तथा एक उग्र किसान आन्दोलन किसानों को अनेक तरह की बुराइयों से मुक्त करने के हेतु, खास कर के वकाश्त जमीन के संदर्भ में चलाया जा रहा था। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि किसान सभा अब तक काँगेस के साथ मिलकर काम कर रही थी और उसकी शक्ति धीरे-धीरे बढ़ रही थी। वास्तव में किसान आन्दोलन ने अखिल भारतीय रूप ले लिया था तथा बिहार स्वामी सहजानन्द के नेतृत्व में किसान संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केन्द्र बना हुआ था। विभिन्न स्थानों पर, खास करके पटना, गया, शाहाबाद और मुंगेर जिलों में अनेक सभाएँ की जा रही

थीं।[१] इनमें किसान अपनी शिकायतें कहते और जमीन्दारों की अवैध माँगों को तुरत समाप्त करने के लिए आन्दोलन करते। किन्तु जमीन्दार "उनकी शिकायतें दूर करने तथा अपना तौर-तरीका सुधारने के बदले अभी भी उन पर झूठे और गलत-सलत आरोप करते।"[२] जमीन्दार पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार को कार्रवाई करने पर बल देते थे। कुछ स्थानों पर स्थिति गंभीर रूप धारण कर चुकी थी तथा १३ जुलाई, १९३७ को अरवल थाना के सोनभद्र नामक स्थान पर एक किसान गोली का शिकार हुआ और कुछ अन्य किसान बुरी तरह आहत हुए।[३]

बिहार किसान आन्दोलन की ओर सारे देश का ध्यान आकृष्ट हो रहा था। १९३७ जुलाई के दूसरे सप्ताह में गया जिलान्तर्गत नियामतपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई। इसमें किसानों की तत्कालीन माँगें देश के समक्ष प्रस्तुत की गईं। ऋणग्रस्तता की समाप्ति, मालगुजारी और राजस्व में कमी, चरागाह की फीस में कमी करना, क्रिमीनल ट्राइब्स ऐक्ट और प्रोटेक्शन फॉर अग्रारियन लेबर ऐक्ट समाप्त करना।

किसानों को दिये गये वादों की पूर्त्ति तथा प्रान्त की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के हेतु बिहार के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने कई तरह की कार्रवाइयाँ

---

१. सिंगतू, थाना बिहार, ७ मार्च, १९३७, इटाही, थाना बक्सर, १८ मार्च, १९३७, पालनी, थाना बिहार, २ अप्रील १९३७, नावागनर और सरैया, जिला शाहाबाद, लगभग इन्हीं दिनों पीरो, शाहाबाद में १५-१६ अप्रील, १९३७ को किसान सम्मेलन हुआ, बिहिया, शाहाबाद में ५।६ जून, १९३७ को जिला किसान सम्मेलन कुर्था, जिला गया, १५ मई, १९३७, मसौढ़ी थाना के इलाके में ५ और १६ जुलाई तथा ८ जून को सभाएँ हुईं, दाउदनगर १५ सितम्बर, इसमें श्री यदुनन्दन शर्मा का भाषण हुआ, गया जिला के नये सक्रिय नेता, बद्री नारायण सिंह, राम विलास सिंह, कैलाश और रामायण सिंह थे, भोजपुर में ७ अक्टूबर, स्वामी सहजानन्द ने भाषण किया, डुमरांव, लगभग इसी समय स्वामी सहजानन्द और श्री रामकुमार त्रिपाठी ने भाषण किया, जहानाबाद में १७ अक्टूबर, १९३७ को सभा हुई, डॉ० युगल किशोर नारायण सिंह ने इसमें भाषण किया, उसी दिन नवादा में एक दूसरी सभा हुई।

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २६ मार्च, १९३७।

३. गया के जिलाधिकारी की पाक्षिक रिपोर्ट, २२ जुलाई, १९३७

करने के प्रयत्न किये। अगस्त १९३७ में जमींदारों और किसानों की एक सभा विटी पार्क, गया, में की गई। इसमें प्रधानमन्त्री और वित्तमन्त्री ने भाषण किया। ये जमींदार-किसान संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई उचित समझौता करना चाहते थे। इसके कुछ काल बाद प्रधानमन्त्री ने जिलाधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया कि "किसान केवल उन्हीं बकाश्त जमीनों को दखल करने का दावा नहीं कर रहे थे, जो वास्तव में जमींदारों के दखल में थी, बल्कि यह भी सत्य है कि इन बकाश्त जमीनों का पर्याप्त भाग वास्तव में किसानों का था और जमींदार उन्हें बेदखल करने का अनवरत प्रयत्न कर रहे थे।" प्रधानमन्त्री ने कहा कि कृषि स्थिति को निबटाते समय जिलाधिकारियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। २३ अगस्त, १९३७ को जब असेम्बली पहली बार बैठी, तो आठ से दस हजार तक किसान प्रान्त के विभिन्न भागों से आये हुए एक विशाल जुलूस बनाकर पटना में असेम्बली भवन के समक्ष एकत्र हुए और प्रधानमन्त्री के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं।[1]

सारन, गया, पटना, शाहाबाद और मुँगेर के इलाकों में किसान आन्दोलन फैल रहा था। सर्वत्र जमींदारी प्रथा समाप्त करने, बकाश्त जमीनों पर कब्जा करने एवं डिग्री लागू कराने के काम में जो जमीन किसानों के हाथ से निकल गई थी, उसे लौटाने की माँग की जा रही थी। विभिन्न स्थानों पर पहली दिसम्बर को किसान दिवस मनाया गया। स्वामी सहजानन्द और यदुनन्दन शर्मा जैसे किसान नेता ने अपने भाषणों में किसानों को चुनाव के समय किये गये वादों की विफलता के लिए कांग्रेस मन्त्रिमण्डल की आलोचना की। उनकी एक विशेष शिकायत यह थी कि बिहार मन्त्रिमण्डल ने मालगुजारी भुगतान करने का स्थगन जारी नहीं किया था जैसा कि उत्तरप्रदेश में किया जा चुका था।[2]

बिहार में १७ अक्टूबर, १९३७ को किसान दिवस फिर मनाया गया और इसमें अनेक स्थानों पर सभाएँ फिर की गईं।[3] विक्रम में श्री कार्यानन्द

१. सरकारी अनुमोदन के अनुसार।

२. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, १३ सितम्बर, १९३७।

३. थाना विक्रम, दानापुर अनुमण्डल, रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में, ग्राम बरारा, थाना बिहार, अध्यक्ष, स्वामी सहजानन्द, बाढ़, अध्यक्ष, रामयत्न सिंह, मसौढ़ी थाना, सदर अनुमण्डल, पटना।

शर्मा की अध्यक्षता में किसान सभा हुई।[१] बिहारशरीफ में १० दिसम्बर को एक सम्मेलन में किसानों का दूसरा प्रदर्शन २६ नवम्बर, १९३९ को हुआ। संक्षेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि किसानों में तेजी से असन्तोष बढ़ रहा था।

बढ़ता हुआ असन्तोष :

इसमें सन्देह नहीं कि भूखे, नंगे किसान अपने देशवासियों द्वारा प्रचालित सरकार से बड़ी-बड़ी आशाएँ कर रहे थे और तत्कालीन सरकार इसके प्रति पूरी तरह चैतन्य भी थी, किन्तु उसे स्थिति की कठोर वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखना था। विशेष करके उसके सामने अनेक तरह की कठिनाइयाँ थीं। अतः मन्त्रिमण्डल सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था और मेल-मिलाप तथा धीरे-धीरे सुधार करने की नीति के द्वारा यथासम्भव समाधान करने का प्रयत्न कर रहा था। दूसरी ओर किसान नेता इसे सर्वथा अपर्याप्त समझते थे। इंगलैण्ड में चार्ल्स प्रथम के ११ वर्ष के निरंकुश शासन के उपरान्त जब नवम्बर १७४० में लौंग पार्लियामेण्ट बैठी, तो एक जटिल स्थिति में सभी आशाएँ पूरी करने में उसकी विफलता पर लोग अधीर हो उठे थे। उसी तरह किसान भी कांग्रेस सरकार की आधी दूर तक जानेवाली, प्रतीत होनेवाली कार्रवाइयों से क्षुब्ध एवं निराश होने लने। किसान सभा एवं कांग्रेस के मध्य का पुराना सौहार्द्द खतम हो गया और धीरे-धीरे दोनों के बीच की दरार बढ़ती गई। बिहार से १९३८ के प्रारम्भ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के लिए ३६ सदस्यों में ५ किसान या समाजवादी कार्यकर्त्ता थे। इनमें से एक को भी नई प्रान्तीय कार्यकारिणी समिति में नहीं लिया गया था।

अब से किसान आन्दोलन एक पृथक् मार्ग पर चलने लगा था एक उग्र वामपन्थी मोर्चा के रूप में। अक्सर इसके तरीके शान्तिपूर्ण नहीं होते थे।

---

१. किसानों की सभाओं के जवाब में जमींदार भी अपनी सभाएँ कर रहे थे। यथा, ग्राम ऐनहा, जिला पटना, २७ अक्टूबर, १९३७, बाढ़, १९ नवम्बर, १९३७, सहासाराम, १९ दिसम्बर, १९३७। बिहारशरीफ १० दिसम्बर को एक सम्मेलन में जमींदारों ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और अपने हितों की रक्षा के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया।

पटना के आयुक्त ने २७ अक्टूबर, १९३७ को सरकार को सूचित किया कि किसान आन्दोलन "खतरनाक होता जा रहा है।" शान्ति भंग करनेवाली कार्रवाइयों को रोकने के हेतु सरकारी अधिकारियों ने आवश्यक कदम उठाये। मन्त्री अभी भी किसानों को तालमेल की अनुशंसा कर रहे थे। प्रधान मन्त्री ने बख्तियारपुर ४ दिसम्बर, १९३७ को पटना जिला सम्मेलन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए किसान से बकाश्त जमीन पर जबर्दस्ती दखल करने का प्रयत्न नहीं करने की अपील की।[1]

प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के प्रस्ताव (४ दिसम्बर, १९३७) :

किसानों की भावनाएँ उनके नेताओं के उग्र भाषणों से अत्यधिक उत्तेजित हो चुकी थीं तथा इस तरह की सलाह का उनपर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर कि कुछ क्षेत्रों में किसान आन्दोलन के कारण स्थिति विस्फोटक हो रही थी प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने १४ दिसम्बर को निम्न-लिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"इस कमिटी की राय में प्रान्त में अराजकता का प्रचार किया जा रहा है। उससे वातावरण विषाक्त हो गया है और कांग्रेस के अहिंसा के सिद्धान्त पर आक्रमण हो रहा है। यह कांग्रेस के हितों के विरुद्ध है। प्रान्त के कुछ भागों में जिस तरह का वातावरण विकसित हो रहा है उससे देश को काफी नुकसान होने की आशंका है और स्वतन्त्रता के लक्ष्य की ओर प्रगति की राह में उससे बाधा पड़ सकती है। अतः यह कमिटी यह उचित और जरूरी समझती है कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ता या इस आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाले लोग ऐसी कार्रवाइयों से अलग रहें तथा जो लोग उनमें संलग्न हों उन्हें विरत करें। कांग्रेस के सामने इस तरह की काफी सामग्रियाँ हैं जिनसे साबित होता है कि किसान सभा के अनेक कार्यकर्त्ता ऐसी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं तथा किसान सभा के तत्वाधान में होनेवाली सार्वजनिक सभाओं में ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप स्थिति बिगड़ती जा रही है और कांग्रेस के कार्य में बाधा पड़ने की सम्भावना है। अतः यह कमिटी

---

१. पटना के आयुक्त को जिलाधिकारी की रिपोर्ट, ११ दिसम्बर, १९३७।

कांग्रेस के ऐसे सदस्यों को जो किसान सभा में काम करते हैं, यह सूचित करती है कि उनका किसान सभा तथा उसकी कार्रवाइयों से सम्पर्क रखना अनुचित है। यह कमिटी जिला कांग्रेस कमिटियों को आदेश देती है कि वे अपने कार्यकर्त्ताओं की कार्रवाइयों पर ध्यान रखें तथा प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी को उनकी रिपोर्ट भेजें।"

१४ दिसम्बर, १९३७ को बिहार प्रान्तीय किसान परिषद् की बैठक में कांग्रेस द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध को "सर्वथा अन्यायपूर्ण कहा गया।"[१] बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी की जनवरी, १९३८ में बैठक हुई। उसमें बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के प्रस्ताव तथा उस पर किसान सभा की ओर से प्रस्तुत स्मरणपत्र पर विचार किया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने "बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी द्वारा एवं कांग्रेस जनों की कार्रवाइयों को जो किसान सभा के सदस्य के रूप में हिंसा का वातावरण पैदा करने में सहयोग दे रहे थे, नापसन्द किये जाने के कार्य का समर्थन किया।"[२]

तत्कालीन किसान आन्दोलन के सन्दर्भ में कांग्रेस का रवैया उसके हरिपुरा अधिवेशन के निम्नलिखित प्रस्ताव में स्पष्टतः व्यक्त किया गया था :—

किसान सभा और देश के कुछ भागों में काम करनेवाले नये संगठनों के सन्दर्भ में जो कुछ कठिनाइयाँ उठ खड़ी हुई हैं, उन पर कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करने तथा उनके प्रति अपना रवैया व्यक्त करना चाहती है। कांग्रेस ने किसान संघ बनाने का किसानों का अधिकार पूर्णतः स्वीकार किया है। फिर भी यह नहीं भूलना होगा कि कांग्रेस स्वयं ही किसान संगठन है और ज्यों-ज्यों उसका सम्बन्ध जनता में बढ़ा है किसान उसमें अधिकाधिक संख्या में सम्मिलित हुए हैं और उसकी नीति को प्रभावित किया है। कांग्रेस को किसानों का कष्ट दूर करने एवं उनकी माँगें पूरी करने में प्रमुख भाग लेना ही होगा और वास्तव में उसने लिया भी है। कांग्रेस भारत की स्वतन्त्रता के लिए काम करती रही है। हमारी स्वतन्त्रता का आधार जनता को सभी तरह के शोषन से मुक्ति दिलाना ही हो सकता है। ऐसी स्वतन्त्रता प्राप्त

१. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, २७ दिसम्बर, १९३७।
२. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुख्य सचिव की रिपोर्ट, जनवरी, १९३७ फरवरी, १९३२, पृ० ३१-३२।

करने के हेतु तथा किसानों को संगठित करने एवं उनकी माँगें पूरी हो सकें, इसके लिए कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना जरूरी है और किसानों को अधिक-से-अधिक संख्या में कांग्रेस में सम्मिलित होने तथा इसके झण्डा के नीचे अपना संघर्ष चलाते रहने को आमन्त्रित करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक कांग्रेसजन का कर्त्तव्य होता है कि वह भारत के हर गाँव में कांग्रेस के संगठन का प्रसार करे और ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे यह संगठन किसी भी रूप में कमजोर हो।

काँग्रेस किसानों का संगठन करने का किसान सभाओं का अधिकार स्वीकार करती है किन्तु वह ऐसे कार्यों का साथ नहीं दे सकती जो काँग्रेस के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल हो और उन काँग्रेस कर्मियों की, जो किसान सभा के सदस्य के रूप में काँग्रेस के सिद्धान्तों एवं नीति का विरोधी वातावरण पैदा करने में सहायता प्रदान करते हैं, कार्रवाइयों का सहन नहीं करेगी। इसलिये काँग्रेस प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी को उपयुक्त बातों को ध्यान में रखने एवं जो भी कार्रवाई आवश्यक हो उसे करने को आगाह करती है।''

प्रान्त के विभिन्न भागों में किसान सम्मेलन :

इस समय बिहार में काँग्रेस और किसानों के मतभेद प्रकट हो चुके थे। किसानों को वामपंथियों का समर्थन प्राप्त था। बछवाड़ा में २२-२३ जनवरी, १९३८ को प्रान्तीय किसान सम्मेलन हुआ। इसमें बीस हजार से अधिक लोग सम्मिलित हुए। सम्मेलन में मंत्रिमण्डल की कृषि नीति की कठोर आलोचना की गई। जमीन्दारों के साथ उसके समझौता पर विशेष रूप से आक्रमण किया गया।[1] मधुवनी में २५-२७ मार्च, १९३८ को भी एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए।[2]

---

१. जनवरी उत्तरार्द्ध में बिहार में राजनैतिक घटनाओं पर रिपोर्ट (१९३८)।

२. वही, मार्च उत्तरार्द्ध १९३८। यह ध्यातव्य है कि इसी समय किसान सभा और समाजवादी गुटों ने गया जिला नगर एवं अन्य काँग्रेस कमिटियों के चुनाव में अपना बहुमत स्थापित किया। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण गया काँग्रेस कमिटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

स्वामी सहजानन्द ने कई स्थानों पर कुछ किसान सभाएँ स्थापित कीं जैसे बेतिया और मोतिहारी। तृतीय अखिल भारतीय किसान सम्मेलन मई के मध्य में कुमिल्ला में हुआ। अध्यक्ष पद से बोलते हुए स्वामी सहजानन्द ने किसान सभा का स्वतंत्र संगठन बनाने पर जोर दिया। श्री सहजानन्द ने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक था। बिना आर्थिक स्वतंत्रता के केवल राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं था। उन्होंने "लाल झण्डा" के प्रति किसान सभा के रवैया का समर्थन किया और बताया कि भारतीय किसानों के लिए दुनिया भर के किसानों एवं मजदूरों के साथ एक जुट होना उनके हित में होगा। गया में श्री यदुनन्दन शर्मा, शिवशंकर भारती और मलयकृष्ण ब्रह्मचारी तथा मुँगेर एवं पटना जिला के कुछ इलाकों में श्री कार्य्यानंद शर्मा किसान सभा की कार्रवाइयों में प्रमुख भाग ले रहे थे। स्वामी सहजानंद ने मई के अन्त में संथाल परगना जिला की यात्रा की। उद्देश्य था किसान आन्दोलन के लिए लोगों से आग्रह करना।[१] किन्तु संथाल परगना में किसान आन्दोलन जड़ नहीं पकड़ सका। बिहार के कुछ अन्य भागों में किसान आन्दोलन बढ़ रहा था। श्री कार्य्यानंद शर्मा जुलाई महीना से किसानों के बकाश्त जमीन पर दखल करने के लिए सत्याग्रह शुरू करने का ऐलान कर रहे थे। ८ अगस्त, १९३८ को जिला मुख्यालयों में स्वामी सहजानंद के परामर्श पर किसानों के प्रदर्शन कराये गये। पटना में प्रान्तीय प्रदर्शन १५ अगस्त को हुआ। १ सितम्बर, १९३८ को अखिल भारतीय किसान दिवस के सिलसिले में एक अन्य प्रदर्शन हुआ। प्रान्तीय किसान परिषद की बैठक हुई। पटना में कुछेक दिन बाद इसमें एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया गया। इसको स्वामी सहजानन्द और यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में जमीन्दारों के अत्याचारों का शान्तिपूर्ण ढंग से प्रतिरोध करने के तरीके निर्धारित करने का भार दिया गया। यह भी निश्चय किया गया कि कतिपय अभियोगों पर जो किसान जेल भेजे जायँ उन्हें सरकार राजनैतिक बन्दी का दरजा प्रदान करे। एक अन्य प्रस्ताव में निर्णय किया गया कि गया जिलान्तर्गत थाना क्यूटा के ग्राम सरैया में १९ सितम्बर को स्वयंसेवकों के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय खोला जाय।[२]

१. वही, मई उत्तरार्द्ध, १९३८।
२. वही, सितम्बर पूर्वार्द्ध, १९३८।

तीन नया किसान स्वंयंसेवक प्रशिक्षण शिविर गया के रेउड़ा, गूसर और देओ में शुरू किए गए। स्वामी सहजानंद ने ११ नवम्बर, १९३८ को देओ में शीतकालीन राजनीति विद्यालय का उद्घाटन किया।[1]

किसान सभा की गतिविधि और भी उग्र हो रही थी। पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी में १६-१७ नवम्बर, १९३८ को जिला किसान सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता श्री राममनाहर लोहिया ने की। मुँगेर के लक्खीसराय में एक दूसरा सम्मेलन १९ और २० नवम्बर को हुआ। इन सभी सभाओं में स्वामी सहजानंद उपस्थित रहते। उन्होंने नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में सारन जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की।[2]

काँग्रेस अभी भी समझौता का प्रयत्न कर रही थी किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। वकाश्त विवादों को सुलझाने के हेतु मेल-मिलाप के कुछ प्रयत्न किये गए किन्तु वे विफल रहे। वस्तुस्थिति यह थी कि किसान इस प्रश्न पर वहुत उत्तेजित थे। श्री कार्य्यानंद शर्मा ने मुँगेर जिलान्तर्गत बड़हिया टाल में एक सत्याग्रह शुरू कर दिया था। गया जिलान्तर्गत रेउड़ा में यदुनंदन शर्मा सत्याग्रह शुरू करनेवाले थे।

बिहार प्रान्तोय किसान सम्मेलन, ओइनो, सत्याग्रह का निर्णय (३-४ दिसम्बर, १९३८) :

सम्पूर्ण किसान संगठन ने शीघ्र ही सत्याग्रह करने का निर्णय किया। बिहार प्रान्तीय किसान सम्मेलन का अधिवेशन दरभंगा जिलान्तर्गत ओइनी में ३ और ४ दिसम्बर, १९३८ को हुआ। बिहार में इस संगठन की बैठकों में यह सब से अधिक महत्त्वपूर्ण था। इसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। सभी स्थानीय किसान नेताओं के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से आचार्य नरेन्द्रदेव और मोहन लाल गौतम भी इसमें भाग लेने आये थे। कुछ "अतिवादी भाषण" भी स्वभावतः हुए। श्री राहुल संकृत्यान ने हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की। कुछ वक्ताओं ने, विशेष कर के मोहन लाल गौतम, तत्कालीन अन्तरराष्ट्रीय स्थिति तथा घटनाओं पर प्रकाश

---

१. वही, नवम्बर पूर्वार्द्ध।
२. वही, नवम्बर उत्तरार्द्ध।

डालने एवं महायुद्ध छिड़ने पर आजादी हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके कुछ संकेत दिए।

सम्मेलन की कार्यसूची पर २६ विषय थे। इसमें सातवाँ विषय सबसे महत्वपूर्ण था। इसके संबंध में प्रस्ताव पंडित यदुनन्दन शर्मा की ओर से प्रस्तुत किया गया :—

''बिहार के जमीन्दार किसान सभा की कार्रवाइयों एवं अपने अधिकारों के प्रति अधिकाधिक जागरुक होने के कारण किसानों में जो अभूतपूर्व जागृति हुई है, उससे परेशान हैं। किसान अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए अपना जीवन भी उत्सर्ग करने को तैयार हैं। दूसरी ओर जमीन्दार किसानों से बकाश्त जमीन पहले से भी अधिक तेजी से छीन रहे हैं। इन जमीनों के वास्तविक मालिक किसान हैं और अब तक जमीन्दार धोखेबाजी कर के उन पर अपना अधिकार बनाए हुए थे। इसके साथ ही वे किसानों का साहस एवं संघर्ष देखकर भयभीत हैं। काँग्रेस मंत्रिमण्डल के पिछले डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में तथा काँग्रेस जमीन्दार समझौता से विशेष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त कर के उन्होंने किसानों की फसल लूटाना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त बिना किसी हिचक के किसानों को जमीन से बेदखल कर रहे हैं। जमीन्दारों ने किसानों पर सर्वतोमुख आक्रमण करना शुरू कर दिया है। कई स्थानों पर घुड़सवार, सशस्त्र पुलिस, गोरखा और स्पेशल मजिस्ट्रेट पदस्थापित कर दिए गये हैं। ये जमीन्दारों के प्रति पक्षपात करते हैं। उन्हें प्रोत्साहन दिया है और किसानों को निरुत्साह कर रहे हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा किसानों के प्रति उपेक्षा दिखाये जाने से उनकी स्थिति और भी विषम हुई है। कानूनी पेचीदगियों और मुकदमेवाजी के कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं। इन सब से उनकी आँखें खुली हैं और अब वे वस्तुस्थिति को अच्छी तरह पहचानने लगे हैं।

पिछले अनेक वर्षों से किसान तथा किसान कार्यकर्त्ता मंत्रिमण्डल, सरकारी अधिकारी, जमीन्दार एवं नेताओं से मिलकर अपना कष्ट दूर करने को कहते रहे हैं किन्तु अब इनमें उनका विश्वास नहीं रह गया है। फलतः इससे किसानों में निराशा जन्य असंतोष है और वे अधीर हो रहे हैं। किसान सभा अब तक उन्हें कई साहसपूर्ण कदम उठाने से रोकती रही है इसके

लिए अनेक स्थानों पर किसानों में क्षोभ है। किन्तु व्यापक असंतोष, अधीरता तथा निराशा के कारण किसान कोई उग्र कदम उठावें और उससे स्थिति और भी बिगड़ जाय, इसका खतरा उत्पन्न हो गया है।

इन स्थितियों में एवं बिहार प्रान्तीय किसान सभा के दायित्वों को ध्यान में रख कर और अन्य कोई रास्ता नहीं देख कर यह सम्मेलन खुलेआम घोषणा करती है कि किसानों के समक्ष जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध एवं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के हेतु पूरी ताकत के साथ संगठित एवं शान्तिपूर्ण ढंग से किसान सैनिकों के रूप में सत्याग्रह करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं रह गया है। किसानों को अत्याचार का सामना करते हुए गौरव के साथ अपना मस्तक उठाये, अपना लक्ष्य हासिल करना है अथवा उसके प्रयत्न में अपने प्राणों की बलि देनी है। यह सम्मेलन विश्वास करता है कि भविष्य में इस संघर्ष के फलस्वरूप जो उलझनें एवं कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी उनकी सारी जिम्मेवारी उनलोगों पर होगी जो किसानों को यह कदम उठाने को वाध्य करते रहे हैं।

यह सम्मेलन बिहार प्रांतीय किसान सभा और उसके परिषद् को बड़े पैमाने पर यह सत्याग्रह शुरू करने के हेतु आवश्यक तैयारी करने का आदेश देता है और बिहार प्रांतीय किसान सभा एवं परिषद् को प्रत्येक जिला किसान सभा को संघर्ष शुरू करने के पूर्व उसकी तैयारी से सम्बन्धित हर तरह की जानकारी देने का अनुरोध करता है। ऐसे संघर्ष बिना पूरी तैयारी के नहीं किए जाएँ और उसके लिए पहले से अनुमति ले ली जाय। यह सम्मेलन प्रांतीय किसान सभा और उसकी परिषद् पर इस बात के लिए बल देती है कि संघर्ष की अनुमति देने के पूर्व वह इसकी पूरी गारण्टी ले ले कि आन्दोलन बराबर शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जायगा तथा जिस इलाके में सत्याग्रह होगा वहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा।

किसान सत्याग्रह शुरू करने में देर नहीं लगी। पंडित यदुनन्दन शर्मा ने २२ दिसम्बर को नेउरा में विवादग्रस्त खेतों की फसल काट कर सत्याग्रह शुरू कर दिया (२७ दिसम्बर)। इसके लिए तीन मुख्य स्वयंसेवकों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्वामी सहजानन्द पच्छिमी भारत की यात्रा समाप्त कर के १३ जनवरी, १९३९ को लौटा। उसके आते हीं आन्दोलन में नया जोश आ गया। गया में श्री यदुनन्दन शर्मा के मुकदमा

के समय उसने एक विराट किसान प्रदर्शन का आयोजन कराया। १३ फरवरी को श्री शर्मा और उसके साथियों को ६ से १२ महीने तक की कैद की सजा दी गई। उसी महीने में श्री राहुल सांकृत्यायन ने छपरा जिलान्तर्गत अमवारी नामक स्थान में बकाश्त सत्याग्रह शुरू किया। इसके लिए १६ अन्य व्यक्तियों के साथ २४ फरवरी को सांकृत्यायन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें छः महीने की सजा दी गई। राहुल जी ने जेल में भूख हड़ताल शुरू की। किसान नेताओं को राजनैतिक बन्दी घोषित किये जाने एवं कुछ अन्य सुविधाओं के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की।[1] राहुल जी की माँगों के समर्थन में श्री जगन्नाथ प्रसाद और श्री रामवृक्ष वेनीपुरी ने भी कई दिनों तक भूख हड़ताल की।[2]

श्री सुभाषचन्द्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने से बिहार के किसान नेताओं में खुशी हुई (जनवरी १९३९)। श्री जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानन्द ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा :—

"हम नहीं समझते हैं कि ऐसे लोग भी जो श्री बोस के साथ पूर्णतया सहमत नहीं हैं, ऐसा नहीं विश्वास करेंगे कि वर्त्तमान संकटकाल में श्री बोस का कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होना, उसके लिए बहुत ही लाभकर होगा।[3] श्री बोस ने गया जिलान्तर्गत चौरम आश्रम में ९-१० फरवरी, १९३९ को राजनैतिक सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन पूर्णतः अतिवादियों के हाथों में था। इसमें ५ फरवरी, १९३९ को होनेवाले बंगाल प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन के प्रस्तावों के अनुरूप प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।[4]

---

१. १८ मार्च—२२ मार्च, १९३९, १ मई—१० मई, १९३९, २३ मई—९ जुलाई १९३९। वही, ३ अक्टूबर, १९३९।

२. वही, १४ अक्टूबर, १९३९।

३. इण्डियन ऐनुअल रजिस्टर, १९३९, खण्ड—१, पृष्ठ ६।

४. जलपाईगुड़ी सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव संघ व्यवस्था पर था। इसमें ब्रितानी सरकार से "भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा कांग्रेस जनता इच्छा के अनुसार जो संविधान प्रस्तुत करे उसे पूर्णतः स्वीकार कर लेने" की मांग की गई थी। सम्मेलन में भाषण करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष, श्री सुभाषचन्द्र बोस ने भारत में समुदायों एव वर्गों की एकता आजादी हासिल करने के लिए जरूरी थी, इस पर बल दिया।

गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन (९-१ अप्रील, १९३९) :

बिहार में इस उत्तेजनापूर्ण परिवेश में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक सम्मेलन ९ अप्रील को गया में शुरू हुआ और १० अप्रील तक चला। इसकी अध्यक्षता, आचार्य नरेन्द्रदेव ने की। बिहार के बाहर के अनेक वामपंथी नेता इस सम्मेलन में आये। इनमें श्री मोहनलाल गौतम, पी० सी० जोशी, प्रोफेसर रंगा, श्री इन्दुलाल याज्ञिक, श्री जमालउद्दीन भूषण, श्री बोखारी, श्री शिवनाथ वर्मा और श्री निहारेन्दु दत्त मजुमदार प्रमुख थे। स्वामी सहजानन्द और कुछ बंगाली नेता उग्र वामपंथी विचार रखते थे। ये काँग्रेस से सम्बन्ध विच्छिन्न करने के पक्ष में थे किन्तु श्री जयप्रकाश नारायण के एक प्रभावशाली भाषण तथा आचार्य नरेन्द्रदेव के अत्यधिक प्रभावशाली अध्यक्षीय भाषण के उपरान्त किंचित नर्मपंथी विचारों की विजय हुई। श्री नरेन्द्रदेव ने अपने भाषण में "किसान सभाओं के स्थानीय काँग्रेस सँगठनों के साथ सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने पर बल दिया। श्री देव ने दोनों संगठनों को सहयोग करने और मिलकर काम करने को कहा।" किसान आन्दोलन में जो नई लहर आयी थी उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा : "किसानों के सोचने के ढंग में एक क्रान्तिकारी परिवर्त्तन हुआ है। ज्ञान की नयी तृषा जागृत हुई है। वह अपने परिवेश तथा उनलोगों की जिनके प्रति अतीत में वह आज्ञाकारी बना रहता था, उनकी वह आलोचना करने लगा है। पुराना अवसाद समाप्त हो रहा है उसके स्थान पर एक नई स्फूर्ति दिखाई पड़ रही है। गाँवों में एक नई फिजां है। यदि हम नई अनुकूल स्थिति का सही ढंग से उपयोग करें और किसानों को सही दिशा प्रदान करें तो देश में एक अदम्य शक्ति के रूप में उन्हें परिवर्त्तन कर देंगे। उनमें अनुशासित रहने की आवश्यकता की चेतना जगानी होगी।" सम्मेलन ने अंगीभूत तत्त्वों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाये।

१. आसन्न राष्ट्रव्यापी संघर्ष की आवश्यकता तथा प्रस्तावित संघ-व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का संदेश घर-घर पहुँचाना;

२. किसानों के राजनैतिक संघर्षों को तीव्र करना एवं एक सूत्र में आवद्ध करना;

३. कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा अन्य साम्राज्य विरोधी तत्त्वों का संयुक्त मोर्चा बनाना;

४. प्रान्तीय सरकार किसान सभा की तत्कालीन माँगें स्वीकार करे। उन्हें कार्यान्वित करे तथा कांग्रेस के घोषणापत्र को पूरा-पूरा कार्यान्वित करे, इस पर बल देना;

५. जनता की आर्थिक और राजनैतिक माँगों के हेतु संघर्ष के द्वारा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सही ढंग से स्वीकृति के द्वारा साम्प्रदायिक द्रोह की शक्तियों को निर्मूल करना;

६. किसान स्वयंसेवक दल गठित करना;

७. देशी राज्यों की जनता के साथ एकता का प्रदर्शन तथा उन्हें सक्रिय सहायता देना।

सम्मेलन में जमीन्दारी प्रथा को समाप्त करने की माँग की गई। एक अन्य प्रस्ताव में किसानों के सम्बन्ध में बिहार मन्त्रिमण्डल की नीति की आलोचना की गई तथा मन्त्रिमण्डल से माँग की गई कि "कांग्रेस-जमीन्दार समझौता को तुरत समाप्त किया जाय तथा जमीन्दारों के अत्याचार एवं ज्यादती को मन्त्रिमण्डल समाप्त करे और यह कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बकाश्त समस्याओं का समाधान करने के हेतु अविलम्ब क़दम उठावे तथा फैजपुर कांग्रेस के कृषि कार्यक्रम और अपने चुनाव घोषणा-पत्र के अनुबन्धों का कार्यान्वयन करे"।[1] बिहार में प्रान्तीय नेताओं के निदेशन में किसान सत्याग्रह चलता रहा। १ जुलाई, १९३९ को किसान बन्दी दिवस प्रान्त के विभिन्न स्थानों में मनाया गया। सभाओं में दो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। एक प्रस्ताव में किसान बन्दियों को राजनैतिक बन्दी का दर्जा दिये जाने और दूसरे में किसान-सभाओं के संदर्भ में कांग्रेस कमिटी के प्रस्ताव का विरोध किया गया। वस्तुतः इस आन्दोलन से मन्त्रिमण्डल को कुछ उलझन

---

१. द एनुअल रजिस्टर, खण्ड-१, पृ० ४११।

हो रही थी। उसे कुछ ही काल बाद द्वितीय विश्वयुद्ध से उत्पन्न स्थिति में त्यागपत्र देना पड़ा।

काँग्रेस समाजवादी पार्टी द्वारा किसान आन्दोलन का समर्थन :

काँग्रेस समाजवादी पार्टी भी इस अवधि में देश की स्वतन्त्रता तथा आर्थिक पुनरुत्थान के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थी। उसके कुछ अखिल भारतीय नेता अखिल भारतीय काँग्रेस समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने को पटना आये। यह बैठक ७ अगस्त, १९३६ को एक बजे दिन में शुरू हुई। ७,८ और ९ अगस्त को समाजवादियों ने सभाएँ कीं। यद्यपि वे काँग्रेस द्वारा पद-ग्रहण के पक्ष में नहीं थे, फिर भी उसका यथासम्भव लाभ उठाने की आकांक्षा व्यक्त की। २१ नवम्बर, १९३७ को पटना यूथ लीग की कार्यकारिणी की बैठक श्री फूलन प्रसाद वर्मा के घर पर की गई। उसमें प्रत्येक रविवार को समाजवाद पर क्लास लेने का निर्णय किया गया। इस सिलसिले में पहला क्लास २८ नवम्बर को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और दूसरा ५ दिसम्बर को प्रेस कर्मचारी संघ के कार्यालय में लिया गया।

समाजवादियों द्वारा तरुण संघ (यूथ लीग) की स्थापना :

बिहार यंग्स मैन इनस्टीट्यूट में २० दिसम्बर को अखिल भारतीय छात्र दिवस श्री रामवृक्ष वेनीपुरी की अध्यक्षता में मनाया गया। छात्रों को राजनीति में रुचि लेने की अनुशंसा की गई। बिहार यंग मैन इनस्टीच्यूट में ८ दिसम्बर, १९३७ को एक सभा की गई। इस अवसर पर एक छात्र संघ की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष, श्री नकी इमाम और मुख्य सचिव श्री विश्वनाथ प्रसाद बनाये गये। एक यूथ लीग सम्मेलन बछवाड़ा में २२ और २३ जनवरी, १९३८ को बिहार प्रान्तीय किसान-सम्मेलन के अवसर पर किया गया। समाजवादी जगह-जगह यूथ लीग का संगठन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वे प्रत्येक गांव में तुफानी जत्था का संगठन कर रहे थे। उन्होंने छपरा में १९ मई, १९३८ को एक बहुत बड़ी सभा की।

उसमें भाषणों में ब्रितानी साम्राज्यवाद पर आक्रमण किए गए। सोनपुर में राजनीति का ग्रीष्मकालीन स्कूल खोला गया। कुछ ही दिन बाद श्री जयप्रकाश नारायण समाजवादी ग्रुप क्लब की स्थापना में लग पड़े। इस कार्यक्रम में श्री नारायण ने पटना में कई सभाएँ कीं। ३० जुलाई, १९३८ को श्री मुल्कराज आनन्द ने "क्रान्ति की ओर" तथा इलाहाबाद के जेड० ए० अहमद ने "संघ और हमारा स्वतन्त्रता संघर्ष" पर भाषण दिया। दूसरे दिन उन्होंने समाजवादी अध्ययन केन्द्र में भी भाषण दिया। लगभग इन्हीं दिनों हजारीबाग और मंगल बाजार, पुर्णियाँ में नौजवान संघ स्थापित किए गए। दिसम्बर १९३८ में ओइनी में प्रान्तीय किसान-सम्मेलन समाप्त होने के पहले एक नौजवान-सम्मेलन किया गया। प्रान्तीय सामाजवादी पार्टी ने अपना वार्षिक सम्मेलन मुजफ्फरपुर में १८ से २१ दिसम्बर (१९३८) तक मनाया। सम्मेलन में निर्णय किया गया कि पार्टी के सदस्य काँग्रेस कार्यकारिणी या जिला बोर्ड के चुनावों में भाग नहीं लेंगे। अन्य प्रस्तावों में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी में किसानों, मजदूरों आदि के प्रतिनिधित्व की अनुशंसा की गई"। करबन्दी अभियान एवं आम हड़ताल जैसी प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा संघ-योजना का प्रतिरोध करने पर बल दिया गया। समाजवादियों ने मुजफ्फरपुर जिला के भूतही में एक शीतकालीन राजनीति स्कूल खोला (फरवरी १९३९)।

विभिन्न स्थानों में श्रमिक हड़ताल :

काँग्रेस समाजवादी पार्टी के अनेक प्रमुख सदस्य श्रमिक समस्याओं में स्वभावतः काफी रुचि दिखला रहे थे। श्रमिकों में भारी असंतोष फैल रहा था। १९३७-३८ में बिहार भर में ११ श्रमिक हड़तालें हुईं। १९३८-३९ में इनकी संख्या में और भी वृद्धि हुई। रोहतास उद्योग, डालमियानगर, गया कौट्न मिल, जपला सीमेंट वर्क्स, इण्डियन कॉपर कॉरपोरेशन, मुसाबनी, सिंहभूम, इण्डियन केबल कम्पनी, गोलमूरी, जमशेदपुर, टाटानगर फाउण्डरी कम्पनी, जमशेदपुर, टिन प्लेट कम्पनी ऑफ इण्डिया, जमशेदपुर तथा अनेक अन्य कारखानों में हड़तालें हुईं।

अब्दुल बारी द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना :

श्री होमी को अपना श्रमिक संघ का पंजीयन कराने में सफलता मिली किन्तु वे हड़तालियों के लिए संतोषप्रद समझौता कराने की श्री अब्दुलबारी की वार्ताओं का विरोध कर रहे थे। श्री बारी ने अपने नेतृत्व में एक पृथक श्रमिक संघ स्थापित किया। बारी के नेतृत्व वाले श्रमिक संगठनों में टाटा वर्कर्स युनियन सबसे प्रमुख था। २९ जुलाई के अन्त में बेरमो कोयला खदान में श्री सत्यनारायण सिंह और श्री योगेन्द्र शुक्ल सक्रिय थे। ३१ जुलाई को एक सभा में इन्होंने भाग लिया।[1] श्री योगेन्द्र शुक्ल कई किसान नेताओं के साथ हरिनगर सूगर मिल की हड़ताल में सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे। यहाँ कारखाना के फाटक पर धरना देने की नौबत आ गई थी। इस सिलसिले में १७ हड़तालियों सहित १३० व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इनमें श्री योगेन्द्र शुक्ल, केदारमणि शुक्ल और अधिकतर किसान नेता सम्मिलित थे।[2]

गोलमूरी स्थित टिनप्लेट कम्पनी की हड़ताल अक्टूबर १९३८ में समाप्त हुई। मुसावनी और मानभंडार की हड़तालें नवम्बर में समाप्त हुईं। डालमियानगर में दूसरी बार हड़तालें हुई थीं। बिहार मंत्रिमण्डल के श्रमिक सहायक के प्रयत्नों से यह हड़ताल भी समाप्त हुई।

किन्तु श्रमिक दुनिया में शान्ति नहीं हुई। गया में फिर हड़तालें शुरू हो गईं। पटना और शाहाबाद के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में भी हड़तालें हो रहीं थीं। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्त्ता इसमें योगदान कर रहे थे। दिसम्बर १९३८ में बिहटा चीनी मिल के क्षेत्र में एक सभा हुई। इसमें प्रोफेसर अब्दुल बारी और श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ने भाषण किए और एक श्रमिक संघ की स्थापना की गई। श्रमिक संघ की ओर से मिल मालिकों को २० दिसम्बर तक उनकी माँग पूरी नहीं किए जाने पर हड़ताल करने की धमकी दी गई।[3] वस्तुतः विहटा चीनी मिल और कुछ अन्य मिलों में दिसम्बर अन्त तक हड़तालें शुरू हुई लेकिन कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई।

---

१. विहार में राजनैतिक घटनाओं की रिपोर्ट, अगस्त पूर्वार्द्ध, १९३८।

२. वही, दिसम्बर उत्तरार्द्ध, १९३८।

३. वही, दिसम्बर पूर्वार्द्ध, १९३८।

श्रमिक आन्दोलन को समाजवादियों का समर्थन :

कुछ समाजवादी नेता डेहरी में श्रमिक आन्दोलन का जोरदार समर्थन कर रहे थे। वहाँ एक श्रमिक संघ की स्थापना की गई।[1] कुछ अन्य स्थानों पर भी श्रमिक संघों की स्थापना की गईं। इन क्षेत्रों में श्री जयप्रकाश नारायण भी कभी-कभी आया करते थे। अन्य अधिक सक्रिय नेताओं में श्री बसावन सिंह, विश्वनाथ माथुर, बिहार काँग्रेसी समाजवादी पार्टी के सचिव, श्री किशोरी शरण, श्री व्रजनन्दन शर्मा, वालेश्वर सिंह आदि प्रमुख थे।

श्री एम० एन० राय और बटुकेश्वर दत्त के भाषण :

कुछ वर्षों से देश के संघर्षरत औद्योगिक श्रमिकों एवं किसानों के प्रति प्रगतिशील लोग विशेष रूप से सहानुभूति तथा समर्थन प्रदर्शित कर रहे थे। इस क्रम में श्री एम० एन० राय फरवरी पूर्वार्द्ध में जमशेदपुर आये और श्रमिक कार्यकर्त्ताओं की सभा में भाषण किया। सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री बटुकेश्वर दत्त ८ दिसम्बर को पंजाब सरकार की सहमति से पटना जेल से छोड़ दिये गए थे। श्री दत्त ने रिहा होने पर श्रमिक आन्दोलन में भाग लेने का संकल्प किया। श्री दत्त इस उद्देश्य से जमशेदपुर गए। वहाँ उनका "भव्य स्वागत" किय गया।[2] श्री वटुकेश्वर दत्त १८ जुलाई १९३८ को लगभग १० बजे दिन में सासाराम पहुँचे। वहाँ स्थानीय काँग्रेसी और समाजवादी कार्यकर्त्ता उन्हें एक जुलूस में डाक बंगला ले गए। १८ जुलाई

---

१. डेहरी श्रमिक संघ के कुछ प्रमुख नेता श्री रियासत हुसैन, मैजर रायजीश और न्यायमूर्त्ति थे। १६ दिसम्ब , १९३९ को डेहरी में श्रमिकों की एक सभा हुई। इसमें श्रमिकों का संयुक्त मोर्चा बनाने पर बल दिया गया। पलामू के श्री प्रमथ नाथ मुखर्जी ने एक बहुत ही उत्साहबर्द्धक भाषण वोनलिया और चुनहटा उद्योग केन्द्रों में किए।

२. बिहार में राजनैतिक घटनाओं की रिपोर्ट, अक्टूवर पूर्वार्द्ध १९३८। इस रिपोर्ट में उल्लिखित है कि श्री बटुकेश्वर दत्त अब समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। किन्तु उनसे पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि श्री दत्त किसी पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्हें शोषित एवं दलित की दशा में सुधार करने की युग की पुकार के प्रति स्वाभाविक एवं अदम्य सहानुभूति थी।

की संध्या में सासाराम में एक सभा हुई जिसमें श्री दत्त राष्ट्र के लिए काँग्रेस की सेवाओं का उल्लेख किया और सभी किसान एवं श्रमिक संगठनों से एकजुट होकर देश की स्वतंत्रता के काम करने को इस अवसर पर स्वामी भवानीदयाल ने दक्खिन अफ्रिका में भारतवासियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला। इस प्रश्न पर बहुमत से निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए। (१) यह सभा सेग्रीगेशन ऐक्ट की भर्त्सना करती है, (२) दक्खिन अफ्रिका में भारतीयों पर जो अत्याचार किया जाता है उसकी भर्त्सना की गयी, (३) भारत के लोग दक्खिन अफ्रिका के भारतीयों की जन-धन से सहायता करेंगे। १९ जुलाई के सवेरे श्री बटुकेश्वर दत्त ने स्थानीय क्षेत्रों की सभा में भाषण देते हुए उन्हें अपना अध्ययन की उपेक्षा नहीं करते हुए राजनीति में अभिरुचि रखने की सलाह दी। उसी दिन ११ बजे श्री दत्त सहसराम के आलमगंज महल्ले में तिलक पुस्तकालय देखने गए। २० जुलाई को उन्होंने बार लाइब्रेरी में वकीलों की सभा में भाषण किया। २२ जुलाई को सवेरे कानपुर के लिए रवाना हो गए। सितम्बर के प्रथम सप्ताह में कुछेक दिन के लिए डेहरी गये। २० जुलाई, १९३९ को श्री भवानीदयाल के सम्मान में नसरीगंज में एक सभा हुई। स्वामी भवानीदयाल ने दक्खिन अफ्रिका में भारतीयों की स्थिति पर प्रकाश डाला :

बिहार में साम्प्रदायिक तनाव :

इन दिनों देश के राजनीतिक जीवन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि साम्प्रदायिकता एक सर्वाधिक विघटनकारी शक्ति के रूप में विकसित हो चुकी थी। साम्प्रदायिक एकता को प्रोत्साहन देना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का एक प्रमुख उद्देश्य था। बिहार का काँग्रेसी मंत्रिमण्डल इसके लिए सर्वाधिक प्रयत्न कर रही थी। सरकार इस पर कृत-संकल्प थी कि साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ाने के प्रयत्न कठोरता के साथ दवा दिए जायंगे।[1] बिहार विधान सभा में २७ सितम्बर, १९३७ को भाषण करते हुए बिहार के गवर्नर, श्री हैलेट ने कहा।" मैं महसूस करता हूँ कि बर्त्तमान सत्र में नये संविधान के थोड़े दिनों के अनुभव से प्रतीत होता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपना

१. बिहार के मुख्य सचिव का पटना प्रमण्डल के आयुक्त को पत्र, २० अगस्त, १९३७।

विचार प्रकट करने के पूर्ण अवसर प्राप्त हैं।" काँग्रेस की ओर से मुस्लिम जन-सम्पर्क उपसमिति का गठन और मुसलमानों को काँग्रेस का सदस्य अधिकाधिक संख्या में बनाने के प्रयत्नों का उल्लेख किया जा चुका है।

किन्तु कई कारणों से दोनों साम्प्रदायों में विद्वेष की भावना बढ़ रही थी और जहाँ-तहाँ साम्प्रदायिक चखचुख या झड़पें हो रही थीं। बिहार की पूर्वकालीन साम्प्रदायिक एकता नई शक्ति के संघात से टूट रही थी। मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण काँग्रेसी विरोधी हो गया था। बिहार में उसका प्रभाव बढ़ रहा था। बिहार मुस्लिम लीग की कार्यकारणी समिति की १ अगस्त, १९३७ को बैठक हुई। इसमें बिहार मंत्रिमण्डल में मुसलमानों के अल्प प्रतिनिधित्व की आलोचना की गई और श्री जिन्ना को पटना आने का आमंत्रण दिया गया। २८ अगस्त, १९३७ को बिहार-शरीफ में बिहार के मुसलमानों की एक सभा हुई। इसमें प्रान्त में मुस्लिम लीग की शाखा खोलने का निर्णय लिया गया। जिलों एवं अनुमण्डलों में भी लीग की शाखायें खोली जा रही थीं। २२ सितम्बर, १९३७ को मुस्लिम लीग की एक सभा में बन्दे मातरम् के राष्ट्रीय गीत के रूप में गाये जाने के विरोध का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और सरकार से सार्वजनिक सभाओं, स्कूल या कॉलेजों में उसको गाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का आग्रह किया गया।[1]

मुस्लिम लीग के अन्तर्गत सभी मुस्लिम पार्टियों के विलयन का प्रयत्न :

अक्टूबर (१९३७) के अन्त में श्री जिन्ना बिहार की यात्रा पर आये। सभी स्थानीय मुस्लिम पार्टियों को मुस्लिम लीग के अन्तर्गत विलयन करने के उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप युनाइटेड मुस्लिम पार्टी और अहरार पार्टी लीग में सम्मिलित हो गई किन्तु विधान मण्डल में सबसे बड़ी मुस्लिम ग्रूप बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ श्री जिन्ना की वार्ताएँ सफल नहीं हुईं।

---

१. बिहार के मुख्य सचिव का पटना प्रमण्डल के आयुक्त को पत्र, २० अगस्त, १९३७।

बिहार मुस्लिम लीग की कार्रवाइयाँ :

मुस्लिम लीग में अधिकाधिक संख्या में मुसलमान सम्मिलित हो रहे थे। अनके स्थानों पर उसकी शाखाएँ खुल रही थीं और अनकी सभाएँ हो रही थीं। १ जनवरी, १९३८ को श्री जिन्ना फिर बिहार आये और गया में मुसलमानों की एक बड़ी सभा में भाषण किया। १६ और १७ मार्च, १९३८ को पटना में भी मुसलमानों की सभाएँ हुईं। इसके अध्यक्ष, श्री अब्दुल अजीज थे। उस समय तक बिहार में ७० हजार सदस्य बनाने का दावा किया गया।[1] शेखपुरा (मुंगेर) में मुस्लिम लीग सम्मेलन होने के बाद गया में एक दूसरा सम्मेलन २३ अप्रील, १९३८ को किया गया। इसमें मन्त्रिमण्डल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई। साक्षरता आन्दोलन और मुस्लिम जन-सम्पर्क आन्दोलन अभियान पर विशेष रूप से रोष प्रकट किया गया। मोमीन सम्प्रदाय के उन्नयन के लिए १० हजार रुपयों का अनुदान दिए जाने की "यह कह कर आलोचना की गई कि यह मुस्लिम सम्प्रदाय में फूट डालने का प्रयत्न था।"[2] बिहारशरीफ में १५-१६ मई को मुस्लिम लीग सम्मेलन हुआ। इसमें श्री अब्दुल अजीज ने अध्यक्षता की। स्थानीय संस्थाओं में भी पृथक् निर्वाचन प्रणाली की माँग की गई। बन्दे मातरम् के प्रश्न पर शिक्षा संस्थानों में मुसलमान छात्र गड़बड़ी मचा रहे थे।[3] जून १९३८ में प्रान्तीय लीग कार्यकारिणी ने प्रान्तीय प्रशासन में मुसलमानों की नियुक्ति तथा आर्थिक सांस्कृतिक या प्रशासनिक क्षेत्रों में मुसलमानों के हित की उपेक्षा या उनके साथ भेदभाव किए जाने पर विस्तृत सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से एक प्रश्नावली अपने शाखा कार्यालयों को प्रसारित की। यह भी निर्णय किया गया कि प्रान्त भर में अंजुमनों या वार्ड कमिटियों की स्थापना की जाय। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव का वहिष्कार किया जा रहा था। समस्तीपुर अनुमण्डलीय सम्मेलन (१९ जून) में एक प्रस्ताव स्वीकृत करके पृथक् निर्वाचन प्रणाली लागू नहीं किए जाने तथा आगामी जिला बोर्ड के चुनावों का वहिष्कार

---

१. राजनैतिक घटनाओं की रिपोर्ट, मार्च उत्तरार्द्ध, १९३८।
२. वही, अप्रील उत्तरार्द्ध, १९३८।
३. वही।

करने का निर्णय किया गया। डालटेनगंज में इन दिनों नगरपालिका के लिए चुनाव हो रहा था। मुस्लिम लीग के प्रावधान में मुसलमानों ने इसका वहिष्कार किया।[१] "मुस्लिम लीग" नामक एक उर्दू पत्रिका १ जुलाई, १९३८ का प्रकाशन शुरू हुआ।[२] २६ अगस्त, १९३८ को लीग के सदस्यों ने फिलस्तीन दिवस मनाया। जुलाई और अगस्त के महीनों में कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए।

कभी-कभी बुराई के गर्भ से भी भलाई का उदय होता है। "अगस्त के अन्त में साम्प्रदायिक स्थिति में किंचित सुधार लक्षित हुआ", खास करके मुस्लिम लीग के सदस्यों में।[३] सिवान में दोनों साम्प्रदायों के नेताओं ने एक एकता समिति की स्थापना की। मुँगेर के बरबीघा में भी एक समिति की स्थापना की गई।[४] किन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि प्रान्त भर में मुस्लिम लीग की अनेकों सभाएँ हो रही थीं और उनमें साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाया जा रहा था। पटना में १-२ अक्टूबर, १९३८ को अखिल भारतीय मुस्लिम एडुकेशन सम्मेलन का अधिवेशन बंगाल के प्रधान मन्त्री, श्री फजलुल हक की अध्यक्षता में हुआ। इसमें बिहार मन्त्रिमण्डल की सुरक्षा नीति और वार्धा सुरक्षा योजना की आलोचना की गई। श्री हक के उद्घाटन भाषण एवं अन्य भाषणों में साम्प्रदायिक राजनीति के स्वर से हिन्दी अखबारों एवं जनता में व्यापक रोष हुआ।"[५]

पटना में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का २६वाँ अधिवेशन (२६ दिसम्बर, १९३८) :

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का २६वाँ अधिवेशन २६ दिसम्बर, १९३८ को पटना में शुरू हुआ तथा श्री मुहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में तीन दिनों तक चलता रहा। स्वागतकारिणी के अध्यक्ष, श्री अब्दुल

१. वही, जून उत्तरार्द्ध।
२. वही, जुलाई पूर्वार्द्ध, १९३८।
३. वही, सितम्बर पूर्वार्द्ध, १९३८।
४. वही।
५. वही, अक्टूबर पूर्वार्द्ध १९३८।

अजीज ने अपने भाषण में मुसलमानों के पृथक् व्यक्तित्व पर बल देते हुए कहा कि "कांग्रेस वास्तव में हिन्दू राज्य की स्थापना करना चाहती है।"[१] अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री जिन्ना ने कहा कि "कांग्रेसी नेतृत्व अपनी संस्कृति दूसरों पर लादने और हिन्दू राज्य की स्थापना पर तुली हुई थी।"[२] एक तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार संघ योजना के विरुद्ध एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मौलाना जफर अली खाँ ने उसे भारतीयों पर एक वृहत राजनैतिक धोखेबाजी कहा।[३] मुसलमानों द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई संबंधी प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद हुआ। इस क्रम में काँग्रेसी सरकारों पर अनेक तरह के आरोप किए गए। विशेष कर के विद्यामंदिर, मुस्लिम जन-सम्पर्क आन्दोलन, बन्दे मातरम्, राष्ट्रीय झण्डा और हिन्दी को सार्वेदेशीय भाषा बनाने की आलोचना की गई। सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव एवं जुर्म करने के अनेक तरह के आरोप किए गए। एक वक्तव्य में बिहार के शिक्षा मंत्री ने बन्दे मातरम् और राष्ट्रीय झण्डा फहराये जाने के संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट की। बन्दे मातरम् के संबंध में गाया जाना ऐच्छिक कर दिया गया और उसकी प्रथम दो पंक्तियाँ ही गाया जाना निर्धारित किया गया। झण्डा के संबंध में यह अनुशंसा की गई कि शिक्षा संस्थानों पर प्रबंध समिति एवं छात्रों के निर्णय करने पर झण्डे फहराये जायँ।

अखिल भारतीय मुस्लिम छात्र सम्मेलन (२९ दिसम्बर, १९३८) :

अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन का अधिवेशन २९ दिसम्बर, १९३८ को हुआ। इसका उद्‌घाटन श्री मोहम्मद अली जिन्ना और अध्यक्षता महमूदाबाद के राजा ने की। १९३९ में बिहार के विभिन्न स्थानों पर

१. द इण्डियन ऐनुअल रजिस्टर, १९३८, खण्ड—२, पृष्ठ ३४३।

२. वही, पृष्ठ ३४४-३४५।

३. बिहार में राजनीतिक घटनाओं की रिपोर्ट, ३ दिसम्बर उत्तरार्द्ध, १९३८।

मुस्लिम लीग के जलसे एवं सभाएँ होती रहीं। छात्रों के कर्त्तव्य के संबंध में राजा ने कहा "हम पर देश के अन्य साम्प्रदायों से अपने को अलग करने तथा डर और घृणा को अपना उपकरण बनाने के आरोप किए जाते हैं। यह आप शिक्षित नौजवानों का दायित्व है कि अपने कर्त्तव्यों से इसे निराधार प्रमाणित कर दें।"

मुस्लिम लीग दिवस और फिलस्तीन दिवस क्रमशः ५ और ६ फरवरी (१९३९) को मनाये गये। इन अवसरों मुस्लिम लीग के तत्वावधान में अनेक सभाएँ हुईं और जुलूसें निकाली गईं। मुस्लिम लीग की सभी शाखा संस्थाओं में ब्रितानी प्रधान मंत्री के पास फिलस्तीन में यहूदियों का आप्रवासन बन्द करने तथा अरब राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के हेतु तार भेजने को कहा गया। प्रांतीय सरकार ने भी भारतीय सरकार को प्रांत के प्रमुख मुसलमानों एवं उसके विधान मण्डल की ओर से अरब दिवस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन भेजा गया।

बिहार में मुस्लिम लीग की गतिविधि बढ़ रही थी। बंगाल के मंत्री श्री नजीमउद्दीन की बिहार यात्रा के बाद से स्वयंसेवकों की भर्त्ती एवं प्रशिक्षण का काम जोर-शोर से चलाया जा रहा था। मुस्लिम लीग की गतिविधि दामिन-कोह तक फैल गई थी और राजमहल, साहबगंज तथा वोरियों में स्वयंसेवकों को कवायद करते देखा जाता था।

पटना में १२ मार्च को बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार हुआ कि प्रांत में यदि सरकार द्वारा वार्धा योजना लागू की जायगी तो मुसलमान सविनय अवज्ञा आरंभ करेंगे। सम्मेलन ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी से सविनय अवज्ञा शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।[1]

लीग के तत्वावधान में कई जाँच समितियों ने देश की यात्रा की और संचित आंकड़ों के आधार पर कांग्रेसी सरकार के विरुद्ध आरोपों की एक सूची प्रकाशित की किन्तु इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका। बिहार कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने देश के अन्य कांग्रेस मंत्रिमण्डलों की तरह इनके

---

१. द ऐनुअल रजिस्टर १९३९, खण्ड—१, पृष्ठ ३७१।

समुचित उत्तर प्रकाशित किए और यह सिद्ध किया कि अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के प्रति हर तरह से न्याय किया जा रहा था। बिहार में मुस्लिम लीग से अलग दो अन्य मुस्लिम संगठन भी काम कर रहे थे। ये थे जमायते-उ-उलेमा और मोमीन जमायत। दरभंगा में २५ जून, १९२९ को मोमीन सम्प्रदाय की ओर से यह माँग पेश की गई कि मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थानों में से आधा मोमीन सम्प्रदाय को दिया जाय। बेतिया में जुलाई १९३८ में जमायत-उल-उलेमा की एक सभा हुई। इसमें मुस्लिम लीग की कार्रवाइयों की कठोर आलोचना की गई।



अध्याय ४

विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद

"केवल एक उन्मुक्त एवं स्वतन्त्र भारत राष्ट्रीय आधार पर देश की सुरक्षा का भार वहन करने की स्थिति में हो सकता है और युद्ध के अग्निगर्भ से जो महान् प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उनका समर्थन करने में सहायता दे सकता है।"

—काँग्रेस कार्यकारिणी समिति, दिसम्बर १९४८

द्वितीय विश्वयुद्ध का आरम्भ एवं काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र :

सन् १९३९ से मानवता एक कठोर एवं अभूतपूर्व अग्नि-परीक्षा दे रही थी। उग्र राष्ट्रवाद की अतिवादिता ने वह चिनगारी सुलगा दी थी जिसकी लपटें सारी दुनियाँ में फैल गई थीं और मानव सभ्यता की मूल आधारशिला उसमें भस्मीभूत होती प्रतीत हो रही थी। राष्ट्र संघ ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करने का यत्नपूर्वक प्रयत्न किया था, किन्तु विभिन्न दिशाओं से उस पर ऐसे प्रहार किए गए कि वह स्वप्न पूर्णतः भंग हो चुका था। राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद से सुरक्षा की तलाश में किए गए सभी प्रयत्न यथा १९३४ का जेनेवा प्रोटोकोल, १९२५ का लोकारनो समझौता, १९२८ कोल्लोग पैक्ट और १९३२-३४ का निरस्त्रीकरण सम्मेलन विफल हो चुके थे तथा एक सर्वथा कृत्रिम समाज व्यवस्था की समस्याओं को सुलझाने में विफल दुनियाँ पुरानी व्यवस्था के सिद्धान्तों पर चलती हुई १९३९ के विनाश तांडव की ओर अग्रसर होती गई।

१९३९ से एक बार फिर सर्वतोमुखी एवं विश्वव्यापक युद्ध से शान्ति एवं जनतान्त्रिक स्वतन्त्रता को गम्भीर चुनौतियाँ मिल रही थीं। दुनिया में

युद्ध-देवता का तांडव हो रहा था और मानव के दुःख एवं कष्टों की कहीं कोई सीमा नहीं थी। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार पर्ल बक के इन शब्दों में मानवता चीत्कार कर उठी थी—"आज दुनिया में मानव की शान्ति एवं सद्भावना के हेतु उसकी व्यवहार बुद्धि कहाँ रह गई है" ?[१] युद्ध की विषमता देखकर विश्वभ्रातृत्व के एक सर्वमान्य मसीहा रवीन्द्रनाथ ने अपनी मृत्यु शय्या पर से निम्नलिखित चेतावनी दी थी : "·······वर्बरता के दैत्य ने सभी मुखौटे उतार दिए हैं और वह खूँखार पंजों से मानवता को विदीर्ण करने को प्रस्तुत हो गया है। दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक घृणा की धुम्र शिखाएँ वातावरण में अन्धकार घोल रही हैं। हिंसा की भावना, जो कदाचित् पच्छिम के मानस् में दबी पड़ी हुई थीं, अन्ततः क्रियाशील हो गई है और मानव की आत्मा को पथभ्रष्ट कर रही है।"

सदी के चौथे दशक में एक के बाद दूसरी घटनाएँ द्वितीय विश्वयुद्ध की भूमिका तैयार करती गई। १९३१ में मंचूरिया पर जापान का बलात् अधिकार, जर्मनी में नात्सीवाद का उदय, फासीवादी इटली द्वारा १९३५-३६ में अबीसीनिया पर "नग्न एवं निर्लज्ज आक्रमण",[२] फिलस्तीन में ब्रितानी नीति, बर्लिन-रोम धुरी की संरचना, १९३६ से स्पानी गृहयुद्ध में इनका संयुक्त हस्तक्षेप, जुलाई १९३७ में चीन पर जापान का अघोषित युद्ध, १९३८ मार्च में आस्टिया का जर्मनी में आत्मसात् किया जाना, सितम्बर १९३८ में म्युनिख में चेकोस्लावाकिया पर उसकी विजय, १९४० मार्च में उस हतभागे देश के अवशिष्ट की अन्तर्भुक्ति और इटली द्वारा अबीसीनिया को निगल जाना प्रभृति, सभ्यता के गढ़ पर दुनिया की अनियन्त्रित महत्त्वाकांक्षाओं के अनवरत प्रहारों की अभिव्यक्तियाँ थीं। भारत के मानस् एवं भारतीय राष्ट्रवाद की प्रगति पर इन सभी भयानक घटनाओं की प्रतिक्रिया[३] हुई थी। भारतीय राष्ट्रवाद ने फासीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्षरत लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति एवं समर्थन का उद्घोष किया। वास्तव में, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने इस आदर्श के अनुरूप पहले ही एक

---

१. फॉरेन अफेयर्स, अक्टूबर १९४०

२. (गैथोर्नी हार्डी, ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स, पृ० ४१८)

३. नेहरू, ऑटोबायोग्राफी, पृ० ६०१

परराष्ट्र नीति विकसित की थी। १९२७ के मद्रास अधिवेशन में काँग्रेस ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृति किया था : "चीन से अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को हासिल करने के हेतु एवं चीनी जनता को अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने से रोकने तथा उसमें बाधा देने के हेतु भारतीय सैनिकों का व्यवहार किया गया है, यह देखकर काँग्रेस को गहरा क्षोभ हुआ है, काँग्रेस मांग करती है कि चीन में अभी भी जो भारतीय सैनिक एवं पुलिस के लोग हों उन्हें अविलम्ब वापस कर दिया जाए तथा भविष्य में एक भी भारतवासी ब्रितानी सरकार के एजेन्ट के रूप में युद्ध करने को अथवा चीनी जनता के विरुद्ध कार्रवाई करने को नहीं भेजा जाय। काँग्रेस की दृष्टि में चीनी जनता साम्राज्यवाद-विरोधी संयुक्त संघर्ष में भारतीय जनता की सहयोगी है।"

ज्यों-ज्यों अन्तरराष्ट्रीय रंगमंच पर संकट गंभीरतर हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यह बार-बार कह रही थी कि भारत किसी साम्राज्यवादी युद्ध में भाग नहीं लेगा तथा जो देश आक्रमण के शिकार हुए थे उनके प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त कर रही थी एवं ऐसे आक्रमणकारियों की निन्दा करती थी। अप्रील, १९३६ में लखनऊ अधिवेशन में काँग्रेस ने एक प्रस्ताव में सम्भावित आक्रमण के विरुद्ध अपने देश की इतनी बहादुरी के साथ रक्षा करने में रत इथियोपियाई जनता के प्रति भारत की सहानुभूति व्यक्त की थी। दिसम्बर, १९३६ में एक अन्य प्रस्ताव में भारतीय जनता की ओर से "स्पानी जनता का अभिवादन किया गया था एवं स्वतंत्रता के हेतु उसके महान संघर्ष में अपनी एकजुटता का आश्वासन व्यक्त किया था।" भारतीय जनता स्पेन में गणतंत्रवादियों एवं फ्रांको की सेनाओं का संघर्ष बड़े ध्यान से देख रही थी। गणतंत्रवादियों के सहायतार्थ पंडित जवाहर लाल नेहरू की खाद्य-सामग्रियाँ भेजने की अपील का अच्छा परिणाम हुआ था। फरबरी, १९३८ में हरिपुरा अधिवेशन में काँग्रेस ने ब्रिटेन को प्राधिकार-प्राप्त शक्ति के रूप में अरबों के विरोध के बावजूद फिलस्तीन के विभाजन तथा उसके कार्यान्वयन के हेतु एक आयोग की नियुक्ति के निर्णय की निन्दा की थी, इसके साथ ही ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के हेतु संघर्ष में अरबों के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की थी। इसी अधिवेशन में काँग्रेस ने जापान पर चीन के आक्रमण को "दुनिया की शांति एवं एशिया में स्वतंत्रता के भविष्य के लिए गम्भीरतम परिणामों से आपूरित

साम्राज्यवादी आक्रमण" करार दिया था तथा इस भीषण अग्निपरीक्षा में "चीनी जनता के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति का संदेश" भेजा था। उनके "वीरतापूर्ण संघर्ष की प्रशंसा" की थी और "अपनी स्वतंत्रता एवं अखण्डता" बनाये रखने के हेतु वे जो बहादुराना संघर्ष कर रहे थे, उसकी प्रशंसा की थी। चीनी जनता के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के हेतु काँग्रेस ने जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। मार्च, १९३९ के त्रिपुरी अधिवेशन में काँग्रेस ने चीनी जनता के संघर्ष के प्रति अपनी सहानुभूति के प्रतीक के रूप में चिकित्सकों का एक दल भेजने का निर्णय किया था। आसन्न विश्वयुद्ध के खतरा को देखते हुए उस समय काँग्रेस को परराष्ट्र संबंधों एवं युद्ध के संदर्भ में भारतीय जनता की नीति का नये सिरे से स्पष्टीकरण करना आवश्यक प्रतीत हुआ। फलतः अपने पड़ोसी एवं सभी अन्य देशों के साथ शांति तथा सद्भावना के साथ रहने की भारतीय जनता की आकांक्षा पुनः व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त दूसरों की स्वतंत्रता का आदर करना, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के आधार पर उनके शक्ति-संचय में सहायता देना इस नीति का लक्ष्य था। काँग्रेस ने यह उद्घोष किया कि भारत साम्राज्यवादी युद्ध का सहभागी नहीं बन सकता था तथा अपने जनधन का ब्रितानी साम्राज्यवाद के हित में उपयोग नहीं होने देगा। भारत अपनी जनता की स्पष्ट सहमति के बिना किसी युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता था। अब से भारतीय नीति की यही निदेशरेखाएँ बनीं रहीं। म्युनिख के तुष्टीकरण समझौता के फलस्वरूप चेकोस्लावाकिया के वध (सितम्बर, १९३८) के सन्दर्भ में काँग्रेस कार्य-समिति ने अक्टूबर में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया : "कार्यकारिणी चेकोस्लावाकिया की बहादुर जनता के प्रति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के हेतु उसके संघर्ष के क्षण में अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करती है। स्वयं ही दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध एक संघर्ष में रत होने पर भी (यद्यपि वह अहिंसक है फिर भी कम भीषण एवं कठिन नहीं), भारत चेकोस्लावाकिया की स्वतंत्रता की रक्षा की प्रबल आकांक्षा रखता है। इस प्रस्ताव के अनुसार काँग्रेस अध्यक्ष ने चेकोस्लावाकियाई राष्ट्रपति बेनेस को इस आशय का संदेश भेजा : "काँग्रेस ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा में आपकी बहादुर जनता के संघर्ष के प्रति गहरी सहानुभूति का

प्रस्ताव स्वीकृत किया है। हमारी आशा है कि मानव प्रकृति की सद्वृत्तियाँ अभी भी क्रियाशील होंगी एवं आसन्न विनाश से मानवता की रक्षा करेंगी।''[१]

३ सितम्बर, १९३९ को इंगलैण्ड ने नात्सी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी और विनाश ताण्डव शुरू हो गया। उसी दिन भारत के वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने शिमला से प्रसारित एक भाषण में घोषणा की कि भारत जर्मनी के साथ युद्ध की स्थिति में था। वायसराय ने "दुनिया के महान राष्ट्रों एवं ऐतिहासिक सभ्यताओं के मध्य उसका जो स्थान था उसके अनुरूप भाग लेने को, "भारत का आह्वान किया।" वायसराय ने अध्यादेश नं० ५ जारी किया। उसके अन्तर्गत जन-सुरक्षा तथा जनहित एवं "ब्रितानी भारत की सुरक्षा तथा कतिपय पदाधिकारियों पर मुकदमा चलाए जाने के हेतु" विशेष अधिनियम लागू किये गए थे। भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार ने जन-सुरक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखने, या युद्ध प्रयत्नों के समर्थ संचालन एवं जनजीवन सुचारु रूप से चलता रहे, इन उद्देश्यों से ऐसे अधिनियम बनाने का अधिकार ग्रहण किया था "जो ब्रितानी भारत, आवश्यक सेवाएँ तथा आपूर्त्ति में कोई विघ्न नहीं हो, इन सबों के लिए आवश्यक एवं उपयोगी प्रतीत हों।"

कांग्रेस कार्यकारिणी ने ८ से १५ सितम्बर तक की बार्धा में अपनी बैठक में "फासीवादी आदर्शवाद एवं उसके तरीकों, युद्ध एवं हिंसा को उसके द्वारा गरिमा प्रदान किए जाने एवं मानवीय चेतना का दमन करने" की फिर निन्दा की और यह घोषणा की कि "आज स्वतंत्रता अविभाज्य है एवं दुनिया के किसी भी भाग में साम्राज्यवादी अभियान से नई उलझनें अनिवार्यतः पैदा होंगी। कार्यकारिणी ने अपने प्रस्ताव में यह धारणा व्यक्त की कि "भारत युद्ध में संलग्न होगा या नहीं इसका फैसला भारतीय जनता करेगी, कोई बाहरी शक्ति उस पर अपना निर्णय नहीं लाद सकती है और न भारतीय जनता साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए अपने साधनों का उपयोग होने देगी।" १४ सितम्बर को प्रकाशित एक वक्तव्य में कार्यकारिणी ने

१. काँग्रेस अध्यक्ष के आदेशानुसार २३ अप्रील, १९३९ को युद्ध विरोधी दिवस मनाया गया।

ब्रितानी सरकार से "जनतंत्र एवं साम्राज्यवाद के विषय में अपनी युद्ध उद्देश्य उद्घोषित करने" का अनुरोध किया। कार्यकारिणी ने यह जानना चाहा कि ब्रितानी सरकार के समक्ष कौन-सी नई व्यवस्था थी, विशेषकर भारत के संदर्भ में ये युद्ध-उद्देश्य कहाँ तक लागू होने जा रहे थे एवं अभी के लिए वह किस हद तक तथा कैसे उनका कार्यान्वियन करना चाहती थी। क्या उसके पास साम्राज्यवादी का परित्याग या भारत के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में व्यवहार करना सम्मिलित था ? क्या भारत की नीतियाँ उसकी जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप निदेशित होगी।" १० अक्टूबर को अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी ने इस वक्तव्य का अनुमोदन किया तथा ब्रितानी सरकार से युद्ध एवं शान्ति के उद्देश्य व्यक्त करने का अनुरोध किया। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के प्रस्ताव में यह माँग की गई थी कि "भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाय और देश की शासन-व्यवस्था में यथासंभव तदनुरूप परिवर्त्तन सद्यः लागू किया जाय। काँग्रेस ने यह भी माँग की कि भारत की स्वतंत्रता जनतांत्रिकता पर एवं काँग्रेस के संकल्प के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूर्ण स्वीकृति एवं संरक्षण पर आधारित होनी चाहिए।"

किन्तु मुस्लिम लीग का रवैया इससे भिन्न था। उसकी ओर से कहा गया था कि वह कुछ शर्त्तों पर मित्र राष्ट्रों को सहयोग प्रदान करेगा। ये शर्त्तें मुख्यतः इस प्रकार थीं : "भारत के मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था के रूप में मुस्लिम लीग के साथ बातचीत करना तथा यह आश्वासन देना कि बिना उसकी सहमति एवं स्वीकृति के भारत का संविधान विषयक न तो कोई घोषणा की जायगी और न कोई संविधान बनाया जायगा और न ब्रितानी सरकार संसद द्वारा स्वीकृत किया जायगा।"

५२ भारतीय नेताओं (इनमें गाँधीजी, कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुस्लिम लीग के सर्वोच्च नेता मुहम्मद अली जिन्ना, देशी रजवाड़ों के संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चान्सलर एवं कुछ अन्य लोग सम्मिलित थे) के साथ विचार-विमर्श करके लार्ड लिनलिथगो ने १७ अक्टूबर एवं ५ नवम्बर को अलग-अलग वक्तव्य दिये। युद्ध में ब्रिटेन के सम्मिलित होने के कारणों एवं उसके सामान्य लक्ष्यों के संदर्भ में वायसराय ने चन्द दिन पहले ब्रितानी प्रधान मंत्री की घोषणा दुहराई। इसमें कहा गया था

कि ब्रिटेन "अपने लिए किसी लाभ की आशा नहीं कर रहा था। केवल विजय ही उसका लक्ष्य नहीं था बल्कि एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना उसका लक्ष्य था जिसमें हर पीढ़ी को अनिवार्यतः युद्ध नहीं करना पड़े।" भारत के भावी संवैधानिक विकास के संदर्भ में वायसराय ने औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने का पुराना संकल्प दुहराया। वायसराय ने इस पर बल दिया कि ब्रितानी सरकार "साम्राज्य के तत्वावधान में भारत तथा ब्रिटेन की सहभागिता बढ़ाना चाहती थी, जिसमें भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का स्तर हासिल हो सके।"[1] युद्ध द्वारा प्रस्तुत आपात स्थिति का सामना करने के लिए गवर्नर - जेनरल की एक्जीक्युटिव कौंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाने एवं युद्ध परामर्शदायिनी समिति का गठन करने के सुझाव दिये। युद्ध परामर्शदायिनी समिति भारत की सभी प्रमुख राजनैतिक पार्टियों एवं देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। कांग्रेस कार्यकारिणी ने वायसराय के वक्तव्य पर बार्धा में २२ एवं २३ अक्टूबर की एक बैठक में विचार किया तथा एक प्रस्ताव में उसे "सर्वथा असंतोषजनक बताया" एवं कहा कि "उससे भारत की स्वतन्त्रता हासिल करने को कृतसंकल्प हर व्यक्ति के मन में क्षोभ होगा।" कार्यकारिणी ने कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों को त्यागपत्र देने का आदेश दिया। "सविनय अवज्ञा की तैयारी की दिशा में यह पहला कदम होगा।"

इसमें संदेह नहीं कि युद्ध शान्ति और जनतन्त्र के लिए भारी खतरा था : सभ्यता को एक भारी चुनौती। उस संघर्ष में सफल होने के लिए सरकार के युद्ध-प्रयत्नों को देश की जनता का पूर्ण समर्थन आवश्यक था। यह समझते हुए दक्षिणपंथी एवं वामपंथी राष्ट्रवादी पार्टियों तथा व्यक्तियों ने ब्रितानी सरकार द्वारा युद्ध लक्ष्यों की स्पष्ट घोषणा किये जाने तथा जनता का विश्वास एवं समर्थन प्राप्त सरकार के गठन पर बल दिया। दुर्भाग्यवश अन्तर्राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में भी लंदन एवं दिल्ली के अधिकारी देश की इच्छा की उपेक्षा करके अध्यादेशों, संसरशिप तथा अन्य पुराने तरीकों से ही काम चलाना चाहते थे। इस प्रकार दो नीतियों का संघर्ष अनिवार्य हो गया।

---

१. जनवरी, १९४० में वायसराय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य था "पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य—वेस्ट मिन्सटर किस्म का।"

सरकार की युद्धनीति के विरुद्ध बिहार में विक्षोभ :

सरकार की युद्धनीति से भारत पर अन्य स्थानों की तरह बिहार में भी भारी रोष फैल रहा था। कांग्रेस समाजवादी[1] दल, फौरवर्ड ब्लॉक और किसान संगठनों के नेताओं ने भारत सरकार द्वारा साम्राज्यवादी युद्ध का समर्थन तथा भारत में सैनिकों की भर्त्ती के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई। देश भर में सभाएँ करके तथा इश्तहारों के माध्मम से जनता को बताया गया कि उसका इस संकट के क्षण में क्या कर्त्तव्य होना चाहिए।

उदाहरणार्थ, पीरो थाना कांग्रेस कमिटी ने ऐसा ही एक इश्तहार जारी किया था।[2] यह इश्तहार पीरो थाना कमिटी के अध्यक्ष एवं सचिव के नाम से भारत प्रिंटिंग वर्क्स, आरा में मुद्रित एवं प्रकाशित किया गया था। "आजादी की लड़ाई के लिए तैयार रहें" शीर्षक एक अन्य इश्तहार में २४ सितम्बर, १९३९ को डेहरी में एक सभा करने का ऐलान किया गया था। यह इश्तहार डेहरी मजदूर संघ एवं थाना किसान सभा के सचिवों ने प्रचारित किया था।[3]

२९ अप्रिल, १९४० को सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग-पत्र दे चुके थे। ३ मई को कांग्रेस के अन्तर्गत एक अग्रगामी दल की स्थापना हुई थी। इस सिलसिले में श्री बोस २६-२८ अगस्त को पटना आये एवं कुछ समीपवर्त्ती जिलों की यात्रा की। अग्रगामी दल की नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर अपनी सभाओं में उन्होंने प्रकाश डाला। पटना में पहली सभा में कुछ अव्यवस्था हुई और काले झण्डे दिखलाये गये, किन्तु राजेन्द्र बाबू ने इसकी शस्ति की। उसके बाद फिर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। गाँधीजी ने भी इसकी कड़ी निन्दा की। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों से अवांछनीय असहिष्णुता प्रकट होती है। श्री बोस २८ अगस्त को आरा गए और युद्ध-संकट एवं भारत के कर्त्तव्य पर एक बड़ी सभा में भाषण

---

१. इन लोगों ने बिहार के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में अपने अभिभाषणों में इसे व्यक्त किया।

२. परिशिष्ट—२३।

३. डेहरी-ऑन-सोन के व्यापार प्रेस में मुद्रित।

किया। यहाँ उन्हें आरा नगर के छात्रों, किसान सभा, मजदूर सभा तथा आरा नगर के युवकों की ओर से अभिनन्दन-पत्र दिये गये।

बिहार विधान सभा में प्रधान मंत्री श्री श्रीकृष्ण सिंह की प्रस्तावना :

१६ अक्टूबर (१९३९) को बिहार विधान सभा में प्रधान मंत्री, श्रीकृष्ण सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

"सदन इस पर खेद प्रकट करता है कि "ब्रितानी सरकार ने भारत को बिना उसकी जनता की राय लिए ही जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध में सहभागी बना दिया है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनमत के विरुद्ध प्रान्तीय सरकारों के अधिकार एवं कार्रवाइयों को परिसीमित करनेवाले विधान एवं अधिनियम लागू कर दिए हैं। यह सदन सरकार से अनुशंसा करता है कि वह भारत सरकार को तथा उसके माध्यम से ब्रितानी सरकार को यह सूचित कर दे कि वर्त्तमान महायुद्ध व्यक्त उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय जनता का सहयोग लेने के हेतु जनतांत्रिक सिद्धान्त भारत पर लागू किए जाएँ तथा उसकी नीति भारत की जनता निर्धारित करे। इस हेतु यह सदन ब्रितानी सरकार से इस आशय की घोषणा करने का अनुरोध करता है कि उसने भारत को स्वतंत्र देश के रूप में अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकारी मान लेने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त तत्काल जहाँ तक सम्भव हो, भारत के प्रशासन के संदर्भ में उस घोषणा को लागू करे। यह सदन भारत के सम्बन्ध में ब्रितानी सरकार द्वारा वक्तव्य जारी करते समय यहाँ की स्थिति को सही रूप में नहीं समझने पर खेद प्रकट करता है। ब्रितानी सरकार की भारत की माँग पूरी करने में इस असमर्थता के फलस्वरूप इस सदन की राय है कि सरकार ब्रितानी नीति के साथ सहयोग नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त यह सदन अनुशंसा करता है कि इस प्रान्त में सभी युद्ध कार्रवाइयाँ प्रान्तीय सरकार की सहमति से एवं उसी के द्वारा निस्पन्न किए जायँ।" लम्बी बहस के बाद प्रस्ताव ६ के विरुद्ध ३६ मतों से स्वीकृत हुआ। इस अवसर पर श्री सिंह ने भावपूर्ण भाषण करते हुए कहा :

"साम्राज्यवाद को जाना ही होगा, फासीवाद को जाना ही होगा, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग, एक देश द्वारा दूसरे देश का, शक्तिशाली के द्वारा

दुर्बल का तथा शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा दुर्बल राष्ट्र का शोषण समाप्त होना चाहिए। तभी दुनिया में सुख-शान्ति होगी एवं पृथ्वी के साधन दुनिया के लोगों को सामान्य रूप से उपलब्ध होंगे। इस युद्ध में इस महान प्रश्न पर फैसला होनेवाला है। इसी हेतु हमारे देश के लिए इसका विशेष महत्व है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक देश जनतंत्र को फलता-फूलता देखना चाहता है। भारत के ३५ करोड़ लोगों को अपना भाग्य निर्माण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत दुनिया के किसी भी देश का शत्रु नहीं हो सकता। हमने सार्वजनिक मंच से बार-बार यह कहा है कि भारत की परराष्ट्र नीति दुनिया के सभी देशों के साथ मित्रता की होगी।

मैं अभी भी कहता हूँ—यदि मैं संवैधानिक ढंग से काम करूँ तो इस सरकार को जो इस प्रान्त की सरकार का प्रतिनिधित्व करती है केन्द्रीय सरकार एवं ब्रितानी सरकार को यह कहने का अधिकार है कि यदि जनतंत्र के लिए महायुद्ध किया जा रहा है तो भारत स्वेच्छा से इसका सहभागी होना चाहेगा। युद्ध उस पर लादा नहीं जाए। इंगलैंड भारत को अविलंब स्वाधीन देश घोषित कर दे एवं उसे कार्य रूप देने के हेतु अन्तरिम कार्यवाइयां करे जिसमें भारतीय जनता यह अनुभव कर सके कि इस महायुद्ध में सचमुच उनलोगों के लिए जो अब तक दलित एवं शोषित रहे हैं, स्वतंत्रता-प्राप्ति की सच्चाई भी निहित है।"

बिहार के काँग्रेस समाजवादी दल की शाखा ने सासाराम में ७ अक्टूबर (१९३९) को एक सभा की। उसमें सरकार द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों तथा युद्ध के लिए सैनिक भर्त्ती करने के विरुद्ध कई व्यक्तियों ने भाषण किए। श्री जयप्रकाश नारायण ने २९ अक्टूबर को गया में और १९ नवम्बर को बिहारशरीफ में सभाएँ कीं।

बिहार मंत्रिमण्डल का त्यागपत्र, संवैधानिक गतिरोध :

घटनाक्रम में तेजी के साथ परिवर्त्तन हो रहा था। भारतीय की न्यायोचित माँगों के सम्बन्ध में ब्रितानी सरकार की घोषणा को अपर्याप्त समझ कर काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने त्यागपत्र देने का निर्णय किया।

बिहार मंत्रिमण्डल ने ३१ अक्टूबर (१९३९) को त्यागपत्र दे दिया। बिहार के गवर्नर ने उसे स्वीकार करते हुए ३ नवम्बर १९३९ को "गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट" की धारा ९३ के अन्तर्गत अधिघोषणा जारी करके प्रान्त में सम्पूर्ण व्यवस्थापिका एवं प्रशासनिक अधिकार स्वयं ग्रहण कर लिया। उस समय वायसराय एवं काँग्रेसी नेताओं अथवा अन्य पार्टी के मध्य बातचीत चल ही रही थी इसलिये बिहार सरकार ने ४ और ५ नवम्बर को अपने अधिकारियों को काँग्रेस एवं अन्य सरकार विरोधी पार्टियों के प्रति "सतर्कता एवं संयम से काम लेने" के आदेश दिए। उन्हें कहा गया कि आपातकालीन प्रशासन की अवधि में यथासंभव शत्रुता या कटुता से बचना चाहिए। इस निदेश के साथ-साथ उन्हें यह भी बता दिया गया कि "जहाँ जरूरी हो तत्काल सुदृढ़ कार्रवाई करने में हिचकिचाहट या कमजोरी नहीं होनी चाहिए। स्थिति के अनुरूप विधान अथवा सरकारी आदेश के अनुसार जो भी आवश्यक हो, अवश्य किया जाना चाहिए। यदि शान्ति और व्यवस्था पर खतरा हो अथवा प्रशासन में या सामान्य जीवन एवं कामकाज में हस्तक्षेप करने के प्रयत्न किए जाएँ तो सबसे पहले कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने तथा प्रशासन को ठीक से चलाते रहने की आवश्यकता होगी और इसके लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ बिना किसी भय या पक्षपात के की जायंगी।" नवम्बर के अन्त में बिहार सरकार ने एक प्रचार विभाग की स्थापना की। इसका उद्देश्य सरकारी परिपत्र के अनुसार "युद्ध विरोधी प्रचार अभियान का प्रभाव रोकने पर मुख्यतः अपने को केन्द्रित रखना था।" काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों के इस्तीफे एवं उनके फलस्वरूप राष्ट्रवादी भारत की सर्वाधिक पार्टियों का असहयोग युद्ध संकट में ब्रितानी सरकार के लिए जनता की विजय थी। "असंतुष्ट, विद्रोही एवं विक्षुब्ध भारत हिटलर के विरुद्ध उपयुक्त प्रचार सामग्री नहीं हो सकता था।"[१] अतः भारत सचिव एवं वायसराय की ओर से नये वक्तव्य प्रचारित किए गए। इनकी भाषा पहले से अधिक चिकनी-चुपड़ी थी। वायसराय ने गाँधीजी, काँग्रेस अध्यक्ष, राजेन्द्र प्रसाद और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, मुहम्मद अली जिन्ना से बातें कीं। किन्तु कोई बात तय नहीं हो सकी और गतिरोध बना रहा।

---

१. मार्च, १९३९–फरवरी १९४० की काँग्रेस सचिव की रिपोर्ट।

स्वतन्त्रता दिवस समारोह : निर्धारित प्रतिज्ञापत्र :

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह सोचती थी कि ब्रितानी सरकार मूल प्रश्न पर पर्दा डालने के हेतु ही साम्प्रदायिक समस्याएँ उठा रही थी। तत्काल यह प्रश्न उठाना अप्रासंगिक था। कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक इलाहाबाद में १९ से २३ नवम्बर (१९३९) को हुई। बैठक में इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ : "ब्रितानी नीति को साम्राज्यवाद के कलंक से मुक्त करने के हेतु भारत की स्वतन्त्रता तथा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान निर्माण करने का जनता का अधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक है। तभी कांग्रेस सरकार को सहयोग प्रदान करने पर विचार कर सकेगी।" वस्तुतः कार्यकारिणी यह कह रही थी कि वह सामान्य समझौता की भूमिका की तलाश करती रहेगी। यदि आवश्यक हुआ तो सविनय अवज्ञा आरम्भ करने की कांग्रेसजनों की सामान्य उद्धतता पर सन्तोष प्रकट करते हुए कार्यकारिणी ने कठोर अनुशासन पर बल दिया। इसके लिए चर्खा और खद्दर प्रचार मुख्य साधन होंगे। इसके अतिरिक्त अन्तर-साम्प्रदायिक एवं हरिजनों के साथ जितना अधिक सम्भव हो सके मेलजोल आवश्यक था।"

दुनिया एवं विशेष कर भारत उस समय जिस संकट से गुजर रहा था तथा भारत का स्वतन्त्रता-संघर्ष सघनतर रूप में पुनः आरम्भ किए जाने की सम्भावना को देखते हुए कांग्रेस कार्यकारिणी ने १८ से २२ दिसम्बर की अपनी वार्धा की बैठक में आगामी स्वतन्त्रता दिवस को न केवल भारत के "स्वतन्त्रता प्राप्ति के संकल्प प्रत्युत् उस संघर्ष की तैयारी तथा अनुशासित कार्रवाई की प्रतिज्ञा" की अभिव्यक्ति के रूप में मनाने का निर्णय लिया। फलतः कार्यकारिणी ने सभी कांग्रेस कमिटियों एवं व्यक्तिगत कांग्रेसजनों द्वारा सार्वजनिक सभाओं में अथवा अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से उपस्थित नहीं हो सकने पर व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया :

प्रतिज्ञापत्र :

"हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता या दुनिया के किसी भी देश की जनता का स्वतन्त्र रहने, अपने श्रम के मधुर फल का उपभोग करने एवं

जीवन की आवश्यकताएँ हासिल करने, जिसमें विश्वास के पूरे अवसर मिल सकें, का अधिकार है। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार किसी देश को इन अधिकारों से वंचित करती है और उन पर जुल्म करती है तो जनता को उसे बदलने या समाप्त करने का भी अधिकार है। भारत की ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतन्त्रता से वंचित रखा है बल्कि अपने को जनता के शोषण पर आधारित कर लिया है। फलतः भारत आज आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से बर्बाद हो चुका है इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को ब्रिटेन से सम्बन्ध विछिन्न करना होगा और पूर्ण स्वराज्य हासिल करना होगा।

"हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति का सबसे प्रभावी तरीका हिंसा का माध्यम नहीं है। भारत ने शक्ति एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त की है तथा शान्तिपूर्ण एवं वैध तरीके अपनाकर स्वतन्त्रता के लक्ष्य की ओर काफी प्रगति की है। इन्हीं तरीकों से हमारा देश स्वतंत्रता हासिल करेगा।

हम फिर से भारत की स्वतंत्रता हासिल करने का संकल्प दुहराते हैं एवं जबतक पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं हो जाता तबतक अहिंसात्मक ढंग से स्वतंत्रता संघर्ष चलाते रहने का प्रण करते हैं।

हम सामान्य तौर पर अहिंसात्मक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और इसमें विश्वास करते हैं कि प्रत्यक्ष अहिंसात्मक कार्रवाई की तैयारी के लिए एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव और अस्पृश्यता निवारण के कार्यक्रम चलाते रहना आवश्यक है। हम जाति या सम्प्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करते हुए अपने देश के लोगों के मध्य सद्भावना फैलाने के हर अवसर का उपयोग करेंगे। समाज के पिछड़े एवं दलित कहे जानेवाले लोगों को अज्ञान एवं गरीबी से निकालने का हर सम्भव प्रयत्न करेंगे। हम जानते हैं कि यद्यपि हम साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने को कृतसंकल्प हैं फिर भी अंग्रेजों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, चाहे वे सरकारी अधिकारी हों अथवा गैर-अधिकारी। हम जानते हैं कि सवर्ण हिन्दुओं एवं हरिजनों का भेदभाव निश्चय ही दूर होना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में हिन्दुओं को यह भेदभाव भुला देना चाहिए। भेदभाव की भावना

अहिंसात्मक आचरण की बाधक है। हमारे धर्म भिन्न हो सकते हैं, किन्तु पारस्परिक सम्बन्धों में हम सामान्य राष्ट्रीयता एवं सामान्य राजनैतिक तथा आर्थिक हितों में अनुस्यूत भारत माता की संतान के रूप में कार्य करेंगे।

चर्खा और खद्दर रचनात्मक कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। इनके बिना भारत के सात लाख गाँवों का उद्धार तथा जनता की घोर गरीबी दूर होना सम्भव नहीं। अतः हम नियमित रूप से कताई करेंगे, खादी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे एवं जहाँ तक सम्भव होगा देहातों में बनी हुई चीज इस्तेमाल करेंगे तथा प्रयत्न करेंग्रे कि दूसरे भी वैसा ही करें।

हम संकल्प करते हैं कि काँग्रेस के सिद्धान्तों और नीतियों का अनुशासित रूप में पालन करेंगे तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए जब भी संघर्ष शुरू करने की पुकार होगी तो उसके लिए तैयार रहेंगे।"

प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस के कार्यक्रम का ठीक से अनुपालन हो, इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने विभिन्न विषयों के लिए प्रान्तीय विभाग कार्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की। ऐसे कुछ कार्यालय प्रचार विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, हरिजन विभाग और चर्खा विभाग के हो सकते थे।

वामपन्थियों के विचार :

स्वतन्त्रता के प्रतिज्ञापत्र में चर्खा का उल्लेख किये जाने पर वामपन्थियों में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। वे आसन्न संघर्ष के हेतु रचनात्मक कार्यक्रम को पर्याप्त एवं प्रभावी अस्त्र नहीं मानते थे। जयप्रकाश नारायण ने इस सम्बन्ध में कहा "हमने अपनी ओर से एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। यह कार्यक्रम क्रान्तिकारी जन-आन्दोलन की आधारशिला के रूप में श्रमिकों एवं किसानों का संगठन करने का है।" १६ जनवरी (१६४०) को बिहार समाजवादी पार्टी ने नये प्रतिज्ञापत्र पर असहमति व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया पर अन्त में समाजवादियों ने अपना विरोध उठा लिया। वस्तुतः ७ मार्च को श्री जयप्रकाश नारायण ने वामपन्थियों से एकता बनाये रखने की अपील की। उन्होंने कहा "मुझे यह देखकर बहुत

दुःख हुआ है कि इस संकट की घड़ी में, जब राष्ट्रीय एवं कांग्रेसजनों की एकता इतनी जरूरी है, इतनी अधिक विघटनकारी प्रवृत्तियाँ क्रियाशील हैं, कांग्रेस में एकता बनाये रखने का भार अन्य लोगों की अपेक्षा वामपन्थियों पर कहीं अधिक है। दुर्भाग्यवश वामपक्षीय बचकानापन कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है। कांग्रेस समाजवादियों का सर्वप्रथम कर्त्तव्य वामपक्ष के एक छोटे से अंश द्वारा उनके ऊपर जितना भी बदनामी थोपा जाये, उसका खयाल नहीं करते हुए इस विघटनकारी प्रवृत्ति से संघर्ष करना है।"

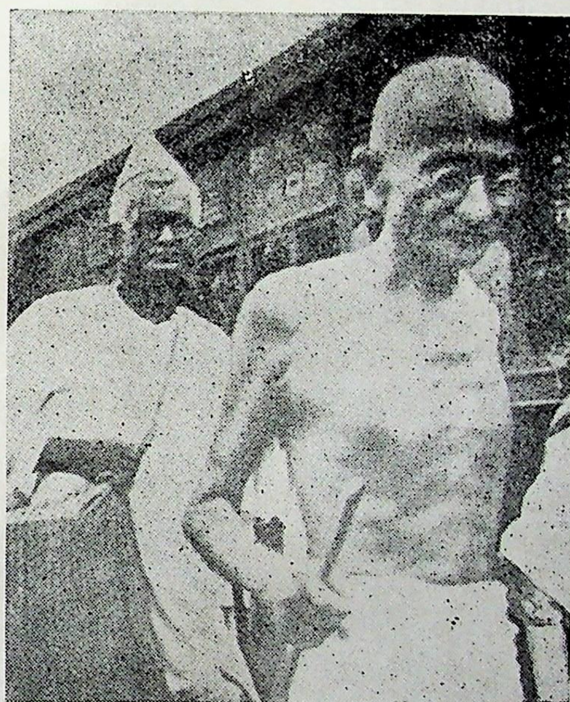
१५ जनवरी (१९४०) को श्री सुभाषचन्द्र बोस पटना आये और उन्होंने दो सभाओं में भाषण किया। श्री बोस ने जनता से अग्रगामी दल में सम्मिलित होने एवं धूमधाम के साथ स्वतन्त्रता दिवस मनाने[1] को कहा। अग्रगामी दल ने नये प्रतिज्ञापत्र पर से अपनी आपत्ति नहीं हटाई थी, फिर भी श्री बोस ने लखनऊ में २३ जनवरी को जारी किये गये एक वक्तव्य में कहा : "जहाँ कहीं कांग्रेस कमिटियों द्वारा आयोजित सभाओं में गाँधीवादी प्रतिज्ञा ली जायगी, उसमें अग्रगामी दल के सदस्य विरोध नहीं करेंगे या विवादी स्वर नहीं उठायेंगे। धारा १४४ के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण सुभाष बाबू ने गया जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। ८ फरवरी को उन्होंने जहानाबाद की एक सभा में भाषण दिया। उसमें अग्रगामी दल के कार्यक्रम पर प्रकाश डाला।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद की अपील :

कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वतन्त्रता दिवस मनाने के हेतु एक अपील जारी की :

> "दुनिया आज एक विनाशकारी युद्ध के दौर से गुजर रही है। आज मानव सभ्यता का भविष्य ही खतरे में पड़ गया है।

१. सुभाष बाबू के समर्थन में एक कविता ८ फरवरी (१९४०) के तिरहुत समाचार में प्रकाशित हुई थी : कितना आश्चर्य है कि सम्पत्ति पैदा करनेवालों के बच्चे भूखे मरते हैं और दूसरे ऐश्वर्य की निधियों पर लोटते हैं। ओ महान, ओ योद्धा, हमारा तरुण नायक सुभाष आओ! हमारा विश्वास है कि तुम इस कंटकाकीर्ण पथ पर हमारा नेतृत्व करोगे। तुम अपना शंखनाद करो। हम तलवार खोले स्वतन्त्रता संघर्ष में कूद पड़ेंगे। दुश्मन तब जान जायगा कि भारत के वीर पुत्र अपनी मातृभूमि के सम्मान की किस प्रकार रक्षा करते हैं।



महात्मा गांधी के साथ श्री मथुरा प्रसाद वृन्दावन में गाड़ी से उतरते हुए

(श्री जितेन्द्र प्रसाद के सौजन्य से)



यदि सभी लोग तथा प्रत्येक पक्ष स्वार्थपूर्ण अथवा गर्हित उद्देश्यों से युद्ध करते हैं, तो कोई मानवीय या साम्यमूलक विश्व व्यवस्था की आशा नहीं रह जाती। अतः इस संकट की घड़ी में हम क्या करते हैं, केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए उसका महत्त्व होगा। यदि अहिंसात्मक साधनों से हम आन्तरिक वैमनस्य दूर करते हैं और आजादी हासिल करते हैं, तो एक शंकाकुल दुनिया के समक्ष हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि युद्ध के मृत्युकारक उपकरणों के बिना भी उसकी रक्षा सम्भव थी, किन्तु यह तभी सम्भव होगा जबकि हम अपने आदर्शों तथा अपने नेता के प्रति निष्ठावान रहें, जिसने अहिंसा का यह महान अस्त्र हमारे हाथों में दिया है। यह ऐसा अस्त्र है, जो दुर्बलता एवं पराजय की घड़ी में भी व्यक्ति एवं राष्ट्र को अपना स्वाभिमान बनाये रखने की प्रेरणा देता है। अतः हम अहिंसा में आस्थावान् हैं, हमारी अहिंसा कमजोरों की नहीं, शक्तिवानों की हो, हमारे महान लक्ष्य के नैतिक न्याय से सुदृढ़ उसी आस्था एवं विनम्रता के साथ हम इस वर्ष स्वतन्त्रता का संकल्प लें।'' अन्यत्र की तरह बिहार में स्वतन्त्रता दिवस उपयुक्त ढंग से मनाया गया। पटना में बिना लाइसेंस के छात्रों की एक जुलूस के आयोजन में हाथ बँटाने के हेतु श्री रामवृक्ष बेनीपुरी एवं कुछ अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। २७ जनवरी (१९४०) को राजेन्द्र बाबू गया पहुँचे। वहाँ नगरपालिका की ओर से उन्हें अभिनन्दनपत्र दिया गया एवं एक सभा की गई। रामगढ़ कांग्रेस के लिए कुछ धन एकत्र किया गया। उन दिनों श्री श्रीकृष्ण सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा कुछ अन्य प्रान्तीय नेता रामगढ़ कांग्रेस के लिए प्रान्त भर में घूम-घूमकर चन्दा एकत्र कर रहे थे।

स्वतन्त्रता-दिवस समारोह में छात्र :

पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, भागलपुर और मुंगेर के स्वतन्त्रता-दिवस समारोहों में छात्रों ने एक प्रमुख भाग लिए। मुंगेर में अग्रगामी दल के एक कार्यकर्त्ता श्री अनिल मित्र पर स्वतन्त्रता दिवस के दिन बिना लाइसेंस के

जुलूस निकालने के लिए कई महीनों की कड़ी कैद की सजा मिली। अली अशरफ एवं सुनील मुखर्जी[1] जैसे कम्युनिस्ट छात्र नेताओं को ऐसे ही आरोपों पर गिरफ्तार किया गया। शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों ने स्वतन्त्रता दिवस के दिन हड़ताल करने के लिए छात्र नेताओं पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ कीं।

सच्चा अनुशासन भीतर से आता है, किसी पर दमनात्मक कार्रवाइयों द्वारा लादा नहीं जा सकता, किन्तु सत्ताधीश हर युग में इसे नहीं समझ कर तरुणों की आकांक्षाओं को गलत-सही तरीकों से दबाने का निष्फल प्रयत्न करते हैं। स्वभावत: देश के लिए छात्रों के दमन ही के परिणामस्वरूप "छात्र समुदाय में भारी रोष पैदा हो गया"।[2] मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की एक अधिवेशन बेगूसराय में ३ फरवरी (१९४०) को हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने इसकी अध्यक्षता की। सुभाष चन्द्र बोस जो उन दिनों बिहार की यात्रा कर रहे थे, उसके मुख्य वक्ता थे। एक प्रस्ताव में छात्रों को स्वतन्त्रता दिवस के दिन उनके आदर्श आचरण के लिए बधाई दी गई।[3] "मायावी गाँधी के दुष्कृत्य" शीर्षक पुस्तक की प्रतियाँ भागलपुर के तेजनारायण जुबिली कॉलेज के छात्रों में वितरित की गई थी, इस पुस्तक में गाँधीजी पर अनेक तरह के आरोप किए गए थे। इसके विरोध में एक सभा हुई। उसमें समाजवादी दल के सदस्यों एवं छात्रों ने भी भाग लिया था। सभा में उस किताब की कुछ प्रतियाँ जलाई गईं। कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक पटना में २८ फरवरी से १ मार्च तक चलती रही। छात्र संघ के तत्वावधान में पटना में दो सभाएँ आयोजित हुईं। कई प्रमुख नेताओं ने उसमें अभिभाषण किए।[4]

१८ फरवरी (१९४०) को जमशेदपुर में दिए गए एक भाषण के लिए भारतीय रक्षा कानून के अन्तर्गत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके

---

१. अली अशरफ को पटना में ९ मार्च (१९४०) को भारत रक्षा कानून की धारा २६ के अन्तर्गत गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया। सुनील मुखर्जी १२ मार्च (१९४०) को गिरिडीह में गिरफ्तार हुए।

२. फरवरी, १९४० के पूर्वार्द्ध की घटनाओं की रिपोर्ट।

३. वही।

४. वही, फरवरी का उत्तरार्द्ध।

९ महीने कड़ी कैद की सजा दी गई थी। इसका परिणाम आग में घी डालने के समान हुआ। ६ मार्च (१९४०) के "सर्च लाईट" में इसे राष्ट्र को एक चुनौती कहा गया। नर्मदलीय पत्र "इण्डियन नेशन" ने भी इसे "अनुचित कदम" कहा। पटना में १० मार्च को विरोध सभा हुई। १४ मार्च को सारे प्रान्त में जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन प्रान्त भर में अनेक सभाएँ हुईं, अनेक छात्रों ने उस दिन उत्साहपूर्वक भाग लिया।[1] जयप्रकाश नारायण का भाषण मजदूरों की समस्याओं से सम्बन्धित था। बिहार के औद्योगिक केन्द्रों में यह समस्या हमेशा बनी रहती है। कई संस्थानों में हड़तालें हो रही थीं तथा अग्रगामी दल एवं साम्यवादी कार्यकर्त्ता मिल-जुलकर इस क्षेत्र में काम कर रहे थे।

बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन दरभंगा में २७,२८ अप्रील (१९४०) को सम्पन्न हुआ। मनोनीत सभापति जवाहरलाल नेहरू के नहीं आ सकने के कारण श्री मुकीमुद्दीन फारुकी (अखिल भारतीय छात्र संघ, दिल्ली की स्वागतकारिणी का अध्यक्ष) ने अध्यक्षता की। छात्र संघ के उद्देश्यों में "छात्रों के अधिकार की रक्षा तथा उनमें राजनैतिक चेतना का विकास" सम्मिलित थे। बिहार में छात्र संघ की जिला शाखाओं की संख्या बढ़ रही थी। छात्र संघ पर साम्यवादी गुट हावी था, किन्तु प्रदेश के कई पुराने कांग्रेस नेताओं का भी उस पर कुछ प्रभाव था। जिला छात्र संघ का अधिवेशन १३ से १४ अप्रील (१९४०) तक हुआ। इसमें पहले दिन श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने भाषण किया और दूसरे दिन बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने। अनुग्रह बाबू ने अपने भाषण में छात्रों से गाँधीजी के आदेशों पर चलने की अपील की।[2]

भारत रक्षा कानून का व्यवहार :

साम्यवादियों के प्रभाव एवं कुछ अन्य तत्वों को सरकार खतरनाक समझने लगी थी। इसको नियंत्रित करने हेतु भारत रक्षा कानून का विभिन्न तरीकों से व्यापक उपयोग किया जा रहा था। १९४० के पूर्वार्द्ध में प्रमुख

---

१. वही, मार्च का पूर्वार्द्ध।

२. वही, अप्रील का उत्तरार्द्ध।

वामपंथी नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया गया। अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री मुकुन्द लाल सरकार, भारत लेबर पार्टी के संगठन सचिव श्री नहारेन्दु दत्त मजूमदार एवं श्री सत्य विमल सेन पर भारत रक्षा कानून की धारा २६ के अन्तर्गत छोटानागपुर में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। राहुल सांकृत्यायन को इलाहाबाद में गिरफ्तार कर हजारीबाग भेज दिया गया। झरिया के एक श्रमिक कार्यकर्त्ता तथा भूतपूर्व राजबन्दी चन्द्रमा सिंह पर ५ अप्रील १९४० को एक निष्कासन आदेश जारी करके छोटानागपुर में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत बिहार सरकार ने भारतीय लेबर पार्टी की संगठन समिति के सदस्य श्री सत्य चक्रवर्ती, बंगाल लेबर पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल रहमान खां तथा भारतीय लेबर पार्टी के सचिव श्री शिशिर राय को बिहार आने से आवर्जित कर दिया गया। जमशेदपुर नगर अग्रगामी दल के सदस्य हरनाम सिंह माली, अवनी चन्द्र सेन और निरंजन चक्रवर्ती को बिहार छोड़कर चले जाने का आदेश दिए गए। १९ अप्रील को पिछले कुछ दिनों में पटना जिला में दिए गए तीन अभिभाषणों के युद्ध प्रयत्नों के सन्दर्भ में हानिकारक होने के अभियोग में स्वामी सहजानन्द को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में प्रदेश भर में सहजानन्द दिवस मनाया गया। स्वामी सहजानन्द को एक वर्ष कड़ी कैद की सजा मिली। उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रान्तीय किसान आन्दोलन का नेतृत्व कार्यानन्द शर्मा के हाथों में आ गया। चम्पारन जिला किसान सभा की कार्यकारिणी का एक सदस्य श्री उमाशंकर शुक्ल भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत बगहा में गिरफ्तार हो गया। अखिल भारतीय मजलिसे अहरार के छठे अधिनायक पीरजादा सैयद शाह सुलेमान को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। श्री सुलेमान पर भारत रक्षा कानून का अतिक्रमण करनेवाला भाषण देने का आरोप था। श्री सुबोध कुमार को भारत से निष्कासित करने का आदेश मिला। ऐसा ही आदेश श्री अजीत कुमार मित्र, मुहम्मद इसमाईल, शरद् चन्द्र पटनायक, प्रफुल्ल चन्द्र आचार्जी तथा रमेश चन्द्र आचार्जी पर जारी किए गए। इनमें से कुछ भूतपूर्व आतंकवादी एवं अन्य श्रमिक नेता थे। मई और जून के महीनों में (१९४०) कुस्त्रो खदान तथा मुंगेर के पेनिनसुलर टूबैको फैक्टरी की हड़तालों के बाद

एक बंगाली श्रमिक नेता बलाई बोस, ज्योतिर्मय दत्त, शैलेन्द्र नाथ लाहिरी, कृपा सिन्धु खुटिया, प्यारे लाल और सुकुमार भवल को निष्कासन आदेश दिए गए। अधिनियम २६ (१, ख) के अन्तर्गत ज्ञान विकास मैत्र, विश्व विकास मैत्र, देवकी नन्दन पाठक, वासुदेव मण्डल, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, सन्त लाल सिंह और रतन राय पर आदेश जारी किए गए।

गया षड्यंत्र केस के एक भूतपूर्व बन्दी विश्वनाथ प्रसाद माथुर, दयानन्द झा और विनोद बिहारी मुखर्जी को नजरबन्द किया गया। बसावन सिंह को युद्ध विरोधी भाषण देने के आरोप में ढाई वर्ष कैद की सजा मिली। राम सिंह अकाली को ऐसे ही अभियोग में दो वर्ष की सजा मिली। १८ अप्रील को लहेरियासराय में पंडित रामनन्दन मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय श्री मिश्र अस्वस्थ थे। चम्पारन जिला किसान सभा के अध्यक्ष श्री धनराज पुरी २९ अप्रील को गिरफ्तार किया गया। श्री पुरी पर नोट को नकदी में बदलने के हेतु प्रचार करने वाला इश्तहार बाँटने का अभियोग था। सोशलिस्ट पार्टी के किशोरी प्रसन्न सिंह २४ जून को गिरफ्तार हुए।

अग्रगामी दल के एक निर्णय के अनुसार सरकारी भवनों पर स्वयंसेवकों को धरना देने एवं उन पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। मई, १९४० में कुछ नौजवानों ने पटना सदर अनुमण्डलाधिकारी के कार्यालय पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया और इम्पीरियल बैंक के अहाते में धरना देना शुरू किया। उन पर कठोर कार्रवाई की गई। श्री शीलभद्र याजी बसंत गिरि के साथ सारन में आन्दोलन संगठित करने का प्रयत्न कर रहा था। उसे १६ मई १९४० को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार किया। शाहाबाद अग्रगामी दल के नेता चौधरी अबुल हसनत को ऐसे ही अभियोग में जून में गिरफ्तार किया गया। शीलभद्र याजी की गिरफ्तारी के बाद बिहार अग्रगाभी दल का नेतृत्व जमशेदपुर के जी० जी० पगे ने संभाला। पटना में ९ जून को अग्रगामी दल की कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। इस बैठक में बरसात शुरू होते ही प्रांत अर में बकाश्त आन्दोलन आरंभ करने तथा सिंहभूम जिला में जंगल सत्याग्रह आरंभ करने के निर्णय लिए गए। पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर में २२-२३ जून को जिला किसान सम्मेलन का

अधिवेशन हुआ। इसमें निहारेन्द्र दत्त मजुमदार ने अग्रगामी दल का नेतृत्व किया। सम्मेलन के अवसर पर आपत्तिजनक भाषण करने के अभियोग में श्री शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री पगे, पंडित धनराज शर्मा और श्री योगेन्द्र शुकुल पर भी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं। श्री शुकुल को भारतीय किसान सभा की एक बैठक में हाल ही में स्वामी सहजानन्द के स्थान पर उसकी केन्द्रीय समिति का सदस्य नियुक्त किया।

प्रकाशनों की जब्ती :

सरकार ने कई प्रकाशनों को आपत्तिजनक घोषित करके जब्त कर लिया। १९४० की जनवरी में गया का एक हिन्दी समाचार-पत्र "चिनगारी" से जमानत माँगी गयी। इस पर पत्र का प्रकाशन बन्द कर दिया गया। कलकत्ता के "इण्डस्ट्रियल गजट" नामक एक साप्ताहिक का ११ दिसम्बर, १९४० का अंक और एक बंगला इश्तहार, जिसमें यातायात कर्मचारियों को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आह्वान किया गया था, भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार द्वारा जब्त कर लिए गये। जनवरी में ही कुछ अन्य प्रकाशन यथा "युद्ध विरोध केनो" (बंगला), अंग्रेजी भारत, अंग्रेजी राज्य और महात्मा गाँधी (दोनों हिन्दी) और "स्टुडेण्ट्स रोल इन ऐण्टी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल" (अंग्रेजी) जब्त किये गये। ये आदेश भारत रक्षा कानून एवं इण्डियन प्रेस इमर्जेन्सी पावर्स ऐक्ट, १९३१ के अन्तर्गत दिये गये थे। "नेशनल फ्रण्ट" या "न्यू एज" या कोई भी ऐसी साम्यवादी पत्र-पत्रिका जिनका भारत में आने पर रोक लगाई गई हो, बिहार में छापना या प्रकाशित करना भारतीय रक्षा कानून के अन्तर्गत आवर्जित करने के आदेश प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी किये गये। भारत सरकार ने भारत रक्षा कानून की धारा ४३ और ४५ के अन्तर्गत प्राप्त अपने प्राधिकार जिला मजिस्ट्रेटों एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने इलाकों में कार्यान्वित करने के हेतु हस्तान्तरण कर दिये। फरवरी के पूर्वार्द्ध में कोहिनूर रेकर्ड कम्पनी द्वारा तैयार एक ग्रामोफोन रेकर्ड को भी जब्त किया गया। १३ मार्च, १९४० को "दयालु मास्टर" शीर्षक हिन्दी पुस्तक जब्त कर ली गई। इसके अतिरिक्त अप्रील एवं मई के पूर्वार्द्ध में निम्नलिखित प्रकाशन जब्त हुए—'यूरोप की लड़ाई क्यों और किसलिए और हमारा कर्त्तव्य', हीरालाल पालित और

दर्शन शास्त्री लिखित 'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद', 'जनता का जवाब', 'लाल मोर्चा', 'युद्ध के विरुद्ध युद्ध', 'युद्ध सभी पार्टी का नकाब खोलता है', 'रेड फ्लेग' खण्ड—१, खण्ड—२, 'भारतीय बोलसेविक पार्टी का मुखपत्र', 'भारत बोलसेविक पार्टी का कार्यक्रम', 'साम्राज्यवादी एकता के लिए संघर्ष', 'राष्ट्रीय लड़ाई और किसान', 'आखिरी धावा का मौका आ गया है', 'रामगढ़ प्रस्ताव और हमारा कर्त्तव्य', साप्ताहिक 'जनता' से दो हजार रुपये की जमानत माँगी गई। इसके कार्यालय की तलाशी ली गई और कुछ कागजात जब्त कर लिये गये। इसके सम्पादक रामबृक्ष बेनीपुरी को एक वर्ष कड़ी कैद की सजा सुनाई गई (१३ मई, १६४०)। इस सन्दर्भ में 'सर्चलाइट' ने १६ मई को एक टिप्पणी लिखी "किन्तु भारत सरकार की नौकरशाही ने स्पष्टतः इस देश में विधिवत मोर्चा खोल रखा है। उन्हें भारत की सद्भावना की कोई जरूरत नहीं प्रतीत होती। जान पड़ता है कि उनकी दृष्टि में कठोर दमन करना ही अक्लमन्दी है। वे यह नहीं समझते कि अपराध के अनुपात में कड़ी सजाएँ जो आज सुनाई जा रही हैं, उनसे लोगों में उत्तेजना और भी बढ़ेगी। सजा पानेवाले लोग जनता की दृष्टि में शहीद माने जायँगे।"

जुलाई के प्रारम्भ में ही 'राष्ट्रीय गीतांजली' नामक एक हिन्दी पुस्तिका जब्त कर ली गयी। उसे मुद्रण करने के हेतु यूनाइटेड प्रेस, पटना को सरकार ने चेतावनी दी थी।

रामगढ़ कांग्रेस :

द्वितीय विश्वयुद्ध अपने भीषण वेग से चल रहा था। भारत को भी उस पर गहरी चिन्ता थी, किन्तु संवैधानिक गतिरोध का कोई समाधान सामने नहीं दिखाई पड़ता था। गांधीजी और मुहम्मद अली जिन्ना के साथ वायसराय ने ५ और ६ फरवरी १६४० को अलग-अलग भेंट की थी, किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला था। इन्हीं दिनों बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तिरपनवाँ अधिवेशन हजारीबाग जिलान्तर्गत रामगढ़ में करने की तैयारी हो रही थी। इसके लिए एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी। ८ जनवरी, १६४० को पटना में इसकी एक बैठक में निर्माण-कार्य का बजट स्वीकृत किया गया तथा विभिन्न जिलों से चन्दा की रकमें निर्धारित

की गईं। कुछ अन्य निर्णय भी किये गये। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक पटना में २८ फरवरी से पहली मार्च तक हुई। इसमें कार्यकारिणी के सदस्यों के अतिरिक्त गांधीजी और राजगोपालाचारी विशेष आमन्त्रण पर उपस्थित थे। २९ फरवरी को पटना सिटी में एक विशाल सभा हुई, उसमें पण्डित जवाहर नेहरू और श्री बल्लभभाई पटेल ने कांग्रेस की स्थिति एवं कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। कांग्रेस कार्यकारिणी ने दुनिया की राजनैतिक स्थिति पर अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया एवं रामगढ़ कांग्रेस के अवसर पर विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

यह कांग्रेस यूरोपीय युद्ध से उत्पन्न एवं देश में राजनैतिक गतिरोधजन्य गम्भीर संकट की स्थिति तथा उस सम्बन्ध में ब्रितानी नीति पर विचार करने के उपरांत युद्ध-स्थिति पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी और कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्तावों एवं कार्रवाइयों को स्वीकृति प्रदान करती है। ब्रितानी सरकार द्वारा भारत जनता से बिना पूछे देश को युद्धरत घोषित करने की कार्रवाई को कांग्रेस एक चुनौती समझती है। उसे किसी भी स्वाभिमानी एवं स्वतन्त्रताप्रिय राष्ट्र न तो स्वीकार कर सकता है और न सहन कर सकता है। ब्रितानी सरकार की ओर से भारत के सन्दर्भ में हाल की घोषणाओं से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि ब्रिटेन यह युद्ध साम्राज्यवादी लक्ष्यों की प्राप्ति तथा भारतीय जनता के एवं अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के शोषण पर आधारित अपने साम्राज्य को कायम रखने तथा सुदृढ़ करने के हेतु परिपेक्ष्य पर चला रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध की सहभागी नहीं बन सकती, क्योंकि उसका अर्थ होगा इस शोषण को हमेशा के लिए जारी रखना। इसलिए यह कांग्रेस भारतीय सैनिकों को युद्ध की आग में झोंकने और युद्ध के लिए भारत से धन-जन भेजे जाने का घोर विरोध करती है। भारत में भर्त्ती किये गये सैनिक एवं एकत्र धन स्वेच्छा से दिये गये हैं यह नहीं समझा जा सकता। कांग्रेसजन अथवा कांग्रेस के आदर्शवाद से प्रभावित लोग युद्ध-प्रयत्नों में धन-जन देकर सहायता नहीं कर सकते।

कांग्रेस यह फिर घोषणा करती है कि पूर्ण स्वतन्त्रता से कम कोई दूसरी चीज भारतीय जनता को स्वीकार्य नहीं होगी। साम्राज्यवाद की धुरी में भारतीय स्वतन्त्रता का अस्तित्व सम्भव नहीं। औपिनेशिक स्वराज या



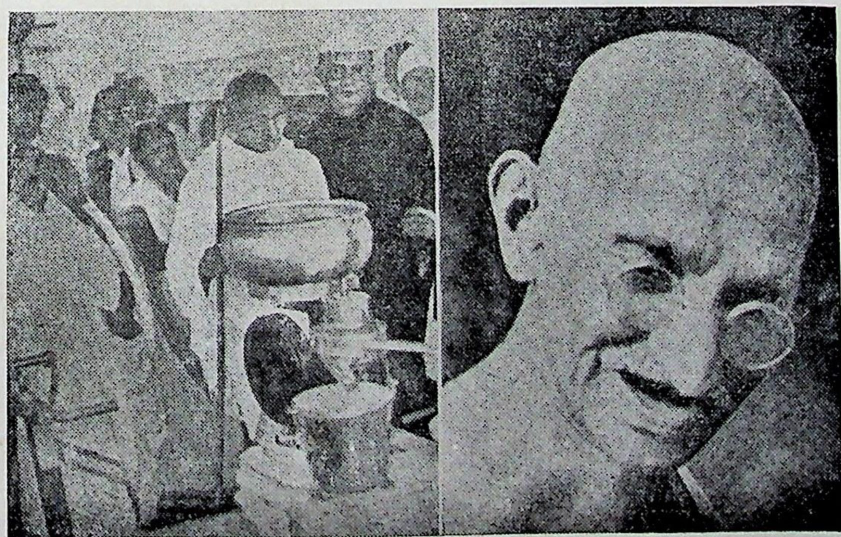
प्रदर्शनी में स्वागत, रामगढ़ कांग्रेस



अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की प्रदर्शनी में, रामगढ़ कांग्रेस



वाद-विवाद में हिस्सा लेते हुए, रामगढ़ कांग्रेस



प्रदर्शनी में, महात्मा गाँधी रामगढ़ कांग्रेस (मार्च, १९४०)





"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

Let them desert thee
who are thine own,
be not dismayed.
The tree of thy hope may wither
and the fruit lost,
be not dismayed.
Even if overtaken by dark night
in the middle of thy path
walk on.
Even if thou failest in thine efforts
to light the lamp
be not dismayed.
Never go baffled in despair
if gates are shut against thee;
and if they refuse to yield to thy knocks,
be not dismayed.

Rabindranath Tagore

Feb. 10. 1940

डॉ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर का रामगढ़ कांग्रेस के लिए सन्देश



साम्राज्यवादी दायरे के अन्तर्गत कोई स्थान भारत के सन्दर्भ में प्रासंगिक नहीं रह गया है एवं उसके ऐसे महान राष्ट्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं। उससे ब्रितानी नीतियों एवं अर्थव्यवस्था के साथ भारत आबद्ध हो जायगा। भारतीय जनता अपना संविधान ठीक से स्वयं ही बना सकती है। दुनिया के अन्य देशों से उसके क्या सम्बन्ध होंगे यह वह निर्धारित करेगी। इसके लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान निर्मात्री सभा होनी चाहिए।

कांग्रेस की धारणा है कि वह हमेशा की तरह साम्प्रदायिक तालमेल के हेतु यत्न करती रहेगी, किन्तु संविधान सभा को छोड़कर इस समस्या का दूसरा कोई स्थायी समाधान सम्भव नहीं दीखता। संविधान सभा में ही सभी अल्पसंख्यकों के हित यथासम्भव बहुसंख्यक लोगों एवं अन्य समुदायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की बातचीत के द्वारा किसी बात पर समझौता नहीं हो सकने की स्थिति में पंचफैसला के द्वारा उनके हित पूरी तरह सुरक्षित किये जा सकेंगे। कांग्रेस ने हमेशा एक ऐसे संविधान का लक्ष्य अपने समक्ष रखा है, जिसमें हर ग्रूप और व्यक्ति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता एवं विकास के अवसर की गारण्टी होगी तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध होगा एवं न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित होगी।

कांग्रेस यह नहीं मानती कि देशी राज्यों के शासकों या विदेशी न्यस्त स्वार्थों को भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में आने का कोई अधिकार है। भारत की सम्प्रभुता उसकी जनता में निहत होगी, चाहे वह प्रदेशों की हो या देशी राज्यों की। अन्य सभी कुछ उसके हितों के सम्मुख गौण होंगे। कांग्रेस का विश्वास है कि देशी रजवाड़ों के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ उठायी जा रही हैं, वे वस्तुतः अंग्रेजों की ही बनायी हुई हैं और जबतक विदेशी शासन से भारत के स्वतन्त्र होने की घोषणा नहीं की जाती, उसे सन्तोषजनक ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता। जहाँ कहीं विदेशी हित भारतीय जनता के हित से टकरायेंगे वहीं उनकी रक्षा की जायगी।

कांग्रेस ने उन प्रान्तों से जहाँ उसका बहुमत था अपने मन्त्रिमण्डलों को त्यागपत्र देकर अलग हो जाने के आदेश दिये। इसका लक्ष्य था भारत को विश्वयुद्ध में सम्बद्ध होने से रोकना एवं विदेशी आधिपत्य से उसे मुक्त

करने के कांग्रेस के संकल्प को कार्यान्वित करना। इस प्रारम्भिक कदम के पदचिह्नों पर सविनय अवज्ञा शुरू करना स्वाभाविक होगा। उसके लिए ज्योंही कांग्रेस का संगठन ठीक हो जाता है और यदि संकट अधिक बढ़ा, तो अविलम्ब भी बिना किसी ऊहापोह के शुरू कर देगी। कांग्रेस गांधीजी की उस घोषणा की ओर जिसमें यह कहा गया है कि कांग्रेसीजन अनुशासनबद्ध हैं एवं स्वतंत्रता प्रतिज्ञापत्र में विहित रचनात्मक कार्यक्रम चला रहे हैं, इसका विश्वास होने पर ही वे सविनय अवज्ञा आरम्भ करने का दायित्व ग्रहण कर सकेंगे।

कांग्रेस देश में रहनेवाले सभी सम्प्रदायों, वर्गों, जाति एवं धर्म के बिना भेदभाव के प्रतिनिधित्व एवं सेवा करने की आकांक्षी है। भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष समग्र राष्ट्र की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए है, अतः कांग्रेस आशा करती है कि सभी वर्ग एवं सम्प्रदाय के लोग उसमें भाग लेंगे। सविनय अवज्ञा का उद्देश्य सम्पूर्ण राष्ट्र में बलिदान की भावना जाग्रत करना है। यह काँग्रेस अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी को और आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी को उपर्युक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन करने के हेतु आवश्यक कार्रवाइयाँ करने को प्राधिकृत करती है।"

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी का रामगढ़ अधिवेशन १९ और २० मार्च को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारी धूम-धाम से निष्पन्न हुआ। इसके लिए छोटानागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में दामोदर नदी के किनारे भूमि के प्राकृतिक उतार-चढ़ाव के मध्य विशाल पाण्डाल बनाया गया था एवं उसे कलात्मक ढंग से सजाया गया था। प्रतिनिधियों के आराम से रहने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए गए थे। आवश्यक अभियन्त्रणा कार्य श्री रामजी प्रसाद वर्मा के अधीक्षण में किए गए थे। जल आपूर्ति की व्यवस्था अच्छी थी। बिजली का प्रबन्ध गया कॉटन मिल्स के मालिकों की सहायता से किया गया था।

इस अवसर पर चर्खा संघ के सचिव श्री लक्ष्मी नारायण ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागतकारिणी की ओर से बिहार की प्राचीन गरिमा की एक विवरणिका प्रतिनिधियों के मध्य वितरित की गई। इसका सम्पादन श्री जयचन्द विद्यालंकार ने अपने शिष्य

वीरसेन महता की सहायता से किया था।[1] स्वागतकारिणी ने बिहार से सम्बन्धित कतिपय गरिमामयी ऐतिहासिक घटनाओं की चित्रावली प्रस्तुत करने का निर्णय किया था। यह कार्य एक बिहारी कलाकार श्री ईश्वरी प्रसाद वर्मा के निदेशन में निष्पन्न हुआ। चित्रावली पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की गयी थी। उसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के संक्षिप्त विवरण भी दिये गये थे।[2]

१४ मार्च को गाँधीजी ने रामगढ़ में खादी और ग्राम-उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आप ग्रामीण जनता को यह दिखा सकते हैं कि उनके पास जो कला है उस पर हवाई बमबाजी का भी कोई असर नहीं होगा। अभी ग्रामवासी अपनी उन निधियों से अनभिज्ञ हैं। उनमें से अधिकतर लूट लिए गए हैं और शेष संपत्ति परायी है। हमें उनमें उन निधियों की चेतना जगानी है। उनके सामने से अज्ञान तथा अन्धकार दूर करना है। इन प्रदर्शिनियों का यही उद्देश्य है।"[3]

काँग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रामगढ़ में १५ से १८ मार्च १९४० को हुई। इसमें पटना की पिछली बैठक की कार्यवाही स्वीकृत की गई। कांग्रेस विषय निर्वाचनी समिति की बैठक १७, १८ और १९ मार्च को हुई। पहले दिन राजेन्द्र बाबू ने भारत और विश्वसंकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पटना वाली बैठक में कार्यकारिणी ने इसकी अनुशंसा की थी। पंडित जवाहर लाल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसमें २७ संशोधन प्रस्तुत किए गए जिनमें १४ वापस ले लिए गए और १३ मतदान के बाद भारी बहुमत से गिर गए। स्वीकृत होने के बाद अध्यक्ष ने गाँधीजी को अभिभाषण करने को कहा। गाँधीजी ने हिन्दुस्तानी में निम्नलिखित भाषण किया :—

"बहस के दौरान कुछ वक्ताओं ने जो कुछ कहा हैं उसका मैं जवाब देना नहीं चाहता, किन्तु मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अतीत में ऐसे अवसर आये हैं जब मैं आन्दोलन शुरू करने के हेतु सहमत हुआ हूँ यद्यपि मेरी कुछ शर्त्तें पूरी नहीं हुई थीं। किन्तु इस अवसर पर मैं इसमें बहुत ही कठोर होने

---

१. इसका मुद्रण पुस्तक भंडार, दरभंगा में हुआ था।
२. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ ५४५–५४७।
३. तेन्दूलकर, खण्ड ५, पृष्ठ ३१९, ३२०।

जा रहा हूँ, इसलिये नहीं कि कठोर बनना चाहता हूँ, बल्कि इसलिये कि आप इस बात को समझें कि कोई सेनापति युद्ध शुरू करने के पूर्व अपनी सेना को अपने नेतृत्व के लिए शर्तें बता देता है।

इस बार आपको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा वह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। कठिनाइयाँ बाहरी भी हैं और आन्तरिक भी। हमने अपना लक्ष्य बड़े ही स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया है। उसमें अब और स्पष्टीकरण संभव नहीं। उसी तरह ब्रितानी सरकार ने भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। ब्रिटेन इस समय विश्वयुद्ध में फंसा हुआ है। स्वभावतः यदि इस समय हम उसका विरोध करते हैं तो उलझन बढ़ेगी। यह पहली कठिनाई है, किन्तु हमारी वास्तविक कठिनाई आन्तरिक है। कई अवसरों पर मैं लिख चुका हूँ कि सविनय अवज्ञा में यदि लड़ाई सही तरीके से चलाई जाती है तो बाहरी कठिनाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं।

हमारी आन्तरिक कठिनाई यह है कि इस समय काँग्रेस के सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी है। अनेक लोग इसलिये काँग्रेस के सदस्य बन गये हैं कि वे जानते हैं कि काँग्रेस के पास सत्ता थी। अनेक ऐसे लोग जो पहले कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुए थे अब उसके सदस्य बन गए हैं, किन्तु उससे काँग्रेस का नुकसान हुआ है क्योंकि वे स्वभावतः स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से सदस्य बने हैं। जनतांत्रिक संगठन में, जबतक हमारा संगठन इतना शक्तिशाली नहीं हो जाता है कि लोकमत के दबाव से ही वे इसमें नहीं आने पावें तबतक हम ऐसे लोगों को नहीं रोक सकते हैं।

ऐसा तबतक संभव नहीं है जबतक कि काँग्रेस के सभी सदस्यों से हमारा सम्पर्क केवल मतदान तक ही सीमित रहता है। काँग्रेस में अभी अनुशासनहीनता है। उसमें गुटबन्दियाँ हैं, आपसी झगड़े हैं और मतभेद हैं। आन्तरिक संगठन के संदर्भ में जान पड़ता है कि अहिंसा में हमारा विश्वास नहीं है। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ एक ही शिकायत मुझे सुनने को मिलती है। जनतंत्र के संबंध में मैं जो कुछ समझता हूँ वह यह नहीं है कि कई संघर्षरत गुट एक दूसरे से झगड़ते रहें और इस क्रम में संगठन को ही समाप्त कर दें। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि हम केवल जनतांत्रिक संगठन ही नहीं उसके साथ ही एक संघर्षरत संगठन भी हैं।

हमारी लड़ाई अभी खतम नहीं हुई है। जब हम एक सेना के रूप में आगे बढ़ते हैं उस समय हम जनतांत्रिक नहीं रह जाते क्योंकि सैनिकों को सेनापति से आदेश लेना पड़ता है और उनका पूर्ण अनुपालन करना पड़ता है। उनके लिए सेनापति का शब्द ही कानून होना चाहिए। मैं आपका सेनापति हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अपनी भावनाओं के संबंध में आपको अन्धकार में रखूँ। दुनिया के इतिहास में ऐसा शायद ही कोई सेनापति हुआ होगा जो मेरे समान शक्तिहीन हो। मेरे पास दण्ड देने की कोई व्यवस्था नहीं। मैं एक ही सजा दे सकता हूँ वह है प्रेम की सजा। एक दृष्टि से यह एक महान् उपकरण है, किन्तु दूसरी दृष्टि से यह सर्वथा बेकार भी सिद्ध हो सकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे हृदय में सभी के लिए प्रेम है। शायद आपके हृदय में भी यही होगा, किन्तु आपके प्रेम को सक्रिय होना है। स्वतंत्रता के प्रतिज्ञापत्र की शर्त्तें आपको पूरी करनी ही है। आप मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि यदि उन शर्त्तों को आप पूरा नहीं करते तो मेरे लिए संघर्ष शुरू करना सम्भव नहीं होगा। आपको एक दूसरा सेनापति चुनना होगा। आप मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध नेतृत्व करने को बाध्य नहीं कर सकते। जब आप मुझे अपना नायक बनाते हैं तो आपको मेरा आदेश भी मानना होगा। इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि मैं केवल प्रेम की ही सजा दे सकता हूँ। मैं आपके साथ तर्क करता हूँ क्योंकि प्रेम में धीरज अनिवार्य है। मैंने कई मित्रों को चर्खा की आलोचना करते हुए सुना है। मैं जानता हूँ कि आप सभी जेल जाने को तैयार हैं किन्तु आपको उसका अधिकारी बनाना होगा और जेल जाने का मूल्य चुकाना होगा। आप सामान्य अपराधी की तरह जेल नहीं जायँगे।

चर्खा और खादी की शर्त्तें १९२० से ही रहती आयी हैं। हमारा कार्यक्रम और नीति बदली नहीं है। सम्भव है कि इतने दिनों के बाद आप अधिक बुद्धिमान हो गए हों, किन्तु मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे साथ यह बात नहीं है। जितना ही मैं अहिंसा के विषय में सोचता हूँ उसमें उतना ही गुण मुझे दिखाई पड़ता है।

मैं १९१८ में विद्रोही हो गया। उसके पहले साम्राज्य के प्रति मैं इतना निष्ठावान् था कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड को एक पत्र में मैंने लिखा था कि साम्राज्य के प्रति मैं उतना ही निष्ठा रखना चाहता हूँ जितना एक ब्रितानी के हृदय में

होती है। मैंने वे शब्द इसलिये लिखे थे कि मैं सत्य में आस्था रखता हूँ। सत्य ही मेरा भगवान है और यदि मैं अपने प्रति सच रहना चाहता तो अन्य कुछ नहीं लिख सकता था। आपके समक्ष सत्य और अहिंसा के अतिरिक्त अन्य तरीके हो सकते हैं, किन्तु मेरे लिए तो वही पुराना रास्ता है और आपही की तरह आदमी होने के नाते मुझसे भी ग़लतियाँ हो सकती हैं। मैंने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा कि मैं एक महात्मा हूँ। भगवान की दृष्टि में हम सभी बराबर हैं। मेरे लिए हिन्दू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई आदि सभी समान हैं। कायदेआजम जिन्ना का उपहास मैं नहीं कर सकता। वे मेरे भाई हैं। यदि वे मुझे अपनी जेब में रख सकें तो मुझे खुशी होगी। एक समय था जब मैं कह सकता था कि एक भी मुसलमान नहीं जिसका विश्वास मुझे प्राप्त नहीं था। यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज मेरी वह स्थिति नहीं रही। मैं उर्दू समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित होता है वह सभी नहीं पढ़ता हूँ किन्तु स्वभावतः उसमें मुझे अनेक तरह की गालियाँ दी जाती हैं। मुझे इसके लिए कोई दुःख नहीं। मेरा अभी भी विश्वास है कि हिन्दू-मुसलमान एकता के बिना स्वराज नहीं हो सकता है। तब आप मुझसे पूछेंगे कि लड़ाई की बात ही क्यों करते हैं। लड़ाई की बात मैं इसलिये करता हूँ कि अभी हमारी लड़ाई संविधान निर्मात्री सभा के लिए है। यदि मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने हुए मुसलमान सदस्य संविधान निर्मात्री सभा में आते हैं और कहते हैं कि हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य समानता की कोई बात नहीं तभी मैं सभी आशा छोड़ दूँगा बल्कि उस समय भी मैं उनके साथ बातें करता रहूँगा क्योंकि वे कुरान पढ़ते हैं और मैंने भी उसका अध्ययन किया है। मैं उन्हें कहूँगा कि भगवान हिन्दू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करते। जब लार्ड जेटलैण्ड घायल हो गए थे तो मुझे गहरा दुःख हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानों मैं स्वयं ही घायल हो गया हूँ। ये मेरे तरीके हैं। आप उसे मेरी कमजोरी कह सकते हैं। यदि आपको मेरी जरूरत है तो आपको यह समझना होगा। विरोधी के मन में सद्भावना पैदा करने की मेरी बराबर से कोशिश रही है। मैं ब्रितानी साम्राज्यवाद से लड़ता हूँ किन्तु उस संयन्त्र के चालकों से मेरा कोई झगड़ा नहीं। मैं उन्हें विध्वस्त नहीं करना चाहता। मैं तो केवल उनका हृदय-परिवर्तन करना चाहता हूँ।

आप इसे भलीभाँति समझ लें कि समझौता तो मेरी प्रकृति में है। यदि

आवश्यकता हो तो मैं वायसराय के पास पाँच बार जाने को तैयार हूँ। जब जेनरल स्मट्स से मेरी लड़ाई चल रही थी तो बिल्कुल अन्तिम में भी मैंने उन्हें कहा था कि कोशिश करके यह देखा जाय कि लड़ाई टाली जा सकती थी या नहीं। जेनरल स्मट्स ने गुस्से में आकर मुझसे बात करने से इनकार कर दिया था। किन्तु मुझे इसके लिए दुःख नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसमें अपना अपमान नहीं समझा और आप जानते हैं कि अब हम दोनों मित्र हैं। यदि आपको यह शंका हो कि मैं समझौता कर लूँगा तो आप यह विश्वास रखें कि समझौता देश के हित की बलि देकर नहीं होगा ; मैं देश को नहीं बेच सकता। मैं जो कुछ करता हूँ वह अपने देश के शक्तिसम्बर्द्धन के लिए। मेरे संघर्ष का आधार विरोधी के प्रति प्रेम है। यदि डच और अंग्रेज के लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं होता तो दक्षिणी अफ्रिका में मैं उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकता था।

किसी वक्ता ने यह संकेत किया है कि सविनय अवज्ञा वाले प्रस्ताव के सन्दर्भ में "सामूहिक" शब्द नहीं है। यदि सामूहिक सविनय अवज्ञा की बात नहीं होती तो मैं आपके सामने आता ही क्यों ? यदि मुट्ठी भर लोगों से ही इसे करना होता तो आप मुझे यहाँ अपने साथ तर्क करते नहीं पाते। आप शायद इन बातों को गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रहे हों, किन्तु मेरे मन में अभी दूसरा कोई विचार नहीं। मेरा ध्यान आपकी सहायता और समर्थन से इस महान प्रयोग के आजमाने पर पूर्णतः केन्द्रित है क्योंकि इससे केवल भारत का ही नहीं, सारी दुनिया का हित होगा।

अतः प्रत्येक कांग्रेस कमिटी सत्याग्रह की इकाई बन जाए। उस हद तक जनतन्त्र खत्म हो जाता है उस हद तक कांग्रेस जसी जनतान्त्रिक संस्था को मेरा आदेश आँख मूँदकर अनुपालित करना होगा। यदि वैसा नहीं होता तो लाखों लोग जो हमारा अनुगमन करेंगे उनका बलिदान हो जायगा। मैं वैसा नहीं होने दूँगा। भारत को आज जो शक्ति मिली है उसे कायम रखने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। आप उस शक्ति का विश्लेषण नहीं कर सकें किन्तु वह है अवश्य। यह अहिंसा की शक्ति है।

यदि कोई संघर्ष शुरू करना चाहता हो तो मैं उसकी राह में नहीं आना चाहता, किन्तु उसे कांग्रेस के बाहर से वैसा करना होगा। यदि वह कांग्रेस

में रहना चाहता है तो कांग्रेस के कार्यक्रम और उसकी नीति का पालन करना होगा। यह सत्य है कि कांग्रेस में रहकर उसकी नीतियों का उल्लंघन करना संभव है, किन्तु वह सत्याग्रह का रास्ता नहीं होगा। सत्याग्रह का उपकरण व्यवहार करनेवाले को यह कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। प्रस्ताव स्वीकृत होने से आप पर किसी बात का बन्धन नहीं होता। इसे उलट देना आपके हाथों में है। आपके पास दूसरा तरीका हो सकता है किन्तु मेरे पास तो वही पुराना कार्यक्रम है। मैं जानता हूँ कि उस कार्यक्रम से किसी का नुकसान नहीं हुआ है और यदि अभी भी उसे आपका पूर्ण सहयोग एवं समर्थन मिलता है तो मैं आज भी कह सकता हूँ कि एक महीने में भी कितना हासिल किया जा सकता है।"

रामगढ़ अधिवेशन कदाचित् सबसे छोटा हुआ क्योंकि १९ मार्च के साढे पाँच बजे संध्या में जब अधिवेशन शुरू ही होने वाला था कि इतने जोर की वर्षा हुई कि सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया हुआ पंडाल पानी से भर गया। फिर भी कांग्रेस की कार्यवाही चलती रही। राजेन्द्र बाबू ने अपने स्वागत भाषण में कहा :—

"फिर भी, हम अतीत से कभी-कभी संदेश ग्रहण कर सकते हैं एवं प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करके मैं अपना भाषण समाप्त करूँगा। विस्मृत अतीत में दक्खिन बिहार में अजातशत्रु नाम का एक राजा था। उस समय उत्तर बिहार में वृज्जि गणतन्त्र पूर्ण उत्कर्ष पर था। अजातशत्रु वृज्जियों पर आक्रमण करके उनके देश को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। एक बार गौतम बुद्ध अजातशत्रु की राजधानी राजगीर पहुँचे और गृद्धकूट की चोटी पर कुछ काल के लिए निवास किया। अजातशत्रु ने वृज्जयों के देश के सम्बन्ध में अपनी योजना पर भगवान बुद्ध की राय जानने के हेतु अपने एक मन्त्री वस्सकार को भेजा। भगवान बुद्ध को अजातशत्रु के इरादे की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने शिष्य आनन्द से सात सवाल किए। उसके उत्तर में ही अजातशत्रु के भाषण का उत्तर निहित था। बुद्ध ने पूछा था कि आनन्द तुमने सुना है कि वृज्जि अपनी सभा अक्सर बुलाते हैं और क्या उन सभाओं में लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। आनन्द ने जवाब दिया" मैंने सुना है कि वृज्जि की सभा अक्सर होती है और उसमें लोग भाग लेते हैं। जब बुद्ध ने कहा कि जबतक वृज्जियों

की सभा उस प्रकार होती रहेगी तबतक उनकी उन्नति ही होगी, विनाश नहीं। बुद्ध ने इसी तरह के छः और प्रश्न किए और उनका संतोषजनक उत्तर पाकर कहा कि जबतक वृज्जि अपना राष्ट्रीय उत्तरदायित्व पूरा करते रहेंगे जबतक वे बिना कानून बनाए या अपने कानूनों का उल्लंघन करनेवाले निरंकुश आदेश नहीं देंगे, जबतक वे नियमों के अनुसार मिल-जुलकर काम करते रहेंगे जबतक बड़ों का परामर्श मानेंगे, जबतक स्त्रियों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करेंगे, जबतक अपने धार्मिक और राष्ट्रीय स्थानों का आदर करते रहेंगे और उनकी संपत्ति नहीं छीनेंगे, जब तक आत्मबलिदानी, निःस्वार्थ विज्ञजनों (अर्हत) की रक्षा करेंगे एवं अपने देश में बाहर से विद्वानों के आने पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे और अपने अर्हतों को किसी बात की कमी नहीं होने देंगे तबतक वे उन्नति करते जायेंगे और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अजातशत्रु ने जब यह सब सुना तो वह समझ गया कि उसकी फौज वृज्जियों को हरा नहीं सकती। ये बातें ढाई हजार वर्ष पूर्व राष्ट्रों के उत्थान-पतन का नियमन करती थीं। आज भी वे उतना ही सत्य हैं। राजगीर की पहाड़ियों में गिद्धकूट की चोटी आज भी हमें उनका स्मरण दिलाती है। जीवन्त समाज में भेदभाव होना स्वाभाविक है। उन्हें निपटाने की क्षमता सुसंगठित समाज का लक्षण है। क्या हम आज कांग्रेस के विषय में कह सकते हैं कि हम एक साथ बैठकर, एक-जुट होकर अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य पूरा करते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि हम अपने ही नियमों का उल्लंघन नहीं करते और क्या हम सामूहिक रूप से अपने बनाए नियमों के अनुसार नियम-पूर्वक काम करते हैं? क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम बड़ों का आदर करते हैं और उनकी सलाह पर ध्यान देते हैं एवं मानने योग्य होने पर उनका अनुपालन करते हैं? वृज्जियों की ताकत इन्हीं आधारभूत बातों में निहित थी। यदि हम भी इन सवालों के उत्तर "हाँ" में दे सकें तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। बुद्ध ने अपने एक अन्य अवसर पर भिक्खुओं को वृज्जियों की सभा की ओर संकेत करते हुए कहा था—इस सभा को देखो और तब तुम अनुमान कर सकते हो कि देवताओं की सभा किस तरह की होगी।" क्या हमारे लिए संभव नहीं कि अपने राष्ट्रीय संगठन को ऐसा बना दें कि जिसमें महात्मा गाँधी अनुशासनहीनता और हिंसा की शिकायत के बदले अपने आश्रम की लड़कियों

को इसकी ओर इंगित करके बुद्ध ने अपने भिक्खुओं को जो कुछ कहा था वैसे ही शब्द कह सकें।

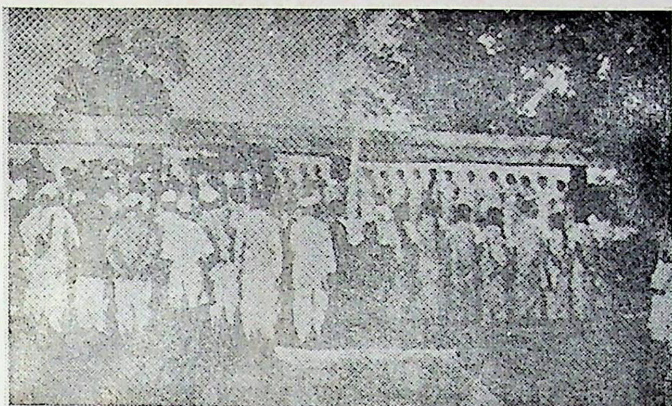
आज हम एक महान् संकट के समक्ष खड़े हैं। उसका सामना करने का हमें आह्वान किया जा रहा है। क्या हम इस प्राचीन कहानी से प्रेरणा नहीं ले सकते? क्या बिहारी, जो पिछड़े हुए हैं, इससे साहस और शक्ति ग्रहण करके आपका स्वागत ही मात्र नहीं करके बल्कि जो प्रस्ताव आप स्वीकृत करेंगे उन्हें कार्यान्वित करने में सहभागी बनने से साहस और शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते?

अन्त में मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। समय बड़ा ही संकटपूर्ण है। कभी-कभी किसी देश या राष्ट्र को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब एक सही या गलत कदम उसके सारे भविष्य को बना या बिगाड़ दे सकता है। कांग्रेस सारे देश का संगठन है। हमने स्वतंत्रता हासिल करने का महान् कार्य अपने ऊपर लिया है। हममें से हर आदमी को इसमें अपना दायित्व समझना होगा और पूरा करना होगा। आलस या उपेक्षा से हम इस महान अनुष्ठान को क्षति नहीं पहुँचने देंगे। उतावलेपन में किसी गलत कार्रवाई से भी उसे क्षति पहुँचने नहीं देंगे। हम यह सोचकर बैठे नहीं रहेंगे कि देश की स्वतंत्रता हासिल करने का भार काँग्रेस अध्यक्ष या महात्मा गाँधी या अन्य नेताओं पर था। हम में से हर व्यक्ति को स्वयं ही निर्णय करना होगा कि इस महान कार्य में उसका कौन-सा हिस्सा होनेवाला है। उपयुक्त समय पर काम करने एवं बलिदान करने में ही नहीं बल्कि भविष्य में कौन-सा कार्यक्रम होगा इसका निर्णय करने में भी। हमें अपनी योग्यता के अनुसार इसमें भी हाथ बंटाना होगा। किन्तु जब एक बार निर्णय ले लिया जायगा तो उसके लिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा एवं उसे कार्यान्वित करने के हेतु दृढ़ संकल्प कर लेना होगा। इस प्रान्त की जनता की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम आपके निर्णय के अनुसार काम करने में पीछे नहीं हटेंगे और मेरा विश्वास है कि आज यह आश्वासन ही आपका सबसे उपयुक्त स्वागत है।"

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काँग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव सत्याग्रह पर था और इसे कार्यकारिणी ने पहले ही तैयार



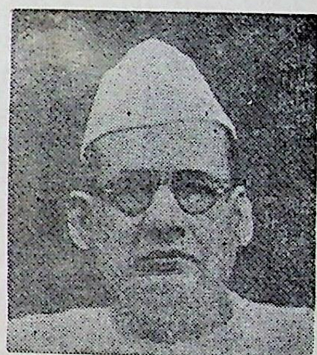
कांग्रेस अध्यक्ष : मौलाना अबुल कलाम आजाद
रामगढ़ कांग्रेस



झण्डा अभिवादन, रामगढ़ कांग्रेस



डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष, स्वागत समिति



श्री श्रीकृष्ण सिंह
उपाध्यक्ष, स्वागत समिति



श्री अम्बिकाकान्त सिंह
पदाधिकारी
स्वागत समिति



श्री श्यामा प्रसाद सिंह
जी. ओ. सी.
कांग्रेस स्वयंसेवक दल

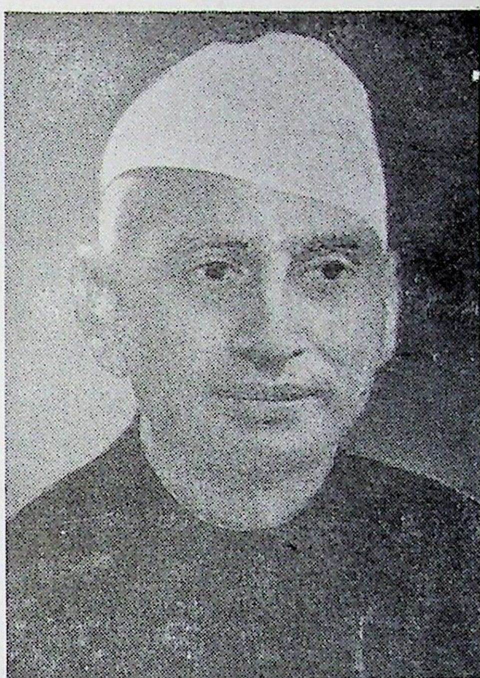


डॉ० सैयद महमूद
उपाध्यक्ष
स्वागत समिति

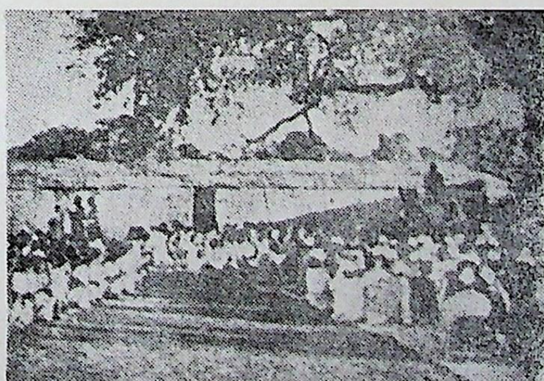




श्री अनुग्रह नारायण सिंह
महासचिव, स्वागत समिति



श्री ज्ञानचन्द्र सोंधी
प्रचार पदाधिकारी, स्वागत समिति



कांग्रेस नगर में भाषण, रामगढ़ कांग्रेस



किया था। प्रस्ताव का अनुमोदन आचार्य कृपलानी ने किया। उस पर मतदान हुआ एवं स्वीकृत घोषित किया गया। गाँधीजी ने विशेष अनुरोध पर निम्नलिखित भाषण किया :—

"आज की बहस में जो कुछ कहा गया है उसे सुनकर मुझे खुशी हुई है। यह देखकर कि सभी व्यक्तियों ने सविनय अवज्ञा शब्द का एकाधिक बार अवश्य ही उल्लेख किया है मुझे बायबिल की वह उक्ति याद आती है 'हर आदमी जो मुझे प्रभु-प्रभु कहता है स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा किन्तु वह जो भगवान की इच्छा के अनुसार काम करेगा, स्वर्ग जायगा।"

वे जो सविनय अवज्ञा का शोर मचाते हैं सविनय अवज्ञा शुरू नहीं करते। जो उसके लिए सच्चे हृदय से काम करते हैं वही उसे शुरू करने में समर्थ हैं। सच्ची सविनय अवज्ञा उसमें सम्मिलित होनेवालों पर यह बन्धन डाल देती है कि उन्हें जो कुछ करने को कहा जाय वही करें एवं जो नहीं करने को कहा जाय उसे नहीं करें। सविनय अवज्ञा यदि ठीक से शुरू हुई और चलाई गई तो निश्चय ही हमें स्वतंत्रता हासिल होगी। मुझे लगता है कि आप तैयार नहीं हैं। यह सत्य है कि हम सभी अपने ही देश में गुलाम हैं। यह हम सब जानते और समझते हैं। हम यह भी समझते हैं कि स्वतंत्रता हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम यह भी समझते हैं कि उसके लिए हमें कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। जिन वक्ताओं ने अविलंब सविनय अवज्ञा शुरू करने की माँग की है उनकी बातों पर तालियाँ बजानेवाले में मैं भी सम्मिलित हो सकता हूं। एक चोर आया है और उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, मुझे उससे लड़ना होगा और अपने घर पर पुनः अधिकार करना होगा। किन्तु इसके पहले मुझे उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आप तालियाँ बजाते हैं किन्तु उससे यही व्यक्त होता है कि इस तैयारी का क्या अर्थ है यह नहीं समझते। आपका सेनापति देख रहा है कि आप तैयार नहीं हैं, आप सच्चे सैनिक नहीं हैं और यदि आपके संकेतित मार्ग पर हम चलें तो हमारी हार निश्चित है।

मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं जिसके लिए मुझे पछताना पड़े। इतने दिनों के अपने संघर्ष में मैंने कभी भी हार नहीं मानी है। यद्यपि कुछ लोग राजकोट का संकेत करें, किन्तु मेरा

दृढ़ विश्वास है कि वह मेरी हार नहीं थी। भविष्य का इतिहास ही उसे स्पष्ट कर सकता है।

मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ एवं सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करता हूँ कि जब आप तैयार हो जाएँगे मैं आगे बढ़ूँगा और तब मुझे विजय में कोई संदेह नहीं रहेगा। मैंने विषय निर्वाचनी के सम्मुख यही कहा था और आज भी उसे दुहरा रहा हूँ कि आप अपने हृदय और मन को शुद्ध करें। यहाँ कुछ लोग यह कहते रहे हैं कि लड़ाई शुरू करने के पहले चर्खा पर बहुत जोर देना जरूरी नहीं। मुझे उनकी निष्ठा एवं बहादुरी में संदेह नहीं है किन्तु जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको बतलाया है उससे कुछ दुर्बलता का आभास मिलता है। २० वर्षों से मैं कहता रहा हूँ कि चर्खा के बिना सत्याग्रह शुरू नहीं किया जा सकता। डाक्टर चाहते हैं कि मैं चर्खा छोड़ दूँ, लेकिन मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे स्वयं भी अपने को तैयार करना है। जिसे चर्खा में विश्वास नहीं वह मेरे अन्तर्गत सैनिक नहीं हो सकता। वह न केवल अपने को वल्कि मुझे और सारी दुनिया को धोखा देगा।

मेरे समक्ष अहिंसा के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। यदि आप महसूस करते हैं कि आपको संघर्ष करना है और अभी एवं अविलंब संघर्ष करना है और यह सोचते हैं कि संघर्ष जीतने का क्या कोई नया तरीका भी है तो मैं कहूँगा कि आप आगे बढ़ें और आपकी विजय पर मैं सबसे पहले अभिदन्दन करनेवालों में रहूँगा। किन्तु आप यदि मुझे छोड़ना नहीं चाहते और मेरे तरीकों एवं आदर्शों पर चलने को भी तैयार नहीं तो मैं जानना चाहूँगा कि यह कैसा नेतृत्व आप मुझे प्रदान कर रहे हैं।

वे लोग जो तुरत सविनय अवज्ञा शुरू करने के लिए शोर मचा रहे हैं मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, शायद इसलिए कि वे जानते हैं कि जनता मेरे साथ है। मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं कि मैं जनता का आदमी हूँ। जीवन के प्रत्येक क्षण मैं भारत के करोड़ों-करोड़ भूखे-नंगे लोगों के लिए सचेत रहता हूँ। मैं उनका दुःख दूर करने, उनका कष्ट कम करने में अपनी जिन्दगी उत्सर्ग करने को तैयार हूँ। भारत की जनता पर मेरा कुछ प्रभाव है यह कहने में मुझे संकोच नहीं। यह प्रभाव इसीलिए है कि

मैं उनका निष्ठावान स्वयंसेवक रहा हूँ। आप मुझे पत्थर मार कर मेरी हत्या भी कर दें तब भी मैं जनता के लिए काम करता रहूँगा। यही मेरा तरीका है। यदि आप सोचते हों कि कोई अन्य तरीका भी है तो कृपया मुझे अपने मार्ग का अनुसरण करने को छोड़ दें।

चर्खा के बिना मैं स्वतंत्रता-संघर्ष की राह में आपको जेल नहीं ले जा सकता। मैं ऐसे एक भी व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखना चाहूँगा जिसे चर्खा में विश्वास नहीं है। याद रखें कि यदि हम, यहाँ एकत्र लोग, गलती करते हैं तो अपनी गलती से करोड़ों-करोड़ मूक जनता को असीमित कष्ट पहुँचाएँगे। कांग्रेस के प्रतिनिधियों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आपके नायक के रूप में मेरा उत्तरदायित्व और भी अधिक है। नायक के रूप में मुझे आपके लिए प्रकाशस्तम्भ बनना है और आपको समय रहते किसी सम्भावित दुर्घटना की चेतावनी देते रहना है। इसी हेतु मुझे अत्यधिक सतर्कता के साथ बढ़ना होता है।

अनेक वक्ताओं ने ब्रितानी साम्राज्यवाद की बुराइयों पर काफी कुछ कहा है। मैं उस सम्बन्ध में सिवाय इसके कि उससे हमें मुक्त होना है और कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने आपको रहस्य बता दिया है: इसके पहले कि मैं सत्याग्रह शुरू करूँगा मुझे इसका विश्वास होना चाहिए कि आपने मेरी बात ठीक-ठीक समझ ली है।

डाक्टर के पास जाकर उससे दवा माँगने से कोई लाभ नहीं यदि उसके आदेशानुसार उसे खाने को हम तैयार नहीं हों। वैसी स्थिति में मैं आपसे अपने मर्ज के लिए किसी अन्य डाक्टर की तलाश करने को कहूँगा। ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जितना जो कुछ आपने भाषण सुने हैं उससे उसे सुलझाने में आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। उनसे केवल आपका क्रोध बढ़ेगा पर इससे हमारी समस्या नहीं सुलझती। क्रोध सत्याग्रह के विरुद्ध पड़ता है। हमारा ब्रितानी लोगों से कोई झगड़ा नहीं है। हम उनके मित्र बने रहना चाहते हैं एवं उनकी सद्भावना के आकांक्षी हैं किन्तु यह आधिपत्य के आधार पर नहीं हो स्वतंत्रता एवं सक्रियता के आधार पर हो तथा नवीन भारत के साथ।

स्वतंत्र देश के रूप में भारत किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं रखेगा

और न किसी देश को गुलाम बनाना चाहेगा। हम शेष दुनिया के साथ मिलकर चलेंगे और चाहेंगे कि शेष दुनिया हमारे साथ मिलकर चले।

सत्याग्रह सत्य का मार्ग है। यदि आप इस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं तो मेरी चिन्ता न करें। आप मुझे निकम्मा कह सकते हैं, मुझे उसके लिए क्षोभ नहीं होगा। यदि मैं इसे स्पष्ट नहीं कर दूँ तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा और मेरे साथ देश भी बर्बाद हो जाएगा। सत्य और अहिंसा सत्याग्रह की आत्मा है और चर्खा उनका प्रतीक है। सत्य, अहिंसा और चर्खा के बिना पूरी निष्ठा के आप मेरे सैनिक नहीं हो सकते और मैं फिर उसे दुहराऊँ कि यदि आप इसमें विश्वास नहीं करते तो आप मुझे छोड़ दें और अपने तरीके स्वयं ही आजमायें।''

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन ने गाँधीजी के नेतृत्व में अनिवार्य संघर्ष के हेतु राष्ट्र को तैयार होने का आह्वान किया। गाँधीजी ने काँग्रेसजनों को रचनात्मक कार्यक्रम एवं अहिंसात्मक संघर्ष के संदर्भ में उसके महत्त्व पर बल दिया।

रामगढ़ में समझौता विरोधी आन्दोलन :

चरमपंथी राजनैतिक विचार रखनेवाले कुछ भारतीय राष्ट्रवादी उन दिनों युद्ध-संकट के संदर्भ में काँग्रेस के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। इसमें अधिकतर अग्रगामी दल के लोग थे। उन्हें लगता था कि काँग्रेस ब्रितानी सरकार के साथ किसी तरह का समझौता करने की ओर झुक रही थी। अतः वे साम्राज्यवादी शक्तियों से किसी तरह का समझौता नहीं करने का रवैया अपनाने की माँग कर रहे थे। अपनी रवैया और नीति के समर्थन में आन्दोलन संगठित करने के हेतु उन्होंने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन रामगढ़ काँग्रेस के अधिवेशन के दौरान आयोजित किया। इस सम्मेलन की कार्यवाही में वर्षा के कारण वाधा नहीं पड़ी क्योंकि सम्मेलन उसके पहले ही समाप्त हो चुका था। सहजानन्द सरस्वती इसकी स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे। बिहार के कुछ लोगों ने इसमें प्रमुख भाग लिया था। सम्मेलन के अध्यक्ष, सुभाष बोस ने दक्षिणपंथियों की समझौता-नीति की शिकायत की एवं कहा : हम अवसर का उपयोग

करें और समय रहते काम करें। स्वामी सहजानन्द ने आपका आह्वान किया है। हम शक्ति एवं साहस के साथ आगे बढ़ें। इस सम्मेलन से हम साम्राज्यवाद एवं उसके हिन्दुस्तानी सहयोगियों को चेतावनी दें। इस सम्मेलन की सफलता साम्राज्यवाद के साथ समझौता के लिए मौत की घंटी होगी।"

सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव सहजानन्द सरस्वती द्वारा प्रस्तुत किया गया। सरदार शारदूल सिंह ने उसका अनुमोदन किया तथा कुछ अन्य लोगों ने उसके समर्थन में भाषण किए। उनमें काँग्रेस की नीति की कड़ी आलोचना की गई थी तथा पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के हेतु भारतीय जनता के अधिकार पर बल दिया गया था। इस प्रस्ताव में अप्रील ६ से स्थानीय संघर्षों को तीव्र करने एवं अखिल भारतीय मोर्चा पर संघर्ष शुरू करने का आह्वान करने की बात कही गई थी। इसके अतिरिक्त यह कहा गया था कि यह आन्दोलन भारतीय जनता के युद्ध में भाग लेने से अलग रहने तथा भारत की स्वतन्त्रता हासिल करने के हेतु अन्तिम संघर्ष करने के संकल्प का प्रतीक होगा। आन्दोलन में किसानों की तत्क्षणिक माँगों का भी समर्थन किया गया था। ये माँगे थीं मालगुजारी, राजस्व एवं नहर-कर में ५० प्रतिशत की छूट, जमीन्दारों एवं वैसी अन्य व्यवस्थाओं की बिना मुआवजा की समाप्ति।

राष्ट्रीय सप्ताह के समारोह :

रामगढ़ कांग्रेस के लगभग दो सप्ताह बाद देश में राष्ट्रीय सप्ताह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी राजनीतिक सभाओं में गाँधीजी के नेतृत्व में संघर्ष के हेतु देश की तैयारी, रचनात्मक कार्यक्रम के महत्त्व आदि पर बल डाला गया था। गाँधीजी ने "प्रत्येक कांग्रेस कमिटी एक सत्याग्रह समिति" शीर्षक "हरिजन" में प्रकाशित एक लेख में प्रत्येक कांग्रेस कमिटी को सत्याग्रह समिति बन जाने एवं कांग्रेसजनों को रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास रखने एवं उसे चलाते रहने का आह्वान किया था।[1] उस लेख में उन्होंने कहा था कि ऐसे ही कांग्रेसजन सत्याग्रही

---

१. परिशिष्ट—२४।

होंगे। उनके प्रयत्नों का वैसे निष्क्रिय सत्याग्रही के द्वारा जो चर्खा नहीं चलायेंगे या जेल नहीं जायँगे, किन्तु सत्य और अहिंसा में विश्वास रखेंगे तथा संघर्ष की सफलता चाहेंगे, उनसे अनुपूरक प्रस्तुत होगा। कांग्रेस के मुख्य सचिव ने सभी कांग्रेसी प्रान्तीय कमिटियों को तदनुकूल काम करने के हेतु आदेश-परिपत्र भेज दिये। उसके साथ सत्याग्रही के लिए प्रतिज्ञापत्र की प्रति भी भेजी गई।[1] आसन्न संघर्ष की तैयारी अधिक प्रभावी करने के हेतु सत्याग्रह आश्रम तथा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण शिविर स्थापित करने की अनुशंसा की गई थी। शिविरों में संयम, सादा जीवन, रचनात्मक कार्यक्रम एवं अहिंसक आत्मानुशासन पर बल दिया जाता।

बिहार में पहली मई, १९४० तक दो हजार सत्याग्रही अपना नाम लिखा चुके थे। सोनपुर में २० अप्रील से एक प्रान्तीय सत्याग्रह शिविर एक सप्ताह तक चलाया गया। इसमें कुल २९१ लोगों ने भाग लिया। उनमें १४७ प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य थे। शिविर का जीवन सादा, रोचक एवं कर्मठ था। शिविर में सूत कातने एवं राजनैतिक विषयों पर अभिभाषण मुख्य विशेषताएँ थीं। राजेन्द्र बाबू ने चर्खा सत्याग्रह के तकनीक एवं अन्य सम्बद्ध विषयों पर भाषण किए। ऐसे शिविर अन्य ज़िलों में भी खोले गए।[2]

इनमें पटना, शाहाबाद, गया, आदि प्रमुख थे। नवम्बर, १९४० के अन्त में संथाल परगना के कांग्रेस नेताओं ने सरैयाहाट में एक सत्याग्रही शिविर आयोजित किया। उसमें भाग लेनेवाले स्थानीय नेताओं में अन्य लोगों के साथ पंडित विनोदानन्द झा भी थे। आचार्य कृपलानी ने गया जिलान्तर्गत भूसंडा में ३० मई १९४० को एक सत्याग्रह प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। यहाँ एक सप्ताह तक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया।

इस समय तक अन्तरराष्ट्रीय स्थिति बहुत ही गम्भीर हो चुकी थी। भारतीय जनता के मन में गहरी चिन्ता होने लगी थी। १९४० के ग्रीष्म

---

१. परिशिष्ट—२५।

२. काँग्रेस बुलेटिन, २७ मई, १९४० : राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा पृ० ५५१-५५७।

में जर्मनी की विद्युत विजय एवं इटली के युद्ध में प्रवेश की भारत में प्रतिक्रिया हुई। इसे शान्त करने के हेतु गाँधीजी, बंगाल के गवर्नर और अन्य लोगों ने अपील की। ब्रिटेन के धर्मसंकट की घड़ी में गाँधीजी ने कहा कि "हम ब्रिटेन के ध्वंसावशेष पर अपनी आजादी नहीं चाहते", "इंगलैण्ड की कठिनाई भारत का अवसर नहीं।"

युद्ध की स्थिति और भी गम्भीर :

कांग्रेस का रवैया :

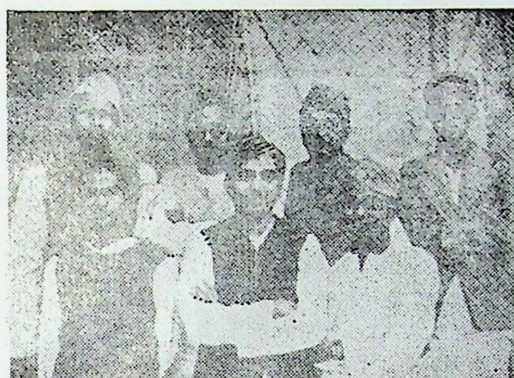
कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जून, १६४० में हुई। इसमें यूरोप की भयानक घटनाओं के फलस्वरूप बिगड़ती हुई स्थिति, विशेष करके फ्रांस की पराजय पर विचार किया गया। गाँधीजी ने कहा कि अहिंसा की तकनीक को पूर्ण विकसित किया जाय तो वह हिंसा एवं शस्त्रीकरण का उपयुक्त विकल्प हो सकता था। उन्होंने कहा कि "मानव के इतिहास के इस संकटपूर्ण चरण में कांग्रेस को यह घोषणा करके कि भारत बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अव्यवस्था से अपनी रक्षा करने के हेतु सशस्त्र सेनाएँ नहीं रखना चाहता इस आदर्श को कार्य रूप दें।" किन्तु कार्यकारिणी ने तात्कालिक स्थिति को ध्यान में रखकर यह घोषणा की कि कांगेस अपने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए अहिंसा को ही एकमात्र उपयुक्त उपकरण मानती है, किन्तु जब तक वह जनता पर पर्याप्त अहिंसक नियंत्रण नहीं हासिल करे तथा जनता संगठित अहिंसा का पाठ पर्याप्त रूप में नहीं ग्रहण करे तब तक संक्रान्ति एवं गत्वर परिवर्त्तन के युग में सम्भावित खतरों की एवं मानव प्रकृति की अपूर्णताओं तथा दुर्बलताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती।" इसलिए कार्यकारिणी गाँधीजी का पूरा-पूरा साथ देने में असमर्थ थी फिर भी यह स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता संघर्ष में अहिंसा के तरीके एवं बुनियादी नीति पूरी तरह चलती रहेगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उसे प्रसारित करने की अक्षमता का उसपर प्रभाव नहीं पड़ेगा।" कार्यकारिणी ने काँगेस कमिटियों को राष्ट्रीय-सेवा के हेतु शान्ति स्वयं-सेवकों को भर्त्ती करने एवं उनके प्रशिक्षण को हर तरह से प्रोत्साहन देने की अनुशंसा की एवं आदेश दिया कि अपने-अपने इलाकों में जन-

सुरक्षा की चेतना बनाये रखने के हेतु गाँव एवं अन्य क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए जनता का संगठन किया जाय।

कार्यकारिणी ने भारत एवं दुनिया की बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक अव्यवस्था के संदर्भ में तत्कालीन स्थिति को देखते हुए कांग्रेस द्वारा संचालित कार्यक्रम एवं कार्रवाइयों के उत्तरदायित्व से गाँधीजी को मुक्त कर दिया।

दुनिया की स्थिति अधिकाधिक गम्भीर होती जा रही थी। जून में फ्रांस के आत्म-समर्पण के बाद सम्पूर्ण यूरोप पर जर्मनी का आधिपत्य तेजी के साथ फैल गया था। उस समय तक सम्पूर्ण ऑस्ट्रिया, चेकोसलोवाकिया, डेनमार्क, नॉर्वे, वेलजियम, हॉलैश्ड, पोलैण्ड एवं फ्रांस के अधिकांश भाग पर जर्मन का आधिपत्य स्थापित हो चुका था।

आरटिक से लेकर बिस्के की खाड़ी तक यूरोप के पच्छिमी तट जर्मनी के नियन्त्रण में थे। इन सबसे भारत को चिन्ता होना अनिवार्य था। गम्भीरतर होते हुए संकट के संदर्भ में कांग्रेस कार्यकारिणी ने ३ से ७ जुलाई १९४० की दिल्ली में अपनी बैठक में ब्रितानी सरकार को राजनैतिक गतिरोध दूर करने के हेतु एक नया संकेत किया। इसके लिए कुछ शर्त्तें थीं : यथा (क) "भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के अधिकार की स्वीकृति पर" और (ख) ऐसी अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार की केन्द्र में स्थापना जो "केन्द्रीय विधानमण्डल के सभी तत्त्वों का विश्वास प्राप्त कर सके और प्रान्तों में उत्तरदायी सरकार के साथ घनिष्टतम सहयोग प्राप्त कर सके।" कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव के साथ गाँधीजी एवं उसके कुछ अन्य सदस्य सहमत नहीं थे। इनका कहना था कि यदि सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो कांग्रेस को अहिंसा का परित्याग कर देना होगा। जवाहरलाल नेहरू भी इसके पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि इससे भारत को सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिलेगी किन्तु एक जटिल प्रश्न के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के रूप में इस प्रस्ताव का स्वागत हुआ एवं पूना में २७, २८ जुलाई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने इसकी सम्पुष्टि कर दी।

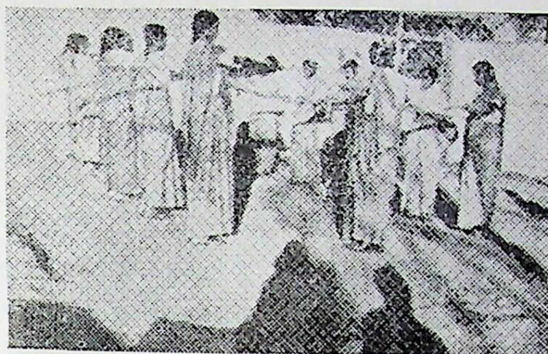


रामगढ़ कांग्रेस की सजावट करनेवाले
अगली कतार में : श्री उपेन्द्र महारथी
श्री जी० एस० कपाड़िया
श्री कार्तिकचन्द्र पॉल
पिछली कतार में : श्री कपिलदेव नारायण
श्री दिनेश बख्शी
श्री महावीर प्रसाद वर्मा
श्री ब्रजनन्दन प्रसाद वर्मा

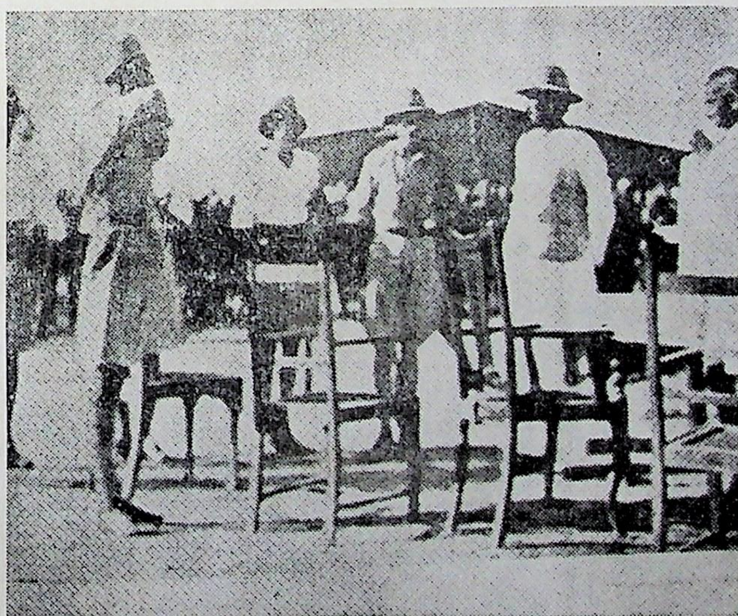


कुछ प्रमुख स्वयंसेविकाएँ
बांएँ से दाहिने : कुमारी तारा पटवर्धं, कुमारी इन्दुमति जुनाज, कुमारी प्रेमा कण्टक, श्रीमती सरला देवी, श्रीमती भ्योजो भाटवरेकर ।





कवायद करती हुई देश-सेविकाएँ, रामगढ़ कांग्रेस



स्वयंसेवक शिविर का निरीक्षण करते हुए महात्मा गाँधी
(मार्च, १९४०)

साम्प्रदायिक वैमनस्य :

दुर्भाग्यवश कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद बढ़ते जा रहे थे। कांग्रेस संयुक्त भारत के आदर्श से नहीं हटी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जिसे लोग नहीं पटने वाली खाई कहते थे, गाँधीजी की दृष्टि में वह एक घरेलू समस्या थी जो यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते हैं तो समाप्त हो जायगी। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों की संयुक्त राष्ट्रीयता पर बल दिया था। इस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि "एक हजार वर्ष साथ रहने से एक सामान्य राष्ट्रीयता के ढाँचे में हम आ गए हैं।" यह कृत्रिम नहीं हो सकता। प्रकृति सदियों के अन्तराल में अदृश्य रूप से यह प्रक्रिया चलाती रहती है, ढाँचा इस प्रकार तैयार हो चुका है एवं नियति ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम एक संयुक्त एवं अखण्ड भारतीय राष्ट्र बन गये हैं" किन्तु दो-एक दिन के भीतर ही लाहौर में मुस्लिम लीग के २७वें वार्षिक अधिवेशन में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय नहीं बल्कि एक राष्ट्र हैं तथा उन्हें अपनी वासभूमि, क्षेत्र एवं राज्य मिलना चाहिए। यह राज्य भारत के उन क्षेत्रों में होगा जहाँ मुसलमान बहुमत में रहते थे। भारत के उत्तर-पच्छिमी और पूर्वी मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों को मिलाकर स्वतन्त्र राज्य की स्थापना होनी चाहिए। ये स्वशासी तथा सम्प्रभु होंगे।

लीग के लाहौर अधिवेशन में बिहार के अनेक मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया था। १३, १४ अप्रील १९४० को छपरा में मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन हुआ। इसमें लखनऊ का चौधरी खलीकुजमा मुख्य वक्ता था। उसने लोगों से श्री जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील की एवं मुसलमानों को अपना भेदभाव भुला देने को कहा। १९ अप्रील को बिहार के विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तान दिवस मनाया गया। इसमें भारत-विभाजन सम्बन्धी लाहौर प्रस्ताव पढ़ा गया एवं स्वीकृत किया गया। दूसरी ओर अहरार पार्टी और मोमीनों ने उसकी निन्दा की।[१]

---

१. बिहार की राजनैतिक गतिविधि (अप्रील १९४० के पूर्वार्द्ध की रिपोर्ट)।

बिहार प्रान्तीय मुस्लिम राजनैतिक सम्मेलन भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव थाना के सोनहौला नामक गाँव में जुलाई, १९४० में हुआ। इसकी अध्यक्षता सैयद अब्दुला वेलवी ने की। इसमें भी अधिकतर भाषणों में मुस्लिम लीग, जिन्ना और ब्रितानी नीति की निन्दा की गई थी तथा कांग्रेस की नीतियों का समर्थन किया गया था। श्री बेलवी ने इस अवसर पर कहा "अब तक हमें कहा जाता था कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के मार्ग में सबसे बड़ी वाधा हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता का अभाव है। हमें मालूम है कि यह एक झूठा बहाना है। सत्य यह है कि ब्रितानी सरकार शक्ति त्यागना नहीं चाहती ···· ···· ····जहाँ तक हमारे आन्तरिक मतभेद का सवाल है हमें इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि ऐसे मतभेदों को मिलजुलकर शान्ति के साथ समाप्त करने के हेतु लोगों में पर्याप्त देशभक्ति तथा अक्लमन्दी है।" लेकिन यह तभी होगा जबकि देश के सच्चे नेताओं को इसका भरोसा हो कि भारत को जो स्वतन्त्रता दी जा रही है वह सच्ची है।"

वायसराय का अगस्त वक्तव्य (८ अगस्त १९४०) :

साम्प्रदायिक मतभेद से ब्रितानी साम्राज्यवाद को उसके इस गम्भीर संकट के क्षण में भी, जब देश भर में युद्ध प्रयत्नों को सशक्त वनाने के हेतु संयुक्त राष्ट्रीय प्रयत्न करने की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, उस समय भी "विभाजन करो और शासन करो" की नीति चलाई जा रही थी। कांग्रेस की जुलाई, (१९४०) की घोषणा के जवाब में ब्रितानी सरकार की ओर से वायसराय ने ८ अगस्त १९४० को एक वक्तव्य दिया। इसमें औपनिवेशिक स्वराज देनें का आश्वासन देने की बात दुहरायी गयी थी और कहा गया था कि नया संविधान बनाने का दायित्व मुख्यतः भारतीयों का ही होगा और भारतीय जीवन की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक संरचना की। उनकी अपनी धारणा से उद्‌भूत होकर किन्तु इसके लिए दो शर्त्तें थीं। "पहली शर्त्त यह थी कि ब्रितानी सरकार की शान्ति एवं कल्याण के हित में ऐसी किसी सरकारी व्यवस्था के हाथ में अपना वर्त्तमान दायित्व हस्तांतरित करने की बात नहीं सोच सकती थी जिसका भारतीय राष्ट्रीय जीवन के बड़े एवं शक्तिशाली भाग भरोसा नहीं कर सकें। ऐसे लोगों को इस तरह की

सरकार के अधीन करने के हेतु वाध्य करने को वह तैयार नहीं हो सकती थी।'' ''एक ऐसे क्षण में जब कौमनवेल्थ जीवन-मरण के संघर्ष में लगा है'' बुनियादी संवैधानिक प्रश्नों का समाधान नहीं किया जा सकता। वक्तव्य में युद्ध समाप्त करने पर भारत का संविधान बनाने के हेतु एक प्रतिनिधि संस्था स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था। इस बीच ब्रितानी सरकार भारतीयों को आपस में किसी सौहार्दपूर्ण समझौता के आधार खोजने के प्रयत्नों का स्वागत करेगी। ब्रितानी सरकार आशा करती थी कि युद्ध की अवधि में केन्द्रीय कार्यपालिका परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाने एवं संयुक्त युद्ध प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करने की दिशा में अविलंब कार्रवाई की जायगी।

वायसराय के वक्तव्य से भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व को निराशा हुई। काँग्रेस कार्यकारिणी ने उसकी निन्दा की। गाँधीजी ने कहा कि इससे भारत का वह भाग जिसका काँग्रेस प्रतिनिधित्व करती है और इंगलैण्ड के बीच की खाई चौड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू ने १० अगस्त १९४० को ''द पार्टिंग ऑफ द वेज''[1] शोर्षक एक निबन्ध प्रकाशित किया। इस निबन्ध में कांग्रेस का दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया था। बताया गया था कि ब्रितानी सरकार भारत पर अपना शिकंजा और भी मजबूत करना चाहती थी। यद्यपि इंगलैण्ड की जनता के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी किन्तु भारत की आजादी की माँग पूरी होनी चाहिए। भारत आजाद होने पर न तो दुनिया से अलग-थलग और न किसी राष्ट्र के प्रति शत्रुतापूर्ण रहेगा। पंडित नेहरू के शब्दों में भारत का लक्ष्य है एक संयुक्त स्वतंत्रता एवं जनतंतात्रिक देश के रूप में अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ विश्व संघ में घनिष्ट रूप से संलग्न रहना। हम स्वतंत्रता चाहते हैं किन्तु पुराने ढंग की संकीर्ण एवं अलग-थलग स्वतंत्रता नहीं। हम औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहते। हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हर विचारशील व्यक्ति जानता है कि औपनिवेशिक स्वराज के दिन समाप्त हो चुके हैं। उसका कोई भविष्य नहीं है। इस महान युद्ध के बाद वह जिन्दा नहीं रह सकता, इसका चाहे जो भी परिणाम

---

१. यह निब्नध किसी कारणवश मार्च १९४० के पहले तक प्रकाशित नहीं हो सका था। गाँधीजी ने इसका प्राक्कथन लिखा था।

हो और वह जिन्दा रहे या नहीं, हमें औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए। हम ऐसे राष्ट्रों के साथ बँधे हुए रहना नहीं चाहते जिन्होंने हमारे ऊपर धौंस जमाई है एवं शासन किया है। हम ऐसे साम्राज्य में नहीं रहेंगे जिसके कुछ भाग में हमारे साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता है और जहाँ प्रजातीय द्वेष चरम सीमा पर है। हम लन्दन के मुद्रा बाजार के वित्तीय आधिपत्य से मुक्त होना चाहते हैं। हम ऐसी आजादी चाहते हैं जिसमें किसी तरह का कोई बन्धन नहीं हो। वहाँ अपनी इच्छा से एवं अपने हित में अन्य देशों के साथ राष्ट्रों के संघ या एक नई विश्व व्यवस्था में सम्मिलित हो सकते हैं। बिहार विधान मण्डल के काँग्रेसी सदस्यों की एक सभा काँग्रेस पार्टी द्वारा वायसराय की घोषणा पर विरोध प्रकट करने के हेतु १३ अगस्त को आयोजित की गई थी।[1]

भारत सचिव ने हाउस औफ कौमन्स के समक्ष वायसराय के वक्तव्यों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि भारत में ब्रितानी सरकार गतिरोध दूर करना चाहती थी। इसमें समस्या को सुलझाने में ब्रितानी सरकार की अनिच्छा वाधक नहीं थी। भारत में विभिन्न राजनैतिक तत्वों यथा काँग्रेस, मुस्लिम लीग, अनुसूचित जातियाँ और देशी रजवारों के मध्य तालमेल नहीं होना सबसे बड़ी वाधा थी। भारत सचिव ने कहा कि "भारत की संवैधानिक समस्याओं का समाधान खोजने की बात करते समय इन मतभेदों को ध्यान में रखना होगा। तत्काल यह मतभेद दूर नहीं हुआ है।"

भारत में निराशा की भावना, व्यक्तिगत सत्याग्रह :

ब्रितानी सरकार द्वारा काँग्रेस की दिल्ली प्रस्तावना को ठुकराया जाना तथा भारत सचिव के वक्तव्यों से ब्रितानी सरकार का वास्तविक इरादा प्रकट हो गया। इस तरह देश भर में एक गम्भीर निराशा की भावना फैली। भारत की आजादी की लड़ाई में यह सचमुच एक गम्भीर संकट का क्षण था। इस पर विचार करने के लिए १५ सितम्बर को बम्बई में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की एक बैठक हुई। काँग्रेस "भारत की स्वतंत्रता के अधिकार

---

१. इस सभा में मुस्लिम लीग तथा विरोधी पक्ष के विधान सभा सदस्य सम्मिलित नहीं हुए थे।

को अस्वीकृत करने वाली नीति, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का दमन करने तथा जनता के और भी पतन एवं गुलाम बने रहने की नीति के सम्मुख सिर नहीं झुका सकती।" परीक्षा की इस घड़ी में काँग्रेस ने फिर गाँधीजी के नेतृत्व में आगामी संघर्ष के हेतु बागडोर रखी। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि अँग्रेज जनता के प्रति भारत में कोई दुर्भावना नहीं थी। काँग्रेस सत्याग्रह की भावना के अनुसार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे अँग्रेज जनता को किसी उलझन में फँसना पड़े। यह आत्मसंयम आत्मघात के बिन्दु तक नहीं पहुँचाया जा सकता था। कांग्रेस को अपनी अहिंसा के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर भी अड़े रहना होगा।"

भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन की नीति एवं उसके युद्ध में सम्भावित प्रवेश के संदर्भ में गाँधीजी ने अब चुने हुए लोगों के व्यक्तिगत सत्याग्रह की अनुशंशा की। इससे युद्ध के माध्यम में ब्रितानी सरकार को किसी तरह का उलझन नहीं होगा और इसकी पर्याप्त कोशिश की जायगी कि उसमें किसी तरह का जन आप्लावन नहीं हो।[१] प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों के अध्यक्षों एवं सचिवों तथा भूतपूर्व काँग्रेसी मंत्रियों का एक सम्मेलन बम्बई में १७ सितम्बर १९४० को कांग्रेस अध्यक्ष, अबुल कलाम अजाद ने बुलाई। अपने प्रारंभिक भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष ने सत्याग्रह सम्बधी कांग्रेस के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति एवं गाँधीजी के नेतृत्व के धारन करने पर प्रकाश डाला तथा उपस्थित लोगों को कांग्रेस कार्यकारिणी एवं गांधीजी के आदेशों का कठोरता के साथ अनुपालन करने को कहा।[२] १७ अगस्त को श्री विनोबा भावे ने वार्धा से लगभग ७ मील दूर पौनार नामक गाँव में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। श्री भावे २१ अगस्त को गिरफ्तार हो गए। उन्हें ३ महीने कारावास की सजा सुनाई गई। जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही बनना था पर उसके पहले ही ३१ अक्टूबर को उन्हें च्योकी में गिरफ्तार करके ४ वर्ष की सजा सुना दी गई।

---

१. गाँधीजी ने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के समक्ष अपने भाषण में तथा वायसराय से भेंट करने के बाद २७ और ३० सितम्बर को अपने पत्राचार में भी इसे स्पस्ट कर दिया था।

२. द इंडियन ऐनुअल रजिस्टर, १९४० खण्ड-२, पृष्ठ २२-२४।

आन्दोलन को व्यक्तिगत, सीमित एवं प्रतिनिधि रूप देने के हेतु गांधीजी ने ९ नवम्बर १९४० को प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियों को निम्नलिखित आदेश भेजे :—

"सरकार द्वारा उत्पन्न असह्य स्थिति में मैंने कार्यकारिणी से विचार-विमर्श करके सविनय अवज्ञा का क्षेत्र बढ़ा दिया है। तत्काल के लिए मैं कार्यकारिणी, केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान मण्डलों के काँग्रेसी सदस्यों तथा अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के सदस्यों से सत्याग्रहियों का चुनाव करना चाहता हूँ।

वे ही लोग चुने जाएँगे जो मेरे द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे एवं स्वयं सत्याग्रह करने को तैयार हों तथा अन्य प्रकार से इसके लिए स्वतंत्र हों :—

कोई भी व्यक्ति अपने जिलाधिकारी को पहले सूचित किए बिना सत्याग्रह नहीं करेगा। वह कहाँ और किस रूप में सत्याग्रह करेगा इसकी सूचना जिलाधिकारियों को पहले दे देगा।

नगरों में इस काम के लिए सभा करना उपयुक्त नहीं होगा। किन्तु गाँवों में सभा की जा सकती है। सत्याग्रही किसी दशा में निम्नलिखित नारा लगाता हुआ गिरफ्तार होने तक बढ़ता जायगा। इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई खर्च नहीं है एवं यह प्रभावी है इस पर तर्क करने की आवश्यकता नहीं। यह एकमात्र युद्ध के प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट करता है। विचार यह है कि आन्दोलन सामूहिक सविनय अवज्ञा में परिणत नहीं हो जाय। नारा यह है "ब्रितानी युद्ध प्रयत्नों के लिए धन या जन की सहायता देना ठीक नहीं। एक मात्र उपयुक्त काम युद्ध का पूर्ण अहिंसक प्रतिरोध के द्वारा विरोध करना है।" नारा को सम्बद्ध प्रान्त की स्थानीय भाषा में अनूदित कर लेना चाहिए।

सत्याग्रह अकेले करना है। कई लोग एक साथ नहीं करेंगे। यह सम्पूर्ण कार्यक्रम यदि संभव हो तो एक महीने में पूरा हो जाना चाहिए। सत्याग्रह करते समय किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।"

बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह :

जिन दिनों काँग्रेस कार्यकारिणी के इस नये चरण के संबंध में निर्णय ले रही थी बिहार में काँग्रेसी नेता जनता में अपने दृष्टिकोण का प्रसार करने हेतु प्रान्त की यात्रा कर रहे थे। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की बैठक गया में ३-४ सितम्बर को हुई। इसमें एक सभा भी हुई। उसमें बाबू श्रीकृष्ण सिंह एवं प्रोफेसर अब्दुल बारी तथा कुछ अन्य लोगों ने भाषण किये। १२ सितम्बर को पटना के मैदान में एक अन्य सभा में अन्य लोगों के अतिरिक्त श्री सत्य नारायण सिंह ने भाषण किया। सितम्बर के उत्तरार्द्ध में दरभंगा में सभा हुई तथा श्री प्रजापति मिश्र ने दरभंगा और मधुवनी अनुमण्डलों की यात्रा की। प्रान्त भर में गाँधी जयन्ती मनाई गई। इस अवसर पर खादी की भी बिक्री हुई। डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया इन समारोहों के सिलसिले में प्रान्त की यात्रा पर आये और कई जगह भाषण किया।

व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार ने तत्क्षण भाग लिया। गाँधीजी ने राजेन्द्र बाबू को उनकी अस्वस्थता के कारण सत्याग्रह में भाग नहीं लेने को कहा था फिर भी राजेन्द्र बाबू अधिकतर सेवाग्राम में रह कर अपने महान नेता को व्यक्तिगत सत्याग्रह संचालन करने में सहायता कर रहे थे। डाक्टर सैयद महमूद ने भी अस्वस्थता के कारण आन्दोलन में भाग नहीं लिया। बिहार प्रांतीय काँग्रेस कमिटी की मुजफ्फरपुर में २ अक्टूबर १९४० की बैठक में कार्यकारिणी के निर्णय के फ़लस्वरूप जो भी स्थिति उत्पन्न हो उसके लिए तैयार रहने का निर्णय किया गया। प्रान्त के सभी भागों में स्वयंसेवकों की भर्त्ती एवं प्रशिक्षण की कार्रवाइयाँ चल रही थीं। मधेपुरा अनुमण्डल सत्याग्रह समिति द्वारा एक सत्याग्रह सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रान्त के अधिकांश स्वायत्त संस्थाओं में काँग्रेसी सदस्यों का बहुमत था। इन संस्थाओं ने भी वार्धा प्रस्तावों का अनुमोदन किया। हाजीपुर में इसी समय नगरपालिका का चुनाव हुआ था। उसमें भी काँग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। संथाल परगना में काँग्रेस की कार्रवाइयाँ बढ़ रही थीं। संथाल परगना जिला कांग्रेस कमिटी ने श्री विनोबा भावे की गिरफ्तारी एवं सजा पर उन्हें बधाई दी तथा उसके लिए सरकार की निन्दा की।

जवाहरलाल की गिरफ्तारी और ४ वर्ष करावास की सजा पर प्रांत भर में भारी क्षोभ फैल गया। अनेक जगहों पर उसके विरोध में हड़तालें हुईं और विरोध सभाएँ की गईं। २ नवम्बर को बाँकीपुर मैदान में एक विरोध सभा की अध्यक्षता श्री बदरीनाथ वर्मा ने की। इसमें श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी प्रभृति नेताओं ने भाषण किए। उसी दिन पटना सिटी में मंगल तालाब पर भी एक सभा हुई।

आरा में रंगबहादुर प्रसाद की अध्यक्षता में एक विरोध सभा की गई।

प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की एक आपात बैठक ११ नवम्बर १९४०[1] को पटना में हुई। इसमें सत्याग्रह के सम्बन्ध में विचार किया गया।

२८ नवम्बर १९४० को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। बाबू श्रीकृष्ण सिंह सबसे पहले सत्याग्रही थे। उन्हें जब गिरफ्तार करके जेल लिया जा रहा था तो सत्याग्रह आदेशों की उपेक्षा करके अनेक लोग पीछे-पीछे जेल के फाटक तक गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।[2] प्रदर्शनकारियों में अनेक छात्र थे। पुलिस ने उन्हें लाठी चलाकर तितर-बितर किया।[3] राजेन्द्र बाबू ने एक वक्तव्य में प्रदर्शन की निन्दा की तथा भविष्य में निदेश के लिए कुछ आदेश दिए। दूसरे सत्याग्रही श्री अनुग्रह नारायण सिंह होनेवाले थे, किन्तु राजेन्द्र बाबू ने उन्हें जबतक जनता के सही आचरण करने तथा निर्धारित आदेशों का अनुपालन करने का आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक के लिए स्थगित रखने को कहा।

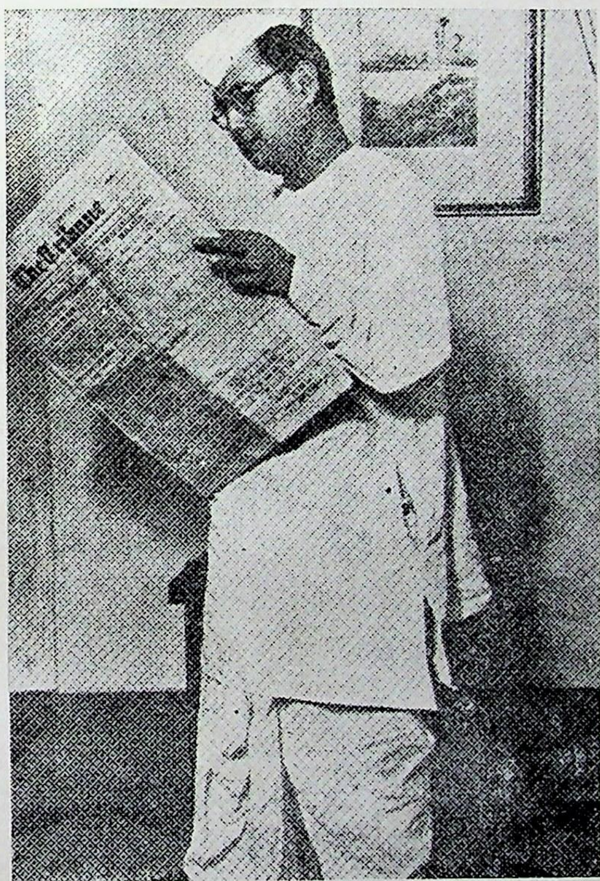
इसका आशातीत प्रभाव हुआ। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करने के आश्वासन आने लगे जिससे सत्याग्रह आदेशों का उल्लंघन हो। दो दिनों के बाद सत्याग्रह फिर शुरू कर दिया गया। अनुग्रह बाबू को पटना सिटी में भाषण करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।

---

१. बिहार की घटनाओं की रिपोर्ट, (नवम्बर १९४० के पूर्वार्द्ध)।

२. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एण्ड बिहार, पृष्ठ ११४।

३. बिहार की घटनाओं की रिपोर्ट, नवम्बर उत्तरार्द्ध।



श्री सुभाषचन्द्र बोस

बिहार सरकार की नीति :

राष्ट्रीय आन्दोलन के पूर्ववर्ती चरणों की तरह बिहार सरकार पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर रही थी और अगस्त, १९४० से आयोजित व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन को सुदृढ़ता के साथ कुचल देने की नीति निर्धारित कर चुकी थी। स्थिति के अनुरूप दमन के विभिन्न चरण कार्यान्वित करने की योजना बना चुकी थी। अगस्त और सितम्बर में सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि ऐसे किसी आन्दोलन को शुरू में ही समाप्त कर देने एवं उसे फैलने नहीं देने या जोर नहीं पकड़ने देने के हेतु तत्काल सर्वतोमुखी कार्रवाई करना उनकी आम नीति होनी चाहिए। इस आशय के आदेश दे दिए गए थे। सरकार घटनाक्रम को देख कर यह समझ रही थी कि इस तरह का कोई आन्दोलन कांग्रेस शुरू करेगी। फलतः सरकारी कार्रवाई मुख्यतः कांग्रेस तथा कांग्रेस समाजवादी दल के विरुद्ध अभिमुख होगी क्योंकि वह भी कांग्रेस का एक अंग था। किसान-सभा और अग्रगामी दल जैसी संस्थाएँ उसमें सम्मिलित होंगी और उनपर भी उपयुक्त कार्रवाइयाँ की जायँगी। सत्याग्रह शुरू करने के पूर्व यदि तैयारी का चरण दिखाई पड़े तो सरकारी अधिकारियों को आपत्तिजनक काम करनेवाले लोगों के विरुद्ध भारत-रक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत अविलम्ब कार्रवाइयाँ करनी थीं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करना बांछनीय नहीं थी किन्तु नेताओं या आयोजकों के विरुद्ध कार्रवाई करनी थी। यदि बिना किसी तैयारी के ही आन्दोलन शुरू कर दिया गया तो एमरजेन्सी पावर अध्यादेश[1] लागू करना था। दोनों ही स्थिति में एक समान कार्रवाई करनी थी :

१. प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी एवं नजरबन्दी,
२. संस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित करना। उनके भवनों आदि की जब्ती करने की अधिसूचना जारी करना एवं उनके अनुसार कार्रवाई। किसी नये भवन का या स्थान का उपयोग किए जाने की सूचना सरकार को अविलंब देना जिसमें उन्हें जब्त करने की नोटिस दी जा सके।
३. गैर-कानूनी संस्थाओं के अधिकोषों की जब्ती।

---

१. परिशिष्ट—२६।

४. आन्दोलन के समर्थन में आयोजित सभाओं को गैर-कानूनी घोषित करने एवं उन पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाना।

५. आन्दोलन के समर्थन में समितियों आदि की सभा की जहाँ भी जानकारी मिले उन्हें रोक देना एवं भाग लेने वालों को गिरफ्तार करना तथा उन पर मुकदमा चलाना।

६. कवायद एवं वर्दी सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से पालन करना।

७. भारत-रक्षा-कानून की धारा ५९ एमरजेंसी पावर्स ऐक्ट के अन्तर्गत कांग्रेस के झण्डा आदि पर प्रतिबन्ध लगाना।

८. आन्दोलन सम्बन्धी समाचार-पत्रों के प्रशासन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो सकता है। उसके लिए अलग से आदेश दिए जायँगे।

आदेश १, २ और ३ पर अतिशीघ्र कार्रवाई करना जरूरी है। करबन्दी या मालगुजारी नहीं देने, विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों की दूकानों पर धरना दिए जाने की संभावनाएँ हैं। धरना के सन्दर्भ में क्रिमिनल लॉ संशोधन कानून की धारा–७ के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी। करबन्दी या मालगुजारी नहीं देने के अभियान के विरुद्ध अलग से आदेश दिए जायँगे। स्थानीय स्वायत्त संस्थानों की हानिकारक कार्रवाइयों से निबटने के लिए विशेष आदेश भी दिए जायँगे।

बिहार सरकार को अक्टूबर मध्य में सूचना मिली कि प्रस्तावित अन्दोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह था तो उसने सोचा कि कांग्रेस के विरुद्ध समग्र रूप से कुछ करने का अवसर अभी नहीं आया था अतः तत्काल के लिए निम्नलिखित नीति[1] निर्धारित की गई :

संप्रति पहले जारी किए गए आदेशों के अनुसार सभी राजनैतिक गतिविधि पर नजर रखी जायगी। कांग्रेस तथा वामपंथियों की सभाओं में पुलिस रहेगी एवं यथासंभव रिपोर्ट देगी। किसी भी तरह की तोड़-फोड़ या युद्ध - विरोधी प्रचार पर उपयुक्त कार्रवाई की जायगी। आपत्तिजनक भाषण या प्रचार पर जहाँ पर्याप्त साध्य हो भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत

१. मुख्य सचिव का सभी आयुक्तों के नाम १८ अक्टूबर १९४० का पत्र।

मुकदमा चलाया जायगा। यदि लगातार प्रचार किया जा रहा हो तो उसके विरुद्ध सरकार को भारत-रक्षा-कानून की धारा—२६ के अन्तर्गत कार्रवाई करने के हेतु सूचना दी जायगी।

आपत्तिजनक कार्रवाइयों के लिए गाँधीजी को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पूर्व सरकार को सूचित करना अब से जरूरी नहीं होगा। अन्य किसी भी व्यक्ति को कानून का अतिक्रमण करने पर तुरत गिरफ्तार किया जा सकता है।

तत्काल सभाओं पर रोक नहीं लगाई जा रही है किन्तु जहाँ कहीं कांग्रेस सत्याग्रह अभियान में युद्ध विरोधी सभा किए जाने की पहले से ही घोषणा निश्चित रूप से की गई हो तो उस पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए और उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए भारत-रक्षा-कानून के अधिनियम ५६ के अन्तर्गत जिलाधिकारियों को अधिकार दिया जा रहा है। अधिनियम—५६ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का युद्ध-विरोधी सभाओं के अतिरिक्त अन्य किसी संदर्भ में आगे आदेश पाने तक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।'' अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में भारत सरकार ने बिहार सरकार को यह सूचित किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह के विरुद्ध कार्रवाई करने के सिलसिले में अभी सत्याग्रहियों पर सामान्य कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं किया जा रहा है। प्रान्तों से प्राप्त पाक्षिक रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि युद्ध विरोधी भाषणों के लिए भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत अनेक मुकदमे चलाये जा रहे हैं। यदि गाँधीजी द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को कितना भी संयमित रूप से वे भाषण करें भारत-रक्षा-कानूनों का अतिक्रमण करने को छोड़ दिया जाय तो उन्हें कार्यान्वित रखना स्पष्टतः असंभव हो जायगा। रोजाना के मुकदमों एवं हल्की सजाओं से गाँधीजी के उद्देश्य सिद्ध नहीं होंगे (शहादत का वातावरण पैदा करना)। इसमें संदेह नहीं कि श्री गाँधी सरकार की ओर से ऐसी कार्रवाइयों की आशा कर रहे थे जिससे उत्तेजना बढ़े यथा सभाओं को भंग करना एवं सरह जमीन पर ही गिरफ्तारी करना। वर्त्तमान के समान धीरे-धीरे विकसित होनेवाली परिस्थिति के संदर्भ में हमारा उद्देश्य युद्ध विरोधी प्रचार को रोकना होना चाहिए किन्तु उस पर आवश्यकता से अधिक बल देने की जरूरत नहीं। तत्काल के लिए समग्र रूप से कांग्रेस

या उसके नेताओं के विरुद्ध अधिक कठोर कार्रवाई करने का समय नहीं आया है। किन्तु वह अवसर किसी भी क्षण उत्पन्न हो सकता है। खास कर के यदि नेहरू को गिरफ्तार किया जाता है। संक्षेप में भारत के पहले आन्दोलनों के अनुभव से हमारी यह धारणा पक्की हो चुकी है कि स्थिति के अनुरूप तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है। आरम्भ में निष्क्रियता हमेशे सांघातक हुई है। हमें कार्रवाई करने का बड़ा ही अच्छा अवसर है और अगर भारत को कठिनाई से बचना है तो उसके लिए यही समय है।''

बिहार सरकार चुप नहीं बैठी रही। सत्याग्रह करने वालों को तत्काल गिरफ्तार करती रही। अनेक विधायक एवं प्रमुख कांग्रेसी जेल गए। उदाहरणार्थ गया में श्री गौरी शंकर सिंह (४ दिसम्बर), श्याम नारायण सिंह (६ दिसम्बर, सिलाव) ने सत्याग्रह किया। भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत उन्हें एक-एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा मिली। अन्य सत्याग्रहियों में कुछ के नाम ये हैं :–सर्वश्री शारंगधर सिंह, एम० एल० सी०, पुण्यदेव शर्मा, एम० एल० सी०, जगत नारायण लाल, एम० एल० ए०, रामायण प्रसाद, एम० एल० ए०, कुमार कालिका प्रसाद सिंह, मजहर फरीदपुरी आदि। ३ मार्च १६४१ को अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी द्वारा प्रकाशित एक सूची के अनुसार उस समय तक बिहार में ६०७ सत्याग्रही गिरफ्तार किए जा चुके थे और ३३,६६६ सत्याग्रहियों पर जुर्माने लगाये गये थे। अनेक दूसरे लोगों ने भी सत्याग्रह किया किन्तु वे गिरफ्तार नहीं हुए।[1]

काँग्रेस अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम आजाद दिसम्बर १६४० को पटना आये। ८ दिसम्बर को प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की एक बैठक में उन्होंने प्रान्तीय और अन्य काँग्रेस कमिटियों के सदस्यों में से और अधिक सत्याग्रही भर्त्ती करने की आवश्यकता पर बल दिया। उसी दिन पटना की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि यदि गाँधीजी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो उनके स्थान पर कोई संचालक नियुक्त नहीं किया जायगा; तब हर कांग्रेसी पर अपनी अन्तरात्मा के निदेश के अनुसार काम करने की जिम्मेवारी आ जायगी। बिहार की अनेक स्वायत्त शासन

1. इंडियन नेशनल काँग्रेस के मुख्य सचिव की रिपोर्ट मार्च १९४०—अक्टूबर १९४०, पृष्ठ २०।

संस्थाओं ने सत्याग्रहियों की प्रशंसा एवं सरकारी नीति की भर्त्तसना के प्रस्ताव स्वीकृत किए तथा सरकार की कार्रवाइयों के विरोध के रूप में अपनी बैठक स्थगित कर दी। जेल में बंदियों को अपने सम्बन्धियों से गुप्तचर विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में भेंट करने की व्यवस्था थी। कई प्रमुख नेताओं ने इसके विरोध में अपने सम्बन्धियों से भेंट करने से इनकार कर दिया। इस पर अखबारों में आन्दोलन हुआ और सत्याग्रहियों के संदर्भ में इस व्यवस्था को अनावश्यक कह कर उसे सुलझाने की माँग की गई।

गाँधीजी ने क्रिस्मस सप्ताह में सत्याग्रह स्थगित रखा। ३० दिसम्बर १६४० को कांग्रेस अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम आजाद इलाहाबाद में गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें डेढ़ वर्ष कारावास की सजा मिली। उस अवसर पर गाँधीजी ने आन्दोलन के गुणात्मक पक्ष पर बल डालते हुए वक्तव्य प्रकाशित किया।

कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तार के विरोध में बिहार के विभिन्न स्थानों पर हड़तालें हुईं। गया के व्हिटी पार्क में ५ जनवरी १६४१ को एक विरोध सभा हुई। कई अन्य स्थानों पर भी विरोध सभाएँ आयोजित हुईं।

उसी दिन सत्याग्रह का दूसरा चरण आरंभ हुआ। स्थानीय कांग्रेस कमिटियों ने सत्याग्रहियों की सूची तैयार करके गाँधीजी के पास भेज दी और उनमें से गाँधीजी जिन्हें चुनते वे उनके आदेशानुशार सत्याग्रह करते। इस सिलसिले में उन्होंने कहा "एक बार सत्याग्रह यात्रा पर निकल पड़ने के बाद युद्ध विरोधी नारा लगाते हुए सत्याग्रही आगे बढ़ता जायगा। रास्ते में वह युद्ध विरोधी सभाएँ करेगा और रचनात्मक प्रचार करता जायगा।" बिहार में अनेक लोगों ने सत्याग्रह किया। गया में कुछ महिलाएँ भी सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुईं। इनमें से कुछ के नाम ये हैं:– श्रीमती प्रियंवदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी आदि। इनमें से प्रत्येक को ४-४ महीने की सादी कैद की सजा दी गई। मार्च १६४२ में एक महिला शान्ति देवी को एक दिन की सादी कैद की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त २०० रुपया जुर्माना किया गया।

संथाल परगना जिला में फरवरी के मध्य तक निम्नलिखित व्यक्तियों को विभिन्न अवधि के लिए कारावास की सजा दी गई :– गोड्डा अनुमण्डल-

उलफत हुसैन और मैसा पहाड़िया, देवघर अनुमण्डल—भगवान दत्त, राजहंस, अयोध्या प्रसाद मिश्र, बिगू राय, श्रीकृष्ण प्रसाद, हरि प्रसाद जायसवाल, जानकी प्रसाद सिंह, नरसिंह प्रसाद राय और चण्डी प्रसाद राय। दूसरी मार्च १९४१ तक दस और व्यक्ति राजनैतिक आरोपों पर गिरफ्तार करके कारावास भेज दिए गए। देवघर अनुमण्डल में काशी प्रासाद सिंह, लालजी मल्लिक, यादव चन्द मिश्र और गिरजानन्द सिंह। पाकुर अनुमण्डल में कृपानाथ पाण्डे और गण्डी लाल पहाड़िया। गोड्डा अनुमण्डल—भीम किस्कू, रूप नाथ महतो, नीलकंठ ठाकुर और देव चन्द नुनिया।

२२ फरवरी १९४१ को दुमका में एक सभा में घोषणा की गई कि मोती लाल केजरीवाल की पत्नी सत्याग्रह करेंगी। श्री केजरीवाल उन दिनों संथाल परगना जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष तथा जिला बोर्ड के वायस-चेयरमैन थे। २६ फरवरी को श्रीमती केजरीवाल ने उपायुक्त के बँगले पर जाकर निम्नलिखित सूचना दी।

बन्दे मातरम् :

यह लड़ाई हिन्दुस्तान की लड़ाई नहीं है इसलिये अँग्रेजों को धन से, जन से, किसी तरह से भी मदद देना पाप है। हम लोगों को सत्याग्रह के जरिये सशस्त्र लड़ाई का विरोध करना चाहिये।

निवेदिका,

महादेवी केजरीवाल

श्रीमती केजरीवाल ने गिरपतारी के लिए अपने को प्रस्तुत किया किन्तु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। केवल उनकी गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया।

स्वतंत्रता दिवस (२६ जनवरी) को किसी ने सत्याग्रह नहीं किया। विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में गाँधीजी के आदेश इस प्रकार थे : "व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जा चुका है और देश भर में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन जेलों में बन्द हैं अतः प्रत्येक

भारतीय का यह विशेष कर्त्तव्य हो जाता है कि वह रचनात्मक कार्यक्रम में दूने उत्साह के साथ लग पड़े। बिना उसे पूरा किए हुए कोई भी सामूहिक या व्यक्तिगत सत्याग्रह हमें स्वतंत्रता हासिल करने और उसे सुरक्षित रखने में सहायता नहीं देगा।" राष्ट्रीय सप्ताह में आत्म शुद्धि के लिए ६ और १३ अप्रील को उपवास, सदस्य संख्या में वृद्धि करने, स्वदेशी और खादी का प्रचार, एकता तथा छुआछूत निवारण आदि रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया।

सत्याग्रह पूरे उत्साह के साथ चलता रहा। मुंगेर तथा बिहार के अन्य भागों से कुछ सत्याग्रही दिल्ली या युक्त प्रांत के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। बिहार सरकार ने प्रांत के सीमान्त पर उन्हें गिरफ्तार कर लेने के लिए आदेश दिए।

बिहार में इन दिनों रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। अखिल भारतीय चर्खा संघ के तत्वावधान में २४ अप्रील १९४१ को पटना के साहित्य सम्मेलन भवन में एक सभा हुई। राजेन्द्र बाबू ने इस सभा की अध्यक्षता की और खादी प्रचार पर बल दिया। हरिजन सेवा का काम भी चल रहा था। शाहाबाद जिला पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का पाँचवाँ अधिवेशन ८ नवम्बर १९४१ को आरा में पृथ्वी सिंह आजाद की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने किया। वर्ष के अन्त में अखिल भारतीय हरिजन संघ के सचिव, श्री ए० बी० ठक्कर ने बिहार के कुछ जिलों की यात्रा की। श्री ठक्कर को आदिवासियों के मध्य सेवा कार्य में लगे संगठनों के काम को समायोजन करना था।[1]

साम्प्रदायिक दंगे :

दुर्भाग्यवश प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ साम्प्रदायिकतावाद के प्रभाव में आकर क्रियाशील हो गई थीं। बिहार में देश के अन्य भागों की तरह मुस्लिम लीगी पाकिस्तान-योजना के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया में हिन्दुओं में भी उत्तेजना फैली और कई स्थानों पर हिन्दू

---

१. दिसम्बर पूर्वार्द्ध में बिहार की गतिविधि, १९४१।

महासभा के समर्थन से उनके संगठन हुए। दोनों सम्प्रदायों के संबंध तनावपूर्ण हो रहे थे। पटना का जिलाधिकारी मुसलमान था। बिहारशरीफ में जहाँ मुस्लिम लीग की कार्रवाइयों का केन्द्र था, स्थिति बहुत तनावपूर्ण देखकर उसने दोनों सम्प्रदायों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में श्री राजेन्द्र प्रसाद को भाषण करने को आमंत्रित किया गया था। साम्प्रदायिक स्थिति पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुईं और यह आशा की जाती थी कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उसके बाद राजेन्द्र बाबू वार्धा चले गए।

किन्तु १६४१ के मध्य में बिहारशरीफ में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस (२३ मार्च १६४१) और हिन्दू महासभा द्वारा २७ अप्रील को पाकिस्तान-विरोध दिवस मनाने के निर्णय के फलस्वरूप साम्प्रदायिक दंगा शुरू हो गया। स्थिति को गंभीर होते देखकर विहार प्रांतीय काँग्रेस के सचिव, श्री मथुरा प्रसाद और शाह मुहम्मद ओजैर ने दंगा-पीड़ित क्षेत्रों में जाकर लोगों पर नियंत्रण करने एवं दंगा को शांत करने के प्रयत्न किए। प्रान्तीय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी वहां गया और स्थानीय मुस्लिम लीग के माध्यम से राहत कार्यों का संगठन किया। प्रशासन दंगा समाप्त करने में सक्रिय था। अनेक लोग दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। शांति समितियाँ दंगेवाले क्षेत्र में स्थापित की गईं। अन्य निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी की गईं। इण्डियन प्रेस एमरजेंसी पावर्स ऐक्ट के अन्तर्गत पटना से प्रकाशित "मुस्लिम लीग" का १४ मई, १६४१ का अंक जब्त कर लिया गया। पत्र से "आपत्तिजनक लेख" छापने के अभियोग में मुचालिका माँगी गई। मुचालिका नहीं देने के कारण अखबार ने अपना प्रकाशन बन्द कर दिया।

डॉक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा का ३ मई को इस आशय का तार पाकर कि विहार में खतरनाक स्थिति पैदा हो रही थी डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद यहाँ लौट आये। ७ मई को गाँधीजी ने बिहार के दंगों के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :—

"दंगों का विवरण पढ़ कर बहुत दुःख होता है। इस संबंध में विभिन्न वक्तव्य भी मैंने देखें हैं। राजेन्द्र बाबू वहाँ शान्ति और सुबुद्धि पुनस्थापित

करने के हेतु जा चुके हैं। वहाँ से उनका पहला तार मुझे इस प्रकार का मिला है "स्थिति सुधर रही है। लोग आतंकित हैं और वातावरण में अनिश्चितता है। मथुरा बाबू, शाह साहेब दंगाग्रस्त क्षेत्रों में घूम रहे हैं। मैं स्वयंसेवकों के साथ जा रहा हूँ।" मुझे विश्वास है कि वे अच्छा काम करेंगे। यदि अब तक शांति नहीं स्थापित हुई हो तो पुलिस और सेना द्वारा शांति किसी-न-किसी तरह स्थापित होगी ही। प्रत्येक काँग्रेसजन, प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि दंगा के कारणों का पता लगायें। राजेन्द्र बाबू विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे। जब तक यह नहीं होता स्थिति शांत होने की कोई संभावना नहीं। मैं देख रहा हूँ कि दंगा पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाये जाने पर रोष से शुरू हुआ। पाकिस्तान दिवस और पाकिस्तान विरोधी दिवस जैसे आयोजन होते रहेंगे। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय चेतना बढ़ती तथा महत्वाकांक्षाएँ ऊँची होती हैं ऐसे आयोजनों की संख्या बढ़ेगी किन्तु इनके बावजूद क्या हम सभ्य लोगों की तरह आचरण नहीं कर सकते ? हम इतना असहिष्णु क्यों हो जायँ कि एक दूसरे के दृष्टिबिन्दु का सहन नहीं करें और जब हम अपनी असहिष्णुता की अभिव्यक्ति इस प्रकार क्यों करें जिससे प्रतीत हो कि हम बर्बर हो गए हैं ?" गाँधीजी ने यह सलाह दी कि मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और अन्य पार्टियों की सहायता से काँग्रेस शांति बनाए रखने के हेतु स्वेच्छा से भार वहन करे और यदि संयुक्त प्रयत्न विफल हो तो स्वयं उसके लिए प्रयत्न करती रहे। आगे उन्होंने कहा कि "अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। राजेन्द्र बाबू का अपने प्रांत में अद्वितीय प्रभाव है। उन्होंने भूकम्प के दिनों में प्रान्त की अद्‌भुत सेवा की थी। सम्पूर्ण भारत ने उस समय उन पर पूर्ण भरोसा किया था। वे बिहार में शान्ति के दूत बनें और बिहार के माध्यम से देश में शान्ति का संदेश दें।"

बिहार में साम्प्रदायिक सद्‌भाव स्थापित करने के प्रयत्न :

बिहार लौटने पर राजेन्द्र बाबू ने प्रोफेसर बारी के नेतृत्व में कांग्रेस शान्ति दलों का संगठन किया। उपद्रवग्रस्त इलाकों के स्वयंसेवकों को लेकर

यात्रा की और स्थिति पर काबू किया। प्रोफेसर बारी पूरे उत्साह के साथ साम्प्रदायिक विद्वेष दूर करने के लिए अथक प्रयत्न कर रहे थे। महंथ भगवान दास, श्री मदन मोहन प्रसाद और प्रोफेसर बारी हैलेट टाउन हॉल में शान्ति दल आन्दोलन आरम्भ करते समय एक सभा में साम्प्रदायिक शान्ति की आवश्यकता पर बल दिया (१२ जून १९४१)। प्रोफेसर बारी ३ जुलाई को बेगूसराय की एक सभा में भाषण किया और उसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए शान्ति दलों का संगठन करने की आवश्यकता बतलाई। श्री बारी को शीघ्र ही बिहार शान्ति दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और प्रान्त के शान्ति आन्दोलन का संगठन एवं निदेशन करने का भार उन्हें दिया गया। जिला और अनुमण्डलीय शान्ति दलों की स्थापना कुछ स्थानों में हुई। गया में एक शान्ति दल शिविर खोला गया।

सत्याग्रह का तीसरा चरण :

सत्याग्रह का तीसरा चरण अप्रील मध्य से शुरू हुआ। बिहार में सत्याग्रह की प्रगति का पुनरीक्षण करने तथा उसकी गति को तेज करने के हेतु कौन से काम किए जाएँ, इसपर विचार करने के लिए बिहार प्रान्तीय कांग्रेस की एक बैठक १७ अप्रील को हुई। इसमें जिला सत्याग्रह अधिकारी नियुक्त किए गए। बड़ी संख्या में कांग्रेस स्वयंसेवकों ने सत्याग्रही के रूप में अपना नामांकन कराया। आन्दोलन गलत रास्ते में नहीं चला जाय इसके लिए कांग्रेस सचिव, श्री जे० बी० कृपलानी ने १७ जून को एक वक्तव्य प्रकाशित किया। वक्तव्य में सत्याग्रही को क्या करना था, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश दिए गए थे :

"१. जेल से छूटने पर सत्याग्रही को यथासंभव सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। यदि किसी कारणवश वह इसमें असमर्थ हो तो गाँधीजी से इसके लिए अनुमति ले लेनी चाहिए।

२. ज्योंही किसी व्यक्ति का नाम सत्याग्रहियों की सूची में गाँधीजी के पास अनुमति के लिए अग्रसारित कर दिया जाय त्योंही उसे अपना निजी कारवार छोड़कर १३ सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम के एक या अधिक काम में पूरी तरह संलग्न हो जाना चाहिए।

३. हर भावी सत्याग्रही से आशा की जाती है कि वह अपने रोज के काम की एक डायरी रखेगा और डायरी को हर पन्द्रह दिन पर प्रान्तीय कांग्रेस के पास भेज दिया जायगा। सत्याग्रह करने की अनुमति उन्हीं कार्यकर्त्ताओं को दी जायगी जो अपने रोज के कार्य से इसकी योग्यता प्रमाणित करेंगे।

४. सत्याग्रहियों की प्रस्तावित सूची की अधिक छानबीन करके स्वीकृति इसलिए दी जा रही है क्योंकि भविष्य में संघर्ष अधिकाधिक कठोर होनेवाला है। यदि कोई सत्याग्रही, जिसने पहले आधार पर नाम दर्ज कराया हो और नई शर्त्तें पूरी करने में अपने को असमर्थ समझता है तो उसे अपना नाम हटा लेने की स्वतन्त्रता है। इस तरह नाम हटाने में किसी तरह का अपमान नहीं होगा। वह देश की किसी भी अन्य तरीके से सेवा कर सकता है। पहले ही की तरह वह कांग्रेसी बना रहेगा।

५. नामांकित सत्याग्रही स्थानीय संस्थाओं के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। सत्याग्रही के रूप में वह दो जगह नहीं रह सकता है।

६. यदि किसी स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था के सदस्य ने सत्याग्रह किया हो और वह रिहा कर दिया गया हो तो उस संस्था की बैठक में बिना महात्मा गाँधी की अनुमति के भाग नहीं लेना होगा।

७. जिन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और वे अपने इलाके में यात्रा पर हों तथा जिनके नाम स्वीकृत किए गए हों उन्हें स्थानीय संस्थाओं की बैठक में शामिल नहीं होना है।

८. बरसात के दिनों में यदि आवश्यक हो तो सत्याग्रही किसी गाँव या किन्हीं गाँवों में रहेगा और सत्याग्रह तथा रचनात्मक कार्यक्रम करता रहेगा। लेकिन उस गाँव में उसका घर नहीं होना चाहिए।

९. जो सत्याग्रही गिरफ्तार नहीं किए गए हैं और अपने इलाके में यात्रा कर रहे हैं अथवा दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें प्रान्तीय कार्यालय को अपनी कार्रवाइयों की पाक्षिक रिपोर्ट भेजते रहना चाहिए। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियाँ उनके काम की एक समायोजित पाक्षिक या मासिक रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी को भेजेंगी।

१०. कुछ सत्याग्रहियों की असंयत भाषा की शिकायतें मिली हैं। सत्याग्रहियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि क्रोध एवं गाली देना सत्याग्रह की प्रकृति के विरुद्ध है अतः उससे बचना चाहिए।"[1]

सत्याग्रहियों को स्थानीय संस्थाओं की तत्कालीन राजनीति से मुक्त रखने के लिए बिहार कांग्रेस ने राजेन्द्र बाबू के निदेश पर यह निर्णय किया कि सभी कांग्रेसी जिला अभिषदों एवं नगरपालिकाओं से इस्तीफा दे दें। दुर्भाग्यवश इन संस्थाओं की राजनीति का स्तर बहुत ऊँचा नहीं था।[2] प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की १२ अगस्त और २ सितम्बर (१९४१) की बैठकों में इसकी सम्पुष्टि की गई। गया जिलान्तर्गत नवादा में १८ अगस्त को राजनैतिक सम्मेलन हुआ। इसमें आचार्य कृपलानी ने अन्य लोगों के अतिरिक्त भाषण किया। एक इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि संथाल परगना जिला अभिषद् को छोड़कर ३० सितम्बर को सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं से कांग्रेसजन त्यागपत्र दे दें। अधिकतर कांग्रेसी सदस्यों ने इस आदेश का अनुपालन किया। अनुपालन नहीं करनेवाले सदस्यों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया।[3]

बिहार में काँग्रेसी नेताओं की रिहाई :

श्री श्रीकृष्ण सिंह अपनी कारावास - अवधि पूरा करके २६ अगस्त १९४१ को रिहा हुए। श्री अनुग्रह नारायण सिंह भी उसी समय रिहा हुए। गया के एक प्रमुख काँग्रेसी शाह मुहम्मद इमाम भी रिहा हुआ। नेताओं की रिहाई से काँग्रेस की गतिविधि को बल मिला। ये नेता विभिन्न जिलों में यात्रा करते, सभाओं में भाषण देते, गाँधी जयन्ती समारोहों के अवसर पर विशेष रूप से ये सक्रिय थे। अनुग्रह बाबू ने ३ सितम्बर को पटना और ५ सितम्बर को गया की सभा में भाषण किया। श्री श्रीकृष्ण सिंह ने मुजफ्फरपुर, भागलपुर और मुंगेर में भाषण किए। मुंगेर नगरपालिका की ओर

---

१. तेन्दुलकर में संकलित, खण्ड–६, पृ० १३।

२. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृ० ५६५।

३. वही,

से श्री सिंह को नागरिक अभिनन्दन प्रस्तुत किया गया। अन्य बातों के अतिरिक्त उन्होंने अहिंसा एवं तत्कालीन सत्याग्रह आन्दोलन पर प्रकाश डाला। १० सितम्बर को छपरा की एक सभा में सत्याग्रह पर दोनों ने भाषण किया। २३ सितम्बर को अन्य नेताओं के अतिरिक्त श्री जगजीवन राम तथा जगत नारायण लाल ने आरा में एक सार्वजनिक सभा में काँग्रेस की नीतियों की व्याख्या की। उसी समय गया में वार्धा के दादा धर्माधिकारी ने अहिंसा के महत्व पर भाषण किया। श्री धर्माधिकारी ने स्थानीय राजेन्द्र आश्रम तथा कन्या हाई स्कूल में भी भाषण किए एवं रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया। अक्टूबर के आरम्भ में सत्याग्रही विभिन्न जिलों से रिहा होकर दूसरी बार गिरफ्तारी के लिए प्रवृत्त हुए। पटना जिला में पुण्यदेव शर्मा को पालीगंज में ४ अक्टूबर को एक युद्ध-विरोधी भाषण देने के हेतु डेढ़ वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई और भी कई लोग फिर से गिरफ्तार हुए।[1]

पूर्णिया जिला राजनैतिक सम्मेलन :

पूर्णिया जिला राजनैतिक सम्मेलन अक्टूबर के अन्त में (१९४१) हुआ। इसमें कई भूतपूर्व मंत्रियों ने भाग लिया। सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ६ नवम्बर को पटना आयीं। कई जगहों पर उन्होंने भाषण किए और अनेक लोगों से मिलीं। श्रीमती पंडित ने ८ नवम्बर को पटना जिला राजनैतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। उनके भाषणों में सत्याग्रह की आवश्यकता और रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष रूप से बल दिया जाता था। श्रीमती पंडित ने देवली के भूख हड़तालियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की एक बैठक में प्रान्त भर में इस संगठन को फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रान्त भर में ९ नवम्बर को देवली दिवस मनाया गया। इसमें काँग्रेस, काँग्रेस समाजवादी पार्टी, अग्रगामी दल और छात्र संघ ने सहयोग दिया। देवली दिवस के संदर्भ में बाँकीपुर की

---

१. एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर के अन्त तक लगभग ४५ से कम व्यक्ति नहीं गिरफ्तार किए जा चुके थे।

एक सभा में बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने भारतीय देशभक्तों को बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने की सरकारी नीति की कड़ी आलोचना की।

अन्य कांग्रेसी नेताओं की रिहाई :

दिसम्बर, १९४१ तक बिहार सरकार ने ऐसे सत्याग्रही बन्दियों की रिहाई के आदेश दे दिए "जिन पर औपचारिक तथा प्रतीकात्मक प्रकृति के अभियोग लगाए गए थे। ४ दिसम्बर से देश भर में सत्याग्रही बन्दियों की आम रिहाई शुरू हुई। जगलाल चौधरी और अनेक बिहारी सत्याग्रही बन्दी रिहा कर दिए गए। महीने के मध्य तक सरकार ने काँग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को भी रिहा कर दिया।

किन्तु इससे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति सरकारी नीति में कोई आमूल परिवर्त्तन नहीं हुआ। काँग्रेस कार्यकारिणी ने बारदोली (२९-३० दिसम्बर १९४१) की बैठक में राजनीतिक स्थिति पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किया। इसमें कहा गया था कि "काँग्रेस की सहानुभूति अनिवार्यतः जहाँ कहीं भी लोग आक्रमण के शिकार हुए हैं तथा अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके प्रति रही है।" किन्तु भारत स्वतंत्र होने पर ही राष्ट्रीय स्तर पर देश की सुरक्षा का दायित्व वहन करने की स्थिति में होगा और तभी वह युद्ध के तूफान से निःसृत होनेवाली बड़ी-बड़ी समस्याओं की ओर ध्यान दे सकेगा। अभी भारत में ब्रितानी सरकार के प्रति वैमनस्य एवं अविश्वास का वातावरण फैला हुआ है। कोई भविष्य के लिए वादा भी इस पृष्ठभूमि को नहीं बदल सकता। पराधीन भारत एक उद्धत समाजवाद की जो फासीवादी निरंकुशतावाद से अभिन्न प्रतीत होता है, अपनी इच्छा से सहायता देने को उद्धत नहीं हो सकता। फलतः इस समिति की राय है कि बम्बई में १६ सितम्बर १९४० को स्वीकृत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी का प्रस्ताव आज भी लागू है। काँग्रेस की नीति उसमें स्पष्ट की गयी है। एक अन्य प्रस्ताव में कार्यकारिणी ने "जनता को जो भी खतरा उपस्थित हो उसमें शांत तथा संयमित रहने" की सलाह देकर तथा रचनात्मक कार्यों को और भी सघन बनाकर "जनता के लिए आत्म-रक्षा एवम् स्वतः संपूर्णता" के कार्यक्रम की योजना बनायी। बम्बई प्रस्ताव

की व्याख्या पर कार्यकारिणी के बहुमत से मतभेद होने के कारण गाँधीजी ने काँग्रेस के नेतृत्व से अवकाश ग्रहण कर लिया। कुछ ही काल बाद उन्होंने "हरिजन" तथा दो अन्य साप्ताहिकों का प्रकाशन फिर शुरू किया। उनके शब्दों में इनमें "जनता की दैनन्दिनी समस्याओं पर बल दिया जायगा।"

व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित :

काँग्रेस ने आसाम, बंगाल, विशाखापटनम पर जापानी वायुसेना के सक्रिय होने के बाद भारत पर युद्ध के बढ़े हुए खतरे को देखकर १४ महीने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने के बाद उसे निलंबित कर दिया। तदुपरान्त इस पर विचार किया गया कि यदि उस संकटकाल में काँग्रेसी नेता जेल में बन्द रहेंगे तो जनता को सही मार्ग दर्शन नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसी को परेशानी में डालने के लिए नहीं बल्कि ब्रितानी सरकार के साम्राज्यवाद नीति के विरुद्ध नैतिक प्रतिरोध के रूप में शुरू किया गया था। इस दृष्टि से इसे कुछ अंशों में सफल राष्ट्रीय प्रयोग कह सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि यह आन्दोलन अनुशासन एवं मर्यादा के साथ चलाया गया था।

वामपंथियों, अतिवादी विचारवालों, समाजवादियों और अग्रगामी दल की गतिविधि :

देश के वामपंथियों में कांग्रेस की अपेक्षा कहीं अधिक अतिवादी विचार फैल रहे थे। इसमें कांग्रेस समाजवादी दल, अग्रगामी दल, किसान-सभा और साम्यवादी भी थे। इनकी नीतियाँ एवं तरीके भिन्न थे किन्तु सभी ब्रितानी सरकार तथा साम्राज्यवाद के एक समान कट्टर विरोधी थे। ये अविलम्ब आजादी की मांग करते थे और एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे जो सामन्ती, पूँजीवादी और साम्राज्यवादी शोषण से सर्वथा मुक्त हो। समाजवादी कांग्रेस के झण्डा के नीचे काम करते थे। दिल्ली में ६-७ जुलाई १९४० को बिहार प्रान्तीय समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री युसुफ मेहरअली ने कहा था "हमें अधिकाधिक कांग्रेसियों को अपने कार्यक्रम एवं नीति की ओर खींच लाना है। रामगढ़

प्रस्ताव हमारी कार्रवाइयों का निदेशन करेगा। हम कांग्रेस तथा उसके आजादी हासिल करने के लक्ष्य के प्रति आस्था रखते हैं। आजादी की लड़ाई में कोई भी बलिदान करने में हमें पीछे नहीं रहना है।" समाजवादियों की यह धारणा थी कि गतिरोध दूर करने तथा राष्ट्रव्यापी स्तर पर सविनय अवज्ञा शुरू करने में देर नहीं करना चाहिए। उनका यह भी विचार था कि जबतक सत्ता भारतीय जनता को नहीं सौंप दी जाती तब तक केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की बातों से कोई लाभ नहीं होनेवाला था। बिहार समाजवादी पार्टी की संघर्ष समिति की बैठक पटना मे २१ सितम्बर (१६४०) को हुई। इसमें श्रमिक आन्दोलनों के विरुद्ध सरकारी दमन नीति, नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण तथा कृषि-स्थिति की दुरवस्था और राजनैतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए सरकार की भर्त्सना की गई। जयप्रकाश नारायण को २८ नवम्बर १६४० को हजारीबाग जेल से छूटने पर पार्टी को पुनः उनका नेतृत्व प्राप्त हुआ। श्री नारायण दिसम्बर के आरम्भ में आचार्य नरेन्द्रदेव से मिले। तदुपरान्त वार्धा में गांधीजी तथा कलकत्ता में श्री सुभाष चन्द्र बोस से मिले। श्री नारायण ब्रितानी सरकार के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा गठित करना चाहते थे। कलकत्ता से लौटकर बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए वे गुजरात गये और वहाँ से बम्बई। वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और देउली नजरबन्दी शिविर में भेज दिया गया। बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने मई दिवस मनाने के लिए बाँकीपुर मैदान में पहली मई १६४१ को एक सभा आयोजित की। इसकी अध्यक्षता श्रमिक नेता शिवनाथ बनर्जी ने की एवं मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम त्रिकम दास थे। सभा में फासीवाद, नात्सीवाद और ब्रितानी साम्राज्यवाद की भर्त्सना की गई। मजदूर एवं किसानों की शिकायतों को दूर करने हेतु मालगुजारी माफ करना, मजदूरी, महँगी भत्ता आदि की वृद्धि और अशक्त एवं बेकार, अस्वस्थ श्रमिकों की सहायता पर बल दिया गया।

१७ अक्टूबर १६४१ को भारत सरकार ने समाचारपत्रों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें कुछ ऐसे कागजात की प्रतिलिपि छापी गई थी जिनके विषय में कहा गया था कि जयप्रकाश जी ने उन्हें जेल से छिपे-छिपे बाहर भेजने की कोशिश की थी। इनमें "कांग्रेस समाजवादी पार्टी में क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी और हिन्दुस्तान रिपब्लिकन समाजवादी संघ जैसे आतंक-

वादी संगठनों के प्रमुख सदस्यों को लाकर मजबूत करने की योजनाएँ थीं।" इस संदर्भ में गाँधीजी ने लिखा कि यदि सरकार का उद्देश्य उस संगठन को जिसका एक महत्त्वपूर्ण सदस्य जयप्रकाश नारायण हैं बदनाम करना हो तो वह सफल नहीं होगा। यदि जयप्रकाश नारायण पर लगाये गये आरोप सही हैं तो कांग्रेस की सत्य एवं अहिंसा की नीति के अनुकूल नहीं। किन्तु सरकार के लिए उसकी निन्दा करना या उसे बदनाम करना शोभा नहीं देता। स्पष्ट यह है कि सभी राष्ट्रीयतावादी पार्टी चाहे जिस भी नाम से उन्हें अभिहित किया जाय सरकार के साथ युद्ध की स्थिति में हैं। युद्ध के मान्य तरीकों के अनुसार जयप्रकाश जी का तरीका एकदम सही है। कांग्रेसजनों के लिए एक शर्त : यह मानते हुए कि जयप्रकाश बाबू चिर परिचित देशभक्त हैं हमें यह समझना चाहिए कि जब अहिंसात्मक संघर्ष चल रहा है तो यह तरीका एकदम नुकसान देह है। कोई भी गुप्त आन्दोलन लाखों-करोड़ों लोगों को सामूहिक कार्रवाई के लिए जन-आन्दोलन की कभी भी ओर प्रवृत्त नहीं कर सकता है।[१]

सरकार इन कागजात के आधार पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहती थी किन्तु कुछ लोगों को उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं हुआ। ३१ अक्टूबर को पटना में कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन में भाषण करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव, श्री पुरुषोत्तम त्रिकम दास ने उनकी प्रामाणिकता पर सन्देह प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कांग्रेस समाजवादी दल को बदनाम करना था। इस सम्मेलन में अन्य लोगों के अतिरिक्त शिवनाथ बनर्जी, वीरेन्द्र नाथ भट्टाचार्या और दिल्ली के फरीदुल हक अंसारी भी सम्मिलित हुए थे। विभिन्न समस्याओं पर अनेक तरह के प्रस्ताव सम्मेलन में स्वीकृत हुए। अध्यक्ष ने कहा—"हमने कांग्रेस के बम्बई प्रस्ताव का समर्थन किया था और यथाशक्ति उसे कार्यान्वित करने के प्रयत्न भी किये। इसमें लगभग ९० प्रतिशत सदस्य जेल में हैं। मुझसे यह पूछा जाता है कि क्या हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के कार्यक्रम का अभी भी समर्थन करते हैं? मेरा उत्तर यह है कि गाँधीजी चाहे कुछ भी कहें उससे हमें बिल्कुल ही सन्तोष नहीं है। हम चाहते हैं कि उसे आजादी के जनसंघर्ष में परिणत कर दिया जाय जिसमें प्रत्येक भारतीय अपना योगदान कर सके।"

१. तेन्दुलकर, खण्ड—६, पृ० १५।

अग्रगामी दल के सचिव, श्री अवध बिहारी राय ने बक्सर की एक सभा में भाषण करते हुए जनता से अपील की कि सरकार को उसके हर प्रयत्नों में सहायता नहीं दे। बिहार प्रान्त अग्रगामी दल की कार्यकारिणी की एक बैठक २० अक्टूबर को पटना में हुई। इसमें अखिल भारतीय अग्रगामी दल के सचिव, श्री मुकुन्द लाल सरकार ने काँग्रेस की विनम्र नीति की आलोचना की और हजारीबाग जेल ही में जयप्रकाश नारायण तथा स्वामी सहजानन्द से मिलने की मुझे एवं प्रान्तीय सचिव सरकार द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने पर क्षोभ प्रकट किया गया। अग्रगामी दल के सदस्य, श्री लम्बोदर मुखर्जी इन दिनों पाकुर में संथालियों के मध्य अपना सुधार कार्य के अतिरिक्त अग्रगामी दल की कार्रवाइयाँ चलाने के हेतु पाकुर आया था। श्री मुखर्जी की पत्नी श्रीमती उषारानी संथाल परगना जिला अग्रगामी दल की अध्यक्षा थी। २० नवम्बर १९४० को बड़ी संख्या में अग्रगामी दल की एक सभा में भाग लिया। इसमें सर्वानन्द मिश्र, लाल हेम्ब्रम एवं श्री पागम मराण्डी ने जवाहरलाल नेहरू और पटेल की गिरफ्तारी के लिए सरकार की निन्दा की। श्रीमती उषारानी को युद्ध विरोधी कार्रवाइयाँ करने के आरोप में ३० नवम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया और ६ महीने की सजा दी गई। पटना अग्रगामी दल के सचिव, श्री रामनन्दन भोजपुरी को ४ दिसम्बर को युद्ध विरोधी इश्तहार बाँटने के विरोध में गिरफ्तार किया गया।

१० अप्रील १९४१ को पटना सिटी के मंगल तालाव पर अग्रगामी दल ने एक सभा आयोजित की। इसकी अध्यक्षता दार्जिलिंग के स्वामी सच्चिदानन्द ने की। बन्नू के सरदार गणेश सिंह ने इस सभा में भाषण किया। श्री सुभाषचन्द्र बोस को अपने कलकत्ता आवास से अकस्मात् गायब हो जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई (जनवरी १९४१)। श्री बोस और स्वामी सहजानन्द के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया गया। भारतीय जनता के हाथों सत्ता सौंप देने की माँग की गई।

प्रान्तीय अग्रगामी दल का अध्यक्ष, श्री शीलभद्र याजी अग्रगामी दल समितियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रान्त की यात्रा कर रहा था। श्री याजी ने दुमका में २० सितम्बर को एक सभा में भाषण किया। उसमें उसके अतिरिक्त संथाल परगना जिला अग्रगामी दल के सचिव, लम्बोदर मुखर्जी

और सर्वानन्द मिश्र ने भी भाषण किये। ये लोग संथालियों और पहाड़िया लोगों को अधिकाधिक संख्या में अपने दल में लेने का प्रयास करते रहे। एक अन्य सभा पाकुर में १६ जनवरी १९४२ को हुई। इसमें स्थानीय कृषि समस्यायों पर दमनात्मक कानूनों की निन्दा के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त दमनात्मक कानूनों की निन्दा की गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में भर्त्ती होने पर बल दिया गया! इस बीच पटना के श्री वसंत कुमार घोष प्रान्तीय अग्रगामी दल से त्यागपत्र देकर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के हेतु अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा दल को एक निर्दलीय संगठन के रूप में गठित कर रहा था किन्तु उसे अधिक सफलता नहीं मिली। राष्ट्रीय सुरक्षा के बिहार प्रान्तीय नायक श्री रामचन्द्र शर्मा ने सभी जिला सचिवों के लिए सैनिक संगठन के अधिनियम प्रचारित किए। प्रत्येक जिला कमिटी को एक कैप्टन मनोनीत करना था। ११ स्वयंसेवकों का एक दस्ता होता। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत साप्ताहिक कवायद और माहवारी शिविर सम्मिलित थे। स्वयंसेवकों में वर्दीधारी और सादा कपड़ों में रहनेवाले ये दोनों वर्ग थे। उन्हें अपनी दोनों बाँहों पर लाल और तिरंगा बैज लगाना था।

बिहार प्रान्तीय अग्रगामी दल सम्मेलन छपरा में ३०-३१ अक्टूबर १९४१ को एच० वी० कामथ की अध्यक्षता में हुआ। श्री कामथ उन दिनों अखिल भारतीय अग्रगामी दल के संगठन सचिव थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री कामथ ने कहा कि भारत में ब्रितानी नीति पूर्णतः बेकार सिद्ध हो चुकी थी। ब्रितानी शासक-वर्ग पर अभी भी एक शताब्दी पुराने विचारों का प्रभाव-छाया हुआ है। श्री कामथ ने कहा "वे नहीं जानते कि आज उनके समक्ष पूर्ण जागृत भारत खड़ा था और वह आजादी हासिल करने तथा शान्ति एवं मानवता के मार्ग पर मानव का पथ-प्रदर्शन करने के हेतु कृत संकल्प था।" व्यक्तिगत सत्याग्रह के स्थान पर निकट भविष्य में जन-आन्दोलन शुरू करने पर उन्होंने बल दिया। श्री कामथ १ नवम्बर को पटना आये और यहाँ छात्रों की एक सभा की अध्यक्षता की। तदुपरान्त श्री शीलभद्र याजी के साथ बिहार की यात्रा भी की और अपने भाषणों में ब्रितानी साम्राज्यवाद की नीति की भर्त्सना की।

अग्रगामी दल की गतिविधि को रोकने के हेतु सरकार ने भारत रक्षा

कानूनों के अन्तर्गत मार्च १९४२ में श्री लम्बोदर मुखर्जी तथा श्री सर्वानन्द मिश्र पर क्रमशः मोतिहारी एवं आरा नगर से बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसी महीने में श्री साधन गुप्त को, जो गया और मुँगेर इलाकों की यात्रा कर रहे थे, भारत रक्षा कानूनों के अन्तर्गत नजरबन्द कर दिया। श्री बसन्त चन्द्र घोष इन दिनों अखिल भारतीय नौजवान संघ के समर्थकों की एक सभा का आयोजन कर रहा था। उसे भी नजरबन्द कर दिया गया।

किसान आन्दोलन :

स्वामी सहजानन्द के जेल चले जाने से किसान आन्दोलन को भारी क्षति हुई। फिर भी पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारन, चम्पारन, पूर्णिया, पलामू और संथालपरगना जिलों में उसका काम बहुत कुछ चल रहा था। १ सितम्बर १९४० को प्रान्त में कई स्थानों पर किसान दिवस मनाया गया। इसके लिए सभाएँ की गईं और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष, बाबा सोहन सिंह की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किया गया। बिहार किसान सभा के नेता की अनुपस्थिति में वामपंथी पार्टियों यथा अग्रगामी दल, कांग्रेस समाजवादी और साम्यवादी दल की विभिन्न शाखाएँ फिर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न कर रही थीं। स्वामी सहजानन्द के जेल जाने के समय यमुना कार्य्यी की अध्यक्षता में अग्रगामी दल का उस पर नियन्त्रण था। डुमरांव में ८-९ मार्च १९४१ को बिहार किसान सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर कांग्रेसी समाजवादियों ने किसान सभा संगठन पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली।

तदुपरान्त उन्होंने श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में एक पृथक संगठन कायम किया। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यमुना कार्य्यी के पीछे साम्यवादी पक्ष सक्रिय थे। दोनों ही किसान संगठनों की ओर से कार्यकर्त्ता प्रांत की यात्रा करते तथा विभिन्न स्थानों पर सभाएँ एवं सम्मेलन करते। इसी बीच रामवृक्ष बेनीपुरी की गिरफ्तारी से किसान सभा पर समाजवादियों का प्रभाव कम हो गया और दूसरे पक्ष के प्रभाव में वृद्धि हुई। जुलाई में बिहार प्रान्तीय किसान सभा ने राजनैतिक

बन्दियों की रिहाई पर बल देते हुए एक परिपत्र प्रचारित किया। इसमें कतिपय अध्यादेशों को रद्द करने, रूस की सहायता करने के इच्छुक व्यक्तियों पर से प्रतिबन्ध हटाने एवं भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की माँग पर भी बल दिया गया था। २० जुलाई को सभा के तत्वावधान में सोवियत दिवस मनाया गया। अगस्त में यमुना कार्य्यी की अध्यक्षता में बिहार प्रान्तीय किसान सभा की कार्य समिति ने सभी युद्ध विरोधी कार्यवाइयाँ बन्द करने का निर्णय किया "क्योंकि युद्ध विरोधी प्रचार से रूस पर आक्रमण करनेवाले नात्सी जर्मनी को ही लाभ होगा।" प्रत्येक जिला में रूस की सहायता के लिए धन संचय के हेतु एक सोवियत रिलीफ कमिटी की स्थापना करने तथा १ सितम्बर को किसान दिवस मनाने का निर्णय किया गया। बिहार प्रांत किसान सभा की संघर्ष समिति की एक बैठक २४ नवम्बर को हुई। उसमें निर्णय किया गया कि २१ दिसम्बर को गन्ना दिवस मनाया जाय। इसका मकसद गन्ना का मूल्य निश्चित करना आदि था। अन्य प्रस्तावों में रूस के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई थी। देवली के नजरबन्दियों की रिहाई की माँग की गई थी और स्वामी सहजानन्द के नेतृत्व वाली किसान सभा का समर्थन करने का आह्वान किया गया था। २० नवम्बर को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रभारी अध्यक्ष जगजीत सिंह पंजाबी, पटना आया। उसने किसान स्वयंसेवकों का संगठन करने की योजना पर कई सदस्यों से बातचीत की।

इस बीच डुमराँव राज की ओर से डुमराँव स्थित किसान सभा का भवन जब्त कर लिया गया। इससे शाहाबाद जिला में स्थिति उत्तेजनापूर्ण हो गई। डुमराँव और अन्य स्थानों पर इसके विरोध में सभाएँ हुईं। मुँगेर और भागलपुर के इलाकों में भी किसानों की सभाएँ हो रही थीं। बनैली राज के कुछ अमलों के दुर्व्यवहार को लेकर आन्दोलन चलाया जा रहा था। अगले साल के प्रारंभ में किसान सत्याग्रह शुरू करने की तैयारियाँ की जा रही थीं। अनेक किसानों ने १ जनवरी १९४२ को डुमराँव में सत्याग्रह शुरू कर दिया।

किसान सभा की एक दूसरी शाखा युद्ध प्रयत्नों में सहायता देने के विरुद्ध थी। इसके नेता ग्राम सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक दल का संगठन करना चाहते थे। इस समय तक सहजानन्द गुट सरकार को पूर्ण सहयोग

देने की नीति का प्रतिपादन कर रहा था। ९ मार्च १९४२ को सहजानन्द हजारीबाग जेल से कुछ महीने पूर्व रिहा होकर पटना आया। उसने सरकार के साथ सहयोग करने की नीति का पूर्ण समर्थन किया। उसके एक सहकर्मी ने जो लगभग दो वर्षों से फरार था सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

छात्र आन्दोलन :

छात्र आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। विहार छात्र संघ के महासचिव, नारायण प्रसाद वर्मा जुलाई १९४० के उत्तरार्द्ध में कुछ आपत्तिजनक कागज अपने पास रखने के आरोप पर जेल भेज दिया गया था। पर इससे छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ। वे सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन, सभाएँ आदि के माध्यम से जोरदार आन्दोलन शुरू करने को कृतसंकल्प हो गए। लहेरियासराय में १८ अगस्त को एक नौजवान संघ सम्मेलन किया गया। इसमें सरकार के साथ समझौता नहीं करने का प्रस्तास स्वीकृत हुआ। सितम्बर के उत्तरार्द्ध में प्रोफेसर हुमायूँ कबीर ने झरिया में मानभूम जिला छात्र संघ की सभा की अध्यक्षता की। १६ नवम्बर को संघ के तत्वावधान में पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के कुछ अन्य स्थानों पर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। इस दिन सभाएँ की गईं और जवारलाल नेहरू को जेल की सजा देने के विरोध में प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इसके अतिरिक्त छात्रों की स्वतंत्रता पर आघात करने का भी विरोध किया गया। प्रान्तीय छात्र संघ के सचिव, श्री चन्द्रशेखर सिंह को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत ४ दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया। उसके विरोध में ५ दिसम्बर को पटना के कॉलेजों में हड़ताल रही। तीसरे पहर छात्रों का एक जुलूस निकाला गया और पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय के सामने वाले मैदान में एक सभा हुई। इसमें गिरफ्तारी की निन्दा की गई और गया जिला छात्र संघ का अध्यक्ष, अच्युतानन्द प्रसाद की गिरफ्तारी के विरुद्ध छात्रों ने प्रदर्शन किया। गया छात्र संघ ने १९-२० अप्रील को सभाएँ आयोजित कीं। इन सभाओं में साम्यवादियों तथा गैरसाम्यवादियों के विरोध प्रकट हुए।

२३ मार्च १९४१ को बाँकीपुर मैदान में नजरबन्द दिवस मनाया गया। १२-१३ अप्रील १९४१ को शाहाबाद छात्र सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री अब्दुल बारी ने कहा कि "दुनिया के इतिहास में इस समय पुराने सामाजिक मूल्यमान समाप्त हो रहे हैं एवं उनके स्थान पर नये मूल्यमान प्रस्तुत हो रहे हैं। जो समाज एवं सरकार की संरचना आज तेजी से बदल रही है दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती।" श्री बारी ने साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने पर जोर दिया। १३ अप्रील को सूर्यपुरा में छात्र सम्मेलन हुआ। इसमें रचनात्मक कार्यक्रम (साम्प्रदायिक एकता, छुआछूत निवारण इत्यादि) पर बल दिया गया। सम्मेलन में प्रान्तीय छात्र संघ से छात्रों में एकता लाने का आग्रह किया गया। नये सत्र के लिए श्री अम्बिकाशरण सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अप्रील पूर्वार्द्ध में मधुवनी में एक जिला छात्र सम्मेलन किया गया। इसकी अध्यक्षता रामवृक्ष बेनीपुरी ने की। एक अन्य छात्र सम्मेलन पूर्णिया के गोपालगंज में राजा हुसैन की अध्यक्षता में हुआ। बिहार छात्र सम्मेलन का दूसरा खुला अधिवेशन पंजाब के मजहर अली खाँ की अध्यक्षता में शुरू हुआ (२२ अगस्त)। अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री खाँ ने कहा कि छात्र आन्दोलन का अपना स्वरूप होना चाहिए। किसी राजनैतिक गुट के नियंत्रण में उसे नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों से स्वतंत्रता, शान्ति और प्रगति के हेतु एक नई समाज-व्यवस्था के निर्माण के लिए काम करने की अपील की।

बिहार प्रान्तीय छात्र सम्मेलन के तत्वावधान में २३ अगस्त १९४१ को एक सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ। इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का उद्घाटन-भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित हुए थे। डाक्टर राधाकृष्णन ने छात्रों को नैतिक उन्नयन तथा मानवीय गुणों एवं सहिष्णुता की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने कहा कि दुनिया आज इसलिये परेशान नहीं है कि बौद्धिक अथवा नैतिक उपलब्धियों की कमी हो गई है। कमी है तो इस बात की कि आज की व्यवस्था में इन उपलब्धियों के अनुरूप बनाने की क्षमता का आभाव हो गया है।

छात्रों में इस समय चार गुट हो गए थे। इसमें अग्रगामी दल और साम्यवादियों के गुट विशेष महत्त्वपूर्ण थे। प्रत्येक गुट अपनी खिचड़ी अलग

पका रहा था। कुछ दूसरे छात्र गुटबन्दियों से अलग रह कर छात्र संगठन के लिए प्रयत्नशील थे। दिसम्बर १९४१ में पटना में अखिल भारतीय छात्र संघ के सातवें अधिवेशन की तैयारी की जा रही थी। उसके एक प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री हरिकिशोर ठाकुर को उसी महीने गिरफ्तार कर लिया गया था। पटना में २७-२८ दिसम्बर को अधिवेशन हुआ। इसका उद्घाटन करते हुए श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने छात्रों से देश के प्रति उनके कर्त्तव्यों तथा गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों का अनुपालन करने की आवश्यकता बतलाई—"अनुशासित तन एवं मन इसमें सबसे अधिक आवश्यक हैं और यदि आप निष्ठा के साथ कुछ करना चाहते हैं तो उसके अनुरूप बातावरण बना सकते हैं। आप आपस के भेद-भाव भूल जायँ और व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अनुशासित रहें। आप में से हर व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और इस प्रकार आनेवाले युग में उपयुक्त स्थान ग्रहण कर सकते हैं।"[१] २८ दिसम्बर को अधिवेशन समाप्त हुआ। राष्ट्रीय एकता, छात्र एकता, राजनैतिक स्थिति और युद्ध की परिस्थिति पर प्रस्ताव स्वीकृत हुए। युद्ध सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा गया था कि उसका साम्राज्यवादी स्वरूप बदला नहीं था और छात्रों से ऐसी नई व्यवस्था स्थापित करने को यत्नशील होने की अपील की गयी जिसमें भविष्य में फिर कभी युद्ध नहीं हो तथा आदमी का आदमी के द्वारा एवं राष्ट्र का राष्ट्र के द्वारा शोषण नहीं किया जा सके। इसके अध्यक्ष युसुफ मेहर अली ने छात्रों की समस्याओं और राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक एकता, अन्तरराष्ट्रीय समस्या आदि पर प्रकाश डाला। छात्रों से प्रतिदिन कम-से-कम एक घंटा छात्र एकता के हेतु तथा साम्प्रदायिकता एवं कट्टरपंथिता से मुक्त छात्र आन्दोलन संगठित करने के काम में लगने को कहा। श्री अली ने छात्रों से कहा कि "वे साम्प्रदायिकता को, किसी भी रूप एवं शक्ल में वह हो, समाप्त करने की प्रतिज्ञा लें। सभी सम्प्रदायों के छात्रों के साथ दोस्ती करें और उनके साहित्य एवं रीति-रिवाजों का सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन करें।" वस्तुतः आदर्श छात्र आन्दोलन किसी विशेष दल की कट्टरपंथिता एवं राजनीति से ऊपर होना चाहिए। इस रूप में वह देश के पुनरुद्धार के हेतु बड़ी शक्ति बन सकती है।

अखिल भारतीय छात्र संघ के फारुकी गुट का अधिवेशन भी पटना में

१. इंडियन एनुअल रजिस्टर, १९४१, पृष्ठ ३९९-४०२।

३१ दिसम्बर को शुरू हुआ। इसने सरकार के युद्ध प्रयत्नों का बिना शर्त्त समर्थन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। अन्य प्रस्तावों में भारत की स्वतंत्रता, राजनैतिक बंदियों की रिहाई और युद्धकालीन दमनात्मक विधानों को हटाने का आग्रह किया गया था। अधिवेशन के युद्ध प्रस्ताव का बहुसंख्यक छात्रों ने विरोध किया।

नजरबन्द और राजनैतिक बन्दी :

१६४०-४१ के गिरफ्तार सत्याग्रहियों के अतिरिक्त अनेक नजरबन्द एवं राजबन्दी अभी भी जेलों में पड़े हुए थे। इन्हें दिसम्बर १६४१ के बाद भी रिहा नहीं किया गया था। १६४० के पूर्वार्द्ध में इस श्रेणी की प्रमुख गिरफ्तारियाँ एवं नजरबन्द व्यक्तियों का भी उल्लेख किया जा चुका है। उसके बाद भी कई नये लोग गिरफ्तार किए गए थे। ये अधिकतर वामपंथी और साम्यवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्त्ता थे। भिक्षु नागार्जुन नामक किसान नेता जुलाई के उत्तरार्द्ध में पटना में गिरफ्तार किया गया। उसके पास युद्ध विरोधी साहित्य पकड़ा गया था। अन्य गिरफ्तार लोगों में चद्रमा सिंह, बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, श्यामा चरण भरथुआर, कार्यानन्द शर्मा, कमलाकान्त आजाद और श्यामनन्दन सिंह एम० एल० ए० भी थे। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों को भी भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत सजा दी गई : श्री धालू शर्मा, अब्दुल हयात चाँद, गोरखनाथ सिंह, आदि।

समाचारपत्रों और प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध :

समाचार पत्रों एवं प्रकाशनों पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा हुआ था। अनेक प्रकाशन जब्त कर लिए गए थे। जुलाई के उत्तरार्द्ध में कई हिन्दी इश्तहार जब्त किए गए थे जैसे 'भारतीय शंखनाद', 'राष्ट्रीय संग्राम' इत्यादि। भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत ६ अगस्त १६४० को एक आदेश प्रचारित करके "सर्च लाइट" में भारत में अंग्रेज सैनिकों के सम्बन्ध में किसी तरह की सूचना सरकार को बिना पहले दिखाए हुए प्रकाशित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। अगस्त के उत्तरार्द्ध में तथा सितम्बर के पूर्वार्द्ध में कई इश्तहार जब्त कर लिए गए : 'खूनी तलवार' 'हिन्दुस्तान के पैगाम' आदि। अक्टूबर के

पूर्वार्द्ध में भी कई पुस्तकें एवं इश्तहार जब्त किए गए तथा उत्तरार्द्ध में 'मुंगेर समाचार' को 'आकांक्षा' शीर्षक कविता छापने के लिए एक चेतावनी दी गई तथा कुछ प्रकाशन जब्त किए गए। नवम्बर में लगभग दो दर्जन इश्तहार एवं पुस्तकें जब्त की गयीं।

रवीन्द्रनाथ की भावना :

भारत को स्वतंत्रता प्रदान नहीं किए जाने के कारण गहरा असंतोष था। कवि रवीन्द्रनाथ ने अपने अस्सीवाँ जन्म-दिवस (१४ अप्रील १९४१) को एक संदेश में कहा "मुझे उस सभ्यता के प्रति किंचित् भी आदर नहीं रह गया है जो पशुबल से शासन करने में विश्वास करती है एवं जिसे सबों के लिए स्वतंत्रता में विशेष आस्था नहीं है। भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने एवं सच्चे मानवीय सम्बन्धों से वंचित कर अंग्रेजों ने हमारी प्रगति के सारे मार्ग बन्द कर दिए हैं............इस बीच बर्बरता का दानव अपना सारा मुखौटा उतार कर अनावृत्त पंजों एवं दाँतों से दुनिया को फाड़ डालने और विनाश का ताण्डव करने को प्रवृत्त हो गया है। एक छोर से दूसरे छोर तक घृणा का विषैला धुआँ वातावरण को विषाक्त कर रहा है। पच्छिम की सभ्यता में हिंसा की व्याधि जो अभी तक दबी हुई थी आज हुँकार भर रही है और मानव की आत्मा को कलंकित कर रही है।

संवैधानिक गतिविधि जटिलतर :

इस बीच संवैधानिक गतिविधि बढ़ती जा रही थी। २२ अप्रील को कॉमन्स सभा में भारत सचिव ने अपने वक्तव्य में बम्बई सम्मेलन के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया था, इससे भारतीय राष्ट्रवादी चेतना को भारी चोट लगी थी एवं सभी पार्टियों को इस पर रोष हुआ था।

२७ अप्रील को सरकार के विस्मयकारी तथा भ्रमपूर्ण वक्तव्य पर गाँधीजी ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने कहा था कि "श्री आमेरी ने भारत की वर्त्तमान स्थिति की पूर्ण उपेक्षा करके अपने देश का हित नहीं किया था। भारत सचिव ने ब्रितानी शासन द्वारा भारत में शान्ति बनाये रखने की बातें की हैं। किन्तु ढाका और अहमदाबाद की घटनाओं की

जानकारी उन्हें कदाचित् नहीं थी। वहाँ शान्ति बनाये रखने की जिम्मेवारी किस पर थी ? श्री आमेरी यह बहाना नहीं करेंगे कि बंगाल में स्वायत्त शासन था। उन्हें पूरा मालूम है कि भारत के प्रान्तों में स्वायत्त शासन के नाम पर किस तरह का व्यंग्य किया जा रहा है। वे यह भी जानते हैं कि ऐसी आपात स्थितियों के लिए कठपुतली मंत्रियों के अधिकार कितने सीमित हैं। मन्त्री चाहे काँग्रेस के हों या लीग के या और कोई .... श्री आमेरी ने यह कह कर कि भारतीय राजनीतिक पार्टियों की सहमति होने की देर थी और ब्रिटेन संयुक्त भारत की आकांक्षाओं की पूर्त्ति करने में देर नहीं करेगा, भारत का अपमान किया है। मैंने बार-बार यह दिखलाया है कि पार्टी को एकजुट नहीं होने देना ब्रिटेन की परम्परागत नीति रही है। "फूट डालकर शासन करना ब्रिटेन का लक्ष्य हमेशा से रहा है।" ब्रितानी राजनेता ही भारतीयों में फूट डालने के हेतु जिम्मेवार रहे हैं और जबतक ब्रिटेन तलवार के बल पर भारत को गुलाम बनाये रखेगा तबतक यही स्थिति रहेगी।"

बिहार में शाहाबाद के जिलाधिकारी ने ११ मई १९४१ को आयुक्त को एक पत्र में सूचित किया कि "भारत सचिव के वक्तव्य की रचनात्मक राजनीति की घोर असफलता का सूचक कह कर सभी पार्टियाँ भर्त्सना कर रही थीं।" इसी अधिकारी ने २ जुलाई, १९४१ को युद्ध के समय में लोकमत पर अपनी रिपोर्ट में लिखा : "आमतौर पर युद्ध प्रयत्नों में भारत के सभी वर्ग एवं श्रेणी के लोगों का सर्वाधिक सहयोग प्राप्त करने के हेतु ब्रितानी सरकार की भारत के प्रति एक रचनात्मक एवं प्रेरणादायक नीति निर्धारित करने में विफलता पर सर्वत्र निराशा की भावना लक्षित हो रही है।"

अन्तरराष्ट्रीय स्थिति की बढ़ती हुई गम्भीरता :

अन्तरराष्ट्रीय स्थिति अधिकाधिक गंभीर हो रही थी। २२ जून, १९४१ को रूस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था। इस स्थिति में युद्ध प्रयत्नों में

भारतीयों से अधिक सहगामी बनने के उद्देश्य को वायसराय ने २१ जुलाई १९४१ को अपनी कार्यपालिका परिषद के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की।[1] नई पुनर्गठित परिषद का उद्देश्य "प्रशासनिक सुविधा" बताया गया था। इसके साथ ही ३० सदस्यों की एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की भी घोषणा की गई। वायसराय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा "परिषद का उद्देश्य युद्ध प्रयत्नों के संदर्भ में ब्रितानी भारत राष्ट्रीय जीवन के अन्य तत्वों सहित प्रान्तों एवं देशी राज्यों के प्रतिनिधियों" को सम्मिलित करना था। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि कार्यपालिका परिषद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन विशुद्ध युद्धकालीन कार्रवाई समझी जाए। किसी राजनैतिक माँग को संतुष्ट करने के उद्देश्य से यह नहीं किया जा रहा था।" इस घोषणा से काँग्रेस की माँगें पूरी नहीं होती थीं। श्री जिन्ना ने अपने तथा भिन्न कारणों से उसकी कड़ी आलोचना की और मुस्लिम लीग के सदस्यों को उनकी सदस्यता स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसके अतिरिक्त लीग के आदेश पर पंजाब, बंगाल और आसाम के प्रधान मन्त्रियों ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद की सदस्यता त्याग दी। कार्यपालिका परिषद् का नवनियुक्त सदस्य सर सुल्तान अहमद ने त्यागपत्र देने से इंनकार किया। इसके लिए उसे लीग की सदस्यता से पाँच वर्षों के लिए हटा दिया गया।

बिहार प्रान्तीय मुस्लिम लीग ने सर सुल्तान अहमद के त्यागपत्र नहीं देने की कार्रवाई की निन्दा की तथा उसके जो सदस्य युद्ध समितियों में काम कर रहे थे उन्हें तुरत इस्तीफा दे देने को कहा। बिहार प्रान्त मुस्लिम लीग का अध्यक्ष खाँ बहादुर सैयद मुहम्मद इस्माईल ने इस्तीफा दे दिया और अन्य अनेक लीगियों ने इस्तीफा दिया। बिहार मुस्लिम लीग के युद्ध समितियों से

---

१. प्रस्तावित परिषद के वायसराय और प्रधान सेनापति सहित १३ सदस्य होते, इनमें आठ भारतीय थे।

३१ अक्टूबर तक त्यागपत्र देने के निर्णय का एक अन्य कारण यह भी था कि बिहार में साम्प्रदायिक मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त करने की उनकी माँग पूरी नहीं की गई थी।

भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने के ब्रितानी सरकार के वादाओं में अविश्वास और भी गहरा होने का एक नया कारण यह भी था। अगस्त, १९४१ में अतलान्तक घोषणा-पत्र के तीसरे अनुबन्ध में निम्नलिखित महत्व-पूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया था : "हस्ताक्षरी देश सभी देश के लोगों के अपने मनोनुकूल सरकार का चयन करने के अधिकार का आदर करते हैं। जिन्हें बलात स्वतन्त्रता एवं संप्रभुता से बंचित कर दिया गया है वे उन्हें फिर से प्राप्त कर सकें हस्ताक्षरी राष्ट्र इसकी कामना करते हैं।" ब्रितानी और अमेरिकी सरकारें इसके लिए प्रतिबद्ध हुई थीं किन्तु ब्रितानी प्रधान मंत्री ने ९ सितम्बर १९४१ को कॉमन्स सभा में एक वक्तव्य में कहा कि अतलान्तक घोषणा-पत्र भारत पर लागू नहीं थी। इससे भारत में भारी निराशा हुई। पटना के जिलाधिकारी ने अपने आयुक्त को लिखा : "इंगलंड के प्रधान मंत्री (चर्चिल) के हाल के भाषण पर भारतीयों में व्यापक असंतोष है। ऐसे लोगों को, जो अब तक परोक्ष में थे, युद्ध प्रयत्नों का समर्थन नहीं करने का एक बहाना मिल गया है।" पशुबल द्वारा दबाया गया असन्तोष १९४२ में एक भयानक विस्फोट के रूप में फूट पड़ा।



परिशिष्ट—१

स्वाधीनता दिवस का प्रतिज्ञापत्र

(२६ जनवरी, १९३०)

"हमारा विश्वास है कि दुनिया में किसी भी राष्ट्र की तरह भारतीय जनता का स्वतंत्रता प्राप्त करने, अपने मिहनत के फल का उपभोग करने और जीवन की आवश्यकताएँ हासिल करने का, जिसमें विकास के लिए उसे पूरा अवसर मिल सके, अखण्ड अधिकार है। हम यह भी विश्वास करते हैं कि यदि कोई सरकार किसी देश के लोगों को इन अधिकारों से वंचित करती है तो वहाँ के लोगों को उसे बदल देने या समाप्त करने का अधिकार है। भारत की अँग्रेज सरकार ने न केवल यहाँ की जनता को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि अपने को जनता के शोषण पर आधारित रखा है और भारत की आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में बर्बादी का कारण बनी है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि भारत को अंग्रेजों के साथ अपना संबंध निश्चित रूप स विच्छिन्न कर लेना चाहिए और पूर्ण स्वराज हासिल करना चाहिए।

"भारत की अर्थ व्यवस्था विनष्ट हो चुकी है। इसे देश की जनता से जो राजस्व वसूला जाता है वह उसकी आय के अनुपात से कहीं ज्यादा है। हमारी औसत आय ७ पैसे प्रतिदिन है और जो ऊँचे-ऊँचे कर हम चुकाते हैं उनका २० प्रतिशत भू-राजस्व है, यह किसानों से वसूला जाता है। राजस्व का ३ प्रतिशत नमक-कर से आता है, इसका भार गरीबों के कन्धों पर पड़ता है।

"ग्रामीण उद्योग-धन्धे या कताई-बुनाई विनष्ट कर दिए गए हैं। इस तरह साल में कम-से-कम ४ महीने तक ग्रामीण जनता को कोई काम नहीं

रहता। हस्त-शिल्प के अभाव में उसकी बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। हस्तशिल्प विनष्ट कर दिए गए हैं, किन्तु अन्य देशों की तरह उनके स्थान पर दूसरा कुछ नहीं प्रस्तुत किया गया है।

"चुंगी और मुद्रा में इस प्रकार गोलमाल किया गया है जिससे किसानों पर और भी अधिक भार पड़े। हमारा अधिकांश आयात बृतानी कारखानों में बना माल है। चुंगी-दरों को देखने से बृतानी तैयार माल के लिए स्पष्ट पक्षपात दिखाई पड़ता है और उनसे प्राप्त राजस्व जनता का भार हल्का करने के लिए नहीं बल्कि अत्यधिक व्यय साध्य शासन व्यवस्था को कायम रखने में लगाया जाता है। इसी तरह विनिमय दर के संचालन में गड़बड़ी की गई है जिसके फलस्वरूप इस देश से करोड़ों रुपये बाहर चले जाते हैं।

"राजनैतिक क्षेत्र में भारत का स्थान इतना हीन कभी नहीं रहा जितना कि बृतानी शासन में। किसी भी शासन सुधार योजना ने जनता को वास्तविक राजनैतिक सत्ता प्रदान नहीं की। बड़े-से-बड़े भारतीय को विदेशी शासन के सम्मुख झुकना पड़ा है। स्वतंत्र रूप से मत प्रकाशन तथा संघ बनाने के अधिकार हमें नहीं मिले हैं। हमारे अनेक देशवासी विवश होकर विदेशों में निष्कासितों की जिन्दगी बिताते हैं; वे अपने देश नहीं लौट सकते। हममें प्रशासनिक क्षमता का विकास नहीं होने दिया जाता है। जनता को छोटे-छोटे ग्रामीण पदों तथा लिपिकों के काम से संतोष करना पड़ता है।

"संस्कृति के क्षेत्र में वर्त्तमान शिक्षा व्यवस्था ने हमें अपनी आधारभूमि से विच्छिन्न कर दिया है। हमारा प्रशिक्षण ऐसा है कि हम उन बन्धनों को स्वयं जिनके शिकंजों में ही हम कसे हुए हैं, गले से लगाये रहते हैं।

"आध्यात्मिक रूप में अनिवार्य निःशस्त्रीकरण ने हमें नपुंसक बना दिया है और प्रतिरोध भावना को कुचल देने में प्रभावित विदेशी सेना की उपस्थिति से हम यह सोचने लगे कि हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते अथवा विदेशी आक्रमण के विरुद्ध या चोर-डाकुओं तथा समाज-विरोधी तत्वों से अपने घर या परिवार को भी नहीं बचा सकते।

"हम ऐसे शासन के नीचे रहना, जिससे हमारे देश का चौतरफा विनाश हुआ है, मनुष्य एवं ईश्वर के विरुद्ध अपराध समझते हैं। किन्तु हम यह मानते हैं कि हिंसा स्वतंत्रता प्राप्त करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका नहीं। इसलिए हम आजादी की लड़ाई के प्रथम चरण में बृतानी सरकार के साथ असहयोग करेंगे, उसके साथ ही कर बन्दी सहित सविनय अवज्ञा के लिए तैयारी भी करेंगे। हमें विश्वास है कि यदि इस सरकार को हम अपना सहयोग और सहायता देना बन्द कर देते हैं और बिना हिंसा के कर चुकाना बन्द कर देते हैं तो इस अमानवीय शासन का अन्त निश्चित है। इसलिए हम आज संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज हासिल करने के लिए समय-समय पर कांग्रेस जो आदेश देगी उसका अनुपालन करेंगे।"

परिशिष्ट—२

१२-२-१९३० "सर्चलाइट", को प्रकाशित बिहार में कर-बन्दी विषयक पत्र

"महोदय,

लाहौर काँग्रेस के बाद इस प्रान्त में सामूहिक सविनय अवज्ञा की समस्या काँग्रेस कार्यक्रम के सभी शुभैषियों का ध्यान आकृष्ट करती रही है। फलत: मैं जिन निष्कर्षों पर पहुँचा हूँ उन्हें जनता के सम्मुख रखना चाहता हूँ। सामूहिक सविनय अवज्ञा का सबसे महत्वपूर्ण भाग कर-बन्दी है। इसलिए हम इस प्रान्त में कर-बन्दी के प्रश्न पर विचार करें। स्थानीय सरकार की आय के तीन प्रमुख स्रोत ये हैं :—

१—भू-राजस्व,

२—कोर्ट फी और स्टैम्प,

३—आबकारी से प्राप्त आय।

सरकार की आय लगभग छः करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। इनमें से लगभग दो करोड़ की आय होती है अतः हम प्रत्येक पर अलग-अलग विचार करें।

सबसे पहले भू-राजस्व। क्या हम उसका भुगतान रोकने में सफल हो सकते हैं? मेरा विश्वास है कि नहीं। इसका कारण दूर नहीं खोजने जाना होगा। राजस्व की सबसे बड़ी रकमें राजा और जमीन्दार देते हैं। निकट भविष्य में इस प्रश्न पर उनका काँग्रेस का साथ देने की आशा नहीं की जा सकती और यदि कुछ अपेक्षाकृत छोटे जमीन्दार भू-राजस्व देना बन्द करने को तैयार भी हो जायँ तो उनकी जमीन्दारियाँ बेतिया महाराजा या कोर्ट औफ वार्डस् द्वारा खरीद ली जा सकती हैं। ये लोग सहर्ष कुछेक वर्षों के लिए सद्यः क्रीत जमीन्दारों का राजस्व बिना मालगुजारी वसूले हुए भी चुकाते रहेंगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस प्रान्त में सरकारी राजस्व नहीं चुकाने की योजना प्रभावी नहीं हो सकती या दूसरे शब्दों में जबतक जमीन्दार वर्ग का

दृष्टिकोण नहीं बदलता है, जिसकी निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं दीख पड़ती, तबतक निश्चय ही विफल रहेगी। सरकारी आय का दूसरा बड़ा स्रोत कोर्ट फी और स्टाम्प है। जहाँ तक इस आय का सम्बन्ध है, कोई अवज्ञा सम्भव नहीं है क्योंकि बिना कोर्ट फी चुकाये आप किसी मुंसिफ के पास जाकर यह नहीं कह सकते कि वह आपका मुकदमा देखें। फिर भी न्यायालयों के विरुद्ध व्यापक प्रचार करके इस आय को कुछ हद तक कम किया जा सकता है किन्तु उसमें कोई अवज्ञा नहीं होगी। आबकारी के संदर्भ में भी यही स्थिति है। हम आबकारी कानून की आवज्ञा नहीं भी करें किन्तु इस मद से होनेवाली सरकारी आय को कम करना असम्भव नहीं है। यदि नशाखोरी और फरवरी तथा मार्च के महीने में सरकार द्वारा दुकानों की बन्दोबस्ती के बिरुद्ध व्यापक प्रचार शुरू करे तो इसमें हमें बहुत कुछ सफलता मिल सकती है। इस हेतु तुरत काम शुरू करना चाहिए।

यह पूछा जा सकता है कि क्या इस प्रान्त में ऐसा कोई कर नहीं है जिसे नहीं चुकाना अवज्ञा होगी ? उत्तर है कि ऐसे कर हैं। पहला चौकीदारी-कर है, सबसे अधिक घृणित कर। इस कर से सरकार को लगभग एक करोड़ रुपये की आय होती है। अधिक-से-अधिक चाहे कोई राजा हो या सामान्य व्यक्ति, उसे केवल १२ रुपया की रकम इस मद में चुकानी पड़ती है। मुझे आज तक कोई भी ग्रामीण ऐसा नहीं मिला जो इस कर को पसन्द करता हो। इसका सीधा कारण है कि चौकीदार ग्रामीण लोगों का मित्र होने के नाते उन पर जुर्म करता है इसलिए इस कर को चुकाना बन्द करने में सफल होना कठिन नहीं है। नहीं चुकानेवाले व्यक्तियों के लिए ज्यादा खतरा भी नहीं है।

दूसरा कर जिसे अधिक सुगमता से बन्द किया जा सकता है वह है नमक-कर। इस स्रोत से सम्पूर्ण भारत से सरकार को ५ करोड़ रुपयों की आय होती है। सारे बृतानी भारत की आबादी लगभग २४ करोड़ है और इस प्रान्त की तीन करोड़ ३० लाख। इसलिए मोटे तौर से यह प्रान्त इस मद में सरकार को ७५ लाख रुपये देती होगी। यह एक तरह का जजिया-कर है जिसका बिलकुल ही कोई औचित्य नहीं है और यदि हम इसे बन्द कर सकते हों तो हमें करना चाहिए।

अपने अधिकारों पर खड़ा होने के मार्ग में हमारी अकर्मण्यता, निःसहायता एवं हीनता की भावना सबसे बड़ा बाधक है, महत्त्व उसे दूर करने

का है, सरकार को कितनी रकम की हानि हम पहुँचा सकते हैं, इसका नहीं। हमें सरकार को यह दिखलाना है कि वह हमारी सहमति के विरुद्ध हम पर शासन नहीं कर सकती। योजना बहुत सरल है। नमक केवल बाहर से ही नहीं मंगाया जाता, इस प्रान्त में भी सोड़ा या नाइट्र के साथ तैयार किया जाता है। हर गाँव में कुछ जमीन होती है जिसे नूनियार कहते हैं। देहात का नोनिया सोड़ा से नमक तैयार करता है इसके लिए उसे सरकार को चार आना देकर लाइसेंस लेना पड़ता है। इस सोड़ाभरी मिट्टी से ही देहाती कारखानों में नमक और नाइट्र बनते हैं। ऐसा कारखाना चलाने के लिए कारखानेदार को सरकार को २० रुपया देकर एक अन्य लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए न तो कारखाने में और न नूनिया को कोई बड़े औजारों की जरूरत होती है। नमक और नाइट्र तैयार करने के लिए मिट्टी का चूल्हा, कुछ मिट्टी के वर्त्तन और कुछ लोहा के वर्त्तन की जरूरत होती है।

सोड़ा मिट्टी देहातों में पाई जानेवाली एक तरह की नमकीन मिट्टी से तैयार की जाती है। इसलिए यह प्रतीत होगा कि नमक कानून भंग करना और उसके परिणामस्वरूप नमक-कर नहीं चुकाना अपेक्षातर सरल है और इसके लिए यदि जेल भी जाना पड़े तो उसके लिए लोगों की कमी नहीं होगी। मैं नेताओं को भरोसा दिला सकता हूँ कि यदि इस योजना को वे स्वीकार करें तो सारन जिला में भी ऐसे हजारों स्वयंसेवक मिल जायँगे। मैं सामाचार-पत्र में यह लेख इस उद्देश्य से प्रकाशित कर रहा हूँ कि प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य आगामी बैठक में उपर्युक्त योजना के अनुसार करबन्दी के कार्यक्रम पर विचार करने को तैयार होकर आवें। मैं यह सूचना देना चाहूँगा कि श्री राम विनोद सिंह एवं उनके निष्ठावान् कार्यकर्त्ताओं के प्रयत्न से सारन जिला में करबन्दी अभियान के लिए दिघवारा थाना के इलाके को तैयार किया जा रहा है।

भवदीय,
जलेश्वर प्रसाद,
छपरा।

परिशिष्ट—३

बिहार में पुलिस की ज्यादती

(यंग इण्डिया, १९ जून)

(पिछले सप्ताह हमने बीहपुर की घटनाओं का कुछ विवरण प्रस्तुत किया था। उसके बाद से हमें उसकी विस्तृत रिपोर्ट मिली है। राजेन्द्र प्रसाद के वक्तव्य से पुलिस की ज्यादतियों पर पूरा प्रकाश पड़ा है। श्री प्रसाद स्वयं ही उसके शिकार हैं, इसलिए उनका वक्तव्य भावपूर्ण हो जाना स्वाभाविक है—जे० सी० कुमारप्पा।)

"बीहपुर भागलपुर से लगभग १० मील पर एक कस्बा है। यहाँ थाना है और एक छोटा-सा बाजार है। स्थानीय कांग्रेस कमिटी का कार्यालय किराया के एक छोटे-से मकान में है। उसी अहाते में एक दूसरा मकान है, जिसमें चर्खा संघ का खादी भण्डार था। कुछ समय हुए, वहीं नमक बनाया गया था और जिला कांग्रेस कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष बाबू कालीदास बिहारी लाल, भूतपूर्व एम० एल० सी०, सैयद सरहुल हुसैन हाशमी और श्री महादेव शर्राफ, एम० एल० सी० गिरफ्तार किये गये थे। नमक कुछ दिनों तक बनाया जाता रहा। बाद में स्वयंसेवकों ने बाजार में ताड़ी, शराब और गाँजा की दुकानों पर धरना देना शुरू किया। पिछले १ मई को जिलाधिकारी श्री टोप्लिस एस० पी०, ए० एस० पी० और सशस्त्र एवं सामान्य पुलिस के जवानों को लेकर बीहपुर आये। उस दिन वहाँ नमक नहीं बनाया जा रहा था। पहली जून को तीसरे पहर कुछ सिपाहियों को लेकर एक यूरोपीय अधिकारी गाँजा और शराब की दूकान पर गया। वहाँ पर धरना देनेवाले स्वयंसेवकों को उसने चले जाने को कहा। इन्कार करने पर उन्हें पीटा गया। उनके हाथों से राष्ट्रीय झण्डा छीनकर जला दिया गया। उस समय केवल तीन स्वयंसेवक धरना दे रहे थे, किन्तु काँग्रेस कार्यालय में, जो वहाँ से तीन सौ गज पर है, लगभग आधा दर्जन स्वयंसेवक थे। इन्होंने जब झण्डा को जलते हुए देखा तो उसे बचाने

को दौड़ पड़े, उन्हें भी पीटा गया। उन्होंने कई बार प्रयत्न किया और अन्त में कुछ राख ले जाने में सफल हुए। इसके बाद पुलिस काँग्रेस कार्यालय और खादी भण्डार की ओर गई, दोनों को घेर लिया और वहाँ जो लोग थे उन्हें तुरत निकल जाने को कहा। उनके इन्कार करने पर उन्हें जबर्दस्ती निकाल दिया गया। चर्खा संघ के कार्यकर्त्ताओं को भी निकल जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि चर्खा, सूत, रूई और खादी का स्टॉक वहाँ था, उसे तुरत हटा देना संभव नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि चर्खा संघ का काँग्रेस कारंवाई से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था, किन्तु पुलिस ने उनकी एक न सुनी और उन्हें वहाँ से जबर्दस्ती निकाला गया। उसके बाद ताला तोड़ दिया गया और चर्खा, सूत, रूई और पैसे का एक बक्सा और कुछ खादी खण्दकों में फेंक दिया गया। इसके साथ कार्यकर्त्ताओं के कपड़े आदि भी फेंक दिये गए। सम्भवतः ये सब चीजें वहीं पड़ी होंगी, केवल रुपये-पैसे का बक्सा छोड़कर; उसे एक स्वयंसेवक ने उठा लिया था। सारा अहाता और दोनों भवनों पर पुलिस १ तारीख से कब्जा किये हुए है। वहाँ जाने के सभी मार्गों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। अगले दिन अर्थात् २ जून को कार्यकर्त्ताओं ने उन मकानों पर जिनमें से उन्हें जबर्दस्ती निकाल दिया गया था, दखल करने का प्रयत्न करने के लिए पाँच स्वयंसेवकों का जत्था भेजने का संकल्प किया। तदनुसार तीसरे पहर को एक जत्था गया। उसे तबतक बढ़ते रहने का आदेश था जबतक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाय या वे घायल होकर आगे बढ़ने से असमर्थ न हो जाएँ। दूसरी से छठी तारीख तक प्रतिदिन जत्थे जाते रहे और उनकी निर्मम पिटाई होती रही। उनकी तबतक निर्मम पिटाई होती रही जबतक उनमें से कुछ बेहोश होकर गिर नहीं जाते। डाक्टर की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है कि कुछ स्वयंसेवकों को सांघातिक चोट लगी है। मार-पीट की खबर देहातों में फैली और दस-बारह हजार की संख्या में ग्रामवासी वहाँ आने लगे। स्वयंसेवकों पर पुलिस की मारपीट से उत्तेजना फैलने लगी। ६ तारीख को काँग्रेस कार्यालय से दो या तीन फलांग पर एक आम के बगीचे में बहुत बड़ी सभा हुई। इस बगीचे पर अब पुलिस का कब्जा है। सभा में लगभग पन्द्रह से बीस हजार लोग उपस्थित थे। एक यूरोपीय अधिकारी के अन्तर्गत पुलिस सभा-स्थल पर

पहुँची और अनेक लोगों को बुरी तरह पीटा। लगभग एक सौ व्यक्तियों को गम्भीर चोट लगी थी, कांग्रेस के डाक्टर द्वारा उनकी मरहमपट्टी की गई। ७ तारीख को जत्था में जानेवाले स्वयंसेवकों को पीटा नहीं गया किन्तु उनका हाथ-पाँव बाँधकर छोड़ दिया गया, एक यूरोपीय अधिकारी के अन्तर्गत पुलिस ने उपस्थित भीड़ पर लाठियाँ चलाईं और उनको बेरहमी से पीटा। कांग्रेस ने इस समय अपने पुराने कार्यालय से दो-तीन सौ गज की दूरी पर एक छोटा-सा मकान ले रखा है। इसपर भी तीसरे पहर पुलिस का पहरा रहता है। खादीधारी व्यक्तियों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और न उन्हें बाजार और पुराने कांग्रेस भवन के बीच से गुजरनेवाली ज़िला बोर्ड रोड से जाने दिया जाता है। एक दिन पुलिस ने नये कांग्रेस भवन पर छापा मारा; उसी के समीप एक डाक्टर के दवाखाना में, जिसमें घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया जाता है, घुसकर दवा के बोतलों को तोड़ दिया।

उपर्युक्त वक्तव्य उनलोगों से मिली सूचना पर आधारित है जो या तो स्वयं वहाँ मौजूद थे जिन्हें पुलिस की ज्यादतियों का किसी-न-किसी चरण में शिकार होना पड़ा है। ८ तारीख के रविवार दोपहर में मैं प्रोफेसर अब्दुलबारी, बाबू बलदेव सहाय ऐडवोकेट, बाबू मुरली मनोहर प्रसाद, 'सर्चलाइट' के सम्पादक के साथ भागलपुर पहुँचा। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि उस दिन मोहर्रम होने के कारण जत्था नहीं भेजा जाएगा। हम भागलपुर में ही ठहर गये। वहाँ अनेक घायल लोगों को उपचार के लिए लाया गया था। उन्हें देखा। ९ तारीख को हम सभी बाबू अनन्त प्रसाद, एम० एल० सी०, कमलेश्वरी प्रसाद, एम० एल० सी०, श्री याकूब आरिफ (विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य), भागलपुर जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री उपेन्द्रनाथ मुखर्जी और कुछ अन्य साथियों को लेकर बीहपुर गये। वहाँ हम दोपहर में पहुँचे और देखा कि स्टेशन के बाहर सड़क पर पुलिस का पहरा था। किसी भी व्यक्ति को, जो खद्दर पहने हुए हो, सड़क से नहीं जाने दिया जाता था। नये कांग्रेस भवन की ओर जाने से भी पुलिस रोकती थी। श्री आरिफ एस० पी० से मिले और उनके कहने पर नये कांग्रेस भवन जानेवाली सड़क से पुलिस के जवान हटा लिये गये। हम सभी कांग्रेस कार्यालय गये। बाबू अनन्त प्रसाद, एम० एल० सी० जो

जिला बोर्ड के सदस्य भी हैं, सड़क से डाकबंगला जाना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। बाद में एक बगीचे में एक बहुत बड़ी सभा में हम सम्मिलित हुए। एक दिन पूर्व ऐसी ही सभा वहाँ हुई थी। सभा में श्री आरिफ, प्रोफेसर बारी और मैंने भाषण किया। सभा पाँच बजे सन्ध्या को खतम हुई। पुलिस द्वारा अधिकृत कांग्रेस भवन की ओर जत्था का जाने का समय हो रहा था। रास्ते में काफी संख्या में लोग यह देखने को जमा थे कि पुलिस उनके साथ क्या करती है। हम भी आये और यह देखने को कि क्या होता है विभिन्न स्थानों पर खड़े हो गये। कुछ थोड़े-से लोग जिनमें पटना से आये हुए व्यक्ति भी थे। श्री आरिफ और कुछ अन्य लोगों के साथ नया कांग्रेस कार्यालय पहुँचे। जत्था वहाँ से निकला और जब पुलिस के जवान, जहाँ पर पहरा दे रहे थे, उसके समीप गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि गिरफ्तार स्वयंसेवकों को एक समीपस्थ प्राइमरी स्कूल में ले जाकर बन्द कर दिया गया था। जत्था को जहाँ गिरफ्तार किया गया था उससे लगभग एक सौ गज की दूरी पर लोगों की भीड़ खड़ी थी। जत्था की गिरफ्तारी के बाद एक यूरोपीय, जिसके विषय में मुझे बताया गया कि वह एस० पी० था, दौड़ता हुआ आया और उसने पुलिस को लोगों पर लाठी चलाने को कहा। वह आगे-आगे जा रहा था और कह रहा था 'मारो साले को।' पुलिस लाठियाँ लिये हुए सड़क पर खड़ी भीड़ का पीछा करती रही और उन पर लाठियाँ चलाती रही। जत्था की गिरफ्तारी के बाद भीड़ कुछ ही समय में लौट जाती खास करके क्योंकि स्वयंसेवकों पर मारपीट नहीं की गई थी या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था इसलिए कोई उत्तेजना नहीं थी। भीड़ पर आक्रमण का कोई कारण नहीं था। लोग एकदम शान्तिपूर्ण थे और बिना बदला लेने की भावना के लाठियाँ खाते रहे अन्यथा एस० पी० के केवल एक दर्जन सिपाहियों के साथ हजारों लोगों को मारपीट करना असम्भव होता। सड़क पर लाठियाँ चलाने के बाद वे बाजार की ओर चले गये। मैंने दुकान में बैठे एक आदमी को घसीटकर पीटे जाते हुए अपनी आँखों से देखा। अपने सिपाहियों के साथ एस० पी० हमलोगों को कुछ दूर से ही देख रहा था। जान पड़ता था कि वह जगह का मुआयना कर रहा हो। तदुपरान्त वह एकाएक हमलोगों की ओर पुलिस के जवानों के साथ दौड़ा

और हमलोगों पर लाठियाँ चलाने लगीं। प्रोफेसर अब्दुल बारी को कई लाठियाँ लगीं। उनका सिर फट गया और कन्धे पर भी लाठियाँ लगी थीं। श्री अब्दुल बारी जमीन पर बैठ गये। एस० पी० मेरी ओर आया और मुझे लगा कि वह मुझे मारेगा, किन्तु मेरी ओर से घूमकर वह आगे बढ़ गया। श्री बलदेव सहाय तथा कन्तलाल चौधरी और रामगति नामक दो स्वयंसेवक जो बुरी तरह घायल थे, वहीं थे। पुलिस की लाठियाँ बरसती रहीं। मुझे तीन लाठियाँ लगीं, बाबू बलदेव सहाय को कम-से-कम चार लाठियाँ लगीं और अन्य साथियों को जिनमें मुरली मनोहर प्रसाद, रामविलास शर्मा आदि थे, भी लाठियाँ लगीं। बाद में सुलतानगंज के डाक्टर लियाकत हुसेन को स्ट्रेचर पर लाते हुए मैंने देखा। डाक्टर हुसेन के सिर, आँखों और पीठ पर बुरी तरह चोट लगी थी। बाबू रासबिहारी लाल को भी कई लाठियाँ लगीं। पटना सिटी के श्री मुरलीधर पोद्दार खून से लथपथ थे और इसी तरह कई दूसरे लोग भी बुरी तरह घायल थे। कितने ग्रामवासी घायल हुए इसका पता नहीं, क्योंकि वे अपने-अपने घर चले गये थे। जिला कांग्रेस कमिटी के सचिव श्री मेवालाल को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ काल बाद वही यूरोपीय अधिकारी इन्स्पेक्टर, दारोगा और कुछ सिपाहियों के साथ, जहाँ डाक्टर हमलोगों का मरहम-पट्टी कर रहा था, आया। उसने जिला कांग्रेस कमिटी के प्रभारी अध्यक्ष श्री उपेन्द्रनाथ मुखर्जी और बीहपुर थाना कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री सत्यदेव राय को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करते समय पुलिस के पास वारण्ट नहीं था। भागलपुर लौटने पर मुझे बताया गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४० के अन्तर्गत गैरकानूनी जमात का सदस्य होने का अभियोग उन पर लगाया गया था। इस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तारी करने या शक्ति प्रयोग से उसे विघटित करने के पहले जमात गैरकानूनी है, इसकी घोषणा विधिवत् एवं औपचारिक रूप में करना आवश्यक होता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया गया था। गिरफ्तार किये गये जत्थे के स्वयंसेवकों को दिन भर हिरासत में रखकर साँझ होने पर छोड़ दिया गया। हम घायल व्यक्तियों को लेकर भागलपुर रात में पहुँचे। मैं व्यक्तिगत साक्ष्य तथा अन्य लोगों के साक्ष्य के आधार पर कहना चाहता हूँ कि भीड़ एकदम शान्त थी। अधिक नारे भी नहीं लगाये जा रहे थे। पुलिस के लिए भीड़ पर लाठी चलाने तथा हर किसी को पीटने के

लिए कोई भड़कानेवाली स्थिति नहीं थी सिवाय इसके कि ग्रामवासियों को आतंकित करना या कुछ आगे के लिए कड़ी चेतावनी देना उद्देश्य रहा हो। अधिकारियों की कार्रवाई का उल्टा असर हुआ है। इससे गाँवों में उत्तेजना फैली है और नगरों में भी जो साधारणतः सरकार के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, भारी सनसनी है। मुझे बताया गया है कि बीहपुर थाना के १५० चौकीदार, ६ सरपंचों और कुछ दफादारों ने इस्तीफा दे दिया है। कौंसिल के दो सदस्यों पर, जो स्थिति का अपनी आँखों निरीक्षण करने गये थे, गहरा प्रभाव पड़ा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस भवन और खादी भण्डार पर जबर्दस्ती कब्जा किये रहने, चर्खा, सूत, रूई और खादी को खंदकों में फेंक देने तथा चर्खा संघ के कार्यकर्त्ताओं को भण्डार से जबर्दस्ती निकाल देने का बिलकुल ही औचित्य नहीं है। यह भी कहना नहीं होगा कि जत्था प्रतिदिन जाता रहेगा।''

परिशिष्ट—४

बिहार प्रान्तीय सत्याग्रह समाचार

बालू की भीत ढह चली :
बस एक धक्के की और जरूरत है :
आओ, सब कोई उस धक्के में शरीक हो जाएँ :

"भारत में अंग्रेजी राज बालू की भीत है। कोई न तो मजबूत आधार है और न उसके बनानेवाले उपदानों के पास कोई स्वाभाविक खिचाव या बाँधनेवाली शक्ति है। लोगों के डर पर यह कायम है और पैसे के लोभ, लालच में उसके कर्मचारी सटे चिमटे हुए हैं। जहाँ लोगों का झूठा भय मिटा और पैसे का टोटा हुआ कि उस राज का टुकड़ा-टुकड़ा अलग हुआ और वह धम से जमीन पर गिरा। पिछले १०-१२ वर्षों में लोगों के दिल से डर बहुत कुछ भाग चुका है और रोज भागते चला जा रहा है। आज तो बच्चा-बच्चा उसके कानूनों को खुलेआम तोड़ता है और उसमें अपना फक्र समझता है। सरकार उसे रोकने से बिलकुल लाचार हो रही है। उसके औफिसर, पुलिस तथा दूसरे भाड़े के लोग कोशिश तो खूब करते हैं, दिन का खाना और रात का सोना हराम करके वे लट्ठ लिये घूमते-फिरते और जिस किसी पर अपनी दिल की रंजिस निकालते फिरते हैं, पर उनसे कुछ बन नहीं पड़ता। कानून तोड़नेवाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मर्दों को कौन पूछे अब तो चिरकाल से पर्दे में रहनेवाली स्त्रियाँ भी इन कानूनों की नित्य अवज्ञा करतीं और कठोर-से-कठोर दण्डों को फूल की पृष्टि की तरह आँखों से सह लेती हैं। पहले जेलों का भय दिखाया गया था पर आज जेल जाने से जितना लोग भयभीत नहीं होते उतना जेल भेजने से खुद सरकार भयभीत हो रही है। जेलों में लोगों को खाना, कपड़े देना उसके लिए कठिन हो गया है अतएव उसने कसम खा ली है कि मारेंगे, पीटेंगे, दिन-दो-दिन भूखे रखकर फिर छोड़ देंगे। बिना वजह भी गोलियाँ चलायेंगे पर जेल कभी नहीं भेजेंगे।

इधर तीन-चार महीनों से तो यही हाल है कि एक सौ कानून तोड़नेवालों में कठिनाई से दस जेल में दाखिल किये जाते हैं, बाकी मार और भूख-प्यास के शिकार बनाये जाकर ही छोड़ दिये जाते हैं। अतएव स्पष्ट है कि सरकार का डर तो जाता ही रहा उसे पैसे का भी पूरा टोटा हो गया। पुलिस के दारोगा और कान्सटेबुलों को छोड़कर बाकी सरकारी नौकरों की तनख्वाह भी काटी गई है। कितने लोगों को जवाब भी मिल गया है और ज्यों-ज्यों दिन बीतता जा रहा है, मुशहरा में और भी कमी तथा लोगों की बर्खास्तगी की आशंका बढ़ती जा रही है। एक ओर तो खर्च में यह कमी और दूसरी ओर रेल, डाक का महसूल बढ़ाया गया है, आय-कर उनलोगों से भी लिया जाने लगा है जिन्हें भर पेट खाना भी नहीं मिलता। चीजों पर टिकस अलग सवैया, ड्योढ़ा कर दिया गया है! उस पर भी जब आमदनी काफी नहीं हुई तब शराब की कीमत आधी कर दी गई, शायद गांजा, भांग, अफीम आदि की कीमत घटाई गई है ताकि ज्यादा लोग शराब, गांजा पीयें, भांग और अफीम खायँ जिससे आमदनी में कुछ वृद्धि हो। पहले तो यह सुना था कि ये चीजें एक जगह बिकती थीं और लोग दौड़-दौड़ कर वहाँ जाते और खरीदते थे। कुछ दिनों से घर-घर घूमकर पहुँचाने की भी व्यवस्था चल रही है। मतलब यह है कि सरकार रुपये के लिये बेहाल है। एक ओर लोगों के दिल से भय का उठ जाना और दूसरी ओर रुपये के लिए सरकार के लिए परेशानी, ये दोनों ही बता रहे हैं कि सरकार की इमारत अब टूटने पर है। असहयोग और सत्याग्रह ने जो धक्का लगाया है उससे वह जड़ से हिल गई। बस एक धक्का और लगाइये और वह जमीन पर बिखरी पाई जायगी।

ऐसी हालत में अब आपलोगों का क्या कर्त्तव्य है? क्या वे अब भी हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या वे आगे बढ़कर धक्का लगाने में अपना हाथ नहीं लगावेंगे। सुस्ती और ढिलाई का अब समय नहीं। नाउम्मीदी की भी कोई बात नहीं रही। अब तो जरा-सी मिहनत और जरा-सी हिम्मत की बात रह गई है। भारत मंत्री के मुताबिक दस हजार में एक आदमी भी जेल में नहीं गया है और उस पर भी सरकार का यह हाल? क्या यह बाकी ९९९९ आदमियों को हिम्मत बँधानेवाली बात नहीं? अतएव भाइयों और बहनों, अपनी सुस्ती और ढीलापन को छोड़ो और थोड़ा साथ देने के लिए मैदान में आ जाओ। तुम्हारे आते ही ब्रिटिश किले का फाटक टूट

गिरेगा और हमारी विजय हो जायगी। आओ, हजारों-हजार में कांग्रेस का मेम्बर बनो, स्वयंसेवक बनो। देश के जिन पुण्य स्थानों पर सरकार ने अपना झण्डा फहरा दिया है उन पर फिर अपना कब्जा कर लो और अपना पवित्र राष्ट्रीय झण्डा फहरा दो। सब सरकारी इमारतों पर अपना झण्डा फहरा कर यह दिखा दो कि वे हमारी चीजें हैं और उन पर हमारा अधिकार है। पिकेटिंग और अन्य जरिये से विदेशी माल, खासकर कपड़ों तथा अन्य अंग्रेजी माल की बिक्री बन्द कर दो। जिन भाई-बहनों से ऊपर का कोई काम नहीं बन सके तो वे कम-से-कम विदेशी वस्त्रों का पहनना, खरीदना, शराब, गाँजा आदि का पीना, बेजरूरत रेलों पर चढ़ना, चिट्ठियाँ लिखना, तार देना ऐसे कामों को बन्द कर दें। याद रहे कि आज की लड़ाई हिन्दुस्तान और इंगलिस्तान की लड़ाई है। आज जो देश के साथ नहीं है, वह दुश्मन के साथ है। क्या तुम देशद्रोही बनोगे। अरे, अब तो आँखें मूँदकर मान-अपमान का कुछ भी ख्याल न कर अपने भाई और बहनों पर किए गए अत्याचारों की कहानियों पर कान बन्द कर उनके गिरे रक्त पर कुर्सियाँ लगाकर सहयोग करने की कसम खाये हुए मॉडरेट भाई भी ब्रिटिश सरकार से यारी तोड़ रहे हैं और असहयोग की धमकी दे रहे हैं। ऐसे समय में भी तुम्हें हिम्मत न आयी, तुम में उत्साह पैदा न हुआ, उमंग की लहर न उठी तो फिर तुम इस देश के काम में कब आओगे? याद रहे कि अलग बैठे रहने से भी जिस चीज के तुम लोभ में हो वह तुम्हें नहीं मिलेगी। जिसे तुम बचाना चाहते हो वह नहीं बचेगी। जरा बाजार में जाकर देखो। क्या चुप रहनेवालों की चीजें कुछ ज्यादा बिकती हैं या उनकी पुरानी बिक्री में भी कुछ कमी हो गई है? जरा वकालतखानों की तरफ जाओ, क्या वहाँ मुकदमों की आज भरमार है? क्या वहाँ दम मारने की फुरसत न पानेवाले वकील, बैरिस्टर भी क्या आज मक्खियाँ नहीं मार रहे हैं? और सरकारी नौकरियों का ख्वाब देखनेवाले विद्यार्थी तो सरकारी दफ्तरों का जरा गश्त लगाकर देखें कि वहाँ पुराने लोगों को कैसे निकाला जाय, इसकी चर्चा है न कि अन्य लोगों की भर्त्ती की। फिर तुम किस लोभ में पड़े हो। खूब याद रखो कि जब तक यह लड़ाई खत्म नहीं होती और वह तो लोगों की जीत पर ही खत्म होगी, सरकार की जीत पर नहीं—जिसका कि सारी दुनिया का इतिहास गवाही भर रहा है तबतक यही हाल रहेगा, बल्कि उससे भी बदतर हो

जायगा। अतएव हमारा भी यही स्वार्थ है, इसी में हमारा भी कल्याण है कि चटपट साथ बैठकर जल्दी से इस लड़ाई को जीतने में मदद पहुँचा दो। जब एक निश्चित फल निकल आवेगा तब फिर हमारी तरक्की की राह खुल जाएगी, अतएव लड़ाई में दिल खोलकर, कमर कसकर शरीक हो जाओ, देर से हमारा ही नुकसान है। हाँ, एक बात सदा याद रखो कोई भी काम करो अहिंसा को कभी नहीं छोड़ना। परमात्मा हमारा मददगार है।

शारंगधर सिंह,
स्थानापन्न सभापति,
बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी।"

सदाकत आश्रम पर धावा, प्रान्त भर में सनसनी, पुलिस वालों में बेचैनी :

"देश के जिन पुण्य स्थानों पर सरकार जबर्दस्ती कब्जा कर और अपना झण्डा फहरा कर देशवासियों का अपमान कर रही है उन पर फिर कब्जा करने, राष्ट्रीय झण्डा फहराने तथा इस प्रयत्न में सब तरह के कष्ट सहन करने और इस तरह अपनी जिन्दादिली का परिचय देने के लिए अखिल भारतीय काँग्रेस ने निश्चय किया था कि १५ जुलाई से ३१ जुलाई तक इन पवित्र मंन्दिरों पर धावा बोला जाय। इस निश्चय के अनुसार बिहार प्रान्त के प्रधान काँग्रेस केन्द्र पटने के सदाकत आश्रम पर १५ जुलाई से धावा शुरू हो गया है और बराबर चालू है। सारे प्रान्त से स्वयंसेवक आकर इस धावे में शरीक हो रहे हैं। पुलिस भी धावे को रोकने का सिरतोड़ परिश्रम कर रही है। करीब ७-८ जुलाई से ही सारे पटने शहर को मानो पुलिस की छावनी बना रखा है। रेलवे स्टेशन, स्टीमर घाट तथा शहर में घूमने के सभी रास्तों पर उनके पहरे बैठाये गये हैं। कोई आदमी बिना जाँच-पड़ताल के शहर में घुसने नहीं पाता। इस तरह बाहर के स्वयंसेवकों के आने की राह रोक रखने की पूरी चेष्टा की गई है। दूसरी ओर शहर के अन्दर सभी होटलों तथा स्वयंसेवकों के ठहरने के अन्य सम्भव स्थानों पर कड़ी निगरानी है। कई होटलों तथा अन्य मकानों की तलाशियाँ भी हुईं और बराबर जारी हैं। मतलब यह कि स्वयंसेवकों को शहर में ठहरने की कहीं जगह न मिले,

इसकी भरपूर कोशिश है। बाँकीपुर मैदान पर भी पुलिस की दृष्टि है कि कहीं स्वयंसेवक बाजार में खायें और मैदान में आकर सोया न करें। १३-१४ जुलाई को कई होटलों और मकानों की तलाशी हुई। १४ जुलाई से तो हर नाके, चौराहे और मोड़ पर पहरा बैठ गया। १५ जुलाई की तो कोई बात नहीं। उस दिन तो सारा शहर पुलिसमय ही दीखता था। उस दिन पटने से लेकर सदाकत आश्रम तक सारी सड़क पुलिस से मानों पटी हुई थी। गंगा के किनारे-किनारे भी पुलिस तैनात थी। काँग्रेस आश्रम का तो कुछ कहना ही नहीं। वह तो पुलिस का बैरक बना हुआ था। वहाँ बाहर-भीतर पुलिस के सैकड़ों जवान बैठायें गये थे। आश्रम के अन्दर राष्ट्रीय झण्डा का जो खंम्भा था जहाँ इन दिनों सरकारी झण्डा फहरा दिया गया है, कांटेदार तारों से दूर तक घेर रखा गया है और संगीन लिए संतरियों का कडा पहरा था। उस दिन इतने पहरे का इन्तजाम था कि मिलीटरी और पुलिस से पूरा पड़ता नहीं देख देहातों से सैकड़ों चौकीदार भी बुलाये गये थे जो जगह-वे-जगह खड़ा कर दिये गये थे। उस दिन लॉरियों और टमटमों का भी बुरा हाल था। सब की खूब छानबीन की जाती थी कि कोई खद्दरधारी या स्वयंसेवक तो उन पर नहीं है। पटना और दानापुर के बीच किसी मुसाफिर को उतारने की आज्ञा नहीं थी। आश्रम के सामने सब रोके जाते और उनकी जाँच-पड़ताल की जाती थी पर यह सारी दौड़ बेकार गई। स्वयंसेवक शहर के अन्दर आये ही और अब भी आ रहे हैं और धावा भी जारी है। १५ जुलाई को ४ बजे दिन में २४ स्वयंसेवकों का एक दल राजापुर के पास से निकला और "बन्दे मातरम्", "महात्मागाँधी की जय", "भारत माता की जय" आदि का नारा लगाते हुए आश्रम की ओर चला। रास्ते में पहरेदार ने रोकने की हजार कोशिश की पर वह दल आगे बढ़ता गया। जब आश्रम के करीब फाटक के निकट पहुँचा तो पुलिस-वालों के बहुत बड़ा दल ने उसे चारों ओर से घेर लिया और स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया। जब यह दल चला तो रास्ते में बहुत-से लोग इसके पीछे-पीछे हो गये और खासी भीड़ लगने लगी। चारों ओर खूब सनसनी फैली।

जिस समय उपर्युक्त दल धावे के लिए रवाना हुआ करीब उसी समय बाँकीपुर शहर के अन्दर स्वयंसेवकों के पांच दल पाँच भिन्न स्थानों से नारा लगाता और जय-जयकार करता निकला। एक दल खजांची रोड से, एक

मखनियाँकुआँ से, एक गोविन्द मित्रा रोड से, एक सब्जीबाग से और एक बाकरगंज से। ये दल भी आश्रम की ओर चले। शहर में बड़ी सनसनी फैल गई। जिधर देखिये उधर ही लोगों की भीड़ इकट्ठी नजर आती थी। सारे शहर में ऐसी चहल-पहल हो गई जो इधर कई महीनों से नहीं हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद आखिर सभी स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिये गये। उस समय दिन में पुलिस ने कदमकुआँ के एक मकान पर भी धावा किया और वहाँ से दस आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। १५ जुलाई को कुल ७४ गिरफ्तारियाँ हुईं।

१६ जुलाई को धावा फिर शुरू हुआ। उस दिन भी कई दल कई जगह से निकले और शहर में बिजली दौड़ाते हुए गिरफ्तार हो गये। गंगा के किनारे धावा बोलने की तैयारी में एक दल गिरफ्तार हुआ! १६ जुलाई की रात में भी कुछ लोग मैदान में सोये हुए गिरफ्तार किये गये। १६ जुलाई को कुल गिरफ्तारियाँ ४६ हुईं।

१७ जुलाई को १८ स्वयंसेवकों का एक जत्था कुर्जी घाट से आश्रम की ओर चला। करीब ६-७ सौ आदमियों की भीड़ पीछे-पीछे उसके साथ चली। रास्ते में पुलिस के सिपाहियों ने उसे रोकने का प्रयास किया पर प्रचण्ड वायु की तरह वह दल रुकावटों को सामने से उड़ाता हुआ आश्रम के पास पहुँच ही गया। वहाँ पर वह गिरफ्तार कर लिया गया। आश्रम के निकट पहुँचने के समय जनता की भीड़ एक हजार से ऊपर होगी।

१८ जुलाई को तो स्वयंसेवकों का एक जत्था पच्छिम से आकर आश्रम के अन्दर प्रवेश कर गया और झण्डे के समीप पहुँचने को ही था कि गिरफ्तार कर लिया गया। पाँच-छः सौ आदमियों की भीड़ भी उसके साथ थी। उसी दिन एक दूसरा जत्था आश्रम के निकट पहुँचकर गिरफ्तार हो गया। दो और जत्थे महेन्द्रू घाट से आश्रम की ओर रवाना हुए पर पीरबहोर थाने के पास गिरफ्तार कर लिये गये। इस दिन की कुल गिरफ्तारियाँ ३३ हुईं।

१९ जुलाई को ८ स्वयंसेवकों का जत्था बाँकीपुर मैदान से निकला और गोलघर के पास पहुँचकर गिरफ्तार हो गया।

२० जुलाई को १० स्वयंसेवकों का एक जत्था आश्रम में झण्डे के निकट पहुँचकर गिरफ्तार हुआ। १७ स्वयंसेवकों का दूसरा जत्था पटना कालेज से

निकला और पीरबहोर में पकड़ा गया। छः दिनों में कुल २०७ गिरफ्तारियाँ हुईं।

इसी तरह ३१ जुलाई तक धावा जारी रहेगा। इस धावे का और कुछ फल हो या न हो, लोगों में एक विचित्र जागृति आ गई है। देहातों तक में इसकी चर्चा फैल गई है और उमंग और उत्साह उमड़ता नजर आ रहा है।"

कांग्रेस की विजय—आश्रम पर कब्जा :

"१४ जुलाई को चम्पारण जिला के बनजरिया आश्रम पर स्वयंसेवकों ने धावा किया और उस पर कब्जा करके वहाँ राष्ट्रीय झण्डा फहरा दिया। पीछे पुलिस ने १२ स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया।"



परिशिष्ट—५

स्मृति-प्रस्ताव

२६ जनवरी, १९३१

"हम,.........के नागरिक भारत के उन बीर पुत्रों एवं कन्याओं की, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया है और देश को स्वतन्त्र करने के हेतु यातनाएँ सही हैं एवं बलिदान किये हैं, प्रशंसा में अपनी स्वाभिमानपूर्ण कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम अपने महान् तथा प्रिय नेता महात्मा गाँधी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गाँधीजी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उच्च लक्ष्यों एवं महान् प्रयत्नों का मार्ग दिखाते रहे हैं। हम स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर अपने को चढ़ा देनेवाले उन सैकड़ों वीर जवानों के प्रति श्रद्धावनत हैं। पेशावर, सीमान्त प्रदेश, शोलापुर, मेदनीपुर जिला और बम्बई के इन नौजवानों ने देशमाता के चरणों में अपने प्राणों की बलि चढ़ायी है। हजारों-हजार लोगों ने शत्रु के हाथों लाठियाँ खाई हैं और उसके अत्याचारों का बहादुरी के साथ सामना किया है उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। गढ़वाली रेजीमेंट और सरकारी पुलिस एवं सेना के अनेक नौजवानों ने अपनी जान का खतरा उठाकर अपने देशवासियों पर गोली चलाने या उनके विरुद्ध अन्य कार्रवाइयाँ करने से इन्कार कर दिया उनके, प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुजरात के अजेय किसान सरकार के लाख डराने-धमकाने पर भी पीछे नहीं हटे एवं अपनी पीठ नहीं दिखाई तथा भारत के अनेक अन्य भागों में बहादुर तथा दीर्घकाल से कष्ट सहन करनेवाले किसान स्वतन्त्रता संग्राम में सरकार के भीषण अत्याचारों का सामना करते रहे हैं। हम उन सबों का अभिनन्दन करते हैं। हमने देखा है

कि अनेक व्यापारी तथा वणिज समुदाय के अनेक दूसरे लोग भारी क्षति उठाकर भी राष्ट्रीय संग्राम में सहायता देते रहे हैं, खास करके विदेशी वस्त्र एवं विलायती वस्तुओं के वहिष्कार में। उनकी भी हम प्रशंसा करते हैं। एक लाख से ऊपर स्त्री-पुरुषों ने जेल यात्रा की, हर तरह के कष्ट सहे, उन्हें जेल के भीतर भी अक्सर यातनाएँ दी गईं, फिर भी वे वीरतापूर्वक मैदान में डटे रहे, हम उनके चिर कृतज्ञ हैं। विशेष करके असंख्य सामान्य स्वयंसेवक भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सच्चे सैनिक की तरह प्रतिष्ठा एवं पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करते हुए केवल देश की स्वतन्त्रता पर मर मिटने को तैयार, धीरज के साथ एवं शान्तिपूर्ण ढंग से अनेक तरह का कष्ट सहन करते हुए अपने महान् कार्य में लगे रहे हैं। भारत उन्हें कभी भी नहीं भूलेगा।

हम भारत की नारी के प्रति अपनी श्रद्धा एवं प्रशंसा की भावना व्यक्त करते हैं। देश पर संकट की घड़ी में भारतीय नारी घर की चाहारदीवारी से निकलकर अदम्य साहस, धैर्य तथा उत्साह के साथ पुरुषों के कन्धे-में-कन्धे मिलाकर भारत की राष्ट्रीय सेना की पहली पंक्ति में खड़ी रही। हम भारत के सुकुमार बालकों तथा किशोरवयस्क तरुणों एवं नवयुवकों के बलिदान तथा अदम्य स्फूर्ति के साथ स्वतन्त्रा में डटे रहने का अभिनन्दन करते हैं।

हम इस बात पर अपना आभार प्रकट करते हैं कि देश के सभी बड़े एवं छोटे सम्प्रदायों तथा वर्गों ने इस महान् संग्राम में एकजुट होकर हिस्सा लिया और अपना सर्वस्व अर्पित किया। विशेष करके मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई तथा अन्य अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के प्रति हम आभारी हैं। मातृभूमि को दासता की बेड़ियों से मुक्त करने के हेतु इन्होंने वीरतापूर्वक एवं निष्ठा के साथ विजय में पूर्ण आस्था रखते हुए योगदान किया है। इस प्रकार अखण्ड राष्ट्र के निर्माण में इनका योगदान अभिनन्दनीय है। यह अखण्ड राष्ट्र निश्चय ही देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने एवं उसे कायम

रखने तथा उसका भारत के सभी वर्गों एवं लोगों के बीच विषमता दूर करने के हेतु उपयोग करने में और इस प्रकार मानवता की सेवा करने में सफल होगा। भारत ने अपने महान् लक्ष्य की प्राप्ति में जो आत्मबलिदान तथा कष्टसहन का गौरवपूर्ण एवं प्रेरणाप्रद उदाहरण प्रस्तुत किया है उसको ध्यान में रखते हुए हम स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा पुनः लेते हैं और देश की पूर्ण स्वतन्त्रता का लक्ष्य हासिल करने तथा संघर्ष जारी करने का अटल संकल्प व्यक्त करते हैं।"



परिशिष्ट—६

पटना जिला बार एसोसियेशन के सदस्यों की २७ अप्रील १९३१ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

"इस संघ को माननीय पटना हाई कोर्ट के उस निर्णय पर विस्मय एवं गहरी चिन्ता हुई जिसमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन से संबंधित कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए कुछ वकीलों को इस आशय की सूचना दी गई है कि जबतक वे ब्रितानी भारत की वैध सरकार के विरुद्ध किसी कार्रवाई में भविष्य में भाग नहीं लेने का लिखित संकल्प नहीं प्रस्तुत करते, उनकी वकालत के प्रमाण-पत्र का पुनर्नवीकरण नहीं किया जायगा। संघ इस प्रश्न पर शांति एवं गम्भीरता के साथ विचार करके हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का ध्यान निम्नलिखित दृष्टि विन्दुओं पर आकृष्ट करना अपना कर्त्तव्य समझता है और आशा एवं विश्वास करता है कि माननीय न्यायाधीश उपर्युक्त लिखित वादा माँगने का अपना निर्णय वापस ले लेंगे।

किन स्थितियों में वकीलों को अपना काम नहीं करने दिया जायगा या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जायगी इसका पूरा-पूरा उल्लेख लीगल प्रैक्टिशनर ऐक्ट की धारा १३ और १४ के अन्तर्गत किया गया है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे वकीलों से उनके भविष्य के आचरण के लिए किसी तरह के आश्वासन की माँग की जाय। इसके अतिरिक्त उनके पहले के आचरण के लिए सजा देने का हाईकोर्ट का अधिकार नियंत्रित है।

लीगल प्रैक्टिशनर ऐक्ट की धारा ७ में कहा गया है कि प्रत्येक वकील को वर्ष के अन्त में हाईकोर्ट द्वारा बनाये गये अधिनियमों के अन्तर्गत

डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अपने प्रमाण-पत्रों के नवीकरण का अधिकार होगा। अबतक हाईकोर्ट द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम २६ (क) के अतिरिक्त अन्य कोई अधिनियम नहीं जारी किये गये हैं। अधिनियम २६ (क) में जिला जज को अधिकार दिया गया है कि यदि किसी वकील के पेशे के संबंध में आचरण संतोषजनक नहीं हो तो वह इसकी सूचना हाईकोर्ट को देगा और उसमें अनुशंसा करेगा कि उसके प्रमाण-पत्र को नवीकृत नहीं किया जाय। तदुपरान्त हाईकोर्ट उस पर जो भी उचित समझे आदेश देगा।

प्रस्तुत संदर्भ में जहाँ तक संघ को मालूम है जिला न्यायाधीश द्वारा उनके प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के विरुद्ध कोई अनुशंसा नहीं की गई थी। इस स्थिति में नवीकरण के लिए उनके आवेदन पर हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के प्राधिकारों के उपयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और न उनका आचरण ही उनके पेशे के संदर्भ में आपत्तिजनक था जिसके लिए जिला न्यायाधीश की अनुशंसा अधिनियम २६ (क) के अन्तर्गत आवश्यक होती।

किसी वकील का सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने से उसके मवक्किलों का विश्वास उसमें किसी तरह भी भंग नहीं होता उल्टे सत्य, अहिंसा और बलिदान पर आधारित आन्दोलन में भाग लेने से जो चरित्र की महत्ता प्रकट होती है उससे मवक्किलों की आस्था बहुत कुछ बढ़ती ही है।

जो लिखित संकल्प माँगा गया है उसकी भाषा बहुत ही अस्पष्ट एवं व्यापक है। उसमें ऐसी कोई भी कार्रवाई आ सकती है जिसमें वर्त्तमान सरकार को खत्म करने की माँग करने या उस पर बल देने का संकेत हो और उसके स्थान पर एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना किए जाने की माँग से संबंधित हो। इसी तरह लिखित वादा के अन्तिम भाग में

वैधानिक कार्रवाई की स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन भी उतना ही अस्पष्ट है क्योंकि देश के कुछ प्रमुख वकीलों की राय में सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूर्णतः संवैधानिक है।

गाँधी-इरविन समझौता की शर्त्तों के अन्तर्गत वकीलों को उपर्युक्त अपराधों की सजा से मुक्त किए जाने की घोषणा की गयी है। इस संदर्भ में उपर्युक्त लिखित वादा की माँग समझौता के अनुपालन के प्रतिकूल होगा। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों से उसकी माँग की जायगी वे उसे घोर अपमानजनक समझेंगे। इस संघ का विश्वास है कि माननीय हाईकोर्ट के पास वर्त्तमान सरकारी व्यवस्था कायम रखने के पक्ष में कोई आधार नहीं है तथा लिखित वादा की माँग से खासकर ऐसे समय में जबकि सरकार न केवल चुप है बल्कि वकीलों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों को वापस लेने को भी तैयार हो चुकी है, हाईकोर्ट की यह नीति सरकारी नीति के प्रति भ्रम पैदा कर सकती है।''

—'द सर्चलाइट', ३ मई, १६३१



परिशिष्ट—७

तिरहुत प्रमण्डल के आयुक्त की शारदा सदन पुस्तकालय, लालगंज, जिला मुजफ्फरपुर के संदर्भ में ६–११–१९३१ की अधीक्षण टिप्पणी :—

"मैं शारदा सदन पुस्तकालय के सचिव बाबू जगन्नाद प्रसाद के आमंत्रण पर पुस्तकालय देखने गया। ऐसी संस्थाओं की उपयोगिता के संबंध में जो कुछ भी कहा गया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। मेरे समक्ष जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उनसे स्पष्ट होता है कि पुस्तकालय का उपयोग अच्छी तरह किया जा रहा है। सुयोग्य निदेशन में यह संस्था स्थानीय तथा सामान्य रुचि के विषयों पर स्वस्थ लोकमत तैयार करने का एक केन्द्र बन सकती है।

पुस्तकालय के लिए अपना अधिक बड़ा और अच्छा भवन होना चाहिए। इसके लिए जनता से चन्दा लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगामी वर्ष में यदि आयुक्तों को इसके लिए अनुदान स्वीकृत किया जायगा तो शारदा पुस्तकालय के लिए भी कुछ रकम देने की बात पर विचार करूँगा।"

(ह०) जे० इ० सॉकट आई० सी० एस०,
आयुक्त,
तिरहुत प्रमण्डल।

आयुक्त की उपर्युक्त अधीक्षण-टिप्पणी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए शारदा पुस्तकालय के सचिव ने २२ मई, १९३२ के अपने पत्र में अनुदान के लिए लिखा किन्तु प्रमण्डलायुक्त का उसका उत्तर पाकर सचिव को विस्मय हुआ।

तिरहुत प्रमण्डल के आयुक्त का शारदा सदन पुस्तकालय के सचिव को २५/२६ मई, १९३२ का पत्र (संख्या जे० २४२५) :—

"२२ तारीख का पत्र (संख्या ७२) मिला। उत्तर में मुझे कहना है कि जबतक लालगंज में कांग्रेसी समर्थक और सरकार विरोधी कार्रवाइयाँ

कम नहीं होतीं तबतक वहाँ की किसी भी संस्था की किसी भी माँग पर मैं विचार नहीं करूँगा। पिछले छः महीनों में इस सन्दर्भ में लालगंज की जो कुख्याती हुई है उसे दूर करना वहाँ के प्रमुख तथा निष्ठावान नागरिकों पर ही है।" आयुक्त केवल यह जवाब देकर ही नहीं रह गया उसमें स्थानीय नगरपालिका को भी पुस्तकालय को अपना अनुदान निलम्बित करने का आदेश दिया। लालगंज नगरपालिका की उसकी अधीक्षण-टिप्पणी का सम्बद्ध अंश प्रस्तुत है :—

'मैं शारदा पुस्तकालय को जो १५ -रुपये का अनुदान दिया जाता है उसका औचित्य नहीं समझता। १६३१ मार्च से १० रुपया से बढ़ाकर १५ रुपया कर दिया गया था उसे कम कर देना चाहिए। मुझे ऐसी सूचनाएँ मिल रही हैं कि पुस्तकालय अवांछनीय राजनीतिक रूप ले रहा है, मुख्यतः कांग्रेसी प्रेरणा से युक्त। १६३१ और १६३२ के प्रारम्भ में लालगंज सविनय अवज्ञा के प्रति सहानुभूति रखने के लिए कुख्यात हो गया था। यह बहुत आवश्यक है कि नगरपालिका उससे बिलकुल अलग रहे। मैं चाहूँगा कि जिला मजिस्ट्रेट स्वस्थ सूत्रों से प्राप्त सूचना द्वारा इस पर विश्वास हो कि पुस्तकालय सचमुच एक साहित्यिक संस्था है और उसमें किसी तरह की राजनीति अनुरंजना नहीं है। उसके बाद भी यह बात रह जाती है कि अधिकतर करदाता को पुस्तकालय पर १८० रुपया वार्षिक रकम के व्यय से कोई लाभ नहीं होता है।"

तत्कालीन सचिव श्री फकीरा लाल साह और दूसरे नागरिकों के बारम्बार अनुरोध और अपील के बावजूद आयुक्त ने १३ जनवरी, १६३४ के अपनी कार्यालय स्मारिका (जे० १६३-६४) में निम्नलिखित आदेश दिया :—

"हितैषणी सभा, लालगंज के सचिव फकीरा लाल साह का ८ जनवरी, १६३४ का तथा श्री शारदा सदन पुस्तकालय, लालगंज के संदर्भ में वहाँ के नागरिकों की ओर से १० जनवरी १६३४ का आवेदन-पत्र पढ़ें।"

आदेश :

"पुस्तकालय सरकार-विरोधी लोगों का अड्डा बन गया है। बाबू जगन्नाथ प्रसाद इसके नेता हैं अतः उसके प्रति जनता या सरकार की सहानुभूति

नहीं हो सकती। यदि पुस्तकालय अब भी अपने को राजनीति से पूर्णतः अलग कर ले, जो अभी तक उसने नहीं किया है और आगामी दो वर्षों तक कोई आपत्तिजनक काम नहीं करे तो सरकार उसकी सहायता करने की प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने को तैयार होगी।"

१९३५ में एक बार फिर पुस्तकालय के प्रति आयुक्त के पास उसकी असहानुभूतिपूर्ण रवैया को परित्याग करने का आवेदन किया गया। उस पर निम्नलिखित उत्तर (संख्या जे० २३३७, तारीख १० अप्रील १९३५) पुस्तकालय के सचिव को मिली :—

"शारदा सदन पुस्तकालय, लालगंज को सहायता देने हेतु आवेदन-पत्र के संदर्भ में मैंने स्थानीय तहकिकात कारवाई। मुझे खेद है कि अभी तक मैं इस बात से आस्वस्त नहीं हुआ हूँ कि उस संस्था को सरकारी सहायता देना उचित होगा। सरकारी सहायता उसके केवल एक व्यक्ति से सम्बद्ध रहने के कारण नहीं बन्द कर दी गई थी बल्कि इसलिए कि पुस्तकालय सरकार विरोधी लोगों का केन्द्र बन गया था। इस सम्बन्ध में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, किन्तु पुस्तकालय पर कुछ और समय तक नजर रखी जायगी उसके बाद ही सरकारी अनुदान प्राप्त करनेवालों की सूची में उसे स्थान दिया जा सकता है।"

उपर्युक्त पत्र के जवाब में हिन्दी हितैषणी सभा के सचिव ने २२ अप्रील १९३५ को आयुक्त की शंका दूर करने के लिए उससे अनुरोध किया कि स्थानीय अधिकारियों को पुस्तकालय के प्रबन्ध में भाग लेने की अनुमति दी जाय किन्तु, यद्यपि उसे अभी संतोष नहीं हुआ था पर उसने स्थानीय अधिकारियों को कुछ शर्त्तों के साथ पुस्तकालय के प्रबन्ध में भाग लेने की अनुमति दे दी। यह तिरहुत प्रमण्डल के आयुक्त के निजी सहायक के मुजफ्फरपुर के जिलाधीश को २६ अप्रील, १९३५ के पत्र (संख्या २६१४) से प्रकट होगा। पत्र इस प्रकार था :—

"मुझे १० अप्रील, १९३५ के पत्र सं० जे० २३३७ और २२ अप्रील १९३५ के पत्र संख्या २०३ (हिन्दी हितैषणी सभा, लालगंज के सचिव द्वारा प्रेषित) की प्रतिलिपि भेजने का आदेश दिया गया है और इस सन्दर्भ में यह कहने का आदेश दिया गया है कि आयुक्त को स्थानीय अधिकारियों

के पुस्तकालय के प्रबन्ध में सम्मिलित होने पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें यदि ऐसी कोई कार्रवाई वहाँ होती हुई दीख पड़े जिनको वे नियन्त्रित नहीं कर सकें तो इस्तीफा दे देंगे, किन्तु यदि वे पुस्तकालय को गैर-राजनीतिक शैक्षणिक संस्था बना सकने में कोई सहायता कर सकें तो अच्छा होगा।" सरकार के इस असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के बावजूद पुस्तकालय चलता रहा।

तिरहुत प्रमण्डल के स्कूल इन्सपेक्टर, छपरा के स्कूल इन्सपेक्टर, श्री आलम, हाजीपुर के तत्कालीन अनुमण्डलाधिकारी तथा सर सी० पी० एन० सिन्हा एवं कुछ अन्य लोगों के पुस्तकालय को विशुद्ध शैक्षणिक कार्रवाइयों का केन्द्र होने के सम्बन्ध में वक्तव्यों के बावजूद उस पर सरकार की वक्र दृष्टि बनी रही। फलतः उसे उपयुक्त सरकारी सहायता एवं संरक्षण नहीं मिल सका।

●

बिहार सरकार का १६ दिसम्बर, १९३१ का पत्र भारत सरकार के गृह सचिव को प्रस्तुत

कांग्रेस विरोधी अभियान की योजना :

१. मैंने सविनय अवज्ञा फिर से शुरू होने के सन्दर्भ में सरकार की नीति एवं कार्यक्रम पर आपसे तथा महानिरीक्षक से पहले ही विवेचना कर चुका हूँ। आपने मेरी पहली टिप्पणी देखी होगी; सम्प्रति उसका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत है :

२. कांग्रेस तीन विभिन्न योजनाओं के अनुसार अभियान चला सकती है :—

(क) पुराने कार्यक्रमों के अनुसार सविनय अवज्ञा की घोषणा करना;

(ख) परिवर्त्तित रूप में सविनय अवज्ञा घोषित करना। इसे मैंने कहीं पर "रक्षात्मक सत्याग्रह" के नाम से देखा है;

(ग) अभी की तरह अपनी स्थिति सुधारने एवं सुदृढ़ करने के प्रयत्न जारी रखना, इस बात के बावजूद कि इन प्रयत्नों में अबतक बहुत कम सफलता मिली है।

३. यदि वे अभी की तरह काम करते रहें तो हमें भी वर्त्तमान नीतियों पर ही स्थित रहना पड़ेगा अर्थात् सभी विशेष करके बिहार के मोफस्सिल के अधिकारियों को अत्यधिक सतर्क रहना होगा। निश्चित रूप से राजद्रोहात्मक भाषणों पर अविलम्ब कार्रवाई की जायगी एवं समाचार-पत्रों पर अत्यधिक सतर्क दृष्टि रखनी होगी। हम सतर्क रहने की आवश्यकता पर पहले ही बल दे चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जिलाधिकारी पूर्ण सतर्क हैं। शाहाबाद में श्री किशुन

सिंह के विरुद्ध श्री पेक् द्वारा की गई कार्रवाई उपयोगी सिद्ध होगी। मैं चाहता हूँ कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य अधिकारी भी उसका अनुसरण करने में ऊहापोह नहीं करेंगे।

ऐसा जान पड़ता है कि पुरी में श्री थडानी की कार्रवाई के भी कुछ अच्छे परिणाम हुए हैं, सब्बलपुर में धारा १२४ (क) के अन्तर्गत लक्ष्मीनारायण मिश्र पर कानूनी कार्रवाई की गई; इससे प्रान्त के उस भाग में और गड़बड़ी नहीं फैलेगी। वर्त्तमान के लिए और अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि हिन्दी, उर्दू और उड़िया अनुकर्त्ता तथा उप-आरक्षी महानिरीक्षक देशी भाषाओं एवं अंग्रेजी के समाचार-पत्रों पर अत्यधिक सतर्क दृष्टि रखें। खास करके इसलिए कि आज के समाचार-पत्र सम्बन्धी तारों से मैं अवगत हुआ हूँ कि युक्तप्रान्त में लागू किया गया अध्यादेश प्रेस ऐक्ट का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत के लिए प्रवधित कर देता है एवं अन्य क्षेत्रों में समाचार-पत्रों द्वारा कर-बन्दी आन्दोलन को प्रोत्साहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

४. अब सवाल यह है कि यदि कांग्रेस पहली या दूसरी योजना के अनुसार क्रियाशील हो तो हमें कौन से प्राधिकार दिये जायँगे। इस सन्दर्भ में पहले के पत्राचार पर विशेष ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। अपने १२ अगस्त, १९३१ के पत्र संख्या एस० १५६९ में भारत सरकार ने बताया था कि सविनय अवज्ञा फिर से शुरू किये जाने पर सरकारी अधिकारियों को किस प्रकार काम करना होगा।

(क) ज्योंही सविनय अवज्ञा शुरू की जाय कांग्रेस कार्यकारिणी को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दी जायगी और स्थानीय कांग्रेस संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जायगी।

(ख) एमरजेन्सी पावर्स (आपात प्राधिकार) अध्यादेश को लागू कर दिया जायगा एवं ऐसे सभी प्रान्तों में, जो उसकी आवश्यकता समझेंगे, उसका क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया जायगा।

तात्पर्य यह है कि हमें इसके लिए माँग करनी होगी तथा उसकी जरूरत है, यह दिखलाना होगा। आदेश मिलने के कुछ ही पूर्व जब हमलोगों से विचार-विमर्श किया गया था तो हमने अपने ३९०४ सी० संख्यक तार (९ अगस्त, १९३१) में सूचित किया था कि आपात प्राधिकार अध्यादेश तुरत आवश्यक होगा, इसकी आशा नहीं की जाती है।

(ग) प्रेस अध्यादेश लागू कर दिया जायगा और स्थानीय सरकार से भारत सरकार को यह सूचित करने का अनुरोध किया जायगा कि वह उपयुक्त स्थिति में आन्दोलन की रूपरेखा तथा सम्बद्ध अखबारों के नाम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार उस समय प्रेस अध्यादेश जारी करने में शायद देर करे जैसा कि अक्टूबर, १९३० में उसकी अवधि समाप्त होने पर हुआ था। उस समय हमलोगों के लिए अक्सर इस तरह की रिपोर्ट भेजते रहना आवश्यक हो गया था कि समाचार-पत्र सविनय अवज्ञा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस संबंध में परवर्त्ती पत्राचार से यह प्रकट होता है कि भारत सरकार अध्यादेश जारी करने में अधिक शीघ्रता कर सकती थी। समाचार-पत्रों पर कार्रवाई करने के हेतु आवश्यक प्राधिकार आपात प्राधिकार अध्यादेश (प्रेस ऐक्ट सहित) की धारा ६७ में दिए गए हैं। ये अधिकार आपात प्राधिकार अध्यादेश के जारी किए जाने के साथ ही सम्पूर्ण भारत पर लागू हो जाते हैं।

नये यू० पी० अध्यादेश ने प्रेस ऐक्ट का क्षेत्र भी बढ़ा दिया है। हम इस बात की आशा करते हैं कि भारत सरकार हमें ९ अगस्त १९३१ के हमारे तार में संकेतित आवश्यकता-नुसार प्राधिकार प्रदान करेगी। यदि ऐसा नहीं होता है और समाचार-पत्र आन्दोलन के प्रारंभिक एवं तैयारी के चरण में अधिक उग्र हो उठते हैं तो हमें इस पर बल देना

होगा और यही कारण है कि मैंने समाचार-पत्रों पर सतर्क दृष्टि रखने का सुझाव दिया है।

(घ) अनलाफूल एसोसियेशन (गैर-कानूनी संस्था) अध्यादेश जारी कर दिया जायगा एवं जो प्रान्त उसकी माँग करेंगे उन पर उन्हें लागू कर दिया जायगा। ६ अगस्त १९३१ के तार में यह भी कहा गया था कि इस अध्यादेश की तुरत आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। मैंने इस पर फिर से विचार किया है और इस संबंध में यह कहना चाहूँगा :

(ङ) गैर-कानूनी बहकावा (इन्सटिगेशन) अध्यादेश भी उन प्रांतों में, जो उसकी आवश्यकता महसूस करेंगे, लागू किया जायगा। इसके संबंध में भी हमें उसकी आवश्यकता क्यों है यह सिद्ध करना होगा। ६ अगस्त १९३१ के तार में हमने कहा था कि इसकी तुरत आवश्यकता होगी।

(च) उस समय भारत सरकार डराने-धमकाने सम्बन्धी (इनटिमिडेशन) अध्यादेश तबतक जारी करने के पक्ष में नहीं थी जबतक धरना अधिक आपत्तिजनक नहीं हो गया हो। उसके बाद से भारत सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्त्तन हुआ है और उन्होंने धरना की परिभाषा का विस्तार किया है। भारत सचिव ने भी उसे स्वीकृत किया है। अगस्त, १९३१ के उनके पत्र में यह कहा गया था कि यदि कांग्रेस धरना कार्यक्रम एक राजनैतिक अस्त्र के रूप में चलाती है तो उक्त अध्यादेश को जारी करना आवश्यक हो सकता था अन्यथा स्थानीय सरकारों को उसके अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता के संबंध में आवश्यक तथ्यों की सूचना भारत सरकार को देनी होगी।

५. हमने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था उसकी मुख्य बातें यही थीं और उनसे यह आभासित होता है कि भारत सरकार को प्रत्येक चरण में कौन-सी कार्रवाई आवश्यक है, इसकी आवश्यकता बतानी होगी तथा उसे सिद्ध करना होगा।

किन्तु यह स्थिति ब्रितानी मंत्रिमण्डल में परिवर्त्तन के पूर्व की थी। ६ नवम्बर १९३१ के पत्र संख्या एफ० १४/XII/३१ (राजनैतिक) में यह कहा गया था कि ब्रितानी सरकार इस बात पर संतुष्ट होना चाहेगी कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई शुरू करने के हेतु उपयुक्त आपात स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ब्रितानी सरकार को इस विषय में संतुष्ट करने में भारत सरकार कोई कठिनाई नहीं देखती थी। उसने कहा था कि वह अविलंब आवश्यक सूचनाएँ प्रस्तुत कर सकेंगी जिनके आधार पर ब्रितानी सरकार आवश्यक अनुमति प्रदान कर देगी। इससे स्पष्ट है कि यदि कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा फिर से शुरू करने की घोषणा की जाती है तो भारत सरकार अविलंब क्रियाशील हो जायगी और स्थिति बिगड़ने तक उसे प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। यह बहुत ही संतोषप्रद है। मेरी दृष्टि में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि अध्यादेश जारी किए जाते हैं तो हमें अपने प्रान्त में उन्हें लागू करने के हेतु आवश्यकता सिद्ध करना जरूरी नहीं भी हो सकता था और सम्भवत: उन्हें लागू करने के लिए एक तार द्वारा अनुरोध ही पर्याप्त होगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमें इसके लिए पहले से ही निश्चित हो जाना चाहिए और मैं श्री एमरशन को निम्नलिखित अर्धसरकारी पत्र देना चाहूँगा :

मेरी उपर्युक्त धारणा की इस पत्र से पुष्टि हुई है। इस पत्र से ऐसा संकेत मिलता है कि अध्यादेश के अन्तर्गत हमें सभी प्राधिकार दिए जायेंगे एवं सविनय अवज्ञा का फिर से शुरू होना रोकने के लिए हमारी सभी योजनाएँ तैयार रहें, हमें ऐसा कहा गया है। निम्नलिखित अवतरण में उल्लिखित योजना में मैं यह मान कर चला हूँ कि हमें चार अध्यादेशों तथा क्रिमिनल प्रोसिडियोर अमेंडमेंड ऐक्ट के अन्तर्गत वर्तमान प्राधिकार उपलब्ध रहेंगे तथा यह भी कि भारत सरकार १२ अगस्त १९३१ के कार्यक्रम में संकेतित पहला कदम तुरत उठायेगी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर देगी।

अभियान की योजना :

६. भारत सरकार के १२ अगस्त १९३१ के पत्र के अनुसार इस कार्यक्रम के लक्ष्य निम्नलिखित थे :—

(क) नेताओं की गिरफ्तारी के द्वारा आन्दोलन को आरम्भ में ही जोर पकड़ने से रोकना।

(ख) एमरजेंसी पावर्स (आपात प्राधिकार) अध्यादेश की धारा ३ और ४ के अन्तर्गत परवर्त्ती गिरफ्तारियाँ करके आन्दोलन को रोकना। भारत सरकार इस पर अत्यधिक महत्व देती है। उनके अनुसार स्थानीय सरकार जिन्होंने अध्यादेशों के अपने यहाँ तुरत लागू करने का अनुरोध नहीं किया हो वे इस पर विचार करेंगी कि अन्य तरीकों से ही ये उद्देश्य हासिल किए जा सकते थे अथवा नहीं।

इस प्रकार पहली बात यह है कि ज्योंही अभियान शुरू होता है हमें उस पर कठोर एवं अविलंब प्रहार करना होगा।

प्रान्तीय नेताओं की गिरफ्तारी :

(क) क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत कार्रवाई हमें संभवतः अ० भा० कां० का० समिति को गैर-कानूनी संस्था घोषित करने के आदेश अविलंब मिल जायेंगे क्योंकि भारत सरकार अपने कार्यक्रम के अनुच्छेद (क) में कहती है कि इस तरह की घोषणा प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी की जायगी। पिछले वर्ष भी ऐसा ही किया गया था और उस समय जो अधिसूचना जारी की गई थी उसे तैयार रखा जायगा।

(ख) उप-आरक्षी महानिरीक्षक के पास अ० भा० कां० का० समिति के सदस्यों की अधुनातम सूची है। ज्योंही अधिसूचना जारी की जाती है क्रिमिनल प्रोसिडियोर अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा १७ (क) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं सैयद महमूद पर मुकदमा चलाए जाने के आदेश दिए जायँ। बिहार से अ०

भा० काँ० कार्यकारिणी के यहाँ दो सदस्य हैं। इस प्रान्त में यदि उसके अन्य कोई सदस्य हों तो उन पर भी वैसा ही आदेश जारी किए जाएँ। अ० भा० कां० का० समिति के सदस्यों की सूची जिलाधिकारी के पास रहनी चाहिए और उनके क्षेत्राधिकार में उनमें से यदि कोई हो तो उस पर कार्रवाई करने को उन्हें कहा जाना चाहिए····प्रान्तीय काँग्रेस की कार्यकारिणी समिति को गैर-कानूनी संस्था घोषित करने की एक वैसी ही अधिसूचना जारी करनी चाहिए। इसमें लगभग १० सदस्य हैं। इनके विरुद्ध भी वैसी ही कार्रवाई की जानी चाहिए ···· ···· ····मेरी राय में हिन्दुस्तान सेवा दल तथा स्वयंसेवक प्रशिक्षण दल एवं ऐसे अन्य संगठनों के विरुद्ध भी कार्रवाई करना आवश्यक है ···· ···· ····यदि अदालत उन्हें छः महीने की सजा देती है (उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत अधिकतम) तो उसके फलस्वरूप लगभग एक ही समय अनेक लोग रिहा हो जायेंगे और उससे गड़बड़ी फैलेगी ···· ····मजिस्ट्रेटों को भी यह चेतावनी देना उपयुक्त होगा कि वे चार महीने से कम की सजा नहीं दें ···· ····सदाकत आश्रम जैसे स्थानों को उसकी समस्त सम्पत्ति सहित जब्त करना सर्वाधिक प्रभावी होगा।

अन्य कार्रवाइयाँ :

हम मोटर गाड़ियों का व्यवहार रोक करके तथा पेट्रोल पर नियन्त्रण करके आन्दोलनकर्त्ताओं को देहातों की यात्रा करने से रोक सकते हैं।



परिशिष्ट—९

२ जनवरी, १९३२

क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस नामक संस्था द्वारा सविनय अवज्ञा के नाम से अभिहित आन्दोलन फिर से शुरू करने का प्रस्ताव किए जाने के फलस्वरूप आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है एवं क्योंकि यह जन सुरक्षा एवं शान्ति के हित में है कि निम्नलिखित श्रेणियों की डाक-सामग्रियाँ बिहार-उड़ीसा में डाक-व्यवस्था द्वारा नहीं वितरित की जायँ। इसलिए इंडियन पोस्ट औफिसेज ऐक्ट (भारतीय डाकखाना कानून), १८९८ की धारा—२६ के अन्तर्गत बिहार-उड़ीसा के सपरिषद् गवर्नर यह आदेश देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्यों अथवा उसे सहायता देनेवाले अन्य व्यक्तियों या उस संस्था तथा उसकी कार्रवाइयों एवं उसकी कार्रवाई से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा प्रेषित या उनके पते पर भेजे गए सभी पत्र, अखबार, प्रलेख एवं अन्य डाक - सामग्रियाँ जिनका सम्बन्ध बहिष्कार, धरना, करबंदी या सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरोध से हो, डाक द्वारा भेजे जाने पर बीच में ही रोक ली जायँगी एवं सम्बन्धित जिला के जिलाधीश को या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत अन्य अधिकारियों को सौंप दी जायँगी। यह आदेश लागू किए जाने की तिथि से दस दिन तक जारी रहेगा।



परिशिष्ट—१०

प्रेषक,

एम० जी० हैलेट, आई० सी० एस०,

मुख्य सचिव ।

सेवा में,

जिलाधीश,

शाहाबाद ।

तिथि २३ जनवरी, १९३८ ।

महोदय,

आदेशानुसार आपको सूचित कर रहा हूँ सपरिषद् गवर्नर ने इंडियन पोस्ट औफिस ऐक्ट (१८९८ का ६) की धारा २६ के अन्तर्गत इस आदेश के लागू करने से १४ दिनों की अवधि में संलग्न सूची में अधिलिखित व्यक्तियों को अथवा उनके द्वारा भेजी गई डाक-सामग्रियों को बीच में ही रोक लेने तथा जब्त रखने का आदेश जारी किया है ।

२. सपरिषद् गवर्नर यह आदेश देते हैं कि इस प्रकार रोकी गई या जप्त की गई डाक-सामग्रियाँ आपको जाँच के लिए सौंप दी जायँगी ।

३. इस आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बद्ध डाकघर के डाक बाबू के पास भेजा जाए ।

भवदीय,

एम० जी हैलेट ।

परिशिष्ट—११

तारापुर गोली काण्ड के शिकार :

क्रम संख्या	नाम	आयु	जाति	घर	कहाँ मरा	अभ्युक्ति
१.	चण्डी महतो	२५	गोप	चोरगाँव	थाना के समीप सड़क पर	
२.	शीतल चमार	२३	चमार	जलालाबाद	,,	
३.	शुक्ल सोनार	२३	सोनार	तारापुर	,,	
४.	संताल पासी	३२	पासी	तारापुर	,,	
५.	झोटी झा	७५	ब्राह्मण	सतखरिया	,,	
६.	विश्वनाथ सिंह	३०	राजपूत	छठहार	भागलपुर	
७.	सिद्धेश्वर राजहंस	४०	ब्राह्मण	बिहमा	भागलपुर	
८.	बदरी मण्डल	६५	कोइरी	धनपुरा	हाट पर	
९.	बसन्त धानुक	३५	धानुक	लोरिहा	,,	
१०.	रामेश्वर मण्डल	३०	कोइरी	परभारा	,,	
११.	कैली मण्डल	४०	,,	महेशपुर	,,	
१२.	आशा मण्डल	१८	,,	कस्तिकरी	सदर अस्पताल	२१-२-१९३२
१३.	महिपाल सिंह	२४	राजपूत	रमचों	भागलपुर अस्पताल	१६-२-१९३२
१४.	अज्ञात				सदर अस्पताल, मुंगेर	१६-२-१९३२

परिशिष्ट—१२

गाँधीजी के उपवास के सम्बन्ध में सरकारी प्रचार :

"यह निर्णय किया गया है कि भारतोय जनता को यथासम्भव शीघ्र अपना शासन चलाने का अधिकार प्रदान किया जायगा।

भरत इतना बड़ा देश है और इसमें इतने विभिन्न धर्म एवं प्रजाति के लोग रहते हैं और विकास के इतने भिन्न चरणों में वे हैं कि अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े हुए लोगों के हित पर ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। इससे सभी सहमत हैं।

अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को कहा : "आप आपस में ही इसका प्रबन्ध कर लें।" भारतीय अनेक बार आपस में समझौता करने के प्रयत्न किए किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। तदुपरान्त अनेक लोगों ने अंग्रेजी सरकार को कहा : "हम में कभी भी सहमति नहीं होगी। आपही को फैसला करना होगा।" अंग्रेज सरकार यह नहीं चाहती थी और उसने कहा "आपही आपस में मिलकर फैसला करें।" भारतीयों ने फिर कोशिश की और फिर विफल रहे और जबतक इसका फैसला नहीं हो जाता, भारतीयों को अपना शासन चलाने का अधिकार देना संभव नहीं था। फलतः अंग्रेज सरकार स्वयं उसका निपटारा करने को तैयार हुई। उसने एक व्यवस्था की जिसे पृथक् निर्वाचन पद्धति (कम्यूनल अवार्ड) कहा जाता है। सरकार का विश्वास था कि इससे अल्पसंख्यकों या समाज के कमज़ोर।पिछड़े वर्ग के हित की यथासम्भव रक्षा हो सकेगी।

इसके अन्तर्गत सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों को विधान परिषद में अपना सात प्रतिनिधि-सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार दिया। ऐसे लोगों की संख्या बिहार में काफी अधिक है और वे अत्यधिक पिछड़े हुए भी हैं। उनके अपने निर्वाचित सदस्य परिषद में उनके हितों का संरक्षण करते। यह अधिकार केवल २० वर्षों के लिए दिया गया था। आशा की गई थी कि इसके बाद वे अपने पाँव पर खड़ा हो सकेंगे। उच्च जातियों के हिन्दुओं से उन्हें पृथक् नहीं करने के उद्देश्य से सरकार ने आम निर्वाचनमण्डलों में

मतदाता रहने दिया था। इन निर्वाचनमण्डलों में अपने मनोनुकूल प्रतिनिधि चुनना उनके लिए आरंभ में सम्भव नहीं था। सरकार के इसमें दो उद्देश्य थे। पहला यह कि पिछड़े वर्ग के लोगों का हित संरक्षण करने के लिए परिषद् में कुछ उनके अपने प्रतिनिधि रहेंगे। दूसरा यह कि हिन्दू समाज से उन्हें पृथक् नहीं किया जाना चाहिए।

गाँधीजी यह समझते हैं कि अतीत में एवं अबतक पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बुरा व्यवहार होते रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके साथ सद्व्यवहार हो, किन्तु उनकी दृष्टि में इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसे हिन्दू समाज या भारतीय जनता पर छोड़ दिया जा सकता था। उनका विश्वास है कि यदि पिछड़े वर्ग के लोगों को २० वर्षों के लिए पृथक् मताधिकार दिया जाता है तो उससे हिन्दू समाज टुकड़े-टुकड़े हो जायगा।

क्योंकि इस विषय पर उनके विचार सरकार से भिन्न हैं और वे चाहते हैं कि सरकार उनकी राय स्वीकार कर ले तथा अवार्ड को बदल दे इसलिये यदि उनकी इच्छा के अनुसार उसे परिवर्चित नहीं किया जाता तो उन्होंने आमरण उपवास करने की धमकी दी है। अवार्ड देते समय भी सरकार ने यह कहा था कि फिर भी वह चाहेगी कि भारत की जनता अपना मतभेद स्वयं ही दूर करे और यदि अभी भी पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए मताधिकार तथा अवार्ड या अन्य विषय पर कोई समझौता कर ले तो सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।

यदि भारतीय जनता या अवार्ड के किसी भाग से सम्बन्धित लोग जिनका विशेष हित उसमें सम्बन्द्ध है आपस में कोई समझौता करते हैं तो उसके अनुसार परिवर्त्तन किया जा सकता है।

गाँधीजी ऐसे काम की धमकी देकर जिसे किसी भी धर्म में पाप कहा गया है, सरकार को कोई परिवर्त्तन करने पर बाध्य नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों की अपनी इच्छा के प्रतिकूल हानि हो।"



परिशिष्ट—१३

सविनय अवज्ञा आन्दोलन में गिरफ्तारियों के आँकड़े

२४-१२-३२ तक एक सप्ताह में।	क्रि० लॉ० ऐ०	स्पे० पॉ० औ०	आई० पी० सी० की अन्य धाराएँ
पटना प्रमण्डल	१७ (२)	२६	—
तिरहुत प्रमण्डल	३३	१	२
भागलपुर प्रमण्डल	२२(३)	२८(१)	१८(१)
उड़ीसा	३०(३)	२	(११)
कुल जोड़ :	१०२(८)	५७(१)	२०(१२)
पिछले सप्ताह में कुल	११६४२	माफी माँगकर रिहा	१३८२
२४-१२-३२ तक एक सप्ताह में	१७९		२१
२९-१२-३२ तक एक सप्ताह में			
पटना प्रमण्डल में	१६(२)		
भागलपुर प्रमण्डल में	७		
कुल जोड़ :	२३(२)		
पिछले सप्ताह में कुल	११८२१		१४०३
२९-१२-३२ तक एक सप्ताह में	२३		२
कुल जोड़ :	११८४४		१४०५

१७-१२-३२ के पहले	
कुल गिरफ्तारियाँ	११६४२
१७-१२-३२ से	
२४-१२-३२ में	
गिरफ्तारियाँ	१७९
२४-१२-३२ से	
२६-१२-३२ तक	२३
कुल जोड़ :	११८४४
माफी माँगकर रिहा	१३८२
	२१
	२
कुल जोड़ :	१४०५

परिशिष्ट—१४

काँग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष श्री अणे का वक्तव्य

२२ जुलाई, १९३३

"पूना में हाल में हुए अनौपचारिक सम्मेलन की अनुशंसा पर, उसमें भाग लेनेवाले काँग्रेस-कर्मियों के विवेचन पर तथा गाँधीजी के परामर्श पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि देश का सर्वाधिक हित निम्नलिखित आदेशों के कार्यान्वयन में होगा :—

१. सविनय अवज्ञा आन्दोलन वर्त्तमान स्थिति में बिना शर्त्त के नहीं समाप्त किया जाना चाहिए।

२. तत्काल के लिए करबन्दी आन्दोलन सहित सामूहिक सविनय अवज्ञा बन्द कर दी जानी चाहिए। सविनय अवज्ञा ऐसे व्यक्तियों के लिए जो हर तरह का कष्ट सहने एवं अपने उत्तरदायित्व पर काम करने को तैयार हों आन्दोलन चलाते रहने का सीमित अधिकार सुरक्षित रहेगा।

३. ऐसे व्यक्तियों से, जो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा करने में समर्थ हैं एवं करना चाहते हैं, आशा की जाती है कि वे काँग्रेस से बिना किसी सहायता के सत्याग्रह करेंगे।

४. अबतक जो भी गुप्त तरीके अपनाए गए हैं उन्हें बन्द कर दिया जाय।

५. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी सहित काँग्रेस की सभी शाखा संस्थाएँ तत्काल के लिए बन्द रहेंगी, किन्तु जहाँ भी सम्भव होगा प्रान्तों में एवं अखिल भारतीय स्तर पर अधिनायकों का क्रम चलता रहेगा।

६. ऐसे कांग्रेस कर्मियों से, जो किसी कारणवश सत्याग्रह करने में असमर्थ हों, आशा की जाती है कि वे व्यक्तिगत रूप से या मिल-जुलकर

कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य चलाएँ ।

७. मेरी गिरफ्तारी होने पर श्री जयरामदास दौलतराम को मैं अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करता हूँ। मुझे खेद है कि आन्दोलन बन्द करना संभव नहीं हो सका और इन आदेशों को जारी करने की आवश्यकता हुई। महात्मा गाँधी ने महामहिम वायसराय से शान्ति की सम्भावनाओं पर बातचीत करने के हेतु बिना किसी शर्त्त के मिलने के लिए समय माँगा था, किन्तु उनका अनुरोध एक अनौपचारिक सम्मेलन की गोपय कार्यवाही की अप्राधिकृत रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत कर दी गयी। इसके लिए अनेक अन्य लोगों की तरह मुझे भी खेद है। महामहिम को इस बात से अवगत होना चाहिए था कि सम्मेलन में इस तरह की भेंट एवं शान्ति के पक्ष में अधिकतर लोगों की राय थी। महामहिम ने शान्ति की जो शर्त्तें रखी हैं उन्हें किसी भी कांग्रेसी संस्था या उसके प्रतिनिधि के लिए स्वीकार करना मेरी दृष्टि में संभव नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्र उपयुक्त शक्ति विकसित करके इस रवैया में परिवर्तन करा सकेगा। फिर इसके लिए चाहे जो भी मूल्य चुकाना पड़े। इन आदेशों के बावजूद यह ध्यातव्य है कि इस महीने के अन्त तक अभियान को निलंबित रखने के आदेश में कोई परिवर्त्तन नहीं किया गया है।



परिशिष्ट—१५

महात्मा मोहनदास करमचन्द गाँधी की सेवा में

माननीय महात्मा गाँधीजी,

१. आज बड़े खुशी का दिन है कि हमलोगों को यहाँ के वाशिन्दों की तरफ से आपको स्वागत करने का शुभ मौका मिला है। आज आपके दर्शन से यहाँ के वाशिन्दों के दिल बाग-बाग हो रहे हैं। लफ्ज नहीं मिलता जिनके जरिये अपने ख्यालों को आपके सामने रख सकें। खुदा से आरजू है कि वे आपकी जिन्दगी बढ़ावें ताकि यहाँ के रहनेवालों को आपके दर्शन का बारम्बार मौका मिलता रहे।

२. आपके सत्य, प्रेम, अहिंसा के वसूलों ने सारी दुनिया में नई रोशनी फूंक दी है। उम्मीद है कि इन वसूलों का दुनिया पर पूरा असर पड़ेगा। आपस के झगड़े, भेद-भाव मिटेंगे और मुहब्बत की नींव मजबूत होगी इस सिलसिले में आपको यह जानकर खुशी होगी कि हिन्दू-मुस्लिम झगड़े में जिस तरह दूसरे शहर मुब्तला रहे हैं उनसे यह शहर बिलकुल पाक साफ है।

३. यह जानकर खुश होंगे कि चमार जाति कितने भी शहरों के अपनी जातिवालों के मुकाबले में रोशन ख्याल और तालिम याफता हैं।

४. इस शहर में जितने पाठशाला हरिजनों के हैं उनमें दो पाठशालाओं की हमलोग इमदाद करते हैं।

५. अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सूबे विहार में जो भूकम्प की वजह से तबाही और बर्बादी हुई है उससे हमारा शहर भी नहीं बच

सका है। काफी तायदाद में मकानात गिर गये हैं और मौतें भी हुई हैं। शहर में ऐसा कोई मकान नहीं जो फटा न हो।

६. इस वक्त आप अछूत कहे जानेवालों के बीच उद्धार के लिए दौरा कर रहे हैं। यह आपकी मानव जाति की सेवा उच्च व महान् है। इस सिलसिले में आप हमारे शहर में तसरीफ लाये हैं इससे हम सब धन्य-धन्य हो रहे हैं।

७. हम फिर भी आपका दिल से स्वागत करते हैं और आपकी दराजी उम्र की खुदा से दुआ करते हैं।

विनीत,
कमीश्नरान,
म्युनिसपल बोर्ड, आरा।



परिशिष्ट—१६

महात्मा गाँधी का वक्तव्य

पटना, ७ अप्रील, १६३४ :

"मैंने यह वक्तव्य सहरसा, सोमवार २ अप्रील को तैयार किया था। उस दिन मौन का दिन था। मैंने उसे राजेन्द्र बाबू को दे दिया था। तदुपरान्त वहाँ उपस्थित सहयोगियों के मध्य परिचारित कर दिया गया था। मूल प्रारूप में उपयुक्त परिवर्त्तन हुए हैं किन्तु तत्वतः यह सोमवार को तैयार किए हुए मेरे प्रारूप के ही समान है। वक्तव्य का एक-एक शब्द तीक्ष्ण अन्तर्वीक्षण, हृदय टटोलने एवं भगवान पर भरोसा से अनुप्रेरित है। इसमें प्रस्तुत निर्णय में किसी व्यक्ति के प्रति कोई शिकायत अन्तर्निहित नहीं है। इसमें मेरी परिसीमाओं की विनम्र संस्वीकृति है एवं इन वर्षों में अपने कंधे पर जिस भारी उत्तरदायित्व का वहन करता रहा हूँ उसकी संचेतना है।

इस वक्तव्य की प्रेरणा मुझे सत्याग्रह आश्रम के सदस्यों एवं सहयोगियों के साथ बातचीत में मिली। उस बातचीत के सिलसिले में मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना यह मिली कि एक पुराना एवं विश्वसनीय साथी को जेल में जो काम दिये जाते थे उन्हें वह करने को तैयार नहीं होता था। उसके बदले अध्ययन करना वह अधिक पसंद करता था। यह सत्याग्रह के नियमों के प्रतिकूल है। अपने सहयोगी के प्रति मेरा असीम स्नेह है। उसकी कमजोरी से अवगत होने पर मुझे अपनी कमजोरी का आभास हुआ। सहयोगी ने मुझे कहा कि वह सोच रहा था कि मैं उसकी कमजोरियों से अवगत हूँ, किन्तु मैं तो अन्धा था और किसी नेता के लिए अंधता अक्षम्य है। मैंने तुरत ही महसूस किया कि तत्काल के लिए सत्याग्रह का एकमात्र प्रतिनिधि मुझे ही रहना चाहिए।

पिछले जुलाई में पूना में अनौपचारिक सम्मेलन वाले सप्ताह में मैंने कहा था कि अनेक व्यक्तिगत सत्याग्रही हों, यह अभिनन्दनीय होगा, पर एक

सत्याग्रही भी सत्याग्रह के संदेश को जीवित रखने के लिए पर्याप्त था। अब पर्याप्त हृदय-मन्थन के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वर्तमान स्थिति में यदि सत्याग्रह को पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के साधन के रूप में सफल होना है तो केवल एक ही व्यक्ति अर्थात् केवल मुझे सविनय अवज्ञा का दायित्व वहन करना चाहिए।

मैं महसूस करता हूँ कि जनता तक अभी सत्याग्रह का पूर्ण संदेश नहीं पहुँच पाया है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कुछ मिलावट आ जाने के कारण। यह मुझे स्पष्ट हो चुका है कि जहाँ कहीं आध्यात्मिक उपकरणों का गैर-आध्यात्मिक माध्यमों से प्रशिक्षण होता है तो उनकी शक्ति में क्षरण होता ही है। आध्यात्मिक सन्देश स्वतः प्रचारित होनेवाले होते हैं। संपूर्ण हरिजन-यात्रा के दरम्यान जनता की प्रतिक्रिया मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका सद्यः प्रस्तुत उदाहरण है। जितती बड़ी संस्था में लोग उपस्थित होते और अपना प्रेम तथा आस्था प्रदर्शित करते, वह सचमुच विस्मयकारी था। कार्यकर्त्ताओं को भी विशाल जनसमूहों की उपस्थिति एवं उत्साह पर विस्मय हुआ करता। वे जनता तक कभी पहुँचे नहीं थे।

सत्याग्रह विशुद्ध आध्यामिक अस्त्र है। इसका व्यवहार भौतिक प्रतीत होनेवाले लक्ष्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसका व्यवहार ऐसे लोगों के माध्यम से भी हो सकता है जो इसे आध्यात्मिकता के माध्यम से नहीं समझते हों। शर्त्त यह है कि निदेशक यह जाने कि यह एक आध्यात्मिक अस्त्र है। हर आदमी शल्य-चिकित्सा के उपकरणों का व्यवहार नहीं कर सकता, किन्तु यदि कोई विशेषज्ञ उनके बताने के लिए हो तो अनेक लोग उसका व्यवहार करते हैं। मैं समझता हूँ कि सत्याग्रह के मामले में मैं एक विशेषज्ञ बन रहा हूँ। मुझे अपने विज्ञान में पूर्ण प्रौढ़ शल्य-चिकित्सक की अपेक्षा कहीं अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। मैं अभी भी विनम्र अन्वेषक हूँ। सत्याग्रह के विज्ञान की प्रकृति ही ऐसी है कि इस मार्ग का राही तत्काल अपने सामने एक कदम आगे से ज्यादा नहीं देख सकता।

आश्रम के निवासियों के साथ बातचीत से अनुप्रेरित अन्तर्वीक्षण ने मुझे इस निष्कर्ष पर पहुँचा दिया है कि मैं काँग्रेसजनों को स्वराज-प्राप्ति के हेतु सविनय अवज्ञा निलंबित करने की अनुशंसा करूँ। खा -खास शिकायतें दूर

करने की बात दूसरी है। अभी इसका भार मेरे ऊपर ही छोड़ दिया जाय। मेरे जीवन काल में दूसरे लोग इसे मेरे निदेशन में ही आरंभ करेंगे। वैसे अभी भी संभव है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी इस विज्ञान का मेरी अपेक्षा अधिक अच्छा जानकार बन सके और लोगों का विश्वास प्राप्त करे, उस स्थिति में वह सत्याग्रह का नेतृत्व कर सकेगा। फलतः अभी से ऐसे लोग जो मेरी अनुशंसा के अनुसार स्वराज प्राप्ति के हेतु सविनय अवज्ञा की ओर प्रेरित हुए हैं, कृपया उसे छोड़ देंगे। इस बात का मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के हित में यही सर्वोत्तम मार्ग है।

इसमें मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि मानव के हाथों में यह सबसे बड़ा अस्त्र है। सत्याग्रह हिंसा या युद्ध का पूर्ण विकल्प है यह कहने में मुझे हिच-किचाहट नहीं। इसलिये सत्याग्रह का संदेश तथाकथित आतंकवादियों एवं देश के वर्त्तमान शासकों (जो संपूर्ण राष्ट्र को निर्जीव बनाकर आतंकवादियों को निर्मूल करना चाहते हैं) के हृदय तक पहुँचेगा, किन्तु अनेक लोगों की अपूर्ण सविनय अवज्ञा, यद्यपि उसके भी बड़े-बड़े परिणाम हुए हैं, दोनों में किसी के भी हृदय को स्पर्श नहीं कर सकी है। इस स्थापना की सत्यता की जाँच करने के हेतु सत्याग्रह को एक समय एक ही उपयुक्त व्यक्ति तक सीमित रखने की आवश्यकता है। यह परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। अब इसे करने का समय आ गया है।

मैं पाठक को मात्र सविनय अवज्ञा को ही सत्याग्रह नहीं समझ लेने के लिए आगाह कर दूं। सत्याग्रह सविनय अवज्ञा से कहीं अधिक व्यापक है! उसका अर्थ सत्य की अनवरत खोज है एवं अन्वेषक को इससे प्राप्त होनेवाली शक्ति का विशुद्ध अहिंसात्मक साधनों से ही उपयोग किया जा सकता है।

भविष्य में सविनय अवज्ञा करनेवालों को क्या करना है? जब कभी पुकार हो तो उसके लिए उन्हें तैयार रहना है। सबसे पहले उन्हें आत्मसंयम एवं स्वेच्छया गरीबी का जीवन बिताने की भावना से प्रेरित होना चाहिए। उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्यक्रमों में लगे रहना चाहिए यथा खादी प्रचार, सांप्रदायिक विद्वेष दूर करना आदि। इसमें उनका अनिन्द्य व्यक्तिगत आचरण विशेष सहायक होगा। इनके अतिरिक्त छुआछूत दूर करना, व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा नशाबन्दी का संदेश फैलाना एवं सामान्य रूप में आत्मशुद्धि

का अभ्यास करना आदि कुछ ऐसी सेवाएँ हैं जिनसे किसी गरीब आदमी के स्तर पर रहन-सहन के हेतु व्यवस्था हो सकती है। जिन लोगों के लिए गरीब आदमी का स्तर स्वीकार करना संभव नहीं होगा उन्हें राष्ट्रीय महत्व के छोटे-छोटे असंगठित व्यवसायों में काम मिल जायगा। यहाँ उन्हें अच्छा पारिश्रमिक मिल सकेगा। यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि सविनय अवज्ञा केवल उन्हीं के लिए है जो कानून और प्राधिकार के प्रति स्वेच्छा से अनुगमन करने का कर्त्तव्य पूरा करते हैं एवं उसे जानते हैं।

यह कहना शायद ही आवश्यक है कि यह वक्तव्य जारी करने में मैं काँग्रेस के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल उनलोगों को, जो सत्याग्रह के मामले में पथ निदेश के लिए मेरी ओर देखते हैं, सलाह दे रहा हूँ।''



परिशिष्ट—१७

नहर-दरों के संबंध में अधिकारियों को शाहाबाद के मजिस्ट्रेट का आदेश : जनवरी, १९३२

"चौकीदार,ों दफादारों और सर्किल पंचों को कृषकों को निम्नलिखित बातें भलीभाँति समझा देने के आदेश दिये जायँ :—

१. नहर की चालू दरों का भुगतान रोकने के प्रयत्न का अर्थ उनके लिए भूखमरी है क्योंकि नहर से पानी लिये बिना वे अपने खेतों का अभिसिंचन नहीं कर सकते और वर्षा के पानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह हर वर्ष अनिश्चित है।

२. नहर दरें अधिक नहीं हैं। यदि उन्हें सरकार नहीं वसूलती है तो नहर विभाग कैसे चलाया जा सकेगा ?

३. आवश्यकतानुसार नहर के पानी की ठीक-ठीक आपूर्त्ति के लिए जरूरी व्यवस्था को चालू रखने के हेतु नहर दरों में धीरे-धीरे वृद्धि करनी पड़ी है। किसानों को अभी जो कुछ भी पैदावार मिलती है उसका श्रेय नहर-अभिसिंचन व्यवस्था को ही है।

४. यदि सरकार नहर विभाग को बन्द कर दे तो छोटे किसानों में भूख-मरी और वेकारी फैल जायगी।

५. काँग्रेसकर्मी जो आन्दोलन कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। यह उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए है न कि आमतौर पर किसानों के लाभ के लिए।

६. नहर-अभिसिंचित क्षेत्रों में औसत पैंदावार प्रति बीघा १२ मन है। दूसरे क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक ८ मन।

· सरकार इस विभाग को केवल किसानों के लाभ के लिए चलाती है। इससे उसे कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं। नहर दर औसत दो रुपया तेरह आना प्रति बीघा है जब कि नहर चालू रखने का औसत खर्च एक रुपया छह आना प्रति बीघा होता है। शेष एक रुपया सात आना इस मद को पूरा करने के लिए

पर्याप्त नहीं है। अभिलेखों से यह प्रमाणित किया जा सकता है कि चालू रखने के खर्च के बाद कुल बचत प्रति वर्ष २ से ५ प्रतिशत होती है, ६ प्रतिशत से अधिक कभी नहीं और जैसाकि ऊपर कहा गया है इससे मूलतः न्यस्त धन राशि पर सूद की रकम भी पूरी नहीं होती।

८. प्रति बीघा आय एवं व्यय इस प्रकार है :—

नहर से अभिसिंचित क्षेत्र आय।	व्यय	आय	गैर-अभिसिंचित क्षेत्र व्यय
१२ मन धान प्रति बीघा २० रु० ८ आना	बीज का मूल्य १ रु० ४ आना	८ मन धान १३ रु० ५ आना	बीज का मूल्य १ रु० ४ आना
पुआल प्रति बीघा ५ रु०	अन्य फसल बीज १ रु०	पुआल ३ रु० अन्य फसल नील	बीज का मूल्य १ रु०
अन्य फसल २ मन ४ रु०	रोपनी व्यय २ रु० ८ आना		मालगुजारी ३ रु०
	नहर टैक्स २-१३ आना		कटनी-ओसौनी २ रु० ८ आना
	मालगुजारी ३ रु०		हलवाही आदि १ रु०
	हलवाही, केरौनी २-८ आना		
	कटनी, ओसौनी १ रु० इत्यादि।		
२९ रु० ८ आना	१४ रु० १ आना		११ रु० ४ आना
इस तरह कुल बचत नहर अभिसिंचित क्षेत्रों में १५ रु० ७ आना।			गैर-अभिसिंचित क्षेत्रों में ५ रु० १ आना प्रति बीघा

९. राजपत्रित पदाधिकारी, निष्ठावान सरपंच, विश्वसनीय अवैतनिक मजिस्ट्रेट तथा जमींदारों पर इसका प्रचार करने का भार दिया जाय।

१०. लोगों को यह चेतावनी भी दी जानी चाहिए कि यदि वे अक्ल से काम नहीं लेंगे और नहर टैक्स आदि नहीं चुकायेंगे तो अनलॉफुल इन्सीटीगेशन (गैर-कानूनी बहकाव) अध्यादेश, १९३२ के अन्तर्गत नहर दर आदि का भुगतान अनिवार्य घोषित कर दिया जायगा। चम्पारण जिला में ऐसा किया जा चुका है। बंगाल इरीगेशन ऐक्ट, १८७६ के अन्तर्गत यह अधिसूचित देयक होगा।"



काँग्रेस चुनाव घोषणापत्र, १९३६

"५० वर्षों से अधिक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करती आयी है। उसकी शक्ति बराबर बढ़ती रही है और वह अधिकाधिक भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती रही है। वह ब्रितानी साम्राज्यवादी शोषण को समाप्त करने की भारतीय जनता की आकांक्षा का ज्यों-ज्यों प्रतिनिधित्व करने लगी है त्यों-त्यों शासक सत्ता के साथ उसका संघर्ष तीक्ष्ण होता गया है। हाल के वर्षों में कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के हेतु बड़े-बड़े आन्दोलनों का नेतृत्व किया है एवं भारतीय जनता के अनुशासित बलिदान तथा कष्ट सहन के द्वारा शान्तिपूर्ण जन-आन्दोलन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके, इसके लिए नया मार्ग खोजती रही है। कांग्रेस के नेतृत्व का भारतीय जनता ने बड़े पैमाने पर अनुगमन किया है और इस प्रकार स्वतन्त्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी सम्पुष्टि की है। स्वतन्त्रता का संघर्ष अभी जारी है तथा जबतक भारत पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हो जाता तबतक चलता रहेगा।

पिछले वर्षों में भारत सहित शेष दुनिया आर्थिक संकट के चपेट में आयी है; उसके फलस्वरूप भारत के हर वर्ग के लोगों की स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती गई है। हमारी दीन-हीन जनता पहले की अपेक्षा कहीं अधिक दरिद्रता एवं विपन्नता के गर्त्त में पड़ी हुई है और यह दिन-दिन भीषण होता हुआ रोग अविलम्ब तथा अनवरत रूप से व्यापक उपचार की अपेक्षा करता है। हमारे किसान एवं मजदूर युगों से गरीबी तथा बेकारी के शिकार रहे हैं। सम्प्रति कारीगर, व्यापारी, छोटे दुकानदार तथा मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की भी यही दशा है। हमारे देश के करोड़ों-करोड़ जनता के लिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता हासिल करने की समस्या आज बहुत ही जबर्दस्त हो गई है क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही हमें वह सत्ता प्राप्त होगी जिससे हम अपनी आर्थिक

एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकेंगे तथा भारतीय जनता को प्राणान्तक शोषण से मुक्ति दिला सकेंगे।

राष्ट्रीय आन्दोलन के समानान्तर आर्थिक संकट के तीक्ष्ण होते जाने का एक परिणाम हुआ है भारतीय जनता का घोर दमन तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं से उसे वंचित करना। अंग्रेज सरकार ने भारत पर साम्राज्य-वादी शिकंजे कसते रहने एवं उसके शोषण तथा उस पर आपना आधिपत्य हमेशा के लिए बनाये रखने का प्रयत्न किया है। १९३५ का संविधान (गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट) इसका एक उपकरण है।

अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक के बाद एक दूसरे गम्भीरतर संकट प्रस्तुत होते रहते हैं और जान पड़ता है कि विश्वयुद्ध आसन्न है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारत तथा शेष दुनिया की इस गम्भीरतर स्थिति की ओर राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया गया था। उस समय किसी भावी सम्भावित युद्ध में भारत को संलग्न कर दिये जाने का विरोध किया गया था तथा भारत की स्वतन्त्रता के हेतु संघर्ष चलाते रहने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया था।

कांग्रेस ने नये विधान द्वारा लादे गये संविधान को समूल अस्वीकृत कर दिया था और घोषणा की थी कि बाहर से लादा गया संविधान अथवा ऐसा कोई संविधान जो भारतीय जनता की सम्प्रभुता को क्षरित करता है एवं उसके अपने राजनैतिक तथा आर्थिक भविष्य के निर्माण एवं नियन्त्रण के अधिकार को स्वीकार नहीं करता है, भारत को मान्य नहीं होगा। उसकी सम्मति में कोई भी संविधान भारत की एक राष्ट्र के रूप में स्वतन्त्रता पर आधारित होना चाहिए तथा ऐसा संविधान किसी संविधान सभा के द्वारा ही बनाया जा सकता है।

कांग्रेस ने हमेशा से जनता की शक्ति के विकास एवं जन-संकल्प को क्रियाशील करने के हेतु उपयुक्त व्यवस्था करने पर बल दिया है। इस उद्देश्य के लिए कांग्रेस ने धारा सभाओं के बाहर आन्दोलन चलाये हैं। कांग्रेस का यह पूर्ण विश्वास है कि जनता का इस प्रकार का संगठन एवं उसकी सेवा करने से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है।

कांग्रेस इस नीति एवं लक्ष्य पर कायम है किन्तु वर्त्तमान स्थिति के सन्दर्भ में एवं विधान मंडलों में आधिपत्य एवं शोषण को सुदृढ़ करनेवाली

शक्तियों को क्रियाशील होने से रोकने के हेतु उसने प्रान्तीय विधान मण्डलों के लिए आगामी चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय किया है। नये विधान के अन्तर्गत विधान मण्डलों में कांग्रेसजनों को भेजने का उद्देश्य उसके साथ सहयोग करना नहीं बल्कि संघर्ष करना एवं उसे समाप्त करने का प्रयत्न करना है। इस विधान को स्वीकृत करने की कांग्रेस की नीति को यथासम्भव कार्यान्वित करने तथा भारत पर अपना शिकंजा एवं भारतीय जनता के शोषण को सुदृढ़ करने के ब्रितानी साम्राज्यवाद के प्रयत्नों को यथासम्भव विफल करना उसका उद्देश्य है। कांग्रेस की राय में विधान मण्डलों में हमारा काम ऐसा होना चाहिए जिससे उनके बाहर के काम में सहायता मिले। इन सबों का उद्देश्य होगा जनता को शक्तिशाली बनाना एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के हेतु अधिकाधिक जोरदार तरीकों का विकास करना।

अंग्रेजों के एवं अन्य न्यस्त स्वार्थों के हितों के संरक्षण के हेतु विशेष व्यवस्थाओं तथा विशेषाधिकारों से परिसीमित एवं अवरुद्ध नये विधान मण्डलों से जनता का कोई महत्त्वपूर्ण लाभ नहीं हो सकता। गरीबी एवं बेकारी की जटिल समस्याओं को दूर करने की उनमें बिलकुल ही क्षमता नहीं, किन्तु उनका ब्रितानी साम्राज्यवाद भारतीय जनता के हितों के प्रतिकूल अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए भलीभाँति उपयोग कर सकता है। धारा सभाओं में निर्वाचित कांग्रेसी सदस्य इसका प्रतिरोध करेंगे एवं विभिन्न अधिनियमों, अध्यादेशों एवं विधानों को जिनसे भारतीय जनता का दमन किया जाता है तथा उसकी स्वतन्त्रता प्राप्ति के संकल्प को कुचला जाता है, समाप्त करने के हेतु सभी सम्भव उपाय करेंगे। कांग्रेसी सदस्य नागरिक स्वतन्त्रता की स्थापना, राजनैतिक बन्दियों एवं नजरबन्दों की रिहाई तथा राष्ट्रीय संघर्ष के सिलसिले में किसानों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को जो क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति कराने के हेतु यत्न करेंगे।

काँग्रेस यह भलीभाँति समझती है कि इन विधान मण्डलों के द्वारा स्वतन्त्रता हासिल नहीं की जा सकती है और न गरीबी एवं बेकारी की समस्या ही सुलझाई जा सकती है। फिर भी कांग्रेस भारत की जनता के सम्मुख अपना कार्यक्रम रखती है, इसलिए कि वह यह जान सके कि कांग्रेस

का क्या उद्देश्य है तथा जब कभी उसके पास पर्याप्त सत्ता हो तो वह क्या हासिल करना चाहेगी।

कांग्रेस के १९३१ के कराँची अधिवेशन में उसके लक्ष्यों की रूपरेखा मौलिक अधिकारवाले प्रस्ताव में रूपान्तरित की गई थी। आज भी वह सही है फिर भी बढ़ते हुए संकट के पिछले पाँच वर्षों में गरीबी, बेकारी एवं अन्य आर्थिक समस्याओं पर और अधिक विचार करना आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इस बात पर विशेष बल दिया गया था कि देश की भीषण गरीबी, बेकारी, किसानों की ऋणग्रस्तता की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं अविलम्ब समाधान खोजनेवाली समस्याओं का मूल कारण है भारत की पुरानी पड़ी हुई एवं अन्यायपूर्ण काश्तकारी तथा राजस्व की व्यवस्था। हाल के वर्षों में कृषि उत्पादन के मूल्यों में भारी गिरावट होने की वजह से ये समस्याएँ और भी भीषण हुई हैं। लखनऊ कांग्रेस ने प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी को कृषि समस्याओं के समाधान के हेतु कार्यक्रम बनाने का ऐलान किया था। इन प्रान्तीय कार्यक्रमों के आधार पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी एक कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम बनायेगी। इसे जनता के सम्मुख बाद में प्रस्तुत किया जायगा।

जबतक विकास कार्यक्रम तैयार नहीं हो जाता, कांग्रेस कराँची अधिवेशनवाली अपनी घोषणा को फिर से दुहराती है। उसका लक्ष्य काश्तकारी, राजस्व एवं मालगुजारी की व्यवस्थाओं में सुधार करना तथा कृषि-भूमि पर पड़नेवाले भार को इस ढंग से पुनर्व्यवस्थित करना जिसमें सभी पर सामान्य रूप से भार पड़े। मालगुजारी में पर्याप्त कमी करके एवं अनार्थिक खेतों को मालगुजारी से मुक्त करके छोटे किसानों को अविलम्ब राहत पहुँचाना भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित है।

गाँवों की ऋणग्रस्तता की समस्या पर अविलम्ब विचार किये जाने तथा ऋणों की अदायगी को तत्काल के लिए स्थगित करने की योजना बनाने की आवश्यकता है। यह राहत काश्तकारों, भूमिपतियों, किसानों, छोटे जमींदारों और छोटे दूकानदारों को मिलनी चाहिए।

कारखाना मजदूरों के सन्दर्भ में कांग्रेस की नीति उनके लिए अच्छे जीवन-स्तर, काम करने के घण्टे तथा अन्य सुविधाएँ दिलाने की हैं। ये

सुविधाएँ देश की आर्थिक स्थिति में जहाँ तक सम्भव होगा, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप हों। मालिकों एवं मजदूरों के विवादों को निपटाने के हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाय तथा वृद्धावस्था, बीमारी तथा बेकारी के परिणामों से सुरक्षा मिलनी चाहिए।

कांग्रेस पहले यह घोषणा कर चुकी है कि सार्वजनिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में नारी-पुरुष को न्यायिक एवं सामाजिक सुविधाएँ मिलनी चाहिए। कांग्रेस प्रसव सम्बन्धी सुविधाएँ तथा स्त्री-मजदूरों को संरक्षण देने के पक्ष में है। भारतीय नारियों ने स्वतन्त्रता संघर्ष में प्रमुख भाग लिया है। कांग्रेस आशा करती है कि स्वतन्त्र भारत की नारियों का नागरिक सुविधाओं एवं दायित्वों में पुरुषों के साथ समान हिस्सा होगा।

यह सर्वविदित है कि कांग्रेस ने हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन तथा छुआछूत मिटाने पर विशेष बल दिया है। कांग्रेस का विश्वास है कि अन्य लोगों के साथ उन्हें समान नागरिक अधिकार मिलेंगे तथा वे समान नागरिक बन सकेंगे।

खादी तथा ग्राम उद्योगों का प्रोत्साहन कांग्रेस कार्यक्रम का एक प्रमुख भाग रहा है। बड़े उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में श्रम जीवियों तथा कच्चा माल पैदा करनेवालों को संरक्षण मिलना चाहिए एवं ग्रामीण उद्योग-धन्धों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

जेलों में राजनैतिक बन्दियों के साथ व्यवहार का प्रश्न ब्रितानी भारत की एक पुरानी समस्या रही है। उसमें सुधार करने एवं उसे मानवीय बनाने का सभी प्रयत्न किया जाना चाहिए। बन्दियों के साथ मानवीय तथा उचित ढंग से व्यवहार किया जा सके इसके लिए जेल प्रशासन के सम्पूर्ण आधार को बदलना आवश्यक है।

नये विधान का एक अंग सांप्रदायिक निर्णय है। इस पर बहुत विवाद पैदा हुआ है और इसके प्रति कांग्रेस के रवैया का कुछ लोगों ने गलत अर्थ लगाया है। कांग्रेस द्वारा नये विधान की पूरी-पूरी अस्वीकृति में साम्प्रदायिक निर्णय की अस्वीकृति भी अन्तर्निहित है। संपूर्ण विधान की अस्वीकृति के अतिरिक्त भी साम्प्रदायिक निर्णय स्वतन्त्रता तथा जनतन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल

होने के कारण सर्वथा अस्वीकरणीय है। इससे किसी भी संप्रदाय या दल को वास्तविक अर्थ में लाभ नहीं होता क्योंकि सम्पूर्ण राष्ट्र को उससे जो बड़ी क्षति होती है वह थोड़े से लोगों को मिलनेवाले छोटे-मोटे लाभ से कहीं ज्यादा है। अन्त में उनलोगों को भी जिन्हें उससे सुविधा तथा संरक्षण देने का दावा किया जाता है दीर्घकालीन दृष्टि से इससे हानि ही पहुँचती है। उससे यदि किसी को कुछ भी लाभ है तो वह तृतीय पक्ष को जो हम सबों पर शासन करता है एवं हमारा शोषण करता है।

फलत: काँग्रेस का रवैया उपेक्षा अथवा तटस्थता का नहीं। वह साम्प्रदायिक निर्णय से बिलकुल ही सहमत नहीं और उसे समाप्त करना चाहेगी, किन्तु काँग्रेस ने इस बात पर बार-बार बल दिया है कि साम्प्रदायिक समस्या का संतोषजनक समाधान मुख्य सम्प्रदायों की सद्भावना तथा सहयोग से ही संभव है। एक का दूसरे ग्रूप के मूल्य पर थोड़ी-सी साम्प्रदायिक सुविधा प्राप्त करने के प्रयत्नों से साम्प्रदायिक तनाव में वृद्धि होती है तथा सरकार को दोनों सम्प्रदायों पर शासन करने का अवसर मिलता है। ऐसी नीति भारतीय राष्ट्रवाद के गौरव के अनुकूल नहीं। स्वतन्त्रता के हेतु संघर्ष से इसका मेल नहीं खाता। दीर्घकालीन दृष्टि में इससे किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होता, वस्तुत: इससे मुख्य समस्या गौण पड़ जाती है।

इसलिए काँग्रेस की धारणा है कि साम्प्रदायिक निर्णय से उत्पन्न स्थिति से निपटने का सही तरीका स्वतन्त्रता-संघर्ष को तेज करना और उसके साथ ही भारत की एकता सुदृढ़ हो सके ऐसे सर्वस्वीकृत समाधान के हेतु समान आधार की तलाश करना है। दूसरे सम्प्रदाय के विरोध करने का परिणाम उस निर्णय की सम्पुष्टि एवं सुदृढ़ीकरण हो सकता है क्योंकि दो के मध्य का संघर्ष बाहर से ऐसा निर्णय लादने का अवसर प्रदान करनेवाली स्थिति पैदा कर देती है। इस प्रकार काँग्रेस की सम्मति में ऐसे एकपक्षीय आन्दोलन का कोई उपयोगी परिणाम नहीं हो सकता।

यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अपने महत्व के बावजूद सम्पूर्ण साम्प्रदायिक समस्या का कहीं बड़ी समस्या भारत की गरीबी एवं व्यापक बेकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह धार्मिक समस्या भी नहीं है। इससे मुट्ठी भर चोटी के लोगों का सम्बन्ध है। किसान, मजदूर, व्यापारी, दूकानदार,

और निम्नवर्ग, चाहे वे किसी सम्प्रदाय के हों इससे उन्हें राहत नहीं मिलती और उन पर बोझ ज्यों-का-त्यों बना रहता है।

नई धारा सभाओं में निर्वाचित सदस्य मंत्री पद ग्रहण करेंगे या नहीं इस समस्या पर लखनऊ काँग्रेस में विचार किया जायगा। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की सम्मति है कि इस पर चुनावों के बाद ही निर्णय लेना काम्य होगा। इस पर चाहे जो भी निर्णय हो, यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी स्थिति में काँग्रेस नये विधान की अस्वीकृति एवं उसके कार्यान्वियन में असहयोग के हेतु कृत संकल्प है। उद्देश्य वही है: विधान को समाप्त करना। इस उद्देश्य से योजना के संघीय भाग का लागू किया जाना एवं कार्यान्वियन को रोकने के हर प्रयत्न किये जायेंगे क्योंकि उसका उद्देश्य सारे देश पर साम्राज्यवादी हितों तथा देशी राज्यों के सामन्ती तत्त्वों के आधिपत्य को चिरकालीन बनाना एवं स्वतन्त्रता की ओर प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करना है। यह ध्यान में रखना होगा कि प्रस्तावित संघीय केन्द्रीय विधान मण्डल के चुनावों के लिए निर्वाचन मण्डल नई प्रान्तीय धारा सभाएँ होंगी एवं उन प्रान्तीय धारा सभाओं का गठन संघीय संविधान का भाग्य निर्णय करेगा।

हम आगामी चुनाव में काँग्रेस को हर संभव समर्थन देने की देश से अपील करते हैं। राष्ट्रीय हित इसकी माँग करती है। स्वतन्त्रता संघर्ष इसका ऐलान करता है। धारा सभाओं में काँग्रेसी सदस्यों का प्रभावी ढंग से काम करना, उनकी संख्या, अनुशासन एवं देश उनका कितना समर्थन करता है इन बातों पर निर्भर करेगा। स्पष्ट बहुमत होने पर ही वे संविधान को भंग करने एवं स्वतन्त्रता-संघर्ष को प्रभावी सहायता देने की स्थिति में होंगे। कोई भी पार्टी या दल जो काँग्रेस संगठन से अलग होता है वह जाने-अनजाने राष्ट्र की दुर्बलता का एवं उसके विरुद्ध पंक्तिबद्ध शक्तियों को सबल करने का साधन बनता है। स्वतन्त्रता-संघर्ष के लिए संयुक्त मोर्चा

आवश्यक है। कांग्रेस भारत को स्वतन्त्र करने की आकांक्षा, भारतीय जनता का शोषण समाप्त करने तथा जन-कल्याण पर आधारित एक शक्तिशाली एवं संयुक्त राष्ट्र के निर्माण की आकांक्षाओं से एक सूत्र में सुगठित सभी वर्गों एवं सम्प्रदायों का संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करती है। हमारे समक्ष यह महान् एवं प्रेरणाप्रद लक्ष्य है। इसके लिए भारत के असंख्य लोगों ने कष्ट सहन किया है एवं कांग्रेस के झण्डे के नीचे अपने सर्वस्व की आहुति दी है; अभी भी इसके लिए हमारे हजारों देशवासी चुपचाप वीरता के साथ कष्ट सहन कर रहे हैं। हम उस लक्ष्य को अपने समक्ष रखकर भारतीय जनता का पूर्ण विश्वास के साथ कांग्रेस, भारत एवं स्वतन्त्रता के हेतु एक-जुट होने का आह्वान करते हैं।"



परिशिष्ट—१९

बिहार के किसानों की दुर्दशा

काँग्रेस किसान जाँच समिति द्वारा प्रचारित नियमावली (सर्चलाइट, १ अप्रील १९३६) :

बिहार प्रान्तीय कांग्रेस किसान जाँच समिति की ओर से निम्नलिखित प्रश्नावली प्रचारित की गई है। समाचार-पत्रों में इसका व्योरा पहले ही प्रकाशित हो चुका है। सम्बन्द्ध समितियों, संघों एवं व्यक्तियों से समिति के सचिव के पास २५ अप्रील तक उसके सदाकत आश्रम के पते से अपना उत्तर भेजने का अनुरोध किया गया है। समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत की कोई भी जानकारी या प्रासंगिक सामग्री, जो प्रश्नावली से छूट गई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। समिति मई या जून में साक्ष्य संग्रह करने के हेतु प्रान्त की यात्रा करेगी।

मालगुजारी :

१. क्या किसान मालगुजारी दे चुके हैं ? उन्होंने कैसे मालगुजारी चुकायी है, खेत के पैदावार से, अपना मवेशी बेचकर या जमीन और दूसरी सम्पत्ति बेचकर ? क्या उन्हें मालगुजारी चुकाना बाकी है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

२. प्रति बीघा मालगुजारी की सबसे ऊँची और सबसे कम दरें क्या हैं ? उन्हें आप कहाँ तक उपयुक्त समझते हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

३. आपके इलाके में प्रति एकड़ मालगुजारी क्या है ? प्रति एकड़ कितना पैदावार होता है ? प्रति एकड़ खेती करने पर कितना व्यय होता है ?

४. पिछली बन्दोबस्ती के बाद से अनाजों का मूल्य एक समान रहा है या उतरा है ?

५. क्या पैदावार में कमी हुई है? क्या यह कमी सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण है अथवा प्राकृतिक कारणों से है?

६. मन्दी शुरू होने के कुछ पहले क्या मालगुजारी बढ़ाई गई थी? मन्दी शुरू होने के बाद से मालगुजारी बढ़ी है तो किस परिमाण में वृद्धि हुई?

७. क्या हाल में जमीदारों ने इजाफा लगान में कुछ छूट दी है?

८. क्या अभी भी मिर्चाई, तम्बाकू, ऊख, आलू और इस तरह की अन्य धन फसलें पैदा करना लाभकर है? यदि हाँ, तो कैसे? यदि दूसरी फसलें नुकसान सहकर पैदा की जा रही हैं तो किसान उन्हें उपजाना क्यों नहीं छोड़ देते?

९. आपके गाँव में बाकी मालगुजारी चुकाने में कितनी जमीन बिकी है? उन्हें किसने खरीदा है?

१० क्या चारागाह की जमीन धीरे-धीरे खेती के लिए बन्दोबस्त की जा रही है? इसका काश्तकारों की मालगुजारी चुकाने की क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ा है?

११. जब कोई जमीन बिक्री के द्वारा या किसी अन्य कारण से एक काश्तकार से दूसरे काश्तकार के पास हस्तान्तरित होती है तो क्या मालगुजारी बढ़ा दी जाती है?

१२. आपके इलाके में जब काश्तकार पोस्ता या नील जैसी धन फसलें उपजाते थे, उस समय क्या मालगुजारी बढ़ा दी गई थी? ऐसी फसलें उपजाना छोड़ दिए जाने पर क्या उसमें कमी की गई?

१३. जमीन्दारों को मालगुजारी वसूलने में कठिनाई होती है? इसका कारण मन्दी है या काश्तकारों की असमर्थता या मालगुजारी नहीं चुकाने की उनकी इच्छा या किसान सभा का आन्दोलन है?

१४. क्या मालगुजारी बहुत अधिक बाकी पड़ गई है ? क्या जमीन्दारों को राजस्व चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है ?

१५. दक्षिण बिहार में मालगुजारी की सबसे ऊँची और कम दरें क्या हैं ? उत्तर बिहार में मालगुजारी की दरें बहुत कम हैं ? इस फर्क का क्या औचित्य है ?

१६. क्या आपके इलाके का जमीन्दार ठीकेदार है ? उसके ठीका के गाँव या गाँवों की कुल मालगुजारी क्या है ? उसे जमीन्दार को कुल कितनी रकम देनी पड़ती है ? क्या आप यह समझते हैं कि काश्तकार के लिए जमीन्दारों के अन्तर्गत रहना अधिक अच्छा होता ?

१७. आप मालगुजारी चुकाने का कौन-सा तरीका अच्छा समझते हैं—भाउली, कनकूत करना, बटाई, मनहुण्डा, चौराहा (प्रति बीघा इतना मन), नकदी ? मालगुजारी चुकाने की कोई अन्य व्यवस्था यदि आप सही समझें तो बतावें ?

१८. आपके गाँव से सरकारी राजस्व कितना देना होता है और जमीन्दार कितनी रकम की वसूली करता है ?

१९. क्या आपके इलाके से सर्टिफिकेट जारी करके मालगुजारी वसूलने का प्रचलन है ? इसके विषय में आपको क्या कहना है ?

गैर-कानूनी वसूली :

१. क्या आपको कोई ऐसा अनुभव है जिसमें जमीन्दार ने मालगुजारी वसूलने या अवैध वसूली करने के हेतु किसान को शारीरिक यंत्रणा दी हो ? क्या जमीन्दार जबर्दस्ती मालगुजारी वसूलता है ? यथा, उसकी फसल जप्त करके ?

२. क्या ऐसी कोई वारदात जानते हैं जिसमें जमीन्दार ने रैय्यत पर झूठा मुकदमा दायर करके उसे बर्बाद किया हो ?

३. क्या किसी जमीन्दार ने ऐसी कोई जमीन को जो पहले पैन, चारागाह, आहर या तालाब रही हो, खेत बना दिया है ?

४. क्या आपके इलाके में बेगार की प्रथा प्रचलित है, उसके कितने रूप हैं, कितने तरीकों से बेगार ली जाती है ?

५. क्या काश्तकारों के खेत में जमीन्दार या उनके अमलों के मवेशी छोड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार उन्हें परेशान किया जाता है ?

६. क्या नदी सूखी रहने पर भी काश्तकारों को घटवारी देनी पड़ी है ? पुण्याह, दशहरा और होली में काश्तकारों से पर्वी वसूली जाती है। ब्योरा के साथ उत्तर दें।

७. जमीन्दार या उसका मैनेजर जब किसी इलाका में जाता है तो क्या उसके अमले काश्तकारों से अतिरिक्त वसूली करते हैं ?

८. क्या जमीन्दार उनपर मुकदमा की डिग्री होने पर अदालत द्वारा निर्धारित व्यय की रकम से अधिक काश्तकारों से वसूलते हैं ?

९. क्या काश्तकारों को अमलों के यहाँ विवाह के अवसर पर सहायता देने को बाध्य किया जाता है ?

१० क्या काश्तकारों को अमला को तहरीरी, तलबाना, बेगारी आदि देनी पड़ती है ?

११. जमीन्दार के तहसीलदार, गुमाश्ता और चपरासी को आमतौर पर कितना वेतन मिलता है, उससे किस तरह वे अपना भरण-पोषण करते हैं ? क्या जमीन्दार अपनी खेती के लिए हल-बैल रखते हैं या उसके लिए वे रैयतों पर निर्भर करते हैं ?

१२. मरे हुए मवेशी की हड्डियाँ या चमड़े क्या जमीन्दार ले लेता है और क्या यह सत्य है कि चमारों को उन्हें नहीं बेचने दिया जाता है ? क्या ऐसी चीजें जमीन्दार द्वारा नियुक्त ठीकेदारों को दे देना पड़ता है ?

१३. क्या जमीन्दार के अमले किसानों को अपनी मुट्ठी में रखने के हेतु सादा कागज पर उनकी दस्तखत या अँगूठा का निशान ले लिया करते हैं ?

१४. क्या काश्तकारों को मालगुजारी की हर किस्त चुकाने पर नियमित रूप से रसीद मिल जाती है ?

१५. क्या जमीन्दार या उसके अमला पट्टा में लिखी रकम से अधिक की वसूली करते हैं ?

१६. जमीन्दार या उसके अमले कौन-से अबवाब वसूलते हैं ? क्या आपको यह मालूम है कि जमीन्दारों की इस तरह की ज्यादती के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था है ? किसान उससे लाभ क्यों नहीं उठाते हैं ?

१७. भाउली के कौन-से तरीके प्रचलित हैं ? सायरात भाउली में कौन-सी बुराइयाँ हैं ? साधारण भाउली में कौन-सी बुराइयाँ हैं ?

१८. रैयती जमीन की सेस-दरों का पुनरीक्षण हुआ है ? रैयतों को कानून विहित दो पैसा प्रति रुपया देना पड़ता है या अधिक ?

१९. जहाँ कहीं भाउली प्रथा प्रचलित है वहाँ जमीन्दार फसल के लिए किस दर से वसूल करता है ? वसूली के समय की दर या फसल तैयार होने की दर या कोई दूसरी दर ?

२०. क्या काश्तकारों को दाखिल खारिज कराते समय नजराना देना पड़ता है ?

२१. करचराय और भिसौन्धा क्या होते हैं ? काश्तकारों को क्या सस्ती दर पर दूध, घी और खस्सी आदि जमीन्दारों के लिए देनी पड़ती है ?

२२. क्या आपकी राय में किसान सभा आन्दोलन से जमीन्दार और काश्तकार के संबंध बिगड़े हैं ?

२३. क्या आपको किसी खास महाल की जमीन्दारी का कोई अनुभव है? क्या आप जमीन्दारों की अपेक्षा किसी खास महाल की जमीन्दार का रैय्यत होना पसन्द करेंगे? यदि हाँ, तो क्यों?

२४. क्या आपके इलाके से हटवै की वसूली होती है? उसकी दर और किस्म का उल्लेख किया जाय।

ऋणग्रस्तता :

१. काश्तकार का महाजन कौन होता है? जमीन्दार या उसका अमला या महाजन? क्या काश्तकारों को जमींदार से ही कर्ज लेने को बाध्य किया जाता है? वे किससे कर्ज लेना अधिक पसन्द करेंगे, जमींन्दार से या सामान्य महाजन से?

२. मोटे तौर पर कर्ज लेने के कौन-से अवसर होते हैं? सूद की दर क्या होती है? नकदी या किसी अन्य तरीके से ऋण भुगतान किया जाता है?

३. नकदी या अन्य किस्म का कितना कर्ज लिया जाता है। मूल धन कितना होता है। उस पर कुल जमा सूद कितना होता है, उनके पास कितनी जमीन होती है। प्रति एकड़ कितना पैदावार होता है। आमद के कौन-से दूसरे साधन हैं?

४. वे अपना कर्ज किस तरह चुकाने को सोचते हैं। पूरा कर्ज देने के लिए उन्हें खेत या मवेशी बेचना पड़ेगा?

५. ऋणग्रस्तता के संबंध में वर्त्तमान कानून के बारे में आपको जानकारी है? महाजन से लोगों के बचाव के लिए क्या वह काफी नहीं है? यदि नहीं तो उसमें कौन-सा संशोधन करना चाहेंगे और यदि है तो लोग उसका लाभ क्यों नहीं उठाते हैं?

६. ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या को आप कैसे दूर करेंगे ? क्या आप ऊँची सूद दर या चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सजा की व्यवस्था करना चाहेंगे ? क्या आप यह समझते हैं कि महाजन ग्रामीण जीवन का आवश्यक अंग है ? यदि सूद पर रुपया लगाने का काम काफी कठिन कर दिया जाय तो क्या यह प्रथा खुद ही समाप्त नहीं हो जायगी ?

७. क्या महाजनों को खद्दुकों से कर्ज वसूलने में कठिनाई हो रही है ? जिस ब्याज पर वे रुपया लगाते हैं उसका औचित्य वे किस प्रकार सिद्ध करते हैं ?

सिंचाई :

१. क्या जमीन्दारों की ओर से सिंचाई का कोई प्रबन्ध है ? क्या किसान को उसके लिए सिंचाई दर देनी पड़ती है ?

२. क्या यह सही है कि जमीन्दार बांध, चर या पैन की व्यवस्था कर के नकदी जमीनों से पैदावार बढ़ाने का यत्न नहीं करता ?

३. भाउली रैयत भाउली को नकदी में क्यों नहीं बदल लेते ? क्या इसलिए कि जमीन्दार नकदी जमीन की सिंचाई पर ध्यान नहीं देगा ?

४. आपको निजी सिंचाई कानून की धाराओं की जानकारी है ? क्या नकदी जमीन की सिंचाई के लिए जमीन्दारों को बाध्य करने को वे काफी हैं ? किसान उसका लाभ क्यों नहीं उठाते ?

५. क्या यह सही है कि पट्टा फरद आबपासी में इसकी स्पष्ट व्यवस्था रहती है कि जमीन्दार को जल-आपूर्त्ति के लिए प्रबन्ध करना पड़ेगा । किसान इसका कार्यान्वियन क्यों नहीं करता है ?

६. सरकारी नहरों के लिए विभिन्न दरें कौन-सी हैं ? क्या उनमें समय-समय पर बहुत बढ़ोत्तरी हुई है ? क्या वर्त्तमान दरें बहुत ज्यादा हैं ? कारण सहित उत्तर दिया जाय।

७. चोरकारी, मोरी खोलाई और मामूली क्या हैं ? क्या किसानों को इसका भुगतान करना होता है ? क्या आप समझते हैं कि कर्मचारियों को ये रकमें नहीं चुकाने पर भी आवश्यकतानुसार पानी मिल सकता है ? क्या यह सही है कि किसान जबतक वास्तविक मालगुजारी से कुछ अधिक नहीं चुकाता तबतक सट्टा स्वीकृत नहीं किये जाते ?

८. क्या यह सही है कि जब वे कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत करते हैं तो उन्हें पहले से भी ज्यादा परेशान किया जाता है ? नहरों से जल-आपूर्त्ति की व्यवस्था में कौन-से परिवर्त्तन आप करना चाहेंगे ?

बाढ़ :

१. आपके इलाके में बाढ़ रोकने के लिए कौन-से बाँध या अन्य पानी निकालने के उपायों की जरूरत है ? कौन-से बाँध या दूसरी चीजें बाढ़ की सम्भावना में वृद्धि करती हैं ?

२. बाढ़ या उसके फलस्वरूप खेतों में बालू जम जाने या किसी अन्य कारण से नुकसान होने पर मालगुजारी में कमी की जाती है या नहीं ?

३. क्या आप यह आवश्यक समझते हैं कि सरकार बाढ़ के कारणों एवं उन्हें रोकने के हेतु उपायों का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से कार्य करावें ?

भूकम्प :

भूकम्प से जब आप पीड़ित थे उस समय जमीन्दार ने मालगुजारी से कुछ छूट दी ? क्या आपको इसकी जानकारी है कि भूकम्प के तुरत बाद दरभंगा राज ने लाखों रुपये के तकावी ऋण देने की घोषणा की थी ? क्या आपने उससे लाभ उठाया था ?

जंगल :

१. क्या किसानों को जंगल के फल-फूल से जमीन्दार वंचित कर देते हैं ? क्या जमीन्दार पेड़ काटकर या बेचकर अपने लिए संरक्षित रखकर ऐसा करते हैं ?
२. क्या किसानों को संरक्षित जंगलों में मवेशी चराने या झरनों से पानी नहीं लेने दिया जाता है ?
३. क्या सुरक्षित जंगलों में उन्हें व्यवहारकर्त्ता के अधिकारों का इस्तेमाल करने दिया जाता है ? क्या यह सही है कि परेशान करनेवाली मुकदमेबाजी के द्वारा उन्हें ऐसा नहीं करने देने के लिए परेशान किया जाता है ?
४. जंगलों के ऐसे जानवरों को जो उनकी फसल बर्बाद करते हैं, मारने से रैयतों को रोकने की कोई व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि महुआ या अन्य पेड़ जिनके फल-फूल पर ग्रामवासी जीते हैं, उनके साथ बन्दोबस्त न करके बाहर के ठीकेदारों के साथ बन्दोबस्त कर दिये जाते हैं ?

विविध :

१. जमीन्दार द्वारा रैयती जमीन को बकाश्त बनाने के किसी प्रयत्न की जानकारी आपको है ? इसे रोकने का कोई उपाय आप बता सकते हैं ?

२. क्या रैयत की पहुँच जमीन्दार या उसके मैनेजर तक होती है ? रैयतों को उनके समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने में कौन-सी कठिनाई एवं खर्च उठाने पड़ते हैं ?

३. क्या जमीन्दार रैयतों द्वारा पेड़ों पर मधुमक्खी पालन से प्राप्त मधु को अपनी सम्पत्ति समझते हैं ?

४. क्या किसानों को सालाना मालगुजारी देनी पड़ती है या चार किस्तों में ? यदि चार किस्तों में, तो बाकी मालगुजारी पर सूद किस तरह लगाये जाते हैं ?

५. क्या फसल नहीं होने और ऊँची मालगुजारी दर के कारण आपके गाँव का कोई आदमी अपना भरण-पोषण नहीं कर सकने के कारण कलकत्ता या किसी नये उद्योग-केन्द्र में चला गया ?

६. आम तौर पर किसी किसान के पारिवारिक बजट का विवरण दीजिए ।

७. क्या किसानों को गैर-मजरुआ जमीन पर मवेशी चराने के लिए कुछ देनी पड़ती है ? क्या यह सही है कि ऐसी जमीन, रास्ते और श्मशान जमीन्दारों द्वारा बन्दोबस्त किये जाते हैं ?



परिशिष्ट–२०

"समझा जाता है कि कुछ मामलों में जिलाधिकारियों एवं उनके मातहत के अधिकारियों को मन्त्रियों से सीधे आदेश मिले हैं अथवा ऐसे आदेश मिले हैं जो मन्त्रियों द्वारा सीधे दिए गए हों। इस सम्बन्ध में वे ऊहापोह में हैं कि ऐसे पत्र मिलने पर उनको क्या करना चाहिए ?

संवैधानिक स्थिति निम्नलिखित है :—

मंत्री का काम राज्यपाल को परामर्श देना है। अधिकतर मामलों में राज्यपाल ऐसे परामर्श के अनुसार काम करने को बाध्य हैं और उनमें मन्त्री का निर्णय वास्तव में अन्तिम होगा। पर क्योंकि अन्य मामलों में राज्यपाल बाध्य नहीं हैं और अन्तिम आदेश बिना उसकी सहमति के जारी नहीं किए जा सकते, कार्यपालिका कार्यवाही अधिनियमों की धारा १३ के अन्तर्गत (इसकी प्रति संलग्न है) सरकार के आदेश पर किसी सचिव, अवर सचिव या सहायक सचिव के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। यदि आदेश-पत्र पर ऐसे हस्ताक्षर नहीं हों (अथवा तार ऐसे अधिकारी द्वारा नहीं भेजा गया हो), तो वह सरकार का आधिकारिक आदेश नहीं माना जायगा और ऐसे आदेश का, जो किसी अन्य सूत्र से जारी किया गया हो, अनुपालन करनेवाला अधिकारी अपने दायित्व पर वैसा करेगा। किसी मन्त्री का निजी सहायक या संसदीय सचिव धारा १३ के अन्तर्गत सचिव नहीं है। अधिकारी यह समझ लें कि जहाँ कहीं कोई आदेश उनके वरीय अधिकारी के माध्यम से मिला हो तो उन्हें यह मान लेना होगा कि वह सही रूप से प्राधिकृत है। भले ही सरकार से वास्तविक पत्र जिसमें वैसी सूचना दी गई हो, उन्हें न भी मिले।

यदि किसी अधिकारी को ऐसा आदेश मिलता है जिसके विषय में यह जान पड़े कि वह किसी मन्त्री द्वारा जारी किया गया है और जो धारा १३

की व्यवस्था पूरी नहीं करता तो उसकी कार्रवाई विषय के उपयुक्त होनी चाहिए। आदेश में कोई आवश्यक सूचना भेजने का अनुरोध हो सकता है, या किसी मंत्री की यात्रा के लिए प्रबन्ध जैसे अर्धवैयक्तिक मामले से उसका सम्बन्ध हो, ऐसे मामलों में नियमानुसार प्राधिकृत किए जाने के अनुरोध के बिना ही उसका अनुपालन करने में कोई आपत्ति नहीं; किन्तु अधिक महत्वपूर्ण मामलों में, विशेष करके, निर्णायक कार्रवाई का निदेश करनेवाले आदेशों उदाहरणार्थ किसी फौजदारी मुकदमा को उठा लेने का आदेश यदि किसी अधिकारी को मिले तो उसे उत्तर में लिखना चाहिए कि उचित माध्यम से लिखित आदेश दिया जाय। किन्तु ऐसे आदेश की प्रतीक्षा करते हुए उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो मन्त्री महोदय के आदेश के अनुरूप उपयुक्त आधिकारिक आदेश मिलने पर उसके विरुद्ध हो।

ऐसे सभी मामलों में जहाँ-जहाँ किसी अधिकारी को मन्त्री से सीधे आदेश प्राप्त होता है तथा वह उसे उपयुक्त माध्यम से भेज दिये जाने का अनुरोध करता है तो उसे मुख्य सचिव एवं उसके वरीय अधिकारी को उस आदेश तथा उसके उत्तर की एक-एक प्रति भेजनी चाहिए।

कार्यपालिका कार्यवाही के अधिनियम की धारा १३ :

ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ बिहार सरकार के किसी आदेश या उपकरण (इन्स्ट्रूमेंट) पर किसी अधिकारी को हस्ताक्षर करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, प्रत्येक ऐसा आदेश या उपकरण (इन्स्ट्रूमेंट) पर बिहार सरकार के सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव या सहायक सचिव द्वारा अनिवार्यतः हस्ताक्षर होना चाहिए। ऐसे हस्ताक्षर इस प्रकार के आदेश या उपकरण का सही प्राधिकृतिकरण माने जायँगे।"

परिशिष्ट—२१

बिहार के मुख्य सचिव डब्लू० बी० ब्रेट का सभी प्रमंडलायुक्तों एवं विभागाध्यक्षों को परिपत्र

२४-१२-१९३७

"सरकार का ध्यान प्रमण्डलायुक्तों को मुख्य सचिव श्री ब्रेट द्वारा भेजे गए एक कथित परिपत्र की ओर आकृष्ट किया गया है। समझा जाता है कि कथित परिपत्र जिलाधिकारियों को दिये जाने के हेतु था। उसमें मंत्रियों द्वारा भेजे गए अथवा उनके द्वारा जारी किया गया है, ऐसा प्रतीत होनेवाले आदेशों के प्रति जिलाधिकारियों एवं उनके कनीय अधिकारियों को कौन-सा रवैया अपनाना चाहिए, इसका संकेत किया गया था, उसमें सरकारी आदेशों के जारी करने एवं उनके प्राधिकृतिकरण के सम्बन्ध में संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया था। सरकार जिलाधिकारियों को यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि ऐसा कोई परिपत्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है अथवा किसी को ऐसा परिपत्र भेजने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि उन्हें ऐसा कोई परिपत्र मिला हो तो वह सर्वथा अप्राधिकृत होगा। संविधान या कार्यपालिका-कार्यवाही का कोई अधिनियम सरकार के मुख्य सचिव या किसी सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी को ऐसा कोई आदेश सरकार की ओर से जारी करने का अधिकार नहीं देता जो सरकार द्वारा पहले दिए गए या उसकी सहमति प्राप्त किसी आदेश या आदेशों पर आधारित नहीं हो। ऐसा कोई अधिकारी संविधान या उसके अन्तर्गत बनाये

गये अधिनियमों की व्याख्या करने को प्राधिकृत नहीं है। सरकार अपने सभी अधिकारियों से कहना चाहेगी कि अपना सरकारी काम सही ढंग से पूरा करने हेतु जो भी निदेश वे प्राप्त करना चाहें उन्हें सरकार से ही माँगना होगा। वैसी स्थिति में सरकार आवश्यकतानुसार सही ढंग से काम करने के हेतु निदेश जारी करेगी। जिस किसी हैसियत से उक्त परिपत्र भेजा गया हो उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वह प्रान्तीय सरकार का आदेश नहीं था। इस हेतु उसे वापस लिया जाता है।"

परिशिष्ट—२२

कांग्रेस मन्त्रिमण्डल द्वारा रिहा किए गए राजनैतिक बंदियों की सूची

नाम	सजा	अपराध
१. राय महेन्द्र	७ वर्ष कड़ी कैद	हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की पटना शाखा के सदस्य।
२. महावीर मिश्र	७ वर्ष कड़ी कैद	हिन्दुस्तान एसोसिएशन का सदस्य, आतंकवाद।
३. सूर्यनाथ चौबे	आजीवन काला पानी	यूरोपीय अधिकारियों की हत्या।
४. कन्हाई लाल मिश्र	आजीवन काला पानी	स्वेच्छा अनुदानों से ही नहीं बल्कि हिंसा एवं डकैती के द्वारा भी अधिकोष, शस्त्रास्त्र आदि संचय करना एवं नवयुवकों को भर्त्ती करना।
५. श्यामकृष्ण अग्रवाल	आजीवन काला पानी	,,
६. श्यामदेव नारायण	आजीवन काला पानी	पटना षड्यन्त्र केस, १६३१।
७. त्रिलोकी सिंह	७ वर्ष कड़ी कैद	हाजीपुर रेलवे स्टेशन डकैती केस।

नाम	सजा	अपराध
८. भगवान सिंह	७ वर्ष कड़ी कैद	रेलवे गाड़ी उलटने का षड्यंत्र।
९. सकलदीप राउत	आजीवन काला पानी	सदीशोपुर (पटना) रेल उलटने का मुकदमा, १९३२।
१०. रामप्रताप सिंह	आजीवन काला पानी	
११. द्विजपद विश्वास	४ वर्ष कड़ी कैद	सरकार के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों के लिए धन संचय के उद्देश्य से काम करना, झरिया में डकैती करने के सिलसिले में गिरफ्तार।
१२. सुबोधचन्द्र दत्त	४ वर्ष कड़ी कैद	,,
१३. शैलेशचन्द्र संयाल	४ वर्ष कड़ी कैद	सरकार के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों के लिए धन संचय के उद्देश्य से काम करना, झरिया में डकैती करने के सिलसिले में गिरफ्तार।
१४. अनूपलाल सूरी	७ वर्ष कड़ी कैद	सबौर डकैती षड्यन्त्र तथा भागलपुर और मुंगेर जिलों में चोरी एवं अन्य अपराधों का नायक सबौर डाकखाना राजनैतिक डकैती केस के लिए बम बना रहा था।

परिशिष्ट—२२

नाम	सजा	अपराध
१५. विश्वनाथ प्रसाद	७ वर्ष कड़ी कैद	गया क्रान्तिकारी दल सदस्य। गया षड्यन्त्र १९३३ में सजायाफ्ता।
१६. केशव प्रसाद	७ वर्ष कड़ी कैद	,,
१७. श्यामचरण भरथुआर	७ वर्ष कड़ी कैद	,,
१८. राम भगवान सिंह	१०½ वर्ष कड़ी कैद	अखिल भारतीय गणतन्त्र सेना छपरा के सदस्य। धन संचय के लिए डकैती करने का निर्णय। इस तरह की एक डकै[illegible] फुलवारी मठ (परसा) में हुई। इसमें अभियुक्त का बम फूटने से दाहिना हाथ उड़ गया था।
१९. महन्थ राम रमण दास	१० वर्ष कड़ी कैद	परिवर्त्ति सारन केस, १९३१।
२०. राघो प्रसाद	५ वर्ष कड़ी कैद	हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की पटना शाखा के सदस्य, बम तैयार करना, देश के लिए अपने को बलिदान करना, अचानक बम फूट जाने से खाजेकला बम केस, १९३६ में सजायाफ्ता।
२१. पन्ना लाल	५ वर्ष कड़ी कैद	,,

नाम	सजा	अपराध
२२. राम बाबू	५ वर्ष कड़ी कैद	हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की पटना शाखा के सदस्य, बम तैयार करना, देश के लिए अपने को बलिदान करना, अचानक बम फूट जाने से खाजेकला बम केस १९३६ में सजायाफ्ता।
२३. नन्हकू सिंह	१० वर्ष कड़ी कैद	हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गंगा से उत्तरवर्ती प्रदेश का नेता योगेन्द्र शुक्ल था। अप्रील, १९३१ में लाहौर केस के फरारों को सहायता देने के हेतु धन-संचय करने के लिए राजनैतिक डकैतियाँ करने का षड्यन्त्र कलकत्ते में आयोजित किया गया था। इस सिलसिले में योगेन्द्र शुक्ल ने अन्य व्यक्तियों के साथ जून, १९२९ को चम्पारन के मौलनियाँ डकैती में भाग लिया। इसमें एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई थी। योगेन्द्र शुक्ल को मई, १९२९ में झाझरा और ढेलुआ डकैती में भी सजा मिली थी।

नाम	सजा	अपराध
		उसकी धारणा थी कि यदि बन्दूक और गोले-गोलियों के लिए धन एकत्र किया जा सका और काफी संख्या में यूरोपियों की हत्या की जा सकी तो पूर्ण स्वतन्त्रता मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
२४. गुलाबी सोनार	१० वर्ष कड़ी कैद	,,
२५. योगेन्द्र शुक्ल	१०-१० वर्ष की सजा	,,
२६. केदारमणि शुक्ल	१०-१० वर्ष की सजा	,,
२७. प्रमथनाथ घोष	७ वर्ष कड़ी कैद सजा	कलकत्ता डायना माइट केस के अभियुक्त दशरथी हलदर और मायादेवी के सहयोगी, अखिल भारतीय क्रान्तिकारी दल के सदस्य। इन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२० बी तथा आर्मस् ऐक्ट के अन्तर्गत झरिया बम केस, १९३३ में सजा मिली थी।
२८. ज्योतिर्मय राय	७ वर्ष कड़ी कैद की सजा	,,
२९. मलयकृष्ण ब्रह्मचारी	७ वर्ष कड़ी कद की सजा	पूर्वी बंगाल के क्रान्तिकारियों का सहयोगी। राँची बम केस में सजायाफ्ता।

नाम	सजा	अपराध
३०. शिव प्रसाद	२½ वर्ष कड़ी कैद	इन युवकों ने पटना के सेशन जज श्री महन्ती पर बम फेंकने का निर्णय किया था। जज के पास धमकी भरी चिट्ठियाँ भी इन्होंने भेजी थीं। बम बनाते हुए मिठनघाट, पटना सिटी में घायल हुए और गिरफ्तार हुए।
३१. राजेन्द्र प्रसाद	२½ वर्ष की कड़ी कैद	,,
३२. सत्यनारायण मिश्र	३½ वर्ष कड़ी कैद	मिठनघाट बम केस में गिरफ्तार।
३३. चन्द्रकान्त मिश्र	५ वर्ष कड़ी कैद	शिवकान्त मिश्र जो पहले एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता था, ने कई युवकों को क्रान्तिकारी विचारों से भर दिया और उन्हें बम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दल का एक व्यक्ति दयानन्द भागलपुर के जज को मारना चाहता था। मधुबनी थाना के गन्धेश्वर के समीप बम बनाते समय एक बम फूट गया और उससे दल के एक

नाम	सजा	अपराध
		सदस्य की मृत्यु हो गई। दल का एक सदस्य मुखबिर बन गया। शेष चार सदस्यों को गन्धवार बम केस, १९३५ में सजा मिली।
३४. ब्रह्मदेव नारायण ठाकुर	१४ वर्ष कड़ी कैद	शिवकान्त मिश्र जो पहले एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता था, ने कई युवकों को क्रान्तिकारी विचारों से भर दिया और उन्हें बम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दल का एक व्यक्ति दयानन्द भागलपुर के जज को मारना चाहता था। मधुबनी थाना के गन्धेश्वर के समीप बम बनाते समय एक बम फूट गया और उससे दल के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। दल का एक सदस्य मुखबिर बन गया। शेष चार सदस्यों को गन्धवार बम केस, १९३५ में सजा मिली।
३५. दयानन्द झा	१४ वर्ष कड़ी कैद	,,
३६. शिवकान्त मिश्र	१४ वर्ष कड़ी कैद	,,

नाम	सजा	अपराध
३७. राम प्रसाद सिंह	आजीवन काला पानी	अमरपुर मठ (भागलपुर) डकैती में भाग लिया। इसमें एक हत्या भी हो गई थी। राजनैतिक कार्यों के लिए महन्थ की सम्पत्ति लूटना मुख्य उद्देश्य था।
३८. लेखनारायण दास	६ वर्ष कड़ी कैद	पहले सी० आई० डी० को सूचना देनेवाला। बाद में स्थानीय स्पेशल ब्रांच के दारोगा से झगड़ गया और उसकी जान लेना चाहता था। बम की सामग्रियों के साथ गिरफ्तार।
३९. चन्द्रिका सिंह	आजीवन काला पानी	हाजीपुर स्टेशन डकैती केस में फरार। गिरफ्तार करने का प्रयत्न करनेवाले एक सी० आई० डी० दारोगा पर खूखरी से आक्रमण।
४०. गौरीशंकर दूबे	७ वर्ष कड़ी कैद	चम्पारन के क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लिया। आद्या डकैती केस में सजा।

बिहार विधान परिषद् में २४ मई, १९३८ की बहस के दरम्यान प्रस्तुत।

परिशिष्ट—२३

पीरो थाना की जनता और कार्यकर्त्ताओं से अपील

३० सितम्बर आखिरी तिथि है :

भाइयों,

आपलोगों को मालूम होगा कि आपकी थाना कांग्रेस कमिटी का नया चुनाव हो गया है और हमें शीघ्र ही अपने कार्यक्रम पर जुट जाना है। इधर बहुत दिनों से कांग्रेस का कार्यक्रम कुछ ऐसा रहा है कि हम बराबर एक-न-एक चुनाव के झमेले में आपस में लड़ते-भिड़ते रहे हैं और अपने मूल सिद्धान्त आजादी के मंत्र को भूल बैठे। जब से कांग्रेस ने मन्त्री पद ग्रहण किया है तभी से हमारा काम बराबर ही हमलोगों की नुकता-चीनी करना हो गया है और हम बराबर इसी बात पर झगड़ते रहे हैं कि मन्त्रियों ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। लेकिन साथ ही हमने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर हमें क्या करना था। हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल बनाने का यह मंशा कभी नहीं था कि सभी लोग मन्त्रियों के द्वारा बनाये गये कानूनों का इन्तजार करते रहेंगे। क्या मन्त्रिमण्डल कानून बनाकर हिन्दुस्तान को आजादी दे देगा ? हरगिज नहीं। यह तो अँग्रेजों की कूटनीति है जिन्होंने इस प्रान्तीय स्वराज की "मन मलीन तन सुन्दर" औफिसरों को हमारे तपस्वियों के सामने भेजा है। उनका तो यही मंशा था कि भारत के तपस्वी इस खिलौने के खेल में बझ जायेंगे और उनके दिमाग की क्रांति लहर मिट जायगी तब मौका देखकर एक बार जोर देकर भारतीय जनता को कुचलने में कोई

दिक्कत नहीं होगी। उनका अनुमान था कि कांग्रेस एक क्रांतिकारी संस्था से बदलकर एक वैधानिक संस्था हो जायगी और हम देखते हैं कि उनकी यह कूटनीति बहुत हद तक सफल भी होती जा रही है। लेकिन क्या हम ऐसा होने देंगे ?

हमारी आजादी की लड़ाई के दो जबर्दस्त पैंतरे हैं। सबसे जबर्दस्त तो जनता की ताकत है। वैधानिक पैतरा तो उसके बाद की चीज है। कांग्रेस के हाथ में आज दो मोर्चाबन्दी है। अगर होशियारी और सतर्कता से काम लिया जाय तो हम बहुत जल्द आजादी के निकट पहुँच जायँगे, लेकिन हम देखते हैं कि वैधानिकता की ओर हम अधिक बढ़ने लगे हैं और जन-सम्पर्क का कार्यक्रम ढीला पड़ता जा रहा है, यह खतरा की घंटी है।

आज यूरोप की स्थिति डवांडोल है। सभी राष्ट्र नरसंहार के लिए उतावले हो रहे हैं। नाजी जर्मनी ने नरमेध यज्ञ शुरू भी कर दिया है। सम्भव है, एक-एक कर सभी राष्ट्र उसमें शामिल हो जाएँ। उसका प्रभाव भारत पर भी पड़े बिना न रहेगा। कांग्रेस ने किसी भी सम्भावित युद्ध का साथ न देने का खुला ऐलान किया है और वह अपनी इस प्रतिज्ञा पर सुदृढ़ रहेगी। उधर ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तानी फौज का जबर्दस्ती इस्तेमाल करना चाहेगी। फलस्वरूप सरकार और कांग्रेस के बीच संघर्ष हो जाना सम्भव है अतः हमें इस खतरे की घण्टी से अभी से सावधान हो जाना चाहिए और बिखरी हुई सारी शक्तियों को एकत्र करके कांग्रेस के जंगी बिगुल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए इस वक्त सबसे पहला और जरूरी काम है कांग्रेस का सदस्य बनना। कांग्रेस की शक्ति उसके सदस्यों पर ही निर्भर करती है। जितने ही अधिक सदस्य बन सकेंगे ब्रिटिश साम्राज्यशाही के साथ हम उतना ही जबर्दस्त मोर्चा ले सकेंगे। इसलिए हमारी आपलोगों से अपील है कि आप एक बार फिर सजग हो जायँ, आगे कदम बढ़ायें और इस वक्त अपनी सारी ताकत लेकर अधिक-से-अधिक कांग्रेस सदस्य बनें और

बनाएँ। समय बहुत कम है। ३० सितम्बर आखिरी तिथि है। फिर डट जाने से हम पूरी सफलता हासिल कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है आप देश की, इस समय की शक्ति को समझकर आगे बढ़ेंगे और देश की आजादी की लड़ाई में इस बार पहले से भी अधिक उत्साह और लगन से कांग्रेस का हाथ बँटायेंगे।

विनीत,
देवनारायण शर्मा, सभापति,
गणेश कुमार सिन्हा, मंत्री,
थाना कांग्रेस कमिटी, पीरो।

परिशिष्ट—२४

प्रत्येक कांग्रेस कमिटी सत्याग्रही कमिटी है

"पहले मैंने रामगढ़ में विषय निर्वाचनी समिति के समक्ष यह कहा था कि प्रत्येक सत्याग्रही कमिटी को सत्याग्रही समिति बन जाना चाहिए तो उस समय मैंने बहुत सोच-समझकर ही वैसा कहा था। मैं चाहूँगा कि सत्याग्रह सेना में भर्त्ती होने का आकांक्षी प्रत्येक कांग्रेसकर्मी मेरे रामगढ़ वाले दोनों भाषणों को तथा "हरिजन" में उस सन्दर्भ में जो कुछ मैं लिखूँ उसे अवश्य पढ़ें एवं सत्याग्रही के लिए जो आदेश दिए जाएँ उनका अवश्य अनुपालन करें।

आगामी संघर्ष में, यदि संघर्ष करना ही पड़े, तो आधे मन से काम करने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। एक ऐसे सेनापति की, जिसके सैनिक पूरी तरह तैयार नहीं हों और उनके मन में शंका बनी रहे, स्थिति की कल्पना की जा सकती है। उसकी हार निश्चित होगी। मैं अपने जानते कोई ऐसा प्रयोग नहीं करूँगा। यह सब मैं कांग्रेसजनों को डराने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। यदि उनका संकल्प सुदृढ़ है तो मेरे आदेशों का अनुपालन करना उनके लिए कठिन नहीं होगा। अनेक लोग मुझे लिखते हैं कि उन्हें मुझमें या चर्खा में आस्था नहीं है फिर भी वे केवल अनुशासन के हेतु चर्खा चलाते हैं। यह मेरी समझ के बाहर है क्या कोई सेनापति ऐसे सैनिकों को लेकर लड़ाई लड़ सकता है जिनका उसमें विश्वास नहीं हो। इस भाषा का सीधा अर्थ यह है कि यह सब लिखनेवाले सामूहिक संघर्ष में विश्वास करते हैं, किन्तु यदि संघर्ष अहिंसात्मक होना है तो उसमें या चर्खा आदि में जो सम्बन्ध मुझे दीखता है उसमें उनका विश्वास नहीं है। जनता पर मेरा जो प्रभाव है उसमें वे विश्वास करते हैं, किन्तु उन चीजों में विश्वास नहीं करते जिनके

कारण मेरे विचारों में मेरा यह प्रभाव है। वे वास्तव में मेरा उपयोग करना चाहते हैं और अनिच्छापूर्वक वह सब कुछ करने को तैयार हैं जो उनके अनुसार अज्ञानतावश या हठवश में उन्हें करने को कहता हूँ। मैं इसे अनुशासन नहीं कहूँगा। सच्चा अनुशासन ऐसे आदेशों के अनुपालन की भी उत्साहपूर्वक मांग करता है जो तर्कसंगत नहीं जान पड़े। स्वयंसेवक सोच-विचारकर सेनापति चुनता है, किन्तु एक बार सेनापति चुन लेने के बाद उसके प्रत्येक आदेश की छानबीन करने और अपनी बुद्धि की कसौटी पर उसे कसने में अपना समय और शक्ति बर्बाद नहीं करता। "पूछताछ करना उनका काम नहीं"।

मेरे आदेश :

प्रत्येक कांग्रेस कमिटी को सत्याग्रह समिति बन जाना चाहिए, समितियाँ सभी के प्रति सद्भावना में विश्वास करनेवाले, किसी भी रूप में छुआछूत नहीं माननेवाले, नियमित रूप से सूत कातनेवाले और आदतन खद्दर पहननेवाले कांग्रेसजनों की सूची रखें। ऐसी समितियों में अपना नाम लिखानेवालों से मैं आशा करूँगा कि वे अपना अवकाश का समय रचनात्मक कार्यक्रम में लगायेंगे। यदि निष्ठापूर्वक इस काम में प्रगति होती है तो ये सत्याग्रह समितियाँ कताई भण्डार बन जायेंगी। वे अखिल भारतीय चर्खा संघ की शाखाओं के निदेशन में नियमित रूप से काम करेंगी। फलतः समिति में पंजीकृत एक भी ऐसा कांग्रेसीजन नहीं रहेगा जिसने आदतन खादी का व्यवहार करना शुरू नहीं किया हो। इस संबंध में प्रादेशिक मुख्यालयों से सत्याग्रह समितियों के काम की प्रगति पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी को नियमित रूप से रिपोर्ट भेजे जाने की मैं आशा करूँगा। क्योंकि यह पंजीयन सर्वथा ऐच्छिक होगा अतः रिपोर्ट में नाम लिखानेवाले तथा नहीं लिखानेवालों का भी नाम रहना चाहिए।

पंजीकृत सत्याग्रही प्रतिदिन के अपने काम की डायरी रखेगा। सूत कातने के अतिरिक्त उसका काम प्राथमिक सदस्यों से मिलना, उन्हें खादी का व्यवहार करने, सूत कातने तथा अपने को पंजीकृत कराने को कहेगा। वे ऐसा करें या नहीं किन्तु उनके साथ सम्पर्क बनाये रखना चाहिए।

उसे हरिजन बस्तियों में जाना चाहिए। उनकी कठिनाई यथासंभव दूर की जानी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे लोगों के ही नाम लिखे जायँ जो जेल जाने और वहाँ का कष्ट सहने को तैयार हों।

सत्याग्रही बन्दी अपने लिए या अपने आश्रितों के लिए किसी तरह की वित्तीय सहायता की आशा नहीं करेगा।

ये बातें सक्रिय सत्याग्रहियों के लिए हैं, किन्तु बहुसंख्यक ऐसे लोग हैं जो यद्यपि सूत नहीं कातेंगे, जेल नहीं जायँगे फिर भी सत्याग्रह के दोनों मूल सिद्धान्तों पर विश्वास करते हैं और संघर्ष का स्वागत करते हैं एवं उसके प्रति शुभ-कामना रखते हैं; मैं ऐसे लोगों को निष्क्रिय सत्याग्रही कहूँगा। यदि ये लोग स्वयं जेल जाकर या मजदूरों एवं छात्रों की हड़ताल करा के प्रगति में बाधा नहीं डालेंगे तो उन्हें भी मैं सत्याग्रह में सहायता पहुँचानेवाला ही कहूँगा। किन्तु ऐसे लोग जो अति उत्साह या किसी अन्य कारण से उपर्युक्त आदेशों के प्रतिकूल काम करेंगे वस्तुतः संघर्ष को हानि पहुँचायँगे, उस स्थिति में मुझे उसे निलंबित करने को बाध्य होना पड़ेगा। एक ऐसे युग में जहाँ हिंसा का बोलबाला है और सर्वाधिक सभ्य कहे जानेवाले राष्ट्र शस्त्रास्त्रों से एक दूसरे के विरुद्ध निपटने के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी बात नहीं सोच सकते। भारत के विषय में यह कहा जा सकेगा कि उसने आजादी की लड़ाई विशुद्ध शान्तिपूर्ण साधनों से की एवं उसमें विजय प्राप्त की।

मैं इस पर बिलकुल स्पष्ट हूँ कि राजनैतिक चेतना सम्पन्न भारत का सहयोग यदि मिलता रहा तो विशुद्ध अहिंसा द्वारा स्वराज प्राप्त करना पूर्णतया संभव है। दुनिया अहिंसा संबंधी हमारी बातों में विश्वास नहीं करती। दुनिया की बात छोड़ भी दें मैंने, जो उसका अपने मन से सेनापति बना हूँ, बार-बार यह स्वीकर किया है कि हमारे हृदय में हिंसा की भावना है एवं अपने आपसी व्यवहार में हम एक-दूसरे के प्रति अक्सर उग्र हो उठते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि जबतक हमारे बीच हिंसा रहेगी हम अहिंसा की लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। दूसरी ओर यदि सत्याग्रही ईमानदार है और वैसे लोग साहस के साथ अलग रह जाते हैं तथा उसकी प्रगति में बाधा नहीं डालते तो मैं अहिंसा की लड़ाई लड़ूँगा।

अहिंसक संघर्ष का अर्थ है विश्व लोकमत को अपने पक्ष में अभिकेन्द्रित करना। मैं जानता हूँ कि दुनिया में अनेक सोचने-समझने वाले लोग युद्ध की भावना से ऊब चुके हैं। वे शान्ति का मार्ग खोजना चाहते हैं एवं मार्ग निर्दशन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। यदि हम ईमानदारी के साथ अहिंसक नहीं रहेंगे तो इस लोकमत को अपनी ओर नहीं कर सकेंगे। मैं पहले जो कुछ कह चुका हूँ उसे फिर दुहरा रहा हूँ: मैं निष्ठावान् सत्याग्रहियों की एक बहुत छोटी सेना के साथ भी संघर्ष कर सकूँगा किन्तु ऐसी विशाल सेना, जिस पर पूरा-पूरा भरोसा नहीं कर सकूँ या उसके आचरण के सम्बन्ध में मुझे पूरा निश्चय नहीं हो, लेकर भी अशक्त एवं परिशान रहूँगा। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा सत्याग्रह समितियों का गठन किये जाने की आशा करता हूँ। वे समय-समय पर उसकी प्रगति के संबंध में मुझे सूचित करती रहेंगी। यदि मुझे एक महीने के भीतर पर्याप्त उत्साहपूर्ण उत्तर मिला तो सत्याग्रह समितियों को सुचारु रूप से काम करने के योग्य बनाने में ठीक कितना समय लगेगा, यह कहना सम्भव होगा।

सेवाग्राम, वर्धा मोहनदास करमचन्द गाँधी
२५-३-१९४०

परिशिष्ट—२५

प्रतिज्ञापत्र

मैं अपना नाम सक्रिय सत्याग्रही के रूप में लिखाना चाहता हूँ। मैं संकल्प करता हूँ कि :—

१. जबतक मै सक्रिय सत्याग्रही रहूँगा तबतक वचन एवं कर्म में अहिंसक रहूँगा और उद्देश्यों में भी अहिंसात्मक रहने का प्रयत्न करूँगा क्योंकि मेरा विश्वास है कि भारत की आज की स्थिति में अहिंसा ही उसकी सहायता कर सकती है एवं उसी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा भारत की सभी प्रजातियों एवं समुदायों (हिन्दू, मुसलमान, पारसी, इसाई या यहूदी) के बीच एकता बनी रह सकती है।

२. ऐसी एकता को बढ़ाने में मेरा विश्वास है और मैं उसके लिए यत्नशील रहूँगा।

३. छुआछूत का अभिशाप दूर करना न्यायसंगत एवं आवश्यक है, इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं सभी संभव अवसर पर दलित वर्गों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क करने का एवं उनकी सेवा करने का प्रयत्न करूँगा।

४. स्वेच्छा से भारत की आर्थिक, राजनैतिक एवं नैतिक मुक्ति के लिए मैं स्वदेशी को आवश्यक समझता हूँ। मैं हाथ से कते और हाथ से बने खद्दर का ही व्यवहार करूँगा। मैं यथासंभव हाथ से बनी एवं ग्राम उद्योगों में तैयार सामग्रियों का ही व्यवहार करूँगा।

५. मैं नियमित रूप से कताई करूँगा।

६. मैं अपने वरीय अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करूँगा तथा ऐसे सभी अधिनियमों एवं नियमों का पालन करूँगा जो इस प्रतिज्ञापत्र की भावना के प्रतिकूल नहीं हो।

७. अपने देश एवं आदर्श के हेतु जेल जाने एवं प्राण देने को भी मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हूँ।

८. जेल जाने की स्थिति में मैं कांग्रेस को अपने लिए अथवा अपने परिवार एवं आश्रितों के लिए किसी तरह की सहायता नहीं मागूँगा। १८ वर्ष से कम आयु के लोग यह प्रतिज्ञा नहीं लेंगे।

●

परिशिष्ट—२६

इमरजेंसी पावर अध्यादेश, १९४० के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकारों का सारांश

१. प्रांतीय सरकारों एवं उनके अधिकारियों को (कुछ सीमित मामलों में केन्द्रीय सरकार को सहभागी प्राधिकार दिया जाता है।) प्रान्त में अमन-चैन पर गंभीर खतरा उत्पन्न होना रोकने के हेतु विशेष प्राधिकार देने के लिए कानून बनाये गये हैं। यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है कि इसके अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी इसके लागू होते ही सशक्त एवं सुनियोजित कार्रवाई करने को तैयार रहें। इस टिप्पणी का उद्देश्य इस कानून के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकारों एवं उसकी सामान्य योजना को स्पष्ट करना है। उद्देश्य यह है कि कार्रवाई करने के हेतु अधिकारी वर्ग अपनी योजना तैयार रखें।

२. **सामान्य योजना**—यह कानून किसी "क्रान्तिकारी आन्दोलन" एवं उसे सहायता या प्रोत्साहन देनेवाली कार्रवाइयों में लगे हुए लोगों से निबटने के हेतु बनाया गया है। "क्रान्तिकारी आन्दोलन" की परिभाषा इस प्रकार की है जिसमें विश्वास किया जाता है कि कोई विघटनकारी आन्दोलन के सभी संभव तरीके उसके अन्तर्गत आ जायँ। केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों को किसी विशेष आन्दोलन को "क्रान्तिकारी आन्दोलन" घोषित करने का भी प्राधिकार दिया गया है। "क्रान्तिकारी आन्दोलन" को प्रोत्साहन देनेवाली "क्रान्तिकारी कार्रवाइयों" की इस प्रकार परिभाषा की गई है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि किसी "क्रान्तिकारी

आन्दोलन" में संलग्न होनेवालों की उस सिलसिले में सभी कार्रवाइयाँ आ जायें। यह कानून इस रूप में तैयार किया गया है जिसमें प्रान्तीय सरकार एवं उनके अधिकारियों को वैसे सभी अधिकार मिल सकेंगे जिन्हें सरकार को परेशान करने के हेतु संगठित कार्रवाइयों के अविलंब एवं सशक्त दमन के लिए अनुभव के आधार पर आवश्यक पाया गया है।

३. **प्राधिकार**—प्रान्तीय सरकारों एवं उसके अधिकारियों को दिए गए मुख्य अधिकार :—

संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, नजरबन्द करना और उनकी गतिविधि पर रोक लगाना, किसी क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए उपयोग में आनेवाली धनराशि या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को जप्त करना, क्रांतिकारी आन्दोलन के लिए उपयोग में मिली जगहों या भवनों पर अधिकार कर लेना, कागजात जप्त करना, डाक में भेजे गए प्रलेखों या मार्ग में पकड़े गए कागजात को जप्त करना, स्थानीय प्राधिकारों और शैक्षणिक संस्थाओं पर नियंत्रण करना, आम व्यवहार की सामग्रियों पर नियंत्रण करना, कोई खास जगह जाने पर प्रतिबन्ध लगाना या उसे सीमित करना, अधिसूचित संस्थानों पर नियंत्रण, करना, यातायात रोकना या उसे नियंत्रित करना, यातायात के साधन जैसे रेलवे, स्टीमर तथा पेट्रोल और मोटर के पार्ट-पुर्जे के वितरण को सुनियोजित करना, कर्फ्यू लगाना, कवायद पर रोक लगाना, हथियार, विस्फोटक पदार्थ आदि का वितरण रोकने एवं उनकी बिक्री पर नियंत्रण, डाक, तार, टेलीफोन आदि के व्यवहार पर नियंत्रण अतिरिक्त पुलिस नियुक्त करना, और अन्य लोगों की सहायता लेना, उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों के लोगों पर सामूहिक जुर्माना लगाना, सभाओं की रिपोर्ट प्राप्त करना, सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबन्ध, स्थानों

एवं व्यक्तियों की तलाशी, आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सजा।

४. **अपराध एवं सजाएँ**—अपराधों का दण्ड देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। "क्रन्तिकारी" कार्रवाइयों या आन्दोलनों तथा कानून के अन्तर्गत दिए गए आदेशों का उल्लंघन के अतिरिक्त निम्नलिखित अपराध इनमें सम्मिलित हैं :—अफवाह फैलाना, जप्त प्रलेखों की वातों का प्रचार और ऐसे अभिलेखों का संवहन, बहिष्कार, पुतला जलाना, अर्ध सैनिक संगठनों की व्यवस्था, वर्दी आदि पहनना और तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ।

५. **अदालतें**—विशेषाधिकार सम्पन्न विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है। जहाँ भी आवश्यक हो अदालतों के समीप जनता नहीं जाय तथा उग्रवादी अभियुक्तों से निपटने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएँ हैं।

६. **अधिसूचित देयक**—प्रान्तीय सरकार अधिसूचित क्षेत्रों में देयक लगा सकती है। इन्हें बाकी मालगुजारी के रूप में वसूला जा सकता है। भू-राजस्व, कर या खेतों की मालगुजारी नहीं देने के लिए कहना दण्डनीय होगा।

१७ फरवरी, १९३६

४½ बजे भोर में हम किउल पहुँचे और वहाँ से जमालपुर के लिए गाड़ी पकड़ी। जमालपुर पहुँचने पर हमारा हार्दिक स्वागत हुआ। एक सभा आयोजित की गई थी। नेमधारी बाबू और राम प्रसाद बाबू भी यहाँ उपस्थित थे। वहाँ से हम पूरबसराय गए। वहाँ स्वयंसेवकों ने हमारा भव्य स्वागत किया। नन्द कुमार बाबू, राम प्रसाद बाबू और दूसरे लोगों के साथ हम तिलक मैदान गए। हमने धर्म नारायण बाबू के बच्चों को देखा। रास्ते में एक युवक संगठन, हरिजन स्कूल एवं अनाथों तथा विधवाश्रम का निरीक्षण किया। ४ बजे संध्या में राजेन्द्र बाबू जिला बोर्ड गए। शाह साहब ने राजेन्द्र बाबू को अभिनन्दन-पत्र दिया। तिलक मैदान के समीप रिलीफ अधिकोष के रुपयों से दो नव निर्मित घर हमने देखे। इन भावनों के किराये का उपयोग रिलीफ कमिटी करेगी। सभा खतम होने पर हमलोगों ने परमेश्वर बाबू के घर पर खाना खाया और भागलपुर के लिए रवाना हो गए। वहाँ हम देर से पहुँचे और विश्राम किया।

१८ फरवरी, १९३६ :

सर्वश्री राजेन्द्र लाल दास, शिवधारी सिंह और सुखदेव चौधरी 'वीहपुर' आये और १० बजे तक उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। हमें जो थैलियाँ दी गई थीं उनसे प्राप्त धन-राशि का वितरण किया—अखिल भारतीय अधिकोष के लिए १२½ प्रतिशत, शेष रकम प्रान्तीय अधिकोष एवं जिला अधिकोष को बराबर-बराबर बाँट दिया गया। २१४ रु० राजेन्द्र लाल दास को हमने दे दी। हमने दोपहर बातचीत करते एवं मृत्युंजय बाबू की लड़का

उषा और धन्नाजी की लड़की उर्मिला के साथ खेलते हुए बिताया। तीसरे पहर हम श्रीमती लीला सिंह के घर पर एकत्र हुए। गौरी बाबू, अनन्त बाबू, श्री नरेश मोहन ठाकुर, श्री के० लाल, हरकिशोर बाबू, देवता चरण बाबू, मोती बाबू, गंगा प्रसाद हकिम, रास बिहारी लाल तथा जिला काँग्रेस कमिटी के सचिव एवं अन्य सदस्य वहाँ उपस्थित थे। दीप बाबू की स्मृति में एक भवन निर्माण करने के हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया। श्रीमती लीला सिंह ने राजेन्द्र बाबू को जहाँ दीप बाबू बैठा करते थे, वहाँ बैठाया। कई समितियाँ गठित की गईं। दीप बाबू स्मृति भवन की योजना को बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की कार्य सूची में रखने के हेतु श्रीबाबू और अनुग्रह बाबू को पत्र लिखे गये। हम ९ बजे रात में लौटे।